FOR REFERNCE ONLY.

दिश माला, खंड 28, अंक 4

शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2002
1 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)



(खंड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 3.....54.....
Date.....2/12/07.....

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

राजकुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 4, शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2002/1 अग्रहायण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61, 66 और 67	6–28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 62 से 65 और 68 से 81	28–71
अतारांकित प्रश्न संख्या 676 से 905	71–391
'एडवांस रूलिंग कमीशन फॉर कस्टम्स एंड एक्साइज' के चेयरमैन के रूप में न्यायमूर्ति वेंकटस्वामी की नियुक्ति के बारे में	391–396
सभा पटल पर रखे गए पत्र	396–410
राज्य सभा से संदेश	410–411
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	411
याचिका समिति	
बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन	411
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	412
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
नौवां प्रतिवेदन	412
सभा का कार्य	412–417
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
देश के विभिन्न भागों विशेष रूप से केरल में रबड़, चाय, कॉफी और इलायची उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याएं और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	418–438
श्री रमेश चेन्नितला	418–419, 423–425
श्री अरुण शौरी	419–423, 433–438
श्री सुरेश कुरुप	426–428

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री के. फ्रांसिस जार्ज	428–431
श्री संतोष मोहन देव	431
श्री पी.सी. थामस	431–432
श्री जोवाकिम बखला	432
श्री एम. मास्टर मथान	432–433
कार्यमंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	439
देश के विभिन्न भागों, विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याएं	440–441
सहकारी विधेयक–पारित	447–473
(एक) संसद अधिकारी तथा संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक	447–449
विचार करने के लिए प्रस्ताव	447
श्री संतोष कुमार गंगवार	447–448
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	448
खंड 2, 3 और 1	449
पारित करने के लिए प्रस्ताव	449
(दो) होम्यापैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक	449–474
विचार करने के लिए प्रस्ताव	449
श्री शत्रुघ्न सिन्हा	449–451, 471–474
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	451–456
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	456–460
श्री वरकला राधाकृष्णन	460–462
प्रो. रासा सिंह रावत	463–464
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	464–466
श्री हन्नान मोल्लाह	466–468
डा. वी. सरोजा	469
श्री नरेश पुगलिया	469–471
खंड 2 से 4 और 1	473
पारित करने के लिए प्रस्ताव	474

विषय	कॉलम
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुर:स्थापित*	474–524
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 25क का अन्त:स्थापन)	
योगी आदित्यनाथ	474
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 16 का संशोधन)	
श्रीमती रेणूका चौधरी	475
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 124 और 216 का संशोधन)	
श्रीमती रेणूका चौधरी	475
(चार) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 304, आदि का संशोधन)	
श्रीमती रेणूका चौधरी	476
(पांच) अत्यधिक पिछड़े वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व) विधेयक	
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	476
(छह) अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधायक—*वापस लिया गया*	477–492
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती रेणूका चौधरी	477–480
श्री शत्रुघ्न सिन्हा	480–486
डा. वी. सरोजा	487–492
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक—*विचाराधीन* (अनुच्छेद 44 आदि का लोप)	492–524
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	492–497
श्री खारबेल स्वाइं	497–501
श्री शिवराज वि. पाटील	501–508
श्री वरकला राधाकृष्णन	508–513
श्री थावरचन्द गेहलोत	513–520
श्री के. फ्रांसिस जार्ज	520–522
श्री के. जना कृष्णमूर्ति	522–524

लोक सभा

शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2002/1 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, आज पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। *...(व्यवधान)* किसानों को लूटा जा रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, गन्ना किसानों को लूटा जा रहा है, वह पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए, एक-एक करके बोलिए, बाकी माननीय सदस्य बैठ जाएं। एक माननीय सदस्य बोले ताकि मुझे पता चले कि क्या विषय है।

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर सवाल है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है, गन्ना किसान पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। वह अपनी फसल जलाने के लिए बाध्य है। भारत सरकार ने 64 रुपए से लेकर 80 रुपए तक मूल्य घोषित किया और राज्य सरकार ने 95 रुपए से सौ रुपए किया। *...(व्यवधान)* राज्य सरकार ने उसे वापस ले लिया।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कल चर्चा हुई है। इस पर कल जीरो-ऑवर में चर्चा हुई है, कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, कृपया आप अपनी जगह पर जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : हम किसानों के सवाल पर कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप अपनी जगह पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी पार्टी के प्रमुख नेता बोल रहे हैं, आप उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने इस सवाल पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका ध्यान रखूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, ये बार-बार किसानों के सवाल पर बाधा डालते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं प्रश्नकाल शुरू करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मुझे टी.वी. बंद करना पड़ेगा। टी.वी. बंद कर दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब माननीय सदस्य पहले बैठ जाइए। अखिलेश जी, आपको भी बैठना पड़ेगा, यह अच्छी बात नहीं है।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप पहले इन्हें बैठाइए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इन्हें बैठा रहा हूं लेकिन आप लोग भी कोआपरेट करें।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के साथ सरकार का व्यवहार ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं विषय को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका विषय क्या है? लेकिन यह कोई तरीका नहीं है।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसान विरोधी है। आज गन्ना किसानों के साथ यह सरकार जो व्यवहार कर रही है वह ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): आप प्रश्न काल को हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : सर, इनका व्यवहार देखिये *...(व्यवधान)* ये बीच में क्यों बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)* आज गन्ना किसान अपनी खड़ी फसल को जलाने के लिए बाध्य है। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : यह बात सबको मालूम है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : सबको मालूम है तो आप क्या कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* आप बैठ जाइये। *...(व्यवधान)* आप चुप बैठ जाइये। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : आप भी चुप बैठ जाइये और प्रश्नकाल को चलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष जी, इनका व्यवहार क्या है आप देखिये। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, मैं आपके आदेश से प्रार्थना कर रहा था कि गन्ना किसानों के साथ सरकार का व्यवहार ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)* इस सदन में सभी लोगों को बोलने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। जब हम गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं तो सरकार को गन्ना किसानों को संरक्षण देना चाहिए। *...(व्यवधान)* इन्होंने मुझे बोलने से रोकने की कोशिश की। *...(व्यवधान)* विजय कुमार मल्होत्रा जी, आप जिंदगी में कभी मंत्री नहीं बन सकते *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको जो कुछ कहना है वह मैं आपसे जीरो-आवर में सुनूंगा।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष जी, ये लोग किसानों के दुश्मन हैं, इनका किसानों की समस्याओं से कुछ लेना-देना नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सोमवार से मैं किसी भी सदस्य को प्रश्नकाल में बाधा नहीं डालने दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, आज गन्ना किसान दुःखी हैं, उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है और यहां मंत्री-स्तर के लोग हम पर हावी होना चाहते हैं। इस तरह से हाउस नहीं चलेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष जी, हम केवल इतना आग्रह कर रहे हैं कि शून्य प्रहर में कृषि मंत्री जी को भी बुला लें जिससे वे इस विषय पर उत्तर दे सकें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, हम नहीं चाहते कि प्रश्नकाल में व्यवधान हो। हम प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं *...(व्यवधान)* एक मिनट के लिए, मैं आपको सिर्फ यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैं शून्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण मामले के लिए समय लेना चाहता हूं। सरकार इस पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सभा में उत्तर दे।

महोदय, तहलका कांड के बाद इस सभा में बहुत दिन हंगामा हुआ था। यद्यपि हम संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराना चाहते थे किंतु सरकार की इच्छा थी कि वेंकटस्वामी आयोग बनाया जाए। वेंकटस्वामी आयोग का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और आज दो बजे उन्हें एक निर्णय देना है। हमें पता चला है यदि यह बात गलत हो तो सरकार हमें बताए - कि वेंकटस्वामी को इसी बीच एडवांस रूलिंग कमीशन फॉर कस्टम्स एंड एक्साइज के चेयरमैन का सरकारी पद मिला जिसका कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक में है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह विषय आप जीरो-आवर में उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इसमें अत्यधिक पूर्वाग्रह है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रश्न काल शुरू करता हूं। प्रश्न संख्या 61, पहले श्री वाई.जी. महाजन प्रश्न पूछेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न सं. 61, श्री वाई.जी. महाजन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मामला गम्भीर था इसलिए मैंने प्रश्न काल में बोलने की परमिशन दे दी लेकिन अभी आप क्वश्चन आवर नहीं रोक सकते हैं। माफ करें, इस विषय में अभी चर्चा नहीं हो सकती है। जीरो आवर में यह मैटर उठाएंगे तो मैं इजाजत दूंगा। अभी मैं इस पर बहस करने की परमिशन नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, यह अच्छी बात नहीं है। आप जो कर रहे हैं, वह अच्छी बात नहीं है। जब जीरो आवर आएगा तब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वाई.जी. महाजन, आप अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय है कि आप इस प्रश्न को अभी नहीं बल्कि शून्य काल में उठाएं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, क्या आप सरकार को कहेंगे कि वह इस मुद्दे पर शून्यकाल में प्रतिक्रिया व्यक्त करे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीगण यहां हैं। उन्होंने सुन लिया है कि आप इस पर शून्यकाल में उत्तर चाहते हैं। मैं समझता हूं कि शायद उन्हें इसकी चिंता रहेगी।

अब श्री वाई.जी. महाजन।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

वस्त्र निर्यात

***61. श्री वाई.जी. महाजन :**
श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश-वार वस्त्रों का कितना निर्यात हुआ और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश-वार प्रत्येक वर्ष के लिए निर्यात के क्या लक्ष्य रखे गये थे और वास्तविक निष्पादन कितना रहा;

(ग) चालू वर्ष के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) उक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान निर्यात निष्पादन से संबंधित डीजीसीआई एंड एस के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुरूप निर्यात के लिए निर्धारित वस्त्र निर्यात लक्ष्य और चालू वर्ष अर्थात् 2002-2003 के लिए निर्धारित लक्ष्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(मिलियन अमरीकी डालर में)

	1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-03
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि(*)	लक्ष्य(*)	उपलब्धि (*)	लक्ष्य
वस्त्र निर्यात	14385	13324.8	15532	12037.6	12100	10715.0	1505

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर।
(*) डीजीसीआई एंड एस के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार

वस्त्र उत्पादन के लिए देशवार निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

हमारे वस्त्र के सामान के प्रमुख आयातक देश यू.एस.ए., जापान, सऊदी अरब, कनाडा, हांगकांग, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, आदि हैं।

सरकार वस्त्र निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। इसने बजट 2002-03 में निटिंग क्षेत्र को अनारक्षित करने की भी घोषणा की है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गयी है ताकि इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन हो सके।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिगत उपायों से मशीनों की लागत को भी कम कर दिया गया है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा।

(4) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटलरहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की भी घोषणा की गई है।

(5) वस्त्र क्षेत्र में विशिष्ट रियायतों के साथ स्वचालित मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान करना।

(6) राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षा व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(7) पारि-परीक्षा प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करते हुए आयातक देशों की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र व परिधान उद्योग को तैयार करना तथा सुग्राही बनाना।

(8) सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए अपैरल पार्क निर्यात योजना नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए बजट प्राक्कलन 2002-03 में 14.5 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

(9) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इनफ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए बजट प्राक्कलन 2002-03 में 15 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

श्री वाई.जी. महाजन : अध्यक्ष महोदय, भारत में वस्त्र उद्योग की बुरी हालत है और निर्यात कम हो रहा है। सरकार द्वारा निर्धारित निर्यात निष्पादन लक्ष्य में गत तीन वर्षों में कमी के क्या कारण हैं? क्या सरकार ने निर्यात निष्पादन लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोई महत्वाकांक्षी योजना बनायी है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सरकार ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया है कि गत तीन वर्षों में निर्यात निष्पादन से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई?

श्री काशीराम राणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विदेशों में भारत से जो कपड़ा निर्यात होता है, वर्ष 2001-02 को छोड़ कर शेष सभी वर्षों में निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है। जहां तक करेंट इअर का सवाल है, 2002-03 में जो दो क्वार्टर्स हैं, अप्रैल से अभी तक, उस दौरान करीब 8 परसैंट का ग्रोथ अभी तक हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल का जो टारगेट फिक्स किया गया है, वह टारगेट हम एचीव कर पाएंगे। 2001-02 में निर्यात कम इसलिए हुआ क्योंकि 2001-02 का साल ऐसा था जिस दौरान सितम्बर में न्यूयार्क के डब्ल्यूटीसी बिल्डिंग पर अटैक हुआ। उससे केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में इकॉनोमी में डाउन आ गया जिसका निर्यात पर प्रभाव पड़ा। उसी साल निर्यात कम हुआ लेकिन हमने ऐसे कई कदम उठाए जिनसे निर्यात और बढ़े क्योंकि हमने तय किया है कि 2010 तक निर्यात 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। इसलिए 2002-03 के बजट में एक टैक्सटाइल पैकेज की घोषणा की गई।

हमने इसके लिये कई स्टैप्स उठाये हैं। इनमें वूवन गारमेंट्स को डी-रिजर्व कर दिया गया है। इसके अलावा (सीईएनवीएटी) को 16 परसेंट से 12 परसेंट कर दिया है। इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोसैसिंग में जो कम्पाउंडेड लैवी थी, उसको हमने अबौलिश कर दिया है। मिनिस्ट्री के लैवल पर निर्यात कैसे बढ़े, समय-समय पर इसे रिव्यु करते रहे कि किस कोटा में डिमांड आई है, उसे रिलीज करते रहे। इसीलिये मैंने कहा कि 2002-03 में हमारा ग्रोथ होता रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारा टारगेट पूरा हो जायेगा।

श्री वाई.जी. महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या अन्य देशों में प्रमुख आयात देश को शामिल करने का प्रयास किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि इसके आधुनिकीकरण और उसके उन्नयन को सुगम बनाने के लिये प्रौद्योगिकी निधि की योजना प्रारम्भ की गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना के प्रारम्भ किये जाने के परिणामस्वरूप निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

श्री काशीराम राणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि हमने निर्यात बढ़ाने के लिये जो स्टैप्स उठाये हैं, उसके मुताबिक निर्यात पर अच्छा असर हो रहा है। इससे न केवल कोटा कंट्री में बल्कि नॉन-कोटा कंट्रीज में भी हमारा निर्यात बढ़ा है। दिसम्बर, 2004 तक मल्टी-फाइबर एग्रीमेंट पूरा हो जायेगा। इसके लिये हमने बहुत आवश्यक स्टैप्स उठाये हैं। जैसे यूनिट वैल्यु रियलाइजेशन को कैसे बढ़ावा मिले व हाई कॉस्ट को कैसे कम किया जाये। इससे न केवल यू.एस.ए. और ई.यू. बल्कि अन्य कंट्रीज में एडवांटेज मिलता है या प्रीफेरेंस मिलता है, इसको देखते हुये टैक्सटाइल में निर्यात बढ़ाने के लिये कदम उठाये, इसके बारे में हम सोच रहे हैं।

श्रीमती जसकौर मीणा : अध्यक्ष महोदय, भारतीय परिधानों की विदेशों में मांग बढ़ी है जिसमें राजस्थान के कारपैट, सांगानेरी और बंगरू प्रिंटों की दुनिया के देशों में धूम मची हुई है। आज हमारा निर्यात गिरा है। रंगाई, सफाई और सिलाई के कार्यों में हजारों महिलायें और गरीब परिवार लगे हुये हैं। यह उन लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है। यदि निर्यात घटता है तो उन लोगों की रोजी-रोटी की संभावना कम होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि पिछले तीन वर्षों में राजस्थानी वस्त्रों और कालीनों का निर्यात कितना हुआ? यदि इसके निर्यात में मात्रात्मक गिरावट आई है तो माननीय मंत्री जी इसके निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या विचार रखते हैं?

श्री काशी राम राणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान से हैंडीक्राफ्ट्स का निर्यात ज्यादा है। निर्यात बढ़ाने के लिये हमने कई

कदम उठाये हैं। मैं आपके माध्यम से हाउस को यह जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ष 2000-01 में हैंडीक्राफ्टस का निर्यात 1243 मिलियन डालर का हुआ था। जैसा मैंने कहा 2001 में डब्ल्यू.टी.सी. का हादसा हुआ, इसके कारण कम हुआ लेकिन इस साल में हमारे निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है। हम निर्यात बढ़ाने के लिये अपने यहां ट्रेड फेयर/एग्जीबिशन्स-एक्सपो लगाते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी एग्जीबिशन्स लगाते हैं ताकि हमें विदेशी बॉयर्स मिलें, लेकिन जो भी हमारे एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर लगते हैं, उन से हमारा निर्यात बढ़ता है।

[अनुवाद]

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : धन्यवाद, महोदय।

मैं इस सम्मानीय सभा को यह बताना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र कन्नानौर से कुल निर्यात का 16 प्रतिशत वस्त्र निर्यात होता है। इस समय, आधुनिक सुविधाओं के अभाव में टैक्सटाइल इकाइयों को गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम लघु टैक्सटाइल इकाइयों को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना में सम्मिलित कर सकते हैं। दो प्रकार के निर्यातक होते हैं—पहले व्यापारी निर्यातक और दूसरे विनिर्माता निर्यातक। विनिर्माता निर्यातक बुनकरों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या विनिर्माता निर्यातकों को कोई विशेष राजसहायता देने की व्यवस्था है।

श्री काशीराम राणा : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अधीन हमारे विनिर्माताओं के लिए कोई विशेष राजसहायता की व्यवस्था नहीं है किंतु कुछ मशीनरी के मामले में यदि कोई कठिनाई हो और किसी मशीनरी को सम्मिलित किया जाना चाहिए जैसा कि माननीय सदस्य ने मांग की है, हम निश्चित ही इस पर विचार करेंगे। टी.यू.एफ.एस. संबंधी स्टीयरिंग कमेटी आवधिक रूप से इसकी जांच करती है और हम इस सुझाव पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे, लघु उद्योगों को टी.यू.एफ.एस. में सम्मिलित किया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार द्वारा टैक्सटाइल निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो कदम उठाए हैं, मैं उनके उत्तर (7) में से उद्धृत कर रहा हूं—उनमें यह सम्मिलित हैं—"पारि-परीक्षा प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करते हुए आयातक देशों की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र व परिधान उद्योग को तैयार करना तथा सुग्राही बनाना।" इसका अर्थ है कि इस तथ्य के बावजूद कि हम पर्यावरण से संबंधित अपेक्षाओं को विश्व व्यापार संगठन का भाग बनाए जाने के बारे में अन्यथा सहमत नहीं हुए हैं, हम उन्हें यहां स्वीकार कर रहे हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है किंतु मेरी चिंता यह है कि अमेरिका जैसे राज्य जो चाहते हैं उसे स्वीकार करने में लीक से हटने के बावजूद, हमारे सामने ऐसी स्थिति है कि दोहा में हुए मंत्रियों के सम्मेलन में कोटा नियंत्रण को समाप्त करने का निर्णय लिए जाने के बावजूद, अमेरिका द्वारा लिया गया एक निर्णय भारतीय हितों के विरुद्ध है। माननीय मंत्री ने कहा था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्ष 2005 तक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। मैं उनसे सीधे-सीधे जानना चाहता हूं कि क्या अमेरिकी सरकार का यह निर्णय हमारे हितों के विरुद्ध नहीं होगा और क्या हम अभी भी सुनिश्चित नहीं कर सकेंगे कि 2002 तक एक-एक करके कोटे समाप्त कर दिए जाएंगे क्योंकि इसी स्थिति में हम अपने लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे।

श्री काशीराम राणा : सरकार ने हमारे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। जहां तक पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं से संबंधित कुछ कदमों का संबंध है, वह अलग मुद्दा है। कुछ वस्तुओं पर 1996 में प्रतिबंध लगाया गया था। इसीलिए पारिस्थितिक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थी। इसलिए हम रास्ते से अलग नहीं जा रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेरा उस बात पर विवाद नहीं है। एक बार हम उन्हें राजी कर रहे हैं और वह कर रहे हैं, जो वे चाहते हैं किन्तु क्या वे भी विश्व व्यापार संगठन के निर्णयों पर दृढ़ हैं?

श्री काशीराम राणा : जो कुछ भी वे चाहते हैं, भारत सरकार की नीति के अनुसार हम उन सुझावों को मानने का प्रयत्न करते हैं जब तक कि वे हमारे हितों को प्रभावित न करे।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

शायद मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया है। यह हमारी नीति के बारे में प्रश्न नहीं है, मैं मानता हूं। हमें यह देखना है कि अन्यों से उन्हें क्या उत्तर मिलता है और उसके बाद हम क्या करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को उत्तर भेज सकते हैं।

श्री काशीराम राणा : महोदय, जहां तक आयातक देशों का संबंध है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जो भी सुझाव आयातक देश हमारी सरकार अथवा मंत्रालय को देते हैं, यदि वे हमारे निर्यातकों अथवा हमारी सरकार के हितों में होते हैं, तो हम उन पर विचार करते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, माननीय मंत्री जी बार-बार केवल पारिस्थितिकीय भाग की रट लगा रहे हैं। मैं उसे विवादित नहीं कर रहा हूं। मैंने केवल दृष्टांत दिया है। मैं नहीं जानता क्यों किन्तु वह ऐसा कह रहे हैं, वह उसे हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमारे निर्यात को सुधारने के लिए उठाए गए मुख्य कदमों में से एक बताते हैं। मैंने बताया कि क्योंकि आप वह स्वीकार कर रहे हैं, जो कुछ अन्य देश चाहते हैं *...(व्यवधान)* यही कि जो अन्य देश चाहते हैं। हो सकता है कि माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं देना चाहते और माननीय विनिवेश मंत्री श्री अरूण शौरी उसका उत्तर देना चाहते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री अरूण शौरी को जवाब देने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं बुरा नहीं मानूंगा। किन्तु मैं उसका उत्तर चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि सभा यह सुनिश्चित करे कि निश्चित रूप से वर्ष 2005 तक कोटे को चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर दिया जायेगा और हमारे हित, भारत के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह मत-वैभिन्न है। माननीय मंत्री जी का अभी भी तर्क है कि एक बार पुनः वे यह सरकार के हित में और देश के भी हित में कर रहे हैं, जबकि आपका कहना है कि यह अन्य देशों को खुश करने के लिये किया जा रहा है।

श्री पवन कुमार बंसल : नहीं महोदय, मैं उनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी मंशा पर सन्देह नहीं कर रहा हूं। उनके दिमाग में भारत का हित है। मैं इससे सहमत हूं। मैं कह रहा हूं कि उनकी अच्छी मंशा के बावजूद, अन्य लोग जो कर रहे हैं, उसके कारण, क्या वे हमारे हितों की रक्षा कर पायेंगे?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने भी यही कहा है। मंत्री महोदय मेरे विचार से आपने पहले ही जवाब दे दिया है। कृपया बैठ जाइये। श्री खारबेल स्वाइं अब अपना प्रश्न रखिये।

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, चीन आज विश्व में वस्त्रों (गारमेन्ट्स) का सबसे बड़ा निर्यातक है और वह अगले पांच वर्षों के दौरान वस्त्र (गारमेन्ट) निर्यात के बाजार शेयर के 33 प्रतिशत भाग पर कब्जा करना चाहता है। ऐसी स्थिति में, उस स्तर न उठ पाने के कारण हमारे वस्त्र उद्योग को किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

श्री काशीराणा राणा : महोदय, जहां तक मेरे मंत्रालय और सरकार का प्रश्न है मुख्य बाधा तो यह है कि कई छिपे लाभ दिये जा रहे हैं और चीनी निर्यातकों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। अतः उस उद्देश्य के लिये, उत्पादन लागत हमारे भारतीय उत्पादों से कम है। यह मुख्य कारण है। मेरी सरकार भी उत्पादन लागत कम करने का प्रयास कर रही है।

श्री बसुदेव आचार्य : कैसे? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महदोय, मेरा सवाल देश से रिलेटिड है। मैं सीधी बात करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने बोला है कि एक्सपोर्ट में ग्रोथ है। लेकिन आंकड़े यह बताते हैं कि 1999-2000 में हमने 92 परसेन्ट टारगेट अचीव किया। वर्ष 2000-2001 में, हम केवल 77 प्रतिशत तक ही पहुँच पाये, न कि 100 प्रतिशत तक और वर्ष 2001-2002 में हमने लक्ष्य का 88 प्रतिशत प्राप्त किया। इसका मतलब यह है कि इन तीनों सालों में टैक्नोलोजीकल अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, फॉरेन पार्टिसिपेशन आदि बहुत से कदम उठाने के बावजूद भी हम टारगेट तक नहीं पहुंचे, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है। माननीय मंत्री जी ने यह भी बोला है कि 2002-2003 में 1505 यू.एस. मिलियन डालर्स का हमने टारगेट रखा है और इस टारगेट को पूरी तरह से अचीव करने के बारे में मंत्री जी ने सदन में बोला है। उन्होंने यह किस आधार पर बोला है, यह मैं नहीं जानता, क्योंकि पिछले तीन सालों में हम टारगेट अचीव नहीं कर पाये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से 'ए' पार्ट में जानना चाहता हूं - आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये किस प्रकार की विशेष जांचें और शेष प्रदान कर रहे हैं? यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है। दूसरा भाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मेरे प्रश्न का सैकिंड पार्ट यह है कि माननीय मंत्री जी के जवाब में कहीं भी टैक्सटाइल मिलों को बचाने का कोई संकल्प नहीं है। टैक्सटाइल मिलें बचेंगी तो एक्सपोर्ट होगा और एक्सपोर्ट होगा तो टारगेट भी होगा। यह नेचुरल बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। श्री मोहन रावले जी यहां बैठे हैं। महोदय, आप भी महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र की सिचुएशन को आप जानते हैं। महाराष्ट्र में किन्हीं कारणों से सभी मिलें बंद होती जा रही हैं। मेरा सवाल नागपुर की एम्प्रैस मिल से संबंधित है, इस मिल में काफी करप्शन है। मेरा दो प्वाइंट का सवाल है।

[अनुवाद]

मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 2002-2003 के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्या विशेष निरीक्षण एवं नियंत्रण के उपाय किये गये हैं।

[हिन्दी]

जो मिलें बंद हो रही हैं, उसके लिए कोई टास्क फोर्स, स्टडी ग्रुप या कमेटी अपॉइंट की गई है? अगर की गई है तो उसका टार्गेट पीरियड क्या है?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि पिछले तीन सालों में हमारा जो निर्यात है, वह कम होता जा रहा है। डीजीसीआईएस की ऑथैन्टिक आंकड़े जो सरकार द्वारा और कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा ऑथैन्टिक हैं, मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो ऐक्सपोर्ट है, 1999-2000 में 10.5 बिलियन डालर था। 2000-2001 में वह बढ़कर 12 बिलियन डालर हो गया था। जो बढ़ोत्तरी हुई, वह करीब 15-17 परसेंट की है। मैंने स्वीकार किया है कि 2001-2002 में जो सैप्टैम्बर एपिसोड हुआ है, उससे वह गिरा है। ऐसा नहीं है कि निर्यात में गिरावट आई। गिरावट एक साल में एक्सैप्शनल केस में आई है और मुझे उम्मीद है कि 2002-2003 में हमारा टारगेट अचीव होगा।

[अनुवाद]

श्री सुबोध मोहिते : तो, लक्ष्य निर्धारित करने का क्या फायदा है?

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : दूसरा सवाल यह था कि टैक्सटाइल मिलें दिनों-दिन बंद होती जा रही हैं, उनको बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोडक्शन रहा है, वह ऐसा है कि जहां पर लेटैस्ट मशीनरी और इक्विपमेंट लगा है, वह मशीनें चलती हैं। आज भी हमारे फैब्रिक का प्रोडक्शन बढ़ा है। जैसे निर्यात बढ़ा है, वैसे ही फ्रैब्रिक का प्रोडक्शन भी बढ़ा है। जहां पर पुरानी मशीनरी है और पुरानी टैक्नोलॉजी और पुरानी मैनेजमेंट है, वे कारखाने बंद होते जा रहे हैं और मिलों की मदद करने के लिए हमने टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम से हमने जो मदद की है, वह 5000 करोड़ रुपये के करीब हमने रीइम्बर्स किये हैं। हमने कॉटन की क्वालिटी सुधारने के लिए टैक्नोलॉजी मिशन कॉटन शुरू किया है। पहले जो मिल वालों को पैसा नहीं मिलता था, आज टी.यू.एफ. से ले रहे हैं।

...(व्यवधान)

सहकारी बैंकों में घपला

*66. **श्री नरेश पुगलिया** :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छह माह के दौरान अनेक सहकारी बैंकों/जिला सहकारी बैंकों में हुए करोड़ों रुपयों का घपला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें कितने लोग दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा जमाकर्ताओं का विश्वास बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 2002 में कुछ सहकारी बैंकों में प्रतिभूति संबंधी लेन-देनों में अनियमितताएं उसके ध्यान में आई हैं। ऐसे बैंकों की एक राज्य-वार सूची अनुबंध में दी गई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि आपराधिक मामलों में पुलिस जांच और विभागीय पूछताछ चल रही है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं का हित और उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि सहकारी बैंकों का सहज कार्यकरण सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

(1) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा इन बैंकों का निरीक्षण;

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण करने और प्रशासक की नियुक्ति करने आदि जैसी अत्यावश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों के सहकारी विभाग से सम्पर्क किया है;

(3) राज्य सरकार द्वारा बैंक के प्राधिकारियों/अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं;

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं, जिसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों में उनके निवेशों का संबंधित सहायक सामान्य खाता बही/समेकित सहायक सामान्य खाता बही में डीमैट रूप में रख-रखाव अनिवार्य बनाया गया है;

(5) भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से कुछ चुने हुए राज्यों के राज्य एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के निवेश लेनदेनों की विशेष लेखापरीक्षा तत्काल कराने के लिए कहा है;

(6) सभी शहरी सहकारी बैंकों को अनुदेश जारी किए गए हैं जिसमें इस बात की पुनरावृत्ति की गई है कि दलालों की भूमिका दो बैंकों को, उनके बीच सीधे किए जाने वाले लेन-देन के निपटान सहित एक साथ लाने तक सीमित होनी चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का कड़ाई के साथ पालन किया जाए;

(7) शहरी सहकारी बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देनों की सनदी लेखाकारों द्वारा प्रत्येक तिमाही में समवर्ती लेखापरीक्षा कराएं और यह पुष्टि करें कि बैंक द्वारा यथा सूचित निवेश वस्तुत: बैंक द्वारा स्वाधिकृत हैं।

अनुबंध

अनियमितताओं में शामिल बैंकों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	बैंक का नाम
1	2	3
1.	गुजरात	अडाजन नागरिक सहकारी बैंक लि., सूरत
2.		गणदेवी पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक लि., गणदेवी
3.		द करमसाड अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि., करमासाड
4.		नवसारी पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक लि., नवसारी
5.		शेठ बी.बी. श्राफ बलसार पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक लि., बलसार
6.		सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., सूरत
7.		सूरत नागरिक सहकारी बैंक लि., सूरत
8.		उधाना सिटिजन कोआपरेटिव बैंक लि., उधाना
9.		श्री मोरबी नागरिक सहकारी बैंक लि., मोरबी
10.	महाराष्ट्र	नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., नागपुर
11.		वर्धा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., वर्धा
12.		उस्मानाबाद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद
13.		रघुवंशी सहकारी बैंक लि., मुम्बई
14.		श्री सदगुरू जांगली महाराज सहकारी बैंक लि., पुणे
15.		सुवर्णयुग सहकारी बैंक लि., पुणे
16.		अमरावती पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक लि., अमरावती
17.	पश्चिमी बंगाल	भटपारा-नलहाटी कोआपरेटिव बैंक लि., भटपारा
18.		बोरल यूनियन कोआपरेटिव बैंक लि., बोरल

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : माननीय सभापति जी, प्रश्न 66 के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है, वह सैटिस्फैक्ट्री नहीं है। आपको पता है कि सारे देश में कोआपरेटिव बैंक का महत्व क्या है। किसानों को डायरैक्ट कर्जा देने वाले ये बैंक हैं और देश के कृषि क्षेत्र में इस कोआपरेटिव बैंक्स ने पिछले 50 सालों में बहुत तरक्की की है। आज हम देख रहे हैं कि कोआपरेटिव बैंक में जो स्कैन्डल हैं और फ्रॉड्ज हो रहे हैं, उन पर रिजर्व बैंक का कोई कन्ट्रोल नहीं है। इसके लिए अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वह केन्द्र सरकार की है और केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री की है।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में कोआपरेटिव बैंक्स में जो स्कैन्डल हो रहे हैं, किसानों का जो अरबों रुपया बैंकों में डिपाजिट है, उस पैसे की कोई सिक्यूरिटी नहीं है। इसका अगर कोई कारण है तो वह इलैक्शन सिस्टम है। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक्स के

इलैक्शन इनडायरैक्ट इलैक्शन होते हैं। एक तालुका से एक प्रतिनिधि चुनकर आता है। उसमें शेयर होल्डर्स का कोई हाथ नहीं होता है। एक-एक वोट की कीमत एक-दो लाख रुपये लगाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, आप भी महाराष्ट्र से आते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सारे देश के सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक्स को रिजर्व बैंक के कंट्रोल में लाने का क्या सरकार का विचार है?

दूसरा जो इलैक्शन सिस्टम गलत है, इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, तालुकावाइज हर शेयर होल्डर्स की जो बैंक में डिपाजिट रखता है, बैंक में ट्रांजैक्शन करता है, उन शेयर होल्डर्स को अपना वोट देकर तालुका का रिप्रैजेन्टेटिव लाने की कोशिश करेंगे क्या?

श्री जसवंत सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सहकारी बैंकों के नाम पर भी प्रश्न की परिधि में बहुत सारे विचार रखे हैं और प्रश्न भी रख दिये हैं। मैं प्रयत्न करूंगा कि जो प्रश्न हैं, उनके तो उत्तर दूं और जहां तक संभव हो, विचारों पर भी संक्षेप में कुछ टिप्पणी करूं।

माननीय सदस्य ने कहा कि जो सहकारी बैंक हैं, उन पर रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है। यह अपने आप में एक अतिशयोक्ति होगी क्योंकि जैसा कि प्रश्न के उत्तर में माननीय सदस्य को अवगत कराया गया है, उसमें कई कदम रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों में सुधार के लिए उठाये हैं। यह बात सही है कि कई सहकारी बैंकों में इस प्रकार का काम अभी हो रहा है और आवश्यक है कि उसमें सुधार हो। जिन सहकारी बैंकों के खिलाफ अनियमितताओं के बारे में शिकायतें हैं, उनकी सूची प्रश्न के उत्तर के साथ दे दी गई है। हम निरंतर इस प्रयत्न में हैं कि सहकारी बैंक अपनी कार्यशैली में सुधरें, कार्यप्रणाली में सुधरें और जिस मकसद से सहकारी बैंकों को स्थापित किया गया है, वह मकसद पूरा किया जा सके।

माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि जिस प्रकार के चुनाव होते हैं और चुनावों में जो अनियमितताएं होती हैं, सहकारी बैंकों के चुनावों में उन अनियमितताओं को सुधारने के लिए सरकार क्या करेगी। चुनावी अनियमितताएं एक तो वातावरण का भी परिणाम होती हैं और एक बृहद राजनीतिक वातावरण में यदि चुनावी अनियमितताएं होंगी तो अन्य चुनावों पर भी उसकी परछाईं पड़ेगी, असर पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रोटैक्शन चाहूंगा। मंत्री महोदय प्रश्न को इतना लाइटली ले रहे हैं। कोआपरेटिव सैक्टर के अंदर अनियमितता सारे देश में हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का उत्तर तो पूरा होने दें।

श्री नरेश पुगलिया : हमने पूछा है कि डायरैक्ट जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको अधिकार न देते हुए इनडायरैक्ट सिस्टम से चुनाव होते हैं। इस पर मंत्री महोदय जानकारी दें।

श्री जसवंत सिंह : माननीय सदस्य को प्रोटैक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सवाल का जवाब देने का प्रयत्न कर रहा था। माननीय सदस्य ने सुझाव दिये हैं कि जो चुनाव प्रणाली है उसमें सुधार होना चाहिए। निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए। अनियमितताएं हों, सहकारिता या सहकारी बैंकों में अनियमितता के कारण ऐसे लोग चुन जाएं ताकि जो काम ठीक नहीं हो रहा है वह उसी ढर्रे पर चलता रहे, यह हमें स्वीकार नहीं है।

महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य के इन सभी विचारों का मैं आदर करता हूं और वैसे मैं बतौर शिकायत नहीं कह रहा हूं, बल्कि वास्तविकता यह है कि सहकारिता अपने आप में जैसा माननीय सदस्य भी जानते हैं, करीब-करीब संपूर्ण रूप से राज्यों का विषय है। राज्यों का विषय होते हुए केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय संस्थाएं किस रूप में और कहां तक उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं, यह हमें देखना होगा और ऐसा करते समय हमें संकोच होता है क्योंकि हमारी कुछ सीमाएं भी हैं। इन बातों को माननीय सदस्य निश्चित रूप से समझते हैं।

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह गोल-मोल दिया है जिसे सुनकर मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी इस विषय में सीरियस नहीं हैं।

सारे देश में बड़े-बड़े राज्यों में इस प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं। कोआपरेटिव बैंकों, सेंट्रल कोआपरेटिव बैंकों में किसानों का धन सुरक्षित नहीं है। वे इन बैंकों में धन जमा कराने के बाद अपने को असुरक्षित पाते हैं। जो शेयर होल्डर हैं, जो बैंक से संबंधित है, उस विषय में आपको सही जानकारी नहीं है। इसी प्रकार से अर्बन बैंकों में भी काफी घोटाले हो रहे हैं। गुजरात में अर्बन बैंकों में, अन्य राज्यों में अर्बन बैंकों, जिनकी लिस्ट आपने अपने उत्तर में दी है, उनमें घोटाले हो रहे हैं। आज हालत इतनी खराब है कि सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक भी सुरक्षित नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

मैं केवल गुजरात की ही नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे राष्ट्र के राज्यों की बात कर रहा हूं। मैं केवल नागपुर के बारे में ही नहीं कह रहा हूं, मैं सभी राज्यों के बारे में कह रहा हूं। महाराष्ट्र में भी इस प्रकार के फ्रॉड जिन्होंने किए हैं, उन्हें जेलों में डाला गया है। मैं खाली एक प्रदेश की बात नहीं कह रहा हूं। मैं सारे देश की बात कर रहा हूं। अर्बन और सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक जिनमें हमारे अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों का धन जमा है और रूरल एरिया के लोगों का धन जमा है, वह सुरक्षित नहीं है।

आपने बताया है कि अर्बन और सेंट्रल कोआपरेटिव बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक का कंट्रोल है। अगर रिजर्व बैंक का कंट्रोल है, तो इन बैंकों में इतनी गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के अधिकारी इन गड़बड़ियों में सम्मिलित हैं जिसके कारण बड़े-बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। अगर रिजर्व बैंक का कंट्रोल है, तो फिर इतने बड़े फ्रॉड क्यों हो रहे हैं। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कोआपरेटिव और अर्बन बैंकों में जमा धन जो प्राइवेट एजेंटों के माध्यम से इनवैस्ट होता है, उसमें फायनेंस मिनिस्ट्री का क्या रोल होगा और यदि कोआपरेटिव बैंकों पर रिजर्व बैंक का कंट्रोल है, तो रिजर्व बैंक फ्रॉड करने वालों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है और रजिस्ट्रार कोआपरेटिव बैंक एवं आर.बी.आई. के ऊपर केन्द्र सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, इसमें संपूर्ण रूप से सुधार के लिए केन्द्र सरकार ने काम शुरू कर दिया है जिसके अंतर्गत बैंकिंग रैगुलेशन एक्ट में संशोधन हेतु हम रिजर्व बैंक के साथ सलाह-मशविरा कर रहे हैं और जैसे ही ये संशोधन संसद द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं, वैसे ही मुझे लगता है माननीय सदस्य इसमें जो कमियां बता रहे हैं, वे दूर हो जाएंगी। मैं यह तो नहीं कह सकता कि सभी कमियां दूर हो जाएंगी, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद, काफी सुधार हो जाएगा।

श्री किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो उत्तर अभी दिया है और जो बातें बनाई हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे उन्हें अधिक स्पष्टता से बताएं कि क्या वित्त मंत्रालय ने लिमिटेड कंपनीज के बारे में जो डिवीजन ऑफ रेस्पांसिबिलिटी है, रिगार्डिंग दि इलैक्शन बाई शेयर होल्डर, दि बी.टी.सी. रैगुलेट एंड दि फायनेंस्यल मैटर्स, लिस्टेड कंपनी को सेबी रैगुलेट करती है उसी प्रकार से कोआपरेटिव्स में फायनेंश्यल रैगुलेट्रीज कंट्रोल ओवर साइट, इसमें अभी डुअल रेस्पांसिबिलिटी है, एक स्टेट कोआपरेटिव डिपार्टमेंट देखता है और दूसरे को आर.बी.आई. देखती है, तो आप जो संशोधन लाना चाहते हैं, उसके द्वारा फायनेंश्यल सुपरवीजन, औडिट एंड रैगुलेट्रीज आदि क्या आर.बी.आई. के कंट्रोल में आएगा, इस बारे में आप अधिक जानकारी दें। इसके साथ-साथ महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न अभी पूछा गया है कि पिछले छः महीने में जो घोटाले हुए हैं, उनमें मुम्बई कोआपरेटिव बैंक में जो घोटाला हुआ है, उसमें आपने, नाबार्ड ने क्या कोई विशेष इनवैस्टीगेशन का आर्डर दिया है, यदि हां, तो वह क्या है?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने का आशय यह है कि एक प्रकार से डूएल रिस्पौंसिबिलिटी बन रही है इसलिए दोनों जगह कुछ कमी रह जाती है। मेरा कहना है कि वित्त मंत्रालय इस ओर सजग है। हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो संशोधन करने जा रहे हैं, उसके संबंध में माननीय सदस्य ने पूछा है कि हम क्या संशोधन करने के बारे में सोच रहे हैं? मेरा माननीय सदस्य से निवेदन होगा कि जब तक संशोधन स्वीकृत नहीं हो जाते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे भी जब स्वीकृति की स्थिति आयेगी तब हम आपके ही पास आयेंगे क्योंकि हमारे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है तब आपको उनके बारे में पूरी सूचना मिल जायेगी। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमैंट के बारे में सोचा जा रहा है। उसमें ये सभी हैं। एक सूचना अभी हमारे कर्मी ने जो दी है, उसके बारे में मैं संसद को अवगत करा दूं कि बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो कोआपरेटिव सैक्टर के रिफार्म्स पर लगेगा। आप जानते हैं कि दो समितियां बनी थी। एक कपूर समिति बनी थी और दूसरी पाटिल समिति बनी थी। उनके सुझावों पर ही हमने यह 100 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। मैं आशा करता हूं कि इन कदमों को उठाने के बाद इसमें सुधार होगा।

श्री किरीट सोमैया : मुम्बई कोआपरेटिव बैंक के बारे में बताइये।

श्री जसवंत सिंह : मुझे इस संबंध में माननीय सदस्य को जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु एक बैंक विशेष को लेकर हम यहां इस प्रकार से कहें। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : मुम्बई सैंट्रल कापरेटिव बैंक एक बड़ा बैंक है जिसमें आर.बी.आई. ने इन्वेस्टीगेशन के आर्डर दिये हैं, वे क्या हैं। नाबार्ड ने दिये हैं, वे क्या हैं। स्ट्रिक्चर पास किये हैं, वे क्या हैं। यह एक मेजर इश्यू है।

अध्यक्ष महोदय : आप इनको बाद में इन्फोर्मेशन भेज दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें लिख सकते हैं और इस बारे में उन्हें सूचित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : मैं समझता हूं कि ये बहुत सजग और एक्टिव सांसद हैं। मुम्बई इनका संसदीय क्षेत्र है इसलिए स्वाभाविक है कि अपने चुनाव क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में वे सजग

रहें और सरकार का ध्यान भी खींचे। मैं इसकी सूचना इनको बाद में दे दूंगा। एक और मसला उठ गया है। मैंने पहले भी बताया था कि अपने आप में सहकारिता राज्यों का विषय है। मैं बतौर शिकायत नहीं कर रहा हूं परन्तु यह अपने आप में यथार्थ है कि जब तक राज्यों का इसमें पूर्ण रूप से सहयोग नहीं होगा, जिस सुधार की ओर हम चलना चाहते हैं, उसमें कठिनाइयां आयेंगी।

श्री राधा मोहन सिंह : सहकारी बैंकों का संबंध किसानों से है। जो मूल प्रश्न है, उसके उत्तर से मैं संतुष्ट हूं किन्तु मेरा एक पूरक प्रश्न है। हमारे बिहार के अंदर सहकारी बैंकों के द्वारा पटना का रेलवे स्टेशन और गांधी मैदान गिरवी रखकर राजनेताओं ने पैसा ले लिया है। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। यह अनहोनी घटना है जिसके बारे में रघुवंश बाबू भी अच्छी तरह से जानते हैं। उनके मित्रों के द्वारा नहीं, लेकिन उनके जो सहमित्र हैं, उनके द्वारा रेलवे स्टेशन और गांधी मैदान को भी गिरवी रखकर किसानों के नाम पर पैसा ले लिया है। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : वोट क्लब रखा है। *...(व्यवधान)*

श्री राधा मोहन सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गयी है? यदि की गई है तो उनकी जानकारी आनी चाहिए। बिहार में बड़े पैमाने पर इस प्रकार से सहकारी बैंकों के द्वारा किसान के हितों को नुकसान पहुंचाया जाता है और किसानों के करोड़ों रुपये राजनेताओं द्वारा फर्जी साइन करके, फर्जी जमीन डालकर उठाये गये हैं। इस संबंध में कई केस भी चले हैं, हाई कोर्ट में केस चले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई कार्रवाई हुई है या आगे कुछ करने की योजना है? *...(व्यवधान)* पटना का रेलवे स्टेशन और गांधी मैदान जिस पर श्रीमती सोनिया गांधी जी का भाषण होगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हुआ है, वह राजनेताओं के द्वारा गिरवी रखा गया है। कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन राजनेता हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राधा मोहन जी, आप बैठिये।

श्री जसवंत सिंह : मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मुझे श्री सिमरनजीत सिंह मान ने एक चिट्ठी भेज कर आदेश दिया है कि मैं सरल हिन्दी बोलूं। मैं जरूर कोशिश करूंगा, वैसे मैं कोई क्लिष्ट हिन्दी नहीं बोल रहा हूं। मैं इसे और भी सरल करूंगा। जैसे श्री मान और राधामोहन जी ने पूछा, वैसे कल शाम को भाई रघुवंश बाबू ने बहुत विचारशील भाषण दिया था जिसमें हमको यह सूचना उन्होंने उस वक्त भी दी थी। वैसे अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि बिहार एक प्रगतिशील प्रदेश है और प्रगतिशील प्रदेशों में स्वाभाविक है कि नए-नए तरीके अपनाए जाएं। अब उसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जरा विस्तृत उत्तर दीजिए।

श्री अनंत गुडे : अध्यक्ष महोदय, गुजरात, महाराष्ट्र और देश के कई अन्य भागों में बैंकों में जो बड़े घोटाले हो रहे हैं, *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : घोटालों के सिवाए और क्या हो रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गुड़े : रिजर्व बैंक ने कई नियम लगाकर रखे हैं और इस बैंक के जो अधिकारी और डायरैक्टर दोषी हैं, उनको शिक्षा देने का काम कोर्ट का है, कोई उनको शिक्षा देगा लेकिन जिन कोआपरेटिव बैंकों में समाज के गरीब लोगों, किसानों, रिटायर्ड नागरिकों ने रिटायरमैंट के बाद अपनी पूंजी जमा कर रखी है ताकि वे अपनी बेटी की शादी करवा सकें, अपनी बाकी की जिंदगी सुख-चैन से जी सकें, उनको उनका पैसा मिलना चाहिए, क्या इसके लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देगी। उन लोगों का पैसा समय से देना है, क्या इसके लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार को आदेश देगी और क्या उनका पैसा मिलने की आशा है, यह बताने की कृपा करें?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह सहकारी बैंक है जिनके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है लेकिन किसी भी बैंक में यदि नागरिक अपनी बचाई हुई पूंजी जमा करवाता है और किसी कारण अनियमितता हो, गैर-बंदोबस्त हो, अव्यवस्था नहीं कहूंगा, ऐसी किसी वजह से अगर नागरिक का पैसा घट जाता है, ईश्वर न करे, डूब जाता है, तो बैंक की जिम्मेदारी बनती ही है। उसी तरह राज्यों से संबंधित सहकारिता है, सहकारी बैंक हैं, किस हद तक हम आग्रह कर सकते हैं, राज्यों के साथ जोर-जबरदस्ती कर सकते हैं कि आप इस खामियाजे को पूरा कीजिए, यह माननीय सदस्य भी जानते हैं कि उसकी सीमाएं हैं। परन्तु हम उस ओर विचार कर रहे हैं और इसीलिए डिपाजिट इंश्योरैंस हो या बैंकिंग रैगुलेशन एक्ट में सुधार हो, यह उस रास्ते चलने के कुछ कदम होंगे, सभी नहीं, कुछ होंगे।

[अनुवाद]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट को "बेलआउट पैकेज"

*67. **श्री सुनील खां :**
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "फ्लैगशिप स्कीम यू.एस.-64" और "सुनिश्चित आय योजना" से संबंधित भारतीय यूनिट ट्रस्ट की देनदारियों को पूरा करने के प्रयोजन से 14000 करोड़ रुपए का नया "बेलआउट पैकेज" जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो यू.एस.-64 स्कीम से संबंधित भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बकाया देनदारियों का ब्यौरा क्या है और फरवरी 2002 के बाद निपटाई गई देनदारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल में आई गिरावट के कारण भारतीय यूनिट ट्रस्ट को कितनी राशि का घाटा हुआ जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों की ओर से भारी प्रतिदान का दबाव पड़ा;

(घ) क्या अब भी निवेशकों की ओर से फ्लैगशिप यू.एस.-64 योजना पर प्रतिदान के लिए भारी दबाव पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) यह जैसा कि सुझाव दिया गया था, बेल-आउट नहीं है। सरकार ने यू.एस.-64 स्कीम में निवेशकों के समर्थन हेतु एक सुधार पैकेज पहले ही घोषित कर दिया था। इस पैकेज को दिनांक 31 अगस्त, 2002 को अंतिम रूप दिया गया था। इस स्कीम में निम्नलिखित शामिल हैं (1) जब भी आवश्यक हो, यू.एस.-64 स्कीम के अंतर्गत मोचन की देनदारियां पूरी करने के लिए यू.टी.आई. को समर्थन देना; (2) ऐसी आश्वासित आय तथा मासिक आय योजना स्कीमों जहां निवल आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) अंकित मूल्य से कम हो, का समर्थन करना; (3) जहां भी व्यवहार्य हो ऐसी आश्वासित आय स्कीमों को ब्याज दरों का पुनर्निर्धारण; तथा (4) यू.टी.आई. को दो यूनिटों में बांटना जिसमें से एक एनएवी आधारित स्कीमों का प्रबंध करेगी तथा दूसरी यूएस-64 और ऐसी उन आश्वासित आय तथा मासिक आय योजना स्कीमों जहां एन.ए.वी. अंकित मूल्य से कम था, का प्रबंध करेगी। दो भागों में बांटने के निर्णय को लागू करने के लिए, 29 अक्तूबर, 2002 को एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ यूटीआई अधिनियम का निरसन तथा यूटीआई को दो कंपनियों में बांटना अर्थात् एक (यूनिट-2) को कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी के रूप में चलाया जाना तथा दूसरे (यूनिट-1) का सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रबंध किया जाना, शामिल है। यू.एस.-64 और आश्वासित आय स्कीमों के कारण सरकार को सौंपे जाने वाली प्रतिबद्धता बाजार परिस्थितियों पर निर्भर कर सकती है।

(ख) यूटीआई के अनुसार दिनांक 28 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार पूर्वानुमानों के अधीन मई, 2003 तक निवल आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) तथा आश्वासित पुनर्खरीद कीमतों के बीच अनुमानित अंतर लगभग 6,571 करोड़ रुपए है। 1 फरवरी, 2002 तथा 31 अक्तूबर, 2002 के बीच पुनर्खरीद, आश्वासित पुनर्खरीद कीमत के अधीन 872 करोड़ रुपए तथा एनएवी आधारित पुनर्खरीदों के अधीन 186 करोड़ रुपए के मूल्य की थीं।

(ग) यूटीआई ने सूचित किया है कि पिछले एक वर्ष से मोचन संबंधी दबाव गंभीर नहीं थे। 1 जुलाई, 2002 से 15 नवम्बर, 2002 तक की अवधि के लिए सभी स्कीमों के अधीन पुनर्खरीद 3,160 करोड़ रुपए की बिक्रियों की तुलना में 3,023 करोड़ रुपए थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुनील खां : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यू.एस.-64 योजना में निवेशित समस्त धनराशि लौटा दी गई है। जो कुछ गत वर्ष हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री जसवंत सिंह : यदि मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न को सही-सही समझा है,

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या यू.टी.आई. में निवेशित समस्त धनराशि को लौटा दिया गया है।

श्री जसवंत सिंह : मैं समझ गया। प्रश्न यह है कि क्या यू.टी.आई. की यू.एस.-64 योजना में निवेशित धनराशि लौटा दी गई है। जैसा कि सरकार द्वारा गत वर्ष घोषणा की गई थी कि समस्त योजना यह है कि यूनिट 64 का मूल्य निर्धारित किया जायेगा। यूनिट का मूल्य एक बिन्दु अर्थात् मई 2003 के संबंध में निर्धारित किया गया था और तत्पश्चात् हमने पीछे की ओर गणना की। मई 2003 में, इसका मूल्य यह होगा और उससे पहले के माहों में कम मूल्य होगा। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है कि इसका कोई समाधान नहीं है। वास्तव में यह यू.टी.आई. के दायित्वों की रक्षा करना है, एक बार और हमेशा के लिये इसकी रक्षा करना है। इसी कारण यूनिट-64 यूनिट-1 बन गई है और अन्य निवल परिसम्पत्ति मूल्य निवेश यूनिट-2 बन जाते हैं। दो विभिन्न और पृथक कार्य हैं। म्युचुअल फंड का ध्यान रखा जायेगा, उसके सिद्धांत बनाये जायेंगे और उन्हें संगठित किया जायेगा और

बेहतरीन बाजार व्यवहारों के अनुसार चलाया जायेगा। यूनिट-64 के संबंध में सरकार वचनबद्ध है। मुझे यह जानकारी देते हुये प्रसन्नता हो रही है कि वास्तव में, पिछले दो माहों सितम्बर और अक्तूबर में, पहली बार यूनिट-64 में निवल प्रोद्भवन 600 करोड़ रुपये से अधिक था।

श्री सुनील खां : आपने मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दो क्वश्चंस नहीं पूछ सकते। आपको सप्लीमेंटरी पूछने का पूरा अधिकार है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी आप सप्लीमेंटरी पूछिये।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यू.टी.आई. को दो कम्पनियों में बांटने का निर्णय लिया है। क्या यू.टी.आई. को बांटने से यह प्रतियोगी बन जायेगी?

श्री जसवंत सिंह : जी हां महोदय। जैसा कि सदस्यों को पहले ही उत्तर दे दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जारी किये गये अध्यादेश के परिणामस्वरूप यूनिट ट्रस्ट की दो पृथक संस्थाएं होंगी - यूनिट एक और यूनिट दो। जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया है, यूनिट-दो निवल परिसम्पत्ति मूल्य आधारित म्युचुअल निधि है। वास्तव में, यह प्रतिस्पर्धी म्युचुअल निधि होगी और यह उसी तरह से काम करेगा।

श्री लक्ष्मण सेठ : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने ऐसी घटना के लिये किसी की कोई जिम्मेदारी ठहराई है। यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

श्री जसवंत सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि तारापोर समिति ने इस पहलू का अध्ययन किया है। उसने पहचान की है कि क्या गलत हुआ था। हम इसकी जिम्मेदारी ठहराने की दिशा में बढ़ रहे हैं और तत्पश्चात् अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

[हिन्दी]

श्री अकबर अली खांदोकर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बंगाल की सी.पी.एम. पार्टी का यू.एस.-64 में बहुत रुपया जमा है, यह रुपया कितना है, यह मंत्री जी बतायें? हम यह जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : यह ब्लैक मनी नहीं है। ब्लैकमनी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, जहां तक व्यक्तिगत इंवैस्टमैंट का सवाल है, चाहे वह संस्था हो, राजनीतिक दल हो या कोई व्यक्ति हो, मेरे लिए यह सही बात नहीं है कि मैं उसको जग जाहिर करूं। इसलिए यह बताना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

वक्फ की परिसम्पत्तियों पर अतिक्रमण

@*62. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वक्फ की परिसम्पत्तियों पर अतिक्रमण और उनकी बिक्री संबंधी मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति दोषी पाए गए हैं; और

(घ) उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1995 के अनुसार वक्फ की संपत्तियों का उचित प्रबंधन और उनकी सुरक्षा करना वक्फ बोर्डों का दायित्व है। वक्फ बोर्ड राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पर्यवेक्षण के अधीन है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त सूचना संलग्न विवण में दी गई है।

---

*26.7.2002 की तारांकित प्रश्न-सूची से स्थगित

विवरण

वक्फ सम्पत्तियों की गैर-कानूनी बिक्री/अतिक्रमण के मामलों का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्यौरा
1	2
आंध्र प्रदेश	84,212 एकड़ क्षेत्र अतिक्रमणाधीन है। वक्फ अधिनियम की धारा 54 तथा 55 के अंतर्गत अतिक्रमण की गई वक्फ सम्पत्तियों को खाली करने के लिये 3373 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए है3।
अंडमान और निकोबार द्वीप	संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से सूचित किया है कि वक्फ सम्पत्तियों की बिक्री और अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है।
अरुणाचल प्रदेश	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कोई वक्फ बोर्ड तथा वक्फ सम्पति नहीं है।
असम	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वक्फ सम्पत्तियों की बिक्री और अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है।
बिहार (झारखंड सहित)	सुन्नी वक्फ बोर्ड की 13 वक्फ सम्पत्तियां बेची गई और 129 सम्पत्तियों का अतिक्रमण किया गया। 4 व्यक्तियों को दोषी पाया गया और मुतलवित्त से हटाया गया। शिया वक्फ बोर्ड की 8 वक्फ सम्पत्तियां अतिक्रमणाधीन है3। 8 व्यक्तियों को दोषी पाया गया है। खाली कराने के लिए न्यायालय में सभी मामले लम्बित हैं।
दादरा और नगर हवेली	संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि वक्फ सम्पत्तियों की बिक्री और अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है।
दमन व दीव	दमन और दीव में कोई वक्फ बोर्ड नहीं है और संघ राज्य क्षेत्र से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
1	2
दिल्ली	अनेक वक्फ सम्पत्तियों में अतिक्रमण विद्यमान है जिसके लिए वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत नियुक्त सर्वेक्षण आयुक्त के पर्यवेक्षण के अधीन एक उचित सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
गोवा	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में वक्फ सम्पत्तियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया जाता रहा है और इसलिए उन्होंने शून्य सूचना दी है।
गुजरात	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त किया गया है और यह कि कार्य का सर्वेक्षण प्रगति पर है।
जम्मू कश्मीर (वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल नहीं है)	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जम्मू व कश्मीर वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण के अनुसार वक्फ सम्पत्ति को कोई बिक्री नहीं की जा सकती। 3385 करनाल, 15 मर्ला तथा 157 वर्ग फुट अतिक्रमणाधीन है। न्यायालयों में 78 अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मामले दायर किए गए हैं। खाली कराने के लिए 37 मामलों पर निर्णय हो गया है जिन्हें अतिक्रमणों को हटाने के लिए जिला कलेक्टरों को भेजा गया है।
कर्नाटक	वक्फ सम्पत्तियों पर अनधिकृत अतिक्रमण के 155 मामलों की सूचना है। जिनमें से बंगलौर अर्बन से संबंधित 2 मामले हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा आवश्यक मुआवजे का भुगतान किया गया है। एक अन्य मामले में दो चित्र दुर्ग जिले से संबंधित है, अतिक्रमण की गई सम्पत्ति को कर्नाटक के माननीय उच्च

1	2
	न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए खाली किया गया तथा एक और शेष मामले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। शेष मामलों में कार्रवाई की जा रही है।
केरल	अतिक्रमण के 34 मामले सूचित किये गये, 5 सम्पत्तियों के अतिक्रमण हटा दिये गये हैं, शेष मामलों में वसूली संबंधी कार्यवाहियां चल रही हैं।
लक्षद्वीप	संघ राज्य क्षेत्र ने सूचित किया है कि वक्फ सम्पत्तियों की बिक्री तथा अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है।
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	अतिक्रमणाधीन 148 सम्पत्तियां सूचित की गई हैं। 595 व्यक्तियों को दोषी पाया गया है। 55 वक्फ सम्पत्तियों को प्राप्त कर लिया गया है। शेष मामलों में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाई की जा रही है।
महाराष्ट्र	मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित वक्फ भूमि की गैर-कानूनी बिक्री के 71 मामले तथा अतिक्रमण के 268 मामलों को सूचित किया गया है। शेष राज्य के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 2254 व्यक्तियों तो अतिक्रमण के लिए दोषी पाया गया है। अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई आंरभ कर दी गई है।
मणिपुर	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वक्फ सम्पत्ति की बिक्री और अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है।
मेघालय	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वक्फ सम्पत्तियों की बिक्री और अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है।
मिजोरम	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कोई वक्फ सम्पत्ति नहीं है।
नागालैंड	राज्य सराकर ने सूचित किया है कि वक्फ सम्पत्तियों की बिक्री और अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है।
उड़ीसा	वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण के 12 मामले सूचित किये गये हैं। जांच चल रही है और वक्फ अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार वक्फ भूमि को वापस लेने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
पांडिचेरी	अतिक्रमणाधीन 102 वक्फ सम्पत्तियां सूचित की गई हैं और 96 व्यक्यिों तो दोषी पाया गया है। अतिक्रमण करने वालों के द्वारा गैर-कानूनी कब्जे अतिक्रमण के संबंध में सर्वेक्षण कमिश्नर से सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्राप्त होने पर खाली कराने संबंधी कार्रवाई की जानी हैं। अधिकांश मामलों में मुकदमें चल रहे हैं और मुतवल्लियों द्वारा तेजी से कार्रवाई की जा रही है।
राजस्थान	वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 व 55 के अंतर्गत अतिक्रमणों के 302 मामले लम्बित हैं। राजस्थान लोक परिषद (अनधिकृत कब्जे वालों को हटाना) अधिनियम, 1964 के प्रावधानों के अंतर्गत 85 मामले लम्बित हैं। इंडोमेंटस ऑफ दरगाह ख्वाजा साहेब जिसका नियंत्रण दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है पर अतिक्रमण के 225 मामले हैं। कानूनी कार्रवाही की जा रही है।
सिक्किम	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सूचना शून्य समझी जाए।
तमिलनाडु	वक्फ सम्पत्तियों की गैर-कानूनी बिक्री के 4 मामलों और वक्फ परिसम्पत्तियों पर 848 अतिक्रमणों को सूचित किया है। अतिक्रमणों के लिए 848

1	2
	व्यक्तियों को दोषी पाया गया है और वक्फ सम्पत्तियों की गैर-कानूनी बिक्री के लिए 4 व्यक्तियों को दोषी पाया गया है। वक्फ सम्पत्तियों को वापस लेने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 के अंतर्गत अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किये गये हैं तथा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 के अंतर्गत 55 मामलों में अतिक्रमण करने वालों से आपत्तियां/उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जांच की गई है।
त्रिपुरा	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वक्फ सम्पत्तियों की बिक्री और अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है।
उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	गैर-कानूनी बिक्री के 22 मामलों तथा अतिक्रमणों के 727 मामलों की सूचना हैं। 2 अतिक्रमणों को हटाया गया है, वक्फ भूमि को खाली करने के संबंध में आवश्क कार्रवाई करने के लिए संबंधित कलेक्टरों को 747 मांग पत्र भेज दिए गए हैं। 2893 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। शेष मामले वक्फ बोर्डों के स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं।
पश्चिमी बंगाल	अनाधिकृत व्यक्तियेम के कब्जे में 75 वक्फ सम्पत्तियों की सूचना दी गई है। 75 व्यक्तियों को दोषी पाया गया है। वक्फ सम्पत्तियों की वापसी के लिए न्यायालय में 9 मामले लंबित हैं।
हरियाणा, पंजाब हिमाचल प्रदेश राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंड़ीगढ़ पंजाब वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है।	**पंजाब** : गत तीन वर्षों में राज्य में कोई वक्फ सम्पत्तियों की गैर-कानूनी बिक्री और अतिक्रमण नहीं किया गया है। **हरियाणा** : गत तीन वर्षों में राज्य में कोई वक्फ सम्पत्तियों की गैर-कानूनी बिक्री और अतिक्रमण नहीं किया गया है।
	हिमाचल प्रदेश : गत तीन वर्षों में राज्य में कोई वक्फ सम्पत्तियों की गैर-कानूनी बिक्री और अतिक्रमण नहीं किया गया है। **चंड़ीगढ़** : गत तीन वर्षों में संघ राज्य क्षेत्र में कोई वक्फ सम्पत्तियों की गैर-कानूनी बिक्री और अतिक्रमण नहीं किया गया है।

चीनी मिलों के माध्यम से विद्युत उत्पादन

*63. **श्री शिवाजी माने :**
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **उपभोक्त मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चीनी मिलों के माध्यम से खोई से विद्युत उत्पादन हेतु कानून बनाने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) चीनी विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2002 28 मई, 2002 को सरकारी राजपत्र में यह व्यवस्था करने के लिए अधिसूचित किया गया है कि चीनी विकास निधि को अन्य बातों के साथ-साथ किसी चीनी फैक्ट्री या उसकी इकाई को उनकी व्यवहार्यता में सुधार करने की दृष्टि से खोई आधारित विद्युत सह उत्पादन परियोजनाओं हेतु ऋण प्रदान करने के लिए लागू किया जाए। संशोधन अधिनियम जून, 2002 में लागू हुआ है।

इस उद्देश्य के लिए चीनी विकास निधि से रियायती शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था की गई है। चीनी विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2002 के उपबंधों को लागू करने के लिए नियमों को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

*64. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :**
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक और वित्तीय संस्थाओं के पास गैर-निष्पादनकारी आस्तियां कितनी थीं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र को इस प्रकार के कितनी राशि के अग्रिम ऋण दिए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार चूककर्ताओं के नाम प्रकाशित करने के लिए बैंकों को अनुमति देने का है ताकि उन्हें काली सूची में रखा जा सके;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा गैर-निष्पादनकारी आस्तियां प्राप्त करने के लिए अन्य क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की अनुपयोज्य आस्तियों से संबंधित 31 मार्च, 2002 तक की जानकारी उपलब्ध है। 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक से संबंधित सकल अनुपयोज्य आस्तियों और इनमें से गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में अनुपयोज्य आस्तियों की प्रमात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वित्तीय संस्थाओं की सकल अनुपयोज्य आस्तियों का ब्यौरा भी संलग्न विवरण में दिया गया है। वित्तीय संस्थाओं की प्राथमिकता क्षेत्र उधार संबंधी कोई प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

(ग) और (घ) बैंकिंग कानूनों के प्रावधानों के अनुसार सिर्फ उन्हीं चूककर्ताओं के नाम प्रकट किए जा सकते हैं जिनके विरुद्ध मुकदमें दायर किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक आधार पर एक करोड़ रुपए या उससे अधिक के कुल बकाया ऋण वाले मुकदमा दायर मामलों की सूची प्रकाशित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जाबूझकर किए गए चूक के उन मामलों की सूची भी तिमाही आधार पर प्रकाशित करता है जिनके विरुद्ध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने निधियों (25 लाख रुपए और अधिक) की वसूली के लिए मुकदमें दायर किए हैं। ये दोनों सूचियां भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in(Publication) पर उपलब्ध हैं।

(ङ) भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से बैंकों द्वारा वसूली नीति तैयार एवं क्रियान्वित करने, निपटान सलाहकार समितियों के माध्यम से समझौता निपटान तथा ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) में मुकदमें दायर करने जैसे देयराशियों की वसूली के लिए विभिन्न कदम उठाने के लिए कहा है। बैंकों से समझौता निपटानों के लिए लोक अदालतों के मंच का उपयोग करने के लिए कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2000 में 5 करोड़ रुपए तक की अनुपोज्य आस्तियों के लिए विवेकाधिकार रहित एवं अभेदमूलक एकबारगी निपटान योजना भी लागू की थी।

बैंकों तो उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी देने के लिए ऋण आसूचना ब्यूरो की स्थापना की गई हैं। आंतरिक एवं बाह्य कारणों से समस्याओं से जूझ रहे अर्थक्षम कंपनियों के कंपनी ऋण के पुनर्गठन के लिए पारदर्शी तंत्र प्रदान करने के लिए कंपनी ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) योजना लागू की गई है। इसके अतिरिक्त, चूक के मामलों में मोचन निषेध तथा प्रतिभूति प्रवर्तन को सुकर बनाने तथा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को अपनी देयराशियों की वसूली करने में सक्षम बनाने के लिए "प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अध्यादेश, 2002" प्रख्यापित किया गया है और इसका प्रतिस्थापन विधेयक भी सदन में पेश किया गया है।

विवरण

31 मार्च, 2002 तक की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विकास वित्तीय संस्था की सकल अनुपयोज्य आस्तियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विकास वित्तीय संस्था का नाम	सकल अनुपयोज्य आस्तियां	गैर-प्राथमिक क्षेत्र की सकल अनुपयोज्य आस्तियां
1	2	3	4
सरकारी क्षेत्र के बैंक			
1.	भारतीय स्टेट बैंक	15485.87	8037.05
2.	स्टेट बैंक आफ बीका० एंड जयपुर	615.58	370.19

1	2	3	4
3.	स्टेट बैंक औफ हैदराबाद	898.52	402.10
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	320.10	141.22
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	624.61	323.42
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	628.02	319.52
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	443.25	178.98
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	727.60	332.93
9.	इलाहाबाद बैंक	2001.85	1174.23
10.	आन्ध्रा बैंक	524.14	217.69
11.	बैंक आफ बड़ौदा	4489.29	2621.79
12.	बैंक आफ इंडिया	3722.41	2317.00
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	906.42	353.48
14.	केनरा बैंक	2112.44	1006.48
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	3375.69	1641.69
16.	कारपोरेशन बैंक	587.05	347.71
17.	देना बैंक	1996.03	1222.09
18.	इंडियन बैंक	2175.35	1372.22
19.	इंडियन आवरसीज बैंक	1818.54	1020.43
20.	ओरि० बैंक आफ कामर्स	951.79	510.09
21.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1091.84	714,43
22.	पंजाब नेशलन बैंक	439.86	2352.12
23.	सिंडिकेट बैंक	1299.13	556.17
24.	यूको बैंक	1332.65	688.81
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2420.48	1222.99
26.	युनाइटिड बैंक आफ इंडिया	1215.50	516.64
27.	विजया बैंक	602.69	289.68
	कुल	56506.7	30251.15

1	2	3	4
विकास वित्तीय संस्था			
1,	आई.डीबीआई	12859	
2.	सिडबी	784	
3.	आईएफसीआई लि०	6574	
4.	आईआईबीआई लि०	1107	
	कुल	21324	

नारियल के तेल पर पाटन रोधी शुल्क

*65. **डा. एम. वेणुगोपाल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल उत्पादक राज्यों ने स्वदेशी तेल क्षेत्र को बचाने के लिए नारियल के तेल के आयात पर भारी पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां,, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) पाटनरोधी एवं संबंद्ध शुल्क महानिदेशालय को नारियल के तेल पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए उद्योग अथवा राज्यों के कोई याचिका प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अमरीका द्वारा वस्त्रों के बारे में विश्व व्यापार संगठन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन

*68. **श्री भेरूलाल मीणा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने पिछले वर्ष दोहा में हुए विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन के दौरान वस्त्रों के आयात पर रियायतें देने में असमर्थता व्यक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका के इस निर्णय से भारत सहित विकासशील देशों को भारी धक्का लगा है;

(ग) क्या अमरीकी बाजार में भारत की पहुंच के बारे में भारत और अमरीका के मध्य चल रही बातचीत भी अमरीका के इस निर्णय से प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस मुद्दे की वर्तमान स्थिति क्या है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ङ) नवम्बर, 2001 में आयोजित विश्व व्यापर संगठन (डब्ल्यूटीओ) के दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में वस्त्र एवं कपड़ा करार (एटीसी) के पूर्ण एवं निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन के संबंध में कुछेक निर्णय लिए गए थे। यह कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों एवं चिन्ताओं संबंधी निर्णय के पैराग्राफ 1.4 से 4.3 तक में निहित है। इसके अलावा दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों तथा चिन्ताओं संबंधी निर्णय के पैराग्राफ 4.4 और 4.5 में डब्ल्यूटीओ की वस्तु व्यापार परिषद (सीटीजी) से कार्यान्वयन संबंधी दो प्रस्तावों की जांच करने का अनुरोध किया था, उनमें से एक प्रस्ताव में छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए कोटा स्तरों की गणना करते समय "उत्तरोत्तर वृद्धि" संबंधी प्रावधानों के लिए अति अनुकूल पद्धति लागू करना अपेक्षित था। कार्यान्वयन संबंधी दूसरे प्रस्ताव, जो भारत सहित सभी अवरुद्ध देशों के लिए प्रांसगिक था, में 27% के उच्चत्तर "उत्तरोत्तर वृद्धि" संबंधी कारक, जो अन्यथा 1 जनवरी, 2002 को लागू किया जाना था, को अग्रिम रूप से 1 जनवरी, 2000 से लागू करना अपेक्षित था।

वस्तु व्यापार परिषद को इन प्रस्तावों की जांच करनी थी और समुचित कार्रवाई हेतु 31 जुलाई, 2002 तक महापरिषद को सिफारिशें करनी थी।

यद्यपि दोनों प्रस्तावों की जांच इस वर्ष की शुरुआत में की गई तथापि अमरीका सहित अवरोधकर्ता सदस्यों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के कारण परिषद को कोई सिफारिश नहीं की जा सकी।

औपचारिक और अनौपचारिक विचार-विमर्श के दौरान भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु एवं कपड़ा, ब्यूरो (आईटीसीबी) के अन्य सदस्यों के साथ इन दोनों प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु एक मजबूत मामला बनाया था। आईटीसीबी के सदस्यों ने भी अपने ठोस तर्क देते हुए और प्रस्तावों को स्वीकार करने हेतु सदस्यों से अनुरोध करते हुए एक लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया था। इसके अलावा आईटीसीबी के सदस्यों ने यह भी प्रदर्शित किया था कि एटीसी के तहत अधिकारियों एवं दायित्वों के संतुलन को किस प्रकार विकासशील देशों के निर्यातक सदस्यों के अहितकर बनाया गया है। यह नोट किया गया है कि वस्त्र कार्यान्वयन संबंधी दोनों मुद्दे दोहा में मंत्रियों द्वारा बातचीत किए गए समग्र पैकेज का भाग है और यह कि सीटीजी को समुचित कार्रवाई हेतु महापरिषद को सिफारिशें करनी चाहिए। दोहा निर्णय के पैराग्राफ 4.4 और 4.5 में यह उल्लेख था कि सदस्य सिफारिशें किए जाने की आशा करते हैं।

31 जुलाई, 2002 को आयोजित महापरिषद की बैठक में अमरीका ने यह उल्लेख किया था कि सह दोहा के दो प्रस्तावों पर सहमत नहीं है और उसकी स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है।

भारत और अन्य विकासशील देशों ने 14-15 नवम्बर, 2002 को सिडनी में आयोजित लघु मंत्रिस्तरीय बैठक समेत विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे को उठाना जारी रखा है।

"उत्तरोत्तर वृद्धि" पर कार्यान्वयन संबंधी प्रस्तावों को डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किए जाने से अमरीका और अन्य अवरोधकर्त्ता देशों में हमारे निर्यातों के लिए कुछ अधिक बाजार पहुँच उपलब्ध हो सकती है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष करों संबंधी केलकर समिति

*69. **श्री रघुराज सिंह शाक्य :**
श्री रामदास आठवले :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष करों संबंधी केलकर समिति ने हाल में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सफिारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशों की जांच की हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) प्रत्यक्ष कर संबंधी केलकर समिति ने अभी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है इसने दिनांक 2 नवम्बर, 2002 को एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया है जिसे व्यापक विचार-विमर्श एवं टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया गया है। इसके प्रस्तावों के संबंध में एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार उनकी जांच कर रही है और सिफारिशों की पूर्ण जांच करने के पश्चात ही अपने विचार तैयार करेगी।

विवरण

परामर्श-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यथा-निहित प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :

(1) आयकर विभाग के कतिपय गैर-महत्वपूर्ण कार्यों को जिनमें पैन का आवंटन, डाटा एन्ट्री इत्यादि शामिल हैं, हटा दिया जाए।

(2) एक कर सूचना नेटवर्क (टिन) का सृजन किया जाए जो कर प्रशासकों की ओर से आंगुलिकृत फार्म में स्रोत पर कर की कसौटी की विवरणी एवं अन्य सूचना प्राप्त करेगा। कर सूचना नेटवर्क के साथ बैंकों के नेटवर्किंग के माध्य से ऑनलाइन पर भुगतान प्राप्त किये जाएं तथा विनिर्दिष्ट बैंक धन वापसियां जारी करें। विवरणी के साथ चालान अथवा टी.डी.एस. प्रमाणपत्रों को संलग्न किये जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

(3) विभिन्न प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रत्यायोजित की जाएं।

(4) व्यक्तिगत कराधान पर प्राय: सभी छूटों को समाप्त करके जिनमें (क) एन.एस.सी., ई.पी.एफ., जी.पी.एफ., पी.पी.एफ. म्युचुअल फण्ड्स की कर बचत इकाईयां, भुगतान की गई बीमा किस्त, आवास ऋण की पुनर्आदायगी, इन्फास्ट्राक्चर बॉण्ड्स इत्यादि में निवेश से

संबंधित धारा 88 के अंतर्गत कर छूट (ख) धारा 88ख और 88ग के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को उपलब्ध छूट (ग) धारा 80ठठ के अन्तर्गत लाभांश और ब्याज से संबंधित कटौती (घ) बाण्ड्रों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों आदि से ब्याज आय के संबंध में धारा 10 के अन्तर्गत छूट शामिल हैं, को समाप्त करके मूल छूट सीमा 1,00,000 रु. तक बढ़ाई जाए।

(5) स्व-अधिकृत संपत्ति की खरीद/निर्माण पर ब्याज के संदाय पर तीन वर्षों में कटौती कम करके शून्य कर दी जाये।

(6) लाभांश आय और इक्विटी पर दीर्धकालिक पूंजीगत अभिलाभ को कर से छूट दी जाये।

(7) निगमित कर दर कम करके 30% तक की जाये और न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को समाप्त किया जाये।

(8) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कंपनी द्वारा प्रभारित राशि तक सीमित किया जाये।

(9) धारा 10क, 10ख, 80झक, 80झख, 80ञञक और 80ञञकक के अन्तर्गत विभिन्न छूटों और कटौतियों को तत्काल हटाया जाये न कि निश्चित-कालिक खण्ड द्वारा।

(10) निगमित कराधान के संबंध में उक्त कार्यदल ने दो विकल्प दिए थे। विकल्प-1 के अन्तर्गत, सभी कटौतियों और छूटों को तत्काल हटाया जाना है, जबकि साथ ही साथ निगमित कर दरों को कम किया जाना, न्यूनतम वैकल्पिक कर को समाप्त किया जाना और लाभांश को कराधान से छूट प्रदान की जानी है। विकल्प-11 के अन्तर्गत, कटौतियों और छूटों की तीन वर्षों में समाप्त किया जाना है और निगमित कर दर को तीन वर्षों की अवधि में कम किया जाना है तथा 15% की दर से लाभांश वितरण कर अधिरोपित किया जाए और उसे भी तीन वर्षों में समाप्त कर दिया जायेगा।

(11) कृषि आय के कराधान के लिए एक कर किराया व्यवस्था तैयार की जाये ताकि राज्य संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत एक संकल्प पारित कर सके जिसमें केन्द्र सरकार को कृषि आय पर आयकर लगाने के लिए अधिकृत किया जा सके। केन्द्र द्वारा संग्रहीत सभी कर (निवल संग्रहण लागत पर) राज्यों को सौंप दिए जायें। कृषि आय के लिए अलग कर विवरणी फार्म तैयार किए जायें।

(12) धर्मार्थ न्यासों के लिए धारा 80छ के अन्तर्गत आय आधारित कटौती को 20% की दर से कर रियायत में परिवर्तित किया जाये।

(13) शैक्षिक और चिकित्सा संस्थाओं इत्यादि को छूट से संबंधित धारा 10(21), 10(23ख), 10(23ग) (IIIकख) से (IVक) तक 10(29क) के अन्तर्गत छूटों को आयकर अधिनियम की धारा 11 से 13 तक के साथ शामिल कर दिया जाये जो न्यासों की आय को छूट का प्रावधान करती है।

(14) धन कर को समाप्त कर दिया जाये।

(15) तलाशी के मामलों के कर निर्धारण अर्थात खंड कर निर्धारण की विशेष प्रक्रिया को हटाया जाये।

चाय उत्पादन

*70. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान चाय का उत्पादन कम होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान वर्ष 2001-2002 की तुलना में चाय का उत्पादन किस हद तक कितना कम होगा;

(ग) दक्षिणी राज्यों में चाय का उत्पादन कम होने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है कि बाजार में आम आदमी को चाय उपलब्ध हो जाए?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) जी, हाँ। भारत में 2002-2003 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान चाय के उत्पादन में 2001-2002 की इसी अवधि की तुलना में 30.10 मिलियन किग्रा. की कमी मालूम हुई है। 2001-2002 के दौरान हुए 847 मिलियम किग्रा. के उत्पादन की तुलना में समस्त वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान कुल चाय उत्पादन में 15 से 20 मिलियन किग्रा. तक की कमी हो जाने का अनुमान है।

(ग) दक्षिण राज्यों में चाय उत्पादक क्षेत्र में गंभीर सूखा पड़ा था और इसके परिणामस्वरूप इन राज्यों में चाय के उत्पादन में

अप्रैल-सितम्बर, 2001 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 2002 के दौरान 5.89 मिलियन किग्रा. की कमी हुई है।

(घ) सरकार और टी बोर्ड देश में चाय के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न विकास स्कीमों को कार्यान्वित कर रहे हैं ताकि घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इन स्कीमों में पारम्परिक चाय उपज क्षेत्रों में पौधा-रोपण का विस्तार, गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में नया पौधा रोपण, पुन: पौधा रोपण, जीणोद्धार छटाई, लघु-जोतों की सघन छटाई के जरिये उत्पादकता में वृद्धि और मौजूदा चाय क्षेत्रों की भराई और चकबन्दी, कार्बनिक चाय और हरी चाय और अन्य विशेष चायों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं। टी बोर्ड चाय बागानों को अनिवार्य अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान करता है। इन स्कीमों में दीर्घकालीन ऋणों, सब्सिडी और सहायता अनुदान के जरिये वित्तीय सहायता देने की भी व्यवस्था है। चाय का वर्तमान उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक

*71. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :**
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राज्यों की राजकोषीय स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री के साथ सभी मुख्य मंत्रियों की बैठक दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) बैठक में सहभागियों के क्या विचार थे;

(घ) क्या बैठक में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति आयु और पेंशन सारांशीकरण के मुद्दे भी उठाए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) राज्यों की राजकोषीय स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों की बैठक 18 अक्तूबर, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) बैठक में राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर विचार-विमर्श हुआ, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, (1) ऋण को वाहनीय स्तर तक लाने के उपायों, (2) 1.4.2003 से राज्य स्तर पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की शुरुआत करे, (3) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए केन्द्र द्वारा कार्यान्वयन एजेन्सियों को निधियां देने, (4) ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम की समीक्षा करने, (5) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में आल इण्डिया जजिज एसोसिएशन के मुकदमें में उच्चतम न्यायालय के 21.3.2002 के निर्णय को लागू करने, और (6) गैर-योजना राजस्व व्यय में निहित मुद्दे आदि शामिल थे।

(ग) से (ङ) ऋण विनिमय के सिद्धान्त पर हालांकि ऋण विनिमय की जरूरत पर सिद्धान्तत: सहमति हो गई थी, परन्तु कुछ राज्यों ने महसूस किया कि प्रस्ताव को और अधिक बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। सभी राज्य इस बात पर एक मत थे कि वैट (वी.ए.टी.) को 1.4.2003 से लागू किया जाए। तथापि, कुछ राज्यों की राय थी कि पहले वैट प्रतिपूर्ति स्कीम निरूपित की जानी चाहिए। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निधियां देने के संबंध में राज्य सरकारों की राय थी कि ये निधियां राज्य समेकित निधि के जरिए इस शर्त पर जारी की जानी चाहिए कि ये 2-3 सप्ताहों में ही कार्यान्वयन एजेंसियों को भेज दी जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक की ओवरड्राफ्ट रेगुलेशन स्कीम के संबंध में राज्यों की राय थी कि अर्थोपाय अग्रिम स्कीम के साथ-साथ यह स्कीम और अधिक उदार होनी चाहिए। राज्य सरकारों ने आल इण्डिया जज़िज एसोसिएशन के मुकदमें में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 21.3.2002 के निर्णय को लागू करने में संवैधानिक, वित्तीय और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित गम्भीर कठिनाइयां व्यक्त की। गैर-योजना राजस्व व्यय संबंधी व्यय, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, महंगाई भत्ता, बोनस और पेंशन का सारांशीकरण संबंधी मुद्दे शामिल थे, पर कोई सहमति नहीं हुई तथा यह तय हुआ कि राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार अपने इस प्रकार के निर्णय स्वयं लेंगी।

मुकदमेबाजी में फंसी सरकारी धनराशि

*72. **श्री मोहन रावले :**
डा. मन्दा जगन्नाथ :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोड़ों रुपए की सरकारी धनराशि विभिन्न न्यायालयों में मुकदमेबाजी में फंसी पड़ी है, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के मामले देखने वाले ऋण वसूली न्यायाधिकरण भी शामिल हैं;

(ख) यदि हां, अक्तूबर 2002 की स्थिति के अनुसार उनमें बैंक-वार और वित्तीय संस्था-वार अलग-अलग कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि की वसूली की गई है; और

(घ) इन कंपनियों से तेजी से ऋण की वसूली सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार ऋण वसूली अधिकरणों में लंबित मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशि 1,02,201.70 करोड़ रुपए है। 31 मार्च, 2002 तक की स्थिति के अनुसार लोक अदालतों में लंबित मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशि 600.29 करोड़ रुपए है। इस संबंध में वित्तीय संस्थान-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा की गई नकदी की वसूली/उन्नयन/बट्टे खाते/समझौते सहित अनुपयोज्य आस्तियों की तुलना में वसूलियां निम्नानुसार थीं :-

31 मार्च को समाप्त वर्ष	राशि (करोड़ में)
2000	10369
2001	13629
2002	13833

(घ) भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से बैंकों द्वारा वसूली नीति तैयार एवं क्रियान्वित करने, निपटान सलाहकार समितियों के माध्यम से समझौता निपटान तथा ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) में मुकदमें दायर करने जैसे देयराशियों की वसूली के लिए विभिन्न कदम उठाने के लिए कहा है। बैंकों से समझौता निपटानों के लिए लोक अदालतों के मंच का उपयोग करने के लिए कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2000 में 5 करोड़ रुपए तक की अनुपयोज्य आस्तियों के लिए विवेकाधिकार रहित एवं अभेदमूलक एकबारगी निपटान योजना भी लागू की थी।

बैंकों को उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी देने के लिए ऋण आसूचना ब्यूरो की स्थापना की गई है। आंतरिक एवं बाह्य कारणों के समस्याओं से जूझ रहे अर्थक्षम कंपनियों के कंपनी ऋण के पुनर्गठन के लिए पारदर्शी तंत्र प्रदान करने के लिए कंपनी ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) योजना लागू की गई है। इसके अतिरिक्त, चूक के मामलों में मोचन निषेध तथा प्रतिभूति प्रवर्तन को सुकर बनाने तथा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को अपनी देयराशियों की वसूली करने में सक्षम बनाने के लिए "प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अध्यादेश, 2002" प्रख्यापित किया गया है और इसका प्रतिस्थापन विधेयक भी सदन में पेश किया गया है।

विवरण-I

31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में लोक अदालतों में लंबित मामलों के ब्यौरे

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के बैंक का नाम	राशि (रुपए लाख में)
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	3435.00
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	8.56
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	53.43
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	19.93
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	7.00
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	3442.00
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	502.59
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	523.03
9.	इलाहाबाद बैंक	4196.03
10.	आन्ध्रा बैंक	341.67
11.	बैंक आफ बड़ौदा	1091.54
12.	बैंक और इंडिया	4735.72
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	75.98
14.	केनरा बैंक	729.94
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	359.03
16.	कार्पोरेशन बैंक	99.98
17.	देना बैंक	634.68
18.	इंडियन बैंक	958.50
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	8140.82
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1372.00
21.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1737.94

1	2	3
22.	पंजाब नेशनल बैंक	1856.63
23.	सिंडिकेट बैंक	1737.94
24.	यूको बैंक	310.31
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	97.88
26.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2650.58
27.	विजया बैंक	0

विवरण-II

31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में ऋण वसूली अधिकरणों में लंबित पड़े मामलों के ब्यौरे

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के बैंक का नाम	अंतर्ग्रस्त राशि (रुपए करोड़ में)
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	7695.12
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	444.89
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	729.64
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	368.19
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	234.55
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	530.59
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	255.88
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	850.98
9.	इलाहाबाद बैंक	1092.63
10.	आन्ध्रा बैंक	259
11.	बैंक आफ बड़ौदा	2409.94
12.	बैंक और इंडिया	2977.70
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	933.45
14.	केनरा बैंक	2324.49
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2315.73
16.	कार्पोरेशन बैंक	158.61
17.	देना बैंक	1016.41
18.	इंडियन बैंक	3390.33
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	964.56
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	604.77
21.	पंजाब एंड सिंध बैंक	845.33
22.	पंजाब नेशनल बैंक	2981.51
23.	सिंडिकेट बैंक	352.58
24.	यूको बैंक	631.94
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1485.83
26.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	667.48
27.	विजया बैंक	631.94

सती प्रथा का उन्मूलन

***73. श्रीमती मिनाती सेन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पटना-तमोली ग्राम में 6 अगस्त, 2002 को सती होने की एक घटना से पता चलता है कि देश में यह बर्बर प्रथा अब भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्यमान कानून इस बुराई का उन्मूलन करने के लिए अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बुराई को रोकने के उद्देश्य के विद्यमान कानूनों में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का क्या प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) मध्य प्रदेश के पटना-तामोली ग्राम जैसी सती की नगण्य घटनाएं देश में इस बर्बर प्रचलन की व्यापकता को नहीं दर्शाती है।

(ख) और (ग) वर्तमान कानूनों के प्रावधान इस खतरे की रोकथान के लिए पर्याप्त हैं। तथापि, इन प्रावधानों को और अधिक कठोर और प्रभावी बनाने के लिए, महिला और बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय महिला आयोग और भारत सरकार के अन्य संबंधित

मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से सतीकरण (निवारण) अधिनियम, 1987 में संशोधन करने की प्रक्रिया में हैं।

भुखमरी से होने वाली मौतें

*74. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न राज्यों में, विशेषकर उड़ीसा और राजस्थान में पिछले छह माह के दौराम भुखमरी से हुई मौतों के बारे में अनेक समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां. तो इन क्षेत्रों को खाद्यान्न की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) सरकार द्वारा इन राज्यों में लोगों को गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड जारी करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(घ) क्या तीन से अधिक लड़कों वाली महिलाओं को यह कार्ड देने से इंकार कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इस समय प्रत्येक राज्य में भुखमरी से मरने वाले कितने लोगों की सूचना मिली है; और

(छ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या उपचारात्मक उपाय शुरू किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के सामान्य आबंटन के अतिरिक्त, उड़ीसा और राजस्थान सहित 12 सूखा प्रभावित राज्यों के 24 सितम्बर और 19 नवम्बर, 2002 के बीच संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अधीन 19.25 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है।

(ग) राज्य सरकारें उचित दर दुकानों को खाद्यान्नों की सुपुर्दगी और उचित दर दुकानों के जरिए इनका पारदर्शी तथा जवाबदेह तरीके से वितरण करने के लिए गरीबों की पहचान हेतु व्यवस्था करती हैं और उन्हें लागू करती हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान के लिए केन्द्र सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, वास्तव में गरीब तथा समाज के कमजोर वर्गों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूर, छोटे किसान तथा कुम्हार, टेपर्स, बुनकर, लोहार, बढ़ई जैसे ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार आदि और शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग यथा भारवाहक, कुली, रिक्शा चालक तथा ठेला चालक, पटरी पर फल तथा फूल बेचने वाले असंगठित क्षेत्र में दिहाड़ी आधार पर जीविका कमाने वाले व्यक्तियों आदि को शामिल करने पर जोर दिया गया है।

(घ) और (ङ) ऐसे किन्हीं विशिष्ट मामलों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(च) और (छ) किसी भी राज्य सरकार ने भुखमरी से होने वाली मृत्यु के बारे में सूचना नहीं भेजी है। केन्द्रीय दल द्वारा अन्य राज्यों के साथ-साथ उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के भी दौरे किए गए। इन दौरों के फलस्वरूप प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को असुरक्षित क्षेत्रों में पूर्णत: क्रियाशील सार्वजनिक वितरण प्रणाली कायम करने और ऐसे क्षेत्रों में खाद्यान्नों की निर्बाध आपूर्ति तथा वितरण की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। इस बात पर भी जोर डाला गया है कि रोजगार सृजन कार्यक्रमों को सशक्त रूप से क्रियान्वित किया जाना है और राज्य प्राधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करता है कि भुखमरी और खाद्यान्नों के अत्यधिक संकट से यथाशीघ्र निबटने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाएं।

[हिन्दी]

दक्षेस देशों के साथ व्यापार

*75. **श्री भालचन्द्र यादव :**
कुंवर अखिलेश सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षेस देशों के साथ भारत के व्यापार में वर्ष 2000-2001 की तुलना में वर्ष 2001-2002 के दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) दक्षेस देशों में किन सदस्य देशों के साथ सर्वाधिक निर्यात किया गया है और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान डालर में कितने मूल्य का कुल निर्यात किया गया;

(ग) सूची में शीर्ष पर कौन-कौन सी मदें रहीं;

(घ) क्या सरकार दक्षेस देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए किसी कार्ययोजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) देशों के साथ भारत के व्यापार में वर्ष 2000-2001 की तुलना में वर्ष 2001-2002 में 10.76% की वृद्धि दर्ज की गई।

(ख) सार्क के सभी सदस्य देशों में से बंगलादेश को अधिकतम निर्यात हुआ। वर्ष 2001-02 में इनका मूल्य 942 मिलियन अमरीकी डालर था। वर्ष 2001-2002 के दौरान श्रीलंका को भारत से हुआ 629 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात दूसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2001-2002 के दौरान नेपाल और पाकिस्तान को भारत से क्रमश: 214 मिलियन अमरीकी डालर और 144 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात हुए थे।

(ग) वर्ष 2001-2002 में पांच प्रमुख मदों के मदवार और देश-वार निर्यातों और आयातों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) हाल के वर्षों में सरकार ने सार्क देशों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार, जो मार्च, 2000 से लागू हुआ, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा भारत साफ्टा (सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था) वार्ताओं के चार दौरों के तहत अन्य सार्क देशों के साथ टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान कर रहा है। चौथा और अन्तिम दौर काठमांडू में अक्तूबर-नवम्बर, 2002 में आयोजित हुआ था। साफ्टा प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष के रूप में सार्क मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत ने नेपाली वस्तुओं के लिए एक अनन्य अधिमानी शुल्क मुक्त पहुँच उपलब्ध कराई है बशर्ते कि वे द्विपक्षीय भारत-नेपाल व्यापार सन्धि, जिसे अन्तिम बार 6 मार्च, 2002 को पांच वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत किया गया था, में दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत कुछेक मापदण्डों को पूरा करें। ऐसी ही एक अधिमानी व्यापार व्यवस्था भूटान के साथ की गई है। भारत और नेपाल तथा भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारतीय मुद्रा में किया जाता है जबकि बाकी सार्क देशों के साथ यह परिवर्तनीय मुद्रा के आधार पर किया जाता है।

अन्त:क्षेत्रीय निवेशों को बढ़ाने और उनका संरक्षण करने के लिए क्षेत्र में विनिर्मित, निर्यात उत्पादों के मानकों और मापों को सुमेलित करने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि दोहरे कराधान से बचा जा सके और सीमाशुल्क क्रियाविधियों और विनियमों को सुमेलित किया जा सके। सदस्य देशों की व्यापार संभावना को दर्शाने के लिए सार्क देशों द्वारा व्यापार मेले आयोजित किए जाते हैं। अन्तिम सार्क मेला अक्तूबर, 2002 में काठमांडू में आयोजित किया गया था। सीमाओं, विशेष रूप से बंगलादेश और नेपाल पर बुनियादी सुविधाओं और स्थल सीमाशुल्क केन्द्रों में सुधार करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

व्यापार मामलों को देखने वाले अधिकारियों और सार्क क्षेत्र में व्यापारिक वर्ग आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्क वीजा छूट योजना चल रही है। इस योजना में उन पात्र व्यक्तियों की अनुमत सूची शामिल है जिन्हें अपने-अपने नागरिकता देशों में सार्क वीजा जारी किए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के दौरान सार्क देशों को भारत से किए गए अधिकतम निर्यातों और आयातों के ब्यौरे

(मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य)

देश	2001-2002 निर्यात	मूल्य	% हिस्सा	2001-2002 अधिकतम 5 आयात	मूल्य	% हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7
बंगलादेश	1. कॉटन यार्न फैब्रिक्स, मेड अप्स इत्यादि	144.67	15.35	1. जूट, कच्चा	18.41	31.15

1	2	3	4	5	6	7
	2. गेहूँ	85.98	9.12	2. अकार्बनिक रसायन	15.05	25.45
	3. परिवहन उपकरण	73.99	7.85	3. कपड़े का निर्मित सामान	9.48	16.04
	4. मशीनरी और औजार	71.81	7.62	4. अन्य मदें	4.69	7.94
	5. कोयला	39.66	4.21	5. अन्य वस्त्र यार्न, फैब्रिक्स, मेड अप सामान	3.18	5.37
श्रीलंका	1. कॉटन यार्न फैब्रिक्स, मेड अप इत्यादि	69.51	11.05	1. मसाले	26.00	38.57
	2. चीनी	62.73	9.97	2. अन्य वस्तुं	11.03	16.36
	3. परिवहन उपकरण	49.32	7.84	3. अलौह धातु	5.31	7.87
	4. मशीनरी और औजार	41.08	6.53	4. धातुमय अयस्क एवं धातु स्क्रैप	4.84	7.19
	5. ग्लास/ग्लासवेयर/ सेरामिक्स/रिफ्रैक्ट्रीज/सीमेंट	36.85	5.86	5. कार्बनिक रसायन	3.46	5.16
नेपाल	1. परिवहन उपकरण	48.00	22.40	1. अन्य वस्तुएं	146.63	41.17
	2. औषध, भेषज एवं परिष्कृत रसायन	31.64	14.77	2. अलौह धातुएं	48.33	13.57
	3. मशीनरी तथा औजार	18.79	8.77	3. सुगन्धित तेल तथा कास्मैटिक प्रसाधन	44.69	12.55
	4. पेपर/लकड़ी का सामान	8.29	3.87	4. मानव निर्मित फिलामैंट/स्पन यार्न (वर्सटिड एवं स्पन सहित)	32.28	9.06
	5. ग्लास/ग्लासवेयर/ सेरामिक्स/रिफ्रैक्ट्रीज/सीमेंट	6.89	3.22	5. कार्बनिक रसायन	12.50	3.51
पाकिस्तान	1. चीनी	42.75	29.75	1. फल एवं काजू गिरी को छोड़कर काष्ठफल	26.63	41.13
	2. प्लास्टिक लिनोलियम उत्पाद	22.12	15.39	2. अन्य मदें	10.47	16.17
	3. औषध, भेषज एवं परिष्कृत रसायन	18.32	12.75	3. चीनी	6.77	10.45
	4. फुटवियर को छोड़कर रबड़ विनिर्मित उत्पाद	8.08	5.62	4. दालें	6.71	10.36
	5. रंजक, मध्यवर्ती एवं कोलतार रसायन	79.36	5.12	5. मसाले	5.23	8.08

1	2	3	4	5	6	7
भूटान	1. बासमती को छोड़कर अन्य चावल	1.03	17.06	1. अकार्बनिक रसायन	10.39	43.43
	2. परिवहन उपकरण	0.97	12.73	2. प्राथमिक इस्पात पिग आयरन पर आधारित मदें	8.49	35.49
	3. स्प्रिट एवं पेय पदार्थ	0.88	11.57	3. लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	2.89	12.10
	4. धातुओं के उत्पाद	0.73	9.64	4. अन्य मदें	0.75	3.15
	4. मशीनरी और औजार	0.69	9.03	5. अन्य अपरिष्कृत खनिज	0.37	1.53
मालदीव	1. मशीनरी एवं उपकरण	2.62	9.72	1	-	-
	2. बासमती चावल को छोड़कर अन्य चावल	2.33	8.66	2		
	3. अन्य अयस्क और खनिज	2.29	8.51	3		
	4. औषध, भेषज एवं परिष्कृत रसायन	1.95	7.24	4		
	5. चीनी	1.63	6.05	5	-	-

रेशम उद्योग का संवर्धन

***76. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत में रेशम उद्योग का संवर्धन करने के लिए जापान से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रस्ताव से क्या लाभ मिलने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (घ) रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भारत सरकार और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जे.आई.सी.ए.) के बीच तकनीकी सहयोग 'भारत की द्विफसलीय रेशम उत्पादन हेतु विस्तार प्रणाली का सुदृढ़ीकरण' नामक परियोजना के साथ तीसरे चरण तक बढ़ा दिया गया है। परियोजना अगस्त, 2002 में शुरू हुई और यह 5 वर्षों की अवधि तक जारी रहेगी। परियोजना का उद्देश्य द्विफसलीय रेशम उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित कर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में द्विफसलीय रेशम उत्पादन के विस्तार और संवर्द्धन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना है:

1. उत्कृष्ट बीजों के अधिक उत्पादन की प्रणाली स्थापित करना।
2. राज्य के विभागों के स्टाफ और किसानों के लिए प्रशिक्षण प्रणाली सुदृढ़ करना।
3. द्विफसलीय रेशम उत्पादन के प्रसार हेतु विस्तार मॉडल स्थापित करना।

खाद्य तेल का उत्पादन

***77. श्रीमती हेमा गमांग : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर उड़ीसा में वनस्पति तेल और अन्य खाद्य तेलों का वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार उपर्युक्त तेलों की किस्मों की कितनी मांग है;

(ग) क्या खाद्य तेलों की आपूर्ति मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) विगत 3 वर्षों के दौरान देश में खाद्य वनस्पति तेलों और खाना बनाने के अन्य तेलों जैसे

हाइड्रोजनीकृत तेल (वनस्पति) का कुल उत्पादन निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

वर्ष	खाद्य वनस्पति तेलों का उत्पादन	वनस्पति का उत्पादन
1999-2000	60.14	11.90
2000-2001	55.04	13.60
2001-2002 (अनुमानित)	61.33	11.79 (सितम्बर, 2002 तक)

खाद्य तेलों के वार्षिक उत्पादन संबंधी राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि तिलहनों/तेलों के अंतर्राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, उड़ीसा में तिलहनों के उत्पादन और राज्य में स्थित वनस्पति ईकाइयों के आधार पर उड़ीसा में वनस्पति सहित खाद्य तेलों के उत्पादन का निम्नानुसार आकलन किया गया है:

(लाख टन में)

वर्ष	खाद्य वनस्पति तेलों का उत्पादन	वनस्पति का उत्पादन
1999-2000	0.47	0.12
2000-2001	0.47	0.26
2001-2002 (अनुमानित)	0.35	0.23 (सितम्बर, 2002 तक)

चालू वर्ष के दौरान देश में वनस्पति तेलों की मांग 117 लाख टन होने का अनुमान है। उड़ीसा में वनस्पति सहित वनस्पति खाद्य तेलों की आपूर्ति 55 से 65,000 टन है।

देश में खाद्य तेलों की आपूर्ति मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में कमी को खुले सामान लाइसेंस के अधीन खाद्य तेलों के आयात के जरिए पूरा किया जाता है। तिलहनों और खाद्य तेलों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपचारात्मक उपायों और प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) देश में तिलहनों/खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 395 चुनिंदा जिलों को कवर करते हुए 25 राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

(2) बेहतर उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी को काम में लाने के लिए तिलहन संबंधी एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया है।

(3) तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयास तेज करना।

(4) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी अपारम्परिक तिलहनों की खेती के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना, वृक्ष और वन मूल के बीजों, चावल की भूसी का उपयोग करना।

(5) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के साथ कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रसंस्करण और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाएं स्थापित करना।

(6) पाम तेल विकास के लिए सहायता।

(7) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(8) वनस्पति के उत्पादन में मासिक आधार पर उत्पादन के कम से कम 25% में स्वदेशी तेलों के उपयोग को फिलहाल अनिवार्य बना दिया गया है। वनस्पति के उत्पादन में एक्सपैलर सरसों के तेल को 30% तक इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य देकर प्रोत्साहन देना है।

(9) घरेलू तिलहन उत्पादकों, उपभोक्ताओं और संसाधकों के हितों में तालमेल बैठाने और संभव सीमा तक बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों के आयात को नियमित करने के लिए खाद्य तेल संबंधी शुल्क ढांचे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

विकलांग अधिकारिता समूह द्वारा विरोध

***78. श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग अधिकारिता समूह द्वारा दिल्ली में 14 अगस्त, 2002 से कार्यरत और अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए करों में रियायत की मांग करने के लिए दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी वास्तविक मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी प्रत्येक मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) विकलांग अधिकारिता समूह (डी.आर.जी.) से एक पत्र अगस्त, 2002 में प्राप्त हुआ जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि सरकार को प्रस्तुत की गई मांगों के पूर्ण नहीं होने के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए दिनांक 14.8.2002 से 16.8.2002 तक जंतर मंतर में 48 घंटे तक के मुक्ति जागरण का आयोजन किया जा रहा है।

इन मांगों में विभिन्न प्रकार के मुद्दे थे जैसे विकलांग व्यक्तियों के लिए आय कर में छूट की सीमा को बढ़ाना, विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिप्रेत सहायक यंत्रों और उपकरणों पर कोई कर नहीं होना, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, नि:शक्त व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के कार्यालय को नोएडा से दिल्ली को स्थानांतरित करना, अस्थि, दृष्टि तथा श्रवण विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं/रियायतों का विस्तार मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए किया जाना, नौकरियों की 'ग' तथा 'घ' श्रेणियों में मानसिक तथा/या विकासात्मक विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण, भारतीय संकेत भाषा का मानकीकरण, विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचान किए गए पदों की हाल ही में संशोधित सूची (जून, 2001) को आगे संशोधित करना, नि:शक्त व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के कार्यालय को समाप्त करना तथा एक विकलांगता आयोग का गठन करना, नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में संशोधनों को पारित करना, ''विशेष शिक्षा'' को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्थानांतरित करना तथा सभी भावी निर्माण में बाधा मुक्त डिजाइन तथा पहुंच संबंधी विशेषताओं को सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यादेश पारित करना।

उन विधायी, वित्तीय तथा प्रशासनिक पहलुओं से संबंधित मामलों को, जिनमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग तथा राज्य सरकारें शामिल हैं, उन्हें भेज दिया गया है। सरकार ने नि:शक्त व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के कार्यालय को नोएडा से दिल्ली स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। विकलांग अधिकारिता समूह को अभिवेदन का उत्तर भेज दिया गया है।

निर्यात वृद्धि

*79. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्रीमती प्रभा राव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार भुगतान संतुलन की हमारी स्थिति पर परिवर्धित निर्यात का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) निर्यात की उन मदों के नाम क्या हैं जिनका विभिन्न देशों में अधिक निर्यात किये जाने की प्रवृत्ति देखी गई है;

(ङ) किन-किन देशों में हमारे निर्यात लक्ष्यों के मूल नियोजित लक्ष्य को पार कर जाने की संभावना है;

(च) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने अथवा उन लक्ष्यों को पार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(छ) क्या सरकार अभूतपूर्व सूखे के कारण चालू वर्ष के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्यों को कम करने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस), कोलकाता द्वारा उपलब्ध किए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2002-2003 की प्रथम छमाही (अप्रैल-सितम्बर) में भारत के पण्य वस्तु के निर्यातों में डालर के रूप में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.49% की वृद्धि दर्ज हुई है। यह वृद्धि वर्ष 2002-2003 के लिए निर्धारित 12% के लक्ष्य से अधिक है।

(ग) अप्रैल-सितम्बर, 2002-2003 की अवधि के दौरान (-)4303 मिलियन डालर का व्यापार घाटा गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए (-)4942 मिलियन डालर के व्यापार घाटे की तुलना में 12.92% की गिरावट प्रदर्शित करता है। चूंकि आयातों में भी अप्रैल-सितम्बर, 2002-2003 में 8.5% तक की वृद्धि हुई है इसलिए यह सुधार निर्यातों में वृद्धि के कारण हुआ है।

(घ) डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जुलाई, 2002-2003 के दौरान निर्यात की जिन प्रमुख मदों में उच्च वृद्धि दर (10% से अधिक) प्रदर्शित हुई है उनमें शामिल हैं— रत्न एवं आभूषण, रसायन एवं संबद्ध उत्पाद तथा इंजीनियरिंग माल।

(ङ) गन्तव्य-वार निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, भारत के निर्यातों के सभी प्रमुख गन्तव्यों में अप्रैल-जुलाई, 2002-2003 के दौरान निर्यातों में वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

(च) वाणिज्य विभाग द्वारा एक मध्यावधि निर्यात नीति 2002-2007 की घोषणा की गयी है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों द्वारा कार्य योजनाएं तैयार की गयी हैं। एग्जिम नीति, 2002-07 में निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गयी है जिनमें विशेष आर्थिक जोनों के लिए अतिरिक्त आकर्षण, कतिपय कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कतिपय स्वीकार्य खर्चों की प्रतिपूर्ति की एक स्कीम, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर के निर्यातों में सहायता करने की स्कीम, इत्यादि शामिल हैं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकों की ब्याज दर में कटौती

*80. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्री रामदास रुपला गावीत :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक की हाल ही में घोषित मध्यवर्ती आर्थिक और ऋण नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक और ऋण नीतियों के माध्यम से नियमित हस्तक्षेप द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी जमा योजनाओं में ब्याज दरें कम कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) विभिन्न बैंकों की जमा धनराशियों और आम आदमी पर ब्याज दर पर की गई इतनी भारी कटौती का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2002-03 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पादन के पूर्वानुमान में भी कमी की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2002-2003 के लिए घोषित मौद्रिक एवं ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

* बैंक दर को 0.25 प्रतिशत बिन्दु घटाया गया।
* रेपो रेट को 0.25 प्रतिशत बिन्दु घटाया गया था।
* सी.आर.आर. को 0.25 प्रतिशत बिन्दु घटाया गया।
* 1 मई, 2003 ने रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर को दो चरणों में उदार बनाने का प्रस्ताव।
* निर्यात ऋण पर चुकौती में लचीलापन।
* बैंकों को जापानी येन में अंकित एफ.सी.एन.आर.(बी.) जमा दरों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता।
* प्रचलित सुविधाओं का युक्तिकरण।
* बैंकों द्वारा अस्थायी दर लिखतों के रूप में जमा प्रमाणपत्र जारी करना।
* सी.एस.जी.एल. खातेदारों को रेपो का विस्तार शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों में अज्ञात स्क्रीन आधारित आदेश चालित कारबार (एनानिमस स्क्रीन बेस्ड आर्डर ड्रिवन ट्रेडिंग) शुरू करने का प्रस्ताव।
* प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा विशेषत: कृषि क्षेत्र को ऋण वितरण में सुधार करने के लिए प्रस्ताव।
* छोटे व्यवसाय को ऋण प्रवाह और बढ़ाने के लिए प्रस्ताव।

(ख) से (घ) बचत बैंक जमा दर जिसे रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, को छोड़कर सभी मियादी जमा पर ब्याज दरें अक्तूबर, 1997 से अविनियमित की गई हैं। बचत बैंक जमा दर 1 अप्रैल, 2000 से 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गई है। वाणिज्यिक बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से मियादी जमा पर स्थायी अथवा अस्थायी दर पर ब्याज लेने के लिए स्वतंत्र हैं। एस.सी.बी. द्वारा प्रस्तावित जमा दरें 1999-2000 के 8.50-11.00 प्रतिशत से गिरकर 2001-2002 में 7.25-8.75 प्रतिशत तथा अक्तूबर, 2002 में 6.50-8.25 प्रतिशत पर आ गई हैं। जमा दरों में गिरावट होने के बावजूद अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.) (आर.आर.बी. को छोड़कर) द्वारा जुटाई गई कुल जमाराशियां

1999-2000 में 13.9 प्रतिशत (99,320 करोड़ रुपए), 2000-01 में 18.4% (1,49,273 करोड़ रुपए), 2001-02 में 14.6% (1,40,742 करोड़ रुपए) तथा 2002-03 में 1 नवम्बर, 2002 तक 13.0% (1,42,996 करोड़ रुपए) तक बढ़ गई।

(ङ) से (छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 2002 के अपने वार्षिक नीति विवरण में वर्ष 2002-03 के लिए पूर्व घोषित अपने सकल घरेलू उत्पाद विकास पूर्वानुमान को कम किया है। वर्ष 2002-03 के लिए समग्र जीडीपी विकास 6.0 से 6.5% के पूर्वानुमान की तुलना में 5.0 से 5.5% होने की संभावना है।

पूर्व विकास अनुमान सामान्य मानसून के पूर्वानुमान पर आधारित था। हालांकि, चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी.एस.ओ.) अनुमान पूरे वर्ष के लिए 6.0 से 6.5% की अनुमानित विकास दर की तर्ज पर है, परन्तु देश के कुछ भागों में कम बारिश को ध्यान में रखते हुए जीडीपी में विकास दर कम होगी। दक्षिण-पश्चिमी मानसून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जाती है कि इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन पिछले वर्ष से लगभग 5.0% कम होगा। हालांकि, कृषि जीडीपी में गिरावट की संभावना है, आधारिक उद्योगों में उच्च विकास तथा प्रभावशाली निर्यात निष्पादन से वर्ष 2002-2003 के लिए समग्र जीडीपी विकास सूखे की स्थितियों के बावजूद 5.0 से 5.5% पर बना रहेगा।

बैंकों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करने के अतिरिक्त घरेलू जमा दर में अधिक लोच देने के लिए, व्यापक मूल उधार दर पीएलआर की कटौती एवं प्रभारित ब्याज दरों के स्तर में पारदर्शिता के लिए उपाय करने से जमाकर्ताओं को उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं में सुधार होने तथा समग्र वित्तीय एवं स्फीतिकारी वातावरण में परिवर्तनों के लिए उन्हें अधिक अनुकूल बनाने की आशा है।

कपड़ा मिलों का बंद होना

*81. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री दिलीप संघाणी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रतिवर्ष राज्य-वार क्रमशः कितनी सरकारी, सहकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलें बंद हुईं;

(ख) क्या औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में कुछ एन.टी.सी. मिलों के पुनर्वास पैकेज को स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) अब तक पुनः चालू की गई मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने दिसम्बर, 2002 तक 39 एन.टी.सी. मिलें बंद करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(छ) सरकार द्वारा कर्मचारियों की मजूरी/वेतन की अदायगी हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य वार बंद पड़ी मिलों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) बी.आई.एफ.आर. ने महाराष्ट्र राज्य में स्थित एन.टी.सी. (एस.एम.) और एन.टी.सी. (एम.एन.) सहित एन.टी.सी. के सभी आठ सहायक निगमों के लिए पुनःस्थापन योजना को स्वीकृति दे दी है। 3,900 करोड़ रु. की लागत की पुनःस्थापना योजना में अर्थक्षम मिलों का पुनरुद्धार करने और गैर-अर्थक्षम मिलों को (कर्मचारियों को वी.आर.एस. देने के बाद) बंद करने की व्यवस्था है। इन योजनाओं की कार्यान्वयन अवधि दो वर्ष की है जो अप्रैल, 2002 से शुरू होगी।

(घ) 53 मिलों में से इस समय चल रहीं 50 मिलों का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव है।

(ङ) एन.टी.सी. के आठ सहायक निगमों के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुनःस्थापना योजना के अनुसार वर्ष 2002-2003 के दौरान प्रभावित कर्मचारियों को वी.आर.एस. देने के बाद कार्य न कर रही 39 मिलों को बंद कर दिया जाएगा।

(च) मिलों और उसमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(छ) सरकार, कार्यान्वयन अवधि के दौरान वेतन/मजदूरियों का भुगतान करने में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए एन.टी.सी. को बजटीय सहायता दे रही है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्रों में राज्य-वार बंद पड़ी वस्त्र मिलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1 अक्तूबर 1999 से 30 सितम्बर, 2000 तक			1 अक्तूबर 2000 से 30 सितंबर, 2001 तक			1 अक्तूबर 2001 से 30 सितंबर, 2002 तक			कुल
	सरकारी	सहकारी	निजी	सरकारी	सहकारी	निजी	सरकारी	सहकारी	निजी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	–	1	3	–	2	3	4	–	4	17
असम	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
बिहार	–	1	–	–	–	1	1	–	–	3
गुजरात	–	1	5	–	–	5	7	–	4	22
हरियाणा	–	–	4	1	–	1	–	–	3	9
जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
कर्नाटक	–	–	2	–	2	2	1	–	1	8
केरल	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
मध्य प्रदेश	2	–	–	1	–	–	5	–	–	8
महाराष्ट्र	–	1	3	–	1	4	4	–	–	13
उड़ीसा	–	1	–	2	–	2	1	–	–	6
पंजाब	–	–	3	–	–	2	–	1	2	8
राजस्थान	–	–	1	–	–	2	1	–	1	5
तमिलनाडु	–	–	8	–	–	12	7	–	18	45
उत्तर प्रदेश	2	3	8	1	1	1	–	–	–	16
पश्चिमी बंगाल	–	–	–	–	–	–	6	–	2	8
संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
कुल योग	4	8	32	5	6	35	38	2	39	169

टिप्पणी: वर्ष 1999-2000 में 2 मिलें सरकारी परिसमापक के अंतर्गत बंद पड़ी थीं और 1 मिल निजी क्षेत्र में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत बंद पड़ी थीं। वर्ष 2000-2001 में निजी क्षेत्र में, 2 मिलें सरकारी परिसमापक के अंतर्गत बंद पड़ी थीं।

विवरण-II

वर्ष 2002-2003 के दौरान बंद करने के लिए प्रस्तावित 39 निष्क्रिय गैर-अर्थक्षम मिलों और उनके प्रभावित कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	सहायक निगम के नाम	मिलों के नाम	राज्य	कामगार
1	2	3	4	5
1.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	अदोनी कॉटन मिल	आ.प्र.	118
2.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	आजमजाही मिल	आ.प्र.	539
3.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	नटराज स्पिनिंग मिल	आ.प्र.	73
4.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	नेथा स्पि. एंड वीविंग मिल	आ.प्र.	143
5.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	एम.एस. के मिल	कर्नाटक	780
6.	एनटीसी (एपीकेके एंड एम)	मैसूर स्पि. एंड मैन्यू. मिल	कर्नाटक	0
7.	एनटीसी गुजरात	अहमदाबाद ज्यूपिटर टेक्सटाइल मिल	गुजरात	1095
8.	एनटीसी गुजरात	जहांगीर टेक्सटाइल मिल	गुजरात	1194
9.	एनटीसी गुजरात	महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल	गुजरात	801
10.	एनटीसी गुजरात	न्यू मानेकचौक टेक्सटाइल मिल	गुजरात	854
11.	एनटीसी गुजरात	पेटलाड टेक्सटाइल मिल	गुजरात	394
12.	एनटीसी गुजरात	राजकोट टेक्सटाइल मिल	गुजरात	320
13.	एनटीसी गुजरात	वीरमगाम टेक्सटाइल मिल	गुजरात	811
14.	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबी एंड ओ)	गया कॉटन एंड जूट मिल	बिहार	508
15.	एनटीसी(डब्ल्यूबीएबी एंड ओ)	बंगाश्री कॉटन मिल	पश्चिमी बंगाल	175
16.	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबी एंड ओ)	बंगाल फाइन एस. एंड डब्ल्यू मिल नं. 2	पश्चिमी बंगाल	141
17.	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबी एंड ओ)	मनिन्द्रा बी.टी. मिल	पश्चिमी बंगाल	237
18.	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबी एंड ओ)	ज्योति वीविंग फैक्टरी	पश्चिमी बंगाल	225
19.	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबी एंड ओ)	सेंट्रल कॉटन मिल	पश्चिमी बंगाल	532
20.	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबी एंड ओ)	श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल	पश्चिमी बंगाल	468
21.	एनटीसी (डीपीआर)	एडवर्ड मिल	राजस्थान	327
22.	एनटीसी (उ.प्र.)	अथर्टन मिल	उत्तर प्रदेश	1054

1	2	3	4	5
23.	एनटीसी (उ.प्र.)	बिजली कॉटन मिल	उत्तर प्रदेश	198
24.	एनटीसी (उ.प्र.)	लक्ष्मी रत्न कॉटन मिल	उत्तर प्रदेश	1277
25.	एनटीसी (उ.प्र.)	लॉर्ड कृष्णा कॉटन मिल	उत्तर प्रदेश	839
26.	एनटीसी (उ.प्र.)	मयूर मिल	उत्तर प्रदेश	1358
27.	एनटीसी (उ.प्र.)	न्यू विक्टोरिया मिल	उत्तर प्रदेश	1416
28.	एनटीसी (उ.प्र.)	रायबरेली कॉटन मिल	उत्तर प्रदेश	345
29.	एनटीसी (उ.प्र.)	श्री विक्रम कॉटन मिल	उत्तर प्रदेश	555
30.	एनटीसी (उ.प्र.)	स्वदेशी कॉटन मिल, कानपुर	उत्तर प्रदेश	1357
31.	एनटीसी (म.प्र.)	बंगाल नागपुर कॉटन मिल	मध्य प्रदेश	1389
32.	एनटीसी (म.प्र.)	हीरा मिल	मध्य प्रदेश	991
33.	एनटीसी (म.प्र.)	इंदौर माल्वा यूनाइटिड मिल	मध्य प्रदेश	1988
34.	एनटीसी (म.प्र.)	कल्याण मल मिल	मध्य प्रदेश	1739
35.	एनटीसी (म.प्र.)	स्वदेशी टेक्साटाइल मिल	मध्य प्रदेश	702
36.	एनटीसी (एमएन)	कोहिनूर मिल. नं. 1, 2 और 3	महाराष्ट्र	805
37.	एनटीसी (एमएन)	कोहिनूर मिल. नं. 3 (समामेलित)	–	0
38.	एनटीसी (एमएन)	इण्डिया यूनाइटिड मिल नं. 3	महाराष्ट्र	1438
39.	एनटीसी (एमएन)	इण्डिया यूनाइटिड मिल नं. 4 (समामेलित)	–	0
				27186

[अनुवाद]

आन-लाइन बैंकिंग नेटवर्क

676. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया ने नागपुर और विदर्भ के अन्य शहरों को आन लाइन बैंकिंग नेटवर्क की सुविधा से वंचित कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) एस.बी.आई. द्वारा विदर्भ को कब तक आन लाइन बैंकिंग नेटवर्क की सुविधा से जोड़ दिया जाएगा?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक एटीएम की स्थापना की जा रही है जिसे भारतीय स्टेट बैंक के अखिल भारतीय एटीएम नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। नागपुर मुख्य शाखा को भी अखिल भारतीय नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने नागपुर एवं विदर्भ में 25 एटीएम की स्थापना की है जिन्हें शाखा से आन-लाइन सम्पर्क द्वारा जोड़ गया है। इन एटीएम की सूची निम्नलिखित है:

1. आदर्शनगर, अकोला
2. अकोला
3. अम्बाजरी

4. अमरावती

5. अमरावती कैम्प

6. अवलपुर

7. बल्लारपुर

8. बुल्डाना

9. सेन्ट्रल एवेन्यू रोड

10. चन्द्रपुर

11. छावनी

12. दत्ता चौक, यवतमाल

13. गोंदिया

14. गोपाल नगर

15. खामगांव

16. कोराडी

17. महल

18. मलकापुर

19. पीबीबी, रामदासपेठ

20. पीबीबी वर्धमान नगर

21. रविनगर

22. शास्त्री नगर

23. वायुसेना नगर

24. वरोरा

25. यवतमाल

नागपुर रेलवे स्टेशन एवं नागपुर मुख्य शाखा को एटीएम से जल्द ही भारतीय स्टेट बैंक की अखिल भारतीय एटीएम नेटवर्क से जोड़ दिए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

दिल्ली हाट

677. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि दिल्ली हाट का निर्माण मौलिक दस्तकारी की वस्तुओं की बिक्री के लिए किया गया था, यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या कुछ व्यवसायियों ने दिल्ली हाट में अपनी दुकानें लगा रखी हैं और इससे मौलिक दस्तकार अपनी वस्तुओं की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे व्यवसायियों की पहचान की है जिन्होंने दस्तकारों से स्टालें हथिया ली हैं और उन्होंने जाली पहचान के आधार पर पारियों में अपनी दुकानें लगा रखी हैं;

(घ) यदि इस संबंध में कोई जांच कराई गई है तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां। केवल मौलिक दस्तकार/बुनकर दिल्ली हाट में भाग लेने हेतु नामांकित किए जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में बच्चों को नशीला तत्व खिलाकर दफनाना

678. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तमिलनाडु में व्याप्त दिल दहला देने वाली परम्परा की ओर दिलाया है जिससे सौ से ज्यादा बच्चों को नशीला तत्व खिलाकर कुछ सेकण्डों के लिए दफना दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस तरह की प्रथाएं रोकने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिससे कि देश और विश्व में लाखों हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार को जानकारी है कि बच्चों को अस्थायी रूप से दफनाने संबंधी धार्मिक कृत्य

दिनांक 21.8.2002 को पेरियूर शहर और तालुक, जिला मदुरै, तमिलनाडु के अरूलमिगु मुथूकुजी मरियम्मन मंदिर में हुआ। मंदिर जहां यह धार्मिक कृत्य किया गया, हिन्दु धार्मिक एवं दातव्य धर्मदाय प्रशासन विभाग के नियंत्रण में नहीं है। इसका प्रशासन पंडियाकुला वेल्लालर समुदाय के 16 व्यक्तियों की समिति द्वारा किया जा रहा है। यह धार्मिक कार्य पंडियाकुला वेल्लालर समुदाय द्वारा गत 200 वर्षों से अधिक समय से 5 से 7 वर्षों में एक बार अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के रूप में किया जाता है जब बच्चा प्राप्त करने के लिए अरूलमिगु मुथूकुझी मरियम्मन की प्रार्थना पूरी की जाती है। वे मानते हैं कि बच्चा मुथूकुझी मरियम्मन द्वारा दिया गया वरदान है और अपनी इच्छा से बच्चे को कुछ सेकेण्ड के लिए एक फुट से कम गहरे गड्ढों में दफना देते हैं। तमिलनाडु सरकार ने इस घिनौनी प्रथा का संज्ञान लिया है और इलाके में व्याप्त रीतिरिवाज के नाम पर पूजा स्थलों में ऐसी प्रथाओं पर रोक लगाते हुए कानून बनाया है।

वस्त्र परियोजनाएं

679. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार से कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त परियोजनाएं जिसमें पहले से स्वीकृत परियोजना भी शामिल है की वर्तमान स्थिति क्या है उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनका कब तक निपटान कर दिया जायेगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राजस्थान से संबंधित परियोजनाएं

	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या (2001-02 के दौरान)	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	जारी की गई राशि (लाख रु. में)	टिप्पणी
हथकरघा क्षेत्र	05	78.92	38.71	राजस्थान सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता या समान शेयर मांगने के कारण शेष राशि को जारी नहीं किया गया है।
हस्तशिल्प क्षेत्र	17	21.228	8.964	इसके अतिरिक्त, जोधपुर में शहरी हॉट की स्थापना के लिए 2 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है। बाकी राशि कार्यान्वयन-अभिकरणों द्वारा औपचारिक कार्रवाई पूर्ण होने पर जारी कर दी जाएगी।
ऊन क्षेत्र	46*	574.75	574.25	अभी कुल 14 परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में आयोजित केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक में दिए गए सुझावों के आधार पर परियाजनाओं को पुनः प्रस्तुत करने को कहा है।

* यह वर्ष 1994-95 से प्राप्त प्रस्तावों को दर्शाने वाली संख्या है, जब केन्द्रीय ऊन बोर्ड ने देश में भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रमों का संचालन शुरू किया था।
नोट : भेड़ व ऊन विकास परियोजना के विषय में राज्य सरकार ने स्वीकृत राशि का लगभग 74 प्रतिशत उपयोग किया।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

680. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज तक हुई वास्तविक प्रगति का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई परियोजना वापिस ली गई है या अधूरी रह गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश और बिहार में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के परियोजना-वार ब्यौरे, उनकी प्रगति सहित, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) नीदरलैण्ड्स, की सरकार द्वारा वित्त-पोषित "उत्तर प्रदेश की ऊसर भूमि सुधार" परियोजना दोहरेपन से बचने के लिए मई, 2001 में वापस ले ली गई थीं क्योंकि उत्तर-परदेश में विश्व बैंक और यूरोपीय कमीशन की सहायता से इसी प्रकार की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही थीं।

विवरण

उत्तर प्रदेश और बिहार में विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

31.10.2002 की स्थिति के अनुसार — ऋण/अनुदान राशि मिलियन में

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ऋण/अनुदान की राशि		संवितरण की अंतिम तिथि	उपयोग
		मुद्रा	राशि		
1	2	3		4	5
	उत्तर प्रदेश				
	ऋण				
फ्रांस					
1.	एसजीपीजीआईएमएस—चिकित्सा उपस्कर की आपूर्ति एवं सस्थापना 25-01-98	फ्रांसीसी फ्रांक		31/08/02	4.42
जापान					
2.	अन्नपारा बी ताप विद्युत दिनांक 24-1-1994	जा.येम		11/9/02	17425.99
ओपेक					
3.	बस्ती जिला अस्पताल दि. 4-5-1990	अम. डालर	6.50	30/6/00	5.90
आईबीआरडी					
4.	उ.प्र. विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना दि. 19.5.2000	अम. डालर	150.00	31/12/04	92.27

1	2	3	4	5	
	आईडीए				
5.	उ.प्र. स्वास्थ्य प्रणाली विकास दि. 19-5-2000	एसडीआर	82.10	31/12/05	3.93
6.	उत्तर प्रदेश लवणयुक्त भूमि सुधार परियोजना-2 दिनांक 4-2-1999	एसडीआर	141.70	30/9/05	48.51
7.	उत्तर प्रदेश जलक्षेत्र पुनर्संरचना	एसडीआर	117.00	30/4/07	4.01
	अनुदान				
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
1.	उ.प्र. में संकरी घाटी स्थिरीकरण दि. 17-4-1997	यूरो	7.90	31/12/04	0.06
	यूनाइटेड किंगडम				
2.	पश्चिमी भारत वर्षा पोषित कृषि दि. 21-4-1999	जीबीपी	-	31/3/06	1.92
	नीदरलैण्ड्स				
3.	उ.प्र. उप परियोजना-VI दि. 16-10-1990	यूरो	10.98	30/6/01	8.33
4.	ग्रामीण जलापूर्ति उ.प्र. उप परियोजना-VIII दि. 20-8-1994	यूरो	11.56	31/12/01	9.51
5.	बुन्देलखण्ड समेकित जल दि. 12-6-1996	यूरो	1.27	30/6/02	0.61
6.	गंगा कार्य योजना सहायता दि. 23/7/1997	यूरो	23.25	31/3/02	6.43
	बिहार				
	अनुदान				
1.	ग्रामीण उद्योगों के लिए ऊर्जा सेवाएं दि. 13-10-99	अम. डालर	0.60	30/9/02	0.15

[अनुवाद]

प. बंगाल में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं

681. श्री प्रबोध पण्डा : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प. बंगाल की कुछ परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता द्वारा जलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजना को विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक परियोजना द्वारा अब तक प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना के पूर्ण होने का समय क्या निर्धारित किया गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) दिनांक 18.4.96 से पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक और पंजाब में विश्व बैंक की सहायता से द्वितीय राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना नामक एक बहु-राज्यीय परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त परियोजना के लिए सहायता की कुल राशि 350 मिलियन अमरीकी डालर है। अब तक 245.47 मिलियन

अमरीकी डालर राशि संवितरित की जा चुकी है। यह परियोजना दिनांक 31.3.2004 को पूरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

कम्पनियों द्वारा आयकर का भुगतान न करना

682. श्री सुबोध राय : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कम्पनियों की पहचान कर ली है जिन्होंने 2001-02 में आयकर का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उपरोक्त अवधि में आयकर का भुगतान नहीं किया है; और

(ग) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) विवरणी दायर करने अथवा आयकर का भुगतान करने में चूक करने वाली कम्पनियों की पहचान आयकर विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर की जाती है। ऐसी चूकों के लिए सांविधिक उपबंधों और प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) ऐसी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। सम्पूर्ण देश में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों से वांछित सूचना को एकत्र एवं समेकित करने में पर्याप्त समय एवं प्रयास अन्तर्ग्रस्त होगा, जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

कर्नाटक को धनराशि

683. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से एक बारगी वित्तीय अनुदान की मांग की है जो कि राज्य सरकार के लिए सहकारिता के संगठनात्मक, संरचनात्मक और व्यवस्थित पहलुओं के संबंध में एक समिति द्वारा सुझायी गई शर्तों के पालन हेतु प्रोत्साहन का काम करेगी;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार को अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) राज्य सहकारी ऋण व्यवस्था में सुधार में इसका किस सीमा तक उपयोग किया गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) सहकारी ऋण ढांचे को पुन: स्थापित करने के लिए संघ सरकार को 742.60 करोड़ रुपए की मंजूरी हेतु कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वर्ष 2002-2003 के संघीय बजट में घोषित सहकारी संस्थाओं के पुनर्वास की योजना तैयार होते ही इस प्रस्ताव पर निर्णय ले लिया जाएगा।

आयरलैंड के व्यापार मंत्री की भारत यात्रा

684. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में आयरलैंड के व्यापार मंत्री ने 27 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन की स्थिति क्या है;

(घ) क्या निकट भविष्य में दोनों देशों द्वारा व्यापार के नये क्षेत्रों की पहचान की जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) दोनों देशों के बीच सहभागिता के नये क्षेत्रों की पहचान के बाद व्यापार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(छ) क्या आयरलैंड ने किसी ऐसी वस्तु के आयात में रुचि दिखाई है जो अब तक उसे निर्यात नहीं की जाती थी; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ज) आयरलैण्ड के व्यापार एवं वाणिज्य राज्य मंत्री ने अक्तूबर, 2002 में आयरलैण्ड के व्यापार शिष्टमण्डल के साथ भारत का दौरा किया था। शिष्टमण्डल के सदस्यों में शिक्षा, साफ्टवेयर/आईटी, बायोटेक्नोलॉजी तथा औद्योगिक क्षेत्रों के

प्रतिनिधि शामिल थे, जो द्विपक्षीय आर्थिक संबधों हेतु प्राथमिकताओं का संकेत है। भारतीय पक्ष के साथ परस्पर बातचीत के दौरान आईटी क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन, बायोटेक तथा जानकारी पर आधारित अन्य उद्योगों पर द्विपक्षीय व्यापार हेतु संभाव्य विकास क्षेत्रों के रूप में विचार किया गया।

भारत के पक्ष में 16.95 मिलियन अमरीकी डालर के धनात्मक व्यापार शेष के साथ भारत-आयरलैण्ड का वार्षिक व्यापार (2001-2002) 186.81 मिलियन अमरीकी डालर का है। ऐसी द्विपक्षीय परस्पर वार्ताओं से दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना सुविधाजनक होगा।

सिक्कों का आयात

685. **श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम मूल्य के सिक्के जैसे 1 रु., 2 रु. और 5 रु. जैसे सिक्कों की देश में चल रही किल्लत को देखते हुए इसके आयात का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य वर्ग वार और मूल्यवार इन सिक्कों का किन-किन देशों से आयात का प्रस्ताव है;

(ग) प्रत्येक मूल्य वर्ग में कितनी मात्रा में सिक्कों का आयात किया गया है; और

(घ) इन सिक्कों को भारत में न ढालने के क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और आवश्यकता मूल्यवर्ग वार ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। सरकार सिक्कों के आयात के लिए भूमण्डलीय निविदा जारी करेगी और देशों के नामों की जानकारी निविदा की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही होगी।

(ग) सरकार ने देश में सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए 1997-98 से 1 रुपए (2450 मिलियन अदद) 2 रुपए (1650 मिलियन अदद) और 5 रु. (1400 मिलियन अदद) के मूल्यवर्ग में रुपए के सिक्कों का आयात किया है।

(घ) भारत में रुपए के सिक्कों की ढलाई, कोलकता, हैदराबाद, मुम्बई और नोएडा स्थित चार भारत सरकार टकसालों में की जाती है। इन चारों भारत सरकार टकसालों की संयुक्त क्षमता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिक्कों की अनुमानित वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए कम है। मांग एवं स्वदेशी आपूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए आयातों का सहारा लिया जाता है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्ग को शामिल करना

686. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन राज्यों की पिछड़ा वर्ग की सूची में केलाल, कलकर और .कलार जातियों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या इन जातियों को गुजरात और आंध्र प्रदेश की पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन जातियों को इन राज्यों में पिछड़े वर्ग की मान्यता देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) बिहार (करूवार, कलाल के रूप में), दिल्ली (कलवार के रूप में), गुजरात (कलाल के रूप में) मध्य प्रदेश (कलाल, कलार के रूप में), महाराष्ट्र (कलाल, कलार के रूप में), उड़ीसा (कलवार के रूप में), राजस्थान (कलाल के रूप में), उत्तर प्रदेश (कलाल, कलवार, कलार के रूप में) तथा पश्चिम बंगाल (कलवार के रूप में) राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में .कलाल, कलवार तथा कलार जाति/समुदाय शामिल किए गए हैं। तथापि, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सूची में जातियों/समुदायों को शामिल करने संबंधी मामले संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निपटाए जाते हैं तथा प्रत्येक राज्य द्वारा एक अलग सूची प्रकाशित की जाती है।

(ख) से (ङ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है गुजरात के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में कलाल समुदाय को राजपत्र अधिसूचना संख्या 270 दिनांक 6.12.1999 के अनुसार शामिल किया गया है। जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है, कलाल, कलवार तथा कलार को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्दीय सूची में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आंध्र प्रदेश के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया है कि

राज्य में यह सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जाति/समुदाय नहीं है।

जनजातीय महिलाओं का उत्थान

687. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए 11 अप्रैल, 2002 को जनजातीय महिला अधिकारिता योजना प्रारंभ की गई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त योजना की अब तक क्या उपलब्धियां रहीं ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली अनुसूचित जनजातीय महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए अप्रैल, 2002 को "आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना" (आमसयो) नामक एक नई योजना आरंभ की है।

(ख)

I. आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के ब्यौरे निम्नलिखित हैं-

(1) इकाई लागत:

प्रति इकाई 50,000 रुपए तक की लागत वाली योजनाओं/परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम सावधिक ऋण उपलब्ध कराता है।

(2) सहायता की मात्रा:

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम योजनाओं/परियोजनाओं की लागत के 90% तक का सावधिक ऋण उपलब्ध कराता है। शेष राशि सब्सिडी/प्रमोटरों के योगदान से वहन की जाती है।

(3) ब्याज दर:

अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) से प्रतिवर्ष अधिकतम 4% की दर पर ब्याज वसूल कर सकता है।

(4) अदायगी की अवधि:

एक उपयुक्त विलम्बन अवधि सहित अधिकतम 10 वर्षों की अवधि में तिमाही/अर्ध-वार्षिक किस्तों में।

II. *उपलब्धियां:*

योजना को आरंभ करते वक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों की चैनेलाइजिंग एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 105 अनुसूचित जनजातीय महिला लाभभोगियों की सहायता के लिए 35.90 लाख के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के शेयर सहित, 31.10.2002 तक दो योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

चीनी कोटे को जारी करना

688. श्री जय प्रकाश : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अक्तूबर, दिसंबर 2002 तिमाही का चीनी कोटा जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को आवंटित मात्रा का राज्यवार और मात्रावार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने का मामला किस चरण में है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में लिये गये प्रभावी कदम कौन-कौन से हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) अक्तूबर-दिसम्बर, 2002 की तिमाही के लिए खुली बिक्री की चीनी का कोटा सितम्बर, 2002 माह में निम्नानुसार घोषित किया गया था :

अक्तूबर, 2002	-	11.50 लाख टन
नवम्बर, 2002	-	10.50 लाख टन
दिसम्बर, 2002	-	10.00 लाख टन

अक्तूबर, 2002 तथा नवम्बर, 2002 के महीनों के लिए खुली बिक्री की चीनी के कोटों का राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। दिसम्बर, 2002 माह के लिए खुली बिक्री की चीनी के कोटे का आवंटन नवम्बर, 2002 के अंत में किया जाएगा जिसकी वैधता अवधि 1 दिसम्बर, 2002 से 31 दिसम्बर, 2002 तक होगी।

(घ) और (ङ) चीनी उद्योग के विनियंत्रण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। विनियंत्रण की प्रक्रिया इस ढंग से प्रभावी करने की आवश्यकता है ताकि मूल्यों सहित अस्थिरता से बचा जा सके तथा इसके साथ-साथ दीर्घकालीन मूल्य स्थिरीकरण के हित में चीनी के लिए फारवर्ड/फ्यूचर्स बाजार की स्थापना करने जैसे उपाय करने होंगे। अनिवार्य लेवी प्रतिशतता 1.1.2000 से 40% से घटाकर 30%, 1.2.2001 से 30% से घटाकर 15% बाद में 1.3.2002 से 15% से घटाकर 10% कर दी गई है।

चीनी का विनियंत्रण चीनी में फ्यूचर्स/फारवर्ड व्यापार के प्रचालन से सम्बद्ध है। मई, 2001 में अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें चीनी में फ्यूचर्स/फारवर्ड व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। नवम्बर, 2001 में, तीन प्रस्तावित एक्सचेंजों-मुंबई में दो तथा हैदराबाद में एक को सिद्धांत रूप में स्वीकृति दी गई थी। एक एक्सचेंज दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया है। अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन, चीनी में फ्यूचर व्यापार करने के लिए तीन एक्सचेंजों में से एक एक्सचेंज को 20.6.2002 के पांच साल की अवधि के लिए मान्यता दी गई है।

विवरण

अक्तूबर, 2002 तथा नवम्बर, 2002 के महीनों के लिए खुली बिक्री की चीनी के कोटे का राज्यवार आवंटन

(मात्रा मी.टन में)

क्रम सं.	राज्य	अक्तूबर, 2002 के लिए आवंटन	नवम्बर, 2002 के लिए आवंटन
1	2	3	4
1.	पंजाब	35191.5	31797.6
2.	हरियाणा	29923.1	26951.2
3.	राजस्थान	341.8	274.7
4.	उत्तर प्रदेश	311661.9	285447.4
5.	मध्य प्रदेश	4635.2	4245.2
6.	गुजरात	68480.8	61099.3
7.	महाराष्ट्र	378232.4	341580.4
8.	बिहार	19477.8	17746.8
9.	असम	0.0	0.0
10.	उड़ीसा	1509.9	1344.5
11.	पश्चिमी बंगाल	30.2	26.8
12.	आंध्र प्रदेश	66375.7	60560.2
13.	कर्नाटक	102400.9	98101.1
14.	तमिलनाडु	128684.7	118067.0
15.	पांडिचेरी	2387.5	2186.7
16.	केरल	240.3	220.1
17.	गोवा	426.0	351.7
	कुल	1149999.7	1050000.7

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास परिषद (यू.एन.आई.डी.ओ.) और पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.आर) के बीच सहयोग

689. श्री एम.के. सुब्बा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूएनआईडीओ (संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास परिषद) ने पूर्वोत्तर परिषद के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यात संवर्धन क्षेत्रों का विकास करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्यात संवर्धन क्षेत्रों की संख्या, लागत और स्थान तथा उन क्षेत्रों के स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के स्वरूप को दर्शाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

निपटान आयोग का कार्यकरण

690. **श्री ए. नरेन्द्र : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांछित परिणाम प्राप्त न कर पाने के कारण निपटान आयोग और आयकर महानिदेशक (छूट) की स्थापना करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारणों सहित इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इन दोनों संस्थानों को पुन: सक्रिय करने के लिए कदम उटाए जा रहे हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एमएमटीसी द्वारा सोने का व्यापार

691. **श्री अनन्त नायक : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमएमटीसी ने अपने क्रियाकलापों के विविधीकरण के एक हिस्से के रूप में सोने के व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो एमएमटीसी के क्रियाकलापों के विविधीकरण के पश्चात, विभिन्न देशों से कितनी राशि का सोना आयात और निर्यात किया गया और किस रूप में; और

(ग) तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) एएटीसी द्वारा वर्ष 1985-86 से सोने चांदी का व्यापार किया जा रहा है। वर्ष 1988 के दौरान एमएमटीसी को भारत सरकार द्वारा सोने-चांदी के आयात एवं निर्यातोन्मुख एकक/ निर्यात संसाधन जोन को आपूर्ति हेतु नोडल एजेंसियों में से एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया था।

(ख) और (ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान सोने-चांदी के आयात और जड़ाऊ आभूषणों के स्वरूप में निर्यात से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं :-

(मूल्य मिली. रु. में)

वर्ष	आभूषणों के स्वरूप/हीरों/रत्नों में निर्यात*	आयात
2001-2002	276.70	48396.75
2000-01	188.00	29418.00
1999-00	79.00	25561.00
1998-99	203.00	26519.00
1997-98	416.00	21146.00

स्रोत : एमएमटीसी की वार्षिक रिपोर्ट

* इसमें एमएमटीसी द्वारा बुक किए गए निर्यात दर्शाए गए है जिनमें घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निर्यातोन्मुख एककों/एककों द्वारा किए गए निर्यात शामिल नहीं है।

पेटेंट प्रणाली

692. **श्री सईदुज्जमा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पेटेंट अधिनियम में पेटेंट कानून अस्पष्ट हैं जिससे पेटेंट प्रणाली बहुत जटिल बन जाती है और विवाद प्रवण बन जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या औषधि विनिर्माता बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्वदेशी विनिर्माताओं से प्रतिस्पर्धा करने के डरी हुई है जिससे देश में विनिर्माताओं की समस्या में वृद्धि हुई है और उपभोक्ताओं के लिए खुदरा मूल्यों में भी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। उभरते हुए मुद्दों के अनुरूप भारतीय पेटेन्ट कानून को समय-समय पर अद्यतन/संशोधित किया जाता रहा है। पेटेंट कानून जो कि 1911 से अस्तित्व में है, 1970 में पर्याप्त रूप से संशोधित किया गया था तथा 1999 और 2002 में इसमें और संशोधन किया गया। पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 न केवल भारत के अन्तरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करता है बल्कि अनेक प्रक्रियात्मक तथा संकल्पनात्मक पक्षों को भी सरल/ युक्तिसंगत बनाता है।

(ग) से (ङ) चूंकि पेटेंट संरक्षण अनुसंधान व विकास गहन कंपनियों, विशेषत; भेषज कंपनियों की विपणन संबंधी रणनीतियों का एक अंग है, इसलिए भारतीय कानून में पेटेंट संरक्षण का मानक/रूप/स्तर लगातार वाद विवाद/चर्चा का विषय रहा है। तथापि, भारतीय पेटेंट कानून, जैसा कि हाल ही में संशोधित किया गया है, इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करता है कि भेषज सहित पेटेंटीकृत अविष्कार जनता को उचित रूप में कम मूल्यों में पर उपलब्ध हों। जनहित में पेटेंट के निरस्तीकरण पेटेंटों के अनिवार्य लाइसेंसीकरण, सरकार के प्रयोजनों के लिए अविष्कारों के प्रयोग, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अविष्कार और पेटेंट के अधिग्रहण, समानांतर आयात आदि से संबंधित उपबंधों के जरिये पेटेंट कानून में इस मुद्दे का निवारण किया गया है। संक्षेप में भारतीय पेटेंट कानून में ऐसे उपबंध हैं जिनसे राष्ट्रीय तथा जनहित की जरूरतों/चिन्ताओं पर, विशेषत: उन पर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित हों, उपयुक्त, समय पर और दक्षता से प्रतिक्रिया की जा सकती है।

सहकारी बैंकों की ब्याज दरें

693. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों को अपनी बचत जमा राशियों की ब्याज दरों को नियंत्रित/सीमित करने की निदेश दिया है;

(ख) क्या सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में उच्च ब्याज दर प्रदान करते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों को क्या निदेश दिए हैं; और

(घ) उन निदेशों का सहकारी बैंकों की जमा राशियों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) राज्य/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अक्तूबर 1994 से बचत जमाराशियों सहित जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के आलोक में कई सहकारी बैंक अपेक्षाकृत ऊंची ब्याज दरें प्रदान कर रहे हैं। तथापि, वर्ष 2002-2003 संबंधी मौद्रिक एवं ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा के क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों से कहा है कि वे बचत बैंक खातों पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देय ब्याज से अधिक ब्याज का भुगतान न करें। इसके अतिरिक्त, सहकारी बैंकों को चालू खातों पर ब्याज का भुगतान न करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

(घ) यह उम्मीद की जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों से सहकारी बैंकों की निधियों की लागत में कमी आएगी जिससे उनकी लाभप्रदता में वृद्धि होगी।

उड़ीसा को विश्व बैंक की सहायता

694. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास कार्य के लिए विश्व बैंक द्वारा उड़ीसा के किन-किन शहरों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई राशि पर कितने ब्याज का भुगतान किया जाता है;

(ग) इन शर्तों पर यह सहायता प्राप्त की गई है;

(घ) अत तक प्राप्त की गई राशि से उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शुरू किए गए कार्यों के कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जाली स्टैंप पेपर

695. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सरकार के पास स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन अधिनियम में संशोधन करने और सादे कागज पर संपत्ति के पंजीकरण तथा नकद शुल्क जमा कराने की अनुमति देने संबंधी आदेश जारी करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) कर्नाटक सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डिलिस्टिंग पैनल की सिफारिशें

696. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने केंद्रीय सूचीयन प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए डिलिस्टिंग पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डिलिस्टिंग पैनल द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक सिफारिश पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से सूचित किया है कि सेबी बोर्ड ने केंद्रीय सूचीयन प्राधिकरण की स्थापना के लिए डिलिस्टिंग समिति की अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श किया है और स्वीकृति प्रदान कर दी है।

केंद्रीय सूचीयन प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए अनुशंसाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क. सूचीयन आवेदनों की जांच में उचित कर्मिष्ठता का पालन करने में एकरूपता लाने के लिए केंद्रीय सूचीयन प्राधिकरण (सीएलए) के रूप में नामोदिष्ट एक अलग एजेंसी का गठन किया जाए;

* सीएलए की आरंभिक भूमिका समय-समय पर सूचीयन करार की जांच-पड़ताल और सूचीयन करार के उपबंधों की समीक्षा तक सीमित की जाए;

* यह सेबी पर निर्भर करेगा कि बाद की तारीख में सूचियन करार के अनुपालन और अनुवीक्षण को शामिल करने के लिए सीएलए के कार्यक्षेत्र का विस्तार करे;

* सेबी द्वारा सीएलए का समुचित रूप से सशक्तिकरण किया जायेगा;

* नई प्रतिभूतियों का सूचियन चाहने वाली कंपनी सूचीयन हेतु निर्धारित फार्म में पहले सीएलए को आवेदन प्रस्तुत करेगी। सीएलए आवेदन प्रस्तुति के 30 दिन के भीतर अपनी राय देगा। सीएलए का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात कंपनी सीएलए के अनुमोदन-पत्र के साथ किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगी। स्टॉक एक्सचेंज अपने सूचीयन मानदंड के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से यह निर्णय लेगा कि इस प्रतिभूति का सूचीयन किया जाए अथवा नहीं और यदि वह प्रतिभूति का सूचीयन नहीं करता तो लिखित में इसके कारण बताएगा। स्टॉक एक्सचेंज प्रयोज्य विनियमों के तहत पहले से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना निर्णय संसूचित करेगा। स्टाक एक्सचेंज का निर्णय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील के लिए अर्हक होगा;

* सीएलए के सदस्यों की संख्या 11 से अधिक नहीं होनी चाहिए और सीएलए का चयन न्यायपालिका, वकीलों और प्रतिभूति बाजार विनियमों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों, वित्तीय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और निवेशक संघों में से किया जाएगा। सीएलए के 4 सदस्य सदैव स्टाक एक्सचेंजों से लिए जाने चाहिए जो सीएलए को सूचीयन हेतु आवेदनों की जांच के क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव प्रदान करेंगे;

* कोरम 4 सदस्यों का होगा। स्टॉक एक्सचेंजों, जहां कंपनी द्वारा सूचीयन मांगा जाएगा, के प्रतिनिधि सीएलए के कोरम का हिस्सा नहीं बनेंगे। किसी सूचीयन आवेदन के अनुमोदन की स्वीकृति के समय उपस्थित सदस्यों में से 50 प्रतिशत स्टॉक एक्सचेंज-भिन्न सदस्य होने चाहिए।

* सेबी सीएलए के सदस्यों के लिए नामों का पैनल बनाएगा;

* एक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि का होगा जब तक वह सदस्य किस कारण से आयोग्य न पाया जाए या उस सदस्य ने स्वयं हटने के लिए इच्छा न प्रकट की हो। किसी भी सदस्य को प्रत्येक 3 वर्ष के दो कार्यकालों के बाद पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी;

* सीएलए को कुशलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए इसका स्थायी सचिवालय होना चाहिए जिसकी व्यवस्था स्टॉक एक्सचेंजों/सेबी द्वारा की जाएगी जो सीएलए में कार्मिक तैनात करेंगे ताकि सीएलए आवेदनों का विश्लेषण व जांच, बैठकों का आयोजन आदि कर सके;

* सीएलए सेबी के प्रति जबाबदेह होगा और सेबी को एक विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अपने क्रियाकलापों की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

* सेबी रिपोर्टों के आधार पर सीएलए के निष्पादन तथा कार्यकरण की आवधिक समीक्षा करेगा तथा जब और जैसे आवश्यक हो, सीएलए का पुनर्गठन करेगा;

ख. 2 वर्षों की शीतलन अवधि के साथ स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा असूचीकृ प्रतिभूतियों का पुन:स्थापन अनुज्ञेय किया जाएगा। यह सूचीयन के लिए आवेदन करने के समय सूचीयन के लिए संबंधित मानदंडों/कसौटियों पर आधारित होगा तथा आवेदन-पत्र की आरंभिक संवीक्षा सीएलए द्वारा की जाएगी;

(ग) समिति की कुछ अन्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :-

* प्रतिभूतियों के असूचीकरण के विरुद्ध कोई विवर्जन नहीं होना चाहिए बशर्ते कि कंपनी की प्रतिभूतियां किसी स्टॉक एक्सचेंज में 3 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए सूचीबद्ध रही हों;

* असूचीकरण के लिए कंपनियों की किसी श्रेणी के विरुद्ध कोई चुनिन्दा प्रतिबंध या भेदभाव नहीं होना चाहिए। तथापि कंपनियों द्वारा किसी दुरुपयोग को रोकने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेशक हितों का सदैव संरक्षण हो, विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी;

* शेयरों या स्कीम या व्यवस्था, इसे जो भी नाम दिया जाए, का कोई अधिग्रहण जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूतियों का असूचीकरण हो, किसी सेबी विनिमय, परिपत्र या दिशानिर्देश के संगत उपबंधों तथा सूचीकरण करार के उपबंधों के अनुपालन में होगा ताकि निवेशक हित का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके;

* सेबी को एक बार पुन: स्पष्ट करना चाहिए कि किसी कंपनी को असूचीकृत करने के लिए कोई कंपनी वापस खरीद उपबंध का उपयोग नहीं कर सकती।

* ऐसे व्यापक उपबंध होने चाहिए जिनमें कंपनियों की प्रतिभूतियों के असूचीकरण के संपूर्ण विषय को शासित करने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हों तथा इनमें वे मामले शामिल होने चाहिए जिसमें कंपनियां स्वयं सभी या कुछ स्टॉक एक्सचेंजों से अपनी प्रतिभूतियों के असूचीकरण का प्रयास करती है तथा साथ ही वे मामले शामिल होने चाहिए जहां स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी की प्रतिभूतियों का अनिवार्य असूचीकरण कर सकते हैं;

* असूचीकरण के लिए व्यापक प्रावधान उन मामलों में प्रयोज्य होंगे जहां प्रबंध व्यवस्था को नियंत्रित करने वाला कोई व्यक्ति किसी कंपनी में अपनी धरिताओं के समेकन का इस तरीके से प्रयास करे जिसके परिणामस्वरूप कंपनी असूचीकृत हो जाए, अथवा इन मामलों में प्रयोज्य होंगे जहां अधिग्रहण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक धारिता (गैर-प्रवर्तक) निर्धारित आरंभिक सीमा से कम हो जाए;

* असूचीकरण के लिए निकास कीमत बही निर्माण प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए;

* किसी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनी को अपने शेयरधारकों को कोई निकासी पेशकश किए बिना उस स्टॉफ एक्सचेंज से असूचीकरण करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि कंपनी की प्रतिभूतियां बीएसई या एनएसई में सूचीबद्ध हैं जिनकी राष्ट्रव्यापी पहुंच हैं क्योंकि कंपनी की प्रतिभूतियां उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध रहना जारी रहेंगी जिनकी राष्ट्रव्यापी पहुंच है, निवेशकों के हित बाधित नहीं होंगे तथा इसलिए उनके लिए किसी अतिरिक्त निकासी मार्ग की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी;

* शेष सभी मामलों में अर्थात जब कोई कंपनी, जो बीएसई अथवा एनएसई से भिन्न किसी स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है असूचीकरण की मांग करती है, बही निर्माण प्रक्रिया के अनुसार शेयरधारकों को एक निकासी पेशकश की जानी चाहिए;

* विद्यमान कंपनियों के लिए किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध रहने की मात्र इसलिए अनिवार्यत: नहीं होनी चाहिए कि वह एक क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज है तथा कंपनियों के पास अपनी पसंद के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए;

* यदि किसी कंपनी के शेयर असूचीबद्ध किए जाते हैं, तब भी नियत आय प्रतिभूतियाँ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध रहेंगी। किन्तु यदि किसी कंपनी की कोई रूपांतरणीय लिखत बकाया है, तो उसे रूपांतरण विकल्पों का प्रयोग किए जाने तक अपने इक्विटी शेयर असूचीकृत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;

* स्टॉक एक्सचेंजों को उन कंपनियों को असूचीकृत करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए जिन्हें सूचीकरण करार के अनुपालन के लिए छः माह की न्यूनतम अवधि के लिए निलंबित किया गया है।

(घ) सेबी शेयरों के असूचीकरण तथा केन्द्रीय सूचीयन प्राधिकरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने में प्रक्रियारत है।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार

697. श्री जी.जे. जावीया : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय प्रणाली में ढांचागत सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) बैंक क्षेत्र सुधार संबंधी समिति (नरसिम्हम समिति-2) ने बैंकिग क्षेत्र में भविष्य में किए जाने वाले सुधारों का खाका (रोड मैप) प्रदान किया है। समिति की सिफारिशों पर आधारित वित्तीय/बैंकिंग क्षेत्र में और सुधार संबंधी मुख्य कार्य सूची (एजेंडा) निम्नानुसार है :-

* परिचालन में अपेक्षाकृत अधिक स्तायत्तता के साथ वित्तीय क्षेत्र का अविनियमन।

* बैंकिंग प्रणाली का समेकन और सार्वभौम (यूनिवर्सल) बैंकिग की ओर अभिमुखीकरण।

* सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों की पुनर्गठन।

* सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी इक्विटी को घटाकर 33 प्रतिशत तक करना।

* जोखिम प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक उपस्करों को अपनाना।

* पूंजी पर्याप्तता में अतिरिक्त वृद्धि।

* बाजार जोखिम के लिए पूंजी तथा जोखिम प्रबंधन हेतु वैज्ञानिक उपस्कर को अपनाना।

* विवेकपूर्ण मानदण्डों को कड़ा करना।

* अपेक्षाकृत अधिक प्रकटन।

* भारतीय बैंकिंग को आधुनिक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार।

* बैंकों की देयराशियों की शीघ्र वसूली के लिए अतिरिक्त कानूनी सुधार।

केरल में बधिरों के लिए मॉडल स्कूल

698. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल से बधिरों की शिक्षा के लिए मॉडल स्कूल की स्थापना संबंधी किसी परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय वाणी तथा श्रवण विकलांग संस्थान से विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत श्रवण विकलांगों की शिक्षा के लिए एक मॉडल स्कूल की स्थापना करने हेतु सहायता के लिए केरल राज्य सरकार के माध्यम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) प्रस्ताव योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं है। राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

सहकारी क्षेत्र के लिए पुनर्वास पैकेज

699. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु पुनर्वास पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए पहल की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कर्नाटक सरकार ने किसी वित्तीय पैकेज का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) चालू वर्ष के लिए बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार ने सहकारी ऋण क्षेत्र के लिए पुनर्वास पैकेज को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके क्रियान्वयन के तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं। इस बीच, कर्नाटक में सहकारी ऋण ढांचे के पुनर्वास के लिए 742.60 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सहकारी ऋण ढांचा के पुनर्वास की योजना, जो सरकार के विचाराधीन है, के अनुक्रम में इस प्रस्ताव की जांच की जानी आवश्यक होगी।

सूखे के कारण खाद्यान्न के निर्यात में ठहराव

700. **श्री बी. वेंकटेस्वरलु** : **क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान देश में कुल कितने खाद्यान्नों का निर्यात हुआ है;

(ख) क्या वर्तमान में देश में व्याप्त सूखे की स्थिति के चलते सरकार का खाद्यान्न का निर्यात रोकने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) वर्ष 2001-02 के दौरान निर्यातकों द्वारा निर्यात के लिए भारतीय खाद्य निगम से कुल 59.30 लाख टन खाद्यान्न का उठान किया गया।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

धान की खरीद

701. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी**
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक भारतीय खाद्य निगम और अन्य एजेंसियों द्वारा किसानों से वर्ष-वार और राज्य-वार, विशेषकर बिहार से कितनी मात्रा में धान की खरीद की गई;

(ख) क्या सूखे की वर्तमान स्थिति के कारण धान की खरीद में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम को राज्यों में और अधिक खरीद केन्द्र खोलने का निर्देश दिया गया है; और

(ङ) इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) खरीफ विपणन मौसम 1999-2000 से 2001-2002 तथा 2002-2003 (14.11.2002 तक) के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा की गई धान की राज्यवार वसूली बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2002-03 में 14.11.2002 तक 118.61 लाख टन धान की मात्रा वसूल की गई है, जबकि पिछले मौसम की तदनुरूपी अवधि के दौरान 110.33 लाख टन की वसूली की गई थी। बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2002-03 के दौरान राज्य में धान की आमद विलम्ब से होने के कारण वसूली अभी शुरू नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिया गया है कि बिहार में 60 और उड़ीसा में 20 नए केन्द्रों सहित विभिन्न राज्यों में धान वसूली के अतिरिक्त केन्द्र खोले।

विवरण

1999-2000 से 002-03 में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा धान की राज्य-वार वसूली

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000			2000-01			2001-02			2002-03*		
	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियाँ	जोड़	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियाँ	जोड़	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियाँ	जोड़	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियाँ	जोड़
आन्ध्र प्रदेश				56	374	430	74	230	303	1	-	1
अरूणाचल प्रदेश												
असम												
बिहार	1		1	12	17	29	15	118	133			
चण्डीगढ़	17		17	24		24						
छत्तीसगढ़					524	524		1886	1886			
दिल्ली												
गुजरात												
हरियाणा	81	267	348	158	1204	1363	195	1381	1575	112	1399	1511
हिमाचल प्रदेश				1		1	नगण्य		नगण्य			
जम्मू-कश्मीर												
कर्नाटक					1	1		नगण्य	नगण्य			
मध्य प्रदेश		467	467		119	119	37	228	266			
महाराष्ट्र	नगण्य		नगण्य		32	32		148	148	-	1	1
उड़ीसा												
पाण्डिचेरी												
पंजाब	2416	5855	8270	2783	5846	8629	2387	7047	9434	2599	7705	10304
राजस्थान	24		24	31		31	17		17	37		37
तमिलनाडु		1372	1372		2530	2530		1272	1272			
उत्तर प्रदेश	नगण्य	62	62		540	540		895	895		7	7
उत्तरांचल					63	63		39	39			
पश्चिमी बंगाल												
जोड़	2539	8023	10561	3065	11250	14316	2725	13244	15968	2749	9112	11861

* 14.11.2002 की स्थिति के अनुसार

गुजरात में सहकारी बैंकों को बंद किया जाना

702. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में सहकारी बैंक बंद हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) यह कहना सही नहीं है कि गुजरात में सहकारी बैंक बन्द हो रहे हैं। तथापि, कुछ शहरी सहकारी बैंक माधवपुरा मर्केन्टाइल सहकारी बैंक लिमिटेड संकट के परिणामस्वरूप चल निधि के अत्यधिक अभाव का सामना कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उसने शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेनों की समीक्षा की है जिससे कुछ अनियमितताओं का पता चला है जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण करते हुए दलालों को ऋण सुविधाओं का विस्तार, अलग-अलग दलालों के माध्यम से लेनदेनों के लिए विवेकपूर्ण मानदण्डों का अतिक्रमण आदि। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण की प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें मांग मुद्रा बाजार में परिचालनों तथा शेयरों एवं डिवेंचरों के बदले बैंक वित्त पर उच्चतम सीमा निर्धारित करना, सरकारी प्रतिभूतियों में एस एल आर निवेशों का प्रतिशत बढ़ाना, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जनाराशियों पर दी गई ब्याज दर पर प्रतिबंध और अन्य शहरी सहकारी बैंकों के पास जमाराशि के रूप में निधियों का निवेश आदि शामिल है।

विश्व व्यापार संधि संबंधी राष्ट्रीय नीति

703. डा. वी. सरोजा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि-निर्यात और राजसहायता संबंधी वर्तमान विश्व व्यापार संधि के स्थान पर वार्ताओं के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी करार के अंतर्गत वर्तमान वार्ताओं में भारत की स्थिति और नीति राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों कृषक संघों, प्रतिष्ठित कृषि अर्थशास्त्रियों तथा अनुसंधान संस्थानों के साथ समय-समय पर सरकार द्वारा आयोजित व्यापक परामर्शों और मई, 2002 में सरकार द्वारा गठित कृषि संबंधी विशेषज्ञ दल की वार्ताओं पर आधारित है। इन परामर्शों में अन्य बातों के साथ-साथ भारत जैसे विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका की चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए वार्ताओं के दौरान हमारे कृषि उत्पादन और कृषकों के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता संबंधी विचारों को सामान्य तौर पर ध्यान में रखा जाता है जिसमें आयातों पर उचित स्तर का टैरिफ संरक्षण उपलब्ध कराया जाता है तथा हमारे निर्यात हित के उत्पादनों के लिए बाजार में अधिक पहुंच उपलब्ध कराई जाती है।

तम्बाकू उत्पादकों को लाइसेंस

704. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तम्बाकू बोर्ड ने उड़ीसा के रायगुड़ा जिले में तम्बाकू उगाने हेतु आंध्र प्रदेश के उन निवासियों को लाइसेंस जारी किये है जिनकी उस जिले में कोई भू-सम्पत्ति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उन उत्पादकों की संख्या कितनी है जिन्हें लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ग) क्या विभिन्न नामों से एक ही परिवार को कई लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 2002-2003 के लिए तम्बाकू उगाने हेतु मूलतः रायगुड़ा जिले के ही किसानों को लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(च) यदि हां, तो कितने किसानों को कितने भूमि क्षेत्र के लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(छ) क्या वर्ष 2003 से अर्थात् वर्तमान फसल की कटाई से रायगुड़ा में तम्बाकू नीलामी प्लेटफार्म खोलने हेतु कार्यवाई की गई है ताकि किसान निकटतम नीलामी प्लेटफार्म का लाभ उठा सकें;

(ज) क्या उड़ीसा के तम्बाकू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु रायगुड़ा से तम्बाकू बोर्ड के सदस्य को लेने का भी निर्णय लिया गया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) तम्बाकू बोर्ड द्वारा तम्बाकू बोर्ड अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के उपजकर्त्ताओं को पंजीकृत किया जाता है। अधिनियम और नियमों के तहत किसी उपजकर्त्ता के लिए पंजीकरण हेतु भू-सम्पत्ति का स्वामी होना अपेक्षित नहीं है। 2002-2003 के फसली मौसम में रायगढ़ जिले में 98 उपजकर्त्ताओं को पंजीकृत किया गया है।

(ग) और (घ) उपजकर्त्ताओं का अलग-अलग पंजीकरण किया जाता है।

(ङ) और (च) 2002-203 के फसली मौसम के दौरान वर्जीनिया तम्बाकू की खेती के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 228 हेक्टेयर भूमि पर 98 उपजकर्त्ताओं का पंजीकरण किया गया है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) जी, नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेशम का उत्पादन

705. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेशम के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस योजनावधि के दौरान उत्पादित रेशम की वास्तविक मात्रा क्या है;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कौन-सी योजना बनाई गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) और (ख) नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में, 20,666 मीट्रिक टन के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 17,351 मीट्रिक टन अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन किया गया था। ब्यौरा निम्नानुसार है :-

1.	शहतूती	-	15,842 मीट्रिक टन
2.	तसर	-	249 मीट्रिक टन
3.	ऐरी	-	1,160 मीट्रिक टन
4.	मूगा	-	100 मीट्रिक टन
	कुल	-	17,351 मीट्रिक टन

(ग) और (घ) दसवीं योजना अवधि में 2006-1007 तक 26,450 मीट्रिक टन के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन लक्ष्य में से 6,700 मीट्रिक टन उत्कृष्ट कोटि का द्विफसलीय शहतूती अपरिष्कृत रेशम है। इसकी प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्लान योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है :

1. अनुसंधान और विकास/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/प्रशिक्षण
2. बीज सहायता एवं तकनीकी सहायता/मानव संसाधन विकास
3. निम्नलिखित घटकों सहित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम:
   (1) शहतूती क्षेत्र
   (2) तसर क्षेत्र
   (3) ऐरी क्षेत्र
   (4) मूगा क्षेत्र
   (5) कोया-पश्चात क्षेत्र
   (6) उद्यम संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण
   (7) स्थानीय भाषाओं में विस्तार एवं प्रचार सामग्री
4. राज्यों के साथ विशिष्ट विशेष भागीदारी परियोजनाएं
5. आसूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें

6. गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रणालियां

7. यू.एम.डी.पी. सहायित फाईबर विकास कार्यक्रम।

[अनुवाद]

फलों का निर्यात

706. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुणवत्ता प्रदर्शित करने वाले किसी ब्रांड के नाम के साथ और भारत से निर्यात हेतु बनाई गई सर्वोत्तम वस्तुओं के साथ विश्व बाजार में उतरने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अपने को विश्व बाजार में प्रतियोगी और बाजारोन्मुख रखने हेतु आम, सेब, सन्तरा आदि जैसे फलों के निर्यात के लिए क्या प्रयास किये गये या किए जा रहे हैं; और

(घ) प्रयास किए जाने के बाद इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) सरकार इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड ट्रस्ट के अंतर्गत वित्तीय सहायता के जरिये विदेशी बाजारों में भारतीय कम्पनियों के अलग-अलग ब्रांड़ों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने के लिए इनका संवर्धन करने के प्रयासों में सहायता कर रही है।

(ग) सरकार विभिन्न स्कीमों जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, अतंर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर समेकित कारगो हैण्डलिंग और शीत भण्डारण सुविधाओं की स्थापना, बुनियादी ढांचा विकास, गुणवत्ता, अनुसंधान और विकास, पैकेजिंग और विपणन आदि के लिए सहायता प्रदान करना आदि के जरिये फलों के निर्यात को प्रोत्साहित कर रही है।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान ताजे फलों का सकल निर्यात इस प्रकार है :-

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपए में)
2000-2001	386.38
2001-2002	405.26
अप्रैल-जुलाई, 2002	168.20

(स्रोत डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता)

कल्याणकारी कार्यक्रमों हेतु केरल को धनराशि

707. **श्री सुरेश कुरूप :**
डा. मन्दा जगन्नाथ :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री जी.जे. जावीया :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु केरल को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का वास्तविक रूप से उपयोग किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) समग्र रूप से देश भर की कल्याण योजनाओं के लिए निधियां आबंटित की जाती हैं, किसी राज्य विशेष के लिए नहीं। किसी राज्य विशेष को निधियों की निर्मुक्ति राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों, बजट उपलब्धता तथा पूर्व की निर्मुक्तियों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। गत तीन वर्षों के दौरान, संलग्न विवरण के अनुसार केरल में विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां निर्मुक्त की गई।

(ख) और (ग) विगत वर्षों के दौराम निर्मुक्त राशि का उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

विवरण

केरल राज्य में विभिन्न योजनाओं को निधियों की निर्मुक्ति

(रु. लाख में)

क्रम सं.	योजना का नाम	निर्मुक्ति		
		1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
अनुसूचित जाति विकास				
1.	अनुसूचित जातियों से संबंधित विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता			
2.	अनुसूचित जातियों से संबंधित छात्रों को मैट्रिकोत्तर छातवृत्ति	554.87	301.90	938.16
3.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	7.00	0.00	0.00
4.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	11.10	13.92	40.00
5.	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टलों का निर्माण	0.00	0.00	4.00
6.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण	0.00	0.00	45.50
7.	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना	10.15	8.69	20.86
8.	अनुसूचित जाति विकास निगम	124.93	33.60	0.00
9.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	10.00	41.95	44.15
10.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन	0.00	0.00	4.50
11.	अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2.46	17.02	9.88
अन्य पिछड़ा वर्ग				
12.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग	0.00	0.00	4.09
अल्पसंख्यक				
13.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व-कोचिंग	16.46	9.08	9.01
विकलांग व्यक्तियों का कल्याण				
14.	विकलांगों को रोजगार	7.96	0.00	64.46
15.	विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	12.50	136.40	108.20

1	2	3	4	5
16.	विकलांग व्यक्तियों से संबंधित स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने संबंधी योजना	442.04	483.72	539.83
17.	सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना	28.00	19.00	57.45
समाज रक्षा				
18.	किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण	16.86	21.30	25.28
19.	मद्य निषेध तथा पदार्थ (नशीला दवा) दुरूपयोग निवारण संबंधी योजना	119.24	131.43	125.12
20.	बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना	14.00	4.52	7.68
21.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	13.66	9.72	8.77
22.	वृद्धाश्रमों का निर्माण	0.00	22.00	11.20
23.	देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने हेतु शिशुओं तथा छोटे बच्चों के लिए गृहों को सहायता	6.98	4.49	8.70

[हिन्दी]

नेपाल से साबुन का आयात

708. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल से आयात किए जा रहे साबुन की दर प्रति किलोग्राम घट रही है;

(ख) क्या सरकार को इसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपए के आयात शुल्क और राज्य बिक्री कर का घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

709. योगी आदित्यनाथ :
डा. जसवंतसिंह यादव :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान समय में राज्य-वार और क्षेत्र-वार कितनी चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं;

(ख) इनके बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन बंद मिलों विशेषकर आनंद नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी मिल को पुनः चालू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन चीनी मिलों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या दी गई है जो चीनी मौसम 2001-02 के दौरान बंद रहीं। वर्तमान मौसम 2002-03 अभी आरम्भ हुआ है।

(ख) देश में चीनी मिलों का बन्द होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे गन्ने की अपर्याप्त उलब्धता, संयंत्र का अलाभकर आकार तथा पुराना होना, संयंत्र और मशीनरी की खराब स्थिति, तकनीकी और प्रबंधकीय अक्षमता, अत्यधिक गन्ना मूल्य जिसका बिक्री वसूली के अनुरूप न होना और विभिन्न अन्य कारक।

(ग) और (घ) इस समय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में आनन्द नगर शुगर मिल सहित बन्द चीनी मिलों को जीवनक्षम बनाने विषयक कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने रुग्ण चीनी मिलों की जीवनक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं -

1. रुग्ण सहकारी चीनी मिलों के मामलों की जांच करने और संभावित व्यवहार्य यूनिटों के लिए पुनरुद्धार पैकेज की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की गई है।
2. संभावित व्यवहार्य रुग्ण चीनी मिलों को ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता मुहैया करने के लिए चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में संशोधन किया गया है।
3. चीनी मिलों की लेवी देयता 1.1.2000 से 40% से कम करके 30% और 1.2.2001 से इसे और कम करके 15% तथा 1.3.2002 से पुन: कम करके 10% कर दी गई है।

विवरण

चीनी मौसम 2001-02 के दौरान बंद पड़ी चीनी मिलों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य	बन्द चीनी मिलों की संख्या		
	निजी	सार्वजनिक	सहकारी
1	2	3	4
पंजाब			1
राजस्थान	1		1
उत्तर प्रदेश	6	1	
मध्य प्रदेश	1	2	
गुजरात			7
महाराष्ट्र	1		26
बिहार	3	15	
असम	1		1
आंध्र प्रदेश	1	1	4
कर्नाटक	3		3
तमिलनाडु	1		2
केरल	1		
उड़ीसा	3		1
कुल	22	19	46

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का कार्य-निष्पादन

710. **श्री महेश्वर सिंह :**
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य परियोजना के क्रियान्वयन में यदि कोई कमी पाई गई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जिन्हें अभी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा स्वीकृति दिया जाना बाकी है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के क्रियाकलापों की निगरानी सरकार द्वारा

सतत आधार पर की जाती है। इसके निदेशक बोर्ड, जिसमें अन्यों के साथ वित्त मंत्रालय, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारा इसके परिचालनों की गहन पुनरीक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा भी नाबार्ड के क्रियाकलापों की प्रतिवर्ष पुनरीक्षा की जाती है। नाबार्ड के क्रियाकलापों की वार्षिक पुनरीक्षा भी इस संस्था की वार्षिक रिपोर्ट सहित संसद में प्रस्तुत की जाती है।

पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश राज्य सहित सरकारों को दी गई राज्य-वार पुनर्वित्त सहायता और ऋण संलग्न विवरण-I में दिए गये हैं।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि राज्यों में ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर आई डी एफ) के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपर्याप्त बजटीय प्रावधान, कार्यान्वयन में धीमा प्रगति, परियोजना पूर्ण होने संबंधी रिपोर्टों का प्राप्त न होना, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, आहरणों का कम होना, अनुमोदित डिजाइन प्राक्कलनों से विचलन, अपर्याप्त निगरानी आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्ष के दौरान पूरी की गई आर आई डी एफ परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गये हैं। आगामी संस्वीकृति समिति में मंजूर की जाने वाली परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 और 2001-2002 के दौरान राज्यों को नाबार्ड सहायता दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		लक्ष्य	अधिकतम ओ/एस	लक्ष्य	अधिकतम ओ/एस	लक्ष्य	अधिकतम ओ/एस
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	287	276	329	324	273	306
2.	आन्ध्र प्रदेश	231538	215112	263741	235768	267456	246538
3.	अरुणाचल प्रदेश	1064	1117	3502	3502	7205	3764
4.	असम	14546	14568	12976	13049	4867	10391
5.	बिहार	28225	26767	27151	26436	30546	19953
6.	चण्डीगढ़	10	10	12	12	9	9
7.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	24031	19074
8.	दादरा और नगर हवेली	24	24	67	67	14	14
9.	गोवा	1910	1910	2005	2005	3489	3157
10.	गुजरात	80033	63084	106273	79129	124155	87020
11.	हरियाणा	118369	118290	149328	140728	162519	147733

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	हिमाचल प्रदेश	13602	13571	20035	19863	30918	24662
13.	जम्मू-कश्मीर	8889	8749	10739	10822	25896	18956
14.	झारखंड					4695	4675
15.	कर्नाटक	125594	123913	144063	135441	162636	131375
16.	केरल	64751	52052	71960	51870	94938	77177
17.	लक्षद्वीप	21	21	9	9	9	9
18.	मध्य प्रदेश	120958	96519	124863	110715	146339	126551
19.	महाराष्ट्र	109681	87838	139197	125885	159763	128775
20.	मणिपुर	203	817	187	187	155	55
21.	मेघालय	2133	2074	2615	2655	2791	2903
22.	मिजोरम	1386	1386	1814	1814	1681	2336
23.	नागालैंड	1032	1032	1342	1294	389	1471
24.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	100	100	669	669	627	627
25.	उड़ीसा	87492	77624	80754	79831	100972	90288
26.	पाण्डिचेरी	844	809	912	878	932	932
27.	पंजाब	101244	98650	106839	99373	127294	120194
28.	राजस्थान	98413	91321	113963	106933	146814	116781
29.	सिक्किम	1500	1400	977	1077	883	1596
30.	तमिलनाडु	145149	120659	160830	135526	177018	146408
31.	त्रिपुरा	2710	2946	3561	3567	1651	1964
32.	उत्तर प्रदेश	180482	164877	191879	184373	209189	201282
33.	उत्तरांचल					8165	2778
34.	पश्चिमी बंगाल	55282	48065	67554	65432	98503	72197
	कुल	1595472	1434581	1816689	1646141	2126812	1811931

विवरण-II

वर्ष 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान आर आई डी एफ के तहत दी गई संस्वीकृति एवं संवितरण के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	आरआईडीएफ-V	आरआईडीएफ-VI	आरआईडीएफ-VII
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1474	2294	2882
2.	अरुणाचल प्रदेश	7	13	5
3.	असम	100043	7	0
4.	बिहार	0	0	1490
5.	छत्तीसगढ़	36	35	87
6.	गोवा	0	60	89
7.	गुजरात	5304	12027	2703
8.	हरियाणा	6	72	1200
9.	हिमाचल प्रदेश	733	1303	397
10.	जम्मू-कश्मीर	132	176	2039
11.	झारखंड	32	0	0
12.	कर्नाटक	866	586	6156
13.	केरल	235	256	296
14.	मध्य प्रदेश	117	125	102
15.	महाराष्ट्र	1549	1159	1272
16.	मणिपुर	0	157	0
17.	मेघालय	61	62	28
18.	मिजोरम	38	70	9
19.	नागालैंड	54	73	1
20.	उड़ीसा	93	16122	148
21.	पंजाब	104	181	715
22.	राजस्थान	327	5640	1637
23.	सिक्किम	27	5	45

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	848	721	796
25.	त्रिपुरा	87	9	15400
26.	उत्तर प्रदेश	1142	1728	1802
27.	उत्तरांचल	22	0	6
28.	पश्चिमी बंगाल	958	374	4087
	कुल	113288	43848	43462

विवरण-III

मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या की राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(दिनांक 18.11.2002 तक की स्थिति के अनुसार स्थिति)

क्रम.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	27
2.	छत्तीसगढ़	6
3.	हिमाचल प्रदेश	106
4.	कर्नाटक	21
5.	केरल	43
6.	मध्य प्रदेश	7
7.	उड़ीसा	153
8.	पंजाब	261
9.	तमिलनाडु	1
10.	उत्तर प्रदेश	1
11.	पश्चिमी बंगाल	201
	कुल	827

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

711. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा संगठनों से अत्यधिक मांग वाले स्व-नियामक संगठनों की स्थापना करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा श्री सी.एम. वासुदेव के अधीन नियुक्त किए गए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी संबंधी कृतिक बल (1998) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की थी कि वह वांछनीय होगा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में भी स्व-विनियामक संगठन (एस आर ओ) हो और भारतीय रिजर्व बैंक इन एस आर ओ के विकास को प्रोत्साहित कर सके। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक इस क्षेत्र के लिए एस आर ओ बनाने के लिए पिछले तीन वर्षों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी संघों के साथ इस कार्य में लगा है।

(ख) गैर-बैंकिंग वित्तयी कंपनियों ने अभी तक कोई एस आर ओ नहीं बनाया है। तथापि, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संघ इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से विचार-विमर्श कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलें

712. श्री रघुनाथ झा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय उत्पाद विभाग और चीनी आयुक्त कार्यालय द्वारा महाराष्ट्र की 19 सहकारी चीनी मिलों पर निर्यात की जाने वाली चीनी को घरेलू बाजार में बेचने का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी अनियमितता को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद).: (क) मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग, पुणे ने 8.11.2002 को सूचित किया है कि महाराष्ट्र में स्थित 24 चीनी मिलों ने बांड के अधीन निर्यात के लिए चीनी की सुपुर्दगी की है और निर्यात का प्रणाण प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग से इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया है।

तथापि, इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र में 12 चीनी मिलों से निर्यात के लिए अभिप्रेत चीनी सरकार की अनुमति के बिना घरेलू बाजार में बेची गई पाई गई है।

(ख) सरकार ने चूककर्ता निर्यातकों/चीनी मिलों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की है :

(1) चूककर्ता निर्यातकों का पंजीकरण रद्द करने के लिए महा निदेशक, विदेश व्यापार के नई दिल्ली, मुबंई और गुजरात स्थित कार्यालयों को पत्र जारी किए गए हैं।

(2) चूककर्ता निर्यातकों/चीनी मिलों को निर्यात करने के लिए कोई और रिलीज आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(3) निर्यात रिलीज आदेशों की वैधता अवधि पूर्व के 90 दिनों से कम करके 30 दिन कर दी गई है।

(4) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के अधीन उन चीनी मिलों के विरुद्ध जांच आरम्भ कर दी है जिनकी चीनी स्थानीय बाजार में भेजी गई है।

(ग) ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्राधिकरणों का पंजीकृत डाक द्वारा निर्यात रिलीज आदेश की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजने का निर्णय किया है कि वे निर्यातकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखें और यदि चूक, विशाखन अथवा नियमों तथा अनुदेशों के उल्लंघन की कोई घटना होती है तो उसके बारे में शर्करा निदेशालय को तत्काल सूचित करें :

1. राज्य के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग का मुख्य आयुक्त
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय
3. संबंधित बन्दरगाह का सीमा शुल्क प्राधिकारी
4. उन जिलों के जिला कलक्टर, जहां निर्यातकर्ता फर्म और संबंधित चीनी मिलें स्थित हैं
5. राज्य का मुख्य सचिव/चीनी सचिव
6. राज्य का चीनी आयुक्त/निदेशक।

इसके अतिरिक्त, नए निर्यातकों के अनुरोधों पर विचार करते समय उनके मामले में विदेशी क्रेता का साख-पत्र प्रस्तुत करने पर जोर दिया जा रहा है।

मुद्रास्फीति की दर

713. **श्री पी.आर. किन्डिया**
श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मोटे अनाज, चना, वनस्पति तेल, चारा, प्रसंस्कृत चाय, वस्त्र, खनिज, धातु आदि और पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते मूल्य के कारण 10 अगस्त, 2002 को समाप्त हुए सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर वर्ष की नई ऊंचाइयों को छूते हुए 3 प्रतिशत तक् पहुंच गयी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करने हेतु सरकार क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में मुद्रास्फीति दर न्यून रही जो 3 प्रतिशत से भी कम थी। थोक मूल्य सूंचकांक पर आधारित बिन्दु-दर-बिन्दु वार्षिक मुद्रास्फीति दर 10 अगस्त, 2002 को समाप्त सप्ताह में 3 प्रतिशत (अनन्तिम) को पार कर गई जिसे अभी भी न्यून मुद्रास्फीति दर माना जाता है। मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि अथवा कमी मूल्यों में केवल अस्थायी उतार-चढ़ाव को दर्शाती है। वर्ष के दौरान केवल खाद्य तेलों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि दिखाई पड़ी जो आयातित खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति के प्रभाव को दर्शाती है जिसमें उच्चतर आयात शुल्कों से और भी बढ़ोत्तरी हो गई।

(ख) सरकार ने कारगर आपूर्ति प्रबन्ध के जरिए और अनिवार्य जिंसों के मूल्यों और आपूर्ति के सन्निकट अनुवीक्षण के जरिए भी

मुद्रास्फीति को नियंत्रणाधीन रखने के लिए संयुक्त प्रयास किए हैं। खाद्यान्नों के लगभग 51 मिलियन टन के उच्चमान सरकारी स्टॉक ने खाद्यान्नों की सुखद आपूर्ति स्थिति को सुनिश्चित किया है और उनके मूल्यों में स्थिरता लाने में मदद की है। विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत सरकार द्वारा खाद्यान्नों के अतिरिक्त स्टॉक की उदार निर्मुक्ति से समाज के कमजोर वर्गों को वर्धित मदद मिली है।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध घूसखोरी का आरोप

714. **श्री अधीर चौधरी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने यह उद्घाटित किया है कि सरकारी कर्मचारियों को घूस देने के लिए जेराक्स मोदीकार्प द्वारा धनराशि को छुपाने हेतु कई खातों का उपयोग किया गया था;

(ख) यदि हां, तो पहचान किए गए उन सरकारी कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें मोदीकार्प ने घूस दी थी; और

(ग) सरकार का इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) मैसर्स जिरोक्स मोदीकार्प लि. और संबंधित व्यक्तियों के परिसरों पर दिनांक 17.7.2002 को की गई तलाशी और जब्ती कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग द्वारा जब्त किए गये दस्तावेजों से यह पता चलता है कि इस कम्पनी ने (1) कतिपय कम्पनियों जिनके द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी, को भुगतान करके नकदी सृजित की थी और आई ओ यू नकदी वाउचरों के अन्तर्गत बिक्री कर्मचारियों को भुगतान जारी किया था। अब तक की गई जांच से यह प्रकट नहीं हुआ है कि ऐसी सृजित नकदी को सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने में उपयोग में लाया गया था।

[हिन्दी]

आयकर विवरणियां भरना

715. **श्री छत्रपाल सिंह** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी व्यक्तियों को पैन नम्बर आवंटित कर दिया गया है जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था;

(ख) यदि नहीं, तो यह आवंटन कब तक कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) बैंक में पहली बार आयकर विवरणी भरने वाले उन व्यक्तियों के पास क्या विकल्प रह जाता है जब उनसे "पैन" (पी.ए.एन) के नवम्बर के लिए कहा जाता है;

(घ) पहले से ही उन आयकरदाताओं द्वारा किसी तरह से आयकर जमा किया जाएगा जिन्हें अभी तक पैन (पी.ए.एन.) आवंटित नहीं किया गया है;

(ङ) क्या वर्तमान प्रणाली में कई कमियाँ पाई गई हैं, जैसे यहां तक कि कार्ड में दिए गए फोटो और नाम एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं; और

(च) इसके क्या कारण हैं और प्रणाली को दुरुस्त करने तथा पैन (पी.ए.एन.) जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) दिनांक 31.10.2002 तक कुल 2.71 करोड़ पैन आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 9.04 लाख आवेदनों में प्रमुख त्रुटियां थी। दिनांक 31.10.2002 तक 2.53 करोड़ मामलों में पैन आवंटित कर दिए गए हैं।

(ख) पैन का आवंटन एक सतत प्रक्रिया है। सभी वैध पैन आवेदनों में 10 कार्य दिवसों के भीतर पैन के आबंटन के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ग) बैंकों में आयकर विवरणी दायर करने की कोई अपेक्षा नहीं है। नये करदाता अपने संबद्ध कर निर्धारण अधिकारियों के समक्ष फार्म-49क में आवेदन सहित अपनी आय की विवरणी दायर कर सकते हैं।

(घ) उन मामलों में जहां पैन के लिए आवेदन किया गया है लेकिन उसे आबंटित नहीं किया गया है तो करदाता करों के संदाय के लिए बैंक के समक्ष इस संबंध में एक विवरण दे सकता है।

(ङ) कुछ आबंटियों द्वारा पैन काडों में कुछ विसंगतियों का उल्लेख किया गया है। ऐसे पैन कार्डों में शुद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

(च) कुछ मामलों में नामों और फोटोग्राफों के बीच बतायी गयी विसंगति मुख्यत: पैन काडों के मुद्रण से पहले पैन पूर्वावलोकन के कदम न उठाये जाने के कारण थी। अत: पैन काडों के मुद्रण

से पहले पैन के पूर्वावलोकन के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम की पालिसियों को वापस लिया जाना

716. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निवेशकों की कितनी राशि का बाजार में निवेश किया गया और इसका क्या औचित्य है;

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम को इससे कितनी आय हुई;

(ग) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी कई भारी बोनस देने वाली पॉलिसियों पर लाभ न मिलने के कारण इन्हें वापिस ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी पालिसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय जीवन निगम बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27क और आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 के अनुसार अपनी निधियों का निवेश करता है। ये निधियां केन्द्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, समाजोन्मुखी तथा अवसंरचना योजना बांडों, डिबेन्चरों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयरों और अन्य साधनों में निवेश की जाती हैं जैसाकि अधिनियम/विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है। यह निगम पॉलिसीधारकों के लिए लाभांश आय और पूंजी वर्धन हेतु दीर्घकालिक उद्देश्य के साथ इक्विटी में निवेश करता है। दि. 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, एलआईसी के निवेशों का अंकित मूल्य (वर्ष 1956 से संचयी मूल्य) लगभग 2,15,392 करोड़ रुपए था।

(ख) वित्तीय वर्ष 2001-2002 में निगम की निवेश आय लगभग 22,600 करोड़ रु. थी जिसमें इक्विटी की बिक्री से हुआ 723 करोड़ रु. का लाभ भी शामिल है।

(ग) से (ङ) गत तीन वर्षों में, एलआईसी द्वारा इसकी निधियों पर अर्जित होने वाली आय में गिरावट हुई है। एलआईसी की कुछ योजनाओं के तहत इसके द्वारा जारी की गई पॉलिसियों में बीमित राशि में गारंटीशुदा वृद्धि निर्धारित की गई है। ये पॉलिसियां उन्हीं शर्तों पर जारी रहेंगी। लेकिन, इन योजनाओं के अंतर्गत नई पॉलिसियों की बिक्री रोक दी गई है। इनमें से कुछ योजनाएं संशोधित लाभों के साथ पुनः आरंभ की गई हैं। वापस ली गई योजनाएं ये हैं :

वर्ष 2001-2002 के दौरान: नई बीमा निवेश, बीमा निवेश 2001, जीवनश्री, बीमा किरण, जीवन संचय और मनी बैक चिल्ड्रन एश्योरेंस

वर्ष 2002-2003 के दौरान: जीवन गृह दोगुनी और तिगुनी सुरक्षा

संशोधित लाभों के साथ पुनः आरंभ की गई योजनाए हैं— नई बीमा किरण, नई जीवनश्री, कोमल जीवन, जीवन समृद्धि, नई बीमा निवेश और बीमा निवेश 2002। लेकिन मौजूदा पॉलिसियों पर कोई प्रतिकूल असर-प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[अनुवाद]

दूसरे देशों को ऋण

717. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान तिथि के अनुसार भारत द्वारा दिया गया देश-वार कितना ऋण बकाया है; और

(ख) इन देशों से वार्षिक रूप से भारत द्वारा देश-वार कितना ब्याज अर्जित किया गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति

718. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) विकलांगता निवारण तथा पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने का कार्य अंतिम चरण में है।

चाय के संबंध में मध्यम अवधि की निर्यात नीति

719. **श्री अशोक ना. मोहोल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने देश के हालात को ध्यान में रखते हुए मध्यम अवधि की निर्यात नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चाय बोर्ड द्वारा किन-किन देशों को चाय का निर्यात किया जाता है;

(घ) क्या चाय के निर्यात में दिन-प्रतिदिन कमी आ रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) चाय बोर्ड ने ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिग फर्म के परामर्श से वर्ष 2002-2007 की अवधि के लिए एक मध्यावधि निर्यात कार्ययोजना तैयार की है। कार्य योजना तैयार करते समय प्रत्येक बाजार में भारत के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता का समग्र अध्ययन किया गया था। संस्तुत कार्य योजना में शामिल है - बाजार पोर्टफोलियो का विविधीकरण, कार्बनिक एवं फ्लैवर युक्त चाय जैसे मूल्यवर्धन एवं उत्पाद विशिष्ट क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना। अन्तर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए चाय के पारंपरिक उत्पादन के अनुपात को बढ़ाना, चाय की गुणवत्ता में सुधार तथा बेंचमार्किंग और भारतीय ब्रांड का संवर्धन।

(ग) चाय का निर्यात विश्व के 80 से अधिक देशों को किया जाता है। भारतीय चाय के प्रमुख आयातकों में रूसी परिसंघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, पोलैंड, कजाकिस्तान, यूएसए, जर्मनी और जापान शामिल हैं।

(घ) और (ङ) भारत से चाय का निर्यात वर्ष 2000-2001 में 203.55 मिलि. किग्रा. से घटकर 2001-2002 में 190 मिलि. किग्रा. हो गया हैं। वर्ष 2002-2003 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में हुए 95.54 मिलि. किग्रा. के निर्यातों की तुलना में 5.54 मिलि. किग्रा. की गिरावट आई है। इस गिरावट के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक हैं—रूस द्वारा चाय का कम उठाव, श्रीलंका, चीन इंडोनेशिया, वियतनाम और केन्या जैसे अन्य चाय उत्पादक देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा तथा रूस, मिस्र और ईरान जैसे कुछेक प्रमुख चाय आयातक देशों द्वारा लागू किए गए टैरिफ और गैर-टैरिफ उपाय।

(च) देश में तथा विदेशी बाजारों में चाय के सवंर्धन हेतु सरकार/चाय बोर्ड ने विभिन्न कदम उठाए हैं। मध्यावधि निर्यात कार्य योजना में निहित सिफारिशों के अनुरूप सरकार/चाय बोर्ड ने चाय के निर्यातों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

* अन्तर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक तथा पुन: संसाधित न की गई सीटीसी चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ फैक्टरी उन्नयन योजना कार्यान्वित की गई है।
* चाय निर्यातकों को हैंडलिंग, पैकेजिंग तथा परिवहन/भाड़ा प्रभारों की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
* भारत के बाजार हिस्से को बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने के लिए रूस में भारतीय चाय तथा उसके लोगों के बारे में एक संवर्धनात्मक अभियान शुरू किया गया है।
* चाय की गुणवत्ता में सुधार हेतु देश में गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।
* भारतीय निर्यातकों को भारतीय ब्राड़ों के संवर्धन एवं विपणन में संवर्धनात्मक सहायता प्रदान की जाती है।
* चाय बोर्ड द्वारा शुरु किए गए कुछेक अन्य कार्यकलाप हैं-अन्तर्राष्ट्रीय मेलों एवं विशिष्टीकृत प्रदर्शनियों में भागीदारी, विशिष्टतायुक्त स्टोरों और बाजारों में मौके पर जाकर नमूने लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकें, भारत और चाय आयातक देशों के बीत चाय संबंधी प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान।

[हिन्दी]

लघु निवेशकों की शिकायतें

720. **श्री लक्ष्मण गिलुवा :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निवेशकों से विशेषकर छोटे निवेशकों से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)/कंपनी कार्य विभाग को कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या लघु निवेशकों से मिली शिकायतों में से 50 प्रतिशत शिकायतों का भी उचित रूप से निपटान नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्तमान प्रणाली में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) लघु निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी दी जाएगी।

राजस्थान को खाद्यान्न का आवंटन

721. **श्री राजो सिंह** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान को आवंटित दो लाख मीट्रिक टन गेहूं अभी तक निर्गत नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान में अकाल और वित्तीय संकट की वर्तमान समस्या के अंतर्गत राज्य के दौरे के लिए एक केन्द्रीय कार्यदल नियुक्त किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन दल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और सरकार द्वारा उस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार को 24 सितम्बर, 2002 को दो लाख मीट्रिक टन गेहूं का आबंटन किया गया था, जिसका राज्य सरकार ने पूर्ण उठान कर लिया है।

(ग) और (घ) सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल ने राजस्थान का दौरा किया था। 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन भी किया गया है।

[अनुवाद]

दलहन की कीमतों में कटौती

722. **श्री के. येरननायडू** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आम आदमी के खाद्य पदार्थों, दलहनों के उपभोक्ता मूल्यों में कमी लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। देश में दलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए किए गए उपायों के अलावा, उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 10% शुल्क की अपेक्षाकृत कम दर पर दलहनों के आयात की अनुमति दी जाती है। वर्ष 2001-2002 के दौरान 21.8 लाख टन और अप्रैल-अगस्त, 2002 के दौरान 7.36 लाख टन दालों का आयात किया गया जिससे देश में विभिन्न प्रकार की दलहनों के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली।

[हिन्दी]

खाद्यान्न घोटाला

723. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 सितम्बर, 2002 के "दैनिक हिन्दुस्तान" में "केन्द्र ने तीन राज्यों को सस्ता अनाज बेचने से रोका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में आज तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस घोटाले में कौन-कौन से अधिकारी शामिल पाए गए; और

(घ) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार द्वारा समय से निवारक कार्रवाई करने के कारण यह सुनिश्चित किया गया था कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में धान के शेष स्टाक की बिक्री करने के लिए निविदा प्रक्रिया में कोई अवांछित हानि न हो। चूंकि यह देखा गया था कि अनेक निविदाकर्ताओं ने बहुत कम दरें भरी थीं इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि 450 रुपये प्रति क्विंटल से कम दर की सभी निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएं और 450 रुपये प्रति क्विंटल की

दर पर "पहले आओ, पहले पाओ" आधार पर निविदाकर्ताओं तथा अन्य इच्छुक पार्टियों को धान के स्टाक की पेशकश की गई। चूंकि इस प्रकार खाद्यान्नों के घोटाले की संभावनाओं को दूर कर दिया गया था इसलिए कर्मचारियों के संलिप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों हेतु पद

724. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कतिपय पदों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पहचान किए गए इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए 1900 से अधिक पदों की पहचान उपयुक्त पदों के रूप में की गई है और भारत के राजपत्र सं. 178 दिनांक 30.6.2001 में अधिसूचित किया गया है।

(ग) भर्ती एजेंसियों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी मंत्रालयों/विभागों से जब वे नई भर्ती के लिए मांग भेजें तो भर्ती एजेंसियों को एक प्रमाणपत्र भेजने का अनुरोध किया गया है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण से संबंधित नीति को ध्यान में रखा गया है।

वेतनमान में संशोधन

725. श्री बसुदेव आचार्य: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों के वेतनमानों एफ.सी.एस. में संशोधन के क्रियान्वयन पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में अब तक एक पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भी भेज दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग में गठित विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियां प्राप्त कर ली गई हैं और इस मुद्दे की प्रगति ऐसे चरण पर पहुँच गई है जहां वित्तीय औचित्य और उसकी उपयुक्तता के दृष्टिकोण से दूसरे चरण की जांच शुरू की जा सकती है।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी

726. श्री सुरेश चन्देल:
श्रीमती प्रभा राव:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाने की इस सच्चाई के बावजूद देश में वर्ष 1997 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उत्तरोत्तर गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्लोबल कन्सल्टेन्सी ए.टी. केर्नी की रिपोर्ट में दर्शाई गई 15 देशों की सूची में भारत का स्थान अब 8वें नम्बर पर है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया हो तो उसके मुकाबले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वर्ष 1997 से लेकर अब तक वर्षवार कितनी गिरावट आई है;

(घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का विचार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में लक्ष्य को फिर से प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेशकों को किस तरह आकर्षित करने का है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) वर्ष 1999 को छोड़कर अंतर्वाह की राशि ने प्राय: बढ़ोतरी की प्रवृति दर्ज की है। वर्ष 1997 से 2002 (अगस्त तक) तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) का वर्षवार अन्तर्वाह

निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	1997	1998	1999	2000	2001	2002 (जन.-अग.)
अन्तर्वाह	12,989.27	13,269.21	9,259.90	10,441.20	16,071.50	12,438.44

उपर्युक्त आंकड़ों में ए डी आर/जी डी आर शामिल नहीं हैं।

(ख) ए टी केर्नी एफ डी आई कांफिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट, सितम्बर 2002 के अनुसार, वास्तविक कार्य-निष्पादन की दृष्टि से एफ डी आई की संभावित प्राप्ति में 20% गिरावट के साथ भारत यद्यपि 15वें स्थान से गिरकर 8वें स्थान पर आ गया है, फिर भी भारत ऐसे कुछ देशों में शमिल है जो विश्व के एफ डी आई अन्तर्वाह की गिरती हुई प्रवृति का सामना कर सके हैं जिसमें वर्ष 2001 में 51% की गिरावट आई है और इसमें 2002 में 27% की और गिरावट आने की संभावना है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में जैसा कि स्पष्ट किया गया है देश में एफ डी आई के अन्तर्वाह में कोई गिरावट नहीं आई है। इसके अतिरिक्त, एफ डी आई के लिए कोई औपचारिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ङ) भारत सरकार नीतिगत रूपरेखा, कारकों और संस्थाओं की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय रूप से निवेश का प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण उपलब्ध कराकर इस क्षेत्र में भारत को एफ डी आई के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। एफ डी आई नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है ताकि इसे निवेशक के और अनुकूल बनाया जा सके। एफ डी आई में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने अधिकांश कार्यकलापों में 100% तक एफ डी आई के लिए स्वत: मार्ग के जरिये अनुमति दे दी है। वर्ष 2001-02 के दौरान 4.06 बिलियन अमरीकी डालर की राशि का एफ डी आई अन्तर्वाह (ए डी आर और जी डी आर को छोड़कर) प्राप्त हुआ था जबकि 2000-01 में इसकी राशि 2.46 बिलियन अमरीकी डालर थी, जिसमें 66% वृद्धि दर्ज हुई है। एफ डी आई अन्तर्वाह की बढ़ती हुई प्रवृति चालू वित्तीय वर्ष में भी बनी रही है। अप्रैल और मई, 2002 के दौरान 678 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के एफ डी आई अन्तर्वाह ए डी आर/ जी डी आर को छोड़कर प्राप्त हुए थे जबकि 2001 की इसी अवधि के दौरान इसकी राशि 467 मिलियन अमरीकी डालर थी, जिसके फलस्वरूप 45% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अंकटाड की हाल की रिर्पोट के अनुसार चीन, मलेशिया, भारत और फिलीपींस की विकासशील एशिया में ऐसे चार देशों के रूप में पहचान की गई है जिनमें एफ डी आई अन्तर्वाह में वृद्धि होने की संभावना है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र को अनुदान

727. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से एक बारगी अनुदान/आसान ऋण पर विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी अर्थोपाय स्थिति को आसान बनाने के लिए एकमुश्त अनुदान अथवा आसान ऋण प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है।

राज्य की अर्थोपाय स्थिति को आसान बनाने के लिए कोई भी एकमुश्त अनुदान अथवा आसान ऋण, भारत सरकार के राज्यों के राजकोषीय सुधार सुविधा 2000-01 से 2004-05 के अंतर्गत राज्य द्वारा सहमत मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम के अनुरूप होने की जरूरत है। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, राजकोषीय सुधारों के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बढ़ाने के लिए इस सुविधा के अंतर्गत एक प्रोत्साहन निधि का सृजन किया गया है। प्रोत्साहन निधि के अंतर्गत महाराष्ट्र

सरकार को अब तक 55.55 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त राजकोषीय समेकन की दिशा में राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बढ़ाने की दृष्टि से उच्च लागत ऋणों को समाप्त करने में राज्यों को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार ने ऋण विनिमय का प्रस्ताव भी तैयार किया है।

बैंक कर्मचारियों को वेतन

728. श्री जी.एस. बसवराज: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डियन बैंक एसोसिएशन ने कर्मचारी यूनियनों की 25 अक्तूबर, 2002 को होने वाली वेतन संबंधी बातचीत से पूर्व कई उपाय करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उपायों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या कर्मचारी यूनियनों ने इण्डियन बैंक एसोसिएशन के प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर बैंक यूनियनों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने कर्मचारियों के लिए विशेष वेतन, स्थानान्तरण देयता इत्यादि जैसी सेवा शर्तों के बदलाव के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं।

(ग) और (घ) चूंकि इन मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाना है, अत: यूनियनों की प्रतिक्रियाओं पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा।

[हिन्दी]

अपरिष्कृत चीनी का आयात

729. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 'अपरिष्कृत चीनी' का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'अपरिष्कृत चीनी' आयात शुल्क से मुक्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक भारत में मूल्यवार और देशवार कितनी अपरिष्कृत चीनी का आयात किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) वर्तमान निर्यात आयात नीति के अधीन रॉ चीनी सहित चीनी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है, लेकिन शर्त यह है कि कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) के पास आयात ठेकों का पंजीकरण कराना अपेक्षित है। सरकार ने 9.2.2000 से आयातित चीनी पर 60% मूल सीमा शुल्क तथा 850 रुपये प्रति टन की दर से प्रतिशुल्क लगाया है।

तथापि, अग्रिम लाईसेंस अथवा ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट (डी एफ आर सी) योजना के अधीन, श्वेत चीनी में पुन: प्रसंस्कृत करने के लिए आयात की गई रॉ चीनी को आयात शुल्क से छूट दी जाती है। रॉ चीनी का यह शुल्क मुक्त आयात वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अग्रिम लाइसेंसों के अधीन श्वेत चीनी के पूर्णतया तदनुरूपी निर्यात दायित्त के प्रति है।

डी.जी.सी.आई. एंड एस., कोलकाता के प्रकाशन 'फारेन ट्रेड स्टेटिस्टिक्स आफ इंडिया' में उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 के दौरान चीनी का आयात और उसका मूल्य निम्नानुसार है:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1.	1999-2000	11,81,183	1110.79
2.	2000-2001	30,404	31.11
3.	2001-2002	26,578 (अ)	32.60 (अ)
4.	2002-2003 (जूलाई, 2002 तक)	शून्य	शून्य

उपलब्ध सूचना के अनुसार, मैसर्स शक्ति शुगर्स ने अपने द्वारा पहले निर्यात की गई श्वेत चीनी के प्रति अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अधीन सितम्बर, 2002 मास के दौरान 35,700 मी. टन रॉ चीनी श्वेत चीनी में पुन: प्रसंस्कृत करने के लिए आयात की है। मैसर्स रेणुका शुगर्स लिमिटेड ने भी श्वेत चीनी के निर्यात के प्रति 11,033.8 मी. टन रॉ चीनी श्वेत चीनी में पुन: प्रसंस्कृत करने के लिए आयात की है।

रॉ चीनी के आयात और उसके उद्गम देश के संबंध में सूचना डी.जी.सी.आई. एंड एस., कोलकाता द्वारा नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधियों के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क

730. **श्री किरीट सोमैया: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पाद शुल्क विभाग ने भारत में उत्पादित न होने वाली जीवन रक्षक औषधियों के आयात पर 60 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की लेवी लगाना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर कोई सीमाशुल्क और सममूल्य शुल्क नहीं लगाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो 60 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस मामले में सांसदों, स्वास्थ्य मंत्रालय, कैंसर रोगी एसोसिएशन और अन्य से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) दिनांक 1.3.2002 की अधिसूचना सं- 21/2002-सीमाशुल्क की सूची-4 के अंतर्गत आने वाली जीवन रक्षक औषधियों और दवाइयों पर सभी आयात शुल्कों से पूरी तरह से छूट प्राप्त है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अध्याय 30 की टिप्पणी-5 के अनुसार, लेबल लगाने/पुन: लेबल लगाने का कार्य विनिर्माण ही होता है। इस प्रकार इन आयातित औषधियों पर भी 16% का उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय होता था जब उन पर लेबल अथवा पुन: लेबल लगाया जाता था। ताकि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के उपबंधों का अनुपालन किया जा सके। इस मामले में उत्पाद शुल्क से छूट हेतु बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। सारे मामले की जांच के पश्चात्, सरकार ने दिनांक 1.3.2002 की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमाशुल्क के साथ संलग्न सूची-4 में विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियां अथवा दवाइयों को दिनांक 7.11.2002 की अधिसूचना सं. 55/2002-के.उ.शु. के तहत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट दी है जब उन पर लेबल अथवा पुन: लेबल लगाया जाता हो ताकि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के उपबंधों का अनुपालन किया जा सके।

वक्फ बोर्ड

731. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वक्फ परिषद् (सेंट्रल वक्फ काउन्सिल) विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों या संस्थाओं को शैक्षिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितना धन आवंटित किया गया;

(ग) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान वक्फ परिषद् को इस प्रयोजनार्थ धन आवंटित किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 2002-2003 के दौरान केन्द्रीय वक्फ परिषद को धन मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) केन्द्रीय वक्फ परिषद शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के लिए वक्फ बोर्डों को कोई अनुदान प्रदान नहीं करता है। तथापि, यह संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार तकनीकी तथा शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए सीधे निधियां मुहैया करती है।

(ग) से (ङ) सरकार केन्द्रीय वक्फ परिषद को इसके शैक्षिक कार्यक्रम के लिए कोई अनुदान नहीं देती है। तथापि, केन्द्र सरकार शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद को निधियां प्रदान् करती है तथा वर्ष 2002-2003 के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद को 176 लाख रु. की राशि आबंटित की गई है।

विवरण-I

केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों जैसे छात्रवृत्ति आदि के लिए निधियां

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्यों के नाम	निमुक्त राशि			अभ्युक्ति
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	
1.	आंध्र प्रदेश	4.39	3.52	1.50	
2.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.10	0.10		
3.	असम	2.80	2.68	2.63	
4.	बिहार	25.29	46.30	37.18	इसमें तीन आई.टी.आई. को अनुदान शामिल है।
5.	दिल्ली	9.02	7.44	5.31	
6.	हरियाणा/पंजाब	2.04	2.80	0.56	
7.	झारखंड			1.67	
8.	जम्मू-कश्मीर	1.60	2.80	2.48	
9.	गोवा	0.18	0.25		
10.	कर्नाटक	5.80	5.75	2.80	
11.	केरल	1.34	0.78	3.00	
12.	मणिपुर	1.98	0.63	0.03	
13.	महाराष्ट्र	7.88	2.74	1.86	
14.	मध्य प्रदेश	5.59	2.29	2.04	
15.	मेघालय	0.10	0.05		
16.	पांडिचेरी	0.26	0.43	0.60	
17.	लक्षद्वीप		0.60		
18.	गुजरात	0.06	0.42	4.41	
19.	उड़ीसा	0.21	0.60	20.12	इसमें एक आई.टी.आई. को अनुदान शामिल है।
20.	राजस्थान	0.32	0.22	0.36	
21.	त्रिपुरा	1.50	0.55		
22.	तमिलनाडु	1.76	0.72	1.62	
23.	उत्तर प्रदेश	27.16	34.75	63.64	इसमें पांच आई.टी.आई को अनुदान शामिल है।
24.	पश्चिम बंगाल	4.91	2.76	4.31	

विवरण-II

आई.टी.आई. व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, पुस्तकालयों को स्थापित करने के उद्देश्य के लिए अनुदान

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य के नाम	निर्मुक्त राशि			अभ्युक्ति
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	
1.	आंध्र प्रदेश	3.25	2.99	0.15	
2.	असम	1.20	0.10	0.20	
3.	बिहार	6.15	32.60	28.96	इसमें तीन आई.टी.आई. को अनुदान शामिल है।
4.	दिल्ली	2.85	1.10		
5.	हरियाणा	1.30			
6.	झारंखड			0.29	
7.	जम्मू-कश्मीर	0.10	1.30	0.50	
8.	गोवा	0.18	0.25		
9.	कर्नाटक	5.30	4.41	2.20	
10.	केरल		3.30		
11.	मणिपुर	1.50			
12.	महाराष्ट्र	4.40	0.10		
13.	मध्य प्रदेश	1.60	0.25		
14.	मेघालय		0.30		
15.	लक्षद्वीप		0.10		
16.	गुजरात		0.30		
17.	उड़ीसा		2.25	20.00	इसमें एक आई.टी.आई. को अनुदान शामिल है।
18.	राजस्थान	0.20	0.05		
19.	पंजाब			0.20	
20.	त्रिपुरा	1.50	0.05		
21.	तमिलनाडु	1.10			
22.	उत्तर प्रदेश	10.54	18.70	51.40	इसमें पांच आई.टी.आई. को अनुदान शामिल है।
23.	पश्चिमी बंगाल	2.52	0.55	0.35	

गुजरात के विकलांगों के लिए कल्याण योजनाएं

732. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के कल्याणार्थ गुजरात सरकार की कुछ योजनाएं केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए गत दो वर्षों से लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके लंबित पड़े होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

आई.एफ.सी.आई. की देयता

733. श्री वाई.वी. राव : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.एफ.सी.आई. की देयता 8000 करोड़ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संस्था को संकट से उबारने के लिए किसी पैकेज को अंतिम रूप दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) आई एफ सी आई ने सूचित किया है कि 30.9.2002 की स्थिति के अनुसार उसकी कुल देयताएं 20012.70 करोड़ रुपए है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्पेशल इकॉनॉमिक जोन कानून को सरल बनाया जाना

734. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.के. सिंह समिति ने स्पेशल इकॉनॉमिक जोनों से संबंधित कानूनों को सरल बनाए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता का में गठित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सम्बन्धी संचालन दल ने अन्य बातों के साथ-साथ निवेश प्रतिबंध हटाने, अंतर्राष्ट्रीय मानक वित्तीय विनियम, सीमाशुल्क कानूनों के तहत एसईजैड विदेशी क्षेत्र के रूप में मानने, विद्युत क्षेत्र में उदारीकृत नीति तथा राज्य सरकारों द्वारा एसईजैड संबंधी कानूनों के अधिनियमन की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) संबंधी नीति की निरंतर समीक्षा का जाती है और एन.के. सिंह समिति द्वारा की गई सिफारिशों को भी समुचित रूप से ध्यान में रखा जाता है। एसईजैडों का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं—कुछेक क्षेत्रों को छोड़कर, स्वत: प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के लिए औद्योगिक लाईसैंसिंग की अपेक्षा से छूट, मान्यताप्राप्त बैंकिंग चैनलों के माध्यम से परिपक्वता संबंधी किसी प्रतिबंध के बगैर, बाह्य वाणिज्यिक ऋण, एसईजैड में विदेशी बैंकिग इकाइयों की स्थापना करने की सुविधा, सीमाशुल्क अधिनियम में एसईजैड को विदेशी क्षेत्र के दर्जे की मान्यता तथा एसईजैड में बिजली के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के बारे में नीतिगत दिशा निर्देशों की घोषणा। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 7.9.2002 को राज्य एसईजैड अधिनियम को अधिनियमित किया है, वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने एसईजैडों से सम्बन्धित अपनी नीति की घोषणा की है।

[हिन्दी]

राज्यों को खाद्यान्न का आवंटन

735. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को आवंटित खाद्यान्न का राज्यवार, खाद्यान्न-वार, मात्रा-वार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों को आज की तारीख तक खाद्यान्नों की उपरोक्त वर्णित मात्रा में से अपना शेयर प्राप्त हो चुका है;

(ग) किन-किन राज्यों ने आवंटित खाद्यान्नों का उपयोग अक्तूबर, 2002 तक कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो आवंटित खाद्यान्नों का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली-अंत्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों तथा विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2002-2003 (अक्तूबर, 2002 तक) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के आबंटन और उठान के राज्यवार, योजनावार ब्यौरे संलग्न विवरण I से XII में दिए गए हैं।

विभिन्न योजनाओं के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित खाद्यान्नों का उठान खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य और खुला बाजार मूल्यों में समानता, खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता, उपभोक्ता की क्रय शक्ति और आहार आदतों जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करता है।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000 तक चावल के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			उठान (अनंतिम)		
		गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	जोड़	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	453.360	1847.040	2300.400	433.570	1874.350	2307.920
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.400	100.800	109.200	8.320	93.410	101.730
3.	असम	228.720	441.280	670.000	215.900	312.230	528.130
4.	बिहार	412.320	95.040	507.360	234.350	2.220	236.570
5.	दिल्ली	0.000	154.680	154.680	0.000	74.470	74.470
6.	गोवा	3.120	72.840	75.960	8.480	37.650	46.130
7.	गुजरात	94.500	198.000	292.500	96.920	72.130	169.050
8.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9.	हिमाचल प्रदेश	0.000	146.760	146.760	0.000	64.800	64.800
10.	जम्मू-कश्मीर	56.412	376.854	433.266	52.250	290.410	342.660

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	कर्नाटक	276.000	624.000	900.000	278.100	544.900	823.000
12.	केरल	184.200	1559.640	1743.840	182.000	1009.000	1191.000
13.	मध्य प्रदेश	288.000	124.200	412.200	270.420	48.521	318.941
14.	महाराष्ट्र	253.920	508.560	762.480	239.500	441.390	680.890
15.	मणिपुर	20.600	104.400	125.000	21.070	21.300	42.370
16.	मेघालय	17.160	190.416	207.576	17.550	174.150	191.700
17.	मिजोरम	6.360	118.716	125.076	6.890	84.000	90.890
18.	नागालैंड	9.240	115.860	125.100	10.340	103.220	113.560
19.	उड़ीसा	824.715	345.140	1169.855	769.300	118.300	887.600
20.	पंजाब	8.160	3.360	11.520	0.220	0.050	0.270
21.	राजस्थान	3.000	12.860	15.860	1.300	1.440	2.740
22.	सिक्किम	4.080	83.640	87.720	4.210	65.810	70.020
23.	तमिलनाडु	549.480	1265.280	1814.760	535.390	1271.880	1807.270
24.	त्रिपुरा	27.720	169.780	197.500	19.070	133.060	152.130
25.	उत्तर प्रदेश	416.700	323.000	739.700	391.580	96.480	488.060
26.	पश्चिमी बंगाल	264.840	253.760	518.600	171.660	249.790	421.450
27.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1.800	28.200	30.000	0.000	16.680	16.680
28.	चंडीगढ़	0.240	3.360	3.600	0.030	0.080	0.110
29.	दादरा और नागर हवेली	1.440	5.160	6.600	0.600	0.780	1.380
30.	दमण और दीव	0.240	6.960	7.200	0.040	0.780	0.820
31.	लक्षद्वीप	0.240	6.060	6.300	0.000	5.000	5.000
32.	पांडिचेरी	7.800	16.200	24.000	7.320	4.570	11.890
	जोड़	4422.767	9301.846	13724.613	3976.380	7212.851	11189.231

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000 तक गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			उठान (अनंतिम)		
		गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	जोड़	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.000	141.000	141.000	0.000	117.600	117.600
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.840	6.960	7.800	0.000	5.350	5.350
3.	असम	0.000	213.900	213.900	0.000	219.170	219.170
4.	बिहार	618.480	242.560	861.040	641.930	17.080	659.010
5.	दिल्ली	0.000	724.800	724.800	0.000	53.940	53.940
6.	गोवा	1.440	32.280	33.720	0.140	13.190	13.330
7.	गुजरात	145.500	594.000	739.500	149.930	144.490	294.420
8.	हरियाणा	87.960	68.640	156.600	80.320	3.830	84.150
9.	हिमाचल प्रदेश	51.120	91.320	142.440	24.150	30.710	54.860
10.	जम्मू-कश्मीर	17.748	346.800	364.548	16.930	29.160	46.090
11.	कर्नाटक	69.000	351.000	420.000	68.800	146.800	215.600
12.	केरल	0.000	452.640	452.640	0.000	237.000	237.000
13.	मध्य प्रदेश	352.080	151.800	503.880	267.010	49.110	316.120
14.	महाराष्ट्र	471.600	736.560	1208.160	432.110	644.420	1076.530
15.	मणिपुर	0.000	23.220	23.220	0.000	0.120	0.120
16.	मेघालय	0.000	14.460	14.460	0.000	15.690	15.690
17.	मिजोरम	0.000	14.080	14.080	0.000	14.800	14.800
18.	नागालैंड	2.280	21.210	23.490	2.310	17.160	19.470
19.	उड़ीसा	50.000	370.000	420.000	49.900	116.500	166.400
20.	पंजाब	43.440	18.120	61.560	2.430	0.000	2.430
21.	राजस्थान	257.400	375.820	633.220	191.760	51.680	243.440

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	सिक्किम	0.000	2.090	2.090	0.000	1.420	1.420
23.	तमिलनाडु	0.000	360.000	360.000	0.000	165.920	165.920
24.	त्रिपुरा	0.000	17.160	17.160	0.000	7.640	7.640
25.	उत्तर प्रदेश	780.600	748.840	1529.440	811.541	32.830	844.371
26.	पश्चिमी बंगाल	283.800	777.300	1061.100	278.510	456.730	735.240
27.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.840	8.160	9.000	0.180	4.570	4.750
28.	चंडीगढ़	1.920	19.680	21.600	0.180	0.180	0.360
29.	दादरा और नागर हवेली	0.360	2.640	3.000	0.178	0.180	0.358
30.	दमण और दीव	0.120	2.280	2.400	0.000	0.030	0.030
31.	लक्षद्वीप	0.000	0.504	0.504	0.000	0.030	0.030
32.	पांडिचेरी	0.000	9.000	9.000	0.000	2.110	2.110
	जोड़	3236.528	6938.824	10175.352	3018.309	2599.440	5617.749

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 तक चावल के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अनंतिम)			
		गरीबी रेखा रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़	गरीबी रेखा रेखा से नीचे	गरीबी रेखा रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1316.648	1847.040	15.570	3179.258	923.047	1002.912	1.333	1927.292
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.384	70.320	0.000	88.704	15.828	13.958	0.000	29.786
3.	असम	457.428	331.280	0.000	788.708	374.143	5.768	0.000	379.911
4.	बिहार	750.840	86.604	0.000	837.444	131.445	1.032	0.000	132.911
5.	छत्तीसगढ़	99.228	20.004	7.185	126.417	76.400	0.060	11.744	88.204
6.	दिल्ली	0.000	163.320	0.000	163.320	0.000	1.980	0.000	1.980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गोवा	6.230	42.840	0.000	49.070	1.483	7.069	0.000	8.552
8.	गुजरात	343.526	216.000	0.000	559.526	113.962	2.584	0.050	116.596
9.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	1.640	0.000	0.000	1.640
10.	हिमाचल प्रदेश	34.947	62.760	0.984	98.691	21.755	3.539	0.980	26.274
11.	जम्मू-कश्मीर	112.800	150.120	0.000	262.920	64.649	4.096	0.000	68.745
12.	झारखंड	73.800	8.436	0.000	82.236	14.150	0.120	0.000	14.270
13.	कर्नाटक	568.272	917.000	0.000	1485.272	527.845	420.613	0.000	948.458
14.	केरल	365.144	1375.440	5.955	1746.539	417.011	71.939	0.000	488.950
15.	मध्य प्रदेश	468.496	104.196	4.760	577.452	278.330	1.050	3.718	283.098
16.	महाराष्ट्र	521.504	268.580	0.000	790.064	341.107	33.283	0.000	374.390
17.	मणिपुर	31.214	34.320	0.000	65.534	18.670	4.606	0.000	23.276
18.	मेघालय	34.354	190.416	0.000	224.770	30.106	1.058	0.000	31.164
19.	मिजोरम	13.940	81.720	0.000	95.660	13.938	27.122	0.000	41.060
20.	नागालैंड	18.480	103.560	0.000	122.040	17.944	0.271	0.000	18.215
21.	उड़ीसा	949.922	44.640	0.000	994.562	659.580	3.340	0.000	662.920
22.	पंजाब	16.800	3.360	0.000	20.160	0.364	0.070	0.000	0.434
23.	राजस्थान	23.595	9.360	0.107	33.062	1.141	0.020	0.064	1.225
24.	सिक्किम	8.916	83.640	0.000	92.558	5.875	3.284	0.000	9.159
25.	तमिलनाडु	1121.664	461.280	0.000	1582.944	1131.124	78.586	0.000	1209.710
26.	त्रिपुरा	55.450	109.440	0.000	164.890	53.567	6.225	0.000	59.792
27.	उत्तर प्रदेश	741.628	131.812	0.000	873.440	320.906	0.098	0.000	321.004
28.	उत्तरांचल	22.172	2.588	0.000	24.760	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	पश्चिमी बंगाल	676.064	198.760	0.000	874.824	305.853	34.025	0.000	339.878
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	3.604	28.200	0.000	31.804	3.020	4.245	0.000	7.265
31.	चंडीगढ़	0.480	2.040	0.000	2.520	0.000	0.000	0.000	0.000
32.	दादरा और नागर हवेली	2.899	2.160	0.050	5.109	2.078	0.556	0.000	2.634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	दमण और दीव	0.532	1.320	0.000	1.852	0.211	0.150	0.000	0.361
34.	लक्षद्वीप	0.000	6.540	0.000	6.540	0.000	5.288	0.000	5.288
35.	पांडिचेरी	17.088	21.480	0.000	38.568	7.510	2.394	0.000	9.904
	जोड़	8876.049	7180.656	34.611	16091.216	5874.682	1741.341	17.889	7633.912

विवरण-IV

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 तक गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अनंतिम)			
		गरीबी रेखा रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़	गरीबी रेखा रेखा से नीचे	गरीबी रेखा रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.000	96.000	0.000	96.000	0.000	3.295	0.000	3.295
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.840	6.360	0.000	8.200	0.278	0.466	0.000	0.744
3.	असम	0.000	123.600	0.000	123.600	0.000	0.396	0.000	0.396
4.	बिहार	1126.260	129.908	0.000	1256.168	428.651	1.081	0.000	429.732
5.	छत्तीसगढ़	28.428	13.700	0.000	42.128	2.555	0.000	0.083	2.638
6.	दिल्ली	24.540	487.140	0.000	511.680	10.501	0.084	0.000	10.585
7.	गोवा	2.874	20.280	0.000	23.154	0.361	1.272	0.000	1.633
8.	गुजरात	565.287	354.000	0.000	919.287	284.423	2.690	0.020	287.133
9.	हरियाणा	175.918	8.640	0.000	184.558	47.763	0.000	0.000	47.763
10.	हिमाचल प्रदेश	67.369	38.400	0.984	106.753	24.700	2.727	0.905	28.332
11.	जम्मू-कश्मीर	35.520	88.320	0.000	123.840	22.993	7.881	0.000	30.874
12.	झारखंड	110.700	12.652	0.000	123.352	72.526	0.067	0.000	72.593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	कर्नाटक	142.068	221.000	0.000	363.068	135.560	63.926	0.000	199.486
14.	केरल	0.000	452.640	0.000	452.640	0.000	30.212	0.000	30.212
15.	मध्य प्रदेश	665.612	138.100	11.050	814.762	277.928	3.518	7.642	289.088
16.	महाराष्ट्र	968.580	496.560	0.000	1465.140	619.256	8.032	0.000	627.288
17.	मणिपुर	0.000	20.520	0.000	20.520	0.000	0.000	0.000	0.000
18.	मेघालय	0.000	12.000	0.000	12.000	0.003	0.120	0.000	0.123
19.	मिजोरम	0.000	15.120	0.000	15.120	0.000	2.602	0.000	2.602
20.	नागालैंड	4.560	18.480	0.000	23.040	3.043	1.487	0.000	4.530
21.	उड़ीसा	102.300	0.000	0.000	102.300	0.000	0.000	0.000	0.000
22.	पंजाब	89.436	18.120	0.000	107.556	10.756	1.515	0.000	12.271
23.	राजस्थान	850.575	392.160	9.208	1251.943	321.592	1.457	8.055	331.104
24.	सिक्किम	0.000	1.200	0.000	1.200	0.000	0.350	0.000	0.350
25.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.759	0.000	0.759
26.	त्रिपुरा	0.000	15.360	0.000	15.360	0.000	0.000	0.000	0.000
27.	उत्तर प्रदेश	1537.660	260.916	0.000	1798.576	887.713	1.557	0.000	889.270
28.	उत्तरांचल	11.840	5.124	0.000	16.984	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	पश्चिमी बंगाल	577.496	777.400	0.000	1354.896	493.111	39.797	0.000	532.908
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1.680	8.160	0.000	9.840	1.737	5.064	0.000	6.801
31.	चंडीगढ़	3.838	11.640	0.000	15.478	0.000	0.000	0.000	0.000
32.	दादरा और नागर हवेली	0.725	0.600	0.020	1.345	0.364	0.120	0.000	0.484
33.	दमण और दीव	0.268	0.480	0.000	0.748	0.014	0.000	0.000	0.014
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.504	0.000	0.504	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पांडिचेरी	0.000	6.240	0.000	6.240	0.000	0.827	0.000	0.827
	जोड़	7095.374	4251.324	21.262	11367.960	3645.828	181.302	16.705	3843.835

विवरण-V

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक चावल के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अनंतिम)			
		गरीबी रेखा रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़	गरीबी रेखा रेखा से नीचे	गरीबी रेखा रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1470.960	1495.680	186.840	3153.480	972.348	564.141	191.522	1728.011
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.459	70.320	1.134	95.913	25.007	21.065	0.740	46.812
3.	असम	515.058	311.280	28.152	854.490	429.825	45.296	28.515	503.636
4.	बिहार	656.370	69.732	60.000	786.102	64.639	0.689	43.252	108.577
5.	छत्तीसगढ़	305.748	60.012	86.220	451.980	148.292	0.210	77.884	226.386
6.	दिल्ली	11.790	163.320	0.480	175.590	9.699	18.652	0.246	28.597
7.	गोवा	6.431	42.840	0.979	50.250	3.539	4.208	0.734	8.481
8.	गुजरात	234.604	216.000	12.350	462.954	130.324	2.653	11.785	144.762
9.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	हिमाचल प्रदेश	173.955	62.760	14.172	250.887	102.705	3.772	13.721	120.198
11.	जम्मू-कश्मीर	115.247	150.120	19.323	284.690	120.544	129.449	4.072	254.065
12.	झारखंड	227.000	25.308	36.650	288.958	76.529	5.609	26.925	109.063
13.	कर्नाटक	646.182	444.000	67.287	1157.469	639.186	380.709	64.640	1084.535
14.	केरल	374.958	1375.440	71.460	1821.858	371.494	21.005	61.507	454.006
15.	मध्य प्रदेश	289.756	64.188	57.120	411.064	121.551	0.791	51.922	174.264
16.	महाराष्ट्र	725.426	268.560	93.749	1087.735	426.556	1.509	82.663	510.728
17.	मणिपुर	35.136	34.320	1.914	71.370	25.455	0.000	0.740	26.195
18.	मेघालय	44.240	114.360	3.515	162.115	43.278	4.511	2.812	50.601
19.	मिजोरम	16.461	81.720	3.156	101.337	16.168	18.931	3.156	38.255
20.	नागालैंड	24.185	103.560	2.280	130.025	24.185	3.143	2.280	29.608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	उड़ीसा	907.045	44.640	88.466	1040.151	488.185	11.584	87.277	587.046
22.	पंजाब	18.080	3.360	0.000	21.440	1.588	0.000	0.000	1.588
23.	राजस्थान	6.282	9.360	1.284	16.926	0.338	0.159	0.484	0.981
24.	सिक्किम	11.205	35.640	1.176	48.021	11.371	5.972	1.146	18.489
25.	तमिलनाडु	1350.423	461.280	35.475	1847.178	1040.753	0.000	24.760	1065.513
26.	त्रिपुरा	62.718	109.440	7.917	180.075	61.115	15.363	6.786	83.264
27.	उत्तर प्रदेश	736.649	126.636	82.111	945.396	253.688	0.942	84.006	338.636
28.	उत्तरांचल	70.962	7.764	8.028	86.754	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	पश्चिमी बंगाल	831.438	128.760	54.960	1015.158	213.648	28.757	27.957	270.362
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	3.686	28.200	0.591	32.477	2.888	9.585	0.303	12.776
31.	चंडीगढ़	0.350	2.040	0.318	2.708	0.055	0.000	0.318	0.373
32.	दादरा और नागर हवेली	3.009	2.160	0.600	5.769	2.475	0.745	0.570	3.790
33.	दमण और दीव	0.639	1.320	0.120	2.079	0.056	0.219	0.085	0.360
34.	लक्षद्वीप	0.044	6.560	0.040	6.644	0.000	3.000	0.000	3.000
35.	पांडिचेरी	22.701	3.480	1.125	27.306	8.502	0.120	0.917	9.539
	जोड़	9923.197	6124.160	1028.992	17076.349	5835.986	1302.786	903.725	8042.497

विवरण-VI

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अनंतिम)			
		गरीबी रेखा रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़	गरीबी रेखा रेखा से नीचे	गरीबी रेखा रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.000	96.000	0.000	96.000	0.000	7.385	0.000	7.385
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.565	6.360	0.000	8.925	1.715	2.795	0.000	4.510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	0.000	123.600	0.000	123.600	0.000	70.011	0.000	70.011
4.	बिहार	1164.501	104.604	90.000	1359.105	313.475	0.325	65.300	379.100
5.	छत्तीसगढ़	87.597	41.100	0.000	128.697	39.649	1.788	0.000	41.437
6.	दिल्ली	102.375	413.520	1.920	517.815	77.062	7.645	0.949	85.656
7.	गोवा	3.420	20.280	0.000	23.700	0.000	1.350	0.000	1.350
8.	गुजरात	634.936	354.000	49.400	1038.336	313.857	1.317	44.960	360.134
9.	हरियाणा	182.541	8.640	27.346	218.527	71.349	0.000	22.655	94.004
10.	हिमाचल प्रदेश	74.280	38.400	9.444	122.124	31.021	5.485	9.371	45.877
11.	जम्मू-कश्मीर	36.516	88.320	6.084	130.920	41.962	45.988	3.195	91.145
12.	झारखंड	340.491	37.956	54.980	433.427	152.531	0.861	35.867	189.259
13.	कर्नाटक	161.542	111.000	16.823	289.365	159.683	69.951	16.156	245.790
14.	केरल	0.000	452.640	0.000	452.640	0.000	98.533	0.000	98.533
15.	मध्य प्रदेश	696.227	110.700	132.600	939.527	460.717	6.306	121.639	588.662
16.	महाराष्ट्र	1370.786	496.560	174.112	2041.458	736.350	1.802	151.707	889.859
17.	मणिपुर	0.000	20.520	0.000	20.520	0.000	0.000	0.000	0.000
18.	मेघालय	0.000	12.000	0.000	12.000	0.000	6.334	0.000	6.334
19.	मिजोरम	0.000	12.120	0.000	12.120	0.000	8.887	0.000	8.887
20.	नागालैंड	5.937	18.480	0.558	24.975	5.937	12.314	0.558	18.809
21.	उड़ीसा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.468	0.000	0.000	0.468
22.	पंजाब	96.283	18.120	19.723	134.126	44.354	0.000	8.070	52.424
23.	राजस्थान	909.987	392.160	110.496	1412.643	559.028	10.458	102.298	671.784
24.	सिक्किम	0.000	1.200	0.000	1.200	0.000	0.600	0.000	0.600
25.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26.	त्रिपुरा	0.000	15.360	0.000	15.360	0.000	3.000	0.000	3.000
27.	उत्तर प्रदेश	1603.140	250.668	178.680	2032.488	895.511	7.805	162.420	1065.736
28.	उत्तरांचल	38.760	15.372	3.420	57.552	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	पश्चिमी बंगाल	422.931	776.400	54.966	1254.297	309.607	159.547	28.952	498.106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1.764	8.160	0.231	10.155	1.547	2.534	0.128	4.209
31.	चंडीगढ़	5.330	11.640	0.000	16.970	0.050	0.000	0.000	0.050
32.	दादरा और नागर हवेली	0.753	0.600	0.240	1.593	0.489	0.230	0.206	0.925
33.	दमण और दीव	0.330	0.480	0.060	0.870	0.020	0.015	0.029	0.064
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.500	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पांडिचेरी	0.000	0.240	0.000	0.240	0.000	0.315	0.000	0.315
	जोड़	7942.992	4057.700	931.083	12931.775	4216.382	533.581	774.460	5524.423

विवरण-VII

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2002 से अक्टूबर, 2002 तक चावल के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अनंतिम)			
		गरीबी रेखा रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़	गरीबी रेखा रेखा से नीचे	गरीबी रेखा रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	842.800	1232.623	152.586	2228.009	829.409	194.155	126.176	1149.740
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.298	44.266	3.703	66.267	17.222	23.260	3.887	44.369
3.	असम	397.999	277.165	68.971	744.135	316.253	32.000	62.784	411.037
4.	बिहार	532.832	534.667	98.000	1165.499	43.403	0.230	70.986	114.619
5.	छत्तीसगढ़	262.836	362.075	70.413	695.324	10.461	0.000	4.654	15.115
6.	दिल्ली	25.259	194.802	2.144	222.205	18.310	12.147	1.691	32.148
7.	गोवा	4.578	47.085	1.792	53.455	3.639	3.583	1.207	8.429
8.	गुजरात	116.544	643.256	15.925	775.725	79.938	9.483	12.888	102.309
9.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	हिमाचल प्रदेश	51.058	132.782	11.097	194.937	56.012	4.397	11.220	71.629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	जम्मू-कश्मीर	94.948	156.100	21.042	272.090	93.252	120.406	8.911	222.569
12.	झारखंड	190.099	50.477	35.917	276.493	21.380	0.124	26.711	48.215
13.	कर्नाटक	519.995	966.280	93.338	1579.613	503.306	226.866	84.622	814.794
14.	केरल	322.329	793.940	58.359	1174.628	178.162	6.328	58.046	242.536
15.	मध्य प्रदेश	212.941	577.579	44.388	834.908	94.488	0.754	43.131	138.373
16.	महाराष्ट्र	474.376	1072.231	85.897	1632.504	296.134	5.621	73.850	375.605
17.	मणिपुर	25.599	17.325	6.251	49.175	24.233	0.543	7.251	32.027
18.	मेघालय	37.947	21.728	6.888	66.563	38.701	4.856	6.887	50.444
19.	मिजोरम	14.154	24.598	2.576	41.328	14.153	22.743	2.576	39.472
20.	नागालैंड	20.678	29.737	3.724	54.139	20.678	2.728	3.724	27.130
21.	उड़ीसा	865.886	683.613	123.851	1673.350	223.536	0.000	93.418	316.954
22.	पंजाब	6.576	82.599	0.000	89.175	0.980	0.016	0.000	0.996
23.	राजस्थान	5.397	44.135	1.050	50.582	0.250	0.010	0.195	0.455
24.	सिक्किम	8.995	27.184	1.645	37.824	8.954	4.585	1.703	15.242
25.	तमिलनाडु	1025.901	2213.625	165.485	3405.011	658.625	0.000	163.103	821.728
26.	त्रिपुरा	61.194	93.296	11.081	165.571	53.840	14.346	10.930	79.116
27.	उत्तर प्रदेश	698.238	1723.353	132.020	2553.611	111.160	1.126	71.147	183.433
28.	उत्तरांचल	56.422	98.297	13.111	167.830	23.839	0.005	5.786	26.630
29.	पश्चिमी बंगाल	647.428	362.061	89.768	1099.257	145.567	10.467	52.335	208.369
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	2.919	16.450	0.756	20.125	1.999	7.596	0.000	9.595
31.	चंडीगढ़	0.105	7.282	0.518	7.905	0.105	0.030	0.518	0.653
32.	दादरा और नागर हवेली	2.583	3.262	0.490	6.335	0.827	0.150	0.190	1.167
33.	दमण और दीव	0.553	4.949	0.098	5.600	0.010	0.084	0.036	0.130
34.	लक्षद्वीप	0.217	3.608	0.098	3.923	0.000	0.500	0.000	0.500
35.	पांडिचेरी	18.277	35.208	2.205	55.690	4.463	0.062	1.636	6.161
	जोड़	7565.961	12577.638	1325.187	21468.786	3893.289	709.201	1012.199	5614.689

विवरण-VIII

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2002 से अक्टूबर, 2002 तक गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अनंतिम)			
		गरीबी रेखा रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़	गरीबी रेखा रेखा से नीचे	गरीबी रेखा रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.000	89.642	0.000	89.642	0.000	4.225	0.000	4.225
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.205	4.415	0.000	6.620	1.455	2.230	0.000	3.685
3.	असम	0.000	352.975	0.000	352.975	0.000	228.790	0.000	228.790
4.	बिहार	786.692	802.053	147.000	1735.745	154.267	0.935	112.067	267.269
5.	छत्तीसगढ़	75.306	247.975	0.000	323.281	37.970	0.449	0.000	38.419
6.	दिल्ली	67.106	492.900	5.696	565.702	51.970	70.004	4.829	126.803
7.	गोवा	2.940	23.427	0.000	26.367	0.000	1.697	0.000	1.697
8.	गुजरात	331.124	1053.692	63.700	1448.516	154.374	5.005	48.991	208.370
9.	हरियाणा	152.187	726.253	27.398	905.838	93.645	15.575	24.928	134.148
10.	हिमाचल प्रदेश	34.034	81.168	8.188	123.390	31.066	5.201	8.020	44.287
11.	जम्मू-कश्मीर	30.378	91.840	6.622	128.840	29.083	57.799	3.631	90.513
12.	झारखंड	285.138	75.698	53.879	414.715	114.418	0.633	39.906	154.957
13.	कर्नाटक	129.997	241.570	23.331	394.898	125.211	71.580	20.613	217.404
14.	केरल	0.000	261.275	0.000	261.275	0.000	90.089	0.000	90.089
15.	मध्य प्रदेश	530.396	1131.485	110.550	1772.431	314.754	19.598	100.327	434.679
16.	महाराष्ट्र	881.048	1982.684	159.523	3023.255	462.856	12.397	134.987	610.240
17.	मणिपुर	0.000	10.360	0.000	10.360	0.000	1.850	0.000	1.850
18.	मेघालय	0.000	3.570	0.000	3.570	0.000	3.565	0.000	3.565
19.	मिजोरम	0.000	6.236	0.000	6.236	0.000	6.076	0.000	6.076
20.	नागालैंड	5.068	12.556	0.910	18.534	5.068	12.361	0.907	18.336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	उड़ीसा	0.000	120.000	0.000	120.000	0.000	6.683	0.000	6.683
22.	पंजाब	90.500	936.526	17.570	1044.596	48.799	4.993	8.251	62.043
23.	राजस्थान	463.631	1806.892	90.237	2360.760	346.805	89.238	85.294	521.337
24.	सिक्किम	0.000	1.085	0.000	1.085	0.000	1.016	0.000	1.016
25.	तमिलनाडु	0.000	50.000	0.000	50.000	0.000	8.874	0.000	8.874
26.	त्रिपुरा	0.000	13.698	0.000	13.698	0.000	2.576	0.000	2.576
27.	उत्तर प्रदेश	1407.615	3411.382	266.923	5085.920	373.897	3.884	131.548	509.329
28.	उत्तरांचल	31.592	194.642	5.586	231.820	12.976	0.730	2.528	16.234
29.	पश्चिमी बंगाल	345.844	2180.884	89.775	2616.503	239.012	113.794	61.070	413.876
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1.421	4.760	0.294	6.475	1.001	2.052	0.000	3.053
31.	चंडीगढ़	4.998	40.465	0.000	45.463	0.610	0.030	0.000	0.640
32.	दादरा और नागर हवेली	0.651	0.903	0.196	1.750	0.132	0.218	0.096	0.446
33.	दमण और दीव	0.280	1.131	0.049	1.460	0.011	0.008	0.012	0.031
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.292	0.000	0.292	0.000	0.150	0.00	0.150
35.	पांडिचेरी	0.000	2.549	0.000	2.549	0.000	0.380	0.000	0.380
	जोड़	5660.151	16456.983	1077.427	23194.561	2599.380	844.685	788.005	4232.070

विवरण-IX

कल्याण योजनाओं अधीन अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000 तक चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मध्याह्न भोजन योजना				पोषाहार कार्यक्रम	
		चावल		गेहूं		गेहूं	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	228.54	155.00	0.00	0.00	20.81	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.53	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	70.04	9.79	0.00	0.00	0.000	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	101.19	5.59	179.41	8.31	0.00	0.04
5.	दिल्ली	0.00	0.00	18.10	0.20	0.00	0.00
6.	गोवा	2.34	1.03	0.00	0.000	0.00	0.00
7.	गुजरात	44.06	15.54	44.06	16.01	23.25	13.10
8.	हरियाणा	26.65	12.92	26.65	21.32	090	0.02
9.	हिमाचल प्रदेश	20.83	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	121.95	97.10	47.81	41.90	0.00	0.00
12.	केरल	49.85	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	98.39	75.61	122.28	102.94	0.00	0.00
14.	महाराष्ट्र	288.72	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मणिपुर	7.64	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	9.62	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	2.92	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	2.92	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	उड़ीसा	97.01	55.37	0.00	0.00	20.79	6.80
20.	पंजाब	0.00	0.00	52.99	0.90	0.00	0.00
21.	राजस्थान	0.00	0.00	166.05	89.82	5.00	0.00
22.	सिक्किम	2.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	तमिलनाडु	118.74	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	त्रिपुरा	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	166.48	69.99	291.38	142.21	0.00	0.00
26.	पश्चिमी बंगाल	260.34	130.87	3.06	5.57	0.00	0.00
27.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
29.	दादरा और नागर हवेली	0.69	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दमण और दीव	0.45	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	1.22	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	1747.39	933.82	952.18	429.18	70.75	19.96

1999-2000 के दौरान आवंटन केवल मध्याह्न भोजन योजना और पोषाहार कार्यक्रम के लिए किया गया था। पोषाहार कार्यक्रम के अधीन केवल गेहूं का आवंटन किया गया था।

(अनंतिम)

विवरण-X

कल्याण योजनाओं के अधीन अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 तक चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मध्याह्न भोजन योजना				पोषाहार कार्यक्रम		अन्नपूर्णा		
		चावल		गेहूं		गेहूं		जोड़	चावल	गेहूं
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन (चावल+गेहूं)	उठान	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	234.61	128.84	0.00	0.00	23.00	0.00	11.19	4.87	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.43	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00
3.	असम	70.15	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00
4.	बिहार	54.15	32.34	132.52	38.16	0.00	0.00	26.59	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	30.90	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	17.98	5.73	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00
7.	गोवा	2.62	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
8.	गुजरात	59.40	18.22	60.18	18.14	22.30	9.63	5.32	0.00	0.00
9.	हरियाणा	20.08	13.10	20.56	13.21	0.00	0.30	2.07	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	16.61	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	4.95	0.35
11.	जम्मू-कश्मीर	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00
12.	झारखंड	21.43	6.49	2.04	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	114.57	99.91	46.93	46.34	0.00	0.93	8.17	0.00	0.00
14.	केरल	46.56	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	0.94	0.00
15.	मध्य प्रदेश	80.53	74.32	138.09	117.89	1.20	0.51	14.38	0.00	0.00
16.	महाराष्ट्र	280.69	236.13	0.00	0.00	10.00	0.00	16.08	0.00	0.00
17.	मणिपुर	6.75	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
18.	मेघालय	8.91	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00
19.	मिजोरम	2.92	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
20.	नागालैंड	3.04	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	उड़ीसा	101.19	55.20	0.00	0.00	4.46	3.00	7.78	4.80	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.00	39.83	4.20	2.41	1.09	1.50	0.00	0.00
23.	राजस्थान	0.00	0.00	130.31	100.55	2.00	2.00	5.70	0.07	2.88
24.	सिक्किम	2.26	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	107.48	74.95	0.00	0.00	2.00	0.65	10.33	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	1.53	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.52	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	132.70	43.69	232.42	49.90	0.00	0.00	30.13	0.00	5.26
28.	उत्तरांचल	9.39	3.99	2.24	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
29.	पश्चिमी बंगाल	218.86	175.33	0.00	10.46	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1.13	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.39	0.20	0.80	0.00	0.05	0.00	0.00
32.	दादरा और नागर हवेली	0.72	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
33.	दमण और दीव	0.44	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.23	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00
	जोड़	1657.23	1088.03	823.47	405.18	68.17	18.11	165.15	16.58	8.56

1999-2000 के दौरान आवंटन केवल मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार कार्यक्रम और अन्नपूर्णा के लिए किया गया था। पोषाहार कार्यक्रम के अधीन केवल गेहूं का आवंटन किया गया था।

अन्नपूर्णा के अधीन आवंटन खाद्यान्नों के रूप में किया गया था।(अनंतिम)

विवरण-XI

कल्याण योजनाओं के अधीन अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मध्याह्न भोजन योजना				पोषाहार कार्यक्रम				अन्नपूर्णा		
		चावल		गेहूं		चावल		गेहूं		जोड़	चावल	गेहूं
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन (चावल+गेहूं)	उठान	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	232.75	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23.14	21.53	14.03	11.99	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.30	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.09	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	91.72	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27	0.67	0.19
4.	बिहार	46.92	35.87	170.65	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06	6.47	10.62
5.	छत्तीसगढ़	126.72	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	3.20	0.94	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	20.21	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00
7.	गोवा	2.41	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.01	0.00
8.	गुजरात	45.08	10.65	45.08	11.36	0.09	0.03	22.05	11.00	0.00	0.00	0.00
9.	हरियाणा	24.25	18.43	24.25	18.34	0.00	0.00	0.90	0.85	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	20.06	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.23	0.20
11.	जम्मू-कश्मीर	21.50	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.03	0.50	0.00
12.	झारखंड	21.43	18.17	2.04	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	120.45	106.11	35.70	29.16	36.42	7.86	37.00	16.98	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	46.69	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	3.52	0.00
15.	मध्य प्रदेश	44.35	35.91	146.26	131.51	5.73	0.07	55.16	29.68	0.00	1.12	4.44
16.	महाराष्ट्र	293.76	249.86	0.00	0.00	33.96	23.83	0.00	9.03	17.82	0.09	0.10
17.	मणिपुर	8.38	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.05	0.00
18.	मेघालय	12.57	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.18	0.00
19.	मिजोरम	2.95	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.10	0.00
20.	नागालैंड	4.79	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.40	0.00
21.	उड़ीसा	92.22	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92	10.63	6.50	6.45	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.42	49.79	28.83	2.27	0.00	3.04	0.09	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	0.00	0.00	186.65	147.31	0.00	0.00	4.60	0.00	12.64	0.00	10.93
24.	सिक्किम	2.42	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	116.01	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	2.57	8.64	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	14.24	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	161.26	128.61	313.87	245.25	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	28.89
28.	उत्तरांचल	19.21	15.87	1.72	0.51	0.00	0.00	7.00	1.05	1.27	1.00	0.05
29.	पश्चिमी बंगाल	287.44	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	1.37	0.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1.15	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.04	0.56	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
32.	दादरा और नागर हवेली	0.76	0.61	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
33.	दमण और दीव	0.45	0.33	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.25	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
	जोड़	1867.50	1348.81	996.79	727.96	80.17	31.85	175.11	103.41	162.25	37.06	55.80

अन्नपूर्णा के अधीन आवंटन खाद्यान्नों के रूप में किया गया था।

विवरण-XI(क)

कल्याण योजनाओं के अधीन अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. छात्रावास			सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना				काम के बदले अनाज कार्यक्रम			
		चावल		गेहूं	चावल		गेहूं		चावल		गेहूं	
		आवंटन	उठान (चावल+गेहूं)	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	100.23	62.28	0.00	232.44	381.67	0.00	0.00	1650.00	1598.63	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.18	0.00	0.00	328.70	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	228.48	24.90	0.00	0.00	100.00	5.05	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	124.29	124.22	0.00	2.75	120.55	130.38	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.01	0.00	0.00	1.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	5.32	0.00	3.19	0.00	0.14	92.45	11.60	11.59	25.03	46.51	80.76
9.	हरियाणा	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	88.79	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	9.06	5.46	7.19	5.08	0.00	5.97	0.00	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	19.98	13.20	9.73	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	झारखंड	0.76	0.00	0.00	115.52	10.01	53.54	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	17.07	8.03	3.10	158.96	117.88	22.55	17.90	57.46	57.25	42.54	42.54
14.	केरल	1.61	0.75	0.00	41.52	13.25	0.00	0.00	5.00	4.98	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	89.92	78.57	265.88	253.78	43.43	60.72	145.24	208.92
16.	महाराष्ट्र	20.85	0.29	0.37	81.86	24.58	153.90	39.81	28.00	7.44	112.00	27.09
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	8.38	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	11.97	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	1.01	1.01	0.00	7.25	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	5.18	5.19	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	21.94	1.08	0.00	197.81	175.63	0.00	0.00	150.00	155.76	0.00	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.67	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137.59	9.52	0.00	0.00	621.36	502.23
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	4.59	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	17.41	2.94	0.00	151.84	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	0.18	0.00	0.09	32.67	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	253.52	10.55	244.74	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	उत्तरांचल	0.13	0.00	0.00	16.98	5.88	12.89	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिमी बंगाल	5.82	0.00	0.00	225.60	146.57	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.01	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा और नागर हवेली	0.64	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.98	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	196.47	76.42	6.79	2357.09	1318.92	1114.37	563.66	2166.03	2051.121	967.65	861.54

*अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. छात्रावास योजना के अधीन आवंटन खाद्यान्नों के रूप में किया गया। (अनंतिम)

विवरण-XII

कल्याण योजनाओं के अधीन अप्रैल, 2002 से अक्टूबर, 2002 तक चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मध्याह्न भोजन योजना				पोषाहार कार्यक्रम				अन्नपूर्णा		
		चावल		गेहूं		चवल		गेहूं		जोड़	चावल	गेहूं
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन (चावल+गेहूं)	उठान	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	223.69	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	11.18	5.15	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
3.	असम	91.72	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.01
4.	बिहार	57.59	15.82	185.29	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	4.51
5.	छत्तीसगढ़	74.55	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4.05	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	20.22	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.02	0.00
8.	गुजरात	32.59	5.97	32.59	6.08	0.00	0.00	28.00	0.43	0.00	0.00	0.00
9.	हरियाणा	23.07	11.30	23.07	11.47	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	19.20	10.48	0.00	0.00	1.88	0.20	2.14	0.23	0.76	0.51	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	24.66	0.06	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	47.44	7.97	4.36	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	2.96	0.00
13.	कर्नाटक	142.92	58.39	10.64	6.08	55.99	13.41	35.00	4.15	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	47.11	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00
15.	मध्य प्रदेश	49.31	20.40	161.34	67.04	2.00	0.00	60.00	15.15	0.00	0.55	2.18
16.	महाराष्ट्र	297.93	158.17	0.00	0.00	33.96	8.95	0.00	0.00	1.20	0.01	0.02
17.	मणिपुर	8.62	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	13.04	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
19.	मिजोरम	2.81	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
20.	नागालैंड	4.79	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.40	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	उड़ीसा	123.79	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	34.57	7.03	0.00	3.71	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.00	48.62	18.70	21.06	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	0.00	0.00	154.04	88.20	0.00	0.00	5.16	1.07	12.64	0.00	6.65
24.	सिक्किम	2.31	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	108.03	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	18.76	3.85	8.64	2.62	0.00
26.	त्रिपुरा	13.80	3.16	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	151.10	66.12	294.57	127.78	0.00	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00	20.04
28.	उत्तरांचल	20.79	5.25	3.86	0.69	0.00	1.40	7.00	0.01	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिमी बंगाल	292.92	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	1.98	0.00
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1.08	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	1.25	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा और नागर हवेली	0.30	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमण और दीव	0.78	0.16	0.00	0.00	0.09	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.25	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	1884.23	723.26	939.85	380.78	120.26	23.96	280.81	45.27	46.80	25.91	33.41

अन्नपूर्णा के अधीन आवंटन खाद्यान्नों के रूप में किया गया था। (अनंतिम)

विवरण-XII(क)

कल्याण योजनाओं के अधीन अप्रैल, 2000 से अक्टूबर, 2002 तक चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./छात्रावास				सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना			
		चावल		गेहूं		चावल		गेहूं	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	72.24	40.96	0.00	0.00	2024.26	1463.06	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.57	0.21	0.19	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
3.	असम	34.12	0.04	0.00	0.01	0.00	174.91	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	44.39	0.00	66.58	0.00	131.46	108.37	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	22.52	0.00	6.46	0.00	259.31	8.14	0.00	0.00
6.	दिल्ली	1.58	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.40	0.01	0.25	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	9.86	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00	38.08	49.70
9.	हरियाणा	0.00	0.00	13.04	0.05	0.00	0.00	78.69	69.72
10.	हिमाचल प्रदेश	4.38	0.70	2.92	0.23	9.58	3.58	8.46	1.84
11.	जम्मू-कश्मीर	8.06	0.00	2.54	0.00	7.12	6.93	3.43	2.56
12.	झारखंड	16.30	0.00	24.44	0.00	96.44	20.93	56.22	13.43
13.	कर्नाटक	44.57	7.96	11.15	2.19	318.89	257.99	14.97	13.57
14.	केरल	27.62	0.45	0.00	0.00	51.48	43.31	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	19.18	0.00	44.53	0.00	165.16	45.76	265.35	170.27
16.	महाराष्ट्र	40.66	3.56	75.52	5.34	49.92	52.75	90.51	87.02
17.	मणिपुर	2.20	0.37	0.00	0.00	4.53	1.02	0.00	0.00
18.	मेघालय	3.25	0.57	0.00	0.00	7.23	4.41	0.00	0.00
19.	मिजोरम	1.21	0.71	0.00	0.00	1.85	2.80	0.00	0.00
20.	नागालैंड	1.78	0.00	0.43	0.00	3.58	2.78	1.98	1.96
21.	उड़ीसा	74.22	1.74	0.00	0.00	495.14	371.39	0.00	0.00
22.	पंजाब	1.32	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	11.96	7.79
23.	राजस्थान	0.47	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00	330.86	355.32
24.	सिक्किम	0.77	0.04	0.00	0.00	2.76	0.02	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	91.15	13.39	0.00	0.00	190.64	106.08	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	5.24	0.00	0.00	0.00	12.89	18.35	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	49.63	0.00	108.02	0.00	81.34	106.54	493.38	323.08
28.	उत्तरांचल	4.69	0.00	2.63	0.00	44.94	15.19	26.98	9.46
29.	पश्चिमी बंगाल	72.73	0.01	12.41	0.00	93.80	98.05	0.00	0.00
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.25	0.00	0.12	0.00	0.38	0.57	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	चंडीगढ़	0.01	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा और नागर हवेली	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.22	0.00	0.06	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.57	0.00	0.00	0.00	0.64	0.32	0.00	0.00
	जोड़	4058.34	2913.42	452.67	7.82	658.21	70.72	1420.85	1105.92

अनंतिम

अदालतों में प्रत्यक्ष कर के मामले

736. **श्री वीर सिंह महतो :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व विभाग द्वारा अदालतों में दायर प्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में दोषमुक्त की दर काफी अधिक है क्योंकि प्रत्यक्ष करों के मामलों की छानबीन समुचित तरीके से नहीं हो पाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने लोगों को दोषमुक्त करार दिया गया और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस संदर्भ में राजस्व विभाग के कार्यकरण की समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दोषमुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :

वित्त वर्ष	दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या
1999-2000	1465
2000-2001	419
2001-2002	199
2002-2003 (दिनांक 31.10.2002 तक)	335

प्रत्यक्ष करविधि के अन्तर्गत अपराधों के लिए अभियोजन शिकायतें विभागीय वकीलों की कानूनी सलाह के बाद दायर की जाती हैं और विभागीय वकीलों द्वारा उनकी पैरवी इस संबंध में निर्धारित उपयुक्त प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। कई अपराधी अपने अपराधों के प्रशमन के लिए आगे आते हैं जिसकी इस संबंध में विधि के उपबंधों के अनुसार अनुमति दी जाती है।

(ग) से (ङ) साक्ष्यों के उचित संग्रहण और उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। जिसके फलस्वरूप सफलता-पूर्वक अभियोजन किया जाता है।

[अनुवाद]

जाली ट्रस्ट

737. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:**
श्री रामजी मांझी:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 सितम्बर, 2002 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" के "आई-टी ऑफिसर रन्स फैक ट्रस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कर निकासी प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में आयकर महानिदेशक के स्तर के एक अधिकारी और अन्य दो निजी व्यष्टियों के खिलाफ एक मामला आर सी 43(ए)/2002 दर्ज किया है। तत्पश्चात् केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उक्त अधिकारी के सरकारी और आवासीय परिसरों पर तलाशी ली गई थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच कर रहा है, जो जारी है।

(ङ) उक्त अधिकारी को पहले ही एक अलग स्टेशन पर स्थानान्तरित कर दिया गया है और यदि आवश्यक हुआ तो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।

दस रुपये का सिक्का जारी करना

738. **डा. डी.वी.जी. शंकर राव:**
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दस रुपये का सिक्का जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक कटे-फटे नोटों को प्रचलन से हटाने के लिए कोई उपाय कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डाकघरों के माध्यम से सिक्के जारी करने पर भी विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सिक्कों की एक नई शृंखला की योजना बनाई जा रही है जिसमें 10 रुपए मूल्यवर्ग के भी सिक्के शामिल होंगे।

(ग) और (घ) जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मुद्रा तिजोरी शाखाओं को जनता द्वारा धारित मैले और कटे-फटे नोटों को बदलने का अनुदेश दिया है। यादृच्छिक नमूना प्रणाली के अधीन जांच द्वारा अपेक्षाकृत कम मूल्यवर्ग के नोटों के प्रक्रियान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और विसंगति स्तर निर्धारित सहिष्णुता स्तर से कम पाए जाने पर लॉट को तुरन्त नष्ट करने का आश्रय लेकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष उपाय अपनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले से ही अपने नौ निर्गम कार्यालयों में मुद्रा सत्यापन और प्रक्रियान्वयन प्रणालियों (सीवीपीएस) की संस्थापना कर दी है और मैले नोटों के प्रक्रियान्वयन तथा विनाश को तीव्र करने के लिए शेष कार्यालयों में उन "सीवीपीएस" की संस्थापना प्रक्रियारत है।

(ङ) और (च) सिक्कों के वितरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मुम्बई और प्रधान डाकघर (जीपीओ) मुम्बई के बीच एक प्रायोगिक व्यवस्था शुरू की गई है। प्रधान डाकघर भारतीय रिजर्व बैंक से विभिन्न मूल्यवर्गों के सिक्कों के भरे हुए थैले प्राप्त करता है और महाराष्ट्र सर्कल में विभिन्न डाकघरों के काउंटरों पर सिक्कों के निर्गम हेतु सिक्कों का परिदाय करता है। अब तक प्रधान डाकघर मुम्बई ने अपने कार्यालयों के माध्यम से वितरण के लिए 2.84 करोड़ रुपए मूल्य के सिक्कों के कुल 5170 थैले प्राप्त किए हैं। अन्य भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय भी इसी प्रकार की व्यवस्था को शुरू करने के लिए डाक प्राधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भंडार

739. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि और कमी के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं; और

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर विदेशी मुद्रा भंडार की निर्भरता का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) विदेशी मुद्रा भंडारों में वृद्धि अथवा कमी सामान्यत: भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी दोनों खातों में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन पर निर्भर करती है।

(ख) वैश्विक पूंजी बाजार में घटनाक्रमों सहित, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति भारत के विदेशी व्यापार, अदृश्य मदों तथा पूंजी प्रवाहों पर भी प्रभाव डालती है तथा इस प्रकार विदेशी मुद्रा भंडारों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (स्वर्ण तथा एसडीआर सहित) 8 नवम्बर 2002, की स्थिति के अनुसार 65.38 बिलियन अमरीकी डालर है, जो एक वर्ष के आयात से भी अधिक के समतुल्य है।

अल्पसंख्यकों के लिए बैंक

740. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए बैंक स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन बैंकों के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी/जारी की गयी; और

(घ) सरकार द्वारा इन बैंकों के लिए सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि जारी करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अलग से कोई बैंक स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, सरकार विभिन्न सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधाएं उपलब्ध करके अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए वचनबद्ध है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों की घनी आबादी वाले पहचाने गए न केवल 44 जिलों में अपितु पूरे देश में भी पर्याप्त रूप से ऋण उपलब्ध किया जाए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन समुदायों को ऋण का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन इन समुदायों को ऋण प्रवाह का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(खातों की संख्या लाखों में)
(राशि करोड़ रुपये में)

देश के सभी जिलों में

समाप्त वर्ष (मार्च)	खातों की संख्या	बकाया राशि
2000	65.77	12998.81
2001	64.92	14449.59
2002	71.65	16500.04

[अनुवाद]

आयात में वृद्धि

741. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष में देश के आयात में तीव्र वृद्धि हुई;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में किये गये आयात का ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों के लिए इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या थे;

(ग) कौन-कौन सी वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इन वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादक क्षेत्रों पर इनके आयात की वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आयात की बढ़ती प्रवृत्ति को कम करने हेतु और घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) अप्रैल-अगस्त, 2002 के दौरान आयातों में मामूली वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि पिछले वर्ष की संगत अवधि में हुई 9.8% की तुलना में 10.4% रही थी।

(ग) इस वृद्धि ने जिन मदों का प्रमुख योगदान रहा है, वे निम्नलिखित हैं: मोती, बेशकीमती और कीमती पत्थर, परिवहन उपकरण, इलैक्ट्रानिक वस्तुएं, विद्युतीय तथा इलैक्ट्रानिक मशीनरी को छोड़कर मशीनरी, वनस्पति तेल (खाद्य), कार्बनिक रसायन, पेट्रोलियम, अपरिष्कृत तथा उत्पाद।

(घ) से (च) आयातों की कड़ी निगरानी की जा रही है और सरकार टैरिफ तथा अन्य तंत्रों के समुचित उपयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है कि आयातों से घरेलू उत्पादकों को कोई गंभीर हानि अथवा क्षति न पहुंचे।

विकलांग व्यक्तियों के लिए ऋण

742. **श्री टी. गोविन्दन:**
श्री पी.सी. थामस:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम और राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम ने राज्य सरकारों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से ऐसे ऋण के लिए दोहरी गारन्टी प्रणाली को बंद करने का निवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा विकलांग व्यक्तियों की अपनी परियोजनाएं स्थापित करने में सहायता करने के लिए अन्य क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम (एन बी सी एफ डी सी) की राज्य माध्यम एजेंसियां, पिछड़े वर्गों के विकलांग व्यक्तियों की कवरेज से संबंधित अलग आंकड़े नहीं रख रही है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एन एस एफ डी सी) द्वारा संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 11,294 विकलांग व्यक्तियों को 31.10.2002 तक 45.46 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विकलांग व्यक्तियों को ऋण देने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शामिल करने के लिए कदम उठाये गये हैं जिससे कि वे विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र संबंधी ऋण के अपने लक्ष्य का कम से कम 3% प्रदान कर सकें।

विवरण

(धनराशि लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत धनराशि	लाभग्राहियों की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	268.24	1062
2.	असम	2.00	20
3.	बिहार	3.00	30
4.	चंडीगढ़	28.24	77
5.	छत्तीसगढ़	15.26	32
6.	दिल्ली	10.78	151
7.	गोवा	17.93	16
8.	गुजरात	566.90	1397
9.	हरियाणा	776.33	1843
10.	हिमाचल प्रदेश	77.74	108
11.	जम्मू और कश्मीर	7.65	5
12.	कर्नाटक	6.65	76
13.	केरल	433.04	899
14.	लक्षद्वीप	12.49	21
15.	मध्य प्रदेश	495.54	1120
16.	महाराष्ट्र	63.72	126
17.	मणिपुर	2.00	20
18.	नागालैंड	120.62	265
19.	उड़ीसा	625.58	1437
20.	पांडिचेरी	171.98	361
21.	पंजाब	34.54	62
22.	राजस्थान	599.15	1041
23.	तमिलनाडु	71.71	447
24.	त्रिपुरा	14.31	63
25.	उत्तर प्रदेश	11.12	43
26.	पश्चिम बंगाल	109.87	572
	कुल	4546.39	11294

[हिन्दी]

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का विभाजन

743. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:**
श्री महबूब जहेदी:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यू.टी.आई. को दो भागों में विभाजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शेयरधारकों पर यू.टी.आई. के द्विशाखन के कौन-कौन से विपरीत वित्तीय प्रभाव पड़ेंगे और इसका प्रभाव कहां तक पड़ेगा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार यू.टी.आई. में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट को दो भागों में बांटने का निर्णय किया है। (1) एक विनिर्दिष्ट उपक्रम जिसमें यू.एस.-64 तथा आश्वासित लाभ योजनाओं सहित गारंटीशुदा भाग होंगे तथा इसका प्रबंध सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के द्वारा किया जाएगा, जिसकी सहायता के लिए सलाहकारों का एक दल होगा। यह कोई नई स्कीम शुरू नहीं करेगा, तथा (2) एक विनिर्दिष्ट कम्पनी जिसमें एन.ए.वी. आधारित योजनाएं होंगी, और "सेबी" विनियमों का पूरी तरह अनुपालन करेगी तथा पेशेवर प्रबंध के अंतर्गत होंगी। तदन्तर इसका समापन किया जाएगा तथा व्ययों की बिक्री प्राप्तियां, व्यय को छोड़कर सरकार को प्राप्त होंगी।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांत्रण एवं निरसन) अध्यादेश, 2002 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि सरकार द्वारा यू.टी.आई. के खाता मूल्य, परिसंपत्ति तथा देयताओं के आधार पर आई.डी.बी.आई., एल.आई.सी., भारतीय स्टेट बैंक तथा सहायक बैंक एवं अन्य संस्थाओं द्वारा अंशदत्त आरम्भिक पूंजी लौटा दी जाएगी।

(घ) और (ङ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तान्तरण एवं निरसन) अध्यादेश, 2002 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यू.टी.आई. के अध्यक्ष, बोर्ड के न्यासियों तथा कार्यकारी न्यासी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी विनिर्दिष्ट कम्पनी के अधिकारी एवं कर्मचारी उन्हीं शर्तों पर होंगे, जो यू.टी.आई. अधिनियम, 1963 के निरसन के पूर्व उन पर लागू थे।

[अनुवाद]

रबर और अन्य फसलों पर आयात शुल्क

744. **श्री रमेश चेन्नितला:**
श्री टी. गोविन्दन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से रबर, कॉपर और अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादकों के लाभ के लिए इनके आयात शुल्क में वृद्धि करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केरल राज्य में बंद पड़े चाय बागानों को खोलने हेतु कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क/शुल्क की निर्धारित दर बढ़ाने हेतु केरल सरकार, संसद के विभिन्न सदस्यों तथा बागान एसोसिएशों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कोयर के संबंध में आयात शुल्क में वृद्धि करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, अंतरिम उपाय के रूप में केरल सरकार ने परित्यक्त चाय सम्पदाओं के श्रमिकों को राशन तथा चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति की अनुमति प्रदान की है तथा कृषि आय कर को भी आस्थगित कर दिया है।

स्पेशल कॉफी टर्म लोन (एस.सी.टी.एल.) योजना के लाभ

745. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार और राज्य के कॉफी उत्पादकों ने केन्द्र सरकार से स्पेशल कॉफी टर्म लोन (एस.सी.टी.एल.) योजना

के नियमों और प्रतिबंधों को उदार बनाने का निवेदन किया है और इस समय केवल पांच प्रतिशत कॉफी उत्पादक एस.सी.टी.एल. योजना का लाभ उठा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने रिजर्व बैंक अधिकारियों, कॉफी उत्पादकों और सरकारी प्रतिनिधियों की हाल ही में बैठक बुलायी थी;

(ग) यदि हां, तो एस.सी.टी.एल. के अंतर्गत कॉफी उत्पादकों को आवास, परिवहन आदि और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस बैठक में कौन-कौन से मुख्य निर्णय लिये गये; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) कॉफी क्षेत्र के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई, 2002 में एक नए राहत पैकेज अर्थात् विशेष काफी सावधि ऋण (एससीटीएल) 2002 की घोषणा के बाद विभिन्न क्षेत्रों से एससीटीएल पैकेज के निबंधन एवं शर्तों को उदार बनाने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। कॉफी उत्पादक एसोसिएशनों/संसद सदस्यों/कर्नाटक सरकार इत्यादि द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर इस पैकेज में आगे और संशोधन किया था ताकि उत्पादकों की चिंताओं का कारगर ढंग से समाधान हो सके। संशोधित किए गए पैकेज के तहत बैंकों को अलग-अलग मालमों का गुण दोष के आधार पर मूल्यांकन करने के बाद पुनर्भुगतान की अवधि को बढ़ाकर नौ वर्ष और उससे अधिक की अवधि करने तथा ऋण स्थगन अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा बागान क्रय ऋण (जिसमें उत्पादकों के पर्याप्त हित निहित थे), वाहन ऋण (ट्रेक्टर, जीप इत्यादि), गृह ऋण (फार्म अथवा उसी तालुका में) जैसे अनेक दीर्घावधि ऋण संघटकों, जो पहले एससीटीएल के दायरे में नहीं आते थे, को उस स्थिति में शामिल किया गया है यदि ये काफी से जुड़े संकार्यों से संबंधित हों। जहां तक नये ऋण हेतु पात्र बनने के लिए पूर्ववर्ती बकाया राशि के 75% का पुनर्भुगतान करने की शर्त का संबंध है, बैंकों द्वारा अपने-अपने बोर्डों के अनुमोदन के अधीन रहते हुए इस मामले में मामला-दर-मामला आधार पर अब निर्णय लिया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा एससीटीएल पैकेज के कार्यान्वयन के हुई प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हाल ही में सरकार द्वारा काफी ऋण संबंधी क्रियाकलापों में शामिल प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बुलाई गई एक बैठक में सरकार द्वारा बैंकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि काफी उत्पादकों, खासकर नए फसल ऋणों से संबंधित उत्पादकों की समस्या का एससीटीएल के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी किए गए समग्र दिशानिर्देशों के भीतर निदान करने में अधिक लोचशीलता अपनाकर उत्पादकों को पैकेज में परिकल्पित लाभ पूर्णत: उपलब्ध होते हैं। कॉफी उत्पादकों को और अधिक राहत प्रदान करने के लिए बैंकों ने निम्नलिखित उपायों पर सहमति व्यक्त की है:

- कॉफी ऋणों पर चालू वर्ष के दौरान देय ब्याज को स्थगित करना जिसे अगले तीन वर्षों में वसूल किया जाना है।
- नए फसल ऋण स्वीकृत करने के लिए बैंकों द्वारा कॉफी उत्पादकों द्वारा पहले लिए गए फसल ऋणों के पुनर्भुगतान के बारे में लोचशील दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
- उत्पादकों के लिए एसटीसीएल के तहत लाभ उठाने का विकल्प 31.12.2002 तक उपलब्ध होगा।

इसके अलावा सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बागान उद्योग की ऋण संबंधी समस्याओं पर शीघ्र ध्यान देने के लिए एक "बागान उद्योग प्रकोष्ठ (पीआईसी)" की स्थापना भी की है।

एससीटीएल पैकेज के सफल कार्यान्वयन हेतु बैंकों और काफी बोर्ड द्वारा अपने विस्तार नेटवर्क के जरिए काफी उत्पादकों के लिए राहत पैकेज से संबंधित सूचना का प्रसार किया जा रहा है।

एसोसिएशनों द्वारा आयकर विवरणी जमा कराना

746. श्री अम्बरीश: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आयकर विवरणी इकट्ठे जमा कराने के लिए विभिन्न एसोसिएशनों को अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) इस समय संघों को आयकर की विवरणियों को इकट्ठे दायर करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, लागू नहीं होता।

(ग) इसका कारण यह है कि विवरणियों को इकट्ठे दायर करना तभी लाभदायक है यदि दायर की जाने वाली सभी विवरणियां

केवल एक ही कर निर्धारण अधिकारी से संबंधित हो। किसी संघ द्वारा विभिन्न कर निर्धारण अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले अपने सदस्यों के लिए एक ही स्थान पर विवरणियां इकट्ठे दायर करने से प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होंगी।

कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश

747. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंपनी कार्य विभाग द्वारा गठित समिति ने कंपनियों के शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक रूप से लाभांश प्रदान करने हेतु उन्हें अनुमति प्रदान करने के लिए कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कंपनियों के लिए यह अनिवार्य घोषित करने के लिए कि वे अपने शेयरधारकों को इलैक्ट्रानिक रूप से लाभांश प्रदान करें, कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) इस उद्देश्य के लिए कम्पनी कार्य विभाग द्वारा किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ख) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हाटों की स्थापना

748. **श्री रामशकल:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली हाट से कितने रुपये का लाभ अर्जित किया गया है; और

(ख) हाटों में स्टालों के आवंटन के लिए कौन-कौन से मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) सरकार दिल्ली हाट से कोई लाभ अर्जित नहीं करती। यह वस्त्र मंत्रालय, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डी टी एण्ड टी डी सी), एवं नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल (एन डी एम सी), नई दिल्ली का एक संयुक्त उद्यम है।

पिछले दो वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष अर्थात 2002-03 (अप्रैल 2002 से सितम्बर, 2002 तक) के दौरान (डी टी एण्ड टी डी सी), दिल्ली द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	अर्जित लाभ (लाख रुपए में)
1.	2000-2001	1,04.05
2.	2001-2002	1,89.88
3.	2002-2003 (अप्रैल-सितम्बर)	50.24

(ख) दिल्ली हाट में स्टॉलों का आबंटन केवल पंजीकृत शिल्पियों/बुनकरों को राज्यों के लिए पहले से तैयार वार्षिक कलैण्डर में निर्धारित अनुसार किया जाता है। भाग लेने वाले कारीगरों/बुनकरों को तीन माह के अन्तराल पर पुन: स्टाल का आबंटन किया जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों से चावल लेना

749. **डा. बी.बी. रमैया:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य ने केन्द्र सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि उसे राज्य के भीतर स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चावल लेने की अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए;

(ख) क्या अन्य राज्यों से भी ऐसे ही प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में अन्य ब्यौरे क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के भीतर स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चावल लेने की अनुमति के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों की संभलाई के लिए राजसहायता

750. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों की संभलाई के लिए राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या किसानों को राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस भुगतान से किसान किस सीमा तक लाभान्वित हुए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को प्रदान की गई राजसहायता की राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

	भारतीय खाद्य निगम	राज्य सरकार	जोड़
1999-2000	8856.72	343.28	9200.00
2000-2001	11462.00	548.00	12010.00
2001-2002	16724.00	770.00	17494.00

(ख) खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और वितरित किए गए खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों के बीच के अंतर को कवर करने के लिए खाद्य राजसहायता दी जाती है। भारतीय खाद्य निगम को बफर स्टाक की रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

(ग) से (ङ) किसानों से वसूल किए गए अनाज के लिए सरकार द्वारा उन्हें निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा वसूली प्रचालन चलाने से यह सुनिश्चित होता है कि किसानों द्वारा खाद्यान्नों की कोई मजबूरन बिक्री न की जाए।

अपराध संबंधी आंकड़े

751. डा. ए.डी.के. जयशीलन: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग ने हवाई अड्डों पर अपराधियों को नियंत्रित करने हेतु अपराध, तस्करी, जब्ती, जांच करवंचन और पुरस्कार संबंधी आंकड़े (डी.ओ.एस.एस.आई.ई.आर.) नाम का एक साफ्टवेयर विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस साफ्टवेयर ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम प्राप्त किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक कार्यशील किये जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) जी, नहीं। विमानपत्तनों पर अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए ऐसा कोई साफ्टवेयर विकसित नहीं किया गया है। तथापि, राजस्व आसूचना निदेशालय ने जब्ती, कुर्की इत्यादि से संबंधित आंकड़ों को सारणीबद्ध करने के लिए अपराधों, तस्करी, जब्ती, जांचों, अपवंचनों और पुरस्कारों पर आंकड़े नामक एक साफ्टवेयर विकसित किया है। इसी तरह कुछेक सीमा-शुल्क आयुक्तालयों ने मुख्यत: जब्ती, कुर्की इत्यादि के बारे में सूचना के भण्डारण के लिए आवश्यकता पर आधारित साफ्टवेयर का विकास किया है। ये साफ्टवेयर विमानपत्तनों पर किसी अपराधी का पता लागने में सक्षम नहीं हैं।

लहसुन का आयात

752. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लहसुन आयातकों ने सरकार से लहसुन के आयात के लिए कोटा प्रदान करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने लहसुन के आयात के लिए सरकारी क्षेत्र की कुछ एजेंसियों को कोटा जारी किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) वर्तमान एक्जिम नीति के अंतर्गत ताजे लहसुन का आयात प्रतिबंधित है। इस मद के लिए आयात लाइसेंस की मंजूरी हेतु आवेदन निर्धारित नीति एवं क्रिया-विधि के अनुसार करने होते हैं। लाइसेंस कृषि मंत्रालय के परामर्श से प्रदान किये जाते हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान ताजे लहसुन की 15,000 मी. टन की मात्रा चार सहकारी समितियों अर्थात् (1) नैफेड, (2) एनसीसीएफ, (3) कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, और (4) एम पी स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को आवंटित की गई है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डालना

753. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक काली सूची में डाली गयी ऐसी संस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में नशामुक्ति केन्द्रों के लिए निर्धारित धनराशि के दुरुपयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने सरकारी निधियों का दुरुपयोग किया है। ब्यौरे संलग्न विवरण के रूप में हैं।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में क्रम सं. 24, 25, 26 तथा 29 पर नशामुक्ति केन्द्रों को वर्तमान में नहीं पाया गया तथा क्रम सं. 27 और 28 के केन्द्रों को क्रियाशील नहीं पाया गया। इन संगठनों को काली सूचीबद्ध कर दिया गया है और राज्य सरकार को निर्मुक्त अनुदान वसूल करने और परिसम्पत्ति को जब्त करने के निदेश दे दिए गए हैं।

विवरण

उन एन.जी.ओ. की सूची जिन्हें काली सूचीबद्ध किया गया है/जिनके अनुदान निलंबित किये गये हैं

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई
1	2	3
राज्य : आंध्र प्रदेश		
1.	श्री दुर्गा एजु. सोसाइटी, सुन्दरायत स्ट्रीट, चित्तूर, आंध्र प्रदेश	काली सूचीबद्ध
2.	सेन्टर फॉर रूरल एजु. एंड डेवलपमेन्ट सोसाइटी जिला अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	-वही-
3.	लर्निंग इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग रॉकी एपार्टमेन्टस, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश	-वही-
4.	मर्सी माइनारिटी एजु. सोसा., 1 क्रॉस, रामचन्द्र नगर, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	-वही-
5.	आदर्श महिला मंडली, एपीएचबी कालोनी, अनन्तपुर जिला, आंध्र प्रदेश-1	-वही-
6.	कल्चरल एक्शन इन रूरल डेवलपमेन्ट, पामिडी, अनन्तपुर जिला, आंध्र प्रदेश	

1	2	3
7.	संगमेश्वर एजु. सोसाइटी डी.नं. 11-292-ए2-02, अनन्तपुर जिला, आंध्र प्रदेश	काली सूचीबद्ध
8.	युवाजन विकलांगुला समक्षेमा संगम कुम्मारा, आंध्र प्रदेश	-वही-
9.	नवोदय सेवा संगम, नेताजी रोड, जदचेरला, महबूबनगर, आंध्र प्रदेश	-वही-
10.	जिला विकलांगुला संगम दक्षिणम बाजार, आंध्र प्रदेश	-वही-
11.	क्राईस्ट रूरल डेवलपमेन्ट एजुकेशनल सोसा., आंध्र प्रदेश	-वही-
12.	सोसल सर्विस सोसाइटी फॉर अवर पीपुल, धर्मावरम, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	-वही-
13.	मदर इंडिया, गोरेतला, अनन्तपुर जिला, आंध्र प्रदेश	-वही-
राज्य : बिहार		
14.	गुलाब सिंह महिला एवं बाल कल्याण संघ, दरौंदा, सीवान, बिहार	-वही-
15.	ग्रामीण विकास संगठन, गया, बिहार (एम आर बच्चों के लिए विशेष स्कूल संबंधी योजना तथा मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्र संबंधी योजना के अंतर्गत)	-वही-
राज्य : गोवा		
16.	आशा भवन, बोआविस्ता बस्तोरा, गोवा	-वही-
राज्य : गुजरात		
17.	भगिनी निकेतन, 10, तुलसी मार्ग, बॉग कालोनी, अहमदाबाद, गुजरात	-वही-
18.	ऊनी ग्रामोद्योग रचनात्मक समिति सुरेन्द्र नगर, गुजरात	-वही-
राज्य : कर्नाटक		
19.	सुपर्णा वीमेन वेलफेयर एसो. विजयनगर, लेआउट एमपीसीएल, कर्नाटक	-वही-

1	2	3
20.	भानु एजु. सोसा. कांगरी सेटेलाइट टाउन, कर्नाटक	काली सूचीबद्ध
21.	सोसायटी फार प्लानिंग अर्बन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, बंगलौर, कर्नाटक	आगे सहायतानुदान रोक दी गई है
22.	राजीव गांधी मेमोरियल प्रीएक्जामिनेशन, कोचिंग सेन्टर बीदर-585041	काली सूचीबद्ध
23.	स्वतंत्र परीक्षा पूर्व कोचिंग सेन्टर, के.आर. पुरम, बंगलौर	-वही-
राज्य : महाराष्ट्र		
24.	इंटरनेशनल मिशन ऑफ डा. अम्बेडकर एजु. सोसायटी, महाराष्ट्र	-वही-
25.	तांत्रिक प्रशिक्षण संस्थान, अमरावती, महाराष्ट्र	-वही-
26.	शिव शक्ति एजु. सोसायटी, नागपुर, महाराष्ट्र	-वही-
27.	जन कल्याण समाज विकास संस्था, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	-वही-
28.	शहीद अब्दुल हमीद एजु. इन्स्टीट्यूट, यवतमाल, महाराष्ट्र	-वही-
29.	अपंग एसोसियेशन, नंदगांव, खन्डेसवा, अमरावती, महाराष्ट्र	-वही-
30.	अक्षर सार्वजनिक वाचनालय, अकोला, महाराष्ट्र	-वही-
31.	अपंग महिला मंडल अमरावती, महाराष्ट्र	-वही-
32.	सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले समाज सेवा संस्थान, जिला-अकोला, महाराष्ट्र	-वही-
33.	जाम्बुवंत महाराजा शिक्षण संस्था, बंजारा कालोनी, खोकड़पुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	-वही-
राज्य: उड़ीसा		
34.	एसो. ऑफ मोरल गाइड एंड सर्विस टु पुअर, नयागढ़, उड़ीसा	-वही-
35.	उड़ीसा एसोसिएशन आफ डीफ, प्लाट सं. 105/ए, पलाशपतली, एरोड्रम एरिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा	-वही-

1	2	3
राज्य : राजस्थान		
36.	चेतना पब्लिक स्कूल शिक्षण समिति बी-22, संजय कालोनी, नेहरू नगर, जयपुर (राजस्थान)	काली सूचीबद्ध
37.	सोशल वेलफेयर चेरिटेबल ट्रस्ट, 638-ए, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर, राजस्थान	-वही-
38.	आशा बाल मंदिर शिक्षा समिति, प्लाट नं. 1, बी कृष्णपुरी, जयपुर-1 (राजस्थान)	-वही-
राज्य : सिक्किम		
39.	श्रद्धा पाक्योंग, ईस्ट सिक्किम	-वही-
राज्य: तमिलनाडु		
40.	सोशल वेलफेयर सोसाइटी, 2-ए, मेन रोड, टिट्टारागुडी, तमिलनाडु	-वही-
41.	एनमास काउंसलिंग टेक्नीकल सेंटर 157, अलबरपेट स्ट्रीट, चेन्नई	-वही-
42.	स्ट्रीट एलफिन्स, एडुकेशन सोसा., ननगमबक्कम, चेन्नई	और आगे सहायतानुदान रोक दिया गया है
राज्य : उत्तर प्रदेश		
43.	भारतीय समाजोत्थान सेवा संस्थान, नेहरू नगर, देवरिया, उत्तरी प्रदेश	काली सूचीबद्ध
44.	अखिल भारतीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान, सेवापुरी, देवरिया (उ.प्र.)	-वही-
45.	अंजुमन मदरसा इस्लामिया, उरई जालौन, उत्तर प्रदेश	-वही-
46.	राष्ट्रीय समाज कल्याण संस्थान, 5/13/43बी, फैजाबाद, उ.प्र.	-वही-
47.	सर्वोदय ग्राम एवं विकास संस्थान, एम रामपुर, उत्तर प्रदेश	-वही-
48.	अंबेडकर शिक्षा प्रसारक समिति, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश	-वही-
49.	अभिनव सेवा संस्थान, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	-वही-

1	2	3
50.	उत्तर प्रदेश राणा वेणी माधव जन कल्याण समिति, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	काली सूचीबद्ध
51.	जन सेवा संस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	-वही-
52.	नन्दिनी बाल विकास एवं ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा समिति, गौंडा, उत्तर प्रदेश	-वही-
53.	राष्ट्रीय समाज कल्याण संस्थान, बी-405, गोपाल टावर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	-वही-
54.	जन कल्याण एवं नारी उत्थान समिति, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	-वही-
55.	परोपकारी संस्थान, एल एस-2/648 सेक्टर-एफ लखनऊ, उत्तर प्रदेश	-वही-
56.	भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोदय विकास समिति, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश	-वही-
57.	मानव जिला प्रसार समिति, 280/69 तिलक नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	-वही-
58.	बाल विकास एवं महिला कल्याण परिषद, गौंडा, उत्तर प्रदेश	-वही-
59.	अवध संस्थान, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	-वही-
60.	अंबेडकर ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	-वही-
61.	प्रभात अन्तर्राष्ट्रीय, एम डी आई, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	-वही-
62.	सेवा लोक कल्याण समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	-वही-
63.	सर्वकल्याण संस्थान, 564/44, गुरु नानक नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	-वही-
64.	अनंत आश्रम, एल.डी. 9, सेक्टर-एफ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	-वही-
65.	करुणोदय सेवा संस्थान, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	-वही-
66.	हरिजन कल्याण समिति, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	-वही-
67.	अखिल भारतीय समाज कल्याण एवं महिला विकास सेवा संस्थान, देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-
68.	मुरलीधर शिक्षा कल्याण समिति, जौनपुर, उत्तर प्रदेश	-वही-

भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) में अनियमितताएं

754. श्री अखिलेश यादव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने जुलाई, माह 2002 में दिल्ली स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का औचक दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे के दौरान क्या त्रुटियां पायी गयीं;

(ग) क्या इन त्रुटियों के लिए उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों को पकड़ लिया गया था; और

(घ) सरकार द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम के मायापुरी डिपु का 27 जुलाई, 2002 को औचक निरीक्षण किया गया था।

(ख) से (घ) अन्ततः कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी।

[अनुवाद]

फर्जी रसीदी और गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर का जब्त किया जाना

755. श्री विनय कुमार सोराकेः क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत महीने दिल्ली में 216 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के फर्जी डाक, रसीदी और गैर-न्यायिक स्टाम्प/स्टाम्प पेपर जब्त किये गये;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कुछ महीने पहले कर्नाटक में पकड़े गए फर्जी स्टाम्प रैकेट की ही तरह का मामला है;

(ग) क्या ऐसे फर्जी स्टाम्प/स्टाम्प पेपर का मुख्यतया एलआईसी और जी.आई.सी. में प्रयोग किया गया;

(घ) यदि हां, तो क्या अभियुक्त और एल.आई.सी./जी.आई.सी. के अधिकारियों के बीच किसी सांठ-गांठ का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

समान आर्थिक नीति के लिए कार्यबल

756. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के विस्तारित पड़ोसी देशों में समान आर्थिक नीति बनाने हेतु विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री को मिलाकर एक कार्य-बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में इस कार्यबल की कोई बैठक हुई थी;

(ग) यदि हां, तो ऐसी बैठक की धारणा के पीछे क्या विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वाहनों के कलपुर्जों के बारे में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता

757. श्री राम सिंह कस्वां: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाहनों के कलपुर्जों के संबंध में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते की शर्तें क्या हैं;

(घ) कलपुर्जों के निर्यात के लिए अब तक भारत को कितनी धनराशि का आदेश प्राप्त हुआ है; और

(ङ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जैव उत्पादों का निर्यात

758. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू जैव उत्पादों की निर्यात संभावना का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो संभावित खरीदारों को ऐसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जैव उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) भारतीय जैव-प्रौद्योगिकी उत्पादों की निर्यात संभावना का आकलन करने के लिए सरकार ने अब तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, इसकी प्रत्याशित निर्यात संभावना को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया बायो-टेक एसोसिएशन द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी निर्यात संवर्धन फोरम को पंजीकृत किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात की मात्रा निम्नानुसार रही है:

वर्ष	निर्यात लाख रु. में
1997-98	33130
1998-99	31086
1999-2000	37973

स्रोत: जैव प्रौद्योगिकी विभाग।

आई.एफ.सी.आई. और आई.डी.बी.आई. हेतु पुनरुद्धार पैकेज

759. श्री वी. वेद्रिसेलवन: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई.एफ.सी.आई. और आई.डी.बी.आई. के लिए 21,000 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश के राजकोषीय घाटे पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) आई.एफ.सी.आई. और आई.डी.बी.आई. द्वारा सरकार को किये जाने वाली पुनर्भुगतान योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशी ऋण

760. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2002 की तिथि के अनुसार राष्ट्र के विदेशी ऋण की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा विदेशी ऋण को कम करने हेतु कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) मार्च, 2002 के अन्त में भारत का विदेशी ऋण 98.1 बिलियन अमरीकी डालर था।

(ख) सरकार ऋण को प्रबन्धकीय सीमाओं के अंतर्गत बनाए रखने के लिए विदेशी ऋण प्रबंधन की एक विवेकपूर्ण नीति का अनुसरण करती है। इस नीति के मुख्य तत्व हैं: रियायती एवं कम महंगे ऋण पर संकेन्द्रण करते हुए बहुपक्षीय/द्विपक्षीय स्रोतों से विदेशी उधार, अल्पावधि ऋण को सीमित करना, अधिक महंगे ऋण की पूर्व-अदायगी, पूंजी खाते पर ऋण-भिन्न सृजक प्रवाहों और चालू खाते पर निर्यातों/अदृश्य मदों को प्रोत्साहन देना।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मुख्य ऋण संकेतकों ने उल्लेखनीय सुधार दर्शाया है जैसाकि नीचे निर्दिष्ट किया गया है:

मुख्य ऋण संकेतक

	1999-00	2000-01	2001-02
मार्च अन्त में विदेशी ऋण (बिलियन अमरीकी डालर)	98.26	99.70	98.14
सकल घरेलू की तुलना में विदेशी ऋण का अनुपात (प्रतिशत)	22.2	22.3	20.8
कुल ऋण की तुलना में अल्पावधि ऋण का अनुपात (प्रतिशत)	4.0	3.5	2.8
ऋण सेवा अनुपात (प्रतिशत)	16.2	17.3	14.1
चालू प्राप्तियों की तुलना में ऋण का अनुपात (प्रतिशत)	145.6	126.2	122.5
चालू प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान का अनुपात (प्रतिशत)	7.3	6.6	5.4

मेडीक्लेम पॉलिसी

761. श्री पवन कुमार बंसल: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने मेडीक्लेम को बाहर से कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में तैयार की गई योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इससे आम जन पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा; और

(घ) उक्त की क्षतिपूर्ति हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) बोमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001 की अधिसूचना के फलस्वरूप नामजद अस्पतालों में बीमित व्यक्ति के चिकित्सा उपचार हेतु नकदी रहित सेवा सुलभ कराने के लिए सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों द्वारा तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) प्रणाली आरंभ की गयी है। व्यावसायिक तृतीय पक्ष प्रशासकों द्वारा दावों के शोधन के परिणामस्वरूप आशा की जाती है कि दावों का शीघ्रतापूर्वक निपटान हो सकेगा और बेहतर मानीटरिंग के जरिए चिकित्सा उपचार के खर्च में कमी आएगी।

(ग) तृतीय पक्ष प्रशासकों को देय सेवा प्रभारों के कारण बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मेडिक्लेम प्रीमियम में 6.0 प्रतिशत तक की मामूली सी वृद्धि अनुमोदित की गई है।

(घ) दावों पर कार्रवाई करने के लिए तृतीय पक्ष प्रशासकों की प्रणाली आरम्भ करने से आशा की जाती है कि दावों के वर्तमान प्रतिकूल अनुपात में सुधार आएगा और अंततोगत्वा बीमित व्यक्ति को लाभ मिलेगा।

[हिन्दी]

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें

762. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय मद के अंतर्गत देश के सभी राज्यों को सहायता देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने दोनों आयोगों की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और संसद में इन्हें पेश किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1996-97 में उक्त सहायता बिहार और झारखण्ड को दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 1997-2002 हेतु बिहार के लिए निर्धारित 625 करोड़ रुपए की धनराशि अब भी केन्द्र सरकार के पास बकाया है;

(च) यदि हां, तो क्या यह धनराशि अप्रयुक्त प्रावधान के अंतर्गत पड़ी है;

(छ) यदि हां, तो बिहार में पंचायत चुनाव के बाद भी इस धनराशि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार बकाया धनराशि का कब तक भुगतान करेगी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। हालांकि केन्द्रीय सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को इस शर्त के साथ स्वीकार किया था कि जहां चुनी हुई स्थानीय निकाय विद्यमान नहीं हैं ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार 2000-2005 के दौरान गैर-व्यपगत (नॉन लैप्सेबल) आधार पर ऐसे न्यासी निकायों के शेयर (हिस्सेदारी) धारण कर सकेगी। अतिरिक्त विचारार्थ विषयों पर ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने के साथ ही स्थानीय निकाय अनुदानों सहित विशिष्ट प्रयोजन अनुदानों के अंतर्गत कुछ शर्तों के पूरा न किये जाने के कारण प्रयुक्त न की गई राशि अंततः वर्ष 2005-06 के अंत तक केन्द्र सरकार के पास समाप्त हो जाएगी।

(ग) से (ज) 1996-97 से 1999-2000 अवधि के दौरान दसवें वित्त आयोग ने, तब के अविभाजित बिहार राज्य को पंचायतों के लिए 507.19 करोड़ रुपए और स्थानीय निकायों के लिए 67.09 करोड़ रुपए के कुल अनुदान की सिफारिश की थी। 1996-97 के दौरान राज्य सरकार को 126.80 करोड़ रुपए के पंचायती राज संस्थान अनुदान और 16.67 करोड़ रुपये के शहरी स्थानीय निकाय अनुदान जारी किए गए थे।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, दसवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत स्थानीय निकाय अनुदान अनिवार्य चुनावों सहित राज्यों की ओर से स्थानीय निकायों को प्रकार्य तथा दायित्व अंतरित करने की एक व्यापक संवैधानिक स्कीम का एक भाग थे ताकि वे (स्थानीय निकाय) स्थानीय स्व-शासन की एक कारगर इकाई के तौर पर कार्य कर सकें। इसलिए अनुदान केवल चुने हुए उन्हीं स्थानीय निकायों के संबंध में जारी किए जाने थे, जहां संविधान के अंतर्गत ऐसे चुनाव अनिवार्य थे। चूंकि बिहार में स्थानीय निकायों के होने वाले चुनाव टी.एफ.सी. अवधि 1995-2000 के दौरान नहीं कराए गए थे, इसलिए 1997-2000 अवधि के लिए टी.एफ.सी. अनुदान के बकाया (शेष) राज्य सरकार को जारी नहीं किये जा सकते हैं। किसी भी वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों की हकदारी उसके द्वारा की गई संस्तुतियों की अवधि समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाती है।

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत वर्ष 2000-01 के लिए पंचायती राज संस्थान अनुदान बिहार सरकार को जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें

763. श्री सी. कुप्पुसामी: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने के बाद उनके मूल वेतन में जोड़ दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं। तथापि, यह सिफारिश की गई थी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) के आधार सूचकांक से 50 प्रतिशत अधिक होते ही महंगाई भत्ते को हर बार महंगाई वेतन (डी.पी.) में परिवर्तित कर दिया जाए। इस महंगाई वेतन को सेवानिवृत्ति लाभों सहित सभी प्रयोजनों के लिए गिना जाना था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राकृतिक रबड़ का आयात/निर्यात

764. श्री पी.सी. थामस:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ समेत विभिन्न किस्म की रबड़ के आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा प्राकृतिक रबड़ के निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों के हितों के विरुद्ध अनुचित आयात को कम करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) ऐसी कार्रवाई के परिणाम का ब्यौरा क्या है और इससे प्राकृतिक रबड़ के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न पत्तनों के जरिये रबड़ के आयात को अनुमति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्व के निर्णय में परिवर्तन के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ तथा सिंथेटिक रबड़ के आयात एवं निर्यात निम्नानुसार हैं:

	आयात (टनों में)		निर्यात (टनों में)	
वर्ष	प्राकृतिक रबड़	सिंथेटिक रबड़	प्राकृतिक रबड़	सिंथेटिक रबड़
1999-2000	20213	94582	5989	1332
2000-2001	8970	87171	13356	1232
2001-2002	49769	99471	6995	2726

(ख) और (ग) प्राकृतिक रबड़ के निर्यातों को बढ़ाने तथा इसके अनुचित आयातों को कम करने के लिए, सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं जिनमें प्राकृतिक रबड़ के निर्यात संवर्धन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम का कार्यान्वयन विभिन्न देशों को निर्यात की संभावनाओं का पता लागना, गुणवत्ता सुधार, देश में प्रसंस्कृत रबड़ की सघनता और पैकेजिंग, व्यापार शिष्टमंडल को भेजना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि शामिल हैं। प्राकृतिक रबड़ के आयात को कम करने के लिए सरकार ने अग्रिम लाइसेंसों के तहत प्राकृतिक रबड़ के आयात पर रोक लगा दी है। आयातित रबड़ की गुणवत्ता पर भी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की गुणवत्ता मानकों को लागू किया है और प्राकृतिक रबड़ के आयातों को केवल दो पत्तनों अर्थात् कोलकाता और विशाखापत्तनम के जरिए प्रतिबंधित कर दिया है।

उपरोक्त कदमों के फलस्वरूप, चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान प्राकृतिक रबड़ के निर्यात तथा आयात पर काफी प्रभाव पड़ा है। प्राकृतिक रबड़ के निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जबकि प्राकृतिक रबड़ का आयात भी कम हो गया है। प्राकृतिक रबड़ की कीमत में भी सुधार हुआ है और यह वर्तमान में 3650 रु./क्विंटल के स्तर पर है जो कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत से अधिक है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वापक औषधियों और सोने की तस्करी

765. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों से देश में लाये जा रहे स्वर्ण और स्वापक औषधियों की राज्यवार कितनी मात्रा पकड़ी गई और राज्यवार उनका मूल्य कितना था; और

(ख) सरकार द्वारा देश में स्वापक औषधियों और स्वर्ण की तस्करी रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक में तंबाकू प्लेटफार्म्स

766. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में वर्तमान में तंबाकू प्लेटफार्मों की स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) कर्नाटक में वर्तमान में उगाये जाने वाले तंबाकू की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या तंबाकू के उत्पादन में हुई वृद्धि के मद्देनजर कर्नाटक में 8 और प्लेटफार्म खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) कर्नाटक में निम्नलिखित स्थानों पर आठ नीलामी प्लेटफार्म हैं:

1. एच. डी कोटे
2. हंसुर-1
3. हंसुर-2
4. पेरियापटना
5. पेरियापटना
6. पेरियापटना
7. रामनाथपुरा
8. शिमोगा

(ख) कर्नाटक के लिए बर्जीनिया तंबाकू हेतु प्राधिकृत फसल आकार 50 मिलियन किग्रा. निर्धारित किया गया है। इस सीमा से 10% अधिक आकार की अनुमति है। यह बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन के अधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिलों का बंद होना

767. श्री रामजी मांझी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गया कपास और जूट मिल बंद कर दी गई है और इसके श्रमिकों को मोकामा मिल भेज दिया गया है जो गया मिल की तुलना में छोटी इकाई है;

(ख) क्या कामगारों ने इच्छा व्यक्त की है कि या तो गया मिल को पुन: चालू किया जाये या उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रदान की जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां। बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनर्स्थापना योजना के अनुसार इस मिल के 247 बेशी कर्मचारियों को बिहार सहकारी मिल, मौकामा में पुन: तैनात कर दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) बीआईएफआर ने एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीओ) के लिए पुनर्स्थापना योजना का अनुमोदन कर दिया है जिसमें अर्थक्षम मिलों का पुनरुद्धार करना और गैर-अर्थक्षम मिलों को बंद करना शामिल है। गया कॉटन एंड जूट मिल एक ऐसी मिल थी जिसे गैर-अर्थक्षम पाया गया था और उसे योजना के अनुसार बंद करने का प्रस्ताव किया गया था। बीआईएफआर के निर्देशों के अनुसार इसके 247 कर्मचारियों को बिहार सहकारी मिल (जिसे बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनर्स्थापना योजना के अनुसार पुन: जीवित करने के लिए अर्थक्षम पाया गया है), मोकामा में पुन: तैनात करने के बाद दिनांक 6.5.2002 को आईडी अधिनियम के अंतर्गत मिल को बंद कर दिया गया। इस मिल के शेष 185 कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया।

वित्तीय संस्थानों का निदेशक मंडल

768. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय संस्थानों के लिए वित्तीय संस्थानवार कितने निदेशक मंडलों की नियुक्ति की गई;

(ख) उन निदेशक मंडलों का कार्यकाल क्या है; और

(ग) उनकी नियुक्ति की निबंधन और शर्तें क्या हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

योजनाओं को लागू किया जाना

769. श्रीमती रीना चौधरी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उनके मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने हेतु एक विशेष मूल्यांकन दल के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के जरिए कार्यान्वित किए जाने वाले इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी अनुसंधान संगठनों को मूल्यांकन अध्ययन के लिए प्रायोजित करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

770. श्री भीम दाहाल : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और उनकी शाखाओं की संख्या कितनी है और उनके प्रायोजक बैंकों के नाम क्या हैं;

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) गत छह महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितना लाभ/घाटा हुआ; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं कि जिन उद्देश्यों के लिये इनका गठन किया गया था, उन उद्देश्यों को पूरा करें?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) उत्तर-पूर्वी राज्यों में 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जिनकी 639 शाखाएं परिचालन में हैं। सिक्किम में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य नहीं कर रहा है। 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से छः को युनाइटेड बैंक आफ इंडिया तथा पांच को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है।

(ख) इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की कुल संख्या 348 हैं।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में हानि/लाभ का लेखा-जोखा छमाही आधार पर तैयार नहीं किया जाता है।

(घ) उत्तर-पूर्व के राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उन्हें दिए गए अधिदेश के अनुसार करते रहे हैं। उन्होंने बैंक रहित क्षेत्रों में शाखाएं खोली हैं और सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ-साथ ग्रामीण क्षत्रों में छोटे और सीमांतिक किसानों तथा कारीगरों का वित्त पोषण किया हैं। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कमजोर स्थिति के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सुदृढ़ीकरण तथा पुनरुद्धार को सुकर बनाने के लिए सरकार को कई नीतिगत परिवर्तन करने पड़े। इन परिवर्तनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें शामिल हैं :-

(1) योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए वार्षिक आधार पर विकास कार्य योजना तथा समझौता ज्ञापन को लागू किया जाना, विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू किया जाना जिसमें आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी मानदंड लागू हैं।

(2) कारोबार पोर्टपोलियो और क्रियाकलापों का विपथन।

(3) अधिशेष गैर-एमएलआर निधियों के निवेश के बढ़े हुए अवसर।

(4) घाटा देने वाली शाखाओं के स्थान परिवर्तन और विलय सहित शाख नेटवर्क का युक्तिकरण।

(5) ब्याज दर ढांचे का अविनियमन।

(6) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों के प्रबंधन में प्रायोजक बैंकों को अपेक्षाकृत अधिक भूमिका प्रदान करना।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम

771. श्री रविप्रकाश वर्मा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक उत्तर प्रदेश में चलाये जा रहे वृद्धाश्रमों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे वृद्धाश्रमों की संख्या कितनी है जिन्हें चलाने के लिये विभिन्न संगठनों ने सरकार से संपर्क किया है और ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) वृद्धाश्रमों के संचालन में व्यय हुई धनराशि कितनी है;

(घ) क्या उन्हें चलाने के लिए विदेशों से भी वित्तीय सहायता ली जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों नामत: 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03 के दौरान (आज की तारीख तक) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था गृहों को दी गई वित्तीय सहायता की संख्या क्रमश: 29, 18, 22 तथा 19 है।

(ख) उन संगठनों के नाम और संख्या के ब्यौरे जिन्होंने वृद्धावस्था गृहों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सम्पर्क किया और जिनके आवेदन लम्बित हैं, विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान (आज की तारीख तक) उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था गृहों को चलाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता क्रमश: 69.58 लाख रु., 41.83 लाख रु., 72.89 लाख रु. तथा 33.65 लाख रु. है।

(घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वृद्धावस्था गृहों को चलाने के लिए संगठनों को अपने स्वयं के बजट से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय द्वारा संगठनों को सहायता देने के लिए कोई बाहरी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन संगठनों की संख्या और नामों के ब्यौरे जिन्होंने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 (आज की तारीख तक) के दौरान वृद्धावस्था गृहों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सम्पर्क किया और आवेदन लम्बित हैं

क्र.सं.	वर्ष	संगठन का नाम	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सिफारिश की तारीख
1.	1999-2000	शून्य	शून्य
2.	2000-01	पंचदेवरा शिक्षा विकास समिति, इलाहाबाद जिला, उत्तर प्रदेश	10.5.2000
3.	2001-02	शून्य	शून्य
		भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास समिति, बाराबंकी जिला, उत्तर प्रदेश	20.5.2002
4.	2002-03	मानव कल्याण समित, वाराणसी जिला, उत्तर प्रदेश	25.6.2002
		लाइफलाइन वेलफेयर सोसाइटी, संत कबीर नगर जिला, उत्तर प्रदेश	16.10.2002

[अनुवाद]

विकलांगों के लिये योजनायें

772. प्रो. आई.जी. सनदी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष द्वारा वित्तपोषित योजनाओं का ब्यौरा क्या है, वे योजनायें कहां शुरू की गई हैं और संबंधित राज्यों द्वारा उनका कितना उपयोग किया गया है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान विकलांगों के लिये सेवाओं का सृजन विकलांगता की रोकथाम विकलांगता का शुरू में ही पता लगाने, अपंग व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण, उनको शारीरिक और आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था कितने क्षेत्रों में की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) विकलांग बन्धु प्रशिक्षण योजना राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि (राष्ट्रीय विकलांग जन निधि के रूप में पुनर्नामित) के माध्यम से कार्यन्वित की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत निर्मुक्त राशि तथा सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या इस प्रकार हैं-

वर्ष	संख्या	राशि (रु. लाख में)
2000-01	शून्य	शून्य
2001-2002	42	83.95
2002-03 (अब तक)	15	34.39

(ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने संबंधी योजना के अंतर्गत शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के क्षेत्र में सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या तथा जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग योजना के अंतर्गत सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजना (अम्ब्रैला योजना) तथा जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र और उपकरण खरीद/फिटिंग सहायता योजना (एडीआईपी योजना) के अन्तर्गत पिछले 2 वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या

राज्य	अम्ब्रैला योजना		एडीआईपी योजना	
	2000-01 संगठनों की संख्या	2001-02 संगठनों की संख्या	2000-01 संगठनों की संख्या	2001-02 संगठनों की संख्या
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	91	106	14	12
अरुणाचल प्रदेश	1	2	0	1
असम	8	13	0	1
बिहार	8	19	6	11
चंडीगढ़	2	2	0	0
छत्तीसगढ़	1	3	0	1
दादरा और नागर हवेली	0	1	0	0
दिल्ली	34	36	8	12
गोवा	2	3	1	1
गुजरात	25	17	6	6
हरियाणा	15	17	11	3

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	2	3	6	2
जम्मू-कश्मीर	3	4	0	0
झारखंड	0	3	0	1
कर्नाटक	57	67	1	10
केरल	55	62	2	6
मध्य प्रदेश	10	15	10	7
महाराष्ट्र	18	27	9	5
मणिपुर	5	8	4	0
मेघालय	4	5	0	0
मिजोरम	3	2	0	0
नागालैंड	1	1	0	0
उड़ीसा	24	27	6	15
पांडिचेरी	1	1	0	0
पंजाब	11	11	7	8
राजस्थान	11	22	2	4
सिक्किम	0	1	0	0
तमिलनाडु	37	50	12	17
त्रिपुरा	1	1	1	1
उत्तर प्रदेश	57	59	30	37
उत्तरांचल	5	8	0	1
पश्चिमी बंगाल	42	48	11	11

आयातित खाद्य तेल की बंदरगाह पर उतरने के बाद पड़ने वाली लागत

773. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित खाद्य तेल की बंदरगाह पर उतरने के बाद पड़ने वाली लागत घरेलू कीमत से कहीं ज्यादा है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान देश-वार और मूल्यवार कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किया गया है; और

(ग) देश में उत्पादित खाद्य तेलों की तुलना में ये आयात मूल्य कितना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखा दी जायेगी।

नाबार्ड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन

774. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण परियोजनाओं के संयुक्त वित्तपोषण हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द राव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। यूनियन बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने कृषि एवं ग्रामीण परियोजनाओं का संयुक्त रूप से वित्तपोषण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

* सह-वित्तपोषण की व्यवस्था का विस्तार कृषि, कृषि संसाधन और उच्च प्रौद्योगिकी कृषि से संबंधित परियोजनाओं तथा ग्रामीण विकास की परियोजनाओं तक किया जाएगा;

* उपर्युक्त के लिए संयुक्त रूप से वित्तपोषण हेतु पार्टियों को अर्थक्षम परियोजनाओं की पहचान करनी होगी;

* कार्यशील पूंजी तथा सावधि ऋण सहायता दोनों के लिए ऋण प्रस्तावों को इस व्यवस्था के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जा सकती है।

* वित्तीय सहायता की प्रमात्रा, मार्जिन राशि के अपेक्षा प्रतिभूति एवं अन्य पहलुओं तथा प्रत्येक पक्ष के हिस्से का निर्णय आपसी विचार-विमर्श से किया जाएगा;

* परियोजना की मंजूरी के पश्चात उधारकर्ताओं के साथ लेन-देन संबंधी सभी आवश्यक कार्रवाई बैंक द्वारा की जाएगी। नाबार्ड बैंक को सेवा प्रभार का भुगतान करेगा जैसी की पार्टियों के बीच सहमति हुई हो।

* सम्पूर्ण ऋण सहायता के लिए ऋण प्रलेखन का कार्य बैंक के संबंधित शाखा कार्यालय में किया जाएगा। बैंक नाबार्ड को विधिवत अभिप्रमाणित ऋण प्रलेख की प्रति उपलब्ध कराएगा।

* प्रदान की गई ऋण सहायता का संवितरण बैंक की संबंधित शाखा के माध्यम के उधारकर्ताओं को किया जाएगा। तथापि, नाबार्ड निरीक्षण के लिए परियोजना स्थल का दौरा करने, परियोजना की निगरानी, नियमों के उपयोग तथा परियोजना की प्रगति का निरीक्षण करने का भी पात्र होगा।

* बैंक ऋणों की समय से वसूली सुनिश्चित करेगा और इससे नाबार्ड को अवगत कराएगा।

* बैंक उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि में से आनुपातिक राशि नाबार्ड को तत्काल विप्रेषित करेगा।

* नाबार्ड प्रदान किए गए ऋण की प्रतिभूति के लिए बैंक द्वारा प्राप्त की गई सभी प्रतिभूतियों पर समरूप प्रभार लगाने का पात्र होगा।

* ऋण सहायता के लिए बैंक द्वारा धारित या धारित की जाने वाली सभी प्रतिभूतियां बैंक द्वारा स्वयं के लिए या नाबार्ड के एजेंट के रूप में धारित की जाएगी।

* इन व्यवस्थाओं को अपसी विचार-विमर्श से क्रियान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रमंडल के देशों की बैठक

775. **श्रीमती प्रभा राव :** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24-26 सितम्बर, 2002 को लंदन में राष्ट्रमंडल देशों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने भी इस बैठक में भाग लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बैठक में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) :(क) और (ख) जी, हां।

(ग) बैठक राष्ट्रमंडल के लिए दोहा, मांटेरी तथा जोहान्सबर्ग में की गई वचनबद्धताओं को एक ठोस कार्य योजना में क्रियान्वित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रमंडल की दृष्टि से देखा जाये तो यह कार्य योजना विकसित तथा विकासशील देशों के बीच एक नई साझेदारी को प्रकट करती है।

[हिन्दी]

दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955

776 प्रो. रासा सिंह रावत : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955" में व्यापक संशोधन हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) अजमेर स्थित दरगाह शरीफ पर चढ़ाये गये चढ़ावे की उचित व्यवस्था और इस्तेमाल के सदुपयोग हेतु इस समय क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(घ) दरगाह के रख-रखाव और सुरक्षा से संबंधित सरकार की क्या योजना है;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान इस दरगाह पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के समक्ष आने वाली समस्याओं की ओर दिलाया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 के संशोधनों की जांच करने के लिए मंत्रालय ने एक समिति गठित की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो सरकार के विचाराधीन है।

(ग) दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 के अनुसार, दरगाह का प्रशासन, नियंत्रण एवं प्रबन्धन दरगाह समिति में निहित है। दानपात्र दरगाह परिसरों के विभिन्न स्थानों पर रखे गए हैं। दान, मनी आर्डर, पोस्टल आर्डर, बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट से तथा दरगाह समिति के कार्यालय में प्रत्यक्ष नगद जमा से भी आय होती है। प्राप्त किए गए चढ़ावे का उपयोग रोज पुण्य अर्पित करने, वार्षिक उर्श के प्रबन्धन, मुहर्रम शरीफ, दीनीं तालीम प्रदान करने के लिए दारूल ऊलूम चलाने, ख्वाजा मॉडल स्कूल चलाने, गरीबों के लिए रोज लंगर, विधवाओं तथा जरूरतमन्दों को वजीफा, होम्योपैथिक औषधालय, छात्रवृत्तियों, शमियानों के प्रबन्ध, वजू के लिए जल तथा दरगाह शरीफ के लिए पेयजल आदि जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

(घ) दरगाह की सुरक्षा की देखरेख दरगाह समिति द्वारा नियुक्त सुरक्षा गार्डों द्वारा की जाती है। उर्श तथा विशेष अवसरों के दौरान, जिला प्रशासन की सहायता भी ली जाती है।

(ङ) से (छ) जी, हां। सरकार इस समस्या से अवगत है। मुख्य समस्या पर्याप्त सुविधाओं जैसे तीर्थ यात्रियों के लिए स्थायी विश्राम स्थली, दरगाह परिसरों में प्रसाधन तथा स्नानघरों का अभाव तथा दरगाह परिसरों के निकट भटकने मवेशी, आदि की है। राजस्थान सरकार तीर्थ यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने के उपाय कर रही है।

[अनुवाद]

विदेशी कंपनियों को कर छूट

777. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसी विदेशी कंपनियों को उत्पाद शुल्क और आय कर में छूट दे रही है जिनके साथ पेट्रोलियम उत्पादों की खोज हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कंपनियों को कुल कितनी धनराशि की छूट प्रदान की गई है;

(घ) इसके कारण सरकारी राजकोष को कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ङ) सरकार उत्पाद शुल्क और आय कर छूट के इस अन्तर को किस प्रकार पूरा कर रही है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार समुद्र के बीच में तेल की खोज के प्रयोजनार्थ वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री/उपकरणों के संबंध में विदेशी कम्पनियों को सीमा शुल्क में छूट प्रदान कर रही है। कतिपय दशाओं के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं के अंतर्गत चलाए गए पैट्रोलियम प्रचालनों तथा कोयले की परतों से निकलने वाली मीथेन गैस प्रचालनों के संबंध में अपेक्षित विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर भी छूट उपलब्ध है। आयकर अधिनियम के

प्रावधानों के अन्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत से पहले अभ्यर्पित किए गए किसी क्षेत्र के संबंध में निष्फल होने वाले अथवा असफल खोज संबंधी खर्चों द्वारा होने वाले व्यय को कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है। विदेशी कम्पनियां भारत तथा अन्य अनेक देशों के बीच द्विपक्षीय दोहरे कराधान के परिहार के लिए करारों (डी टी ए ए) के प्रावधानों के अनुसार कर लाभों की भी हकदार हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रहा है तथा सदन के पटल पर रखी दी जाएगी।

(घ) छूट प्रदान करने से राजस्व की कोई हानि नहीं होती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नगर का उन्नयन

778. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी नगर के उन्नयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) उन्नयन के बाद नगरों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान कराई गई हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में किन-किन नगरों का उन्नयन किया गया है; और

(घ) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान विशेषकर पश्चिम बंगाल में किन-किन नगरों का उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता हकदारी निर्धारित करने हेतु किसी शहर अथवा नगर का स्तरोन्नयन करने के लिए अपनाए गए मानदंडों में 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत और सरकार द्वारा स्वीकृत मानदंड अर्थात् जनसंख्या, राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका क्षेत्र का पुनर्गठन उनके सापेक्ष खर्चे, प्रचलित किराया, आवास की उपलब्धता, पूर्व-समानताओं को बनाए रखना आदि तथा बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का आना है, जैसा कि जम्मू के मामले में है।

(ख) स्तरोन्नत शहरों में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारी शहर के स्तरोन्नयन के पश्चात् मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता तथा दौरे पर दैनिक भत्ता आदि उच्च दरों पर पाने के हकदार होंगे।

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित शहर स्तरोन्नत किए गए हैं—दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, जम्मू और ओलगारेट (पांडिचेरी)।

(घ) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी शहर के स्तरोन्नयन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश हेतु विशेष घटक योजना

779. श्री जय प्रकाश : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और उत्तंराचल हेतु कोई विशेष घटक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्धारित किये गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त योजना हेतु आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त राज्यों में महिलाओं के उत्थान हेतु उठाए गए कदमों के निष्कर्षों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) योजना आयोग तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए योजना निधि को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित करके विशेष संघटक योजना (एस सी पी) को तैयार और कार्यान्वित करते हैं। क्षेत्रवार निर्धारित धनराशि, धनराशि के उपयोग तथा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवारों से संबंधित ब्यौरा संबधित राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है। वर्ष 2002-03 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने 7250 करोड़ रु. के कुल योजना परिव्यय में से विशेष संघटक योजना के लिए 1540 करोड़ रु. आवंटित किए हैं।

उत्तरांचल सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है।

(घ) उत्तर प्रदेश और उत्तंराचल राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[अनुवाद]

असम के निर्यात संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास

780. श्री एम.के. सुब्बा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य के मौजूदा निर्यात संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा और लागत क्या है;

(ग) इस हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता अथवा अंशदान जारी किया गया है; और

(घ) उक्त योजना के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) असम सहित सभी राज्यों के लिए निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु एक राष्ट्रीय योजना है जिसे निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं अन्य कार्य-कलापों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) के नाम से जाना जाता है।

(ख) इस योजना के ब्यौरे वाणिज्य विभाग की वेबसाइट www.commin.nic.in. पर उपलब्ध हैं। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2002-2003 का आवंटन 330 करोड़ रुपए का है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के तहत असम सरकार को 2 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(घ) मुख्य सचिव के अधीन असम की राज्यस्तरीय निर्यात सवंर्धन समिति (एमएलईपीसी) गठित की गई है और इस योजना के तहत तीन परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

उड़ीसा में चाय बागान

781. श्री अनन्त नायक : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में चाय बागान को बढ़ावा देने की व्यापक संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो चाय बागान के अन्तर्गत इस जिले में अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उस जिले में चाय बागान से जुड़े स्थानीय उद्यमियों को भी उसमें शामिल किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) अध्ययनों से यह पता चला है कि क्योंझर जिले के अभिज्ञात क्षेत्र चाय की खेती के लिए उपयुक्त है बशर्ते कि लम्बे समय पर चलने वाले शुष्क महीनों के दौरान कम लागत पर सुनिश्चित कृत्रिम सिंचाई का प्रावधान किया जाए। 1980 के दशक के मध्य में एक निजी परामर्शदात्री फर्म और उड़ीसा की राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग के रूप में एक प्रायोगिक बागान की स्थापना की गई थी। 213 हैक्टेयर के क्षेत्र को आरोपित किया गया था और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया था। तथापि, यह परियोजना जलवायु संबंधी अत्यधिक प्रतिकूल स्थितियों के कारण सफल नहीं हो सकी।

उड़ीसा की राज्य सराकर द्वारा भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लि. (ट्राइफेड) के परामर्श से चाय की खेती को लघु जोतों में शुरू करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

ऋण वसूली अधिकरण

782. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऋणों की वसूली और इस से अनुप्रयोज्य आस्तियों को रोकने हेतु एक उपाय के रूप में ऋण वसूली अधिकरणों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्यवार ऐसे कितने ऋण वसूली अधिकरणों का गठन किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऋण वसूली अधिकरणों के माध्यम से वसूली गई बकाया धनराशि की पूर्ण अवधि और प्रतिशतता दोनों की धनराशि कितनी है;

(घ) क्या ऋण वसूली अधिकरणों के पास मामलों के निपटान हेतु पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऋण वसूली अधिकरणों में अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक 29 ऋण वसूली अधिकरण डी आर टी स्थापित किए जा चुके हैं। ये हैं—महाराष्ट्र राज्य में 6, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रत्येक में 3,

उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश राज्य में प्रत्येक में दो, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, झारखंड और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक में एक।

(ग) दिनांक 31.3.2000, 31.3.2001 और 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार दायर किए गये मामलों की संख्या, निपटान किए गये मामलों की संख्या, अन्तर्ग्रस्त राशि, वसूल की गई राशि और कुल बकाया में से प्रतिशत वसूली संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(घ) और (ङ) प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण के पदधारियों की चालू स्वीकृत संख्या 30 हैं, जो ऋण वसूली अधिकरणों के मौजूदा कार्यभार को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है। तथापि, विभिन्न कारणों से रिक्त पद बनते हैं और रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए ऋण वसूली अधिकरणों एवं मंत्रालय द्वारा सतत आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

(राशि : करोड़ रु. में)

की स्थिति के अनुसार	दायर मामलों की सं.	बकाया राशि	निपटान किए गये मामलों की सं.	अन्तर्ग्रस्त राशि	वसूल की गई राशि	कुल बकाया राशि की प्रतिशत वसूली
31.3.2000	37889	53967	9825	5923	1398	2.59
31.3.2001	47667	82854	14462	10336	2583	3.11
31.3.2002	56988	108665	23393	18556	4737	4.36

गुजरात को विश्व बैंक की सहायता

783. श्री जी.जे. जावीया : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के राहत और पुनर्वास कार्यक्रम हेतु गुजरात राज्य को 498 करोड़ रुपये दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कार्यक्रम-वार और क्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रदत्त धनराशि में से गुजरात को वर्ष 2001-2002 के दौरान 1580.57 करोड़ रुपए की कुल राशि जारी की गई है।

(ख) भारत सरकार ने अग्रिम किस्त के रूप में 372 करोड़ रुपए की राशि तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वास्तविक दावों के अनुसार 1208.57 करोड़ रुपए की शेष राशि प्रतिपूर्ति आधार पर जारी की है। गुजरात के सभी भूंकप प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास संबंधी कार्य जारी हैं।

ए.जेड.ओ. रंजक पर प्रतिबंध

784. श्री सईदुज्जमा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय समुदाय ने मानव स्वास्थ्य की रक्षा हेतु वस्त्र और चर्म वस्तुओं के प्रयोग हेतु दो और ए.जेड.ओ. रंजकों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) क्या इन रंजकों का भारत में उत्पादन और प्रयोग होता है और देश से निर्यात होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भारत में इन रंजकों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या ऐसे सभी रंजकों पर इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाएगा जिस प्रकार यूरोपीय देशों में प्रतिबंध लगाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (च) दिनांक 11.9.2002 को यूरोपीय आयोग ने मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक अमीनो को निसृत करने वाले विशिष्ट ए.जेड.ओ. रंजकों के उपयोग को प्रतिबंधित करते हुए 11.9.2003 से लागू होने वाले ईयू व्यापक विधायी विनियम लागू किए। इस विधान से पहले से विद्यमान इसी प्रकार के देश विशिष्ट विनियमों जो जर्मनी, नीदरलैंड और आस्ट्रिया में प्रवृत्त हैं, को समूचे ईयू में प्रभावी बनाया जाएगा।

भारत सरकार ने ऐसे रंजकों की हैंडलिंग को प्रतिबंधित कर दिया है जो नुकसानदायक एमिनों को निसृत करते हैं। भारत के निर्यातों खासकर ईयू देशों को होने वाले निर्यातों पर ऐसे विधानों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रंजकों और रसायनों के उपयोग का प्रचार-प्रसार करने के लिए लैवलिंग और ईको-मार्किंग योजनाएं इत्यादि लागू की गई हैं। व्यापार एवं उद्योग जगत को शिक्षित करने और इसकी सहायता करने के लिए सरकार ने पारिस्थितिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, ई.यू. देशों की पारिस्थितिक अपेक्षाओं के बारे में सूचना का प्रसार करने, जागरूकता पैदा करने तथा पारिस्थितिकी के अनुकूल उत्पादों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने इत्यादि जैसे अनेक उपाय भी शुरू किए हैं ताकि विकसित देशों में ऐसी पारिस्थितिक अपेक्षाओं से मिलने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके।

खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद

785. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य से राज्य में खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि वह विकेन्द्रीकृत वसूली की योजना अपनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह खाद्यान्नों की कमी वाला राज्य है। राज्य सरकार ने यह स्थिति 21.5.2001 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में बताई थी और इसी स्थिति को नई दिल्ली में 23.2.2002 को केन्द्रीय मंत्रियों तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति की चौथी बैठक में दोहराया गया था।

(ग) विकेन्द्रीकृत वसूली की योजना स्वैच्छिक स्वरूप की है और इसे किसी राज्य सरकार पर थोपा नहीं जाता है। राज्य सरकार को ही इस स्थिति के बारे में पहले सूचित कर दिया गया है और राज्य सरकार को खाद्यान्नों का अपेक्षित आवंटन केन्द्रीय पूल के स्टाक से सामान्य तौर पर किया जा रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

786. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश के बारे में सरकार के अनिर्णय ने देश में आर्थिक सुधारों को बुरी तरह प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विनिवेश, श्रम सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आई है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है;

(ग) यदि हां, तो हमारी अर्थव्यवस्था कितनी प्रभावित हुई है; और

(घ) देश के हित के लिए उचित और बेहतर तरीके से सुधारों को आगे बढ़ाने हेतु सरकार क्या पहल करने पर विचार कर रही है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं। अनेक क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों में प्रगति हो रही है।

(ख) से (घ) भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व मानकों द्वारा वृद्धि की ऊंची दरों का अनुभव होना जारी है।

वृद्धि दर को और त्वरित करना सरकार का मुख्य लक्ष्य बना हुआ है।

अनेक क्षेत्रों में हाल की नीतिगत घोषणाएं इस प्रयास को प्रतिबिम्बित करती हैं।

[हिन्दी]

मादक पदार्थों की तस्करी

787. श्री सुबोध राय: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के माध्यम से स्वापक पदार्थों की व्यापक पैमाने पर तस्करी से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जब्ती से पता चलता है कि देश में नेपाल की सीमा से होकर स्वापक पदार्थों की तस्करी हो रही है।

(ख) विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा यथा-सूचित पिछले तीन वर्षों के दौरान जब्त किए गए विभिन्न प्रकार के स्वापक पदार्थों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) स्वापक औषधियों की तस्करी को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए सरकार ने बहुत से उपाय किये हैं। इनमें समस्त स्वापक औषधियों से संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने के लिए और प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी करना, प्रवर्तन अधिकारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना, केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना और इस उद्देश्य के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तिमाही समन्वित बैठकें करना, समन्वित कार्य द्वारा संगठित स्वापक औषधि के व्यापारियों को निष्प्रभावित करना, उन्नत आधुनिक हथियारों से लैस करते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाना और अपग्रेड करना, एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत अधिक संख्या में केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शक्तियां प्रदान करना और मुखबिरों के लिए पर्याप्त इनामी योजना शामिल हैं।

• *विवरण*

विभिन्न औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा यथा रिपोर्ट की गई गत 3 वर्षों (अर्थात् 2000, 2001 तथा 2002 सितम्बर तक) के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर जब्त की गई विभिन्न प्रकार की औषधियों का ब्यौरा

औषधि	2000		2001		2002 (सितम्बर तक)	
	मामलों की संख्या	मात्रा किलोग्राम में	मामलों की संख्या	मात्रा किलोग्राम में	मामलों की संख्या	मात्रा किलोग्राम में
हेरोइन	5	1.564	0	0	2	0.320
गांजा	61	832	73	1191.51	71	1848.03
हशीष	52	1186.805	50	801.925	34	368.94
अफीम	3	10.090	5	7.04	2	22.012

[अनुवाद]

बंगाल में जूट का उत्पादन

788. श्री महबूब जहेदी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के जूट मिल मालिकों ने दिसम्बर, 2002 तक जूट उत्पादन में 15-18 प्रतिशत कटौती का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनिवार्य जूट पैकेजिंग आदेश में शिथिलता संबंधी अधिसूचना का प्रभाव है;

(ग) क्या यह सच है कि अनिवार्य जूट पैकेजिंग आदेश में शिथिलता के परिणामस्वरूप जूट उद्योग गम्भीर संकट का सामना कर रहा है और इससे हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(घ) क्या इस आदेश से जूट उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा जूट उद्योग के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई) एक सरकारी एजेन्सी है जो पटसन उत्पादकों से खरीद हेतु समर्थन मूल्य अभियान चलाती है और पटसन क्षेत्र में स्थायी एजेन्सी के रूप में कार्य करती है। जे सी आई बिना किसी मात्रात्मक सीमा के उत्पादकों द्वारा समर्थन दरों पर पटसन की जो भी मात्रा दी जाती है उसे खरीदने के लिए नोडल एजेन्सी है। पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार का पटसन उद्योग के विकास हेतु पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) शुरू करने का प्रस्ताव भी है।

विश्व बैंक की टीम का गुजरात दौरा

789. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की टीम ने अक्तूबर, 2002 में उनके द्वारा वित्तपोषित भूकंप संबंधी परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु गुजरात राज्य का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो गुजरात के उनके दौरे के दौरान विश्व बैंक द्वारा किये गये मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने राज्य सरकार को उनके द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के संबंध में कोई विसंगतियां पाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) गुजरात आपात भूकंप पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित घटकों की पुनरीक्षा करने के लिए विश्व बैंक के एक दल ने 11 से 21 सितम्बर, 2002 के दौरान गुजरात का दौरा किया था।

(ख) उपर्युक्त दल ने यह पाया कि सहमत योजना के अनुसार विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम पर संतोषजनक रूप से काम चल रहा है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की धनराशि के उपयोग में कोई विशेष विसंगति नहीं पाई गई है।

आंतरिक कर्ज

790. श्री सुनील खां:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों के आंतरिक कर्ज का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों को मिलने वाले केन्द्रीय ऋण पर ब्याज दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने के संबंध में केन्द्र सरकार को राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) राज्यों के ऋण भार को कम करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) बाजार में प्रचलित ब्याज की कम दर को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के योजना ऋण की ब्याज दरों में कमी करने के लिए कुछ राज्यों ने मांग की है। भारत सरकार योजना ऋणों पर ब्याज दर को आवधिक तौर पर कम कर रही है। योजना ऋणों पर ब्याज की दर 2000-01 में 12.50 प्रतिशत थी, जो 2002-03 में घटकर 11.50 प्रतिशत रह गई है।

(घ) ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए एक सामान्य ऋण राहत स्कीम की सिफारिश की है। भारत सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने ऋण विनियम हेतु एक प्रस्ताव भी रखा है ताकि राज्य राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने के लिए उच्च लागत ऋण को लौटाने में समर्थ हो सकें।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	बकाया राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	17086.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	407.56
3.	असम	3376.15
4.	बिहार	10638.54
5.	छत्तीसगढ़	2767.98
6.	गोवा	823.96
7.	गुजरात	15763.59
8.	हरियाणा	4833.47
9.	हिमाचल प्रदेश	2449.49
10.	जम्मू-कश्मीर	3056.36
11.	झारखण्ड	3574.25
12.	कर्नाटक	10640.12
13.	केरल	5807.87
14.	मध्य प्रदेश	8078.68
15.	महाराष्ट्र	20903.53
16.	मणिपुर	3390.02
17.	मेघालय	339.54
18.	मिजोरम	244.72
19.	नागालैंड	340.02
20.	उड़ीसा	7443.64
21.	पंजाब	8010.68
22.	राजस्थान	9858.56
23.	सिक्किम	196.63
24.	तमिलनाडु	10929.22
25.	त्रिपुरा	630.74
26.	उत्तर प्रदेश	28749.00
27.	उत्तरांचल	1541.60
28.	पश्चिमी बंगाल	23074.49

छुट्टी यात्रा रियायत

791. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:**
श्री रामदास आठवले:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाओं को फिर से बहाल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को ये सुविधाएं किस तिथि से उपलब्ध कराई जाएंगी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

792. **श्रीमती हेमा गमांग:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** 19 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2439 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट एवं रायगढ़ जिले के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकाला गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त समुदायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समुदायों को शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विधेयक, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2002 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उड़ीसा की 26 अनुसूचित जनजातियों से मिलते-जुलते 114 समुदाय/उप-जनजातियां शामिल हैं, लोकसभा में 2.8.2002 को पहले ही पेश किया जा चुका है।

कॉपरेटिव बैंकों के लाइसेंस

793. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 के दौरान और आज तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किन-किन कॉपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द किये गये हैं;

(ख) उनको रद्द किये जाने के बैंकवार क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त बैंकों को खोलने एवं उनके संचालन संबंधी दिशनिर्देश क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चावल का निर्यात

794. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी:**
योगी आदित्यनाथ:
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:
कुंवर अखिलेश सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान और आज तक विभिन्न देशों को चावल और गेहूं की कौन-कौन सी लोकप्रिय किस्मों का निर्यात किया गया इसे कितनी मात्रा में और कौन-कौन से वर्ष में निर्यात किया गया;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन किया गया; और

(ग) इन निर्यातों से अधिकतम लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम देश भर में उचित औसत किस्म के गेहूं और चावल की वसूली करता है। निम्नलिखित वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल से निर्यातकों को रिलीज की गई गेहूं और चावल की मात्राएं निम्नानुसार हैं:

(लाख टन)

वर्ष	गेहूं	चावल
2000-01	18.76	-
2001-02	39.45	19.85
2002-03 (अक्तूबर, 2002)	35.68	43.32

निर्यातक खरीदारों के साथ वाणिज्यिक सौदे सीधे करते हैं।

खाद्यान्न की खरीद

795. **श्री नवल किशोर राय:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य खाद्यान्न की खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में पण्यों के कुल उत्पादन में से गेहूं और धान की कुल खरीद में प्रत्येक राज्य का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या देश के कम खरीद करने वाले राज्यों के किसानों को कृषि विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में खाद्यान्न की खरीद की विद्यमान व्यवस्था अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, हां। अधिशेष वाले राज्य खाद्यान्नों की अधिकांश वसूली करते हैं।

(ख) विगत दो विपणन मौसम 2000-2001 और 2001-02 के दौरान गेहूं और चावल के राज्यवार उत्पादन, वसूली और उनकी प्रतिशतता को दर्शाने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

(ग) और (घ) न्यूनतम समर्थन मूल्य और उचित औसत किस्म मानदंड वाले खाद्यान्नों की वसूली की वर्तमान नीति राज्य सरकारों की सहायता से उन सभी राज्यों में समान रूप से क्रियान्वित की जा रही है, जिनके यहां वसूली की संभावना है। यह नीति किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने में सफल रही है।

खाद्य राजसहायता में कमी के रूप में बचत करने, वसूली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि करने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ स्थानीय किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्थानीय वसूली को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, सरकार द्वारा 1997-98 में खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत वसूली योजना प्रारंभ की गई थी। इस समय यह योजना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उत्तरांचल राज्यों में चल रही है। केन्द्रीय सरकार राज्यों को खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत वसूली योजना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती रही है।

विवरण I

वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान गेहूं का राज्यवार उत्पादन, वसूली और तत्संबंधी प्रतिशत

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001				2001-2002			
	उत्पादन	कुल उत्पादन का प्रतिशत	वसूली	कुल वसूली का प्रतिशत	उत्पादन*	कुल उत्पादन का प्रतिशत	वसूली	कुल वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–
असम	–	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	4497	6.54	–	–	–	–	43	0.21
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	12	0.06
दिल्ली	29	0.04	–	–	–	–	50	0.24
गुजरात	649	0.94	–	–	–	–	–	–
हरियाणा	9652	14.04	4497	27.50	–	–	6407	31.06
हिमाचल प्रदेश	588	0.86	–	–	–	–	2	0.01
जम्मू-कश्मीर	145	0.21	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	3887	5.65	351	2.15	–	–	294	1.43
महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	–
उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पाण्डिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–
पंजाब	15551	22.62	9423	57.62	–	–	10560	51.19
राजस्थान	5554	8.08	539	3.30	–	–	676	3.28
तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	24940	36.27	1545	9.45	–	–	2446	11.86
उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	140	0.68
पश्चिमी बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य	3271	4.76	–	–	–	–	–	–
जोड़	68763	100	16355	100	71470	–	20630	100

*वर्ष 2001-2002 के लिए राज्यवार उत्पादन आंकड़े कृषि मंत्रालय से उपलब्ध नहीं हुए।

विवरण II

वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान चावल का राज्यवार उत्पादन, वसूली और तत्संबंधी प्रतिशत

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001				2001-2002			
	उत्पादन	कुल उत्पादन का प्रतिशत	वसूली	कुल वसूली का प्रतिशत	उत्पादन*	कुल उत्पादन का प्रतिशत	वसूली	कुल वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	11448	13.49	7174	33.71	–	–	6425	29.04
अरुणाचल प्रदेश	126	0.15	–	–	–	–	–	–
असम	3999	4.71	–	0.00	–	–	–	–
बिहार	5417	6.38	19	0.09	–	–	89	0.40
चण्डीगढ़	–	–	16	0.08	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	3238	3.82	857	4.03	–	–	1922	8.69
दिल्ली	5	0.01	–	–	–	–	–	–
गुजरात	1014	1.19	–	–	–	–	–	–
हरियाणा	2684	3.16	1481	6.96	–	–	1484	6.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	–	–	1	0.00	–	–	11	0.05
जम्मू-कश्मीर	415	0.49	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	3734	4.40	230	1.08	–	–	137	0.62
मध्य प्रदेश	961	1.13	176	0.83	–	–	273	1.23
महाराष्ट्र	1945	2.29	34	0.16	–	–	129	0.58
उड़ीसा	4614	5.44	918	4.31	–	–	1253	5.66
पाण्डिचेरी	61	0.07	40	0.19	–	–	11	0.05
पंजाब	9154	10.79	6963	32.72	–	–	7282	32.91
राजस्थान	158	0.19	26	0.12	–	–	39	0.18
तमिलनाडु	7218	8.50	1695	7.97	–	–	852	3.85
उत्तर प्रदेश	11540	13.60	1174	5.52	–	–	1936	8.75
उत्तरांचल	622	0.73	42	0.20	–	–	235	1.06
पश्चिमी बंगाल	12428	14.64	434	2.04	–	–	48	0.22
अन्य	4090	4.82	–	–	–	–	–	–
अखिल भारत जोड़	84871	100	21280	100	–	–	22126	100

*वर्ष 2001-2002 के लिए राज्यवार उत्पादन आंकड़े कृषि मंत्रालय से उपलब्ध नहीं हुए।

[अनुवाद]

पंजाब के कमजोर वर्गों के लोगों का पुनर्वास

796. श्री भान सिंह भौरा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर पंजाब राज्य में कमजोर वर्गों के पुनर्वास हेतु कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है और लक्षित लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना हेतु अब तक राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी हां। मंत्रालय ने कमजोर वर्गों के पुनर्वास के लिए दो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आरंभ किए हैं:

(1) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एन एस एल आर एस)।

(2) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी आर पी डी)।

इन कार्यक्रमों को देश भर में कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना है और निधियां राज्यों को निर्मुक्त की जाती हैं। यह योजना सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक व्यवसायों में उनके प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए सहायता देने के उद्देश्य से 1991-92 में आरंभ की गई। वर्ष 1992 से 2001-02

तक देश भर में 1,56,488 सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और 4,08,644 को वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वासित किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से उन्हें जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में 82 जिलों को शामिल किया जाना है।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और निधियां निर्मुक्त की गई हैं:

आंध्र प्रदेश	–	27.38 करोड़ रु.
हिमाचल प्रदेश	–	2.40 करोड़ रु.

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एक राज्य क्षेत्र योजना है जिसे 1999-2000 में आरंभ किया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में राज्यों को अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से इस कार्यक्रम को वित्त पोषित करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

विदेशी कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन

797. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:**
श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने संबंधी नियमों एवं विनियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कुछ विदेशी कंपनियों द्वारा इन नियमों के उल्लंघन की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वे विदेशी कंपनियां कौन-सी हैं जिनके विरुद्ध निवेश नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की गई है और की गई कार्रवाई का आधार क्या है;

(घ) इस संबंध में उपलब्ध स्थिति क्या है;

(ङ) इन कंपनियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई न किये जाने में हुए अनावश्यक विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति दिशानिर्देश और प्रक्रियाओं का प्रकाशन एवं नियम पुस्तिका के रूप में किया जाता है जिसका संसद के पुस्तकालय सहित व्यापक रूप से परिचालन किया जाता है और यह नियमपुस्तिका वेबसाइट (एचटीटीपी://आईएनडीएमआईएन.एनआईसीआईएन) पर भी उपलब्ध है।

(ख) से (च) विदेशी निवेशकों पर विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 और इसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों के उपबंधों सहित विदेशी सहयोग अनुमोदन की शर्तें व निबंधन और संगत भारतीय कानून लागू हैं। चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक सहित प्रशासनिक मंत्रालयों/सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा विदेशी सहयोग अनुमोदन की शर्तों व निबंधनों और/अथवा संगत अधिनियमों/नियमों के उल्लंघन के मामलों पर कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

चाय उद्योग की समस्याएं

798. श्री सुरेश कुरूप: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में चाय बागानों में व्याप्त गंभीर स्थिति के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा केरल के चाय क्षेत्र को सहायता प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) भारत सरकार को केरल सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें चाय समेत बागान क्षेत्र के सामने आ रही समस्याओं का उल्लेख किया गया है। चाय के बारे में राज्य सरकार ने जो अनुरोध किये हैं उनमें चाय पर उत्पाद शुल्क समाप्त करना और आयात शुल्क में वृद्धि करना शामिल है।

(ग) भारत सरकार ने केरल समेत देश में चाय क्षेत्र की सहायता करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में शामिल हैं:

- वर्ष 2002-03 के आगे चाय पर उत्पाद शुल्क 2.00 रुपए प्रति कि.ग्रा. से घटाकर 1.00 रुपए प्रति कि.ग्रा. करना।
- चाय पर आयात शुल्क 70% से बढ़ाकर 100% करना।
- इस क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए चाय बागानों में पुनरुद्धार, पुनर्रोपण और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम की धारा 33 कख के अंतर्गत कटौती योग्य छूट 20% से बढ़ाकर 40% करना।
- आर बी आई राहत पैकेज की घोषणा करना जिसमें चाय क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों के पुनर्गठन/भुगतान कार्यक्रम पुन: तैयार करने का प्रावधान है।
- उत्पादित चाय की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम चलाना जिससे उत्पादक बेहतर कीमत प्राप्त कर सकेंगे।
- परम्परागत उत्तम गुणवत्ता वाली चाय और पुन: संसाधित न की गई सीटीसी चाय जिसकी विश्व बाजार में अधिक मांग है, के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक फैक्टरी उन्नयन स्कीम क्रियान्वित करना।
- भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए एक मध्यावधि निर्यात कार्य नीति का क्रियान्वयन।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में यायावर समुदाय को आरक्षण

799. श्री रामदास आठवले: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य राज्यों सहित महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में यायावर समुदाय के लोग रहते हैं;

(ख) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में पृथक कोटि का सृजन करते हुए उनको आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन यायावर समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 5 प्रतिशत का विशिष्ट आरक्षण उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ङ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, अनुसूचित जातियों का विनिर्देशन किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किया जाता है और अनुसूचित जातियों की सूची के अन्दर कोई पृथक वर्गीकरण नहीं किया जाता। इसलिए अनुसूचित जातियों की सूची के अन्दर घुमन्तु समुदाय की कोई पृथक श्रेणी नहीं है तथा महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में घुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों की संख्या के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते। जहां तक केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण के लाभों का संबंध है, ये लाभ केवल उन समुदायों को दिए जाते हैं जिन्हें उनके सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और इसलिए केवल घुमन्तु समुदाय को 5% आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

एम.एच. कानिया समिति की सिफारिशें

800. श्री सुबोध मोहिते: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शेयर बाजारों के निगमीकरण और डिम्यूचुअलाइजेशन के संबंध में गठित एम.एच. कानिया समिति ने देश में क्षेत्रीय शेयर बाजार की अवधारणा को समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति की अन्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) कानिया समिति ने नोट किया है कि क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों की अवधारणा, जिसे देश में संसाधनों के जुटाने और इक्विटी पद्धति के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए हस्तचालित व्यापार और खुली हो-हल्ला प्रणाली के दिनों में शुरू किया गया था, ने स्वचलित व्यापार के दिनों में अपनी प्रासंगिकता खो दी है। इसलिए इस समूह ने

अनुभव किया कि क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों की अवधारणा को समाप्त कर दिए जाने की आवश्यकता है।

इस समिति की कुछ अन्य अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं:

* वे स्टॉक एक्सचेंज जिन्हें व्यक्तियों की एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया है और वे जिनका गठन गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनियों के रूप में किया गया है उन्हें शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनियों में बदल दिया जाए;

* सभी स्टॉक एक्सचेंजों के लिए निगमीकरण व डीम्यूचुअलाइजेशन हेतु सांझे माडल को अपनाया जाए;

* प्रतिभूति संविदा विनियम अधिनियम, 1956 के खंड 2 की धारा (ञ) को संशोधित करने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि स्टॉक एक्सचेंज कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनी होनी चाहिए;

* तीनों अंशधारक अर्थात शेयर धारक, दलाल और निवेश करने वाले जनसाधारण का विनियामक निकाय के माध्यम से डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज के संचालन बोर्ड में समान रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिए;

* अंशधारणों के प्रत्येक समूह के लिए बोर्ड में विशिष्ट रिक्तियां होनी चाहिए;

* शेयरधारकों के प्रतिनिधि कार्यशील दलाल नहीं होने चाहिए;

* शेयर धारकों द्वारा दलाल प्रतिनिधियों का चुनाव एक्सचेंज के दलालों में से किया जाएगा;

* सेबी द्वारा निवेश करने वाले जनसाधारण के प्रतिनिधियों का नामांकन एक पैनल में से किया जाएगा जिसमें शिक्षाविद, व्यवसायी, उद्योग प्रतिनिधि, सार्वजनिक हस्तियां और निवेशक संघ जिनमें से किसी की भी किसी दलाली फर्म में कोई दिलचस्पी नहीं हो;

* शेयरधारकों को बोर्ड के निदेशकों की पृष्ठभूमि के बारे में समुचित जानकारी वार्षिक साधारण बैठकों और वार्षिक रिपोर्टों में शेयर धारकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए;

* अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी की भूमिकाएं व इसीलिए पद अलग-अलग होने चाहिएं, अध्यक्ष वह व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास स्टॉक एक्सचेंजों व पूंजी बाजार के कार्यकरण की काफी जानकारी तथा अनुभव हो;

* बोर्ड का अध्यक्ष पेशेवर दलाल नहीं होना चाहिए;

* परस्परीकरण रहित स्टॉक एक्सचेंजों को विशेष रूप से लेखापरीक्षा समिति के गठन, वित्तीय बंदी के मानकों, वार्षिक रिपोर्टों में प्रकटन, शेयरधारकों को प्रकटन तथा प्रबंधन पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में सूचीबद्ध कंपनियों पर प्रयोज्य कार्पोरेट अभिशासन के संगत मानकों का अनुसरण करना चाहिए।

(ग) और (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को अभी इस समिति की अनुशंसाओं को अनुमोदित करना है।

चांदी के आभूषणों की शुद्धता

801. **डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में बिक्री की जा रही अधिकतर चांदी की वस्तुएं सस्ती धातुओं की मिलावट वाली हैं और न तो पुलिस और न ही सरकार इस धंधे पर रोक लगाने के लिए कुछ कर रही है जैसाकि दिनांक 2 नवम्बर, 2002 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'' के पृष्ठ 3 में दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दोषी पाए गए आभूषण विक्रेताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) सरकार के पास इस बात की कोई यथेष्ट सूचना नहीं है कि राजधानी में बेची जाने वाली चांदी की वस्तुएं सस्ती धातुओं की मिलावट वाली होती हैं। सरकार के पास भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के उपबंधों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अधीन चांदी के ऐसे बेईमान व्यापारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की शक्तियां भी नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गेहूं का निर्यात

802. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को श्रीलंका से गेहूं के निर्यात का एक क्रयादेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस गेहूं के निर्यात के कारण सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ग) जी, हां। 300,000 टन गेहूं की आपूर्ति 31 मिलियन यू.एस. डॉलर के क्रेडिट समझौते के जरिये की जाएगी, जो गेहूं के पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 100% तक को कवर करेगा।

[अनुवाद]

मोटर बीमा प्रीमियम

803. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई बीमा कंपनियों ने हाल में भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण से अनुमति लिए बिना मोटर वाहनों के बीमे कर लिये जाने वाले प्रीमियम में 100% से ज्यादा की वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) ट्रान्सपोर्टरों के शीर्ष निकाय सहित अनेक संगठनों ने आईआरडीए से बीमा कंपनियों द्वारा संशोधित मोटर टैरिफ को कार्यान्वित किये जाने के तरीके के बारे में शिकायत की है। आईआरडीए ने बीमाकर्ताओं से टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किए गए मोटर टैरिफ का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का लाभांश

804. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लाभांश को पुन: कर-मुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया है कि यू.टी.आई.-1 द्वारा नियमों से प्राप्त लाभांश को यू.टी.आई. द्वारा निवेशकों को प्रदान किया जाएगा जिसमें यू.एस.-64 तथा आश्वासित आय योजनाएं शामिल हैं और जिसमें यू.टी.आई.-1 की परिसंपत्तियां, अन्य व्यय को छोड़कर निवेश की जाती हैं तथा निवल आस्ति मूल्य में सुधार हेतु इसे नहीं रखा जाएगा। इस लाभांश में निवेशकों को कर से छूट मिलेगी।

सरकारी चीनी मिलों में अनियमितताएं

805. श्री नरेश पुगलिया: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र की कुछ सहकारी चीनी मिलों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्यात किये जाने वाली चीनी को घरेलू बाजार में बेचने का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की अनियमितता बरतने के लिए इन सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:

चीनी मिलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त शुल्क की राशि (लाख रुपये में)	वसूल किए गए शुल्क की राशि (लाख रु. में)
26	942.44	363.54

(ग) उत्पाद शुल्क अपवंचन की वसूली के सभी मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और संबंधित लोगों को दंडित किया जाएगा।

[हिन्दी]

विशेष संरक्षक न्यायालय में कार्यरत बैंक कर्मचारी

806. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्षों से नई दिल्ली में स्थित विशेष संरक्षक न्यायालय में बड़ी संख्या में बैंक विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी बिना किसी स्वीकृत रिक्ति के कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या ये अधिकारी अपने संबंधित बैंकों से अपना वेतन एवं भत्ते प्राप्ति के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति भत्ता भी प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने समय-समय पर अपने अधिकारियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है;

(घ) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने यदि आवश्यक हो, तो इन अधिकारियों को बदले जाने का भी सुझाव दिया है जिससे कि बैंकों का कार्यकरण प्रभावित न हो;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इन अधिकारियों को जनहित में कब तक उनके मूल कार्यालय में वापस भेजा जाएगा?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) प्रतिभूति लेन-देनों, लेखा परीक्षा रिपोर्टों और संबंधित मामलों की जांच करने के लिए अभिरक्षक ने बैंक से आए अधिकारियों की सहायता ली है जो तकनीकी प्रकृति के हैं। फिलहाल, भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी एवं एक कर्मचारी सहित विभिन्न बैंकों से छः अधिकारियों और दो कर्मचारियों को अभिरक्षक के कार्यालय से संबद्ध किया गया है।

(ख) ये अधिकारी संबंधित बैंकों से वेतन, भत्ते के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति भत्ते लेते हैं।

(ग) से (च) भारतीय स्टेट बैंक ने अप्रैल, 2001 में अभिरक्षक के कार्यालय से उनके कार्यालय से संबद्ध वर्तमान अधिकारी को प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया था। तथापि, अभिरक्षक ने भारतीय स्टेट बैंक से उस अधिकारी द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कार्य की महत्वपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अधिकारी को बनाए रखे जाने की अनुमति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है और इस समय अधिकारी का प्रतिस्थापन कार्य की प्रगति को प्रतिकूलतः प्रभावित करेगा।

[अनुवाद]

स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना

807. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री वी. वेद्रिसेलवन:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित स्व-सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों की क्या भूमिका है;

(ख) क्या सरकार को कुछ बैंकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो पात्र व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध नहीं करा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंकवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) बैंक स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह योजना ऋण-सह-सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसमें ऋण एक अत्यावश्यक संघटक है। बैंक परियोजना की योजना बनाने और तैयारी करने, क्रियाकलाप समूह की पहचान करने, बुनियादी

ढांचे की योजना बनाने और साथ ही क्षमता निर्माण एवं स्व-सहायता समूहों (एस एच जी) के क्रियाकलापों के चयन, अलग-अलग स्वरोजगारियों के चयन, ऋण वसूली सहित ऋण-पूर्व क्रियाकलापों एवं ऋण-पश्चात् निगरानी में पूरी तरह शामिल हैं। निर्माण-चरण के दौरान स्व-सहायता समूह को बचत बैंक खुलवाने के जरिए बैंक शाखाओं के सम्पर्क में लाया जाता है। समूह निर्माण चरण के बाद स्व-सहायता समूह बैंक से नकद ऋण सहायता के रूप में परिक्रामी निधि सहायता के रूप में 25,000 रु. के लिए पात्र बन जाते हैं, ताकि वे बाद में आय-सृजक परियोजनाएं शुरू कर सकें।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है हालांकि एस जी एस वाई योजना के कार्यान्वयन के संबंध में बैंकों के विरुद्ध कोई विशेष शिकायतें नहीं थीं, तथापि कुछ राज्यों में बैंकों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं होने की कुछ घटनाएं हैं। ये शिकायतें मंजूर ऋण के संवितरण में देरी, ऋण मंजूर करने में समय अनुसूची का पालन न करने, बैठकों में भाग न लेने आदि से संबंधित है। इस योजना के तहत समग्र प्रगति अपेक्षित सीमा तक नहीं है। सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा आयोजित केन्द्रीय स्तर की समन्वय समिति (सी एल सी सी) में इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाद में जुलाई, 2002 में बैंकों से कहा था कि मंजूरी एवं संवितरण के बीच अन्तराल कम करें, सरकारी कार्यकर्ताओं के साथ ब्लाक स्तर पर कार्य का अधिक समन्वय सुनिश्चित करें, ऋण संवितरण के लिए निर्धारित समय अनुसूची का पालन करें तथा एस जी एस वाई समिति की ब्लाक एवं जिला स्तर की बैठकों में भाग लें। बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि अपने शाखा अधिकारियों के लिए जिला वार एक दिवसीय गहन सुग्राहीकरण कैम्प/कार्यशालाएं आयोजित करें, ताकि वे इस योजना को अच्छी तरह से समझ सकें।

आंध्र प्रदेश के कोआपरेटिव बैंकों का कार्यकरण

808. श्री के. येरननायडू: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य के कोआपरेटिव बैंकों के कार्यकरण की जांच करने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह ने घाटे में चल रहे 41 बैंकों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो ये बैंक कौन से हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों के बचतकर्त्ताओं के हितों की रक्षा हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त शहरी सहकारी बैंकों संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राज्य में 41 बैंक घाटा उठा रहे हैं। तथापि, समिति ने घाटा उठा रहे केवल 39 बैंकों के नामों की सूची बनाई है। इन बैंकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित रखने के लिए 16 बैंकों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क जैसा कि सहकारी समितियों के लिए लागू है के तहत निदेश जारी करने, परिचालन संबंधी निर्देश जारी करने, लाइसेंस रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने, लाइसेंस रद्द करने, आदि जैसे कई उपाय किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और साथ ही रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, आंध्र प्रदेश सरकार के तहत राज्य स्तरीय पुनरीक्षा समिति द्वारा भी शेष 23 बैंकों की स्थिति की गहन निगरानी की जा रही है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में विशेषज्ञ समिति द्वारा पहचान किये गये घाटा उठा रहे शहरी सहकारी बैंकों की सूची

क्र.सं.	बैंक का नाम
1	2
1.	ए.पी. जनता को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., सिकन्दराबाद
2.	ए.पी. महानज को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद
3.	अनन्तपुर को-आपरेटिव टाउन बैंक लि.
4.	अन्नपूर्णा महिला को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद
5.	अपना को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद
6.	आरमूर को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., आरमेर
7.	चारमीनार को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद
8.	धाना को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., इलुरू
9.	धर्मावरम को-आपरेटिव टाउन बैंक लि.
10.	गोकुल को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., सिकंदराबाद
11.	हैदराबाद को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.

1	2
12.	जवाहर को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., सरूरनगर
13.	माणिकान्ता को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद
14.	मिल्ली को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद
15.	मदर टेरेसा हैदराबाद को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद
16.	नरसरोपेट को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., नरसरोपेट
17.	नैशनल को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., कर्नूल
18.	नीलगिरी को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद
19.	नीलकंठ को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद
20.	नीलकृष्णा को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.
21.	ओंगोल को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.
22.	फिथापुरम को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., पिथापुरम
23.	रांगारेड्डी को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., कोथापेट
24.	सलूर को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.
25.	सिकन्दराबाद को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.
26.	सिकन्दराबाद मर्केन्टाइल को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.
27.	सेवा को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., हबशीगुडा
28.	सेवनहील को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद
29.	श्री स्वामी घनानन्द योगेश्वर महिला को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.
30.	श्री सत्य साईं को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., सिकन्दराबाद
31.	श्रीनिवास पदमावती को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.
32.	स्टार को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., दिलसुखनगर
33.	तान्दूर महिला को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.
34.	ताडपत्री को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.
35.	वसावी को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद
36.	वसुंधरा को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद
37.	वीर शिवा को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद
38.	विजया को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., (महिलाओं के लिए) हैदराबाद
39.	यमीगनूर को-आपरेटिव टाउन बैंक लि.

पश्चिमी बंगाल को मध्यावधि ऋण

809. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा पश्चिमी बंगाल के लिए स्वीकृत 865 करोड़ रुपए के मध्यावधि ऋण को अब तक जारी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति के मद्देनजर इसे शीघ्र जारी करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार को मध्यम आवधिक ऋण के रूप में 878 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है, तथापि, जिसको संसद द्वारा वर्ष 2002-03 हेतु अपूरक मांगों को अनुमोदित किए जाने के बाद ही जारी किया जा सकता है।

खाद्य तेल संबंधी निर्धारित दर प्रशुल्क

810. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने खाद्य तेलों से संबंधित निर्धारित प्रशुल्कों में संभावित कमी करने के डबल्यू टी ओ स्विस फार्मूला का विरोध किया है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के कारण जब निर्धारित दरें अधिक हों तो भारत के पास एक लचीली प्रणाली का होना लाभदायक होगा; और

(ग) यदि हां, तो स्विस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में कृषि पर चल रही वार्ताओं के एक भाग के रूप में संयुक्त राज्य और डब्ल्यू टी ओ के कुछ अन्य सदस्य "स्विस फार्मूले" के आधार पर प्रशुल्कों में अत्यधिक कमी करने के पक्षधर हैं। कुछ सदस्यों द्वारा विकासशील देशों के लिए "स्विस फार्मूला" के संशोधन का भी सुझाव दिया गया है। भारत घरेलू कृषि उत्पादन और अपने किसानों की विशिष्ट चिंताओं का निराकरण करने के लिए विकासशील देशों के लिए निर्धारित दर के आधार पर प्रशुल्कों में न्यूनतम कमी करने और लचीलेपन का समर्थन करता है।

काला धन

811. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा इस समय देश में काले धन के परिचालन का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) काले धन के अर्जन और परिचालन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या लोगों को अपने बेहिसाबी धन की घोषणा करने के लिए एक और सर्वेक्षण योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा वर्ष 1983-84 में किए गए अध्ययन के अनुसार अनुमानित अप्रकटित धनराशि 31584 करोड़ रु. और 36786 करोड़ रुपये की बीच थी। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में परिचालित अवैध धन की धनराशि का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) अवैध धन की रोकथाम तथा इसकी वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए दो स्तरीय नीति अपना रही है तथा विभिन्न प्रवर्तन उपायों को भी तेज कर रही है।

(घ) इस समय किसी सर्वेक्षण योजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त खंड (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में छूट

812. श्री किरीट सोमैया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अमरीकी सरकार से कोकाकोला, पेप्सी और अन्य कंपनियों को छूट देने के लिए अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए इंडियन पब्लिक ऑफर द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में पैठ बनाने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) क्या कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सरकार से इंडियन पब्लिक ऑफर के बारे में छूट देने हेतु सम्पर्क किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कई सेबी, संसद सदस्यों और अन्य संगठन ने सरकार से इंडियन पब्लिक ऑफर को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अनिवार्य करने का अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) और (ख) अमरीकी प्राधिकारियों से हिन्दुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स प्रा.लि. के संबंध में विनिवेश की शर्त से संबंधित कुछेक पत्र प्राप्त हुए थे।

(ग) हिन्दुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स प्रा. लि. से यह उपेक्षा थी कि वे अपनी पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, हिन्दुस्तान कोका-कोला बिवरेज प्रा.लि. में, पांच वर्ष की अवधि में अर्थात्, 16.7.2002 तक, 49% तक भारतीय भागीदारी के जरिये विनिवेश की शर्त को पूरा करेगी। इस शर्त के अनुसार, भारतीय भागीदारी अलग-अलग/संयुक्त उद्यम भागीदारों अथवा सामान्य जनता अथवा दोनों के जरिए भागीदारी के रूप में हो सकती है।

(घ) और (ङ) कुछ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के उद्यमों ने विनिवेश की शर्त को शिथिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से संपर्क किया लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है। हिन्दुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स प्रा.लि. के मामले में कंपनी

ने विनिवेश की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार से समय बढ़ाने की अनुमति के लिए सम्पर्क किया जिसमें विनिवेश की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उनके द्वारा उठाये गये कदमों/उठाये जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का उल्लेख किया था। इन निवेदनों के आधार पर सरकार ने विनिवेश की शर्त को लागू करने के लिए हिन्दुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स प्रा.लि. को दिनांक 22.2.2003 तक समय बढ़ाने की अनुमति दी।

(च) और (छ) इस संबंध में कोई भी विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बैंकों द्वारा विज्ञापनों पर व्यय

813. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विज्ञापन और प्रचार पर बैंक वार कितना व्यय किया गया है;

(ख) विज्ञापन और प्रचार के लिए निधियों के आबंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या इन बैंकों द्वारा इन मानदंडों का पूर्णत: अनुपालन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अर्बन को-आपरेटिव बैंक

814. श्री वाई.वी. राव:
श्री ए. ब्रह्मनैया:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अर्बन को आपरेटिव बॉडीज के लिए एक नए पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(घ) अर्बन को-आपरेटिव बैंकों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में विद्यमान दोहरे नियंत्रण को देखते हुए शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए अलग से शीर्ष निकाय की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि विभिन्न राज्यों के राज्य सहकारी समिति अधिनियमों को चौ. ब्रह्म प्रकाश समिति द्वारा संस्तुत मॉडल सहकारी समति अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिए इसमें विधायी परिवर्तन किए बिना शीर्ष पर्यवेक्षी निकाय को, जैसा कि सुझाव दिया गया है, उन्हीं विधायी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा जिसका कि भारतीय रिजर्व बैंक आज सामना कर रहा है।

केन्द्र सरकार का प्रयास राज्यों को अपने राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन के लिए तैयार करवाना है। इस पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार ने संघीय बजट में सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार प्रारंभ करने की घोषणा की है और इन सुधारों को प्रोत्साहित करने तथा सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र को पुनरुज्जीवित करने के लिए 100 करोड़ रु. का प्रावधान किया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंक के विनियमन एवं पर्यवेक्षण की प्रणाली की पुनरीक्षा करता है और शहरी सहकारी बैंकों में व्याप्त खामियों को दूर करने तथा विनियमन एवं पर्यवेक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं: मांग मुद्रा बाजार तथा शेयरों एवं डिबेंचरों के विरुद्ध बैंक वित्त में परिचालनों पर अधिकतम सीमा निर्धारित करना, सरकारी प्रतिभूतियों में एसएलआर निवेशों के प्रतिशत में वृद्धि, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दी गई जमाराशियों और अन्य शहरी सहकारी बैंकों के पास जमाराशि के रूप में जमानिधियों के निवेश पर ब्याज दरों पर प्रतिबंध आदि।

[हिन्दी]

संवेदनशील वस्तुओं का आयात

815. श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के दावों के बावजूद भी संवेदनशील वस्तुओं का आयात बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो रोजगार के संबंध में भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) पिछले वर्ष मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के बाद 300 मदों को संवेदनशील मदों के रूप में अभिज्ञात किया गया था। इन मदों के आयात पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। अनंतिम अनुमान के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों में इन मदों का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 5854 करोड़ रुपए की तुलना में 6487 करोड़ रु. का हुआ है जिसमें 11% की वृद्धि प्रदर्शित होती है। इसी अवधि में आयातों में सामान्य वृद्धि 12% की रही है। इन संवेदनशील मदों के विस्तृत विश्लेषण से यह पता चलता है कि यह वृद्धि मुख्यतया कच्चे पाम आयल के आयात में 1434 करोड़ रु. तक की बढ़ोत्तरी के कारण हुई है। पाम आयल के आयात को विनियमित करने के लिए सरकार ने सीमाशुल्क के निर्धारण के लिए टैरिफ मूल्य पहले ही निर्धारित कर दिया है जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा रहा है।

भारत-मारीशस कर संधि

816. **श्री प्रबोध पण्डा:** क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मारीशस कर संधि की समीक्षा करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मारीशस के रास्ते निवेश करने वाले विभिन्न भारतीय और विदेशी संस्थागत निवेशकों को मिलने वाले एक पक्षीय लाभ को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) मारीशस के विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा उठाये जा रहे कर लाभ एक पक्षीय नहीं हैं परन्तु भारत और मारीशस के बीच दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के उपबंधों के अनुसार दोनों देशों के निवासियों को उपलब्ध हैं, जो एक द्विपक्षीय करार है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कदम उठाये गये हैं।

बैंकों की घाटे में चल रही शाखाएं

817. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घाटे में चल रही सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं को सहकारी संस्थानों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों ने देश भर में घाटे में चल रही अपनी शाखाओं का पता लगा लिया है;

(घ) यदि हां, तो घाटे में चल रही शाखाओं का पता लगाने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्र बरकरार रहे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बैंक अपनी शाखाओं के निष्पादन की लगातार समीक्षा करते हैं। उन शाखाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जाते हैं जिनकी पहचान घाटे में चल रही शाखाओं के रूप में की जाती है, तथा जिनके असफल होने पर बैंक उनके पुनः स्थान निर्धारण/विलयन/समापन पर विचार करते हैं।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि उस शाखा को सेवा क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित/बन्द/विलयित नहीं करना चाहिए जो किसी ग्रामीण केन्द्र में कार्यरत एक ही शाखा है क्योंकि इससे वह क्षेत्र बैंक सेवा से रहित हो जाएगा।

[हिन्दी]

पैकेजिंग डवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कल्याण योजनाएं

818. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा अन्य लोगों के कल्याण के लिए "पैकिंग डवलपमेंट प्रोग्राम" के अंतर्गत कौन-कौन सी परियोजनाएं अथवा कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के अंतर्गत ऋण, अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या फार्मूला अपनाया जा रहा है; और

(ग) इसमें राज्य सरकारों का योगदान अथवा आर्थिक हिस्सेदारी कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केरल के लिए खाद्यान्न जारी किया जाना

819. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से चाय बागान जिन्हें बंद कर दिया गया था के कर्मचारियों हेतु वितरित करने के लिए और खाद्यान्न जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ केरल को पिछले वर्ष से कुल कितना खाद्यान्न जारी किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन संकट वाले क्षेत्रों के लिए वर्ष 2002-2003 के दौरान 25,000 टन साधारण चावल का आबंटन किया गया है।

कर लाभों के लिए दक्षिण कोरिया का अनुरोध

820. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण कोरिया सरकार ने भारत सरकार से कर लाभ सहित कतिपय सुविधाओं हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर लाभों और अन्य सुविधाओं के संबंध में किसी देश के अनुरोध पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) दक्षिण कोरिया की सरकार ने दो देशों के मध्य मौजूदा दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के संशोधन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है तथा मुख्य रूप से भारत में विदेशी कम्पनियों के शाखा कार्यालय के लिए विशिष्ट कर संव्यवहार के आधारों तथा दक्षिण कोरिया शिपिंग लाइनों की आय के कराधान पर दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय का एक संसोधित मसौदा भेजा है। इसी प्रकार 1995 से आगे अन्य दस वर्षों के लिए कर मितव्ययिता की प्रयोज्यता के विस्तार के लिए भारतीय प्राधिकारियों का अनुरोध दक्षिण कोरिया के प्राधिकारियों के पास लम्बित रहा है। उपर्युक्त मुद्दों पर भारत तथा दक्षिण कोरिया के प्राधिकारियों के मध्य एक द्विपक्षीय बैठक को नई दिल्ली में दिनांक 15 से 17 जनवरी, 2002 तक आयोजित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था किन्तु जनवरी, 2002 के प्रथम सप्ताह में कोरिया वित्त मंत्रालय में अप्रत्याशित पुनर्गठन के कारण उसे स्थगित कर दिया गया था। इस बैठक का आयोजन सिओल, कोरिया में दिनांक 5 नवम्बर से 7 नवम्बर, 2002 तक पुन: निर्धारित किया गया था परन्तु उनके राष्ट्रीय विधानसभा के सत्र होने के कारण दक्षिण कोरिया के अनुरोध पर इसे पुन: स्थगित कर दिया गया है। दक्षिण कोरिया ने अब यह प्रस्ताव किया है कि यह बैठक जुलाई, 2003 के माह में आयोजित की जाए।

(ग) आयकर की विशिष्ट दरें भारत में घरेलू कम्पनियों पर लागू होती हैं जो भारत में लाभांशों की घोषणा करने एवं भुगतान के लिए व्यवस्था करती हैं। चूंकि स्वदेशी कम्पनियों से भिन्न कम्पनियां अर्थात विदेशी कम्पनियां भारत में लाभांशों की घोषणा एवं भुगतान नहीं करती हैं वे उच्च कर दर लगाती हैं। वित्त अधिनियम, 2002 के अनुसार विदेशी कम्पनियों से प्रभार्य आयकर की दरों को 48% से कम करके 40% कर दिया गया है। शिपिंग उद्यमों से आय के कराधान के संबंध में आन्तरिक कर दर के 50% की कराधान दर, जैसाकि संधि में प्रावधान किया गया है, केवल तभी लागू होगी जब द्विपक्षीय शिपिंग करार प्रवृत्त हो जाएगा और उस समय तक किसी देश के आन्तरिक कर कानून द्वारा लगाये गये कर का 90% कर की दर होगी। द्विपक्षीय करार पर जहाजरानी मंत्रालय द्वारा अपने सहयोगी दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत की जा रही है।

यू.टी.आई. की एन.ए.वी.-आधारित निधियां

821. **डा. वी. सरोजा:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यू.टी.आई. की एन.ए.वी.-आधारित 12,400 करोड़ की परिसम्पत्तियों को चार या अधिक अलग-अलग निधियों में विभाजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यू.टी.आई. का निजीकरण करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निवेशकों के हितों की किस प्रकार से रक्षा किए जाने की सम्भावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) यू.टी.आई. की निवल आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) आधारित स्कीमें एक विनिर्दिष्ट कम्पनी को अंतरित की जाएंगी जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से गठित की जा रही हैं तथा ये ''सेबी'' विनियमों का अनुपालन करेंगी।

(ग) विनिर्दिष्ट कम्पनी का उत्तरोत्तर विनिंहितीकरण किया जाएगा तथा व्यय से निवल वसूली सरकार को उपार्जित होगी।

(घ) विनिर्दिष्ट कम्पनी ''सेबी'' (म्यूचुअल फण्ड) विनियमों के अनुसार एन.ए.वी. आधारित स्कीमों का प्रबंध करेगी।

गेहूं के लिए नये बाजार

822. **श्री राम मोहन गाइडे:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका, आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कुछ देशों में गेहूं के उत्पादन में गिरावट के कारण भारतीय द्वारा गेहूं निर्यात करने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गेहूं के निर्यात की संभावनाओं के लिए नए बाजारों का पता लगा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) यथार्थ रूप में यह बताना संभव नहीं है कि अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में गेहूं के उत्पादन में कमी होने के कारण भारत द्वारा गेहूं के निर्यात की संभावना में वृद्धि हुई है क्योंकि इस कार्य के कई घटक हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति, घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, उपभोक्ता की वरीयताएं तथा व्यापार में प्रयुक्त किस्में शामिल हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा में वृद्धि

823. **श्री अम्बरीश:**
डा. अशोक पटेल:
श्री पदमसेन चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र को और उदार बनाने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विमानन क्षेत्र में संयुक्त उद्यम में विदेशी भागीदारी के लिए मानदंडों में भी छूट देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र को संयुक्त उद्यम के लिए खोलने से पूर्व राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) और (ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) संबंधी मंत्रियों का दल (जी ओ एम) आवश्यक परिवर्तनों के बारे में निर्णय लेने के लिए क्षेत्रीय सीमाओं सहित एफ डी आई संबंधी क्षेत्रीय नीतियों की समीक्षा करता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में योजना आयोग द्वारा गठित एफ डी आई संबंधी संचालन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी मंत्रियों के दल के विचाराधीन है। उक्त रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय क्षेत्रों में एफडीआई की सीमाएं बढ़ाने/हटाने, एफडीआई के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने और प्रवेश/निकास संबंधी मानदंडों को सरल बनाने की सिफारिशें की गयी हैं।

(ग) से (ङ) संचालन समिति की सिफारिशों में नागर विमानन क्षेत्र भी शामिल है जिसके लिए समिति ने यह सिफारिश की है कि विदेशी इक्विटी की सीमा 40% से बढ़ाकर 49% कर दी जाए और विदेशी एयरलाइंस को इस सीमा के भीतर निवेश करने की अनुमति दी जाए। अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ यह प्रस्ताव भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी मंत्रियों के दल के विचाराधीन है। इन प्रस्तावों पर विचार करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी हितों सहित सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखा जायेगा।

चीन और नेपाल के साथ व्यापार विस्तार

824. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चीन और नेपाल के साथ व्यापार विस्तार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(घ) इस दिशा में क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) सरकार निरन्तर यह प्रयास करती है कि चीन और नेपाल सहित अपने व्यापार का विस्तार किया जाए। जहां तक चीन का संबंध है, निर्यात हित के विभिन्न क्षेत्रों में अयस्क, कॉटन यार्न तथा फैब्रिक्स, प्लास्टिक पोलिमर, कार्बनिक रसायन, स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, मूल्यवान स्टोन, सामग्री खाद्य, लोहा एवं इस्पात, पशु चर्म और खालें, अकार्बनिक रसायन आदि शामिल हैं। चीन को भारतीय फलों और सब्जियों का निर्यात सुविधाजनक बनाने के लिए उठाये गये विशिष्ट कदमों में दोहरा कराधान परिवर्तन करार वार्ताकारी एसपीएस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करना शामिल है। जहां तक नेपाल का संबंध है भारत-नेपाल व्यापार संधि के विभिन्न प्रावधानों के जरिए भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रोन्नत करने का प्रयास है।

पाटन रोधी जांच-पड़ताल

825. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी 2002 से जून 2002 के दौरान भारत ने बड़ी संख्या में पाटनरोधी जांच पड़ताल शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत द्वारा शुरू की गई जांच-पड़तालों की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) जनवरी से जून, 2002 तक की अवधि के दौरान पाटनरोधी तथा सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय ने 11 पाटनरोधी जांच शुरू की। जांचाधीन उत्पाद हैं—ग्रैफाइट इलैक्ट्रोड्स, सोडियम ट्राई पोली फासफेट, डी(-) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस, विटामिन-ए पल्मिटेट, फिनोल, फैरो-सिलिकोन, सिट्रिक एसिड असाइक्लिक एल्कोहल, कास्टिक सोडा, डी(-) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन मिथाइल पोटाशियम डेन साल्ट और एक्स-रे बैगेज सिस्टम। शामिल देश हैं-पोलैंड, ब्राजील, चीन, ताइवान, यूरोपीय संघ, जार्जिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, मकदूनिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, मलेशिया, रोमानिया, कोरिया और जर्मनी। शुरू किए गए 11 पाटनरोधी मामलों में से 10 मामलों के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए हैं और एक मामले की जांच चल रही है।

[हिन्दी]

संस्थाओं को खाद्यान्न आवंटन

826. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न संस्थाओं को उनके घरेलू उपयोग के लिए गेहूं और चावल निर्यात दरों पर आवंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों के राज्य-वार नाम क्या हैं और उन्हें गेहूं और चावल आवंटन निर्यात दरों पर किस आधार पर किया गया है; और

(ग) इन संस्थाओं के संबंध में क्या निगरानी तंत्र अपनाया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा भण्डार

827. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितना विदेशी मुद्रा भण्डार है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव उच्च ब्याज दर वाले ऋणों को चुकाने वाले नए भण्डारों का उपयोग करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस निर्णय से सम्भावित भण्डार और ऋण किस सीमा तक कम किये जा सकेंगे यथा पर्याप्त ऋण और आयात कवर बनाये रखा जा सकेगा?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) 8 नवम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार 65,376 मिलियन अमरीकी डालर का है।

(ख) और (ग) सरकार समय-समय पर उच्च लागत वाले विदेशी ऋण का पूर्व भुगतान करती है। यह विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन नीति का एक भाग है। वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान अब तक 702.82 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का पूर्व भुगतान किया जा चुका है।

(घ) पूर्व भुगतान का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार पर कोई स्वचालित प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि सरकार द्वारा ऋण शोधन बाजार से विदेशी मुद्रा की खरीद द्वारा किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित प्रारक्षित भण्डार विदेशी क्षेत्रक के चालू और पूंजी, दोनों खातों पर लेन-देन का निवल परिणाम है। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भणअडार जो मार्च अन्त, 2002 में 54,106 मिलियन अमरीकी डालर था बढ़कर 8 नवम्बर, 2002 को 65,376 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो एक वर्ष की निर्यात आवश्यकता से अधिक के समकक्ष है।

राज्यों को विश्व बैंक ऋण

828. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को विश्व बैंक से कितना ऋण प्राप्त हुआ;

(ख) क्या किसी राज्य की ओर से विश्व बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु कोई परियोजना प्रस्तुत की गई है और केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आन्दराव विठोबा अडसुल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक की विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों में किया गया संवितरण निम्नानुसार है:

वर्ष	संवितरण (मिलियन अमरीकी डालर में)
1999-2000	1471.352
2000-2001	1446.881
2001-2002	2211.472

(ख) और (ग) विश्व बैंक के समक्ष परियोजनाएं प्रस्तुत करना निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। राज्यों से प्राप्त परियोजनाओं की जांच भारत सरकार के संबंधित विभाग/मंत्रालय के साथ परामर्श करके की जाती है और समय-समय पर विश्व बैंक को प्रस्तुत की जाती है। चालू वर्ष 2002-2003 के दौरान, विश्व बैंक को निम्नलिखित 4 परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं:

(1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल-आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना

(2) हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना-2

(3) असम ग्रामीण अवसंरचना और कृषि सेवा परियोजना चरण-2

(4) चेतना

निम्नलिखित प्रस्तावों की जांच की जा रही है:

1. मध्य प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना
2. असम ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता (वाटसन) परियोजना
3. कर्नाटक विद्युत
4. आंध्र प्रदेश विद्युत-2
5. तमिलनाडु अवसंरचनात्मक समायोजन ऋण
6. महाराष्ट्र अवसंरचनात्मक समायोजन ऋण
7. आंध्र प्रदेश अवसंरचनात्मक समायोजन ऋण-2
8. कर्नाटक अवसंरचनात्मक समायोजन ऋण-3

कोटा नियंत्रण हटाना

829. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दोहा विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कोटा नियंत्रण को हटाने का कार्य तेज करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या वस्त्र कोटा संबंधी अमरीकी निर्णय इस निर्णय के विरुद्ध है और इससे भारतीय निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या कोटे वर्ष 2005 तक समाप्त कर दिए जाएंगे जैसाकि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) दोहा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में वस्त्र एवं कपड़ा संबंधी करार के पूर्णरूपेण एवं निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन के प्रति वचनबद्धता की पुन: पुष्टि की गई थी और इस बात पर सहमति हुई थी कि उत्पादों को शीघ्र शामिल करने और कोटा संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त करने से संबंधित करार के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इसमें 31 जुलाई 2002 तक समुचित कार्रवाई करने की सिफारिश करने के लिए वस्त्र और कपड़ा करार (ए टी सी) से संबंधित दो क्रियान्वयन प्रस्तावों की माल के व्यापार हेतु डब्ल्यू टी ओ परिषद द्वारा जांच किये जाने के आदेश भी दिए थे। प्रथम प्रस्ताव उत्तरोत्तर वृद्धि उपबंधों के अंतर्गत आने वाले सदस्यों के लिए उपलब्ध परम अनुकूल विधि का इस्तेमाल करते हुए ए टी सी के शेष वर्षों के लिए लघु आपूर्तिकर्ताओं हेतु कोटा स्तर परिकलित करने से संबंधित है। हमसे संबंधित दूसरे प्रस्ताव में 1 जनवरी, 2002 के तीसरे चरण के आरंभ के बजाय 1 जनवरी 2000 से ही उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए निर्धारित उच्च प्रतिशत के प्रयोग की जरूरत है।

भारत ने आई टी सी बी सदस्य देशों समेत कतिपय अन्य वस्त्र निर्यातक देशों के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि पर दूसरे क्रियान्वयन मुद्दे पर अपनी स्थिति का समन्वय किया था और इस मुद्दे के संतोषजनक निराकरण की मांग की थी। तथापि, अमरीका और कतिपय अन्य विरोधी देशों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया था। अत: इस मुद्दे का 31 जुलाई, 2002 तक सफलतापूर्वक हल नहीं हो सका।

(ग) डब्ल्यू टी ओ को दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन और प्रमुख व्यापारिक देशों के साथ अन्य बैठकों में यथा अधिदेशित इस कार्यान्वयन मुद्दे पर अंतिम तिथि का अनुपालन न किये जाने का मुद्दा भारत द्वारा उठाया गया है।

(घ) वस्त्र एवं कपड़ा संबंधी करार के अनुसार, इस करार के अंतर्गत सभी प्रतिबंधों को 1 जनवरी, 2005 तक समाप्त किया जाना है।

जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को ए-1 शहर घोषित करना

830. डा. बी.बी. रमैया: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय कर्मचारी संगठनों ने केन्द्र सरकार से जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकन्दराबाद को ए-1 शहर घोषित करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ हैदराबाद (यू.ए.), जिसमें सिकन्दराबाद भी शामिल है, को ए-1 श्रेणी शहर घोषित करने के लिए केन्द्रीय कर्मचारी संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस अभ्यावेदन पर सहमति नहीं हो सकी, क्योंकि हैदराबाद शहर 1991 की जनगणना के आधार पर 50 लाख की जनसंख्या के मानदंड, जो कि किसी भी शहर को ए-1 श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित तथा सरकार द्वारा स्वीकृत मानक है, को पूरा नहीं करता है।

केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

831. श्री पी.सी. थामस: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की जिला-वार कुल क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव राज्य में और गोदाम निर्मित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य में जिला-वार कितने गोदाम बन्द पड़े हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन बंद गोदामों को विशेषकर कोचीन में वेलिंगटन आइलैंड को पुन: खोलने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) फिलहाल, केरल राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 6.03 लाख टन भंडारण क्षमता (अपनी और किराये की/ढकी हुई और कैप) है। जिलावार भंडारण क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम का मीनानगाडी और अराकुलम में पांच-पांच हजार टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) राज्य में कोई गोदाम बंद नहीं पड़ा है। तथापि, कोच्चि (वेलिंगटन द्वीपसमूह) में 40,960 टन क्षमता के "बी" स्थल के भंडारण योग्य न रहने के कारण पोर्ट ट्रस्ट को वापस किया जा रहा है। इरनाकुलम जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी आवश्यकताएं अंगामल्ली स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से पूरी की जा रही है।

विवरण

30.9.2002 की स्थिति के अनुसार
(क्षमता हजार टन में)

भारतीय खाद्य निगम जिले का नाम	कुल क्षमता (ढकी हुई एवं केप/अपनी और किराये की)
1	2
अल्लप्पी	35.00
कालीकट	91.48
कोचीन	100.30
कोट्टयम	20.64
मुजाहाप्पुलंगद	52.56
पालाघाट	87.02
क्विलोन	64.93
त्रिचुर	67.66
त्रिवेन्द्रम	83.07
सकल जोड़	602.66

घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

832. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कौन से और कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटे में चल रहे हैं;

(ख) ये बैंक कब से घाटे में चल रहे हैं और इन बैंकों को अभी तक कितना घाटा हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा इन बैंकों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2002 तक की स्थिति के अनुसार देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में से 29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटा उठा रहे हैं। घाटा उठा रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मध्य प्रदेश राज्य सहित राज्य-वार संख्या और 2001-2002 के दौरान घाटे की राशि तथा संचयी घाटे निम्नलिखित हैं। इन बैंकों के घाटों का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ किया जाता है और ये आंकड़े उस वर्ष विशेष में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य-निष्पादन में परिवर्तन के अध्यधीन हैं।

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	2001-02 के दौरान घाटे	संचयी घाटे
1	2	3	4	5
1.	जम्मू-कश्मीर	1	6.19	55.31
2.	राजस्थान	2	4.36	77.17
3.	असम	1	1.00	19.17

1	2	3	4	5
4.	अरुणाचल प्रदेश	1	8.36	11.16
5.	मणिपुर	1	1.16	12.09
6.	बिहार	5	6.61	254.30
7.	झारखंड	2	4.07	51.70
8.	उड़ीसा	5	38.90	319.95
9.	छत्तीसगढ़	2	6.28	84.68
10.	मध्य प्रदेश	3	3.11	44.23
11.	उत्तर प्रदेश	2	3.76	65.83
12.	गुजरात	1	1.57	0.38
13.	महाराष्ट्र	2	3.52	26.75
14.	आंध्र प्रदेश	1	3.19	12.03

(ग) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाने एवं पुन: अर्थक्षम बनाने के लिए कुछ नीतिगत परिवर्तन शुरू किए हैं। इन परिवर्तनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुनियोजित तरीके से सुधार लाने के लिए वार्षिक आधार पर विकास कार्य योजना एवं समझौता ज्ञापन (डीएपी/एमओयू) शुरू करना, आय की पहचान आस्ति वर्गीकरण एवं मानदंडों के प्रावधान सहित विवेकपूर्ण मानदंड शुरू करना;
- व्यवसाय पोर्टफोलियो एवं क्रियाकलापों का विविधीकरण;
- अधिशेष गैर-सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) के निवेश के लिए अवसरों में वृद्धि;
- घाटा उठा रही शाखाओं पुनर्स्थापन एवं विलय सहित शाखा नेटवर्क का युक्तिकरण;
- ब्याज दर ढांचे का अविनियमन; और
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन में प्रायोजक बैंकों की भूमिका बढ़ाना।

[हिन्दी]

सोने के वायदा व्यापार

833. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने के वायदा व्यापार की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका देश में सोने की कीमतों पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ङ) क्या इसका देश की अर्थव्यवस्था पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, वर्ष 1999 में स्वर्ण जमा योजना के प्रतिपादन के समय केन्द्र सरकार ने अपनी दिनांक 19 अगस्त, 1999 की

अधिसूचना के अनुसार देश के भीतर स्वर्ण के क्रय और विक्रय के लिए सभी वायदा संविदाओं को वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के प्रचालन से छूट प्रदान कर दी थी, यदि संविदा के पक्षों में से एक पक्ष भारतीय रिजर्व बैंक हो या स्वर्ण का व्यापार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई अनुसूचित बैंक हो। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया था कि योजना को आरंभ करने वाले बैंक केवल उन्हीं बैंकों से वायदा संविदाएं कर सकते हैं जो स्वर्ण का आयात करने के लिए प्राधिकृत हैं। वस्तुत: इसका तात्पर्य था कि बैंक अपने ग्राहकों के साथ ऐसी संविदाएं नहीं कर सकते।

तथापि, अन्य बैंकों ने स्वर्ण व्यापार में काफी अनुभव प्राप्त कर लिया है और उन्होंने विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंध कार्यप्रणाली स्थापित कर ली है। अत: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कतिपय शर्तों के अध्यधीन अपने ग्राहकों के साथ स्वर्ण में वायदा संविदाएं करने की अनुमति दे दी है।

(ग) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक का विचार है कि इस कार्रवाई का स्वर्ण की कीमतों या अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[अनुवाद]

एच पी सी एल तथा बी पी सी एल के शेयर

834. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केबिनेट द्वारा एचपीसीएल तथा बीपीसीएल के विनिवेश के संबंध में निर्णय स्थगित करने का निर्णय लिए जाने से एक सप्ताह पूर्व कुछ शेयरधारकों द्वारा इन कंपनियों के शेयरों को बेच दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जैसे ही उनके मूल्य घटे उन्होंने पुन: भारी खरीद की और लगभग 10 दिन में 50 से 80 रुपए प्रति शेयर से अधिक का लाभ कमाया तथा 500 करोड़ रुपये से अधिक का धन कमाया;

(घ) यदि हां, तो क्या मुंबई शेयर बाजार तथा/अथवा राष्ट्रीय शेयर बाजार द्वारा कोई जांच चल रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मामले की जांच कर रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2002 को हुई इसकी बैठक में विनिवेश संबंधी निर्णय 3 माह के लिए लंबित करने के पश्चात दिनांक 9 सितम्बर, 2002 को एचपीसीएल और बीपीसीएल के शेयर मूल्यों में तीव्र गिरावट हुई थी।

राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई दोनों एक्सचेंजों द्वारा व्यापार की जांच की गई थी और ग्राहक स्तरीय सूचना एकत्रित की गई है तथा उसकी एक्सचेंजों तथा सेबी द्वारा जांच की जा रही है।

(छ) उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

एम एम टी सी द्वारा कृषि उत्पादों का निर्यात

835. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम एम टी सी का प्रस्ताव व्यापक स्तर पर कृषि निर्यात व्यापार में प्रवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या विस्तृत रणनीति तैयार की गई है;

(ग) इस समय एम एम टी सी का कुल कितना कारोबार है;

(घ) एम एम टी सी को कृषि क्षेत्र में कुल कितने व्यापार की आशा है;

(ङ) क्या एम एम टी सी ने उन देशों का पता लगाया है जिन्हें निर्यात किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एम एम टी सी को इन देशों से कितना क्रयादेश प्राप्त हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) एम एम टी सी पहले से ही कृषि उत्पादों के निर्यात का कारोबार कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) सरकार की नीति के अनुसार निर्यात के प्रयोजन के लिए गेहूं तथा चावल की आपूर्ति कर रहा है। एफ

सी आई की शर्तों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर गेहूं तथा चावल का निर्यात करने के प्रयास किये जाते हैं।

(ग) और (घ) एम एम टी सी का 1 अप्रैल 2002 से 31 अक्तूबर, 2002 (7 माह) तक की अवधि का कुल कारोबार 3697.79 करोड़ रु. का रहा है। एम एम टी सी को कृषि के क्षेत्र में वर्ष 2002-03 के दौरान लगभग 1000 करोड़ रु. का व्यापार होने की आशा है।

(ङ) और (च) कुछेक सार्क, आसियान तथा अफ्रीकी देश, जो भौगोलिक दृष्टि से भारत के निकट हैं, एम एम टी सी के स्वाभाविक बाजार हैं। एम एम टी सी 587 करोड़ रु. के कृषि उत्पादों अर्थात गेहूं और चावल का निर्यात कर चुका है और उसके पास मार्च, 2003 के अंत तक निष्पादित करने हेतु 400 करोड़ रु. के निर्यात आर्डर हैं।

असम में चाय उद्योग हेतु योजना

836. श्री एम. के. सुब्बा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम में संकटग्रस्त चाय उद्योग का पुनरुद्धार करने हेतु असम चाय की गुणवत्ता उत्पादन पद्धतियों में सुधार तथा उसके निर्यात सहित कोई योजना तैयार की गई है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं को लागू करने हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इनके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) टी बोर्ड ने दसवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए पांच बड़ी स्कीमें तैयार की हैं जिनमें असम का चाय उद्योग भी शामिल होगा। यह स्कीमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर केन्द्रित होंगी:

1. उत्पादकता में सुधार
2. गुणवत्ता में सुधार
3. बाजार विकास
4. मानव संसाधन विकास
5. अनुसंधान और विकास
6. लघु उपजकर्ता विकास।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सब्सिडी और सहायता अनुदान के रूप में 350 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई है।

(घ) दसवीं योजना अवधि के समापन वर्ष तक टी बोर्ड का 1044 मिलियन किग्रा के उत्पादन और 264 मिलियन किग्रा के निर्यात का लक्ष्य है।

अर्जेंटीना के साथ व्यापार संबंध

837. श्री अनन्त नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अर्जेंटीना के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारत-अर्जेंटीना व्यापार संबंध स्थापित किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां। परम्परागत रूप से भारत के अर्जेंटीना के साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं। ये संबंध पिछले कुछ वर्षों में और सुदृढ़ हुए हैं।

(ख) अर्जेंटीना को होने वाले हमारे निर्यातों में परिवहन उपकरण, सिलेसिलाए वस्त्रों सहित वस्त्र, अकार्बनिक रसायन, कृषि रसायन, रंजक तथा मध्यवर्ती, धातु विनिर्माण, रबड़ और रबड़ उत्पाद, मशीनरी तथा उपकरण, औषधि और भेषज तथा हस्तशिल्प आदि शामिल हैं।

अर्जेंटीना से होने वाले प्रमुख आयातों में लोहा और इस्पात, रसायन, मशीनरी, कच्चा ऊन, अलौह धातुएं, वनस्पति तेल, चमड़ा, पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं।

राज्यों को नाबार्ड से ऋण

838. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से सूखा चारा खरीदने तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों

में कुओं को गहरा करने से संबंधित योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर नाबार्ड की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभी तक विभिन्न राज्यों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नाबार्ड की सहायता से कितने कुओं को गहरा किया गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र राज्य में बैंकों द्वारा किए गए अनुरोध पर इसने सूखे से प्रभावित किसानों के दुधारू पशुओं के अनुरक्षण के लिए उनकी सहायता करने, राज्य के अन्य हिस्सों में पशुओं के स्थानांतरण से बचने के लिए तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दृष्टि से इन राज्यों में सूखे चारे की खरीद के लिए योजनाएं स्वीकृत की हैं। नाबार्ड द्वारा स्वीकृत पुनर्वित्त का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सं.	राज्य	राशि (करोड़ रु.)
1.	गुजरात	107.438
2.	राजस्थान	81.000
3.	महाराष्ट्र	16.690

(घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि वह सामान्यत: सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कुओं को गहरा करने के लिए पुनर्वित्त सहायता नहीं देता है। तथापि, राजस्थान राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) के अनुरोध पर इसने सूखाग्रस्त अंचलों में विद्यमान 1495 कुओं को गहरा करने के लिए 161.595 लाख रु. की सीमा तक पुनर्वित्त की मंजूरी दी है।

औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त कार्यदल

839. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव औद्योगिक विकास में आने वाली अड़चनों को दूर करने हेतु नियमित बातचीत के लिए एक संयुक्त कार्य दल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग को मूल्य अधिमान प्रदान करने पर भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाने की योजना तैयार की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) सरकार प्रधानमंत्री की व्यापार तथा उद्योग संबंधी परिषद तथा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गठित अन्य कार्य दलों जैसे विभिन्न परामर्शदायी तथा विकास संबधी परिषदों के जरिये औद्योगिक विकास की समय-समय पर मानीटरिंग करती है। सचिव, भारी उद्योग की अध्यक्षता में एक अंतर्मंत्रालयीय समिति का हाल ही में गठन किया गया है ताकि पूंजीगत वस्तु उद्योग के विकास से संबंधित मामलों में समन्वय किया जा सके।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के लिए एक क्रम अधिमान योजना पहले ही विद्यमान है। आयातों की तुलना में घरेलू उद्योग के लिए मूल्य अधिमान सीमाशुल्क को लागू करके प्रदान की जाती है जो विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप है।

कंपनियों के विरुद्ध मुकदमा

840. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:
डा. बलिराम:
श्री अधीर चौधरी:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी कार्य विभाग ने हाल ही में कई कंपनियों के विरुद्ध भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मुकदमा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कंपनियां भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती पायी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी हां, 1.4.2001 से 31.3.2002 की अवधि के दौरान

1964 कंपनियों और उनके चूककर्त्ता अधिकारियों के विरुद्ध 8334 अभियोजन किए गए थे।

(ग) और (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड को कंपनी विधि बोर्ड की स्वीकृति से नियुक्ति करते हुए केन्द्रीय सरकार को उत्पीड़न और कुप्रबंध को रोकने की शक्ति प्रदान करती है। वर्ष 2001-02 के दौरान इस धारा के अंतर्गत किसी उल्लंघन की सूचना नहीं पाई गई है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी समिति की रिपोर्ट

841. **श्री सुनील खां:**
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री वाई.वी. राव:
श्री प्रबोध पण्डा:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 8 बिलियन के वार्षिक निवेश आगम और 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने तेलसोधन शाला, तेल विपणन, पेट्रोलियम खोज, विमानपत्तनों, निजी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वित्तीय सेवाओं, खनन, विनिर्माण एवं जमीन जायदाद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सिफारिश की हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार सिफारिशों से किस सीमा तक सहमत है;

(ग) अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आगम के संबंध में और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आगम के अंतर को दूर करने के लिए समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में योजना आयोग द्वारा स्थापित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी संचालन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उक्त रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय क्षेत्रों में एफ डी आई की सीमाएं बढ़ाने/ हटाने की सिफारिशें की गयी हैं।

(ख) से (घ) इस समिति ने एफ डी आई अन्तर्वाह बढ़ाने के उपाय के रूप में बीमा, प्रसारण और दूरसंचार जैसे कुछ क्षेत्रों में इक्विटी की सीमा बढ़ाने की विशेष रूप से सिफारिश की है इसके अतिरिक्त, इस समिति ने एफ डी आई संवर्धन और प्रवेश/ निकास मानदंडों को सुविधाजनक व सरल बनाने के लिए संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाने की भी सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट पर एफ डी आई संबधी मंत्रियों के दल (जी ओ एम) द्वारा विचार किया जा रहा है।

बैंकों के निदेशक

842. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनेकों सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न व्यवसायों के अन्य व्यक्तियों को बिना इक्विटी के बैंकों के निदेशकों के रूप में नियुक्त करती रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे नामितियों को बैंक प्रबंधन की अशोध्य ऋणों तथा अन्य संदोषयुक्त गतिविधियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता;

(घ) यदि हां, तो ऐसे निदेशकों की नियुक्ति का उद्देश्य और मानदंड क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का ऐसे संरक्षण की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति संगत संविधियों में निर्धारित मानदंडों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सामान्य अधीक्षण, निदेशन एवं प्रबंध उनके संबद्ध बोर्ड में निहित होते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक के गैर-सरकारी निदेशक को अपनी व्यक्तिगत हैसियत पर ऋण आबंटन की शक्ति नहीं होती है। इस संदर्भ में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाता है, जो इसके लिए उत्तरदायी है।

(ङ) और (च) बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की गैर-सरकारी निदेशकों के नामांकन संबंधी कुछ धाराओं को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

इस आशय का एक विधेयक लोक सभा में पेश किया जा चुका है। इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को प्रेषित कर दिया गया है।

अ.जा./अ.ज.जा. में शिक्षा को बढ़ावा देना

843. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय अनुसूचित जाति के बालक तथा बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने पर अधिक जोर दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना प्रायोजित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य में अ.जा./अ.ज.जा. के बालकों तथा बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु कितना अनुदान दिया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के शैक्षिक विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:

1. मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
2. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
3. अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल
4. पुस्तक बैंक योजना
5. योग्यता का उन्नयन
6. राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
7. अत्यन्त निम्न साक्षरता स्तरों की अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम
8. कोचिंग और सम्बद्ध सहायता
9. अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।

इन योजनाओं का ब्यौरा वर्ष 2001-02 की मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपर्युक्त सभी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण के लिए निर्मुक्त केन्द्रीय अनुदान का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना	निर्मुक्त राशि		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1.	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल	483.82	495.00	563.19
2.	अनुसूचित जाति के लड़कियों के लिए होस्टल	35.44	148.96	207.42
3.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल	शून्य	75.00	135.00
4.	अनुसूचित जनजाति के लड़कियों के लिए होस्टल	शून्य	शून्य	40.00

खाद्यान्नों का निर्यात मूल्य

844. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व व्यापार संगठन के विनियमों के अनुसार निर्यात हेतु खाद्यान्नों का मूल्य कितना है;

(ख) खाद्यान्नों के निर्यात हेतु विश्व व्यापार संगठन के विनियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यातकों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों का मूल्य विश्व व्यापार संगठन के विनियमों के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो निर्यातकों को किस मूल्य पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है; और

(ङ) खुले बाजार के मूल्य की तुलना में यह मूल्य कितना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ङ) निर्यातकों को भारतीय खाद्य निगम की खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के मूल्य पर खाद्यान्नों की पेशकश की जा रही है। तथापि, सुपुर्दगी उपरांत और अन्य संबंधित व्यय, जो विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल हैं, की अनुमति दी जाती है।

राजस्थान में कल्याणकारी योजनाएं

845. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के बाडमेर और जैसलमेर जिलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यकों/विकलांगों/विधवाओं के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक योजना पर योजनावार कितनी धनराशि आबंटित की गयी/खर्च की गयी;

(ग) क्या इन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पिछड़े और सबसे अधिक पिछड़े वर्गों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजस्थान में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कितने परिवार और लोग लाभान्वित हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों/अल्पसंख्यकों/विकलांगों के लिए तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए सम्पूर्ण देश में कल्याण योजनाएं चलाते हैं और न किसी राज्य विशेष अथवा किसी जिला विशेष में।

(ख) कल्याण योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता। पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में इन योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त राशि के ब्यौरे विस्तार में संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान की निर्मुक्ति केवल पूर्व निर्मुक्तियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही अनुदान निर्मुक्त किये जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस मंत्रालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक विकास के लिए योजनाएं शुरू की हैं।

(ङ) राज्य में संगत अवधि के दौरान इन कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों/परिवारों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

राजस्थान राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभग्राहियों की संख्या

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभार्थी		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
अनुसूचित जाति विकास				
1.	अनु. जाति के लिए एस.सो.पी. को एस.सी.ए.	66724	62494	63071
2.	अनु. जाति के क्षेत्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	59721	62002	64110

1	2	3	4	5
3.	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	3713	20184	21310
4.	अनु. जाति के छात्रों को पुस्तक बैंक	@	@	3067
5.	अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना	एनए	3320	@
6.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना	@	404	800
7.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अनु. जाति एवं अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	172	एनए	एनए
8.	अनु. जाति/अनु. जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन	176	@	87
9.	अनु. जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1380	1370	1140
अन्य पिछड़ा वर्ग				
10.	अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण	175	@	@
11.	अन्य पिछड़े वर्गों के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	@	@	540
12.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	@	@	40
अल्पसंख्यक				
13.	आर्थिक मानदण्ड के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	200	150	200
नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कल्याण				
14.	नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना	एनए	1384	2303
15.	सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना	3804	4577	5675
16.	विकलांगों को रोजगार	–	–	–
	(क) अद्यतन रजिस्टर	6293	6761*	**
	(ख) नियोजन	75	88	**
17.	नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना			
समाज रक्षा				
18.	किशोर सामाजिक कुसंमजन का निवारण एवं नियंत्रण	337	337	337
19.	निषेध एवं पदार्थ (द्रव) दुरुपयोग निवारण की योजना	7578	5763	3933
20.	बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना	800	800	800

1	2	3	4	5
21.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	250	@	150
22.	वृद्धावस्था गृहों का निर्माण			
23.	अंत:देशीय दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु और युवा बच्चों के गृहों को सहायता	63	73	58
जनजातीय कार्य मंत्रालय				
24.	20 सूत्रीय कार्यक्रम का मद 11 (ख)	68673	74374	85256

*श्रम मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2000 तक संकलित
**श्रम मंत्रालय से सूचना की प्रतीक्षा
एनए - उपलब्ध नहीं
@ - लागू नहीं क्योंकि वर्ष के दौरान कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई।

विवरण II

राजस्थान राज्य में विभिन्न योजनाओं को निर्मुक्त निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	निर्मुक्ति		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	2792.68	3738.96	3005.41
2.	अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	308.28	411.36	470.13
3.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	0.00	107.51	59.69
4.	अनुसूचित जाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	0.00	0.00	9.40
5.	अनुसूचित जाति और अनु. जन. जाति के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना	0.00	43.10	0.00
6.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना	1661.79	0.00	0.00
7.	अनुसूचित जाति विकास निगम	0.00	0.00	118.74
8.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	50.00	150.00	317.38
9.	अ.जा./अ.जन.जाति छात्रों की योग्यता का उन्नयन	15.51	0.00	8.24
10.	अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	66.05	95.19	126.53

1	2	3	4	5
अन्य पिछड़ा वर्ग				
11.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल का निर्माण	57.48	0.00	0.00
12.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता	0.00	0.00	10.66
13.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग	0.00	0.00	0.38
अल्पसंख्यक				
14.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग	5.25	2.45	4.43
विकलांग व्यक्ति कल्याण				
15.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना	88.13	93.99	155.81
16.	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	348.78	360.00	382.92
17.	विकलांगों को रोजगार	11.33	39.26	10.41
18.	विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	25.00	198.35	156.05
समाज रक्षा				
19.	किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण	8.77	8.00	12.17
20.	मद्यपदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण एवं रोकथाम की योजना	66.54	72.69	79.67
21.	बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना	24.95	17.68	37.90
22.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	1.35	0.00	3.18
23.	वृद्धाश्रमों का निर्माण	10.00	2.50	0.00
24.	देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशुओं और बच्चों के लिए गृहों को सहायता	4.91	13.87	10.40
जनजातीय कार्य मंत्रालय				
1.	आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	2915.24	2915.24	3649.56
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	800.29	1700.00	2550.00
3.	लड़कों के लिए होस्टल	319.20	0.00	0.00
4.	शैक्षिक परिसर	17.51	19.80	30.58
5.	अनुसंधान और प्रशिक्षण (आदिवासी अनुसंधान संस्थान)	1.70	11.03	4.53
6.	राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान	25.00	0.00	251.61

1	2	3	4	5
7.	राज्य आदिवासी विकास वित्त निगम	0.00	4646.07	0.00
8.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	0.00	0.00	111.00
9.	गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान	24.49	30.21	28.23
10.	पुस्तक बैंक	0.00	0.00	6.00
11.	योग्यता का उन्नयन	0.00	0.00	7.05

[हिन्दी]

नकली बीमा रैकेट

846. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में चल रहे नकली बीमा रैकेट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विकास अधिकारी, एजेंट और जीवन बीमा निगम (एलआईसी) कार्यालय एक-दूसरे की मिलीभगत से इस रैकेट को चला रहे हैं जिसके कारण जीवन बीमा निगम को घाटा हो रहा है;

(ग) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को इस मामले की जांच करने को कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(च) जीवन बीमा निगम के कार्यकरण को सरल और सुचारू करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि गत कुछ वर्षों में देश के किसी भी भाग में चल रहे जाली बीमा कारोबार से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। लेकिन वर्ष 1995 में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नए कारोबार में अनियमितताओं के बारे में जांच के लिए 8 मामले दर्ज किए थे। जांच पूरी हो जाने के बाद 8 मामलों में से 6 मामले बन्द कर दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए जीवन बीमा निगम के पास बहुत कठोर नियंत्रण तंत्र है। सभी कार्यालयों को नियमित रूप से लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षणों से गुजरना पड़ता है जिसके अंतर्गत उनके कार्य के वित्तीय तथा प्रक्रियात्मक पक्ष शामिल होते हैं। निर्धारित प्रणाली से हटने की सूचना मिलने पर तत्काल सुधारक कार्रवाई की जाती है। पिछले कुछ वर्षों की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण रिपोर्टों से किसी अनियमितता का पता नहीं लगा है।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम की ग्रामीण क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारियां

847. श्रीमती प्रभा राव: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने भारतीय जीवन बीमा निगम को ग्रामीण क्षेत्र के प्रति अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों को पूरा करने को कहा है;

(ख) क्या वर्तमान विनियम ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र बीमा के विकास के लिए सकारात्मक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण बीमा व्यवसाय बाजार पर पकड़ बनाने और पहचानने के लिए बनाए गए और सुझाए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विनियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा का व्यवसाय किस सीमा तक बढ़ने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि ग्रामीण क्षेत्र संबंधी दायित्वों के संबंध में वे बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) विनियमों का अनुपालन कर रहे हैं।

(ख) और (ग) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों का निर्धारण करने में कठिनाई होने के कारण कुछ बीमाकर्ता उक्त विनियमों का समग्रता से अनुपालन नहीं कर पाए। इसलिए, आईआरडीए ने 16 अक्तूबर, 2002 को संशोधित ग्रामीण तथा सामाजिक विनियम अधिसूचित किए हैं।

(घ) विनियमों में संशोधित परिवर्तनों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम के कारोबार के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी होने की आशा है।

[हिन्दी]

बिहार में कल्याण योजनाएं

848. श्री सुबोध राय: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बिहार में अनुसूचित जातियों के कल्याण पर कितनी राशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटन को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान आवंटित धनराशि और इसमें से अब तक जारी धनराशि कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बिहार में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभिन्न केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 130.91 करोड़ रु निर्मुक्त किए गए हैं।

(ख) से (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए धनराशि की निर्मुक्ति नौवीं योजना अवधि में निर्मुक्त धनराशि की अपेक्षा अधिक होने की आशा है। इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटन राज्यवार नहीं किए जाते हैं परन्तु राज्यों द्वारा धनराशि की प्राप्ति प्रस्ताव प्राप्त होने, बजट की उपलब्धता तथा पूर्व में निर्मुक्त धनराशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्रों के भेजने पर निर्भर करती है। दिनांक 15.11.2002 तक 65.00 लाख रु. निर्मुक्त किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी कृतक बल

849. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री नरेश पुगलिया:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री श्रीनिवास पाटील:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भुखमरी की शिकायतों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित खाद्यान्नों के अन्यत्र उपयोग या पुन: चक्रण, तथा केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न की खरीद तथा गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से 50 अधिकारियों का एक कृतक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृतक बल ने हाल में कालाहांडी में भूख से मृत्यु के आरोपों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राजस्थान में भुखमरी की मीडिया में विभिन्न खबरों की ओर भी कृतक बल का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कृतक बल द्वारा कोई जांच की गई है;

(छ) यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में उपर्युक्त अधिकारियों की एक सूची तैयार की गई है ताकि जब कभी किसी क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण

प्रणाली की पर्याप्तता (अथवा अन्यथा), कथित भुखमरी और खाद्यान्नों की आपूर्ति तथा वितरण से संबंधित अन्य मामलों की जांच करने की आवश्यकता की स्थिति उत्पन्न हो, तब ऐसे अधिकारियों के दल को स्थिति का आकलन करने के लिए इन क्षेत्रों में शीघ्रता से भेजा जा सके। अधिकारियों का प्रत्येक दल कार्यबल कहलाता है।

(ग) और (घ) कार्यबल के एक दल ने कथित भुखमरी से मौतें होने की घटना स्थल पर आकलन करने के लिए सितम्बर, 2002 में रायगाड़ा और क्योंझर (उड़ीसा) के मुनीगुडा और घाटागांव का दौरा किया था।

रिपोर्ट में उल्लिखित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियों को उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु उड़ीसा सरकार के ध्यान में लाया गया था।

(ङ) से (ज) बाड़न जिला (राजस्थान) में हुई भुखमरी से मौतों के बारे में समाचार-पत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित होने पर स्थिति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण का घटना स्थल पर आकलन करने के लिए अक्तूबर, 2002 में कार्यबल के दल को उक्त क्षेत्र में भेजा गया था।

कार्यबल की रिपोर्ट के अनुसार बाड़न जिले के सुवांस और गंगापुर ग्रामों में हुई मौतें भुखमरी के साथ-साथ कुपोषण तथा समय से चिकित्सीय उपचार की कमी के कारण हो सकती हैं। दल ने मुख्यत: सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विफलता और रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में व्यापक कठिनाइयां, भुखमरी और कुपोषण पाये जाने का उल्लेख किया है।

संवेदनशील क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूर्णतया कार्यशील बनाने और वहां खाद्यान्नों की निर्बाध आपूर्ति तथा वितरण के लिए राज्य सरकार के साथ बात की गई है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि रोजगार सृजन कार्यक्रमों को तीव्रता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए और राज्य के प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भुखमरी और अत्यधिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय शीघ्र किए जाएं।

कर संबंधी कृतक बल

850. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रत्यक्ष कर संबंधी कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कृतक बल ने अभी तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इस दल ने 25.10.2002 को एक परामर्श पत्र पेश किया है और उसमें दिए गए प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा और समीक्षा हेतु उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रस्तावों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार उनकी जांच कर रही है और सिफारिशों की पूरी जांच के बाद ही इस संबंध में अपने विचारों को अंतिम रूप देगी।

विवरण

1. कर आधार का विस्तार करके, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूटों को समाप्त करने, लेन-देन लागतों को कम करके, सेवा-कर आधार को बढ़ा कर और बेहतर कर अनुपालन करके सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में अप्रत्यक्ष कर के कम होने की प्रवृत्ति को रोकने की अत्यधिक आवश्यकता है।

2. सीमा शुल्क उद्ग्रहणों की बड़ी संख्या को कम किया जाए; मूल सीमाशुल्क की दरों को कम करके चार अर्थात् 0% (जीवन रक्षक औषधियों, सरकारी आयातों, सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा संबंधित माल के लिए), 10% (कच्ची सामग्रियों, निविष्टियों, मध्यवर्ती माल के लिए), 20% (अंतिम माल के लिए), और 150% तक की दरें (खराब माल और कृषि उत्पादों पर) तक किया जाए; और विनिर्दिष्ट दरें हटा कर मूल्यानुसार दरें लगाई जानी चाहिए।

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में सेनवेट ही एकमात्र लेवी होनी चाहिए; शुल्क की दरें 0% (जीवन रक्षक औषधियों, सुरक्षा संबंधित माल के लिए), 8% (खाद्य उत्पादों के लिए), 16% (सामान्य दर) हो सकती है और कृषि उत्पादों, तम्बाकू और तम्बाकू संबंधी उत्पादों के लिए अलग दरें होनी चाहिए; लघु उद्योग क्षेत्र शुल्क छूट के लिए निकासियों की पात्रता सीमा को क्रमबद्ध तरीके से कम करके 50 लाख रुपए किया जाए; और स्थलों पर आधारित छूट देने की नीति की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

4. जहां तक संभव हो छूटों को समाप्त किया जाए और राहत, यदि उचित हो, तो उसे मुख्य रूप से और स्पष्ट रूप से बजटीय समर्थन दिया जाना चाहिए।

5. अधिसूचना अपने जारी होने के दिन के बाद की तारीख से लागू हो जानी चाहिए।

6. 1.4.2003 से निर्यातों पर कोई शुल्क न लगाया जाए।

7. सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया विश्वास-आधारित होनी चाहिए जिसमें जोखिम प्रबंधन तकनीक का प्रयोग करके अधिकतर प्रणाली मूल्यांकन हो। आगम-पत्र के स्वत: निर्धारण, कम से कम दस्तावेजों पर माल की छुड़ाई चेक द्वारा शुल्क का भुगतान, दस्तावेजों की ऑन-लाइन-फाइलिंग आदि के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

8. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उद्ग्रहण उत्तरोत्तर रूप से मूल्यवर्धन पर आधारित होना चाहिए, अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) आधारित मूल्यांकन का विस्तार किया जाए और एम.आर.पी. कम करने के संबंध में एक स्थाई समिति का गठन किया जाए।

9. प्रत्येक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय को लघु उद्योग विनिर्माताओं का मार्गदर्शन करने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में एक कर-क्लीनिक स्थापित करना चाहिए।

10. सेनवेट क्रेडिट नियमावली का संशोधन किया जाना चाहिए ताकि निविष्टियों और पूंजीगत माल के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सके; मान्य क्रेडिट को समाप्त कर दिया जाना चाहिए; क्रेडिट की अनुमति देते समय तकनीकी कमियों को माफ कर देना चाहिए; और गलती से वापस किये गये क्रेडिट की वसूली के लिए प्रावधान होना चाहिए।

11. धन वापसी/प्रति अदायगी को सीधे ही कर-दाता के बैंक एकाऊंट में क्रेडिट कर दिया जाना चाहिए; पूरे दस्तावेजों की प्राप्ति के एक सप्ताह से अधिक प्रतिअदायगी की स्वीकृति में विलंब होने पर ब्याज दिया जाना चाहिए।

12. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को निर्देश जारी करना चाहिए कि जब कभी कोई लेखा परीक्षा आपत्ति उनके अपने निर्देश/परिपत्रों के विरुद्ध हो तो कोई सुरक्षा मांग जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

13. यदि निर्धारिती नोटिस जारी होने के 30 दिन के भीतर शुल्क और ब्याज अदा कर देता है तो कारण बताओ नोटिस स्वत: ही समाप्त हो जाने चाहिए; धोखा-धड़ी और छुपाव के मामलों में उन्हें 25% का अर्थदण्ड देना होगा।

14. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पाक्षिक भुगतान के स्थान पर मासिक भुगतान किया जाए और विवरणी दायर करने की तारीख को बदलकर माह/पक्ष की 15 तारीख की जाए।

15. बजट दिवस के प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए।

16. विनिर्माताओं को निर्यात किये जाने वाले माल को स्वयं सील करने की अनुमति दी जानी चाहिए; निर्यात संवर्धन योजनाओं की बहुलता में कमी की जानी चाहिए; निर्यातोन्मुखी इकाइयों/निर्यात संवर्धन जोन द्वारा की जाने वाली घरेलू बिक्री की मात्रा को धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए; और प्रतिअदायगी योजना में सुधार किया जाना चाहिए।

17. सभी आयुक्तालयों द्वारा अपनी प्रक्रियाओं को जनवरी, 2004 तक पूर्णतया स्वचालित बना दिया जाना चाहिए; विवरणियों/दस्तावेजों की आन-लाइन-फाइलिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए; टेलीफोन हेल्प-लाइनें उपलब्ध कराई जानी चाहिएं; और आयुक्तालयों का भारतीय मानक संस्थान प्रमाण पत्रीकरण आरम्भ किया जाना चाहिए।

18. एक ही स्तर के दो अधिकारियों की पीठ द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना चाहिए जिसमें उससे उच्च स्तर का अधिकारी परस्पर विरोधी मत होने के मामले में एक तीसरे अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है; सीगेट के संबंध में, छ: महीने के भीतर मामलों का निपटान न किये जाने की स्थिति में स्वत: रद्द होने का प्रावधान समाप्त किया जाना चाहिए।

19. आयात/निर्यात माल की शीघ्रता से निकासी के लिए अंतर मंत्रालयी समिति और व्यापार सुविधा समितियों का गठन किया जाना चाहिए; प्रक्रिया पर स्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए; और बहुबैंकिंग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए; और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा 1.4.2003 तक परिपत्रों/निर्देशों को और 1.6.2003 तक अधिसूचनाओं को संहिताबद्ध कर दिया जाना चाहिए।

20. सामान्य रूप से, सेवा-कर आधार का विस्तार किया जाना चाहिए; कर-क्रेडिट की योजना को सेवाओं पर भी लागू किया जाना चाहिए; और एक सेवा-कर विधान होना चाहिए।

21. राज्य सरकारों को 1.4.2003 तक वैट लागू करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना की घोषणा करनी चाहिए और एक जैसा वैट विधान, करों की एक जैसी दरें और नामावली की सुमेलित प्रणाली पर आधारित एक जैसा वर्गीकरण होना चाहिए।

[हिन्दी]

उचित मूल्य की दुकानें और उपभोक्ता

851. प्रो. रासासिंह रावत: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेची जा रही उपभोक्ता वस्तुओं की मूल्यवार सूची क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दुकानों के माध्यम से सभी जरूरतमंदों को सभी उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने का है ताकि गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे के परिसीमन को समाप्त किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) इस संबंध में एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) उचित दर दुकानों की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन कार्डधारकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए की जाती है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उचित दर दुकान के मालिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आने वाली वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं को उनके द्वारा निर्धारित किए जाने वाले खुदरा मूल्यों पर बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इन दुकानों के जरिए सभी उपभोक्ता वस्तुएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उचित दर दुकानों की संख्या
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	74,788
2.	महाराष्ट्र	49,819
3.	बिहार	41,818
4.	आंध्र प्रदेश	40,631
5.	असम	32,347
6.	तमिलनाडु	27,886
7.	उड़ीसा	24,665
8.	पश्चिमी बंगाल	20,437
9.	कर्नाटक	20,372
10.	राजस्थान	19,904
11.	मध्य प्रदेश	18,688
12.	गुजरात	14,458
13.	केरल	14,183
14.	पंजाब	13,982
15.	उत्तरांचल	7,697
16.	छत्तीसगढ़	7,866
17.	हरियाणा	7,230
18.	मेघालय	4,237
19.	हिमाचल प्रदेश	3,957
20.	दिल्ली	3,133
21.	जम्मू-कश्मीर	2,926
22.	मणिपुर	1,928
23.	त्रिपुरा	1,432
24.	अरुणाचल प्रदेश	1,135
25.	सिक्किम	1,071

1	2	3
26.	मिजोरम	1,011
27.	गोवा	534
28.	पाण्डिचेरी	405
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	404
30.	नागालैण्ड	351
31.	चण्डीगढ़	121
32.	दादरा और नागर हवेली	78
33.	दमण और दीव	38
34.	लक्षद्वीप	35
35.	झारखण्ड*	उपलब्ध नहीं
	जोड़	4,59,567

[अनुवाद]

मेड इन इंडिया शो

852. **श्री पी.आर. किन्डिया:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में काबुल में एक तीन दिवसीय मेड इन इंडिया शो आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार मेले में कितनी भारतीय कंपनियों ने भाग लिया;

(ग) मेले में कितना व्यापार किया गया;

(घ) क्या किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए; और

(ङ) भारतीय कंपनियों के प्रति अफगानिस्तान सरकार की कुल मिलाकर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) ने 26-29 सितम्बर, 2002 तक काबुल में मेड इन इंडिया शो आयोजित किया था।

(ख) इस शो में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली 170 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया था।

(ग) सदभावना के प्रदर्शन के रूप में न्यू हालैंड ट्रैक्टर्स ने 8000 अमरीकी डालर मूल्य का एक ट्रैक्टर कृषि मंत्रालय को दान में दिया। अशोका लेलैंड ने 4000 अमरीकी डालर मूल्य का एक जनरेटर अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय को काबुल में एक अस्पताल के लिए दान में दिया था। 50% प्रदर्शक कंपनियों ने डीलरों/वितरकों/एजेंटों को पहले ही नियुक्त कर दिया है/नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। 10% प्रदर्शक कंपनियों ने काबुल में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। 20% भागीदार कंपनियां संभावित साझीदारों के साथ सहयोग स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।

(घ) मै. कामरूप इंडस्ट्रियल गैसेज लि. ने लगभग 2.5 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश से एक रासायनिक और औद्योगिक गैस यूनिट स्थापित करने के लिए माध्या गल्फ ट्रेडिंग के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। एक दूसरी भारतीय कंपनी ने काबुल में एक खनिज जल संयंत्र स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान में निवेश करने का निर्णय लिया है। भारत-अफगान व्यापार मंच (आई ए बी एफ) की सरकारी तौर पर शुरुआत अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री और भारतीय विदेश सचिव की उपस्थिति में 26 सितम्बर, 2002 को की गई थी।

(ङ) मेड इन इंडिया शो के प्रति अफगान सरकार और आम जनता की प्रतिक्रिया कुल मिलाकर काफी सकारात्मक रही थी। अफगान सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने इस प्रदर्शनी का दौरा किया था।

सेवा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कदम

853. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे बड़ा बढ़ता हुआ क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने गैट के लिए सेवा क्षेत्र में बातचीत की रणनीति संबंधी कार्य दल का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा सेवा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) विश्व व्यापार संगठन की वार्षिक रिपोर्ट, 2002 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार में विश्व अर्थव्यवस्था में समग्र मंदी के प्रभाव के चलते 2001 में 1% तक की गिरावट आने से पूर्व 1999-2000 के दौरान 6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई थी।

(ख) से (च) वाणिज्य विभाग ने हाल ही में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है जिसमें सेवा व्यापार में अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं। यह विशेषज्ञ दल सेवा वार्ताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों, खासकर हितों में साम्य न रखने वाले मुद्दों पर सरकार को सलाह देगा। चूंकि यह विशेषज्ञ दल एक सलाहकार निकाय है इसलिए इसके द्वारा कोई औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा नहीं की जाती है। वाणिज्य विभाग ने विभिन्न सेवा क्षेत्रों से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से भी यह अनुरोध किया है कि वे ऐसे अनुरोधों और प्रस्तावों, जिन्हें वार्ताओं के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है, का मूल्यांकन करने तथा संबंधित सेवा क्षेत्र के बारे में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को तैयार करने में मदद हेतु प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के भीतर एक फोकस ग्रुप का गठन करें। यह समझा जाता है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

नेदुगांडी बैंक

854. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री ए. कृष्णैया:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नेदुगांडी बैंक पर फरवरी, 2003 तक जमाकर्ताओं द्वारा निकासी की सीमा कम करते हुए अधिस्थगन घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वोच्च बैंक द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नेदुगांडी बैंक का किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक में विलय करने के विकल्प पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निजी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण पर उचित निगरानी रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। नेदुगांडी बैंक लि. को इसकी बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति और ऋणात्मक पूंजी जोखिम आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के कारण ऋण-स्थगन के अंतर्गत रखा गया है। बैंक के संचयी घाटों से इसकी पूंजी एवं आरक्षित निधियों को समाप्त कर दिया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने नेदुगांडी बैंक का पंजाब नैशनल बैंक में विलय करने की योजना का मसौदा इन बैंकों की टिप्पणियों हेतु भेज दिया है। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं/कमियों की सुधारात्मक कार्रवाई एवं अनुपालन हेतु बारीकी से निगरानी की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों/निदेशकों के साथ इन पर विचार-विमर्श भी करते हैं।

बैंक घोटाले

855. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में बैंक घोटालों के मामले बहुत अधिक बढ़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आए इस प्रकार के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या बैंक घोटालों को रोकने के लिए घोष समिति की सिफारिशों को यथा-तथ्य लागू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन घोटालों से संबंधित पाए गए बैंक कर्मचारियों के नाम क्या हैं; और

(च) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि वर्ष 1999, 2000, 2001 एवं 2002 (जून तक) के दौरान बैंकों द्वारा उसे धोखाधड़ी के क्रमश: 3185, 3080, 2076 एवं 1158 मामले सूचित किए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लगभग सभी बैंकों ने बैंकों में धोखाधड़ियों की रोकथाम से संबंधित घोष समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया है। सिफारिशों में नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की संयुक्त अभिरक्षा, तिजौरी लेनदेनों को दैनिक आधार पर रिपोर्ट करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिक मूल्य के ड्राफ्ट जारी एवं भुगतान करने संबंधी निर्धारित मानदंडों का पालन, प्रतिभूतियों का आवधिक सत्यापन, सतर्कता कक्ष द्वारा अचानक जांच, शाखाओं का आचनक निरीक्षण, बड़ी शाखाओं की समवर्ती लेखापरीक्षा, स्टाफ का रोटेशन, नए खोले गए खातों के परिचालन पर पैनी नजर रखना, खाते खोलते समय जमाकर्ताओं के फोटोग्राफ लेना, नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा शाखाओं का अचानक दौरा तथा बहियों का इन्हें लिखने वाले स्टाफ से इतर स्टाफ द्वारा संतुलन बनाए रखना शामिल है।

(ङ) और (च) बैंकों ने उपर्युक्त अवधि के दौरान अपने 127 पदधारियों के विरुद्ध धोखाधड़ियों में उनकी संलिप्तता के लिए विभागीय कार्रवाई की है।

एल एंड टी के अधिग्रहण की जांच

856. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिड़ला समूह द्वारा एल एंड टी के अधिग्रहण के संबंध में जांच का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई या किए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं। तथापि, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के अनुसार ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अधिग्राहक), एल एंड टी (लक्षित कंपनी) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (विक्रेता) और जे एम मोरगन स्टेनले प्राइवेट लिमिटेड (मर्चेंट बैंककार) के विरुद्ध जांच आयोजित करने का निर्णय लिया है।

(ख) जांच-पड़ताल चल रही है।

(ग) जांच के परिणाम के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति

857. श्री वाई.वी. राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनमें कितनी धनराशि लगी है तथा ये प्रस्ताव किन क्षेत्रों से संबंधित हैं और उन विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं, जिनसे ये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) गत दो वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कुल कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) और (ख) एफ.आई.पी.बी. की 18.10.2002 और 24.10.2002 को आयोजित बैठकों के आधार पर सरकार ने लगभग 97.00 करोड़ रुपये की राशि के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के 41 प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। प्रस्तावित बड़े निवेश रसायन तथा पैट्रोरसायन, वनस्पति तेल एवं वसा विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तु, हाई-टैक इंजीनियरिंग अवयवों के थोक व्यापार, मोटरगाड़ी अवयवों, सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर विकास तथा एन.बी.एफ.सी. कार्यकलाप के क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन एफ.डी.आई. प्रस्तावों के विवरण दिनांक 5.11.2002 की प्रैस विज्ञप्ति में उपलब्ध हैं जिन्हें एस.आई.ए. की वैबसाइट अर्थात् एचटीटीपी:// आईएनडीएमआईएन.एनआईसी.आईएन में भी डाला जाता है।

(ग) अप्रैल, 2000 से अगस्त, 2002 तक की अवधि के दौरान कुल 4,668 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है जिनमें 68,273.99 करोड़ रुपये की राशि का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्ग्रस्त है।

[हिन्दी]

फटे-पुराने बैंक नोटों को बदलना

858. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं में फटे-पुराने नोटों को बदलने की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में आम आदमी के समक्ष आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सामान्यतया गंदे करेंसी नोटों को बदलने की सुविधा वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं में उपलब्ध है। दोषपूर्ण एवं कटे-फटे नोटों को बदलने की सुविधा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मुद्रा पेटिका शाखाओं में उपलब्ध करवाई गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर पश्चात लाभ (पैट)

859. श्री प्रबोध पण्डा: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा, तेल और अवसंरचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों से इक्विटी पर होने वाले कर पश्चात लाभों, जो भी अधिक हो का 30 प्रतशत और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को लाभांश के रूप में कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 20 प्रतिशत का भुगतान सरकार को करने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों का राशि सहित ब्यौरा क्या है जिन्होंने अब तक भुगतान कर दिया है; और

(ग) वित्त वर्ष 2002-2003 के लिए बजट अनुमान और अनुमानित लाभांश संग्रह कितना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2002-2003 के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश के खाते में प्राप्तियों के बजट अनुमान 9,455 करोड़ रुपए हैं। सरकार द्वारा सितम्बर, 2002 तक 1957 करोड़ रुपए का लाभांश प्राप्त किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक की ग्रामीण शाखाएं

860. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 2002-2003 में आंध्र प्रदेश में छोटे किसानों और शिल्पियों के लिए ग्रामीण ऋण घटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक अपनी कुछ ग्रामीण शाखाओं को बंद करने के लिए आवेदन कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई निगरानी की जा रही है;

(च) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक के कार्यकरण और इसके ग्रामीण ऋण वितरण पर सरकार के क्या निष्कर्ष हैं; और

(छ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भारतीय स्टेट बैंक छोटे किसानों और शिल्पियों के लिए ग्रामीण ऋण कम न करे ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके।

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश में इसकी शाखाओं ने अपनी वार्षिक कार्य योजना में अपना बजट 250 करोड़ रु. (2001-02) से बढ़ाकर 300 करोड़ रु. (2002-03) कर दिया है। राज्य में इसकी शाखाओं से सामान्यत: कृषि को तथा विशेषत: छोटे एवं सीमांत किसानों एवं शिल्पियों को ऋण प्रवाह निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार बढ़ा दिया गया है।

(करोड़ रु. में)

वर्ष	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		इनमें से छोटे एवं सीमांत किसानों को	
2001-02 (सितम्बर, 01)	362637	422.64	155589	153.89
2001-02 (मार्च, 02)	521118	838.38	275616	388.40
2002-03 (सितम्बर, 02)	263111	454.73	163991	159.53

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक की कुल 9040 शाखाएं हैं जिसमें से 4058 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। बैंक की ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जबरदस्त मौजूदगी जारी रखने की योजना है तथा इन्हें बंद करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, हाल ही के वर्षों में विलयन के लिए दो ग्रामीण शाखाओं पर विचार किया गया है। एक शाखा को राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा करने पर विलयित करना पड़ा था कि यह पेंच टाइगर परियोजना के वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। दूसरी शाखा को कम कारबार की सम्भावना के कारण विलयित करना पड़ा था।

(ङ) और (च) भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के निष्पादन की निगरानी सर्किल प्रबंधन समिति द्वारा मासिक आधार पर की जा रही है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा की गई आवधिक समीक्षाओं में बैंक के निष्पादन को आंध्र प्रदेश में पहला दर्जा दिया गया है।

(छ) भारतीय स्टेट बैंक कृषि, लघु उद्योग तथा छोटे व्यवसाय जैसे प्रमुख खण्डों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए गरीबी उन्मूलन एवं आय सृजन के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से जुड़ा है। बैंक ने अपने कृषि अग्रिमों को 2275 करोड़ रु. तक बढ़ाने की योजना की है तथा वर्ष के दौरान 8.0 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2002-03 के लिए 27550 स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तपोषित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में निम्नलिखित कृषक अनुकूल योजनाएं/उत्पाद भी आरम्भ किए हैं:

(1) किसान गोल्ड कार्ड योजना;

(2) छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिए भू-प्रयोजन योजना

(3) सम्मिश्र (कम्बाइन) हार्वेस्टर की खरीद के लिए योजना

(4) हेसलफ्री स्माल बिजनिस कार्ड योजना।

जुआंग जनजाति का लुप्त होना

861. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में जुआंग जनजाति की तेजी से हो रही लुप्तता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विशेषत: उड़ीसा के क्योंझर जिले में उनके असामयिक निधनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक के अनुसार उड़ीसा में क्रमश: 1981 और 1991 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जुआंग जनजाति की जनसंख्या 1981 में 30,876 से 1991 में 35,665 तक बढ़ गई है।

(ग) इस मंत्रालय के ध्यान में समय पूर्व किसी की मृत्यु होने का कोई मामला नहीं आया है। तथापि, उड़ीसा सरकार, एक माइक्रो प्रोजेक्ट (जुआंग विकास अभिकरण), जो उड़ीसा में जुआंग नामक आदिम जनजातीय समूह के समग्र विकास के लिए सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, का गठन करके विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा में आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अधीन राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए धनराशि भी उपलब्ध है।

कपास खरीद केन्द्र

862. श्री के. येरननायडू: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से भारतीय कपास निगम के और कपास खरीद केन्द्र खोलने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक क्या प्रगति हुई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार से भारतीय कपास निगम के और कपास खरीद केन्द्र आंध्र प्रदेश में खोलने के लिए कोई अनुरोध लम्बित नहीं है।

आंध्र प्रदेश में, भारतीय कपास निगम अपनी 4 शाखाओं अर्थात् आदिलाबाद, गुंटूर, वारंगल, व रायचूर के खरीद केन्द्रों से कपास की खरीद करता है।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन

863. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा किन राज्यों में कपास प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ किया गया है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इस प्रकार के किसी मिशन की शुरुआत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो यह मिशन कब से शुरू किया गया है और तब से मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) जो केन्द्र प्रायोजित योजना है, भारत में सभी कपास उत्पादक राज्यों के लिये लागू है।

(ख) और (ग) लघु मिशन-2 के अंतर्गत, 2000-01 में 239.25 लाख रु., 2001-02 में 301.34 लाख रु. और 2002-03 में 170.00 लाख रु. मध्य प्रदेश राज्य को समन्वित कपास विकास कार्यक्रम हेतु आबंटित किया गया है।

लघु मिशन-3 के अंतर्गत, 8 बाजार यार्डों का विकास/रतलाम, बुरहानपुर, खरगांव सौसर, धामनोद बाजार यार्ड में सुधार, खाटेगांव बाजार यार्ड को चालू करना और बदनावर और खंडवा में नये बाजारों की स्थापना स्वीकृत की गयी है जिस की अनुमानित लागत 16.65 करोड़ रु. है और उसमें भारत सरकार की और से सहायता 7.75 करोड़ रु. है।

लघु मिशन-4 के अंतर्गत, 20 जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण स्वीकृत किया गया है जिसकी अनुमानित लागत 23.59 करोड़ रु. है और उसमें भारत सरकार की ओर से सहायता 3.91 करोड़ रु. है।

लुप्त कंपनियां

864. श्री सुनील खां:
श्री एन.एन. कृष्णदास:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में ऐसी कंपनियों के बारे में कुल कितने मामलों की सूचना मिली जो कि निवेशकों से पब्लिक इश्यू के माध्यम से पैसा जुटाने के बाद लुप्त हो गईं;

(ख) क्या कंपनी कार्य विभाग ने किसी कंपनी को 'लुप्त' कंपनी घोषित करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की कंपनियों को पूंजी बाजार में पब्लिक इश्यू के लिए सूचीबद्ध करते समय उसकी यथातथ्यता की जांच करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) भविष्य में निवेशकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) 1990 के दशक में पब्लिक निर्गमों के माध्यम से निवेशकों से पैसा एकत्र करने के बाद 229 कम्पनियों के कार्य बंद कर दिए जाने की रिपोर्ट थी/विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसा कोई मामला अभी तक रिपोर्ट/नोटिस नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सचिव, कम्पनी कार्य विभाग और अध्यक्ष, सेबी की सहअध्यक्षता वाली एक केन्द्रीय समनव्य और मॉनीटरिंग समिति ने लुप्त कंपनियों की पहचान करने के लिए मॉनीटरिंग समिति ने निम्नलिखित आधार मान लिए थे:

(1) संबंधित स्टॉक एक्सचेंज/कम्पनी रजिस्ट्रारों के साथ दो वर्षों से सूचीबद्ध अपेक्षाओं (सूचीबद्ध अपेक्षाओं में वार्षिक विवरणी तथा तुलन-पत्र शामिल हैं) का अनुपालन नहीं करती।

(2) क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज को अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं करती।

(3) दो वर्षों से क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज से पत्र-व्यवहार नहीं करती।

(4) स्टॉक एक्सचेंज की जांच के समय अपने पंजीकृत कार्यालय पर उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) पब्लिक निर्गम लाने वाली कम्पनियों को सेबी प्रकटीकरण एवं निवेशक संरक्षण (डीआईपी) दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एक मर्चेन्ट बैंकर की अनिवार्य नियुक्ति का प्रावधान है जो प्रस्तावित निर्गम, परियोजना के बारे में प्रकटीकरण, प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि आदि की सम्यक तत्परता कार्यान्वित करता है। इसके अतिरिक्त, स्टॉक एक्सचेंजों में उनके शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए कम्पनियों को सतत प्रकटीकरण संबंधी उपबंधों सहित सूचीबद्ध करार की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करना होता है।

(च) कम्पनी कार्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए ऐसी कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सेबी ने सेबी अधिनियम की धारा 11ख के अंतर्गत 92 कम्पनियों और 352 निदेशकों को पांच वर्ष की अवधि के लिए पूंजी बाजार से किसी प्रकार की पूंजी जुटाने से प्रतिबंधित किया है। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, 2001 से कम्पनी अधिनियम की धारा 62/63, 68 और 628 के अंतर्गत देशभर में 117 अभियोजन आरम्भ किए गए हैं। इन धाराओं के अंतर्गत अपराधों की सजा कारावास है।

आईडीबीआई को बैंक में बदलना

865. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उसे पूर्णत: बैंक बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आईडीबीआई ने अपने स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए और कौन से प्रस्ताव दिए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को निगमित करने और इसे बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

बुनकरों के लिए योजना

866. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री के. करुणाकरन:
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में सूखा से प्रभावित बुनकरों को केन्द्रीय सहायता/राहत प्रदान करने हेतु कोई महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा और उद्देश्य क्या है; और

(ग) इसके क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेंगे?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

867. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्रीमती प्रभा राव:
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की गति अन्य क्षेत्रों के मुकाबले काफी कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में अक्तूबर, 2002 तक क्षेत्र-वार, अन्य क्षेत्रों की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया गया;

(ग) क्या निवेश के मामले में सर्वाधिक गिरावट खान, खदान, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और निर्माण क्षेत्र में आई है; और

(घ) यदि हां, तो वास्तविक निवेश के स्तर में आ रही गिरावट के क्या कारण हैं, और औद्योगिक क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि प्राप्त करने के संबंध में इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में उपयोग के उद्योग द्वारा सकल पूंजी निर्माण की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय क्षेत्रों द्वारा किए गए सकल निवेश से संबंधित राज्यवार सूचना नहीं रखता है।

संलग्न विवरण यह दर्शाता है कि पिछले तीन वर्षों में निवेश में लगातार गिरावट केवल "निर्माण" क्षेत्र में ही आयी है।

(घ) औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में आयी गिरावट के लिए कुल मांग की कमी, निवेश व व्यवसाय चक्र का प्रचालन, कारपोरेट पुनर्निर्माण के समायोजन संबंधी विलंब, अवसंरचनात्मक बाधाएं, भूमि व श्रम बाजारों में सुधार की कमी और अमरीका, जापान और यूरोपीय संघ आदि जैसे भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के यहां आयी आर्थिक मंदी मुख्य कारण है।

विवरण

उपयोग के उद्योग द्वारा सकल पूंजी निर्माण (1993-94 के मूल्यों पर)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र/उद्योग	1998-99	1999-2000	2000-01
1.	खनन व उत्खनन	54447	5753	3626
2.	विनिर्माणकारी	102210	109419	106446
3.	विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	25834	24148	25713
4.	निर्माण	5691	3434	3088
	औद्योगिक क्षेत्र का उप जोड़ (1+2+3+4)	139182	142754	138873
5.	कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	17470	19289	19451
6.	व्यापार, होटल और रैस्टोरेंट	3406	13434	12802
7.	परिवहन, भंडारण और संचार	24852	28659	35180
8.	वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपदा और व्यवसाय सेवाएं	33020	33247	33763
9.	सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	25767	30991	34848
	जोड़	243697	268374	274917

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, (सी.एस.ओ.) सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

[हिन्दी]

हस्तशिल्प और आभूषण के निर्यात में विश्व व्यापार संवर्द्धन संगठन की भूमिका

868. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन द्वारा विभिन्न राज्यों विशेषकर जम्मू-कश्मीर, बिहार और महाराष्ट्र में हस्तशिल्प और कृत्रिम आभूषण को बढ़ावा देने हेतु कौन से कार्य शुरू किए गए;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में हस्तशिल्प और कृत्रिम आभूषण का निर्यात किया गया और उसमें जम्मू-कश्मीर, बिहार और महाराष्ट्र का हिस्सा कितना है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) सरकार द्वारा आगामी वर्षों में देश से विशेषकर जम्मू-कश्मीर, बिहार और महाराष्ट्र से उक्त वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में आयोजित होने वाले अनेक विदेश व्यापार मेलों में नियमित रूप से भाग लिया जा रहा है जिनमें प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं में हस्तशिल्प और कृत्रिण आभूषण भी शामिल हैं। इन मेलों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी दक्षता और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा महाराष्ट्र राज्यों समेत समूचे भारत के हस्तशिल्प उद्योग के लिए उपयुक्त मंच प्रस्तुत किया जाता है इसके अलावा निर्यातों को सुकर बनाने के लिए हस्तशिल्प एवं कृत्रिण आभूषण सहित विभिन्न उत्पादों के लिए आई टी पी ओ के विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा क्रेताओं से संपर्क किया जाता है तथा पूछताछ सृजित की जाती है।

(ख) हस्तशिल्प के निर्यात से संबंधित राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान नकली/कृत्रिम आभूषण सहित रुपए के रूप में हस्तशिल्प के निर्यात की मात्रा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जम्मू और कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र राज्यों समेत देश से उपर्युक्त मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ विदेश में बिक्री-सह-अध्ययन दल भेजना, क्रेता विक्रेता बैठकों का आयोजन विदेशों में प्रचार, निर्यात संवर्धन विपणन कार्यक्रम/पैकेजिंग कार्यक्रम आयोजित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वस्तु सूचियां तैयार करना, विदेश व्यापार मेले आयोजित करना शामिल है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प (हाथ से बुनी हुई कालीनों को छोड़कर) का निर्यात (अनंतिम)

वर्ष	करोड़ रु. में
1999-2000	5923.60
2000-2001	6955.35
2001-2002	6769.50

कृत्रिम आभूषणों का निर्यात (अनंतिम)

वर्ष	करोड़ रु. में
1999-2000	113.64
2000-2001	121.68
2001-2002	117.53

औद्योगिक विकास

869. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:**
प्रो. दुखा भगत:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में औद्योगिक विकास दर फरवरी, 2002 में 2.3 प्रतिशत कम हो गई है और अप्रैल से अगस्त, 2002 के दौरान 4.9 प्रतिशत और कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या लगातार गत 2 वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर निरन्तर कम हो रही है;

(ग) यदि हां, तो औद्योगिक विकास दर की इस गिरती प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी तत्व कौन-कौन से हैं;

(घ) देश में औद्योगिक विकास की वर्तमान दर क्या है और चालू वर्ष के लिए क्या समग्र लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्तमान वृद्धि दर पर्याप्त है;

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) औद्योगिक विकास दर के अपेक्षित लक्ष्य में सुधार करने और उसे प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) से (ग) फरवरी, 2002 के दौरान, औद्योगिक विकास दर 2.4 प्रतिशत थी, जबकि फरवरी, 2001 में यह 2.9 प्रतिशत थी। अप्रैल-अगस्त 2002 के दौरान औद्योगिक विकास दर 5 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 2.4 प्रतिशत थी। किन्तु, भारतीय उद्योग, जिसमें पिछले दो वर्षों के दौरान मंदी आयी, वर्तमान वित्तीय वर्ष (2002-03) की शुरुआत से इस मंदी से उभर रहा है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ने सितंबर, 2002 के दौरान 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दिखायी है जबकि सितंबर, 2001 के दौरान इसने 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी।

(घ) से (छ) अप्रैल-सितंबर, 2002 के दौरान औद्योगिक विकास दर 5.2 प्रतिशत रही है। योजना आयोग ने अपनी मसौदा दसवीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत का वार्षिक लक्ष्य रखा है ताकि दसवीं योजना (2002-07) में 8 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को प्राप्त किया जा सके। तथापि, लक्षित विकास दर को प्राप्त करना अनेक कारकों पर निर्भर करेगा जिनमें ये शामिल हैं—इस वर्ष वर्षा में कमी से आने वाली गिरावट तथा विश्व भर में विशेषकर अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ में आर्थिक मंदी से उबरने की रफ्तार। सरकार द्वारा पहले ही एक जैसा वातावरण तैयार करने हेतु उपाय किये जा चुके हैं जिसमें भारतीय उद्योग दक्ष और प्रतिस्पर्धात्मक बन सकें। इनमें से कुछ उपाय नीचे दिये जाते हैं:

* औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने पूंजीगत वस्तुओं, लुगदी और कागज तथा सीमेंट उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्यातिप्राप्त संगठनों को इन उद्योगों के संबंध में क्षेत्र-वार अध्ययन चलाने का कार्य सौंपा है।

* सरकार ने एकीकृत नगरों तथा क्षेत्रीय शहरी बुनियादी सुविधाओं के विकास में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके फलस्वरूप, आवास/स्थावर सम्पदा क्षेत्र में तेजी आने तथा सीमेंट और इस्पात क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने की आशा है।

* भारत में विदेशी संस्थागत निवेश (एफ.आई.आई.) को बढ़ाने की दृष्टि से, एफ.आई.आई. पोर्टफोलियो निवेशों पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी क्षेत्रीय सीमाएं लागू नहीं होंगी, सिवाए निर्धारित किये गये क्षेत्रों के।

* प्रत्यक्ष करों व अप्रत्यक्ष करों के लिए केलकर समिति ने सुधारों की सिफारिश की है, जिनके फलस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ, सौदों की लागत में 50 प्रतिशत कमी आने की आशा है।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने 2002-2003 के लिए अपनी वित्तीय और उधार नीति की मध्यावधि-समीक्षा में अपनी सस्ती वित्तीय नीति जारी रखी है। इसने वित्तीय क्षेत्र की प्रौद्योगिकीय व संस्थागत बुनियादी सुविधाओं का विकास करने तथा ऋण वितरण प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से कई उपायों की घोषणा की है।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षी अनुपात (सी.आर.आर.) को 5.0 प्रतिशत से घटाकर 4.75 प्रतिशत कर दिया है, यह एक ऐसा कदम है जिससे मौद्रिक स्थिति में और सुधार आयेगा।

* विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधारों को आसान बनाने की दृष्टि से संसद में मसौदा बिजली विधेयक पेश किया गया है।

* केन्द्रीय बजट 2002-03 में कुछ प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन किये गये हैं, जिनसे मांग में वृद्धि होगी, विशेषकर निर्माण, आवास, इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्रों में। इन स्कीमों में ये शामिल हैं—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अवसंरचनात्मक सुविधा इक्विटी कोष, शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष, शहरी समस्या (सिटी चैलेंज) कोष तथा त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम।

* वर्ष 2002-07 की मध्यावधि निर्यात रणनीति में, निर्यात हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षेत्र-वार रणनीतियों की भी घोषणा की गयी है, जिनमें शामिल हैं—इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रोनिक/वैद्युत और संबद्ध, वस्त्र, रत्न और आभूषण, रसायन और संबद्ध क्षेत्र।

[अनुवाद]

रेशम उद्योग का विकास

870. श्री सुबोध राय: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भागलपुर क्षेत्र देश का एक ऐसा क्षेत्र है जहां अच्छी गुणवत्ता वाले रेशम का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में रेशम उद्योग के विकास के लिए यू एन डी पी परियोजनाओं सहित केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में अवसंरचना के विकास, कच्चे रेशम के प्रसंस्करण और उत्पाद के विपणन के लिए प्रत्येक योजना में कितनी धनराशि की गई और उसमें से वास्तविक रूप में कुल कितनी धनराशि व्यय की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लागू की जा रही योजनाएं तथा निर्धारित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		आवंटित राशि	किया गया व्यय	आवंटित राशि	किया गया व्यय	आवंटित राशि	किया गया व्यय
1.	तसर, ऐरी और मूगा के लिए धागा बनाने/कताई के सुधरे उपकरणों के प्रसिद्धिकरण के लिए अभिकरणों को सहायता	12.39	12.39	-	-	-	-
2.	उद्यमियता विकास कार्यक्रम	0.82	0.82	-	-	-	-
3.	तसर कोयों के लिए अपरिष्कृत सामग्री के बैंक के अधीनस्थ-डिपो	व्यय को तसर की अपरिष्कृत सामग्री के प्रमुख बैंक चाईबासा (झारखंड) के तहत लिया गया है।					
4.	प्रमाणीकरण केन्द्र, भागलपुर	9.45	9.45	7.29	7.29	8.45	8.45
5.	प्रदर्शन एवं तकनीकी सेवा केन्द्र तथा पारि-परीक्षण प्रयोगशाला, भागलपुर	24.79	24.79	27.50	27.50	28.01	28.01

एफ.डी.आई. का अन्तर्वाह

871. **डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री रामजीवन सिंह:
श्री ए. नरेन्द्र:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा एफ.डी.आई. के विषय में जारी प्रारंभिक आकलन की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो क्या देश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) का 'कन्फीडेन्स इंडेक्स' गिर रहा है और आकलित एफ.डी.आई. की प्राप्ति में पर्याप्त गिरावट आने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) एफ.डी.आई. के 'कन्फीडेन्स इंडेक्स' में गिरावट के क्या कारण हैं;

(च) आर्थिक विकास के वे कौन से क्षेत्र हैं जहां एफ.डी.आई. में गिरावट आ रही है और देश में आर्थिक विकास पर इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(छ) देश में एफ.डी.आई. की वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (च) रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) द्वारा आंतरिक एफ.डी.आई. निष्पादन इंडेक्स और आंतरिक एफ.डी.आई. संभावित इंडेक्स के रूप में देश की रैंकिंग दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1998-2000 में निष्पादन इंडेक्स के रूप में भारत का स्थान 119वां है जबकि 1988-90 की अवधि में इसका 121वां स्थान था। उपर्युक्त स्थान निर्धारण वैश्विक जी.डी.पी. में हमारे हिस्से के लिए वैश्विक एफ.डी.आई. प्रवाहों में हमारे हिस्से के अनुपात के आधार पर होता है और यह निर्धारण सम्पूर्ण एफ.डी.आई. प्रवाहों

से संबंधित निष्पादन पर आधारित नहीं होता है जिसमें भारत ने 2001 में प्रतिशत के रूप में अधिकांश देशों से अधिक निष्पादन किया है।

एफ.डी.आई. संभाव्यता इंडेक्स रैंकिंग आठ विभिन्न कारकों पर आधारित होता है जैसे कि प्रति व्यक्ति जी.डी.पी., वास्तविक जी.डी.पी. विकास, जी.डी.पी. विकास के प्रतिशत के रूप में निर्यात, टेलीफोन घनत्व, वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत, सकल राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान तथा विकास व्यय, कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में तृतीय शिक्षा में छात्र और देश में विपदा। तथापि, ये कारक ही उन सामान्य कारकों में नहीं हैं जिनसे एफ.डी.आई. डेस्टिनेशन हेतु किसी देश की आकर्षण शक्ति का निर्धारण शक्ति का निर्धारण होता है जो बाजार का आकार और क्षमता, श्रम लागत, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता, कानूनी माहौल, निवेश पर वापसी, इत्यादि होते हैं।

स्वतंत्र अभिकरण जैसे कि ए.टी. कार्ने, जापान इक्सिम बैंक इत्यादि द्वारा किये गये अनेक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार भारत का स्थान शीर्ष एफ.डी.आई. डेस्टिनेशनों में है। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार चीन, मलेशिया, भारत और फिलीपीन उन देशों के रूप में अभिज्ञात हुए हैं जो एफ.डी.आई. अंतर्वाह बढ़ाने की स्थिति में हैं।

(छ) सरकार, नीतिगत ढांचा, कारकों व संस्थानों के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी निवेश माहौल मुहैया करा करके भारत को निवेश प्रधान डेस्टिनेशन के रूप में संवर्धित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तरोत्तर सुधार लाने की दृष्टि से एफ.डी.आई. नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

व्यापार संबंधों को बढ़ाना

872. प्रो. रासासिंह रावत: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इन कदमों के परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वाणिज्य संबंधित मामलों में दक्षेस संगठन की क्या उपयोगिता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) भारत और अन्य पड़ोसी देश अर्थात नेपाल, भूटान, बंग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव तथा पाकिस्तान ने दिसम्बर 1985 में एक एसोसिएशन के रूप में स्वयं को संगठित किया है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के नाम से ज्ञात है और जिसका मूल उद्देश्य इस क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई के जरिए आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतरक्षेत्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) सदस्य देशों द्वारा 11 अप्रैल, 1993 को सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था संबंधी करार (साप्टा) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य सीमा शुल्क टैरिफ कम करके और क्षेत्र के भीतर व्यापार पर पैरा टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को धीरे-धीरे समाप्त करके इस क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक सहयोग का उच्च स्तर प्राप्त करना है। इसका अंतिम उद्देश्य निर्धारित ढंग से एक मुक्त व्यापार क्षेत्र (साप्टा) की स्थापना करना है।

(2) साप्टा के अंतर्गत टैरिफ रियायतों पर वार्ता करने के लिए गठित विशेषज्ञों की समिति चार दौर की वार्ताएं कर चुकी है। अंतिम बैठक अक्तूबर, 2002 में काठमांडू में आयोजित की गई थी।

(3) सार्क क्षेत्र में विशेषज्ञों का एक दल सार्क मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा करार का प्रारूप तैयार करने में लगा हुआ है।

(4) माल के निर्बाध आवागमन के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सीमाशुल्क सहयोग संबंधी एक दल का गठन किया गया है। इस दल की अब तक दो बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। दूसरी बैठक ढाका में अक्तूबर 2002 को आयोजित हुई थी।

(5) भारत इस क्षेत्र में निर्यात उत्पादों में सकारात्मक कार्रवाई करता आ रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) ने नई दिल्ली में इस विषय पर कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया था।

(6) सार्क सदस्य देशों के बीच निर्यात संभाव्यता के बारे में सूचना का आदान प्रदान के लिए व्यापार मेलों का आयोजन किया जाता है। प्रथम व्यापार मेला नई दिल्ली में जनवरी, 1995 को आयोजित किया गया था। बाद में कोलम्बो, कराची और काठमांडू में व्यापार मेले आयोजित किए गए थे। आखिरी और चौथा व्यापार मेला 24-29, अक्तूबर 2002 को आयोजित किया गया था।

(7) अंतर क्षेत्रीय निवेश बढ़ाने के लिए इस प्रकार के निवेशों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए सदस्य देशों द्वारा एक करार किए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) सदस्य देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को आगे बढ़ाने में सार्क ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान सार्क सदस्य देशों के साथ भारत का समग्र व्यापार 1791.99 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 2289.48 मिलियन अमरीकी डालर और 253581 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है जिसमें वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान क्रमशः 27.76% और 10.76% की वार्षिक वृद्धि हुई है। इन अवधियों के दौरान इन देशों को भारत के निर्यात वर्ष 1999-2000 के दौरान 1394.36 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2000-01 के दौरान 1855.10 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है जिसमें 33.04% की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2001-2 के दौरान पुनः बढ़कर 1964.04 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है। इसी प्रकार, उपर्युक्त तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इन देशों से हुए आयात 397.63 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर क्रमशः 434.38 मि. अमरीकी डालर और 571.77 मि. अमरीकी डालर मूल्य के हो गए हैं।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बाधा

873. **श्री रामशेठ ठाकुरः**
श्री पवन कुमार बंसलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अक्तूबर, 2002 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में "एमएनसी वरी एबाउठ रेड टेप, नाट एफडीआई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रक्रियागत वाद-विवाद, कठिनाईयां लालफीताशाही और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा के कारण बड़ी परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवक में अवरोध पड़ता रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या 30 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारियों ने योजना आयोग के सदस्यों के साथ गुप्त बैठक की है और इस बात पर जोर दिया कि भारत 500 कंपनियों के लिए अत्यन्त उपयुक्त जगह होगी यदि सरकार प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों को दूर करें और परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन में कुशलता लाए;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश में निवेश हेतु और उपयुक्त वातावरण तैयार करने हेतु क्या उपाय निर्धारित किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने अधिकाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से पहले ही एक उदार, पारदर्शी और निवेशक अनुकूल एफ.डी.आई. नीति बना रखी है जिसमें अधिकांश कार्यकलाप 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत आते हैं जो एक संक्षिप्त निषेध सूची को छोड़कर है। सरकार ने एफ.डी.आई. अंतर्वाहों को बढ़ाने के लिए अनेकानेक कदम भी उठाए हैं जिसमें एफ.डी.आई. परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए विदेशी निवेशकों और विभिन्न अनुमोदित अभिकरणों के बीच एकल बिंदु इन्टरफेस के रूप में कार्य करने के लिए एस.आई.ए. के अधीन विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) की स्थापना करना भी शामिल है।

(ग) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के आधार पर योजना आयोग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की कोई बैठक नहीं हुई है। तथापि, सी.आई.आई. के अनुरोध पर योजना आयोग के सदस्य श्री एन.के. सिंह ने 21 अक्तूबर, 2002 को सी.आई.आई. बहुराषट्रीय कंपनी समूह के साथ परस्पर कार्य किया जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारियो ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्रक्रियात्मक कुशलता में सुधार लाने के महत्व पर जोर दिया।

(घ) और (ङ) निवेश प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विचार करने के लिए सचिव (आई.पी.पी.) की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई थी जिसने, हाल ही में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समिति ने विभिन्न अनुमोदनों में होने वाली देरी को कम करने के लिए राज्य स्तर पर विनियामक प्रक्रियाओं के पुनःनिर्माण करने सहित एक अधिकारप्राप्त एकल खिड़की प्रणाली हेतु सिफारिश की है। इस समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि राज्य स्तर पर एकल खिड़की अभिकरण को अनुमोदनों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने, संबंधित अभिकरणों/विभागों, स्थानीय निकायों इत्यादि द्वारा मंजूरशुदा अनुमोदनों की समीक्षा करने, पूर्व-निर्धारित समय-सीमा में अनुमोदन प्रदान करने

और संबंधित अधिकरणों/विभागों को उपयुक्त दिशानिर्देश देने का भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा समिति

874. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:**
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा नामक समिति ने वर्ष 2001 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट को टिप्पणियों हेतु मंत्रियों के समूह को भेज दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को मंत्रियों के समूह से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं; और

(ङ) समिति की सिफारिशों को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारत के लिए एक पेंशन-व्यवस्था तैयार करने के लिए वृद्धावस्था सामाजिक एवं आय सुरक्षा समिति (ओएसिस) नामक विशेषज्ञ समिति ने जनवरी, 2000 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने अन्य बातों के अलावा, कम लागत और व्यापक पहुंच वाली, व्यक्तिगत खातों पर आधारित सुस्पष्ट अंशदान के आधार पर, एक नई पेंशन व्यवस्था की स्थापना करने की सिफारिश की।

(ग) से (ङ) इस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मंत्रियों के समूह (जी ओ एम) को भेज दी गई है। मंत्रियों के समूह ने इस विषय पर अब तक दो बैठकें आयोजित की हैं।

अग्रिम कर का संग्रहण

875. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान क्षेत्र-वार कुल कितने अग्रिम कर का संग्रहण किया गया;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक इसमें विशेष तेजी आई है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष के अंत तक कुल कितना संग्रहण किये जाने की आशा है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) अक्तूबर, 2002 के अन्त तक 32673.66 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष करों की कुल वसूली हुई थी। क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी, हां। गत वित्त वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान की गई वसूली की तुलना में अक्तूबर, 2002 तक की गई वसूली में 13.32% की वृद्धि हुई है।

(ग) अग्रिम कर की दो किस्तें अभी प्राप्त होनी हैं। इनमें से एक किस्त दिसम्बर माह तथा दूसरी मार्च माह में प्राप्त होनी है। किसी निश्चित समय पर अग्रिम कर भुगतान की मात्रा विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अत: की जाने वाली अप्रत्याशित वसूली का अभी कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है।

केन्द्र सरकार द्वारा उधार लेना

876. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूखे की स्थिति ने चालू वर्ष में सरकार को आवश्यकता से अधिक उधार लेने हेतु बाध्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2002-03 में सूखे के कारण सरकार आवश्यकता से कितना अधिक उधार लेने को बाध्य हुई है;

(ग) सूखे से अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार ने कोई आकलन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने अब तक कुल कितनी धनराशि उधार ली है;

(च) गत वित्तीय वर्ष की तुलना में यह कितनी अधिक है; और

(छ) इससे वित्तीय घाटा बजट में निर्धारित स्तर से कितना बढ़ गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूखा राहत उपायों पर होने वाली अतिरिक्त व्यय की पूर्ति बजट प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी।

(ङ) और (च) 20 नवम्बर, 2002 तक 119000 करोड़ रुपये के सकल उधार निष्पन्न किए गए जो बजट अनुमान 2002-03 का 83.35 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 107000 करोड़ रुपए के सकल उधार निष्पन्न किए गए जो बजट अनुमान 2001-02 का 93.57 प्रतिशत है।

(छ) वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध के अन्त में सकल राजकोषीय घाटा 57746 करोड़ रुपए है जो बजट अनुमान 2002-03 का 42.6 प्रतिशत है। वर्ष 2001-02 के पूर्वार्द्ध के अन्त में सकल राजकोषीय घाटा 57262 करोड़ रुपए है जो बजट अनुमान 2001-02 का 49.2 प्रतिशत है।

उत्पादन रणनीति बनाना

877. श्री के.पी. सिंह देव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्तर पर प्रतियोगिता करने के लिए विभिन्न उत्पादों के संबंध में कोई उत्पादन रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या चीन के उत्पादों के खतरे से बचाव के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) और (ख) वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत, जो 1991 से शुरू किये गये आर्थिक सुधारों का अभिन्न हिस्सा है, विनिर्माता एककों को स्वयं को इस प्रकार पुनर्गठित करना होता है कि उनकी दक्षता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो। सूक्ष्म स्तरीय पुनर्गठन पहले ही हो रहा है और सरकार ने एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए उपाय किये हैं, जिसमें उद्योग दक्ष और प्रतिस्पर्धात्मक बन सकें। इनमें से कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं:

* औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने पूंजीगत वस्तुओं, लुगदी और कागज तथा सीमेंट उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्यातिप्राप्त संगठनों को इन उद्योगों के संबंध में क्षेत्र-वार अध्ययन चलाने का कार्य सौंपा है।

* सरकार ने एकीकृत नगरों तथा क्षेत्रीय शहरी बुनियादी सुविधाओं के विकास में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके फलस्वरूप, आवास/स्थावर सम्पदा क्षेत्र में तेजी आने तथा सीमेंट और इस्पात क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने की आशा है।

* भारत में विदेशी संस्थागत निवेश (एफ.आई.आई.) को बढ़ाने की दृष्टि से, एफ.आई.आई. पोर्टफोलियो निवेशों पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी क्षेत्रीय सीमाएं लागू नहीं होंगी, सिवाए निर्धारित किये गये क्षेत्रों के।

* प्रत्यक्ष करों व अप्रत्यक्ष करों के लिए केलकर समिति ने सुधारों की सिफारिश की है, जिनके फलस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ, सौदों की लागत में 50 प्रतिशत कमी आने की आशा है।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने 2002-2003 के लिए अपनी वित्तीय और उधार नीति की मध्यावधि-समीक्षा में अपनी सस्ती वित्तीय नीति जारी रखी है। इसने वित्तीय क्षेत्र की प्रौद्योगिकीय व संस्थागत बुनियादी सुविधाओं का विकास करने तथा ऋण वितरण प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से कई उपायों की घोषणा की है।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षी अनुपात (सी.आर.आर.) को 5.0 प्रतिशत से घटाकर 4.75 प्रतिशत कर दिया है, यह एक ऐसा कदम है जिससे मौद्रिक स्थिति में और सुधार आयेगा।

* विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधारों को आसान बनाने की दृष्टि से संसद में मसौदा बिजली विधेयक पेश किया गया है।

* केन्द्रीय बजट 2002-03 में कुछ प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन किये गये हैं, जिनसे मांग में वृद्धि होगी, विशेषकर निर्माण, आवास, इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्रों में। इन स्कीमों में ये शामिल हैं—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अवसंरचनात्मक सुविधा इक्विटी कोश, शहरी सुधार प्रोत्साहन कोश, शहरी समस्या (सिटी-चैलेंज) कोश, तथा त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम।

* वर्ष 2002-07 की मध्यावधि निर्यात रणनीति में, निर्यात हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षेत्र-वार रणनीतियों की भी घोषणा की गयी है, जिनमें शामिल हैं—इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रोनिक/वैद्युत और संबद्ध, वस्त्र, रत्न और आभूषण, रसायन और संबद्ध क्षेत्र।

(ग) और (घ) समग्र औद्योगिक कार्य-निष्पादन की दृष्टि से चीनी माल से कोई स्पष्ट खतरा नहीं है। क्योंकि चीन से किये गये आयातों का हिस्सा 2001-02 के दौरान मात्र 3.07 प्रतिशत ही रहा है। वास्तव में, वर्तमान वित्तीय वर्ष (2002-03) की शुरुआत से औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है और अप्रैल-सितम्बर, 2002 में इसमें 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2001 की संगत अवधि की तुलना में, भारत के समग्र निर्यात में भी 13.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत-चीन व्यापार के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000-01 की तुलना में वर्ष 2001-02 के दौरान, कुल मिलाकर भारत में चीन से किये जाने वाले आयात में निर्यात की तुलना में कोई उछाल नहीं आया है। भारत से चीन को 2001-02 के दौरान किये गये निर्यात में 11.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आयात में 11.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अत्यधिक सस्ते आयातों के विरुद्ध सरकार द्वारा किये गये उपाय, डंपिंग रोधी कार्यवाहियों तथा कुछ विशेष आयातों को 'भार और मापन मानक (पैक की गयी सामग्रियां) नियमावली, 1977' के उपबंधों के दायर में लाने के स्वरूप के हैं। अन्य उपाय पैकेजिंग, विनिर्देशों और गुणवत्ता मानकों से संबंधित हैं। 'डंपिंग-रोधी और संबद्ध शुल्क (डी.जी.ए.डी.)' महानिदेशक ने चीन से किये जाने वाले आयातों के विरुद्ध 61 डंपिंग-रोधी मामलों में कार्यवाही आरंभ की है। 45 मामलों में अंतिम निष्कर्ष जारी कर दिये गये हैं।

मिलों का पुनरुद्धार

878. **श्री के. येरननायडू:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वारंगल स्थित आजम जाही मिल के पुनरुद्धार हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बीआईएफआर ने इस मिल की आर्थिक क्षमता की जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि मिल का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता और एनटीसी (एपीकेकेएम) के लिए स्वीकृत पुनर्स्थापना योजना के एक भाग के रूप में उसे बंद करने का प्रस्ताव किया है। बीआईएफआर के आदेश के अनुसार मिल को बंद करने के लिए कदम उठाने से पहले, भारत सरकार ने, मिल को राज्य सरकार को मामूली अथवा नगण्य लागत पर देने की भी पेशकश की थी यदि वह उसका पुनरुद्धार करना अथवा चलाना चाहती है। लेकिन बाद में आईडी अधिनियम के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने के बाद 31 अक्तूबर, 2002 से मिल को बंद कर दिया गया। इस मिल के सभी कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया था और उन्हें वीआरएस दे दिया गया है।

कृषि निर्यात में लगी हुई एजेन्सियां

879. **श्री अनन्त नायक:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कृषि निर्यात में सरकारी और निजी क्षेत्र की कौन-कौन एजेंसियां लगी हुई हैं;

(ख) इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या कृषि निर्यात के क्षेत्र में एम एम टी सी ने भी प्रवेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में एम एम टी सी द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) वर्तमान एक्जिम नीति के अनुसार प्याज और रामतिल को छोड़कर समस्त कृषि उत्पादों का निर्यात मुक्त है।

(ग) और (घ) एम एम टी सी द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात का कारोबार पहले से ही किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) द्वारा सरकार की नीति के अनुसार निर्यात के प्रयोजन हेतु गेहूं और चावल की आपूर्ति की जा रही है। एफ सी आई की शर्तों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर गेहूं और चावल के निर्यात हेतु प्रयास किये जाते हैं।

सिर पर मैला ढोने की प्रथा

880. **श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार को क्या दिशानिर्देश भेजे गए हैं; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार सफाई कर्मचारियों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एन एस एल आर एस) को सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण और वैकल्पिक तथा सम्मानित व्यवसायों में पुनर्वास के लिए कार्यान्वित करती है। शहरी विकास मंत्रालय शुष्क शौचालयों को कम लागत वाले जल वाहित शौचालयों में परिवर्तित करने के लिये कम लागत सफाई योजना कार्यान्वित करता है। एन एस एल आर एस की प्रगति को क्रियाशील करने और उसमें तेजी लाने के लिए इस मंत्रालय ने समूहों में सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान सेनेटरी मार्टों की अवधारणा को क्रियान्वित किया है। शहरी विकास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए "सिर पर मैला ढोने वाले सफाई कर्मचारियों के रोजगार तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993" अधिनियमित, किया गया है। अब तक 17 राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम को अपना लिया है। यह मंत्रालय सफाई कर्मचारियों को एक समय-सीमा के अंदर पुनर्वासित करने हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकारों से लगातार आग्रह कर रहा है। अब तक इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों को 700.97 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं। 6,76,009 अभिज्ञात सफाई कर्मचारियों में से 4,08,644 तथा 1,56,488 सफाई कर्मचारियों को एन एस एल आर एस के अंतर्गत 1991-92 से 2001-02 तक क्रमशः पुनर्वासित तथा प्रशिक्षित किया गया है। कम लागत वाली सफाई योजना के अंतर्गत 37,532 सफाई कर्मचारियों को मुक्त किया गया है।

ई-कॉम पोर्टल स्थापित करना

881. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल में पारम्परिक उद्योगों के लिए एक ई-कॉम पोर्टल स्थापित करने हेतु राज्य से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के पास केरल राज्य में परम्परागत उद्योगों के लिए ई-कॉम पोर्टल स्थापित करने के लिए उनसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संथाली भाषा पढ़ाया जाना

882. श्री शिभु सोरेन: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकारों का विचार प्राथमिक विद्यालय स्तर से लेकर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा के माध्यम के रूप में "ऑलचिकी" लिपि में संथाली भाषा पढ़ाये जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक कर दिया जायेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेनबैक्सी के ब्रिटेन कार्यालय द्वारा अवैध लेन-देन

883. डा. बलिराम:
श्री रामरती बिन्द:
श्री सईदुज्जमा:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रेनबैक्सी के ब्रिटिश कार्यालय ने हाल ही में अवैध लेन-देन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में कोई जांच की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेनबैक्सी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय ने मै. रेनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि. के कतिपय लेन-देन की जांच की है जो रैनबैक्सी (यू.के.) लि. के कुछ अधिकारियों से संबंधित है।

(ग) जांच अभी जारी है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जनजातीय कल्याण हेतु योजनाएं

884. प्रो. दुखा भगत: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जनजातियों के कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान योजनावार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी निधि आवंटित की गयी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कितनी निधियों का उपयोग किया गया;

(घ) क्या कतिपय राज्यों से निधियों के दुरुपयोग की सूचना मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के ब्यौरे विवरण-I में संलग्न हैं।

(ख) से (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय, देश में जनजातीय विकास के लिए दो योजनाओं अर्थात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान तथा जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निधियां आवंटित करता है। देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त निधियों और गत तीन वर्षों के दौरान उस धनराशि की उपयोगिता की रिपोर्ट दर्शाने वाले विवरण-II और III संलग्न हैं।

(ङ) इस अवधि के दौरान, निधियों का दुरुपयोग किये जाने से संबंधित कोई भी मामला राज्यों द्वारा सूचित नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

क्र.सं.	योजना
1	2
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय क्षेत्र योजना)
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अनुदान
3.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (केन्द्रीय क्षेत्र योजना)
4.	जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकिटों में शैक्षिक परिसर (केन्द्रीय क्षेत्र योजना)
5.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (केन्द्रीय क्षेत्र योजना)
6.	ग्राम अन्न बैंक (केन्द्रीय क्षेत्र योजना)
7.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास (केन्द्रीय क्षेत्र योजना)
8.	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
9.	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम (गैर-योजना)
10.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत अनुदान (गैर-योजना)
11.	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना
12.	अनुसूचित जनजातीय छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन (केन्द्रीय क्षेत्र योजना)
13.	भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राइफेड) को हिस्सा पूंजी अंशदान
14.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन
15.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम को सहायता अनुदान

1	2
16.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम/ राज्य जनजातीय वित्त विकास निगम को समर्थन
17.	जनजातियों द्वारा परस्पर भ्रमण
18.	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के छात्रावास (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)
19.	अनुसूचित जनजातीय लड़कों के छात्रावास (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)
20.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)
21.	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए पुस्तक बैंक (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)
22.	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता
23.	अखिल भारतीय अथवा अंतर्राज्य प्रकृति की परियोजना (अनुसूचित जनजाति) को समर्थन
24.	जनजातीय विकास के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान फेलोशिप अवार्ड (डॉक्टरोल/पोस्ट-डॉक्टरोल फेलोशिप)

विवरण II

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000		2000-01		2001-02	
		निर्मुक्त धनराशि	सूचित व्यय	निर्मुक्त धनराशि	सूचित व्यय	निर्मुक्त धनराशि	सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2182.9	2182.9	2182.94	2182.94	2732.80	1821.86
2.	असम	2443.5	1940.0	2443.50	2194.25	3058.99	2499.99
3.	बिहार	4779.1	0.0	1711.06	0.00	556.56	0.00
4.	गुजरात	3140.0	3123.8	3139.98	3646.00	3930.91	2924.84
5.	हिमाचल प्रदेश	514.1	750.6	514.05	531.61	643.53	654.52
6.	जम्मू व कश्मीर	776.4	726.6	776.38	605.92	971.94	914.46
7.	कर्नाटक	616.1	1094.5	616.13	615.88	771.33	514.22
8.	केरल	218.6	208.0	218.63	228.24	273.70	0.00
9.	मध्य प्रदेश	9797.2	12026.5	6257.12	7024.52	7833.22	10123.45
10.	महाराष्ट्र	2974.6	3727.0	2974.57	3200.00	3723.83	2839.79
11.	मणिपुर	608.7	651.5	608.65	235.65	761.96	901.98
12.	उड़ीसा	5698.3	7660.1	5188.40	4931.72	6495.30	6881.82

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	राजस्थान	2915.2	3355.5	2915.24	3260.55	3649.56	3721.21
14.	सिक्किम	86.3	86.4	86.28	104.10	108.02	108.02
15.	तमिलनाडु	258.3	258.3	258.27	0.00	323.32	0.00
16.	त्रिपुरा	831.6	1067.6	831.57	831.57	1041.03	1028.23
17.	उत्तर प्रदेश	99.9	79.5	41.83	100.00	32.10	0.00
18.	पश्चिमी बंगाल	1759.4	1759.4	1759.40	1759.40	2202.57	0.00
19.	झारखंड	0.0	0.0	3422.62	1345.37	5870.24	1259.34
20.	छत्तीसगढ़	0.0	0.0	3695.36	3620.73	4626.18	4754.93
21.	उत्तरांचल	0.0	0.0	58.02	0.00	92.91	0.00
22.	अंदमान और निकोबार	255.4	135.3	233.90	130.62	230.85	166.68
23.	दमण व दीव	44.6	20.6	66.10	0.00	99.15	61.42
	कुल	40000.0	40853.9	40000.00	36549.07	50030.00	41176.761

विवरण III

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्त धनराशि	सूचित व्यय	निर्मुक्त धनराशि	सूचित व्यय	निर्मुक्ति धनराशि	सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	613.9	613.9	460.5	460.5	2715.35	0.00
2.	असम	420.2	420.2	443.4	347.0	845.56	431.50
3.	बिहार	967.2	0.0	0.0	0.0	209.35	0.00
4.	गुजरात	900.7	0.0	2250.0	0.0	3050.00	2050.00
5.	हिमाचल प्रदेश	31.9	31.9	99.5	0.0	78.00	0.00
6.	जम्मू व कश्मीर	124.1	124.1	190.5	40.0	502.94	0.00
7.	कर्नाटक	280.0	204.4	420.0	420.0	1314.37	597.44
8.	केरल	46.9	72.4	0.0	40.9	117.50	42.19
9.	मध्य प्रदेश	2251.0	0.00	2057.8	1255.0	4346.06	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	महाराष्ट्र	1069.8	1652.8	1603.5	3983.0	2672.50	1193.06
11.	मणिपुर	92.4	176.7	650.0	229.0	230.00	0.00
12.	उड़ीसा	1027.9	1027.9	2957.1	2875.5	4104.91	1478.55
13.	राजस्थान	800.3	300.0	1700.0	1200.0	2550.00	3006.33
14.	सिक्किम	13.3	113.4	327.9	220.0	239.38	178.27
15.	तमिलनाडु	83.9	0.0	63.0	0.0	405.00	0.00
16.	त्रिपुरा	124.7	124.7	287.5	287.5	462.50	370.00
17.	उत्तर प्रदेश	42.1	28.1	9.6	128.1	176.95	0.00
18.	पश्चिमी बंगाल	556.8	556.8	835.5	835.5	1406.67	779.20
19.	अरुणाचल प्रदेश	80.5	380.5	376.6	247.4	200.00	0.00
20.	मेघालय	221.9	42.0	477.0	0.00	0.00	0.00
21.	मिजोरम	95.5	0.00	72.0	612.8	0.00	0.00
22.	नागालैंड	155.1	51.7	950.0	0.0	0.00	0.00
23.	झारखंड	0.0	0.0	1320.0	651.0	2208.15	0.00
24.	छत्तीसगढ़	0.0	0.0	1530.6	0.0	2086.77	611.89
25.	उत्तरांचल	0.0	0.0	46.9	0.0	78.05	0.00
	कुल	10000.0	5921.5	19128.9	13833.2	30000.0	10738.43

[अनुवाद]

एन.सी.सी.एफ. में कालाबाजारी

885. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुनाथ झा:
श्री रामजी मांझी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 और 16 अगस्त, 2002 के ''दैनिक जागरण'' में एन.सी.सी.एफ. द्वारा खुले बाजार में निर्यात किये जाने वाले चावल के अन्यत्र उपयोग के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एन.सी.सी.एफ. द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खरीदे गये चावल की मात्रा का ब्यौरा क्या है और वर्षवार, मात्रावार और देशवार इसे किन-किन देशों को निर्यात किया गया;

(घ) उक्त निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार एन.सी.सी.एफ. को काली सूची में डालने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख)

सरकार का ध्यान 5 अगस्त, 2002 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया था। 16 अगस्त, 2002 को प्रकाशित समाचार में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। इस मामले के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत दो वर्षों के दौरान और अक्तूबर, 2002 तक निर्यात के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उनको इंडियन लौंग रॉ राइस और पार-ब्वाइल्ड राइस आवंटित किए गए हैं, निर्यात निम्नानुसार हुआ:

2000-2001	-	800 मी. टन
2001-2002	-	25496 मी. टन
2002-2003 (अक्तूबर, 2002 तक)	-	15548 मी. टन
कुल	-	181779 मी. टन

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा किए गए चावल के देश-वार निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उक्त निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का मूल्य 25451813 अमरीकी डालर है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट पुलिस प्राधिकारियों को भी की गई है। सरकारी स्तर पर कार्रवाई, यदि आवश्यक होगी तो जांच पूरी होने के बाद की जाएगी।

विवरण

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा किए गए चावल की देश-वार निर्यात के ब्यौरे

वर्ष	देश	मात्रा (मीट्रिक टन में)	
1	2	3	
2000-2001	बंगलादेश	800.00	800.00
2001-2002	बंगलादेश	11119.00	
	इंडोनेशिया	4117.00	
	दुबई	1500.00	
	ओमान	6000.00	
	मलेशिया	2760.00	25496.00
2002-2003	बंगलादेश	50852.55	
(अक्तूबर, 2002 तक)	श्रीलंका	1400.00	
	फिलीपीन्स	33605.60	
	सेनेगल	17000.00	
	मलेशिया	13050.00	
	मोजाम्बिक	8000.00	
	कांगो	6000.00	

1	2	3
	साऊथ अफ्रीका	8285.95
	सोमालिया	525.00
	इंडोनेशिया	9885.20
	सिंगापुर	3772.00
	दुबई	4106.70
		155483.00
	कुल	181779.00

[हिन्दी]

विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय आर्थिक विषमता

886. श्री बृजलाल खाबरी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को दूर करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्षेत्रीय विषमता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण दस्तावेज में सभी राज्यों के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया गया है और यह निर्दिष्ट किया गया है कि दसवीं योजना में विकास दरों और सामाजिक विकास के लक्ष्यों सहित विस्तृत विकासात्मक लक्ष्यों का एक राज्य-वार ब्यौरा शामिल किया जाए। सरकार, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को निधियों के अन्तरण के जरिए क्षेत्रीय विषमता को दूर करने और विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों के सरणीकरण के लिए समय-समय पर आवश्यक कदम उठाती रही है।

[अनुवाद]

व्यापार संगठन समझौतों की उपलब्धियां

887. श्री खारबेल स्वाई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व व्यापार संगठन के समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत की उपलब्धियां/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) तब से अब तक किन वस्तुओं का आयात/निर्यात बढ़ा है और किस सीमा तक बढ़ा है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन से वापस हटने की मांग है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने के पश्चात् भारत की पूरी स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना से ही इसका एक संस्थापक सदस्य है। डब्ल्यू टी ओ एक नियम आधारित संगठन है जो अपने सदस्यों के बीच व्यापार संबंधों के संचालन के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। डब्ल्यू टी ओ करारों जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियमन के लिए इस नियम आधारित प्रणाली का गठन करते हैं, की शृंखला सभी सदस्य देशों की ओर से अधिकारों, रियायतों, वचनबद्धताओं और दायित्वों का एक संतुलन प्रस्तुत करती है। इस प्रणाली में भारत की भागीदारी से अधिक स्थायित्व और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित होगी जिससे अंततोगत्वा अधिक व्यापार होगा और स्वयं तथा डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों की समृद्धि होगी। डब्ल्यू टी ओ का एक सदस्य होने के नाते भारत को अन्य डब्ल्यू टी ओ सदस्यों को अपने निर्यातों के लिए परम मित्र राष्ट्र (एम एफ एन) व्यवहार और राष्ट्रीय व्यवहार का लाभ भी प्राप्त है। भारत डब्ल्यू टी ओ निकायों के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है और अपनी स्थितियां निश्चित करता रहा है

ताकि अपने और अन्य विकासशील देशों के हितों की रक्षा कर सके। इस संबंध में दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत की भागीदारी को विकासशील देशों के लिए एक उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिये। भारत अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और ट्रिप्स करार से संबंधित मुद्दों समेत विकासात्मक मुद्दों को डब्ल्यू टी ओ के कार्यों में सबसे आगे लाने में समर्थ रहा है। इसके अलावा, भारत दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है।

डब्ल्यू टी ओ के प्रभावी होने के बाद से भारत का निर्यात वर्ष 1994-95 में 26330.28 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 43559.93 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान आयात भी 28654.37 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 51087.26 मिलियन अमरीकी डालर के हो गए हैं।

यद्यपि समय-समय पर डब्ल्यू टी ओ से अलग होने के सुझाव मिलते रहते हैं किन्तु डब्ल्यू टी ओ में हमारी भागीदारी सुदृढ़ करने हेतु कई सुझाव भी मिलते रहे हैं। चूंकि भारत इस नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के प्रति पूर्ण रूप से वचनबद्ध है इसलिए सरकार को डब्ल्यू टी ओ से अलग होने पर विचार करने में कोई खूबी नजर नहीं आती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सम विकास योजना

888. **श्री रामदास रुपला गावीत:**
श्री बृजलाल खाबरी:
श्री जय प्रकाश:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'राष्ट्रीय सम विकास योजना' शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार इस योजना में क्या प्रगति हुई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) राष्ट्रीय सम विकास योजना (विकास और सुधार सुविधा) एक नई पहल है, जो संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष में शुरू की गई है। इस स्कीम के तीन घटक हैं; (1) पिछड़े जिलों में पहल; (2) बिहार के लिए विशेष योजना; और (3) उड़ीसा के केबीके जिलों हेतु विशेष योजना। इस स्तर पर अभी किन्हीं विशिष्ट मार्गनिर्देशों पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि यह महसूस किया गया है कि जिलों की विकास संबंधी समस्याएं भिन्न होती हैं तथा उन्हें नवीन दृष्टिकोणों के जरिए सुलझाए जाने की जरूरत है।

चालू वर्ष में पिछड़े जिलों में पहल मार्गदर्शी आधार पर की जा रही है तथा इसके लिए 25 जिले अभिज्ञात किए गए हैं।

चूंकि यह स्कीम चालू वर्ष में शुरू की गई है, इसलिए आज तक इस राज्य के केबीके जिलों की विशेष योजना के लिए 50 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

हवाला व्यापारी

889. **डा. बलिराम: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** दिल्ली में हवाला व्यापारियों के बारे में 27.7.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 995 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने वित्त मंत्रालय को 25 हवाला व्यापारियों के नाम पते और अन्य ब्यौरे सौंप दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज तक हवाला व्यापारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय को दिल्ली पुलिस से हवाला व्यापारियों के नाम, पते और अन्य कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली स्थित आयकर विभाग की जांच स्कन्ध को 18 हवाला व्यापारियों के नाम और पतों की सूची प्रस्तुत की हैं।

(ग) आयकर अधिनियम की धारा 132 के अधीन कुछ हवाला व्यापारियों के परिसर पर तलाशी और जब्ती प्रचालन किए गए हैं। हवाला व्यापारियों के ऐसे मामलों में जांच जारी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ईपीआईपी के लिए प्रस्ताव

890. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 24 अक्तूबर, 2001 को केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु रायसेन जिले में सतलापुर के लिए 1686 लाख रु. की लागत वाले ई पी आई पी के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने एम पी औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड के माध्यम से मंडीडेप के निकट सतलापुर में 192 एकड़ क्षेत्र में 1686 लाख रु. की कुल लागत से द्वितीय निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्कीम (ई पी आई पी) की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

(ग) स्कीम के अनुसार किसी राज्य में द्वितीय ई पी आई पी पर तभी विचार किया जाता है जब पहले की स्थापना हो जाए और वह कार्यरत पाया जाए। चूंकि पितमपुर, जिला धार में पहला ई पी आई पी प्रचालनरत नहीं पाया गया था इसलिए प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया जा सका।

करों की उगाही करने हेतु किए गए उपाय

891. श्री राजो सिंह: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21.8.2002 के "दैनिक जागरण" में "बढ़ना था राजस्व और बढ़ गया खर्चा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि विभाग ने आयकर से संबंधित विवादों की संख्या में कमी लाने और कर की वसूली करने के लिए कई अधिकारियों की नियुक्ति की है, परन्तु विवादों में फंसे करों की वसूली करने की बजाय उन्होंने वेतन भुगतान मद में दस हजार रुपए का अतिरिक्त बोझ डाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) आयकर विभाग के पुनर्गठन का कार्य लम्बी अवधि के बाद वित्त वर्ष 2001-02 में किया गया था और अन्य उपायों के साथ-सात आयुक्तों (अपील) के समक्ष दायर की गई अनेक अपीलों के शीघ्र निपटान को ध्यान में रखते हुए आयुक्त (अपील) के अनेक पदों में वृद्धि की गई थी। विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप वेतन एवं भत्तों पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ है, अपितु अल्पावधि में इस संबंध में 3.05 करोड़ रुपये की बचत होने की आशा है। आयुक्त स्तर पर अनेक पदों में वृद्धि होने के बावजूद, समग्र रूप से पुनर्गठन से विभाग के आकार में 4.75% की कमी हुई है क्योंकि निचले स्तरों पर अनेक पदों को वापस कर दिया गया है।

समाचार-पत्र की रिपोर्ट भ्रामक है क्योंकि जुलाई, 2002 के अन्त में अभियोजन में मांगों की धनराशि 41,296.63 करोड़ रुपये थी तथा न कि 60,000 करोड़ रुपये जैसाकि समाचार मद में सूचित किया गया है। आयुक्त (अपील) के समक्ष विवादास्पद मांगें दिनांक 1.4.2002 को 34,796.93 करोड़ रुपये की थी जो कम होकर दिनांक 30.9.2002 को 29,531.25 करोड़ रुपये रह गई है।

(ग) समाचार-पत्र रिपोर्ट में उठाया गया मामला कोई बड़ा मामला नहीं है जिसमें सरकार द्वारा विशेष कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। बकाया कर मांगों को इस संबंध में सांविधिक उपबंधों एवं प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार आयकर विभाग द्वारा समाप्त किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मोबाइल फोनों की तस्करी

892. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न हवाई अड्डों पर कुछ तस्करी किये गये मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य लोकप्रिय सामग्री यथा मादक पदार्थ, इलेक्ट्रानिक सामान, कंप्यूटर के पुर्जे, सोना, नकली मुद्रा और सिगरेट भी जब्त किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो मात्रा, कीमत और ब्रांड के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन तस्करी के सामान को बेचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आर्थिक स्थिति

893. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 एवं 1995-96 की स्थिति की तुलना में वर्ष 2002-03 में देश की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान देश में वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है; और

(ग) देश में उक्त अवधि के दौरान घरेलू एवं विदेशी ऋणों की स्थिति क्या है और इन ऋणों पर कितने ब्याज का भुगतान किया जा रहा है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों के आधार पर आर्थिक स्थिति निम्नलिखित है:

	1991-92	1995-96	2002-03
	1	2	3
कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर उपादान लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (सं.घ.उ.) में वृद्धि (प्रतिशत)	-1.5	-0.9	5.7 (2001-02 संशोधित अनुमान)
विनिर्माण क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर उपादान लागत पर वास्तविक स.घ.उ. में वृद्धि (प्रतिशत)	-3.6	14.9	2.8 (2001-02 संशोधित अनुमान)
थोक मूल्य सूचकांक-समस्त जिंसें, पर आधारित मुद्रास्फीति (औसत) (आधार 1993-94=100)	13.7 (आधार) 1981-82	8.1	2.3 (26 अक्तूबर, 2002 तक)
मार्च अन्त में विदेशी मुद्रा भंडार (स्वर्ण एवं एस डी आर को छोड़ कर) मिलियन अमरीकी डालर)	5631	17044	61225 (अक्तूबर, अन्त)
आयात (गत वर्ष की तुलना में डालर के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन)	-19.4	28.0	8.5 (अप्रैल-सितम्बर)
निर्यात (गत वर्ष की तुलना में डालर के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन)	-1.5	20.8	13.5 (अप्रैल-सितम्बर)

(ख) स्थिर मूल्यों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की वृद्धि दरें और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (वर्तमान मूल्यों पर) निम्नलिखित हैं:

	1991-92	1995-96	2001-02	2002-03 संशोधित अनुमान
स्थिर मूल्यों पर उपादान लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि (प्रतिशत) (आधार 1993-94)	1.3	7.3	5.4	उ.न.
वर्तमान मूल्यों (रुपये) पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय) नई शृंखला आधार 1993-94)	6012	10149	17736	उ.न.

उ.न.: उपलब्ध नहीं।

(ग) घरेलू और विदेशी ऋणों तथा ब्याज की स्थिति निम्नलिखित है:

	1991-92	1995-96	2002-03 (बजट अनुमान)
मार्च अन्त में बकाया घरेलू (बाजार) ऋण (करोड़ रुपए)	78075	164094	617932
वर्ष के दौरान घरेलू (बाजार) ऋण पर ब्याज (करोड़ रुपए)	7335	15400	64459
मार्च अन्त में बकाया विदेशी ऋण (मिलियन अमरीकी डालर)	85285	93730	98138 (2001-02)
वर्ष के दौरान विदेशी ऋण पर अदा किया गया ब्याज (मिलियन अमरीकी डालर)	3545	4271	4328 (2001-02)

[अनुवाद]

जनजातीय कल्याण

894. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से वित्तीय सहायता के लिए कर्नाटक द्वारा जनजातीय कल्याण के कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) कितने प्रस्तावों का अनुमोदन किया जा चुका है और कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं; और

(ग) कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति समुदाय के ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि., जो

कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का कर्नाटक में माध्यम संगठन है, से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के अप्रैल, 2001 में निगमन के बाद से, 23 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) निगमन के पश्चात की गई स्वीकृतियों और लंबित स्कीमों/परियोजनाओं का 31.10.2002 की स्थिति के अनुसार ब्यौरा निम्नलिखित है:

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	स्कीमों/परियोजनाओं की संख्या	अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का क्षेयर
1.	स्वीकृत	14	536.63
2.	लंबित	09	135.07

(ग) कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम से प्राप्त ब्यौरे के अनुसार अनुसूचित जनजातियों से संबंधित 581 व्यक्तियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के हिस्से के रूप में 205.84 लाख रुपए की वित्तीय सहायता आज की तारीख तक दी गई है।

वस्त्र उद्योग का कर ढांचा

895. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वस्त्र उद्योग के विकास के लिए और प्रोत्साहन देने को ध्यान में रखते हुए इसके कर ढांचे की समीक्षा करने हेतु एक कार्यदल गठित किया है;

(ख) क्या कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ अनेक वस्त्र मशीनरी वस्तुओं के निर्यात के संबंध में ड्यूटी कम करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां।

(ख) कार्यबल ने अभी तक अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विशेष आर्थिक जोनों (स्पेशल इकानामिक जोनों) को प्रोत्साहन

896. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) को आकर्षित करने के लिए तटीय क्षेत्रों में विशेष आर्थिक जोनों (स्पेशल इकॉनामिक जोन) को प्रोत्साहन देने हेतु कई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेडस) के संवर्धन हेतु उठाए गए मुख्य कदमों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों के विकास प्रचालन तथा रख-रखाव के लिए माल का शुल्क रहित आयात/घरेलू खरीद, मान्यता प्राप्तबैंक माध्यम से किसी परिपक्वता अवधि के प्रतिबंध के बगैर विदेशी वाणिज्यिक ऋण, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विदेशी बैंकिंग इकाईयों की स्थापना की सुविधा, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में नगर क्षेत्रों को आवासीय, शैक्षिक और मनोरंजन सुविधाओं सहित विकसित करने के लिए 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, निर्यात अर्जनकर्ता विदेशी मुद्रा (ई ई एफ सी) खाते से विदेशों में निवेश करने की स्वतंत्रता, विनिर्माण क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर स्वचालित माध्यम के जरिए 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए 1000 हेक्टेयर के क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता से छूट शामिल हैं।

(ग) राज्य सरकारों/निजी प्रोन्नायकों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर अब तक 13 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को स्थापित करने का अनुमोदन किया गया है। इन जोनों में विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन किया जा रहा है।

उड़ीसा के "केबीके" जिलों में भूख से मौतें

897. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में उड़ीसा के "केबीके" जिलों में भूख से मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में राज्य सरकार को "केबीके" जिलों के विकास के नाम पर अत्यधिक केन्द्रीय निधियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य से प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण-पत्र मांगा है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) राज्य सरकार द्वारा लोगों को भूख से मरने से बचाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन (सेज)

898. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश के साथ सीमा पार व्यापार को विनियमित करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय जैसे विशिष्ट उत्पादों के संदर्भ में उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन (सेज) की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से लंबित है और विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड) की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जनजातियों के लिए सुरक्षोपाय

899. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विअधिसूचित एवं घुमक्कड़ जनजातीय अधिकार कार्यवाही दल का एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्रीजी से मिला था और संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की तर्ज पर विमुक्त-घुमन्तु आदिवासियों (विअधिसूचित/पूर्व आपराधिक आदिवासियों) को संवैधानिक संरक्षण और विशेषाधिकार प्रदान करने हेतु एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही दल द्वारा की गयी अन्य मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर तथा महाराष्ट्र में निर्यात संसाधन क्षेत्र

900. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कौन-कौन से निर्यात संसाधन क्षेत्र हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उन क्षेत्रों द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन निर्यात संसाधन क्षेत्रों में विशेष कर जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा महाराष्ट्र में व्यापक भ्रष्टाचार की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के लिए कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) इस समय चार निर्यात संसाधन जोन (ई पी जेड) हैं, जो नोएडा (उत्तर प्रदेश), चेन्नई (तमिलनाडु), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में स्थित हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इन जोनों द्वारा किया गया निर्यात निम्नानुसार रहा है:

निर्यात (करोड़ रु.)

जोन	2000-2001	2001-2002
नोएडा ई पी जेड	1034.20	980.41
मद्रास ई पी जेड	690.84	762.59
फाल्टा ई पी जेड	519.97	923.63
विशाखापत्तनम ई पी जेड	219.08	250.98
कुल	2464.09	2917.61

उपरोक्त के अलावा, ये जोन लगभग 36,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं।

(ग) जम्मू और कश्मीर, बिहार और महाराष्ट्र में कोई ई पी जेड नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

टसर रेशम की मांग

901. श्री रामदास आठवले: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय टसर रेशम की विदेशी बाजारों में मांग बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा रेशम के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन क्षेत्र का विकास करने के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान तसर रेशम के निर्यात ने वर्ष 1999-2000 की तुलना में धनात्मक प्रवृत्ति दर्शायी है। यह विदेशी बाजारों में भारत तसर रेशम की बढ़ती हुई मांग का सूचक है। निम्न तालिका वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान तसर रेशम सामानों के निर्यात का निष्पादन दर्शाता है।

विवरण	एकक	1999-2000		2000-01			
		मात्रा	मूल्य	मिलियन अमरीकी डालर में	मात्रा	मूल्य	मिलियन अमरीकी डालर में
तसर रेशम	सं.	1428414	66.85	15.42	2321318	85.9	18.8
सामान	कि.ग्रा.	148523	32.17	7.42	157943	30.42	6.66
कुल			99.02	22.84		116.32	25.46

(ग) देश में रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड राज्य सरकार के प्रयासों को बल देने के लिए अनुसंधान व विकास, विस्तार, प्रशिक्षण सहायता और रेशम कीट बीज आपूर्ति करने के अलावा, निम्नलिखित रेशम उत्पादन योजनाएं और परियोजनाएं भी क्रियान्वित कर रही है:

1. गैर-शहतूती रेशम के विकास पर यू एन डी पी सहायित कार्यक्रम
2. सिमिलिपाल जैवमंडल मयूरभंज, उड़ीसा में जंगली मॉडल के तसर पारि-प्रजातियों के संरक्षण पर परियोजना
3. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम, और
4. छत्तीसगढ़ रेशम उत्पादन परियोजना

(घ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत रेशम उत्पादन हेतु विकास के लिए खर्च की गयी राशि नीचे दी गई है:

वर्ष	व्यय (करोड़ रु. में)
1999-2000	84.00
2000-01	93.48
2001-02	108.06

चीनी रेशम का पाटन

902. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय बाजारों में चीनी रेशम का बड़ी मात्रा में पाटन किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पूरे मामले की जांच करा ली है;

(ङ) यदि हां, तो कब और किस अभिकरण द्वारा;

(च) इस जांच के क्या परिणाम निकले; और

(छ) देश में चीनी रेशम के पाटन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (छ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर ने सभी कुटीर/सूत्रण (फिलाचर)/मल्टीएंड सिल्क रीलर्स और रेशम उत्पादक किसानों की ओर से उनकी एसोसिएशनों के जरिए पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी जी ए डी) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीन मूल के अथवा वहां से निर्यातित शहतूती कच्चे रेशम के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है। डी जी ए डी ने दिनांक 17.7.2002 की अधिसूचना द्वारा इस मामले में पाटनरोधी जांच शुरू की है, जो चल रही है।

[अनुवाद]

भारतीय अर्थव्यवस्था पर आई.एम.एफ. की टिप्पणियां

903. **श्री ए. नरेन्द्र:**
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों ने ही भविष्यवाणी की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2002-2003 में 6 प्रतिशत लक्षित विकास दर को हासिल नहीं कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वार्षिक समीक्षा के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर ये टिप्पणियां की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) ने अपने नवीनतम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण) (सितम्बर, 2002) में वर्ष 2002 और 2003 में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रमश: 5 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। पूर्ववर्ती विश्व आर्थिक दृष्टिकोण (अप्रैल, 2002) में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2002 और 2003 में क्रमश: 5.5 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया था।

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने वर्ष 2002-03 के लिए अपनी मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा (29 अक्तूबर, 2002 को घोषित) में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि अपने 6-6.5 प्रतिशत के पूर्ववर्ती अनुमान के प्रति वर्ष 2002-03 के लिए 5-5.5 प्रतिशत के बीच वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) कम वर्षा, पड़ोसी सुरक्षा तनावों, धीमे वैश्विक समुत्थान आदि जैसे कतिपय प्रतिकूल घटनाक्रमों के कारण चालू वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति कुछ कम हो गई है। तथापि, प्रतिकूलताओं के बावजूद, अर्थव्यवस्था ने चालू वर्ष में विश्वसनीयता दर्शाई है जिसका संकेत देश के प्रचुर खाद्य भण्डार, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों की उच्चमान मात्रा, निम्न मुद्रास्फीति, उर्ध्वगामी निर्यातों और सापेक्षिक उन्नत राजकोषीय दृश्यलेख से मिलता है।

सरकार ने आर्थिक वृद्धि के संवर्धन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन उपायों में कीमतों और विनिमय दरों में स्थायित्व के साथ आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस वृहद-आर्थिक नीतियों के संयोजन में व्यापार, उद्योग, आधारभूत संरचना, वित्तीय क्षेत्र में नीतियों का उदारीकरण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों का यौक्तिकीकरण और कटौती, आधारभूत संरचना और पिछड़े क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहन शामिल है।

[हिन्दी]

राजस्थान में वृद्धाश्रम

904. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 01.04.1999 से अब तक राजस्थान में केन्द्र और राज्य सरकार या किसी अन्य स्वयं-सेवी संगठन द्वारा कौन सी योजनाएं चलायी जा रही हैं; और

(ख) इन योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋण अनुदान अथवा वित्तीय सहायता का वर्षवार, योजनावार और एजेंसीवार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) दो योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धाश्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 (आज तक) के दौरान वित्तीय सहायता दी गई है। ये योजनाएं हैं: (1) वृद्धाश्रमों के रखरखाव के लिए वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित समेकित कार्यक्रम, दिवा देखभाल केन्द्र, मोबाइल चिकित्सा देखभाल यूनिट तथा गैर-संस्थागत सेवा केन्द्र, और (2) वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहुसेवा केन्द्रों के निर्माणार्थ पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व-सहायता समूहों को सहायता।

यह मंत्रालय राजस्थान राज्य सरकार अथवा वृद्धाश्रमों के लिए अन्य स्वैच्छिक संगठन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के ब्यौरे का रखरखाव नहीं करता।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 (आज तक) के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सहायता का वर्षवार, योजनावार और गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-01, 2001-02 और 2002-03 (आज तक) के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्षवार, योजना-वार और गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा

संगठन का नाम	परियोजना का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03 (आज तक)
योजना 1–वृद्धजनों के लिए समेकित कार्यक्रम					
मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याण उत्थान संस्थान, कोटा जिला, राजस्थान	वृद्धाश्रम-1	0	0	1.08	0
मनोहर बाल मन्दिर समिति श्री गंगानगर जिला, राजस्थान	वृद्धाश्रम-1	0	0	1.11	0
योजना 2–पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व-सहायता समूहों को सहायता की योजना					
इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेल्फेयर, जयपुर जिला, राजस्थान	वृद्धाश्रम का निर्माण	0	2.5	0	0
ओपियम निर्व्यसन केन्द्र मनेकलो, जोधपुर जिला, राजस्थान	वृद्धाश्रम का निर्माण	10	0	0	0

[अनुवाद]

बंगलौर में नशीली दवाओं की अवैध खरीद-फरोख्त

905. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर अपराधियों द्वारा प्रतिबंधित मादक पदार्थों और नशीली दवाओं को बाजार में लाने का नवीनतम गंतव्य स्थल बन गया है;

(ख) यदि हां, तो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिणी राज्यों में नशीली दवाओं की अवैध खरीद-फरीख्त की प्रक्रियाओं में जब्त की गई दवाओं की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जब्तियों से पता चलता है कि दक्षिणी सीमा के जिन रास्तों से स्वापक औषधियों, विशेषकर हैरोइन का अवैध व्यापार किया जाता है, उसमें बैंगलूर शामिल है।

(ख) इस संबंध में उठाए गए उपायों में आसूचना एकत्र करने और लक्ष्यों तथा जगहों की पहचान करने के लिए बेंगलूर में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों की नियमित तैनाती के साथ ही संवेदनशील स्थानों पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और राजस्व आसूचना महानिदेशालय के अधिकारियों की नियमित चौकसी शामिल है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा कर्नाटक राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

(ग) विभिन्न स्वापक औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा यथासूचित गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक के दक्षिणी राज्यों में जब्त की गई स्वापक औषधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा यथा वर्णित वर्ष 2000, 2001 और 2002 (अक्तूबर तक) के दौरान चार दक्षिणी राज्यों में पकड़ी गई नारकोटिक्स औषधियों का ब्यौरा

(किलोग्राम में)

औषधि	2000	2001	2002
हेरोइन	156.999	199.949	215.09
गांजा	13952.37	5434.807	21.750
गांजा गीला	55921.50	19821.500	–
गांजा पौधे	–	–	1795 नग
कोकिन	–	–	0.723
हशीश	–	0.79	18.35
हशीश तेल	2.000	4.309	4.295
अफीम	1.014	0.367	–

मध्याह्न 12.00 बजे

'एडवांस रूलिंग कमीशन फॉर कस्टम्स एंड एक्साइज' के चेयरमैन के रूप में न्यायमूर्ति वेंकटस्वामी की नियुक्ति के बारे में

[अनुवाद]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। इसके लिए आपकी अनुमति चाहिए, चूंकि मुझे दूसरे सदन में भी जाना है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री जसवंत सिंह: यह उस मुद्दे के विषय में है जिसे अभी माननीय सदस्य श्री दासमुंशी द्वारा उठाया गया और यह मेरे मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है। उस समय मेरे पास इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं थी। उनके इस मुद्दे को उठाने में मैंने जिन तथ्यों को पाया तथा जिन पर मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं, इस प्रकार हैं:

न्यायमूर्ति वेंकट स्वामी को मई, 2002 में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) के लिए एडवांस रूलिंग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसमें जो घटनाक्रम रहा, वह इस प्रकार है: सितम्बर, 2001 में वित्त मंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा था कि वे उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश का इस कमीशन के लिए नाम दे। इस पर भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति वेंकटस्वामी की नियुक्ति की सिफारिश की। अप्रैल, 2002 में ए.सी.सी. ने इस नियुक्ति का अनुमोदन किया और इस संबंध में नियुक्ति-आदेश मई, 2002 में जारी किए गए। वित्त मंत्रालय ने बिल्कुल भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार ही काम किया। क्योंकि और किसी दूसरे तरीके से यह नियुक्त हो नहीं सकती थी ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, यही है बात! मैंने वित्त मंत्रालय से पता किया है और जिस प्रक्रिया की वित्त मंत्री बात कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें कह लेने दीजिए। हम मंत्री जी की बात तो सुनें।

श्री जसवंत सिंह: ये वे तथ्य हैं जिन्हें मैंने माननीय सदस्य द्वारा यह मुद्दा उठाने से अब तक के अंतराल में प्राप्त किया है। यदि माननीय सदस्य यह मुद्दा उठाना चाहें या आप अनुमति दें या सभा ही चाहे कि इस नियुक्ति पर आगे चर्चा हो, तो निश्चय ही हम वित्त मंत्रालय वालों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो केवल माननीय सदस्य की इस इच्छा के साथ अध्यक्षपीठ की भी अनुमति चाहता हूं, चूंकि मुझे इसी मुद्दे पर जवाब देने दूसरे सदन में भी जाना है। अन्यथा, मैंने इस सूचना को देने की बात खुद ही की होनी।

अध्यक्ष महोदय: एक तरह से यह अच्छा ही है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, सभा के समक्ष यह सूचना देने के लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। 13 मार्च, 2001 को तहलका प्रकरण प्रकाश में आया। श्री जॉर्ज फर्नांडीज के इस्तीफा दे देने के बाद न्यायमूर्ति वेंकटस्वामी की नियुक्ति की गई। 2001 में अवश्य वित्त मंत्रालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से कुछ नामों की अनुशंसा की थी जिसमें न्यायमूर्ति वेंकटस्वामी का नाम भी था। यदि मैं गलत कह रहा होऊँ तो आप सुधार दीजिए। इस कमीशन को मई, 2002 में नियुक्त किया गया, जब कि तहलका का मुकदमा चल ही रहा था। सरकार ने कभी भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई बल्कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति (ए.सी.सी.) ने भी इसे मंजूरी दे दी। अब ऐसे में तहलका मामले की जांच कर रहे उस आयोग की विश्वसनीयता क्या रह पायेगी जो कि दुनिया के इस सबसे बड़े घोटाले की जांच कर रहा है? यही है असल सवाल।

मंत्री जी यह बतायें कि उनके नाम की सिफारिश वित्त मंत्रालय ने की थी या नहीं? फिर, ए.सी.सी. के पास जो नाम गये, उसमें उसे मालूम था कि आपने इन्हें तहलका-मामले की जांच के लिए नियुक्त कर रखा है। तब ए.सी.सी. ने उनके नाम की मंजूरी कैसे दे दी? आपको यही बात सभा को बतानी है।

श्री जसवंत सिंह: मैं इसका जवाब दूंगा। आखिर, मैंने स्वयं ही सभा को इस विषय में सूचित किया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। माननीय सदस्य का दृष्टिकोण यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि यह नियुक्ति पूरी तरह से भारत के मुख्य नयायाधीश की सिफारिश पर ही की गई ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): तहलका प्रकरण की जांच के लिए नियुक्ति हो जाने के बाद भी उनके नाम की सिफारिश की गई। वित्त मंत्रालय ने उनके नाम की सिफारिश कैसे कर दी? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, सिफारिश वित्त मंत्रालय की ओर से ही गई थी। मेरा पूछना यही है कि उनके नाम की सिफारिश वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी या नहीं? अब ये मुख्य न्यायाधीश का नाम क्यों ले रहे हैं? इन्होंने उनके नाम की सिफारिश की थी या नहीं? मेरी जानकारी के अनुसार तो यह सिफारिश वित्त मंत्रालय से ही की गई थी।

आप इंकार कर रहे हैं कि आपने उनके नाम की सिफारिश की थी ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या तहलका प्रकरण की जांच हेतु नियुक्त किये जाने के पश्चात् भी, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु न्यायमूर्ति वेंकटस्वामी के नाम की सिफारिश वित्त मंत्रालय ने की थी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर है कि जब वेंकटस्वामी कमीशन के तौर पर काम कर रहे थे तो उस समय उनको सुप्रीम कोर्ट ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इम्प्रॉपराइटी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह पूरा आयोग आखिर किस ढंग से काम कर रहा है? इसमें कोई विश्वसनीयता और पारदर्शिता है कि नहीं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे मंत्री की बात सुनने दें। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे मंत्री की बात सुनने दें। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, मैंने इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं करवाई।

...(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह: मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यह उस समय की बात है जब मैं वित्त मंत्री नहीं था? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वित्त मंत्रालय ने उनके नाम की सिफारिश की या कि मुख्य न्यायाधीश ने खुद ही उनकी नियुक्ति कर दी? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आपका क्या कहना है? क्या आप पूरी सूचना उपलब्ध हो जाने के बाद प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह: जी हां, बिल्कुल। आपको अपनी समस्या बताऊँ *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, जो भी सूचना मिलेगी उसे ये सभा के समक्ष रखेंगे। ये तो आपको और अधिक बातें बताना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मेरा सवाल आसान सा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके नाम की सिफारिश वित्त मंत्रालय ने की थी या मुख्य न्यायाधीश ने खुद ही उन्हें नियुक्त किया *...(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: तहलका मामले में तो यह सरकार पहले ही इतनी बदनाम हो चुकी है। अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप पूरी सूचना एकत्र करें और जब भी आपके लिए तथा प्रतिपक्ष के लिए सुविधाजनक हो, उसे सभा के समक्ष लाएं। फिर हम उस पर चर्चा कर सकेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जा सकता है।

अपराह्न 12.07 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या 2/5/2001-सीएलवी., जिसमें यह निदेश दिया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 274 की धारा (1) का खंड (छ) किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6014/2002]

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत न किए जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6015/2002]

(2) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6015-ख/2002]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6016/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश, 2002 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 जो 20 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1020(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6017/2002]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 580(अ) जो 19 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 585(अ) जो 20 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 अगस्त, 1999 की अधिसूचना संख्या 105/99-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 603(अ) जो 27 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना संख्या 40/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 608(अ) जो 28 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 146/94-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 646(अ) जो 13 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 694(अ) जो 10 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 25/99-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 708(अ) जो 17 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 568(अ) जो 14 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है था एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2002 जो 6 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 623(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 624(अ) जो 6 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मानव तथा पशुओं के उपभोग हेतु जल की आपूर्ति के लिए पेय जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए आयात किए जाने वाले समस्त माल को संपूर्ण मूल सीमा-शुल्क और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 595(अ) जो 26 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी एकक द्वारा पेपर बोर्ड के विनिर्माण में उपयोग या उसे प्रदाय के लिए आयात किए गए माल को सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6018/2002]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 567(अ) जो 14 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. और 14/2002 के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 581(अ) जो 19 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 587(अ) जो 21 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 591(अ) जो 22 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 609(अ) जो 28 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. और 10/2002-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 613(अ) जो 2 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 39/2001-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 625(अ) जो 6 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या 24/2001-के.उ.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 626(अ) जो 6 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्राकशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 627(अ) जो 6 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 638(अ) जो 12 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 32/99-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 649(अ) जो 16 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 25 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 214/86-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 663(अ) जो 25 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/

2002-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 672(अ) जो 1 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 707(अ) जो 17 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निविष्टयों पर उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क से छूट की व्यवस्था करना है जब उन्हें माल के विनिर्माण के लिए कारखानागत रूप से उपयोग में लाया जाता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 515(अ) जो 23 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मोटर वाहनों की चेसिस, जिन पर 1 मई, 1991 से आरंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2001 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कम शुल्क लगाया गया था, पर स्वतंत्र बॉडी बिल्डरों द्वारा निर्मित बॉडियों पर देय अधिक उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 671(अ) जो 30 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जिनका आशय जूट मध्यवर्तियों जैसे सूत, धागा, रस्सा, रज्जुक आदि, जिनका 20 मई, 1994 से प्रारंभ होने वाली और 10 अगस्त, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान जूट उत्पादों के और विनिर्माण में आबद्ध रूप से उपभोग किया गया है, को छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 739(अ) जो 30 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हथकरघा फैब्रिकों से बनाई गई, न बुनी गई अथवा क्रोशिया की गई परिधान संबंधी वस्तुओं के संबंध में उत्पाद-शुल्क से छूट का लाभ पाने के लिए कतिपय शर्तें निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6019/2002]

(4) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 552(अ) जो 8 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई दरों पर, चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित डाइक्लोफिनाक सोडियम पर प्रति-पाटन शुल्क लगाने की तारीख 7 फरवरी, 2002 से अंतिम प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 553(अ) जो 8 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई दरों पर ताईवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, ओमान, सिंगापुर तथा थाईलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित बी.ओ.पी.पी. फिल्म पर शुल्क लगाने की तारीख 9 अक्तूबर, 2001 से अंतिम प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 556(अ) जो 13 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी की संस्तुति के अनुसार दक्षिण अफ्रीका और मकदूनियां में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फैरो सिलिकोन पर अनंतिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 557(अ) जो 13 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फिनोल पर अनंतिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 558(अ) जो 13 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर यूरोपीय संघ और जार्जिया में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-ए पैलमीटेट पर अनंतिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 596(अ) जो 26 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर इंडोनेशिया और थाइलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित साइट्रिक एसिड पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 615(अ) जो 3 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ट्रमेथोप्रिम पर अंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 620(अ) जो 5 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसति दरों पर ब्राजील, मलेशिया, रोमानिया, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एसीक्लिक ऐलकोहल्स (ओक्सो एल्कोहल्स) पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 622(अ) जो 6 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 42/96-सी.शु. में संशोधन करना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 635(अ) जो 9 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर यूरोपीय संघ, थाइलैंड और सिंगापुर में उदभूत अथवा वहां से निर्यातित विटामिनों पर अंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 639(अ) जो 12 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इटली में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित एक्रेलिक फाइबर पर अंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 640(अ) जो 12 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या 4/2002-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 641(अ) जो 12 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तुर्की और कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित आंशिक रूप से ओरिएंटिड पोलिस्टर यार्न पर अंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 642(अ) जो 12 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या 131/2001-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 673(अ) जो 1 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 19 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या 69/2000-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 680(अ) जो 4 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 25 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 65/2001-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 681(अ) जो 7 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी की संस्तुति के अनुसार यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित थर्मल सेंसिटिव पेपर के संबंध में प्रतिपाटन शुल्क की दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 682(अ) जो 7 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या 156/2000-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 690(अ) जो 9 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ब्रिटेन, जर्मनी, बुल्गारिया और ब्राजील में

उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित एक्रीलिक फाइबर पर अंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 691(अ) जो 9 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 दसम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या 133/2001-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 692(अ) जो 9 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमरीका, कोरिया जनवादी गणराज्य और थाइलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित एक्रीलिक फाइबर पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाइस) सा.का.नि. 693(अ) जो 9 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 72/2001-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 695(अ) जो 10 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, चीन जनवादी गणराज्य और बेल्जियम में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स पर प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 696(अ) जो 10 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा न्यू शिपर समीक्षा किये जाने तक लैड एसिड बैटरियों पर प्रतिपाटन शुल्क के अनंतिम निर्धारण का प्रावधान करना है जब वे मैसर्स यूआसा बैटरी कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य और मसैर्स सीएसबी बैटरी गुआंगजो कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित और भारत में आयातित की गई हों तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 697(अ) जो 10 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी की संस्तुति के अनुसार कोरिया जनवादी गणराज्य और जर्मनी में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एक्रीलोनीट्राइल बुटाडीन रबड़ पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 698(अ) जो 10 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या 91/2001-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 737(अ) जो 30 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एपीक्लोरोहाइड्रिन के आयात पर 12 प्रतिशत की दर से एक वर्ष की अवधि के लिए मूल्यानुसार रक्षोपाय शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठाईस) सा.का.नि. 738(अ) जो 30 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या 48/2001-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्तीस) सा.का.नि. 743(अ) जो 31 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर कनाडा, जापान तथा ताईवान से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पेंटेरिथ्रीटोल पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 744(अ) जो 31 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, यूरोपीय संघ और सिंगापुर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 3000 से 4000 के आणविक भार वाले फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलीओल पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि. 745(अ) जो 31 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर कतर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम

हाइड्रोक्साड पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि. 746(अ) जो 31 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर चीन जनवादी गणराज्य और सिंगापुर में उद्भूत होने वाले अथवा वहां से निर्यातित डी (-) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लीसिन बेस पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा.का.नि. 747(अ) जो 31 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर ब्राजील, जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य और सिंगापुर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पोली-आईसो-बुटीलीन पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6020/2002]

(5) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 537(अ) जो 1 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जिनका आशय जीवन बीमा कारोबार के संबंध में किसी पॉलिसी धारक को किसी जीवन बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 538(अ) जो 1 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए जाने वाले कृषि उत्पादों अथवा माल के संबंध में किसी कारगो हैण्डलिंग एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 539(अ) जो 1 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जनका आशय बालों को डाई करने के संबंध में किसी ब्यूटी पार्लर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेवा कर संशोधन नियम, 2002 जो 1 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 540(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 541(अ) जो 1 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 9 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना संख्या 6/1999-सेवा कर में संशधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सेवा कर क्रेडिट नियम, 2002 जो 1 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 542(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 543(अ) जो 1 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 16 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना संख्या 59/98-सेवा कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6021/2002]

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 95 की उपधारा (2) के अंतर्गत सेवा कर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2002 जो 1 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 544(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6022/2002]

(7) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 149 के अन्तर्गत जारी धिसूचना संख्या सा.का.नि. 536(अ) जो 1 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 16 अगस्त, 2002 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करना है जिसको उक्त अधिनियम में किए गए संशोधन प्रवृत्त होने हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6023/2002]

(8) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिक्का निर्माण मानक वजन और गुणवत्ता के अंतर की सीमा से युक्त एक सौ रुपया (जिसमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल और 5 प्रतिशत जिंक सम्मिलित है), दस रुपए (जिसमें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल सम्मिलित है) एक रुपया फैरिटिक स्टेनलैस स्टील (जिसमें 82 प्रतिशत लोहा और 18 प्रतिशत क्रोमियम सम्मिलित है) के स्मृति-सिक्के जिन्हें "लोक नायक जयप्रकाश नारायण" की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर

निर्मित किया गया है, नियम, 2002, जो 30 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 395(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6024/2002]

9. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2002 जो 4 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 151(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2002 जो 22 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 331(आ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 2002 जो 16 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 752(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2002 जो 23 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 782(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2002 जो 23 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 783(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2002 जो 1 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 817(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आय-कर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2002 जो 13 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 882(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (बाईसवां संशोधन) नियम, 2002 जो 21 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 893(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (तेईसवां संशोधन) नियम, 2002 जो 6 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 943(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) आयकर (पच्चीसवां संशोधन) नियम, 2002 जो 4 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1062(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6025/2002]

(10) आयकर (अधिनियम, 1961 की धारा 115कग के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 987(अ), जो 10 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बंधपत्र और सामान्य शेयर निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र की मार्फत) निर्गमन स्कीम, 1993 के निर्गम को विर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6026/2002]

(11) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2002 में समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)—वायु सेना तथा नौ सेना (2002 का संख्यांक 8क) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6027/2002]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): महोदय, मैं बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) बाट और माप मानक (सामान्य) संशोधन नियम, 2002 जो 25 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 665(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) बाट और माप मानक (पैकेज्ड पण्य) तीसरा संशोधन नियम, 2002 जो 26 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 666(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6028/2002]

अपराह्न 12.08 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 20 नवम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 30 जुलाई, 2002 को पारित किए गए इम्पीरियल लाइब्रेरी (इन्डेंचर्स वैलीडेशन) निरसन विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

महोदय, मुझे यह भी सूचना देनी है कि राज्य सभा ने 21 नवम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधि कार्यों का दमन विधेयक, 2002 पारित कर दिया है।

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 21 नवम्बर, 2002 को यथापारित सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधि कार्यों का दमन विधेयक, 2002 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.09 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री डेन्जिल बी. एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं दसवें सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की छब्बीसवीं और सत्ताईसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.10 बजे

याचिका समिति

बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं याचिका समिति का बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.11 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): महोदय, मैं "सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उचित रोजगार नीति-वैश्वीकरण तथा अन्य सुधारात्मक उपायों के पश्चात् की स्थिति की समीक्षा" विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बाइसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.12 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): मैं "दंगों के दौरान महिलाओं के प्रति हिंसा" के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का नौवां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.13 बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 25 नवम्बर, 2002 से प्रारम्भ होने

---

*यह प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 14 अगस्त, 2002 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत इस प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:

1. आज की कार्यवाही से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना–

   (1) दिल्ली मैट्रो रेल (संचालन और रख-रखाव) अध्यादेश, 2002

   (2) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (उपक्रम का अन्तरण और निरसन) अध्यादेश, 2002

   (3) भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2002

   (4) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002

3. लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में संविधान (93वां संशोधन) विधेयक, 2001 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार और सहमति देना- बुधवार, 27 नवम्बर, 2002 को लिया जाएगा।

4. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना–

   (1) शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) निरसन विधेयक, 2002

   (2) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) दूसरा संशोधन विधयेक, 2002

   (3) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधयेक, 2002

   (4) मैसूर राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) निरसन विधेयक, 2002

   (5) कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना–

   (1) गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2002

   (2) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2002

   (3) सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्यों का दमन विधेयक, 2002

6. लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में धन शोधन निवारण विधेयक, 1999 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार और सहमति देना।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, गन्ना किसानों की स्थिति के बारे में कृषि मंत्री जी को बुला लिया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के वक्तव्य के बाद अब सब्मिशन शुरू होंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती जयश्री बैनर्जी जी के अलावा किसी अन्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): महोदय अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किया जाए:

छोटे बच्चों की पुस्तकों की संख्या कम होनी चाहिए। चूंकि बच्चों के बैग का वजन इतना अधिक है कि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। इन बैगों के वजन के कारण तनाव की समस्या उत्पन्न होती है। पाठ्य विवरण में संशोधन किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपा कर आप सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप जानते नहीं हैं कि जब अध्यक्ष खड़े हों तो आप बैठ जाएं। यह क्या बात है? अध्यक्ष खड़े हैं तो आप बैठ नहीं सकते। मैं सभी माननीय सदस्यों से कह रहा हूं कि जब अध्यक्ष बोलें तो आप सभी को बैठना पड़ेगा। आप लोग सदन का साधारण तरीका भी नहीं जानते।

मैं बोल रहा था कि अभी तक जीरो ऑवर शुरू नहीं हुआ है, दूसरा बिजनेस सदन में चालू है। बिजनेस एडवायजरी कमेटी में जो डिसाइड हुआ है, उसके मुताबिक सबमिशंस आ रहे हैं। क्या आप सदन में इसी तरह बर्ताव करेंगे, आप सदन को चलाना नहीं चाहते हैं। इस तरह कैसे चलेगा? मुझे बिजनेस चलाने दो। जब जीरो ऑवर होगा तो मैं जरूर आपकी बात सुनूंगा, उस समय आप बोल सकते हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि मैं ऊंची आवाज में कुछ कहूं। आप कोआपरेट करेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित प्रस्ताव चर्चा के लिए सम्मिलित कराने की कृपा करें:

1. वर्ष 1950 में संविधान अंगीकृत करते समय अनुच्छेद 45 के अंतर्गत यह प्रस्ताव अंगीकृत किया गया था कि राज्य संविधान लागू होने से दस वर्षों के अंदर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा, परन्तु ऐसा अभी तक हो नहीं सका है।

2. वर्ष 2002-2003 के गन्ना पेराई सत्र में गन्ने का आपूर्ति मूल्य तय न हो पाने से उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है। राज्य सरकार ने सरकारी नियंत्रण की चीनी मिलों को चलाने के लिए राजाज्ञा जारी की थी, उसे वापस ले लिया है। अतः किसान अपनी फसल जला रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए।

(क) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय खेल मुकाबलों में मुख्यतः हमारे एथलीटों के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण हमारे प्रदर्शन में कुछ मामूली सुधार के बावजूद डोपिंग के आरोप के कारण कुछ अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में हम बदनाम भी हुए हैं। अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हमें खेल-कूद के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करना चाहिए। परंतु हमारी कोई स्पष्ट खेल नीति नहीं है। सभा को एक व्यापक खेल नीति पर चर्चा करनी चाहिए।

(ख) 'द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट' नामक हाल की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉरपोरेट हाउसों से गरीबों और जनजातियों के विकास के उद्देश्य से इकट्ठा की गयी धनराशि का भारत में साम्प्रदायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया। यह हमारी एकता के लिए खतरा पैदा कर रहा है और इस पर चर्चा की जानी चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए:

1. पूर्वी उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग को बचाने तथा आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण करने के लिए 300 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता।

2. भारत-नेपाल सीमा पर चल रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को शक्ति के साथ दबाए जाने की आवश्यकता।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जाएं।

1. देश में लोक सभा, विधानसभा, पंचायत इत्यादि चुनाव अलग-अलग होने के कारण पांच साल तक लगातार चुनाव ही होते रहते हैं। सभी राजनैतिक दल चुनाव की तैयारियों में ही व्यस्त रहते हैं, इस कारण देश का विकास बुरी तरह बाधित होता है। सभी चुनाव एक ही वर्ष में कराए जाने हेतु आम सहमति बने, इस पर चर्चा कराए जाने की आवश्यकता।

2. देश में वर्षों से अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषयों/मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

(1) संथाली भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। यह एक करोड़ से भी अधिक लोगों की भाषा है। इसका अपना साहित्य और लिपि है। इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

(2) बीस करोड़ से अधिक कामगार असंगठित क्षेत्र में हैं। वे कृषि श्रमिक, निर्माण, कामगार, बीड़ी कामगार, रिक्शा चालक तथा दुकान और संस्थापना कामगार आदि हैं। इन कामगारों का शोषण किया जाता है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। असंगठित कामगारों के संबंध में कोई कानून नहीं है। सरकार को असंगठित कामगारों को शोषण से बचाने के लिए कानून बनाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, नेपाल की तराई से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु सहित अन्य प्रदेशों में वामपंथी उग्रवाद तथा आईएसआई की विघटनकारी घटनाओं पर सदन में चर्चा हो।

देश में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 50 वर्ष से पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार पर अविलम्ब चर्चा की जाए ताकि मध्य प्रदेश के जमुनिया जलाशय जैसी फूटने की घटनाओं को रोका जा सके।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति के अनुसूची क्रमांक 14 पर चमार, चमारी, अहिरवार, मोची, रौदास, भंगी, मेहतर के साथ सतनामी जाति का उल्लेख है लेकिन सतनामी जाति के लोगों की मांग है कि सतनामी जाति को पृथक कर अनुसूचित जाति अनुक्रमांक 14(अ) में सतनामी जाति का उल्लेख किया जाए। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है।

देश भर में कार्यरत जन स्वस्थ्य रक्षकों की मासिक मानदेय पिछले 22 वर्षों से माहवार पचास रुपए है। वर्तमान परिस्थितियों एवं महंगाई को ध्यान में रखते हुए इनका मानदेय बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी सूचना पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने 'शून्य काल' आरंभ नहीं किया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की हालत बहुत खराब है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको इस विषय में बोलने की इजाजत नहीं दी है। प्रोसीजर यह है।

[अनुवाद]

ध्यानाकर्षण संबंधी सूचना को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। अत:, मैं पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी सूचना पर चर्चा करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): 'शून्य काल' के संबंध में क्या करना है?

अध्यक्ष महोदय: उस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी सूचना के बाद विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रोसीजर और रूल है।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप इस बारे में निर्देश दीजिए और कृषि मंत्री को बुलाइए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। आपने जो कहा है, उस पर वे ध्यान देंगे।

अपराह्न 12.33 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के विभिन्न भागों विशेष रूप से केरल में रबड़ चाय, कॉफी और इलायची उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याएं और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित

विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

"देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से केरल में रबड़, चाय, कॉफी और इलायची उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याएं और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लिखित वक्तव्य को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाए।

*माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वस्तुओं की कीमतें सामान्य तौर पर कम हुई हैं और इसका प्रभाव भारत द्वारा उत्पादित और निर्यातित इन वस्तुओं पर पड़ा है। काफी, चाय और प्राकृतिक रबड़ जैसी वस्तुओं की घरेलू कीमतों की प्रवृत्ति भी अंतर्राष्ट्रीय कीमत के साथ न्यूनाधिक रूप से अनुबद्ध होती है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी करने वाले कारकों में से एक कारक यह है कि इन वस्तुओं की आपूर्ति के अनुरूप मांग नहीं रही।

इन चार वस्तुओं में से, काफी की कीमतों पर वर्ष 2000 से सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। भारत के साथ-साथ ब्राजील, कोलम्बिया, इण्डोनेशिया और अफ्रीकी देशों जैसे मुख्य उत्पादक देशों में पिछले दो वर्षों की स्थिति कॉफी के उत्पादकों के प्रतिकूल रही है। अरेबिका और रोबस्टा, दोनों किस्म की काफी की विश्व कीमतें वर्ष 2001 में औसतन क्रमश: 130 सेंट प्रति किग्रा. और 53 सेंट प्रति किग्रा. रही, यह कीमतें वर्ष 1995 में रोबस्टा के संबंध में 261 सेंट के हाल के उच्चतम स्तर से लगभग 80% और अरेबिका के लिए 1997 में 359 सेंट प्रति किग्रा. की उच्चतम स्तर की कीमत से 64% कम थी।

इसी प्रकार, चाय के मामले में पिछले कुछेक वर्षों के दौरान कीमतों में कमी आई है। वर्ष 2001 में चाय की वैश्विक कीमतों में 26% की कमी हुई थी जबकि 1997 में ये कीमतें 189 सेंट प्रति किग्रा. के उच्चतम स्तर पर थी। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में इस कमी के साथ-साथ घटते हुए निर्यातों, स्थिर घरेलू मांग और उत्पादन की अधिक लागत जैसी समस्याओं से घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

प्राकृतिक रबड़ के मामले में, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पिछले चार वर्षों में पूरी तरह से प्रतिकूल रही थी परन्तु वर्ष 2002 के मध्य से स्थिति में पर्याप्त सुधार होना शुरू हो गया है और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में कीमतों में वृद्धि हो रही है। यद्यपि, प्राकृतिक रबड़ की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लगभग 39 रुपए प्रति किग्रा. हैं परन्तु घरेलू कीमत लगभग 36 रुपए प्रति किग्रा. है जिसकी तुलना वर्ष 2001 के दौरान 28 रुपए प्रति किग्रा. की कीमत से की गई है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अनुक्रमिक रूप से चल रही हैं और इस विकास के कारण प्राकृतिक रबड़ के उत्पादकों को कुछ राहत मिली है।

जहां तक इलायची का संबंध है इस वर्ष के दौरान सरकार का ध्यान किसी गंभीर संकट की ओर नहीं दिलाया गया है। इलायची की तीन राज्यों केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में लगभग 40000 जोत क्षेत्रों में खेती की जाती है। इन जोत क्षेत्रों का 90% से अधिक भाग 2-4 हेक्टेयर की श्रेणी में आता है। पिछले 3-4 वर्षों के दौरान इलायची की कीमत अच्छी रही है और बागान को बंद करने, छोड़ने इत्यादि का कोई भी मामला सामने नहीं आया है अथवा इसकी आवश्यकता नहीं हुई। छोटी इलायची का मूल्य 1999-2000 के 487 रुपए प्रति किग्रा. से बढ़कर अब 690 रुपये प्रति किग्रा. से अधिक हो गया है।

भारत सरकार को इन वस्तुओं से संबंधित समस्याओं की पूरी जानकारी है और कीमत संबंधी वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए अनेक उपाय शुरू किए गए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

कॉफी

- कॉफी के उत्पादकों द्वारा लिए गए आवधिक ऋण के साथ-साथ फसली ऋणों की संरचना पुन: तैयार करना।
- लघु उत्पादकों को ब्याज सब्सिडी देना।
- गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने के लिए कार्यक्रम।
- उत्पादकता में वृद्धि करना।
- निर्यातों में हो रही कमी को नियंत्रित करने तथा घरेलू खपत में वृद्धि करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में नई विपणन नीतियों और कॉफी के निर्यात के लिए प्रोत्साहनों का पैकेज।

चाय

- वर्ष 2002-2003 से चाय के आयात पर मूल सीमा शुल्क को 70% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है।
- वर्ष 2002-2003 के बजट में चाय के उत्पाद शुल्क को 2 रुपए प्रति किग्रा. से कम करके 1 रुपया प्रति किग्रा. कर दिया गया है.
- देश में उत्तम गुणवत्ता के परंपरागत और पुन: संसाधित न की गई सीटीसी चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित

*सभा पटल पर भी रखा गया।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी.-6029/2002]

करने के लिए टी बोर्ड द्वारा फैक्टरी का स्तर बढ़ाने की स्कीम कार्यान्वित की गई है।

- सरकार ने हैंडलिंग, पैकेजिंग, परिवहन/भाड़ा प्रभारों की आंशिक लागत को पूरा करने के लिए चाय के निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए हैं।

- देश में छोटे उत्पादकों द्वारा तैयार की गई चाय की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए टी. बोर्ड द्वारा गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

प्राकृतिक रबड़

- वर्ष 2001-2002 से प्राकृतिक रबड़ के निर्यात के लिए प्रोत्साहनों का एक पैकेज शुरू किया गया है।

सभा पटल पर रखे गए लिखित वक्तव्य के अलावा मैं कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं। महोदय, मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर ध्यान दिलाया है। यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में चार वस्तुओं में से तीन वस्तुओं के मूल्यों में काफी गिरावट आई है। मैं उठाए गए कदमों के बारे में बताऊंगा। कॉफी के मामले में अरेबिका के संबंध में उन्होंने 80 प्रतिशत कीमत कम की है जो वर्ष 1995 में उच्चतम स्तर से कम है और रोबस्टा की कीमत लगभग 64 प्रतिशत कम की है जो वर्ष 1997 में उच्चतम स्तर से कम है।

इसी प्रकार, जैसी आपको जानकारी है, चाय के मूल्यों में गिरावट आई है। वर्ष 2001 में चाय के मूल्यों में, विश्व भर में चाय के मूल्यों में 26 प्रतिशत की गिरावट आई थी। रबड़ सहित इन सभी वस्तुओं के, घरेलू मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। लंदन और न्यूयार्क स्थित एक्सचेंजों का कॉफी तथा चाय के नीलामी मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। मैं उस संबंध में बात करूंगा।

प्राकृतिक रबड़ के मामले में पूर्ववर्ती चार वर्षों में स्थिति अत्यंत कठिन रही थी। परंतु मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2002 के मध्य से थोड़े सुधार के फलस्वरूप अब स्थिति काफी बेहतर है। जो मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर गया था, वह पिछले कुछ महीनों में 36 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गया है।

इलायची वस्तुत: उस श्रेणी में नहीं आती जिसमें अन्य तीन फसलें आती हैं। इस बारे में हमें किसी गंभीर संकट की सूचना नहीं मिली है जैसी कि आशंका थी। वास्तव में छोटी इलायची की कीमत 487 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर अब लगभग 690 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

उन तीन फसलों जिनके बारे में माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है, सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। मैं कॉफी, रबड़ और चाय-तीनों फसलों के संबंध में क्रम से बताऊंगा। कॉफी की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए काफी कार्य किए गए हैं। मुझे उन्हें सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी जानकारी सभी को है तथा उनके बारे में पंचवर्षीय योजना दस्तावेज और वार्षिक प्रतिवेदन में बताया गया है। परंतु माननीय सदस्य की विशेष रुचि इस तथ्य के संबंध में होगी कि पिछले वर्ष कॉफी बोर्ड द्वारा 7.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ब्याज जारी करने की योजना कार्यान्वित की गई थी जिसके अंतर्गत उनके द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के संबंध में कार्यशील पूंजी और फसल ऋण पर लक्षित लघु कॉफी उत्पादकों को पांच प्रतिशत ब्याज राहत दी गई थी और उन्होंने यह राहत प्राप्त की थी।

लघु कॉफी उत्पादकों को उनके द्वारा लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज राहत दिए जाने की एक दूसरी योजना लागू की गई थी। भारतीय कॉफी निर्यातकों को हैंडलिंग लागत कम करने के लिए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से वित्तीय सहायता हेतु तीन करोड़ रुपये परिव्यय के साथ एक योजना लागू की गई थी। इस योजना को दसवीं योजना अवधि में जारी रखा जाएगा। यद्यपि कॉफी का आयात कम होता है ताकि घरेलू कॉफी उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके, तथापि पिछली नीति में कॉफी पर आयात शुल्क 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया था और कॉफी को एक संवेदनशील मद घोषित किया गया था जिसके आयात पर सरकार अत्यंत सावधानीपूर्वक निगरानी रखेगी।

दूसरा मुद्दा यह है कि कॉफी के संबंध में पिछले वर्ष ऋण को पर्याप्त रूप से पुनर्गठित किया गया है। ऋण भुगतान अवधियों को सात वर्ष से बढ़ाकर नौ वर्ष किया गया है और अब हाल ही में की गई घोषणा में इसे नौ वर्ष से बढ़ाकर ग्यारह वर्ष करने का विचार किया गया है। कॉफी, रबड़ और चाय तीनों फसलों के मामले में, जैसी कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 500 करोड़ रुपये की मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित की जा रही है और वर्तमान समय में इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है।

इसी प्रकार प्राकृतिक रबड़ के संबंध में इसी तरह के लगभग दस-बारह कदम लगातार उठाए गए हैं। एक मुद्दा यह है कि काफी से भिन्न प्राकृतिक रबड़ के मामले में डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत बाउंड रेट केवल 25 प्रतिशत था। हम डब्ल्यू टी ओ में जारी वार्ता में कृषि संबंधी करार में यह आग्रह करने की कोशिश करते रहे हैं कि इसे पुन: वर्गीकृत किया जाना चाहिए ताकि बाउंड रेट को

बढ़ाया जा सके और हमें अपने घरेलू उत्पादकों को संरक्षण देने में ज्यादा आसानी रहे।

रबड़ बोर्ड के मामले में नौवीं योजना में किए गए 303 करोड़ रुपये के आवंटन को दसवीं योजना अवधि के दौरान बढ़ाकर 415 करोड़ रुपये कर दिया गया है। श्री संतोष मोहन देव को यह नोट कर प्रसन्नता होगी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक रबड़ के विकास के लिए 84 करोड़ रुपये की राशि इसमें शामिल है। यह त्रिपुरा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मैंने पहले ही उस मूल्य स्थिरीकरण निधि का उल्लेख कर दिया है जो स्थापित की जा रही है। चाय के मामले में भी अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं। इनमें से तीन का उल्लेख मैंने सभापटल पर रखे गए वक्तव्य में किया है। यदि आप चाहते हैं, तो मैं दो मिनट में उनको दोहरा दूंगा।

पहला यह है कि चाय के आयात पर मूल सीमा शुल्क वर्ष 2002-03 से 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। यद्यपि चाय का आयात भी बहुत कम होता है और आयातित चाय में से 95 प्रतिशत का वस्तुत: पुन: निर्यात कर दिया जाता है, फिर भी इसे बढ़ाया गया है। वर्ष 2002-03 के बजट में चाय पर उत्पाद शुल्क दो रुपये प्रति किलोग्राम से घटाकर एक रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। आयकर अधिनियम के अधीन भत्ता 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है तथा चाय और अन्य फसलों के मामले में इसी प्रकार के अन्य कदम उठाए गए हैं जिनमें उन विशेष बाजारों को लक्ष्य करके, जहां हम अपनी प्रतिस्पर्धा खो रहे हैं, गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम कार्यान्वित करना शामिल है।

महोदय, यदि आप इस संबंध में और अधिक विस्तृत वक्तव्य चाहते हैं, तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं।

श्री रमेश चेन्नितला: अध्यक्ष महोदय, इन सभी वस्तुओं के मूल्यों में आई अभूतपूर्व गिरावट के कारण कृषि क्षेत्र को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा मुख्यत: मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने के कारण हुआ है।

महोदय, केरल को पिछले एक वर्ष में इन सभी वस्तुओं के मूल्य में आई तीव्र गिरावट के कारण 6,645 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा है। मंत्री महोदय जो कह रहे हैं कि आयात-निर्यात नीति के फलस्वरूप किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उन पर वित्तीय दबाव बना है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आयात-निर्यात नीति पर पुनर्विचार करें।

महोदय, रबड़ के संबंध में मंत्री महोदय ने कहा है कि उसका मूल्य बढ़ा है। प्राकृतिक रबड़ का आयात अब भी हो रहा है। दुर्भाग्यवश इस रोक को हटाने के लिए मुम्बई उच्च न्यायालय में एक फैसला सुनाया गया है और इसके फलस्वरूप एक नी समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में उपयुक्त कानूनी कदम उठाएं।

महोदय, नारियल के संबंध में मेरा यह कहना है कि नारियल के मूल्य में कमी आ रही है। मलेशिया और अन्य देशों से पामोलीन के अंधाधुंध आयात के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। यहां तक कि डब्ल्यूटीओ हमें आयात शुल्क 300 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए साधन प्रदान कर रहा है। सरकार इस संबंध में शुल्क में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करने से क्यों हिचक रही है?

नारियल, कॉफी और अदरक के संबंध में समर्थन मूल्य की घोषणा की जानी चाहिए और खरीद शुरू की जानी चाहिए। मंत्री महोदय ने कॉफी के संबंध में ठीक ही ध्या दिलाया है। माननीय वाणिज्य मंत्री ने कॉफी ऋण पर ब्याज हटाने, विशेष कॉफी आवधिक ऋण के संबंध में ऋण भुगतान की अवधि नौ वर्ष से बढ़ाकर 11 वर्ष करने तथा भुगतान पर अधिस्थगन पुन: चालू कर दो से तीन वर्ष करने के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए हैं। महोदय, वस्तुत: ऐसा नहीं हो रहा है। सभी बैंक हिचक रहे हैं और सरकार द्वारा घोषित किए गए इस विशेष कॉफी आवधिक ऋण के संबंध में हर प्रकार की बाधा खड़ी कर रहे हैं। यह घोषणा केवल कागज पर ही की गई है किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। अत:, माननीय वाणिज्य मंत्री को इस मुद्दे पर माननीय वित्त मंत्री के साथ बात करनी चाहिए तथा संपूर्ण बकाया ऋण, दीर्घावधि ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों पुन: निर्धारित करनी चाहिए। जब तक कि आप ऐसा नहीं करते हैं, कॉफी उत्पादकों को उन योजनाओं, जिनकी घोषणा की गई है, का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा।

चाय उद्योग के संबंध में यह बात है कि प्रमुख समस्या चाय क्षेत्र में है। केरल में, प्राय: सभी चाय सम्पदाएं बन्द कर दी गई हैं। 25,000 से अधिक कामगारों की नौकरी समाप्त हो गई है। वास्तव में कहा जाए तो हम उन क्षेत्रों में गरीबी एवं मौतों से भयभीत हैं। केरल सरकार ने कतिपय पहल की हैं। उसने गरीब कामगारों को चावल और अन्य चीजें दी हैं परंतु वह पर्याप्त नहीं है। पेरूनाड और वायानाड के क्षेत्रों में, जहां हजारों चाय उत्पादकों का काम बन्द हो गया है, केन्द्रीय सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है। महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा, इस प्रकार की कृषि वस्तुओं के संबंध में आयात-निर्यात नीति को संशोधित किया जाए।

माननीय मंत्री महोदय पुनर्निर्यात हेतु आयात के बारे में बता रहे थे। इसी में वास्तविक मुद्दा निहित है। चाय श्रीलंका से आ रही है और हम उसका पुनर्निर्यात कर रहे हैं। उसकी गुणवत्ता अत्यंत घटिया है और वे भारतीय लेबल लगा रहे हैं। हम इसकी अनुमति क्यों दे रहे हैं? हम कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त चाय है, पर्याप्त कॉफी है, पर्याप्त रबड़ और अन्य वस्तुएं हैं। हम उन्हें आयात करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं और तब हम पुन: निर्यात करते हैं?

चूंकि सरकार को इससे लाभ नहीं हुआ है और हमारे देश को इससे लाभ नहीं हुआ है, मैं समझता हूं कि एक ऐसा समय आ गया है जब इस सरकार द्वारा अपनाई गई इस पुनर्निर्यात हेतु आयात नीति पर पुन: विचार किया जाए। इसके अलावा, यदि हम इसकी अनुमति दे रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 90 प्रतिशत चाय भारतीय चाय होनी चाहिए। वस्तुत:, हमारे बाजारों में श्रीलंका की चाय की बहुतायत है। हमारे देश में केरल तथा अन्य भागों में सभी चाय सम्पदाओं के बंद होने का यही मुख्य कारण है। गुणवत्ता नियंत्रण भी सुनिश्चित किया जाए।

उत्पाद शुल्क के संबंध में, मंत्री महोदय कह रहे थे कि एक प्रतिशत का उत्पाद शुल्क हटा लिया जाए। एक विशेष मामले के रूप में कम से कम इस संकट को दूर करने संबंधी इस मामले में, सरकार को आगे आकर तुरंत एक प्रतिशत का उत्पाद शुल्क हटा लेना चाहिए। चाय बागान के दीर्घ अवधि के पुनरुद्धार हेतु कदम उठाए जाएं। प्राय: सभी चाय बागान पुराने हो गए हैं। हमें विद्यमान चाय संपदाओं के पुनरुद्धार हेतु एक व्यापक योजना बनानी होगी। फर्ग्युसन समिति की रिपोर्ट पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है। इसे उन श्रम यूनियनों, चाय उत्पादकों और अन्य पार्टियों के परामर्श से समुचित ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए जो इस कार्य में जोरदार ढंग से लगे हुए हैं।

वास्तव में कहा जाए तो मुझे यह कहते हुए खेद है कि चाय बोर्ड चाय को बढ़ावा देने में कोई रुचि नहीं ले रहा है। चाय बोर्ड का गठन चाय को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया है। परंतु, दुर्भाग्यवश, चाय बोर्ड ने और इन चाय सम्पदाओं में चाय उत्पादकों और कामगारों के मुद्दों के प्रति अत्यधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाया है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस संकट का समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार को आगे आकर केरल सरकार की सहायता करनी चाहिए ताकि हम केरल के वायनाड और इदुक्की जिलों में भूखों मर रहे गरीब लोगों को कुछ तत्काल राहत प्रदान कर सकें।

अध्यक्ष महोदय: दो सदस्यों ने मुझे नोटिस दिया है। एक हैं श्री सुरेश कुरूप और दूसरे सदस्य हैं श्री के. फ्रांसिस जार्ज। वे कुछ प्रश्न उठा सकते हैं। मंत्री महोदय उत्तर देंगे। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे प्रश्न करें।

...(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, हम चाय उत्पादन क्षेत्र के हैं। मैं एक मिनट के लिए बोलना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको पहले ही नोटिस देना चाहिए था।

श्री संतोष मोहन देव: कृपया मुझे उनके भाषण के बाद एक मिनट के लिए बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है परंतु मैं वाद-विवाद शुरू नहीं करवा सकता हूं क्योंकि कुछ लोग 'शून्य काल' शुरू करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि 'शून्य काल' के लिए थोड़ा समय दिया जाए तो हमें इसे समाप्त करना होगा।

श्री संतोष मोहन देव: कृपया मुझे एक मिनट दें।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): प्रथा यह है कि सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाती है। आप मुझे पांच मिनट दें।

अध्यक्ष महोदय: आपको स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति दी जाती है। मैं आपको पांच मिनट दे रहा हूं। आप बोल सकते हैं।

श्री सुरेश कुरूप: कृपया मुझे अपने मुद्दों को व्यवस्थित करने दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको पांच मिनट दे रहा हूं। आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): अध्यक्ष महोदय, आप जीरो आवर शुरू कीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां नियमों के अनुसार ही काम होगा।

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): महिलाओं के मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूपः महोदय, इस संकट की गंभीरता के बारे में मेरे सहयोगी श्री रमेश चेन्नितला पहले ही बता चुके हैं। इस संकट से प्रभावित सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मेरे राज्य में पीरमदी तालुका है। इसका प्रतिनिधित्व मेरे सहयोगी श्री फ्रांसिस जॉर्ज करते हैं। एक या दो को छोड़कर इस क्षेत्र के सभी चाय बागान बंद हैं। कामगार आत्महत्या कर रहे हैं। रोज ही समाचार पत्रों में कामगारों और उनके बच्चों द्वारा आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। मुझे विश्वास है कि नौवीं कक्षा की एक छात्रा की कहानी सुनकर माननीय संसद सदस्यों की आंखें नम हो जायेंगी। नौवीं कक्षा में पढ़ रही यह बच्ची अपनी सहपाठी से एक यूनिफार्म मांग कर स्कूल जा रही थी। वह इसे महीनों से इस्तेमाल कर रही थी और एक स्थिति ऐसी आयी कि वह उस यूनिफार्म का उपयोग नहीं कर सकती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके माता-पिता चाय बागान में काम करते हैं। वह पिछले एक वर्ष से बेरोजगार हैं। वह कोई वेतन नहीं पा रहे हैं। इसलिए एक सुबह उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। इस बच्ची, वेलानकनी की कहानी केरल की मीडिया में विस्तारपूर्वक सामने आयी। यह एक अकेला मामला नहीं है। प्रतिदिन पीरमदी तालुका से आत्महत्या की घटनाओं की खबर प्रेस को मिल रही है।

इस संकट का कारण क्या है? जैसाकि पहले ही बताया गया है। सार्क समझौते के अंतर्गत चाय का नियमित रूप से आयात किया जा रहा है। हमारी चाय की उत्पादन की लागत लगभग 50 रुपये या 60 रुपए प्रति किलोग्राम आती है और बाजार में चाय लगभग 44 रुपए या 45 रुपए की लागत पर बेची जाती है। श्रीलंका के मामले में चाय की उत्पादन लागत केवल 33 रुपए है। सार्क समझौते की शर्तों के अधीन यह चाय हमारे देश में आयात की जा रही है और निर्यात किए जाने के लिए शुल्क मुक्त आयात का भी प्रावधान है। यह चाय मूल्यवर्धित आयात के नाम पर हमारे देश में आती है और पुनः यह हमारे देश से निर्यात की जा रही है। हमारे देश को इस निर्यात से कोई फायदा नहीं हो रहा है। वे भारतीय चाय को बाहर से मंगायी गयी सस्ती चाय के साथ मिश्रित कर रहे हैं और उसका निर्यात कर रहे हैं। इसलिए विदेशों में हमारा बाजार कमजोर हो गया है। लीबिया ने हमारी चाय की खेप को अस्वीकार कर दिया। यह एक बहुत गंभीर मामला है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या चाय का आयात नियंत्रित किया जाएगा और क्या सरकार इसकी गुणवत्ता की समुचित जांच के लिए कदम उठाएगी।

मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार श्रमिकों की सदस्यता के लिए क्या कदम उठाएगी। चाय उद्योग एक श्रम साध्य उद्योग है। अकेले पीरमदे तालुका में ही लगभग 25,000 परिवार संकट में हैं। वे अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। वहां उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। केरल सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस समस्या का समाधान राशन देकर नहीं किया जा सकता है। इसी समय भारत सरकार को केरल सरकार और कामगारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए।

पिछले कई वर्षों से रबड़ उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दया पर निर्भर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें अब बढ़ गई हैं और केरल में यह थोड़ी सी बढ़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने पर केरल में भी कीमत कम हो जायेगी। मेरे सहयोगी ने मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर किये जाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जायेंगे।

केरल के रबड़ उत्पादक किसानों की मांग यह है कि विश्व व्यापार समझौते के अधीन रबड़ को एक कृषि उत्पाद के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाए। अभी इसे एक औद्योगिक उत्पाद के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। इसलिए इसे बदला जाए और कृषि उत्पादों की श्रेणी में शामिल किया जाए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री इस संबंध में कदम उठाएंगे।

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज (इदुक्की): महोदय, दक्षिण भारत में बागान क्षेत्र के संकट के बारे में मेरे बहुत ही आदरणीय सहयोगी ने उल्लेख किया है।

इस देश में केरल ही एकमात्र राज्य है जिसका सभी बागानी फसलों की खेती में पर्याप्त रूप से हिस्सेदारी है, मुख्य बागानी फसलें चाय, कॉफी और रबड़ हैं। केरल इस संकट के कारण बुरी तरह से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। माननीय मंत्री ने कहा है कि बागानी क्षेत्र और कामगारों तथा छोटे उत्पादकों की मदद के लिए कई उपाय किये गये हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र जैसा कि श्री सुरेश कुरूप द्वारा बताया गया है, इदुक्की जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र पीरमेद तालुक में है। सत्रह बागान या तो बंद कर दिए गए हैं या प्रबंधन द्वारा इनका परित्याग कर दिया गया है। मुख्य मुद्दा यह है कि इन बागानों के प्रबंधन ने इन सम्पदाओं का परित्याग कर दिया है। पंद्रह हजार कामगारों ने अपना रोजगार खो दिया है और पांच पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है और कठिनाई यह है कि इसके कई कारण हैं जैसाकि यहां उल्लेख किया गया है।

इस संकट का वास्तविक कारण क्या है? माननीय मंत्री ने कहा कि यह सब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों पर निर्भर

करता है। आयात-निर्यात नीति एक्जिम पॉलिसी का यहां उल्लेख किया गया है। यहां पर उदार आयात युग शुरू किए जाने के कारण अन्य देशों से इस देश में उत्पाद उदारतापूर्वक लाए जा रहे हैं। यह उल्लेख किया गया है कि श्रीलंका से हम मिलियनों टन चाय का आयात 7.5 प्रतिशत की दर पर करते हैं।

साथ ही, हम चीन और इण्डोनेशिया से भी आयात करते हैं। पिछले वर्ष, लगभग 50 करोड़ रुपये मूल्य की चाय का आयात किया गया। इस दर पर यदि यह चलता रहा तो किस प्रकार हम इन बागानों को फिर से चालू कर पायेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ प्रबंधनों ने बागानों का बस ऐसे ही परित्याग कर दिया है। कागारों के वेतन से जमा की गयी भविष्य निधि की राशि जो 16.5 करोड़ रुपए है, का भुगतान नहीं किया गया है। कामगारों के वेतन से काटे गये बीमा के प्रीमियम का प्रबंधन द्वारा भुगतान नहीं किया गया है और प्रबंधन ने इन बागानों को बस ऐसे ही छोड़ दिया है। हम अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां प्रीमियमों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 20,000 पॉलिसियां रद्द कर दी जायेंगी। इसलिए अकेले पीरमदी तालुक में ही स्थिति इतनी गंभीर है।

राज्य सरकार ने कुछ उपायों की घोषणा की है और कुछ कदम उठाए हैं। मैं उससे इन्कार नहीं करता। मुफ्त राशन की घोषणा की गयी है और दवाईयां तथा चिकित्सीय सहायता दिए जाने की घोषणा भी की गयी है। परंतु मुद्दा यह है कि इन बागानों (इस्टेट्स) को पुनः खोले जाने के लिए एक समिति गठित की जानी है। इस विशेष समस्या की तह में जाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जानी है। हरेक इस्टेट की अपनी समस्या है, कई समस्याएं हैं। वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित माननीय स्थायी संसदीय समिति ने क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने प्रबंधन, ट्रेड यूनियनों और सभी स्टेकहोल्डरों से व्यापक विचार-विमर्श किया।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार की सहायता करे। स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार को विभिन्न इस्टेट्स के इन विभिन्न प्रबंधनों के साथ कठिनाईयों की जांच के लिए एक समिति गठित किये जाने में राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए। ताकि बंद पड़े 17 इस्टेट्स को तत्काल पुनः चालू किया जा सके और सभी कामगारों को पुनः उनका रोजगार मिल सके। कामगारों को जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी चर्चा यहां की गयी है। मैं पुनः इसके विवरण में नहीं जाना चाहता। वहां अन्य फसलें भी होती हैं। माननीय मंत्री ने रबड़ का उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इलायची की फसल को संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ही अधिकांश इलायची उगायी जाती है। शुरू के मौसम में इसकी कीमत 800 रुपए थी जो अब घटकर 400 रुपए, लगभग 50 प्रतिशत रह गयी है।

अध्यक्ष महोदयः क्या अब आप अपनी बात समाप्त करेंगे?

श्री के. फ्रांसिस जॉर्जः महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जहां तक कॉफी का संबंध है इसका वही हाल है या उससे भी खराब है। इसलिए हमें उदार केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है और इस संकट से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अविलम्ब राहत उपाय किये जाने की भी जरूरत है।

महोदय, उत्पाद शुल्क के बारे में भी एक उल्लेख किया गया है। माननीय मंत्री ने कहा कि उत्पाद शुल्क दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। इससे काम नहीं चलेगा। इस एक प्रतिशत को भी उत्पाद शुल्क का संकट खत्म होने तक स्थगित रखा जाना चाहिए। यदि यह एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क को भी छोड़ दिया जाए इस्टेट्स को, प्रबंधन को 13.8 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। राजकोष को केवल 2.54 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। मैं इन सभी की गणना के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। परंतु माननीय मंत्री इसके बारे में निश्चय ही अच्छी तरह अवगत होंगे। इस एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क को भी कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए।

साथ ही चाय का पुनर्निर्यात करने के लिए आयात किया जाता है। क्या हो रहा है कि यहां पर चाय का अधिक मात्रा में उत्पादन किए जाने, हमारे पास 180 मिलियन किलोग्राम चाय का अधिक होने, जो कि अधिशेष है, के बावजूद हम पुनः निर्यात के नाम पर चाय के आयात की अनुमति दे रहे हैं। संभवतः चाय की जो मात्रा आयात की जा रही है, वह पूरी की पूरी पुनर्निर्यात नहीं की जा रही है। यदि यह पुनर्निर्यात की जा रही है तो भी यह हमारे निर्यात बाजार को प्रभावित कर रही है। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। हास्यास्पद बात यह है कि पुनर्निर्यात के बहाने सस्ती गुणवत्ता की चाय का आयात किया जा रहा है और यह हमारी अच्छी गुणवत्ता की चाय साथ मिलायी जा रही है और इसका अर्थ यह है कि निर्यात बाजार में हमारी चाय बदनाम हो रही है।

अध्यक्ष महोदयः श्री फ्रांसिस जॉर्ज, वास्तव में आपको पांच मिनट दिया गया था। मैंने आपको सात या आठ मिनट दिए हैं। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : जी, हां। महोदय। आयातित चाय के इस प्रकार पुनर्निर्यात में कोई मूल्यवर्धन नहीं है। उसे तो केवल आयात किया जाता है, मिलाया जाता है और फिर दुबारा निर्यात

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

कर दिया जाता है। इससे हमारे देश को कोई अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होती। अतः, इसको तत्काल रोका जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः श्री फ्रांसिस जार्ज, आपको वैसे एक ही प्रश्न पूछना चाहिए। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्जः चाय, कॉफी, इलायची, कालीमिर्च और अन्य सभी मसालों का शुल्क मुक्त आयात रोक दिया जाना चाहिए चूंकि हमारे पास ये सभी मसाले हैं, हम इन सभी का उत्पादन भी कर रहे हैं और इनकी अतिशेष मात्रा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस मामले को देखें तथा यथाशीघ्र कोई अनुकूल निर्णय करें।

अध्यक्ष महोदयः केवल दो माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री से कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा जताई है। मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं। वे केवल विशिष्ट प्रश्न ही पूछें। इसकी विशेष अनुमति दी जा रही है। श्री संतोष मोहन देव पहला प्रश्न पूछेंगे और फिर श्री पी.सी. थामस।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग सभी बातें कही जा चुकी हैं। तथापि, मैं एक बात कहना चाहूंगा। असम का मातृ उद्योग है—चाय। वहां देश की दो-तिहाई मात्रा चाय का उत्पादन होता है। असम में चाय-उद्योग की हालत वैसी ही बुरी है, जैसा अभी माननीय सदस्यों ने बताया। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, किंतु यह कहना चाहता हूं कि इस ओर युद्ध स्तर पर कार्यवाही होनी चाहिए। चाय-उद्योग में कुल लगभग 4.5 लाख लोग लगे हैं जिनकी स्थिति बेहाल है। हमारी राज्य सरकार उनकी सहायता करने का प्रयत्न कर रही है लेकिन उसकी वित्तीय दशा ठीक नहीं है।

महोदय, मैं किसी प्रश्न को दोहरा नहीं रहा। मैं उठाये गये प्रश्नों से सहमत हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि तत्काल कुछ कदम उठाएं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं केवल अभी जो कहा गया उसको अनुपूरित भर करूंगा। मैं केवल एक प्रश्न कर रहा हूं।

महोदय, जैसा कहा गया, आयात-शुल्क और आयात-नीति ही वह वजह है जिससे इन सभी बागान-उपजों के मूल्य पर असर पड़ रहा है और जो कुछ शुल्क लगाये गये हैं, उनसे किसान बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मुझे खुशी है कि चाय और कॉफी पर आयात शुल्क को 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है, लेकिन ऐसी स्थिति में इसे 300 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। मैं अभी आयी केलकर समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इस शुल्क में जो 300 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है, उसे 150 प्रतिशत पर ही रखा जाना चाहिए। इससे पूरे बागान उद्योग पर ही बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चाय, कॉफी, इलायची, सभी मसालों, नारियल और सब चीजों पर असर पड़ेगा। अतः, मेरा कहना यही है कि वाणिज्य मंत्रालय इसे बड़ी गंभीरता से ले क्योंकि लगता है कि वित्त मंत्रालय को इसका कोई अंदाज नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय को इसे वित्त मंत्रालय के साथ उठाना होगा और देखना होगा कि इस पहलू पर केलकर समिति की रिपोर्ट बिल्कुल लागू न हो। मैं इस हेतु सरकार से आग्रह करता हूं और इसमें मंत्री जी का हस्तक्षेप चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदयः आपका कोई प्रश्न है, तो पूछिए।

श्री जोवाकिम बखलाः जैसे केरल और आसाम चाय बागानों की समस्याओं के संबंध में यहां उल्लेख किया गया, वैसी समस्या आज पश्चिम बंगाल में भी है। मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल विशेषकर उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी एवं दार्जिलिंग जिले के अब तक तकरीबन पन्द्रह चाय बागान बंद हो चुके हैं जिनकी वजह से तकरीबन 35,000 मजदूरों के लिए समस्या हो गई है। वहां राशन नहीं मिल रहा है। उन लोगों से जो प्रौवीडैंट फंड काटा गया था, वह जमा नहीं किया गया, एल.आई.सी. का प्रीमियम भी जमा नहीं किया गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस विषय पर कोई कदम उठाने जा रहे हैं? हमारी पार्लियामैंट्री कमेटी ऑन कामर्स की टीम वहां गई हुई थी। उसने इनडैप्थ स्टडी की है। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री मास्टर मथान।

श्री एम. मास्टर मथान (नीलगिरि): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केरल के अन्य सांसदों से पूरी तरह सहमति रखता हूं।

अध्यक्ष महोदयः आप केवल प्रश्न पूछिए।

श्री एम. मास्टर-मथानः जी, हां। मैं नीलगिरि के संबंध में एक प्रश्न करूंगा। वहां लगभग 70,000 लघु उत्पादक तथा सीमांत

कृषक हैं जो अपनी आजीविका हेतु चाय-बागान पर ही पूर्णतया निर्भर हैं। सरकार की नीति के कारण विगत तीन वर्षों में चाय की कीमत बेतहाशा गिरी है। इससे अब लघु उत्पादक अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद वे रोजी-रोटी तक न कमा पा रहे हों। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह लघु उत्पादकों के लिए एक न्यूनतम मूल्य उपलब्ध कराए। आज स्थिति यह है कि नीलगिरि में एक बंद का आयोजन किया जा रहा है ताकि सरकार समझ सके कि लघु उत्पादक कितने संकट की स्थिति में हैं। अत:, मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन लघु उत्पादकों के लिए कुछ किया जाए।

श्री अरुण शौरी: महोदय, मुझे लगता है कि हम इस बात पर सहमत हैं कि ये समस्याएं सदन के सभी सदस्यों के लिए चिंता का विषय है। इसी तरह, इस ओर राज्य सरकारों के प्रयास तथा केन्द्र सरकार के प्रयास के बीच भी कोई विरोध नहीं है। इस संबंध में हम सभी को एक-दूसरे की सहायता करनी है और यही बात पश्चिम बंगाल, असम और अन्य स्थानों पर भी लागू है कि एक जगह की चाय संपदा के लिए जो उपाय आवश्यक हैं, वे वस्तुत: सभी जगह की चाय-संपदा के लिए आवश्यक हैं। अत: मैं कुछ चीजें गिनाता हूं जो पहले ही की जा रही हैं और मैं आयात-निर्यात नीति तथा सभी ओर देखने के सुझावों के प्रति भी मुक्त मानस रखता हूं। आयात-निर्यात नीति में फेरबदल के उद्देश्य से खुले सत्र दिसम्बर में आयोजित होना शुरू होंगे।

मैं प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के हितसाधन के लिए अनुकूल नीतियों का निर्धारण करने में कृपया हमारे साथ रहें। इसी विचार से मैं कुछ ऐसी बातें गिनाना चाहूंगा जो हमारे माननीय सदस्य आगे अपने जेहन में रखना चाहेंगे।

महोदय, श्री रमेश चेन्नितला ने उल्लेख किया कि समस्याएं तब से शुरू हुई जब से मात्रात्मक प्रतिबंध हटे। मैं सभा में सभी से अपील करूंगा कि विश्व व्यापार संगठन जैसी व्यवस्थाओं का केवल निरादर करने के बदले, हमें यह देखना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत वे कौन से आय हैं जिन्हें हम अपने हित के लिए उपयोग कर सकते हैं, वैसे ही, जैसे दूसरे देश कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।

विश्व व्यापार संगठन-व्यवस्था के अंतर्गत हम पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगा सकते यद्यपि भारत इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है। विगत कुछ वर्षों के दौरान हमने 141 पाटन-रोधी मामलों में शुल्क लगाए हैं। ऐसे प्राय: 50 शुल्क तो विगत दो वर्षों में ही लगाए गए हैं। किन्तु एक और अन्य प्रावधान है जो संरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है। पाटन-रोध का तात्पर्य तब बनता यदि कोई व्यापारी यहां कुछ बेच रहा है, उदाहरण के तौर पर चीनी कपड़ों की बात की गई, और उसे अन्य जगह की अपेक्षा अपनी उत्पादन लागत से कम में बेच रहा है। लेकिन विश्व व्यापार संगठन के संरक्षाकारी प्रावधान के अनुसार, यदि वह उसे ठीक मूल्य पर भी बेच रहा है, कहें कि दूसरी जगह की तुलना में या उत्पादन लागत की तुलना में कुछ ठीक मूल्य पर भी बेच रहा है, तो हम अपने उद्योगों को बचाने के लिए रोधी-उपाय कर सकते हैं। जिनमें मात्रात्मक प्रतिबंध भी शामिल हैं।

अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें समस्या कहा है। यह सभा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सितम्बर, 1998 में मंत्रिमंडल का यह फैसला था कि हमें मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से विदेशी व्यापार विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1992 को संशोधित किया जाए। मैं इस बात को नहीं उठाना चाहता कि 1998 से अब तक क्या हुआ, लेकिन वह विधेयक अभी तक लम्बित है। उस विधेयक को संसद् की विभागों से संबद्ध स्थायी समिति को भेज दिया गया था, वह वहां से लौट भी आया, लेकिन अभी तक लम्बित है। मुझे जानकर खेद है कि इतने महत्वपूर्ण मामले को इस सत्र में दूसरी श्रेणी की प्राथमिकता मिल रही है। चार वर्षों से हमने कुछ किया नहीं और यदि आज हम एक-दूसरे से पूछ रहे हैं कि हम मात्रात्मक प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे, तो मेरे विचार से यह एक ऐसी बात है जिस पर हम सब एकमत हों और इस पर माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं कार्यमंत्रणा समिति को कहूँ ताकि इस प्रकार का विधेयक, जिससे हम संरक्षाकारी कार्यवाही करने में सक्षम हो सकेंगे, अधिनियमित किया जा सके।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): क्या हम तुरंत इस विधेयक को पारित नहीं कर सकते?

श्री अरुण शौरी: मुझे लगता है कि, हां। जब भी माननीय अध्यक्ष महोदय इसे रखवायें, हम ऐसा करने के लिए अत्यंत व्यग्र रहेंगे।

महोदय, एक अन्य बात नारियल और नारियल तेल के बारे में है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): मैं आपको टोकने के लिए क्षमा चाहता हूं। आपकी सरकार ऐसे कई अध्यादेशों को प्रारंभ और प्रख्यापित करती रही है जो अविलम्ब प्रकृति के नहीं रहते थे। अब एक ऐसे मुद्दे पर, जिसकी आपने अभी बात की, आपकी सरकार को चाहिए था कि एक अध्यादेश निकालती और बाद में इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में रख दिया जाता।

श्री अरुण शौरी: महोदय, यह हम सबकी साझी चिंता है और इसीलिए मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं।

महोदय, नारियल तेल के मामले में, जो कि केरल राज्य के लिए विशेष चिंता का विषय है, अच्छी बात यह है कि संरक्षा प्रणाली को लेकर मुम्बई की 'साल्वैंट एक्ट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया' संस्था ने एक याचिका दायर की है और भारत में खाद्य तेल के संरक्षणार्थ शुल्क लगाने के संबंध में इस प्रकार की सुनवाई शुरू होने वाली है। ऐसा इस कारण, क्योंकि नारियल तेल की तरह ही अन्य खाद्य तेल कारखाने भी बंद हो रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब से दस साल पहले तक भारत के खाद्य तेल की लगभग 95 प्रतिशत मात्रा घरेलू मिलों द्वारा पूरी की जाती थी और अब आयात अधिक होने लगने से यह आंकड़ा 55 प्रतिशत पर आ गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान आयात लगभग 135 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

अपराह्न 1.00 बजे

अत:, इस मुद्दे पर मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि ऐसा 25 नवम्बर से शुरू होने जा रहा है। हम प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करने की आशा रखते हैं ताकि नारियल तेल उद्योग तथा नारियल उत्पादकों सहित हमारे सभी उद्योगों के हित संरक्षित रह सकें।

वास्तविक शुल्क को बंधित शुल्क के रूप में परिवर्तित कर देने की बात की गई। खाद्य तेलों के मामले में, दो प्रकार के आंकड़े हैं जिन पर सहमति है। सोयाबीन तेल पर यह 45 प्रतिशत है ओर अन्य प्रकार के तेलों पर 300 प्रतिशत। अब, इसके बीच संतुलन बनाना होगा। अन्यथा, लोग एक तेल से दूसरे तेल की तरफ रुख कर लेगें और फिर कई कारखानों को नुकसान होगा। आपको न केवल इन विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों, जिनके लिए विभिन्न तरह की आबद्ध दरें निर्धारित है, के बीच संतुलन स्थापित करना होगा बल्कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों के बीच भी संतुलन कायम करना होगा। यदि आप 300 प्रतिशत की आबद्ध दर के वास्तविक शुल्क में वृद्धि करें तो तत्काल हम सभी यह कहेंगे कि उपभोक्ताओं को अब अपने खाना बनाने के साधन हेतु अधिक राशि का व्यय करना होगा। उसी कारण से वास्तविक दर 60 प्रतिशत रखी गई है। परंतु इन्हीं मामलों पर विचार किया जाना है। यदि हमारे उद्योग की रक्षा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से अन्य उपाय किये जाने चाहिए। इस बारे में मेरा खुला विचार है।

रबड़ से संबंधित मुद्दे पर, बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रश्न पर मुझे दो मुद्दों का उल्लेख करना है। पहला यह है कि हमने रबड़ की अग्रिम लाइसेंसिंग आयात पर रोक लगाई। इस संबंध में बम्बई में अपील की गई थी तथा बम्बई उच्च न्यायालय ने आदेश को खारिज कर दिया। हम उस आदेश के विरुद्ध अपील दायर करेंगे। हम इस मामले को उच्चतम नयायालय या खंड न्यायपीठ और इसी तरह अन्य स्थानों पर ले जाएंगे।

अभी-अभी इस बात का भी उल्लेख किया गया कि हमें प्राकृतिक रबड़ का पुन: वर्गीकरण करने के लिए डब्ल्यू टी ओ में फिर से बातचीत आरंभ करनी चाहिए। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में बताया, हमने उस बारे में आपके सुझावों का अनुमान लगाते हुए पहले ही ठीक वही कार्य किया है।

आपने काफी ठीक ढंग से बताया कि मेरे मित्र केलकर के वर्किंग पेपर में वित्त मंत्री ने अनेक बार कहा है कि यह प्रारूप रिपोर्ट नहीं है, यह वर्किंग पेपर है-उन्होंने कहा कि कई निर्यात संवर्धन योजनाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से हम अपने मंत्रालय में इस बात से सहमत नहीं हैं। हमने उनके और उनकी टीम के साथ बैठकें की हैं। मैं समझता हूं कि वह यथार्थवादी तरीका नहीं होगा। अंतत: निर्यातक एक प्रकार के प्रोत्साहनों के अनुरूप ढल गए हैं। आप उन प्रोत्साहनों को अचानक समाप्त कर उनसे सहसा अन्य कार्य सम्पन्न करना शुरू करने की आशा नहीं कर सकते हैं। तत्पश्चात् आपको उन्हें दूसरे प्रकार के प्रोत्साहन देने होंगे और तब डब्ल्यू टी ओ की संगतता और अन्य मुद्दों से जुड़े सभी प्रश्न पुन: उठने लगेंगे। मैं स्वयं श्री विजय केलकर से पहले मिलूंगा। वे मेरे मित्र हैं और मैं इस संबंध में उन्हें संसद सदस्यों की जोरदार भावनाओं से भी अवगत कराऊंगा।

चाय के संबंध में, तीन मुद्दे उठाए गए हैं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं तुरंत उनके उत्तर दूंगा।

श्री सुरेश कुरूप: वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है।

श्री अरुण शौरी: इनमें से प्रत्येक मुद्दा महत्वपूर्ण है। यदि मैं इलायची का उत्पादन कर रहा हूं तो यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है और यदि कोई चाय का उत्पादन करता है तो यह उसके लिए महत्वपूर्ण है।

जैसा कि मैंने बताया, हम विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन और उपभोग करते हैं जो विश्व के कुल उत्पादन का 27 प्रतिशत तथा विश्व के कुल निर्यात का 13 प्रतिशत है। अत:, हम पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा है। हम स्वयं को एक द्वीप की तरह अलग नहीं कर सकते। यहां दो मुद्दे हैं। मुझे आशा है कि उनसे किसी को ठेस नहीं पहुंचेगी किन्तु मैं उन्हें तथ्य बताऊंगा क्योंकि मुझे उनकी जानकारी है। पहला मुद्दा उन

बातों के बारे में है जिन्हें हमने श्रीलंका से चाय के आयात के संबंध में पिछले डेढ़ वर्षों से कहना और सुनना शुरू किया है। ये तथ्य इस प्रकार हैं। हमारा कुल उत्पादन लगभग 850 मिलियन किलोग्राम है तथा वर्ष 2000 में श्रीलंका से 0.46 मिलियन किलोग्राम चाय का आयात किया गया। वर्ष 2001 में 0.31 मिलियन किलोग्राम चाय का आयात किया गया था। अब, ये ऐसे आंकड़े हैं जो हमारे उत्पादन का 10 प्रतिशत भी नहीं है, हमारे उत्पादन का एक प्रतिशत भी नहीं हैं बल्कि हमारे उत्पादन के एक प्रतिशत का पांचवां या दसवां भाग है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: परंतु वे हमारे बाजारों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं।

श्री अरुण शौरी: मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): अब, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। चाय उद्योग में जो उत्पाद शुल्क वसूल किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप उसे वापस लेंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप उनकी बात नहीं सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप अपना उत्तर यथाशीघ्र पूरा करें। मैं अगले मुद्दे को भी चर्चा हेतु लेना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

श्री अरुण शौरी: यह भारतीय बाजार की कुल आपूर्तियों के एक प्रतिशत का दसवां भाग भी नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या आप चाय पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को वापस लेंगे? *...(व्यवधान)* कृपया उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। सभा में इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: उत्पाद शुल्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: निश्चित रूप से मूल्यों में कमी के कारण चाय बोर्ड द्वारा मई से अक्तूबर, 2000 तक "मूल्य राजसहायता" योजना लागू की गई जिसके अंतर्गत दक्षिण भारत में 65,000 से भी अधिक उत्पादकों को नकद राजसहायता के रूप में 26 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई थी। उसके बाद, गुणवत्ता बढ़ाए जाने संबंधी एक व्यापक अभियान भी चलाया गया है।

संकट के समाधान के लिए कभी कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा। परंतु वास्तविक मुद्दा प्रतिस्पर्धा के संबंध में है। हमारे अनेक बुश पुराने हैं। मैं कामगारों और अन्य ऐसे मामलों के बारे में कुछ नहीं करना चाहता हूं। परंतु यदि आप हमारे कामगारों की मजदूरी और पिछले कुछ वर्षों में उनकी मजदूरी वृद्धि की तुलना में चीन, केन्या या अन्यत्र देशों में दी जा रही मजदूरी से करें तो आप देखेंगे कि हमें अपने बुश का कायाकल्प और प्रतिस्थापन कर अथवा अन्य उपायों द्वारा और अधिक प्रतिस्पर्धी बनना होगा।

कामगारों के प्रश्न पर, यह टिप्पणी की गई कि केरल सरकार और अन्य सरकारों ने अधिक कार्य नहीं किया है। वस्तुत: वह बात सत्य नहीं है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकारें स्वयं इस समस्या के प्रति बहुत ही सतर्क हैं। बागान श्रम अधिनियम, 1951 द्वारा मुख्यत: राज्य सरकार पर यह जिम्मेदारी डाली गई है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि यहां तक कि केरल में भी या विशेषकर केरल में दोनों मोर्चों की राज्य सरकार ने कामगारों को तुरंत राहत पहुंचाने की कोशिश में अच्छा कार्य किया है। इस कार्य में केन्द्र उनके साथ है।

हमने प्रभावित बागान कामगारों को मुफ्त चावल वितरण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान सहित राहत प्रदान की है और मैं इस प्रयोजन के लिए हरेक के साथ सहयोग करने वाला पहला व्यक्ति हूं।

श्री सुरेश कुरूप: आप उन्हें किस तरह की सहायता प्रदान करने जा रहे हैं?

श्री अरुण शौरी: महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है। हम सुझावों का स्वागत करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होती है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों का सवाल है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट बोलने का समय दिया जाए। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष महोदय, मेरा आधे सैकेंड का काम है। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 1.08 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 21 नवम्बर, 2002 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 21 नवम्बर, 2002 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्यमंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: "शून्य काल" का समय वास्तव में समाप्त हो गया है। परंतु यदि आप सभी सहयोग करें तो मैं "शून्य काल" को लगभग 15-20 मिनट के लिए बढ़ाना चाहता हूं और, तब, माननीय सदस्य मध्याह्न भोजन के लिए जा सकते हैं। परंतु यह आपके सहयोग पर निर्भर करेगा। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं और सभा में शोर जारी रखते हैं तो मुझे सभा को अभी तुरंत मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित करना होगा। यह निर्णय आपको करना है कि आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। मैं इसे दोहराना नहीं चाहूंगा। "शून्य काल" उन सदस्यों के लिए एक अवसर है जो विशिष्ट मुद्दे उठाना चाहते हैं। मैं वस्तुत: दूसरे कार्य को लेना चाहता हूं। परंतु मैं यह नहीं चाहता कि कोई माननीय सदस्य शोर करे। यदि एक भी माननीय सदस्य ने शोर किया, तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों का सवाल है, *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इनको इजाजत दी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं "शून्य काल" के दौरान उठाए जाने वाले सभी मुद्दों, जिनके लिए नोटिस दिए गए थे को विचार के लिए नहीं रख पाऊंगा, परंतु मैं उनमें से कुछ को चर्चा हेतु रखुंगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.09 बजे

देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याएं

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में गन्ना किसानों की हालत अत्यधिक खराब है। अक्तूबर महीने से पिराई का काम शुरू हो जाता था, लेकिन अभी तक गन्ने की पिराई का काम शुरू नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने 95 रुपए से 100 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव तय किया था, लेकिन इससे संबंधित जी ओ वापिस ले लिया गया है और गन्ना किसान अपनी फसलों को खेतों में जला रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में *...(व्यवधान)* महोदय, यह दिक्कत हो जाती है। मैं आपकी अनुमति से अपनी बात कह रहा हूं। इनको क्या दिक्कत हो रही है। *...(व्यवधान)* हमें गन्ने का सवाल रोज उठाने का शौक नहीं है। सरकार अपने धर्म का निर्वहन नहीं कर रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप आपस में क्यों बात कर रहे हैं। आप मुझ से अपनी बात कहिए और दो मिनट में बात समाप्त करिए।

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थिति अत्यधिक खराब है। मेरठ और मुजफ्फरपुर के किसान ट्रैफिक जाम कर रहे हैं और आन्दोलन कर रहे हैं। सरकार को जो उचित कार्रवाई करनी चाहिए, वह नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से यह जरूर चाहूंगा कि इस सवाल पर माननीय मंत्री, श्री संतोष कुमार गंगवार जी अवश्य बोलें। अगर गन्ना किसानों की स्थिति ऐसी ही रही, तो अगली बार चुनाव में जमानत बचने वाली नहीं

है। जिस इलाके में आप रहते हैं, वहां किसानों की बहुत समस्याएं हैं। मैं आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के साथ इन्साफ हो, उनका बकाया भुगतान हो, गन्ने की पिराई शुरू हो। मैं चाहूंगा कि सरकार इस सवाल पर अपना निश्चित मत प्रकट करे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, इस संदर्भ में मैं संबंधित मंत्री जी से आग्रह करूंगा। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश की सारी चीनी मिलें इस महीने चालू होने के निर्देश हो चुके हैं। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: यह गम्भीर सवाल है और आप गलत बयानी कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार: इसीलिए हमारी सरकार ने पहली बार गन्ने की समस्या को कन्ट्रोल में लाने का फैसला किया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए मैं सरकार से अनुरोध कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि यह ऐसा विषय है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए।

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): महोदय, मामला बहुत गंभीर है। 8 सितम्बर, 2002 से टीवी सीरियल "विष्णु पुराण" सुबह 9 बजे से 10 बजे तक हर रविवार को दिखलाया जा रहा है। इस सीरियल में जायसवाल समाज के इष्टदेव, श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन जी, का चरित्रहनन किया जा रहा है। जायसवाल समाज के चार सांसद-कांग्रेस के श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, समाजवादी पार्टी के श्री जवाहर लाल जायसवाल और बीजेपी से मैं तथा श्री शंकर प्रसाद जायसवाल हैं। मध्य प्रदेश में इनके जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन जिस तरह से हमारे इष्टदेव का चरित्रहनन किया जा रहा है, वह बहुत दुखदायी है। इस घटना से सारा जायसवाल समाज उद्वेलित है। इस संबंध में मेरे पास रोज 10-15 चिट्ठियां आ रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप संसद में बैठते हैं और यह सीरियल अभी भी दिखलाया जा रहा है। हमारे इष्टदेव का चरित्रहनन किया जा रहा है। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं और सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। बीच में यह सीरियल इसी वजह से रोक दिया गया था, लेकिन 8 सितम्बर से फिर दिखलाया जा रहा है। उनके बच्चों को राक्षस के रूप में दिखलाया जा रहा है। महोदय, मैं क्या राक्षस की संतान दिख रहा हूं। मैं उनकी संतान हूं। माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, मेरा आग्रह है कि इस सीरियल को रुकवाया जाए और हमारे इष्टदेव का चरित्रहनन न किया जाए।

मैं मांग करता हूं कि आप इस विषय में ध्यान दें। *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): महोदय, मैं भी जायसवाल जी की भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं। *...(व्यवधान)* महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात मैं बाद में सुनूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे इनडिसिप्लिन नहीं चाहिए, मैं हरेक को अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, मैं एसोसिएट कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपको एसोसिएट कर दिया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, बाबू जगजीवन राम जी ने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। 6-कृष्ण मेनन मार्ग को उनके स्मारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। तत्कालीन राष्ट्रपति, श्री वेंकटरमण, डा. शंकर दयाल शर्मा, पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने भी वहां जाकर जगजीवन बाबू को माल्यार्पण किया। वे बाबू जी के नाम से मशहूर थे और बिहार का गौरव थे। वे दलितों के नेता ही नहीं, बल्कि इन्होंने समाज के तमाम दबे एवं कुचले लोगों के प्रणेता के रूप में काम किया। लेकिन उनके आवास का स्मराक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, मुझे दुख है कि सरकार ने उसे खाली कराने के लिए नोटिस दिया है। कोर्ट ने इंटरवीन किया और 30 तारीख तक का नोटिस दिया है। इसी के साथ दो मामले कोर्ट में थे-स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री जी और जगजीवन बाबू के आवास का स्मारक बनाने का। लालबहादुर शास्त्री जी के स्मारक का नोटिफिकेशन हो गया है लेकिन जगजीवन बाबू जी का जो आवास था, उनका स्मारक बनाने की घोषणा करने का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। इसके कारण बिहार की आम जनता में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान भर में बड़ा भारी क्षोभ है। जगजीवन बाबू को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में इन्होंने देश-सेवा की और सभी जगह सफल हुए। इस तरह से जिनका स्वर्गवास हो गया और जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका स्मारक नहीं बनाने पर यह सरकार तुली हुई है, और भेदभाव कर रही है। इससे तमाम दलितों में बड़ा भारी क्षोभ होगा और फिर ऐसा उत्पात होगा, जिसे सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं *...(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): महोदय, जगजीवन बाबू के आवास को स्मारक बनाने के लिए अधिक से अधिक सांसदों ने दस्तखत किए हैं। ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सरकार बेखबर बैठी हुई है। ऐसे संवेदनशील मामले को सरकार नोटिस में न ले और सदन को न बताए तो फिर कहां समाधान होगा। लोग सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन पर उतारू होंगे, फिर देश का क्या होगा। ...*(व्यवधान)* वे इस देश के निर्माता थे। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे: सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस विषय में प्रधानमंत्रीजी को पत्र दिया है। मैं इस बारे में अच्छे तरीके से जानता हूं। आपकी और मेरी भी इस विषय में चर्चा हुई है। हम देखेंगे कि इस विषय में क्या किया जा सकता है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस समय इस पर दस्तखत किए थे और बहुत से माननीय सदस्यों ने भी किए थे कि यह स्मारक बनना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे भी यह मालूम है, मैं जानता हूं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसलिए मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): महोदय, मैं भी इससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अजय जी, आप संक्षेप में दो मिनट में बोलिए।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): मैं सभा का ध्यान भारत सरकार द्वारा किए गए एक गंभीर घोटाले की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। भारत सरकार ने एक बड़े प्रतिष्ठित और पुराने होटल 'सेंटूर होटल' को 83 करोड़ रु. में 'बत्रा अस्पताल समूह' को बेचा है जिसे उन्होंने 115 करोड़ रु. में 'सहारा समूह' को बेच दिया।

यह एक बहुत गंभीर मामला है। इस होटल को कम मूल्य पर बेचा गया था। इसमें बड़ा भारी अंतर है। 'बत्रा अस्पताल समूह' ने 83 करोड़ रु. में इस होटल को खरीदा। फिर उसने 115 करोड़ रु. में इसे 'सहारा समूह' को बेच दिया। भारत सरकार ने इसे कम मूल्य पर 'बत्रा अस्पताल समूह' को बेचा था। यह एक गंभीर बात है। जनता के खजाने की यह भारी हानि है। देश के लिए गहरी चिंता का विषय है। सरकार ने एक बड़ा घोटाला दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्रीजी, आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे? आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती: सरकार और नागर विमानन मंत्रालय का यह एक बड़ा घोटाला है। इस विषय में बड़े समाचार-पत्रों में एक समाचार भी छपा है। होटल को 83 करोड़ रु. में खरीदा गया और महीने भर के भीतर इसे फिर 'सहारा समूह' को बेच दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मंत्री जी से उत्तर नहीं चाह रहे तो बोलते रहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: भारत सरकार ने यह बड़ा भारी घोटाला किया है और देश के लिए यह एक बड़ी क्षति है। देश के लिए गंभीर चिंता की बात है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले की सी.बी.आई. से जांच करायी जाये।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं? यद्यपि कुछ कहने के लिए मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि इस मामले की सी.बी.आई. से जांच करायी जाये।

श्री के.पी. सिंहदेव (ढेंकानाल): मुझे और श्रीमती हेमा गमांग को बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। और, मैं हमारे अनुरोध पर यहां उपस्थित रहने के लिए माननीय मंत्री श्री अरुण शौरी का आभारी हूं ...*(व्यवधान)*

महोदय, 'नालको' का विनिवेश करके इसे निजी क्षेत्र को देने के विनिवेश मंत्रालय के निर्णय या सिफारिश ने उड़ीसा को स्तब्ध कर दिया है। वस्तुस्थिति तो यह है जिस उपक्रम को 1981 में 2400 करोड़ रु. की लागत से शुरू किया गया था, वह आज 24000 करोड़ रु. मूल्य की स्थिति रखता है। श्रीमती हेमा गमांग

के निर्वाचन-क्षेत्र में स्थित खानों तथा शोधनशाला, तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले स्मेल्टर और रक्षित-विद्युत संयंत्र, व विशाखापत्तनम स्थित पत्तन-सुविधाओं का मूल्य इस सरकार ने 9000 करोड़ रु. रखने पर स्वीकृति दी है। 25,000 करोड़ रु. मूल्य की लागत वाले इस उपक्रम से 8000 लोगों को प्रत्यक्षत: और लगभग 20000 लोगों को अप्रत्यक्षत: रोजगार मिला हुआ है। इसका तात्पर्य यह कि लगभग 1.5 लाख लोग इस पर निर्भर हैं। इस मामले में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया।

श्री आचार्य के सभापतित्व वाली संसदीय याचिका समिति ने भी आज दोपहर 12 बजे इसी सभा के समक्ष एक रिपोर्ट रखी है। जबकि याचिका समिति को इस मामले में अंधेरे में रखा गया है, इसे बेचने की जैसी आपाधापी हो रही है, जबकि यह 650 करोड़ रु. का लाभ कमा रही है, उससे उड़ीसा में स्तब्धता का वातावरण है।

हाल में वर्तमान खान मंत्री कुमारी उमा भारती ने इसका विरोध किया है। पूर्ववर्ती मंत्री श्री राम विलास पासवान ने भी इसका विरोध किया है और उड़ीसा के वर्तमान मुख्य मंत्री, जो 1998 में खान मंत्री थे, मुझे बताया गया है कि उन्होंने भी इसका विरोध किया था। यद्यपि मैंने अभी दस्तावेज नहीं देखे हैं, तथापि कहा जाये कि उन्होंने कम-से-कम इसका सार्वजनिक रूप से विरोध किया। मेरा विचार है कि इसके विनिवेश की प्रक्रिया को तत्काल रोक दिया जाना चाहिए। आज भी, एक धरना *...(व्यवधान)* हमने देखा कि किस तरह 'बालको' का विनिवेश किया गया। आज 'बालको' में काम करने वाले सभी कामगारों को संकट का सामना करने के लिए असहाय छोड़ दिया गया है। जिन लोगों ने इसे बिल्कुल गिरी कीमत पर खरीदा है, उन्होंने विनिवेश किये जाते समय हुये समझौते का कोई पालन नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री के.पी. सिंह देव: महोदय, आज सभी भूतपूर्व संसद सदस्य और भूतपूर्व मंत्री आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने एक 'धरना' रखा है।

अध्यक्ष महोदय: कुछ लोग मुझसे मेरे चैम्बर में मिलने भी आए थे।

...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उन्हें इस महत्वपूर्ण मामले पर जवाब देना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सरकार सब कुछ बेच दे रही है *...(व्यवधान)*

श्रीमती हेमा गमांग (कोरापुट): महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम संबद्ध कर लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। आप सभी को मालूम ही है कि यह मंत्री की इच्छा पर है कि वे अभी उत्तर देना चाहें या बाद में प्रक्रिया से नोटिस प्राप्त होने के बाद।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्टी के ऊपर जो जजमैंट दिया, उसे लेकर देश के दूसरे भागों की तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी एक पागलपन फैला। अंडमान और निकोबार में फॉरेस्ट प्रोजैक्ट बंद होने से करीब तीन हजार मजदूर बेकार हो चुके हैं। वहां फॉरेस्ट कारपोरेशन जिसे 'मिनी रत्न'' एवार्ड मिला था, का फॉरेस्टी प्रोजैक्ट बंद कर दिया जबकि वह वायबल था। 7 मई के बाद फॉरेस्टी ऑपरेशन बंद हो गया जिससे फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन के करीब दो हजार मजदूरों और कर्मचारियों का भविष्य अंधेरे में हो गया जिसकी किसी को कोई चिन्ता नहीं है कि उन लोगों का क्या होगा। इस सिलसिले में 22 जनवरी 1996 को आईडीए की नौवीं मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि वहां का प्रशासन इसे टेक ओवर करे। लेकिन इस डिसीजन को अभी तक अमल में नहीं लाया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तक 50 हजार बेरोजगार नवयुवक रोजगार कार्यालय में नाम लिखवा चुके हैं। वहां के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स का दुनिया भर में नाम है। लेकिन वह ऐसे रहने वाला नहीं है। बेकारी के कारण भूखे लोगों का पेट नहीं भरेगा। जंगल कटेंगे। बेरोजगार नवयुवक विदेशी हमलावरों के साथ मिल कर पोचर्स बनेंगे, टैरारिस्ट बनेंगे, नक्सलवादी बनेंगे। इस कारण फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन को अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन टेकओवर करे और सभी कर्मचारियों को नौकरी सुनिश्चित करे।

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): अध्यक्ष महोदय, जिला मंडला के अंतर्गत मनेरी के पास एक प्राइवेट बस में जब करीबन 160 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे तो अचानक बस का टायर बस्ट हुआ जिससे बस पलट गई तथा आग लग गई। इस बस में अवैध रूप से पैट्रोल जा रहा था जिससे आग लग गई। इस आग में 70 लोग जल कर खाक हो गए। इस हादसे को बचाया जा सकता था। घटना स्थल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर हिन्दुस्तान पैट्रोलियम के फिलिंग प्लांट द्वारा तीन-तीन मिनट में आग बुझायी जा सकती

[श्रीमती जयश्री बनर्जी]

थी। इनके पास आग बुझाने के सभी साधन उपलब्ध थे लेकिन उन्होंने सहायता करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें मुम्बई हैडक्वार्टर से अनुमति लेनी होगी। ऐसे गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्हें दूसरों की जिन्दगी की परवाह नहीं है। इसमें अधिकतर ग्रामीण लोग यात्रा कर रहे थे। मृतक लोगों के परिवार वालों को तुरन्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

अपराह्न 1.29 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.32 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.32 बजे पुनः समवेत हुई।*

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

सरकारी विधेयक—*पारित*

(एक) संसद् अधिकारी तथा संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय: अब हम आज के कार्यसूची की मद संख्या 15 लेते हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं:

> "कि संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 तथा संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

---

* अपराह्न 2.00 बजे गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई। गणपूर्ति नहीं हुई। अपराह्न 2.04 बजे गणपूर्ति के लिए पुनः घंटी बजाई गई लेकिन गणपूर्ति नहीं हुई। अपराह्न 2.08 बजे गणपूर्ति के लिए पुनः घंटी बजाई गई लेकिन फिर भी गणपूर्ति नहीं हुई। तत्पश्चात् महासचिव ने निम्नलिखित घोषणा की: "गणपूर्ति नहीं है। अतः सभा समवेत नहीं हो सकती; और हम गणपूर्ति होने तक सभा की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं कर सकते। माननीय सभापति जी ने निदेश दिया है कि सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत होगी।"

** राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, यह बहुत सीमित उद्देश्य वाला विधेयक है। सदन को ध्यान होगा कि पिछले वर्ष जब हमने मंत्रियों के वेतन-भत्तों में कुछ संशोधन किया था, उसी समय उनके सहयोगी के साथ जो छः यात्राएं थीं, उनको बढ़ाकर 12 किया गया था। इसके तहत 24 के स्थान पर 48 यात्राएं मिलनी थीं। अब इसके अंतर्गत पार्लियामेंट के अधिकारियों और लोक सभा तथा राज्य सभा के प्रतिपक्ष के नेताओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। उसी के लिए यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है। मैं चाहता हूं कि बिना बहस के इस विधेयक को पारित किया जाए।

सभापति महोदय: इस विधेयक पर बोलने के लिए कोई नाम यहां नहीं आया है। इसलिए मैं इसे कंसीडरेशन के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है:

> "कि संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 तथा संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, इसके पूर्व कि आप विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करें, मैं कुछ कहना चाहता हूं। देश में यह भ्रमात्मक अवधारणा है कि भारत के संसद्-सदस्य, मंत्री, अध्यक्ष और विपक्ष के नेता अधिकतम वित्तीय लाभ ले रहे हैं। मेरा सरकार से केवल यह अनुरोध है कि वह इस सच्चाई को बताएं कि दूसरे देशों के संसद् सदस्यों की तुलना में हम यहां कहीं बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से एक दस्तावेज प्रकाशित कराए कि भारत के संसद् सदस्यों को कितना मिल रहा है। दूसरे देशों में कितना मिल रहा है और यह कि, किस प्रकार के तथा कितने लोगों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं। जब तक इस भ्रमात्मक धारणा का निराकरण नहीं होता, दुःसंशय की स्थिति बनी रहेगी। इसका निराकरण होना चाहिए। यही सरकार से मेरी गुजारिश है।

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां। हम उनकी इस बात से सहमत हैं।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: मंत्री अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.36 बजे

(दो) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): सभापति महोदय, होम्योपैथी प्रणाली भारत में चिकित्सा की मान्यताप्राप्त प्रणालियों में से एक है। लगभग 2 लाख पंजीकृत चिकित्सक भारत में इस प्रणाली में चिकित्सा कर रहे हैं। यह प्रणाली सरल, कारगर है और सामान्य रोगों के साथ-साथ सामान्य रोगों और कुछ विकारों, जिसके लिए अन्य प्रणालियों में कम अथवा कोई इलाज नहीं है, के लिए प्रभावी सिद्ध हुई है। सरकार इसकी क्षमता को विकसित करने के लिए इस प्रणाली को प्रोत्साहन दे रही है। इस प्रणाली की शिक्षा और चिकित्सा कार्य के नियमित करने के लिए किया गया एक उपाय 1973 में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम को अधिनियमित करना है। इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत सरकार ने 1974 में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद का गठन किया, जिसका समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

इस परिषद् का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के चिकित्सकों का केन्द्रीय रजिस्टर बनाना और उचित शैक्षणिक मानकों का बनाये रखना सुनिश्चित करना है। चिकित्सकों के पंजीकरण के इस उपाय के माध्यम से बिना किसी प्रशिक्षण अथवा अभ्यास के लोगों द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा के भय को बहुत अधिक कम किया है।

इस अधिनियम के लागू होने से पहले, विभिन्न राज्य सरकारें भिन्न-भिन्न अवधि और शीर्षक के पाठ्यक्रम चला रही थीं। मानकीकरण को प्राप्त करने और शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए विभिन्न विनियम लागू किये गये हैं। एक ऐसा विनियम, होम्योपैथी न्यूनतम शिक्षा मानक विनियम, 1983 है।

इस प्रणाली को अपनाने वालों और ख्याति में वृद्धि के साथ ही नये महाविद्यालय स्थापित करने की मांग बढ़ी, जिसके परिणामस्वरूप इन महाविद्यालयों से निकलने वाले चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि हुई है। चिकित्सा शिक्षा के वाणिज्यीकरण ने अधिक से अधिक कॉलेज खोलने को प्रोत्साहन दिया है। समितियों, न्यासों और इसी प्रकार के निकायों ने राज्य सरकारों की अनुमति और विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करने के बाद महाविद्यालय प्रारंभ किये थे। इसके कारण महाविद्यालयों में वृद्धि हुई, जिससे मानकों में कमी आई। यह अपेक्षित था कि केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम और शिक्षा विनियम शिक्षा में समरूप मानक प्राप्त करने और प्रणाली को व्यवहार में लाने में मदद करेगा। किन्तु उपबंधों में कमी होने के कारण न तो केन्द्र सरकार और न केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद ही अक्षरश: उपबंधों को लागू कर सकी।

प्रचलित कार्यविधि के अनुसार, इच्छित समिति, इत्यादि राज्य सरकार की अनुमति और सम्बद्धता के लिए विश्वविद्यालय की स्वीकृति प्राप्त कर सकती है। तत्पश्चात् वे निर्धारित सीटों हेतु पाठ्यक्रम चलाने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान करने के लिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद को सम्पर्क करते हैं। ऐसा कोई कानूनी उपबंध नहीं है, जो केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रीय परिषद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना बाध्यकारी बनाये। इससे घटिया महाविद्यालयों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् और भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी संबंधी राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया गया तथा नये महाविद्यालयों, जो

[श्री शत्रुघ्न सिन्हा]

इस संबंध में दिये गये मार्गनिर्देशों का पालन करते हैं, की अनुमति देने की दृष्टि से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की गई थी।

अत: भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1993 में किये गये संशोधनों के आधार पर अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया था।

संशोधन में प्रस्तावित उपबंध इस प्रकार हैं: (1) घटिया संस्थाओं को पनपने से रोकने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नये महाविद्यालयों की स्थापना; सीटों की संख्या में वृद्धि तथा नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति लेना, और (2) उचित कानूनी स्वीकृति के साथ निवासी चिकित्सकों को प्रशिक्षण के लिए अस्थायी पंजीकरण प्रदान करना।

अत: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को पहली बार यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद और बधाई देता हूं, जो वह राज्य सभा से लोक सभा में लाये हैं और इस पर भारत के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सभा का समर्थन चाहते हैं।

महोदय, होम्योपैथी शिक्षा, होम्योपैथी उपचार, यदि मैं ऐसा कहूं, होम्योपैथी संस्कृति भारत में प्राचीन समय से प्रतिष्ठित है। सभी वर्गों के लोग, चाहे वे शिक्षित हों अथवा अशिक्षित, होम्योपैथी के बारे में कुछ सीखने अथवा समझने की आदत विकसित करते रहते हैं। अथवा उन्होंने विगत में आदत विकसित की थी। दवाओं तक आसान पहुंच और छपी हुई किताबों के माध्यम से होम्योपैथी के ज्ञान तक आसान पहुंच भारत के लोगों को यह सुनिश्चित करने का व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है कि होम्योपैथी घर में ही उपलब्ध है और यह प्रत्येक परिवार की छोटी-मोटी अथवा यहां तक कि कुछ मध्यम प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकती है। यदि मैं ऐसा कहूं कि, यह जनगणना की रिपोर्ट नहीं है। यदि आप नमूना सर्वेक्षण करें, तो आप पायेंगे कि कम-से-कम प्रत्येक पांच घरों में से एक बूढ़ा व्यक्ति अथवा एक बूढ़ी आण्टी अथवा एक दादी अथवा कोई अन्य रहता है, जो पहली सलाह यह देंगे कि 'इस बीमारी के लिए, आप होम्योपैथी इलाज क्यों नहीं करते?"

अपराह्न 2.41 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

आप पायेंगे कि 10 घरों में से एक में एक व्यक्ति ऐसा है, जो होम्योपैथी पुस्तकें पढ़ने के प्रति वचनबद्ध है और आपको देने के लिए कुछ दवायें तैयार रखते हैं। यहां तक कि यदि आप रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, तो कई बार यह भी होता है कि किसी दर्द अथवा सिरदर्द अथवा उल्टी के गम्भीर मामलों में, आप पायेंगे कि अचानक रेलगाड़ी में एक एलोपैथिक डॉक्टर यात्रा कर रहा है। किन्तु आप यह भी पायेंगे कि किसी व्यक्ति के पास होम्योपैथिक दवा भी है। वह आपकी सहायता करने के लिए आगे आयेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह व्यवहार एक मान्यता प्राप्त व्यवहार है। इस व्यवहार को सम्मान देना चाहिए। किन्तु कई मामलों में, यह होम्योपैथी उपचार करने के लिए प्रतिक्रिया करना और होम्योपैथी दवाओं का प्रयोग करना भारत के लोगों का स्वैच्छिक प्रयास है। किशोरावस्था के दिनों से ही, जब कभी हमें कोई दर्द होता था अथवा कोई अन्य समस्या होती थी, तबसे अपने दादा-दादी से हम, साहित्य का पूरा पाठ्यक्रम या तो अंग्रेजी अथवा उसके अक्षर सीखने से पहले से अर्निका, थूजा और पालसिटिला के नाम सुनते आये हैं। हम बहुत-सी दवायें सुनते आये हैं। प्रत्येक परिवार के बच्चे इसे चुराते रहे हैं, क्योंकि यह मीठी होती है।

अब मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के कहना चाहता हूं कि हम यहां इस संशोधन का समर्थन करते हैं। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। विधान का यह भाग, जो बहुत पहले 1974-76 में बनाया गया था और बाद में 1983 में इसकी समीक्षा की गई थी और अब 2002 में इस संशोधन के माध्यम से इसे समर्थन मिलना चाहिए। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। किन्तु आपको एक महत्वपूर्ण चीज समझनी होगी। 2002 में, हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस देश में एक बिलियन से अधिक जनसंख्या के रूप में जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। भारत सरकार और राज्य सरकारें आज तक भी दूरस्थ गांवों के बीमार लोगों का या तो होम्योपैथी अथवा एलौपैथी अथवा आयुर्वेद के माध्यम से अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित नहीं कर सकती है। कितने लोग अस्पताल जाते हैं? कितने लोग ओपीडी में जाते हैं? यदि आप संख्या लेते हैं, तो आप पायेंगे कि भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में, सहायक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक न होने के कारण नियमित रूप से कार्य नहीं करते हैं। मैं राज्य अथवा केन्द्र के विवाद में नहीं जा रहा हूं अथवा मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह राज्य का विषय है अथवा

राज्य सरकार उत्तरदायी है। वास्तविकता यह है कि गांवों में आधे लोगों को न्यूनतम सुविधायें भी नहीं मिलती और यहां तक कि वाह्य रोगी भी लाइनों में खड़े रहते हैं। सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों में वे होम्योपैथी के माध्यम से छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी सहायता प्राप्त नहीं कर पाते।

मैं आपको असंख्य उदाहरण दे सकता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि 1974 में हमारे राज्य में, जब हम सत्ता में थे, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था कि आकर लाइन में लगे लोगों की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायक स्वास्थ्य केन्द्र और ग्राम स्वास्थ्य केन्द्रों में यदि एलोपैथिक चिकित्सक उपलब्ध नहीं है तो कम से कम सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सक उपलब्ध कराया जाये। वह कार्य स्थायी नहीं रखा गया है। विशेष रूप से गांवों में होम्योपैथी चिकित्सकों की बहुतायत में आवश्यकता है, जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप बहुत से पुस्तकें पढ़कर बने निजी चिकित्सक, जिन्हें पंजीकृत चिकित्सक नहीं कहा जा सकता, खूब पनप रहे हैं। आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।

एक गांव में फुटबाल मैच खेलते समय चोट लगने से हमारे एक फुटबाल खिलाड़ी के टखने में अत्यधिक दर्द हुआ था। चूंकि उन्हें पास के स्वास्थ्य केन्द्र में नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि सड़क अच्छी नहीं थी, स्थानीय लोगों ने सुझाव दिया कि हम इन्हें एक व्यक्ति के पास ले जा सकते हैं, जो होम्योपैथी उपचार करेगा। वह एक नियमित व्यवसायिक चिकित्सक नहीं था। वह केवल होम्योपैथी की पुस्तकें पढ़ता और दवायें लिखकर देता था। उसने कुछ दवाई दी और कुछ ही घण्टों में, खिलाड़ी को दर्द से राहत मिल गई थी। उसके बाद वह नियमित चिकित्सक के पास गया। मैं ऐसे चिकित्सकों के ज्ञान को अनदेखा नहीं करना चाहता, जो विश्वविद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में नहीं गये, किन्तु जो इस तरह की सेवायें देने के लिए अपने-आप को समर्पित कर सकते हैं। इस देश में अपने खाली समय में होम्योपैथी की किताबें पढ़ना और दवायें सुझाना सेवानिवृत्त लोगों का शौक भी होता है।

इस विधि निर्माण से ऐसे चिकित्सकों, जो नियमित चिकित्सक नहीं हैं, द्वारा गलत प्रैक्टिस और गलत दवाई देने पर नियत्रण रख सकेगा। इस विधेयक का उद्देश्य सही है, किन्तु आपने 'व्यक्ति' शब्द को दो श्रेणियों में परिभाषित किया है। आपने कहा है कि कोई भी ट्रस्ट या विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना होम्योपैथी अथवा उच्च डिग्री पाठ्यक्रम के नाम पर मेडिकल कालेज स्थापित नहीं कर सकता है। यदि आपने केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों के संदर्भ में यह बात कही होती तो मैं इसे समझ सकता था परन्तु आप राज्यों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके नियंत्रणाधीन बनाए विश्वविद्यालयों की क्षमता को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आप उनसे होम्योपैथी के लिए नये संस्थान अथवा मेडिकल कालेज की स्थापना को न्यायोचित ठहराने के लिए कह रहे हैं, जिसके बाद आप इस संबंध में योजना की जांच करेंगे और संस्थान की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लेने के लिए समय लगायेंगे। मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं, किन्तु मेरे विचार से यह राज्य नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों के अधिकार का अतिक्रमण है, जो यदि एलोपैथी का मामला न हो, तो भी यह निर्णय करने के लिए सक्षम हैं कि किस होम्योपैथी संस्थान के राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत मान्यता दी जाए।

मेरी अगली बात खंड 12(ख) के बारे में है, जिसे कहा गया है कि खंड 12(क) के उपबंधों के तहत, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना स्थापित किसी चिकित्सा संस्थान द्वारा दी गई किसी चिकित्सा उपाधि को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्य चिकित्सा उपाधि नहीं माना जायेगा। अर्थात्, यदि किसी व्यक्ति ने 1973 के पूर्व बी.एम.एच. की डिग्री ली है, जबकि इस परिषद् की अवधारणा ही सर्वप्रथम बनाई गई थी, और वह चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है, तो उसकी डिग्री मान्य नहीं होगी। श्री शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल से भलीभांति परिचित हैं। एक डॉक्टर हैं जो नई दिल्ली में चितरंजन पार्क मे रहते हैं और कोलकाता में भी होमियोपैथिक एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में उनकी ख्याति है। उनका नाम है-डॉक्टर बैनर्जी। उनके क्लिनिक में हमेशा लम्बी लाइन होती है और उनसे समय लेना मुश्किल होता है। उन्होंने 1973 के बाद डिग्री नहीं ली है। उनके छात्रों ने भी 1973 के पूर्व ही होम्योपैथी की शिक्षा ली है। उन्होंने 1973 के पूर्व ही डिग्री ली है। क्या यह उपबंध यह कहता है कि अब भी उनकी उपाधि को अमान्य किया जा सकता है? माननीय मंत्री जी कृपया यह स्पष्ट करें। यदि आपका कहना यह है कि इस अधिनियम के आने के पूर्व विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त की गईं डिग्रियां तो मान्य होंगी, परन्तु इस अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात् ली गईं डिग्रियां प्रश्नसूचक होंगी, तो मुझे यह समझ तो आ रहा है किन्तु इससे यह संदेश जाता है बशर्ते कि मंत्रीजी द्वारा इसमें संशोधन कर दिया जाए-कि उन व्यक्तियों जो इस अधिनियम के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आते, की डिग्रियां और पंजीकरण निरस्त समझे जाएं। इस विचार से मुझे दहशत होती है।

हाल ही में मैंने एक पत्रिका में पढ़ा कि इन दिनों होम्योपैथी को एक अति-महत्वपूर्ण औषधोपचार-प्रणाली माना जाने लगा है और एड्स-विषाणुग्रस्त मरीजों के बीच तक यह लोकप्रिय हो रही है। पहली बार जब मैंने यह पढ़ा तो मैं हंसा, क्योंकि मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। कारण, एड्स-उपचार पर जितनी पत्रिकाएं मैंने पढ़ी, उनमें से किसी में होमियोपैथी का जिक्र नहीं था। पर

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

अब मुझे बताया गया कि होमियोपैथी में एड्स के मरीजों के उपचार की औषधि बनाने हेतु अनुसंधान-कार्य की तरफ भी अब काफी ध्यान दिया जा रहा है।

मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी को इसकी खबर है भी या नहीं। यदि उन्हें खबर हैं तो वे सभा को जानकारी दें। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एड्स पीड़ितों की संख्या वाला देश है और हमारे अभियान की क्षमता इतनी समर्थ तथा सशक्त नहीं हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे इस ओर अपनी परिषद् से बात करेंगे कि क्या होमियोपैथी के चिकित्सकों को एड्स संबंधी उनके अनुसंधान कार्य के प्रति प्रेरित, प्रशिक्षित और प्रस्थित किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश के लिए इस तरफ विचार करना बड़ा आवश्यक है। यदि आज हम इस क्षेत्र में विश्व में दूसरे सबसे बड़े देश हैं तो आगे हमारे लिए यह भारी खतरे की बात है, चूंकि हमारी जनसंख्या एक अरब पहले ही हो चुकी है।

अंत में, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यदि वे राज्य सरकारों से परामर्श करके इस तरह का एक अनिवार्य विधान बना सकें कि सभी सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों में केवल ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों में ही नहीं-अनिवार्यत: एक होमियोपैथिक डाक्टर हो और उसके पास सभी उपलब्ध होमियोपैथिक दवाएं हों, जो गरीब लोगों के लिए भी सस्ती हों। देश के हर केन्द्र में कम से कम ऐसी स्थिति बना दी जाए। लोग भले ही एलोपैथिक पद्धति के नुस्खे में लिखी एंटीबायोटिक दवाएं खरीदने की स्थिति न हों, लेकिन कम से कम वे होमियोपैथिक दवा की पुड़िया तो खरीद ही सकें, ऐसा कीजिए। यदि माननीय मंत्रीजी ऐसा कर सकें और उन क्षेत्रों की पहचान कर सकें-कम से कम संवेध क्षेत्रों की-तो मेरे विचार से यह हमारे देश की जनता के प्रति बड़ा न्याय होगा क्योंकि मैं होमियोपैथिक औषधियों, होमियोपैथिक उपचार, होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथिक चिकित्सकों की बहुत कद्र और सम्मान करता हूं। वे एलोपैथिक डॉक्टरों की तुलना में बहुत कम फीस लेते हैं। एक प्रकार से यह औषधियों के अच्छे ज्ञान सहित देश की गरीब जनता की मदद होगी।

मैं केवल एक बात के साथ ही इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि जहां दो-तीन ऐसे भी समर्पित व्यक्ति हैं जो डिग्री के बिना ही होमियोपैथिक औषधियों के माध्यम से जन सेवा कर रहे हैं, वहीं अनेक ऐसे धोखेबाज भी हैं जो इसका दुरुपयोग करके इसका अनर्थ भी कर रहे हैं। अत: इस पर नियंत्रण कीजिए, ऐसा विनियम आवश्यक है। इसी को ध्यानगत रखकर मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और अपने दल की ओर से माननीय मंत्रीजी को यह कहता हूं कि इस अनिवार्य व्यवस्था को राज्यों और केन्द्र में लागू करके डॉक्टरों की अनिवार्यत: नियुक्ति की जाए ताकि विश्वविद्यालय भी इस सदाशयता के साथ यह शिक्षा देने के लिए प्रेरित हों कि ये चिकित्सक भी सरकार के इस विधान की छत्रछाया तले समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर): सभापति महोदय, हम जिस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, वह चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक है। हम सभी जानते हैं कि भारत में कई चिकित्सा प्रणालियां हैं, जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है और होम्योपैथी है। इनके अलावा कई ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो औषधियों के आधार पर नहीं, साधन, उपकरण या कर्म के आधार पर चिकित्सा करती हैं। इनमें प्राकृतिक चिकित्सा है, एक्यूपेंचर है, एक्यूप्रैशर है। इन चिकित्सा प्रणालियों में दवा की आवश्यकता नहीं होती। आयुर्वेदिक, एलोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी में दवाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन इनमें भी होम्योपैथी को निरापद चिकित्सा पद्धति माना जाता है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में कई बार दवाओं का दूरगामी असर पड़ सकता है, साइड एफेक्ट भी सामने आते हैं और उसको रोकने के लिए फिर चिकित्सा करनी पड़ती है। हालांकि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में दवाओं का विपरीत प्रभाव बहुत ही कम है, लेकिन होम्योपैथी में बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए छोटे से छोटा और गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको अपना सकता है, क्योंकि यह सबसे सरल और सबसे सस्ती पद्धति है।

इस चिकित्सा पद्धति के बारे में अब तक जो स्थिति चल रही थी, उसको ठीक करने के लिए यह विधेयक संदन में लाया गया है। अब तक केन्द्रीय सरकार का या केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का कोई नियंत्रण नहीं था। राज्यों में राज्य होम्योपैथी परिषदें बनी हुई हैं। राज्यों में होम्योपैथी कालेज चल रहे हैं। कुछ ठीक ढंग से चल रहे हैं, लेकिन कुछ एक या दो कमरों में ही चल रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रारम्भ में जब चिकित्सा पद्धति के अंदर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई थी, तो अनुभव के आधार पर की गई थी। उसमें न तो कोई डिप्लोमा था और न ही डिग्री थी। आज ये दोनों हैं। लेकिन अनुभव के आधार पर जब रजिस्ट्रेशन किया गया तो उसमें ऐसे लोग भी आ गए जिनको सामान्य शारीरिक ज्ञान भी नहीं था।

ऐसे व्यक्ति आ गये जिन्हें आप 'झोलाछाप डॉक्टर' कह सकते हैं और जो चिकित्सा पद्धति के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। उनके कारण सारे चिकित्सा जगत पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि राज्यों की होम्योपैथी परिषदें भी थीं लेकिन वे इनको नियंत्रण करने में असमर्थ थीं। कॉलेज चल रहे हैं लेकिन कई ऐसे

हैं जहां उपकरण नहीं हैं, समुचित व्यवस्था नहीं है और पढ़ाने के लिए योग्य चिकित्सक नहीं हैं। इस दृष्टि से इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि आपको केन्द्रीय परिषद से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना केन्द्रीय परिषद की अनुमति से न तो आप कालेज प्रारम्भ कर सकते हैं, अनुमति के बाद भी कॉलेज आरंभ होने पर शिक्षण शुरू हेतु भी अनुमति जरूरी है। यहां तक कि चिकित्सा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद भी अगर प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए भी आपको केन्द्रीय परिषद की अनुमति लेनी आवश्यक है। बिना केन्द्रीय परिषद की अनुमति के यदि आपने प्रथम वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण आरम्भ कर दिया तो केन्द्रीय परिषद यदि चाहे तो उसको निरस्त कर सकती है और छात्र परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे तथा वे लाभार्थी नहीं हो सकेंगे। यह व्यवस्था की गई है।

इस विधेयक पर राज्य सभा में काफी विस्तार से चर्चा हुई है और कई माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया है जिसमें चिकित्सक भी थे और ऐसे लोग थे जिनको स्वत: चिकित्सा पद्धति का सहारा लेना पड़ा और वे लाभान्वित हुए। वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल श्री टी.एन. चतुर्वेदी हैं, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था और वे स्वयं भुक्तभोगी रहे थे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि मैंने स्वयं इस चिकित्सा पद्धति के कई लाभ लिये हैं। निरापद चिकित्सा पद्धति होने के कारण इसका अधिकाधिक लाभ मिला। इसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता है और जैसा कि इसकी व्यवस्था में प्रारम्भ में ही कहा गया है, मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि कुछ राज्य सरकारें शिक्षण और प्रशिक्षण के आधार पर सुख-सुविधाओं के लिए जोर दिये बिना नये होम्योपैथी महाविद्यालय खोले जाने का अनुमोदन स्वयं ही कर देती हैं जो उचित नहीं था और जिसे आज समाप्त कर दिया गया है। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां महाविद्यालयों को प्रथम वर्ष में तो अनुज्ञा दी जाती है, किन्तु पश्चातवर्ती वर्षों में अनुज्ञा दिये बिना ही प्रारंभ कर दिया जाता है। केन्द्र सरकार सब ठीक करना चाहती है। केन्द्र सरकार ने सुधारात्मक उपाय सुझाए हैं और इसके लिए उक्त विधेयक में होम्योपैथी में अध्ययन का नया पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है और महाविद्यालयों पर इस प्रकार की बाध्यता लाये जाने की व्यवस्था की गई है और इस दृष्टि से इसमें विभिन्न उपबन्ध किये गये हैं, वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।

आप जानते हैं कि आज चिकित्सा क्षेत्र में काफी परिवर्तन हो रहा है। हम यह भी जानते हैं कि आयुर्वेद ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हजारों वर्ष पहले सुश्रुत जिनको हम जानते हैं, उन्होंने शल्य चिकित्सा की थी और आज शल्य चिकित्सा का बहुत प्रभाव है और एलोपैथी शल्य चिकित्सा के कारण जिंदा है अन्यथा आयुर्वेद भी बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है तथा अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। आयुर्वेद में अश्वगंधा क्या है, शिलाजीत क्या है, बहेड़ा क्या है, इन पर नये-नये अनुसंधान हो रहे हैं और अनुसंधान होकर उनका पेटेण्ट हो रहा है, कुछ लोग अश्वगंधा का पेटेंट करवाने जा रहे हैं। हमने इसके बारे में कहा कि यह तो हमारी चीज है। इसका आप पेटेंट कैसे करेंगे? इस प्रकार विदेशों में भी खोज होने लगी है। इसी प्रकार होम्योपैथी में भी मदर टिंक्चर बनाया जाता है और उसके आधार पर जो शक्कर के ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसमें मदर टिंक्चर डालकर जितना जिसका विस्तार करना होता है, उसकी जितनी पोटेंशीज करनी होती है, जैसे 15 का, 20 का, 30 का, 50 का या 100 का या हजार का होता है, उसकी अलग-अलग पोटेंशीज बनाई जाती है और उसके आधार पर दवाई दी जाती है। अगर 200 की पोटेंशी की है तो हफ्ते में एक बार लेनी पड़ेगी। अगर कम की होती है तो उससे कम दिनों में और अगर ज्यादा हो तो एक महीने में, कम है, तो प्रतिदिन लेनी पड़ेगी और इस प्रकार चिकित्सा पद्धति की व्यावहारिकता है। एक बार विचार चला था कि क्या हम देश के अंदर कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति विकसित नहीं कर सकते हैं जिसको हम एकीकृत चिकित्सा पद्धति कह सकते हैं?

वर्षों पूर्व आपको स्मरण होगा कि आयुर्वेद और एलोपैथी को मिलाकर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स चला था और उसमें परीक्षाएं होती थी। वे बीआईएमएस होती थी-बैलचर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सर्जरी कहते थे और जो अब ए आई एम एस हो गया है। फिर बाद में अनुभव किया गया कि आयुर्वेद को पृथक रखा जाए और एलोपैथी को अलग रखा जाए। इनको अलग-अलग रखा जाए लेकिन मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और यहां माननीय मंत्री जी बैठे हैं कि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है लेकिन प्राय: देखा जाता है कि जिस पद्धति में रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, उस पद्धति में चिकित्सक काम नहीं करते हैं। होम्योपैथी में रजिस्टर्ड हैं लेकिन सुइयां एलोपैथी में लगा रहे हैं। कई ऐसे डॉक्टर हैं। जिनको उनका पूरा ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए मेरा निवेदन है कि जिस पद्धति में वे अपने को रजिस्टर्ड करें तो उसी पद्धति को अपनाएं या फिर इतनी छूट के लिए इसमें कोई व्यवस्था दे दें कि इन शैड्यूल की दवाइयों को व्यवहार में लाने का अधिकार होगा। फिर वे एलोपैथी में काम करें या आयुर्वेद में काम करें तो आयुर्वेद वालों को यह अधिकार होगा कि वे इतनी एलोपैथिक दवाइयां काम में ले सकते हैं जिनको निर्धारित किया जाये, आज कुछ राज्यों में यह व्यवस्था है।

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

अपराह्न 3.00 बजे

ऐसी होम्योपैथी के लिए भी होना चाहिए। शैड्युल बनाकर एक दूसरे को लाभ देना चाहिए। कुल मिलाकर वे चिकित्सा के जरिए रोगोपचार करना चाहते हैं। अगर रोगोपचार करना चाहते हैं, तो कम से कम खर्च में और जल्दी से जल्दी रोग कैसे समाप्त हो सकता है, उस दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। अमरीका और ब्रिटेन में चिकित्सा प्रणालियों के बारे में काफी चर्चा हुई है। मैं एक उद्धरण देना चाहता हूं-एकीकृत चिकित्सा एक नया शब्द है, जिसके अंतर्गत आधुनिक एलोपैथी चिकित्सा और विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं इसी तरह की अन्य प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का अनुकूल समन्वय किया जाता है। हालांकि इन पद्धतियों के विशेषज्ञ विगत में एक-दूसरे के आलोचक रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हवा का रुख बदला है और अब ये पद्धतियां रोगों का अधिक कारगर एवं किफायती उपचार उपलब्ध कराने के लिए एक दूसरे की सहयोगी बन रही हैं। जब एक दूसरे की सहयोगी बन रही हैं, तो इस विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। होम्योपैथी में भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद पर रिसर्च करने के लिए आप जोर दे रहे हैं। आयुर्वेद में कैंसर पर खोज हुई है और अच्छे परिणाम निकले हैं। इसके लिए चिकित्सक धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार मलेरिया के बारे में भी खोज हुई है। मलेरिया एक बार होकर फिर दोबारा हो जाता है। आयुर्वेद में इस पर खोज हुई है सफलता मिली है और होम्योपैथी में भी खोज करने की आवश्यकता है। यह खोज या अनुसंधान कलकत्ता के एक वैज्ञानिक, डा. महेन्द्र लाल सरकार ने प्रारम्भ की। वे वैज्ञानिक ही नहीं थे, अच्छे डाक्टर भी थे। उन्होंने कलकत्ता के अन्दर शोध प्रारम्भ किया था। आज होम्योपैथी में टिंचर के साथ मिश्रित पद्धति चल रही है, जैसे थूजा के साथ कोई समान गुणा दवा मिलाकर आर्सैनिक और आर्निका को मिला कर या ऐसे ही समानधर्मी दवा दी जाती है। तीन-चार दवाइयों को मिलाकर जिस प्रकार से आयुर्वेद में चलता है, जैसे एलोपैथी में चलता है, उसी आधार पर होम्योपैथी में भी चलने वाला है। यह मिश्रित पद्धति देखादेखी चल रही है। मैं चाहता हूं, अगर इस पद्धति को ठीक बनाए रखना है, तो निश्चित रूप से मदर-टिंचर पर जाना पड़ेगा, जो ज्यादा प्रभावी और लाभप्रद है। मिश्रण व्यवस्था उतनी लाभप्रद नहीं है।

महोदय, मैं बिल की अन्य धाराओं पर नहीं जाना चाहता हूं और न ही लम्बा भाषण देना चाहता हूं। लेकिन यह बात जरूर है कि कुछ मामले ऐसे हैं, जिनके बारे में, निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसा मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा, रजिस्ट्रेशन के बाद जांच जरूरी है कौन कैसा काम करता है, कौन कैसी दवाई देता है या कौन सी दवाई देनी चाहिए और इसके साथ ही महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम के बारे में केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। हर जगह एक ही तरह का पाठ्यक्रम हो और कालेज के अन्दर जब तक सुव्यवस्था न हो, जिस प्रकार से अन्य चिकित्सा महाविद्यालय या डैंटल कालेज हैं, जब तक महाविद्यालय की अनुमति नहीं होती, जब तक वहां जाकर परीक्षण नहीं कर ले, कालेज का स्टाफ कैसा है, बैठने की क्या व्यवस्था है और उपकरण हैं या नहीं, तब तक मैं समझता हूं कि अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैडकिल कालेजों के बारे में कहा जाता है कि बिहार में औसत दर्जे से नीचे हैं और यह स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है, वे निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस दिशा में मैं समझता हूं कि यह विधेयक कारगर सिद्ध होगा और आम आदमी के अच्छे स्वास्थ्य में भी सहायक सिद्ध होगा। होम्योपैथी पद्धति को जितना विकसित कर सकें, उतना अच्छा है। इसके साथ ही अन्य चिकित्सक पद्धतियों जैसे आयुर्वेद के बारे में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय में आयुर्वेद के लिए पृथक संचालनालय स्थापित करें। मैं समझता हूं कि सिन्हा जी के मंत्री बनने के बाद होम्योपैथी जगत में नई क्रांति आएगी और नया परिवर्तन होगा। जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं, उनका पालन होम्योपैथी में ठीक-ठीक करे। राज्य होम्योपैथी परिषद् पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। यूनिवर्सिटीज से मान्यता मिलना पर्याप्त नहीं है। इसमें आप केन्द्रीय व्यवस्था चाहते हैं, तो उस दृष्टि से कार्य करने की आवश्यकता है। यह विधेयक एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी सिद्ध होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): धन्यवाद, महोदय।

सर्वप्रथम, मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। स्वास्थ्य मंत्री के आज सभा में उपस्थित रहने पर मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उनकी व्यस्तता काफी अधिक है, अतः वे सभा में कभी-कभार ही दिखाई देते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि आज वे इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सभा में उपस्थित हैं। यह बिलकुल उचित है। यह एक और कारण है जिसके लिए भी मैं विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

आज के मायने में हमें जिस सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा, वह है वैश्वीकरण, उदारीकरण और अन्य आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप हो रहा शिक्षा का बाजारीकरण। यह बात भी उभरकर सामने आई है कि जब हम ऐसे मसलों पर ध्यान देंगे

तो हमें इस बाजारीकरण के प्रघटन पर काबू करना होगा। होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति से संबद्ध संस्थान जहां-जहां उभर रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि, यह भी प्राथमिक और नर्सरी स्कूल खोलने के व्यवसाय जैसा एक फायदेमंद धंधा बनता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि देश में दिन-ब-दिन कितने ही नर्सरी स्कूल खुल रहे हैं। एक शिशु को किंडरगार्टन स्कूल में शिक्षित करने के एक सत्र का वे लगभग 10,000 रुपया वसूल रहे हैं। सीधी-सी बात है कि इसी प्रकार आप देश के हर हिस्से में, हर कोने में होमियोपैथिक संस्थानों को भी फलता-फूलता पा सकते हैं। बिना किसी मान्यता या प्राधिकार के लोग दावा कर रहे हैं कि वे होमियोपैथी पढ़ा रहे हैं।

मैं तो होमियोपैथी में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं। मेरा इसमें विश्वास इस कारण है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। मैं लगभग चालीस सालों ही होमियोपैथिक दवा का सेवन कर रहा हूं। मुझे इनके किसी भी दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ा है। यदि मैंने एलोपैथिक दवाएं ली होतीं तो शायद मुझे अन्य कई असाध्य बीमारियों ने घेर लिया होता। होमियोपैथिक उपचार का यह परिणाम है। मैं अब एक वृद्ध व्यक्ति हूं। वृद्धावस्था के कारण भी मैं होमियोपैथिक दवा लेता हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इसे कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा।

इन होमियोपैथिक संस्थानों में पर्याप्त शिक्षण-सुविधाएं देखने को नहीं मिलती। कभी-कभी तो इनकी कक्षाएं पेड़ों के नीचे लगती हैं। कक्षाएं लगाने को भवन नहीं है, किन्तु दावा किया जाता है कि होमियोपैथिक संस्थान चलाया जा रहा है। शिक्षा दी जा रही है और डिप्लोमा या डिग्री दी जा रही है। उन निजी संस्थानों का यह दावा रहता है, जो होमियोपैथी की शिक्षा के नाम पर पैसा बना रहे हैं। हमें इस पर पूर्णविराम लगाना चाहिए। इस विधेयक से ऐसी स्थिति कायम करने में काफी मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार मंत्री जी ने फिल्म-जगत में योगदान किया है, वैसे ही इस तरफ भी करेंगे और भारत भर में फैल रहे इन अप्राधिकृत होमियोपैथिक शिक्षा संस्थानों पर नियंत्रण करने की पहल करेंगे। ऐसा सिर्फ होमियोपैथी के क्षेत्र में ही नहीं है, एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा कालेज भी देश भर में जहां-तहां खुल रहे हैं।

तीन-चार दशक पहले तक एक राज्य में एक या दो मेडिकल कॉलेज ही हुआ करते थे। अब हरेक राज्य में दर्जनों मेडिकल कॉलेज हैं। इन मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु प्रति छात्र 10 लाख रु. शुल्क स्वरूप और प्रवेश हेतु 15 लाख रु. तक लिये जाते हैं। ये भुगतान प्रवेश के तीन या चार वर्ष पहले ही कर दिया जाता है। बारहवीं पास छात्र-छात्राओं के अभिभावक 15 लाख रुपये देकर काफी पहले से ही प्रवेश के लिए आवेदन कर देते हैं।

यह खासा आकर्षक धंधा है। चाहे एलोपैथी से उपचार हो या होमियोपैथी से, उद्देश्य क्या है? मानवता की सेवा। लेकिन ऐसे में दोनों तरफ ही सेवा भावना खत्म हो जाती है। भावना केवल इतनी ही रहती है कि कैसे पैसा बनाया जाए या कैसे मुनाफा कमाया जाए। आज यह स्थिति बन गई है।

इस मामले में भी, राज्य सरकारें संभवत: राजनीतिक फायदे के लिए जाने या अनजाने में इन संस्थाओं को सहायता दे रही हैं। भले ही इनमें पर्याप्त छात्र-संख्या न हो, पर्याप्त सुविधाएं न हों या कोई आधार संरचना तक न हो; फिर भी राज्यों में इन होमियोपैथी मेडिकल कॉलेजों को काम शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। शिक्षा का स्तर इससे गिरा है। आखिर, वे होमियोपैथी छोड़कर कुछ और जो पढ़ा रहे हैं। होमियोपैथिक उपचार-प्रक्रिया सिखाने के लिए छोटी-छोटी शीशियों में दवा की जगह पानी भरा रहता है और कहा जाता है कि यह दवा है। किन्तु ऐसा रहता नहीं है। आज यही देखने को मिल रहा है।

अत:, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन मामलों में काफी सख्ती बरतें। हमें देखना होगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दें। कृपया आवेदन करने वाले सभी संस्थानों को सीधे मान्यता न दें। केवल तभी, जब वे कानूनी अपेक्षाओं पर खरे उतरें, तभी उन्हें मान्यता दी जाए।

एलोपैथिक मेडिकल-कॉलेजों के मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया जाए। इन कॉलेजों में भी आज प्रति छात्र शुल्क ही सब कुछ हो गया है। इनके पास उपचार की सुविधा नहीं है। मेडिकल कालेजगत अस्पताल नहीं है, भूमि तक नहीं है। लोग केवल एक एकड़ भूमि पर ही मेडिकल-कॉलेज शुरू कर देते हैं, जो बिलकुल अपर्याप्त होता है। इसके शिक्षा का स्तर कम हुआ है।

मैं आपसे इस पर भी ध्यान देने का अनुरोध करूंगा कि इसमें वाणिज्यीकरण की भावना न आए। यह सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। बेशक, जिन लोगों ने इस पर रकम खर्च की है, वे कुछ लाभ भी कमाएं; पर केवल यही एकमात्र मापदंड न हो। मैं आपसे पुन: अनुरोध करूंगा कि मान्यता प्रदान करने में आप काफी सख्ती बरतें और केवल तभी यह दी जाए जबकि सभी कानूनी बाध्यताएं पूरी होती हों।

मुझे आशा है कि फिल्म-जगत में अपनी व्यस्तता के बावजूद आप निश्चित ही इस बारे में कदम उठाएंगे और ध्यान देंगे कि सब कुछ सही दिशा में चले, खासकर मेडिकल-कॉलेजों को मान्यता देने के मामले में।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री, शत्रुघ्न सिन्हा जी द्वारा लाए गये होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संसोधन) विधेयक, 2002 का पुरजोर समर्थन करता हूं। वास्तव में जब से एनडीए की सरकार आई है तब से देशी चिकित्सा पद्धतियों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। चाहे वह आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो या और भी जो भिन्न-भिन्न भारतीय परिवेश में पद्धतियां हैं उनकी ओर इस सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है। पहले भारतीय चिकित्सा-पद्धतियों की ओर ध्यान न देकर केवल एलोपैथी की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। यह और भी विशेष प्रसन्नता का विषय है कि माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी के नेतृत्व में पहली बार होम्योपैथी का बिल लोक सभा में पास करने के लिए उपस्थित किया गया है। इसके लिए सिन्हा जी विशेष बधाई के पात्र हैं।

अपराह्न 3.13 बजे

[डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

मान्यवर, सभी जानते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अत्यधिक लोकप्रिय, सहज और सभी के लिए सुलभ चिकित्सा पद्धति है। इसमें निदान के लिए अचूक औषधियां हैं। मान्यवर, कबीर के शब्दों में मैं कहूं तो यही कह सकता हूं कि "तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी"। मैं अपने अनुभव से इस चिकित्सा-पद्धति के बारे में यह बात कह सकता हूं क्योंकि मैं भी इस चिकित्सा-पद्धति से लाभान्वित हुआ हूं। मुझे किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम आ गयी थी, जिसका इलाज होम्योपैथी दवा से हुआ और वह पथरी गल-गल कर निकल गयी।

केन्द्र सरकार अब होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक लाई है-यह वास्तव में सक्षम है। इस समय देश के अंदर 166 शिक्षण संस्थायें होम्योपैथी की हैं, जिनकी वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता 9930 विद्यार्थी है। इनमें 133 महाविद्यालय निजी क्षेत्र में हैं जिनके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं, पढ़ाने की कोई सुव्यवस्था नहीं। केन्द्रीय सरकार इस परिषद् के माध्यम से यह अधिकार प्राप्त करने के लिए कि बिना उनकी अनुमति के कोई इस प्रकार का होम्योपैथी चिकित्सालय न खोले, नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ न हो, प्रशिक्षण देने वाले लोग सक्षम हों, योग्यता से युक्त हों, सरकार यह प्रस्ताव लायी है। हमारी संस्कृति में कहा गया है-'सर्वे सन्तु निरामया' सब लोग रोगरहित हों। भारत सरकार का भी यही लक्ष्य है कि सब लोग स्वस्थ हों-शायद 2006 या 2010 तक का लक्ष्य है। एलोपैथी के लिए बजट प्राप्त हो या न हो लेकिन भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए ज्यादा बजट आवंटित किया जाये। भारतीय चिकित्सा पद्धति-आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के लिए ज्यादा अनुसंधान की सुविधा प्रदान की जाये और ग्रामीण स्तर पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र या स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जायें। यदि एलोपैथिक डाक्टर नहीं पहुंच सकता तो कम से कम होम्योपैथी या आयुर्वेदिक डाक्टर की सुविधा तो ग्रामीण स्तर पर पहुंच सकती है, तभी लोग अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं क्योंकि यह सस्ती और अचूक पद्धति है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा लाये गये इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा कि जर्मनी से स्टैंडर्ड की दवा आती थी जो अचूक हुआ करती थी लेकिन आज होम्योपैथी के नाम पर व्यावसायीकरण हो गया है। भारत के अंदर जहां कहीं भी होम्योपैथी औषधि का निर्माण होता है, उनका मानकीकरण, प्रमाणीकरण और उसकी विश्वसनीयता बनी रहे ताकि रोग के डॉयग्नोज होने के बाद रोगी को लाभ मिल सके और वह मौत के मुंह में जाने से बच सके। आपने मुझे बोलने का सुअवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय: आप सबको मालूम है कि इस बिल को साढ़े तीन बजे तक पारित करना है। इसलिए निवेदन है कि संक्षेप में अपनी बात रखें। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् बिल में संशोधन लाने का विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं नहीं जानता कि उनकी होम्योपैथी में क्या रुचि है, लेकिन स्वास्थ्य जन-जीवन के लिए बहुत ही महत्व का विषय है, खासकर जिस देश में गरीब लोग ज्यादा रहते हों, बीमारी से ज्यादा पीड़ित रहते हैं। एलोपैथी में सर्जरी का बहुत बड़ा महत्व है और उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता लेकिन आज दवायें और चिकित्सा इतनी महंगी हैं कि गरीब आदमी भगवान के भरोसे जीवित रहता है। ऐलोपैथी चिकित्सा के लायक उनकी हैसियत नहीं होती है और न उनकी आर्थिक क्षमता है। प्रधानमंत्री कोष से कुछ मदद मिल जाती है। माननीय मंत्री जी सासंदों को चिट्ठी लिख रहे हैं कि बजट साफ हो गया है, इसलिए कोई मदद नहीं दी जा सकती है। पहले मंत्री जी को लिखने पर गरीब को मदद मिल जाती थी लेकिन अब वह भी नहीं मिल रही है क्योंकि पैसा नहीं। इसलिए निगेटिव चिट्ठी दी जा रही है। अब गरीब का क्या होगा? वास्तव में होम्योपैथी चिकित्सा बहुत ही उपयोगी है। देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए होम्योपैथी दवा राम बाण के समान है। ऑपरेशन से नहीं, होम्योपैथी दवा से नहीं, अब अनेक अनुसंधानों के परिणाम आ रहे हैं कि एंटी-बॉयटिक बीमारी को खराब करती है, शरीर का नाश कर देती हैं और उसमें विष हो जाता है।

सभापति महोदय, हनीमैन साहब ने इसका अनुसंधान किया है। डा. केनटेक रोगी को आते ही पहचान जाते थे। यह पद्धति सस्ती और इलाज भी सस्ता है। इसलिए मंत्री जी बहुत अच्छा विधेयक लाये हैं। राज्यों में जैसे-तैसे होम्योपैथिक कालेज चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी यह विधेयक इसलिए लाये हैं ताकि उन पर इनका नियंत्रण हो लेकिन 'सूखला' नियंत्रण सही नहीं है। खाली सूखा नियंत्रण करना, सीधे मालिक बनना और उसमें हिसाब-किताब देखना ठीक नहीं है। उसे कुछ मदद के लिए भी ...*(व्यवधान)* बिहार में एन.सी. घोष एक डाक्टर हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): इसका अंग्रेजी और हिन्दी में कोई अनुवाद नहीं हो रहा है, हमें सुखले का मतलब समझ नहीं आया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सुखले नियंत्रण मतलब खाली नियंत्रण। पैसों का प्रावधान हमने इसमें देखा है, इसमें वित्तीय इंतजाम होता है। लेकिन इसमें पैसे का कुछ इंतजाम नहीं है। फिर सूखा नियंत्रण कैसे संभव हो सकेगा। हमारे यहां मुजफ्फरपुर में रायबहादुर तुनकी होम्योपैथिक कॉलेज है। एन.सी. घोष पटना में होम्योपैथी के बहुत बड़े डाक्टर थे और स्थानीय जिला लैवल पर होम्योपैथी के बड़े-बड़े मशहूर डाक्टर हैं। आपने सही कहा है कि इसमें भी अनुसंधान होना चाहिए और गरीब लोगों के लिए होम्योपैथी को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इसमें एक पद्धति वाला हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। कुछ बीमारियां आयुर्वेद से ठीक हो सकती हैं। एलोपैथी में कुछ रामबाण दवाएं हैं, जैसे लीवर के लिए लिव-52 है। एलोपैथी में इसके लिए और कोई दवाई नहीं है। आयुर्वेद में सारी जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए देशी चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ होम्योपैथी को भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है। लोग जैसे-तैसे कॉलेज खोल देते हैं लेकिन उनमें सुविधाएं और इंतजाम नहीं होते हैं। इसलिए उनमें पढ़ाई और प्रशिक्षण ठीक से हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसके लिए कुछ वित्तीय उपबंध भी करे। होम्योपैथी को प्रोत्साहन देने के लिए यह जरूरी है। चूंकि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए गरीबों के हक में होम्योपैथी की जो दवाएं और चिकित्सा सस्ती है, इस हेतु सरकार को इसे प्रमोट करने के लिए कुछ राशि का प्रबंध करना चाहिए। देशी चिकित्सा में सब जड़ी-बूटी वाली दवाइयां बनती हैं। लेकिन अब विदेशी लोग इन जड़ी-बूटियों को पेटेन्ट करा रहे हैं। हर्र, बहेड़ा, आंवला, चिरायता, नीम आदि का इनमें इस्तेमाल होता है। उन्हीं चीजों से होम्योपैथी भी मदर टिंचर बनाकर बीमारियों का इलाज कर रही है। इसलिए इसे प्रमोट करने के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे और साथ ही यह भी निवेदन करेंगे कि इसके लिए कुछ वित्तीय उपबंध भी होने चाहिए, जिससे देश में होम्योपैथी चिकित्सा, लोकोपयोगी और जनपयोगी हो सके और गरीब लोगों को सस्ती दवाएं मिल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया): सभापति महोदय, इस सप्ताह के आरम्भ से ही मैं इस विधेयक पर बोलने का इन्तजार कर रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसे आज अन्ततः लिया गया है। मेरे पास लम्बा-चौड़ा भाषण देने का समय नहीं है। अतः जहां तक चिकित्सा शास्त्र की इस शाखा की गुणवत्ता, आवश्यकता और मूल्य का प्रश्न है, मैं पहले के वक्ताओं से सहमत हूं। मैं कुछ विशिष्ट मुद्दे उठाना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने पर्दे पर बहुत-सी अच्छी चीजें की हैं, अब मैं चाहता हूं कि वे इसे वास्तविकता के धरातल पर भी करें।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। मैं यह देखना चाहूंगा कि यह उनके हाथों में साफ-सुथरा बन जाये। पहले ही कुछ माननीय सदस्यों ने स्पष्ट किया है कि केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के सभी सदस्यों के अपने महाविद्यालय हैं और महाविद्यालय अधिकांशतः अपेक्षित गुणवत्ता से नीचे हैं। वर्तमान चेयरमैन ने हाल ही में एक नया होम्योपैथी महाविद्यालय आरम्भ किया था। किन्तु वहां कोई अवसंरचना नहीं है। उप-चेयरमैन ने भी बिहार में एक महाविद्यालय खोला है, वो भी बिना अवसंरचना के। आप कृपया इन चीजों की जांच करें। जैसा कि प्रो. रासा सिंह रावत ने अभी-अभी उल्लेख किया है, अधिकतर 133 प्राइवेट महाविद्यालयों को संदिग्ध माध्यमों से स्वीकृति प्रदान की गई है। यही मेरा आरोप है।

वर्तमान चेयरमैन ने एक होम्योपैथी औषधि कारखाना स्थापित किया है और सभी होम्योपैथी अस्पताल, जो इन कारखानों से दवायें खरीदते हैं, वे ही इससे संबंधित हैं। मैं इसकी जांच चाहता हूं। ये सब चीजें हो रही हैं। चिकित्सा परिषद के मामले में भी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है और कई दोषी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाये गये हैं।

यहां भी मेरे विचार से होम्योपैथी परिषद में भ्रष्टाचार है। मैं मांग करता हूं कि इन सभी पहलुओं की सी.बी.आई. जांच की जानी चाहिए। आप विभाग और होम्योपैथी परिषद की मिलीभगत से नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं। आपने नियमों को परिवर्तित कर दिया है। पहले कुछ नियम थे और अब उन्होंने उन्हें परिवर्तित कर दिया है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा है कि एक होम्योपैथी महाविद्यालय, संस्थान अथवा अस्पताल, जो होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करना चाहता है तथा जिसके पास पूर्वस्नातक तक शिक्षा प्रदान करने की सुविधा नहीं है, के पास दैनिक परीक्षण

[श्री हन्नान मोल्लाह]

प्रक्रिया हेतु प्रयोगशाला सहित कम से कम 25 बिस्तर वाला अस्पताल होना चाहिए। यह केवल 25 बिस्तर वाला अस्पताल है। पहले यह नियम नहीं था।

तत्पश्चात्, वहां दोनों प्रावधान होने चाहिए, एक तो एम.डी. (होम्योपैथी) का तीन वर्ष के नियमित पाठ्यक्रम और केवल आठ वर्षों की सीमित अवधि के लिए दो वर्ष अवधि का बाह्य एम.डी. (होम्योपैथी) पाठ्यक्रम। पहले यह नियम था। अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। उन्होंने पुनः अवधि को घटा दिया है। यह सब मंत्रालय, होम्योपैथी परिषद और बेईमान चिकित्सकों, जो अच्छे चिकित्सक नहीं हैं, के सहयोग से हो रहा है।

आप जानते हैं कि कोलकाता होम्योपैथी की जन्मस्थली है, और वहां से वह अन्य स्थानों पर फैली है। किन्तु जब ये चीजें हो रही हैं, तो वहां इन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। इस संबंध में शिकायतें हैं, किन्तु उन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मुझे आशा है कि चूंकि आप यहां हैं, अतः आप इन शिकायतों को सुनेंगे और इस गन्दगी को साफ करने की कोशिश करेंगे।

मैं मांग करता हूं कि गत तीन वर्षों में स्थापित किये गये दोनों पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की सम्बद्धता के मामले सहित होम्योपैथी की केन्द्रीय परिषद की अनियमितताओं की जांच करने के लिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 30 और उप-धारा (1) के अंतर्गत एक जांच आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए।

दूसरा, घटिया पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर होम्योपैथी महाविद्यालयों को बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए।

तीसरा, मैं होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम डी (होम्योपैथी) संशोधन विनियमन, 2001 की धारा 9(3)(क) को हटाने की मांग करता हूं, ताकि कोई संगठन, जिसके पास न्यूनतम मानक विनियमन में यथानिर्धारित पूर्व स्नातक महाविद्यालय चलाने के लिए मूल अवसंरचना नहीं है एम डी (होम्योपैथी) पाठ्यक्रम चला सके।

चौथा, बाह्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-3, खंड-4, सं. 295 दिनांक 5 नवम्बर, 2001 के भाग-VI को हटाकर रोक दिया जाना चाहिए, जिसमें बाह्य पाठ्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है। ये कुछ मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान देने का मैं अनुरोध करूंगा। बाद में, आपको यह पता लगाने के लिए कि कहां गलत हो रहा है, कौन दोषी है, कौन इस व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, कौन इसको गलत बता रहे हैं, कौन बाजार में नकली दवायें ला रहा है, सीबीआई जांच भी करवानी पड़ेगी। ये सभी बातें हो रही हैं।

आपने हाल ही में कोलकाता का दौरा किया और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान देखा है। यह इस विचार से शुरू किया गया था कि यह देश में होम्योपैथी का विश्वविद्यालय अथवा एक अग्रणी संस्थान होगा। किन्तु वहां बहुत-सी समस्याएं हैं।

वहां 1993 से कोई नियमित निदेशक नहीं है। 1999 से कोई शासी निकाय नहीं है। पूर्व-स्नातक के न्यूनतम मानक के अनुसार शिक्षकों की संख्या केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद विनियमनों में निर्धारित संख्या से बहुत कम है। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद विनियमों के अनुसार पृथक पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर विभाग होने चाहिए। लेकिन, वे वहां नहीं हैं। शिक्षकों का वेतनमान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर से भी बहुत कम है, तथापि दोनों संस्थानों का स्तर समान है और दोनों एक-ही विभाग के अंतर्गत हैं। शिक्षक वर्ग हेतु कोई पदोन्नति नीति नहीं है।

ये वे मुद्दे हैं, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं आपको अलग से लिखूंगा, क्योंकि मैं सभी मुद्दों पर नहीं बोल सकता। मुझे आशा है कि आप होम्योपैथी क्षेत्र को भ्रष्टाचार जैसी चीजों से साफ करने का प्रयास करेंगे, जिससे समाज के निर्धन वर्ग की सेवा हो सकेगी क्योंकि प्रत्येक माननीय सदस्य ने भी यहां कहा है और यह रोगों का इलाज करने का माध्यम भी बन सकेगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः इस समय 3.30 बज रहे हैं। इस बिल पर केवल दो माननीय सदस्य एक-दो मिनट और बोलेंगे और फिर माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। जब तक यह बिल पारित हो जाए, तब तक के लिए हम प्राइवेट मैम्बर्स बिल का समय आगे बढ़ा देते हैं और जितना समय हम इस बिल पर लेंगे, उतना समय हम प्राइवेट मेम्बर्स बिल में बढ़ा देंगे।

क्या सदन की इस पर सहमति है?

अनेक माननीय सदस्यः हां, हां।

सभापति महोदयः जब तक यह बिल पारित हो, तब तक के लिए हम प्राइवेट मैम्बर्स बिल का समय आगे बढ़ाते हैं।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): धन्यवाद सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इतना महत्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए बधाई देती हूं, जो इस गरीब देश के लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं उन सभी माननीय सदस्यों के विचारों का समर्थन करती हूं, जो होम्योपैथी के विषय पर गहराई में गये थे। मैं केवल कुछ प्रश्न करना चाहूंगी। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्नों पर ध्यान देंगे, ताकि यह भारतीय चिकित्सा प्रणाली के मानक को विनियमित करने में उपयोगी हो सके।

1982 का शरीर रचना विज्ञान अधिनियम अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिनियम है, जो चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए मानवीय शरीर की संरचना को समझने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसके बिना चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी शरीर-विज्ञान और बाद में शरीर-विक्रिया विज्ञान को नहीं समय पायेंगे। यदि वे अपने जीवन-काल में यह समझ जाते हैं, तो चिकित्सा सेवाओं में गिरावट नहीं आयेगी।

दूसरा, अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों की तरह क्या सरकार महाविद्यालय आरम्भ होने से कम से कम तीन वर्ष पूर्व अस्पताल सुविधायें तथा प्रयोगशाला सुविधायें, जो मुद्दा कई माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया था, जुटाने के लिए कठोर कानून बनाने के लिए आगे आयेगी। उनके महाविद्यालय आरम्भ करने से पहले, उनके पास अवसंरचना, अपेक्षित बिस्तरे और अपेक्षित जीवन सुविधायें होनी चाहिए। तीसरा, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजटीय प्रावधान न्यूनतम से कहीं कम है। 1980 के दौरान, यह सकल घरेलू उत्पाद का 1.30 प्रतिशत था, किन्तु यह 0.8 प्रतिशत तक कम हो गया है। क्या सरकार बजटीय आबंटन में वृद्धि करने पर विचार करेगी। कृपया इस पर ध्यान दें।

होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान और विकास कार्य सन्तोषजनक नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि अच्छी किस्म के चिकित्सक बनायें। परन्तु अन्ततः बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को वाणिज्यिक कार्य पर ज्यादा ध्यान न देते हुए भारतीयों के लाभ हेतु अच्छी किस्म की दवायें उत्पादित करने के लिए आगे आना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय, ने होम्योपैथी सिस्टम को देश में एक नया स्टेटस दिलाने के लिए जो बिल पेश किया है, उसका मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बारे में मेरे केवल दो-तीन सुझाव हैं। देश में अभी लगभग 2 लाख डाक्टर्स होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अन-ऑफीश्यली इससे ज्यादा संख्या ऐसे डाक्टर्स की है जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस बुक नॉलेज के आधार पर करते हैं। चूंकि होम्योपैथी मैडीसिन का कोई साइड इफैक्ट नहीं है इसलिए किसी का नुकसान तो नहीं होता, लेकिन देश में जो नए होम्योपैथी मैडीकल कॉलेज खुलेंगे, वे इस बिल के माध्यम से उनमें एक तरह का पाठ्यक्रम होगा।

अभी किसी राज्य में कोई और किसी राज्य में कोई पाठ्यक्रम चलता है और इसी प्रकार से कहीं डिप्लोमा और कहीं डिग्री कोर्स चलता है जो किसी राज्य में दो वर्ष का है और किसी में चार वर्ष का। इस प्रकार से विभिन्न राज्यों में होम्योपैथी के कोर्सेस में भी भिन्नता है। इस बिल के पारित होने के बाद सारे देश में एक सा कोर्स हो जाएगा और सारे देश में एक ही प्रकार के होम्योपैथी के डाक्टर्स तैयार होंगे।

सभापति महोदय, दिन-ब-दिन देश में चिकित्सा विभाग का बजट कम होता जा रहा है। मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि प्रति वर्ष लगातार केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का बजट कम होता जा रहा है। इसका प्रभाव राज्यों के स्वास्थ्य विभागों पर भी पड़ रहा है। उन्हें भी उसी हिसाब से अपनी योजनाओं में व्यय कम करने पर विवश होना पड़ रहा है। आज देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अस्पतालों की बड़ी दयनीय दशा है। वहां कहीं उपयुक्त मात्रा में स्टाफ नहीं है, तो कहीं औषधियां नहीं हैं। यही स्थित देश में होम्योपैथी पद्धति से चिकित्सा उपलब्ध कराने की है।

आपने जिस प्रकार से संसद सौध में एलोपैथी के डाक्टर और चिकित्सा की तरह ही आयुर्वेद एवं होम्योपैथी के डॉक्टरों और चिकित्सा की व्यवस्था की है। यह बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूं कि उसी प्रकार से पूरे देश में होम्योपैथी के डाक्टर और औषधियां उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए।

चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जितने भी खासकर माननीय सदस्यों ने, काउंसिल के बारे में हमारे एक साथी ने कहा कि आपकी जो सैंट्रल काउंसिल है, इसमें काफी बड़े पैमाने पर करप्शन है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम्योपैथी काउंसिल के जो पदाधिकारी हैं या मैम्बर्स हैं, उनके किसी भी प्रकार के कालेज यदि बॉडी में हैं तो ऐसे लोगों को इस काउंसिल में नहीं लिया जाये।

अभी मेडिकल कालेज को एलोपैथी में देने का सैंट्रल काउंसिल का जो सिस्टम है, उसमें जिस तरह परमीशन दी जाती है, उसमें

[श्री नरेश पुगलिया]

बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। प्राइवेट मेडिकल कालेजेज में जिस प्रकार से डाक्टर्स को कैपीटेशन फी या लाखों रुपये की कीमत चुकानी पड़ती है, उस कारण चिकित्सा पद्धति का सारे देश में व्यापारीकरण हो रहा है। उसे मद्देनजर रखते हुए कम से कम होम्योपैथी में इसका व्यापारीकरण न हो, इसके लिए जागृति रखनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस नये बिल के अमैंडमैंट के बाद सारे देश में एक ही कोर्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे और आने वाले समय में सभी हास्पिटल्स में होम्योपैथी के डाक्टर्स की नियुक्ति करेंगे। मैं आपके इस बिल का समर्थन करता हूं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): सभापति महोदय, मैं इस बिल को समर्थन देने के लिए सदन के अपने तमाम वरिष्ठ सहयोगियों का आभार प्रकट करता हूं। कुछ मामलों पर हमारे माननीय सदस्यगण ने, हमारे सीनियर्स ने, हमारे विद्वान लोगों ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं या अपनी जो राय प्रकट की है, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा हमारे बहुत ही योग्य मित्र श्री प्रियरंजन दास मुंशी जी ने चिंता व्यक्त की कि इस बिल के जरिये कहीं स्टेट में या यूनिवर्सिटी के दाखिले में हम किसी किस्म का वर्चस्व या जोर तो पकड़ने नहीं जा रहे हैं। मेरा कहना है कि इसमें किसी किस्म का क्लैश नहीं है। विश्वविद्यालय की भूमिका संबंध न पर विचार करना है। स्टेट गवर्नमैंट लोकेशनली क्लीयरेंस देती है। यह यूनीवर्सिटी का जो रोल है, वह अधिनियम के संशोधन के बाद भी कन्टीन्यू रहेगा। इसमें इस प्रकार की चिंता ठीक नहीं है। एक बहुत ही बढ़िया सवाल इन्होंने उठाया कि जो लोग 1973 से पहले जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके बारे में आपकी क्या राय है? हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि स्टेट या सैंट्रल काऊंसिल के साथ जो रजिस्टर्ड थे, 1973 से पहले जो प्रैक्टिस कर रहे थे, आज भी वे लीगली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके इनेकटमैंट के बाद भी वे अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि संस्थान से अर्हता प्राप्त नहीं की है, तो 1973 के बाद कोई नया पंजीकरण नहीं होगा। जो इंस्टीट्यूशली क्वालीफाई नहीं करेंगे, उनको नया रजिस्ट्रेशन उसके बाद नहीं मिलेगा। जो पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, वे अभी भी कर सकते हैं। हमारा अभिप्राय यह है कि जिस तरह सब-स्टैंडर्ड और मशरूमिंग कालेज के बारे में हमारे कुछ लोगों ने बात उठायी और जैसा आपने कहा कि वहां कई जगह ऐसी हैं जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बिल्डिंग नहीं है, कहीं पेड़ है, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। जब बिल राज्य सभा में पारित हुआ और आज जब यह बिल आपके सामने आया है तब से यानी अप्रैल से लेकर आज तक इसमें बहुत बड़ा ग्रोथ आया है। शायद यह इसलिए क्योंकि यह खबर आ चुकी थी कि ऐसा हो रहा है इसलिए इससे पहले इसे कर लो। देश में 1999-2000 में 141 कालेज, 2000-01 में 160 कालेज और मार्च 2002 तक 166 कालेज हुए। इसी तरह मार्च 2002 से लेकर अगस्त 2002 तक ये बढ़कर 182 हो गये। यकीनन इन्हीं बातों की रोकथाम के लिए यह बिल लाया गया है। एक सब-स्टैन्डर्ड मशरूमियत हो रही है जिसमें ल्यूक्रेटिव बिजनैस का जिक्र किया गया है। यकीनन इसमें पैसा इन्वॉल्वड है, कामर्स इन्वॉल्वड है। बहुत सारे लोग इसकी हरकत कर रहे हैं।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं श्री दासमुंशी की बात का जवाब दे रहा था। उन्होंने बहुत विस्तारपूर्वक बात की। मैं उनकी कद्र करता हूं, उनका आदर करता हूं। मैंने उनके विचारों को बहुत गौर से सुना इसलिए उस पर रिस्पौंड किया।

पांडेय जी ने कहा कि इंडियन सिस्टम ऑफ मैडीसन का एक अलग डिपार्टमैंट होना चाहिए। उसका पहले से ही एक डिपार्टमैंट है जो बढ़िया काम कर रहा है और जिसमें आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, योगा, नैचुरोपैथी और होम्योपैथी है। आयुर्वेद का एक बहुत मजबूत सिस्टम है, बहुत प्रभावशाली सिस्टम है। इसलिए इंडियन सिस्टम ऑफ मैडीसन में इसका प्रभावशाली इफैक्ट है।

बजट और पी.जी. कोर्स की बात की गई। यहां आई.एस.एम.एच. का पी.जी. कोर्स शार्ट ड्यूरेशन का भी है जो जल्द ही शुरू होने वाला है।

[अनुवाद]

आधुनिक चिकित्सा विद्यार्थियों को आई.एस.एम.एच. की खूबियों के बारे में जागरूक कराया जायेगा। यह भी होने वाला है।

मैं वास्तव में इस विधेयक का समर्थन करने के लिए श्री वरकला राधाकृष्णन का आभारी हूं। मैं अत्यन्त संक्षेप में उन कुछ मुद्दों का जवाब देना चाहूंगा, जो आप लोगों ने वाद-विवाद के दौरान उठाये थे।

महोदय, मैं प्रो. रासा सिंह रावत को जानकारी देना चाहूंगा कि हमने वर्ष 2002-03 में पहले ही 150 करोड़ रुपये नहीं दिये हैं। दसवीं योजना में हमने 775 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जहां बजट बढ़ाने की बात है, टैन्थ प्लान में हमारा बजट काफी बढ़ा है, 150 करोड़ रुपये से 775 करोड़ रुपये हो चुका है।

हन्नान मोल्लाह जी, मैं खुद कोलकाता इंस्टीट्यूट गया था। आपको खुशी होगी, इस बात का शायद कुछ लोगों को पता नहीं है कि हमने ऑलरेडी गवर्निंग बॉडी कौन्स्टीट्यूट कर दी है। कोलकाता का इन्स्टीट्यूट पूरे देश में बैस्ट इन्स्टीट्यूट है। बार-बार खबर आती है कि वहां के डायरैक्टर ऐलोपैथी के डाक्टर हैं, वहां होम्योपैथी के प्रिंसिपल नहीं हैं, डायरैक्टर नहीं हैं। मैं बताना

चाहूंगा कि वे ऑफिशिएट कर रहे हैं। हमने एक सज्जन को लिया था, श्री दासमुंशी जी को पता होगा, बंगाल के लोगों को खास पता है कि पहले जो डायरैक्टर लिए थे, उन पर किसी किस्म की सी.बी.आई. इंक्वायरी आ गई थी। जब सी.बी.आई. इंक्वारी आ गई तो कहानी वहीं खत्म हो गई। दूसरे दो लोग, जो वहीं के थे, उन्होंने चार्ज ले लिया है। अब डायरैक्टर साहब को चार्ज दिया हुआ है जो ऑफीशिएट कर रहे हैं। इन द मीनटाइम पोस्ट एडवर्टाइज कर दी है और बहुत जल्द उसे भर दिया जायेगा। बाकी सब बातें हम आपस में कर लेंगे। समय ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): इन्होंने बहुत बुनियादी सवाल उठाया था कि जो लोग होम्योपैथी बोर्ड के सदस्य हैं, वे अपने नाम पर कालेज खोल रहे हैं और उसमें करप्शन करवाते हैं।

सभापति महोदय: मैं परमीशन नहीं दे रहा हूं।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: आपकी बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे, मुझे उसकी चिन्ता है। मैं खुद वहां होकर आया हूं और मैं आपको सैटिसफाई करूंगा।

श्री रघुनाथ झा: सैण्ट्रल होम्योपैथी काउंसिल की भी जांच होनी चाहिए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: हम उसे देख रहे हैं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे ढंग से लेकर आएंगे। मैं आप तमाम लोगों का आभार प्रकट करते हुए, सभापति महोदय, आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बिल को पास किया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है-

"कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ करेगी। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.49 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुर:स्थापित*

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 25क का अन्त:स्थापन)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.11.2002 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.49½ बजे

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 16 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.50 बजे

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 124 और 216 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.11.2002 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.50½ बजे

(चार) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 304, आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.51 बजे

(पांच) अत्यधिक पिछड़े वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व) विधेयक*

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य के अधीन सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में अत्यधिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राज्य के अधीन सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में अत्यधिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.11.2002 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.52 बजे

(छह) अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनतम संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक—*वापस लिया गया*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, हम डा. वी. सरोजा द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर और आगे विचार करने के लिए मद सं. 29 को लेंगे।

श्री रामदास आठवले अपने स्थान पर खड़े होकर बोल रहे थे। वे उपस्थित नहीं हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): महोदय, चूंकि माननीय मंत्री महोदय यहां हैं, मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

एच.आई.वी. को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्व दिया जाता है इस संबंध में जिस प्रकार सतर्कता बरती जाती है तथा जो विशेष दर्जा इसे प्रदान किया जाता है उसे देखते हुए सरकार ने देश में इस रोग की गंभीर स्थिति को उस तरह से नहीं लिया है। जबकि सभी ग्लोब टॉटरिंग विदेशी हमारे देश में आकर हमें बताते हैं कि भारत में यह प्रतिशत हमारी जनसंख्या और हमारे देश में रह रहे लोगों की संख्या के कारण इतना अधिक है, वास्तविकता यह है कि सरकार ने सामूहिक रूप से इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है।

उदाहरण के लिए, हमारे विभिन्न जिलों में हो रहे देह व्यापार और अन्य जोखिमों तथा सूखे, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं ने महिलाओं को साधनहीन बना दिया है जिसके परिणामस्वरूप महिलाएं असुरक्षित यौन संबंधों के लिए मजबूर हो गई है। इस कारण से वे महिलाएं अधिकाधिक आरक्षित हो रही हैं, जो एचआईवी-एड्स से अधिक प्रभावित हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण अलाभ की स्थिति है जो प्रकृति और बायोलॉजी ने हमारे समक्ष उत्पन्न की है। परंतु वास्तविकता यह है कि ये महिलाएं हमारे समुदायों का पोषण करती हैं। यदि आप दसवीं योजना पर नजर डालें तो पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण जिलों में किसी भी प्रकार की देखभाल या उपचारात्मक कार्रवाई के लिए कोई बजट आवंटन नहीं किया गया है। इसके फलस्वरूप एचआईवी पॉजीटिव वाले ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने जा रही है जो दवाइयां लेते रहने के बावजूद स्वस्थ नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम महंगी दवाइयों की व्यवस्था नहीं कर सकते। इसके फलस्वरूप गरीब लोग अधिक प्रभावित हो रहे हैं और ज्यादातर लोग इस रोग की जांच नहीं करा पाते हैं। परंतु परिवारों को उस तरह का परामर्श नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उन लोगों को सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित कर सकें जिनकी बीमारी लाइलाज हो गई है। इसके अलावा, जिला मुख्यालयों, जिला परिषदों में चल केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, आईसीडीएस लोगों को जानकारी एकत्र करने और इन एचआईवी संक्रमित लोगों की देखभाल करने से संबंधित एचआईवी अभियान में शामिल किया जाना चाहिए।

दुर्भाग्यवश, इस प्रकार की देखभाल पर बल नहीं दिया गया है। इसके अलावा, महानगरीय क्षेत्रों में आने वाले ग्रामीण युवाओं का अनुपातहीन प्रव्रजन हुआ है जिसके कारण वहां की अवसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परंतु गांवों में बड़ी उम्र के लोग रह गए हैं जो उन बीमार युवाओं की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं जिन्हें घर वापस भेज दिया जाता है। उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें अपशब्द कहा जाता है और उनकी देखभाल नहीं की जाती है।

अत:, इसके परिणामस्वरूप हमने व्यापक रूप से ऐसे लोगों की उपेक्षा की है जिन्हें चिकित्सा संबंधी देखभाल की आवश्यकता है और उस तक उनकी पहुंच नहीं है। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में उन पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि वहां पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नहीं जाते हैं और काफी डॉक्टर वहां कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि किसी डॉक्टर और उसके परिवार के लिए जरूरी अन्य अवसंरचना वहां नहीं हैं।

डा. सरोजा का विधेयक वास्तव में एक बहुत अच्छा विधेयक है। उन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है और एचआईवी एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सामाजिक सहायता और पुनर्वास के बारे में बात की है। ऐसे मामलों में, ड्वाकरा (डी डब्ल्यू ए सी आर ए) स्व-सहायता समूहों का संसाधन केन्द्रों के रूप में उपयोग नहीं किया गया है। यदि आपको एचआईवी है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि आपका निधन होने वाला है। यह एक संक्रामक बीमारी नहीं है, यह छूने से नहीं फैलता है। इस तरह की जागरूकता ऐसे कम संपन्न क्षेत्रों में नहीं फैलायी गई है जहां की महिलाएं इस रोग से ग्रसित किसी दूसरी महिलाओं के पास जाकर अपनी आजीविका कमाने के बारे में बता सकती हैं।

अब, आंध्र प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय ने एक युगांतरकारी आदेश में पूरी न्यायिक समझ और अच्छी भावना के साथ निर्णय दिया जिसमें कहा गया कि राज्य अब एचआईवी संक्रमित लोगों की देखभाल करेगा, हालांकि उसे गलत तरीके से लागू किया गया था। लोगों के एक बड़े समूह को पृथक कर दिया गया। पर्याप्त सावधानी सुनिश्चित की जानी चाहिए कि जब रोजगार और अन्य मुद्दों के संबंध में भेद-भाव हो, तब इसे अन्य न्यायालयों में पूर्वोदाहरण के रूप में कभी उद्धृत न किया जाए। अब, इसे संभव बनाने के लिए जिला कलैक्टरों, पंचायतों और मंडल स्तर के

[श्रीमती रेणूका चौधरी]

कार्यालयों में जानकारी भेजी जाए। जहां समूह में लोगों को बुलाकर उन्हें एचआईवी एड्स के बारे में जानकारी और शिक्षा दी जा सके। होम केयर सेंटर के लिए अवसंरचना स्थापित करनी होगी। अब भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए तथा आगामी दसवीं योजना में यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो, बजट आवंटन करना चाहिए। अन्यथा, सरकारी अस्पतालों में, जो पहले ही भरे हुए हैं, अनुपातहीन रूप से मरीजों की संख्या बढ़ने जा रही है।

अब, मैं संसद में अपनी सभी सम्मानित सहयोगियों से एक जोशपूर्ण आग्रह करती हूं। हम सभी लोग सरकारी अस्पतालों में जाते हैं और शिकायत करते हुए बात करते हैं। कम्बलों की अपर्याप्त संख्या तथा फटी हुई चादरों की शिकायत करते हैं। कोई भी व्यक्ति यह महसूस नहीं करता है कि इन सरकारी अस्पतालों में कतिपय अवसंरचना की व्यवस्था कर कतिपय लोगों को इलाज की सुविधाएं दी गई हैं और इतना कार्य हुआ है। इसके स्थान पर, इन अस्पतालों का जिस क्षमता के लिए निर्माण किया गया है, वहां उससे दस गुणा और कभी-कभी 40 गुणा कार्य हो रहा है। इसके बावजूद, इन अस्पतालों में 'हाउसफुल' का बोर्ड लगाकर कभी किसी व्यक्ति को वापस नहीं भेजा गया। वहां कुछ कम स्तर की देखभाल हो सकती है किन्तु कम से कम किसी अवस्था में कोई नागरिक कुछ चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकता है।

यदि हम वास्तव में एचआईवी की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो विभिन्न स्तरों पर ऐसे संक्रमित लोगों का जमावड़ा हो जाएगा क्योंकि समयानुवर्ती बीमारी आ चुकी है। अत:, निरंतर कोई एचआईवी संक्रमित व्यक्ति, जिसके पास धन न हो, वह लगातार त्वचा की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, हड्डी की बीमारी और तपेदिक जो ठीक न हो रही हो, की स्थिति में आपके पास आएगा। ये सभी जटिलताएं आती हैं और पहले से ही बोझ से दबी अवसंरचना पर और अधिक दबाव डालती हैं। इस प्रकार, इसे सरकारी अस्पतालों से वापस लेकर होम केयर में डालना, गांवों में देखभाल करना, वहां गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए केन्द्र खोलना और इन लोगों तक हमारा पहुंचना सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। हमारे यहां प्रसवपूर्व देखभाल के लिए अनेक केन्द्र हैं जहां माताएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं। दुर्भाग्यवश, हमारे यहां ऐसी मान्यता है कि मां का दूध सबसे अधिक सुरक्षित है। एचआईवी ऐसा गंदा विषाणु है जो प्लेसेंटा क्या दरअसल भ्रूण (फोइटस) तक पहुंच जाता है। कभी-कभी भ्रूण (एम्ब्रियो) सुरक्षित होता है। एचआईवी विषाणु से संक्रमित माताएं स्तनपान कराएं तो यह बच्चों में भी पहुंच जाता है। इस संबंध में और अधिक जागरूकता लाने की आवश्यकता है ताकि लोग अपने आप जांच कराएं जोकि अंतरराष्ट्रीय मानदंड हैं। हम स्वैच्छिक जांच नहीं होने दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण मांगता हूं। मेरे समय में स्वास्थ्य मंत्रालय में चार अंक का एक टेलीफोन नंबर शुरू किया गया था।

इस नंबर पर लोगों को एकांत में जानकारी मिलेगी। अब आप सभी राज्य सरकारों से जोर देकर कहें कि वे चार अंकों के इस नंबर को शुरू करें और यह टेलीफोन डायरेक्टरी में छपना चाहिए। आपातकालीन नंबर-100, अग्निशमन और पुलिस के नंबर के साथ-साथ एचआईवी एक्सेस नंबर भी छपना चाहिए। कोई भी गैरसरकारी संगठन आगे आ जायेगा और इसे सफलतापूर्वक चलाएगा। लोगों को आज भी जानकारी नहीं है।

मैं सरकार को डमी टेस्ट कराने की भी सलाह देती हूं। हमने ऐसा किया था। हमने समाचार पत्र में एक विज्ञापन छपवाया है जिसमें हमने कहा है कि लड़का विदेश में रह चुका है और एचआईवी पोजीटिव है। हमें ऐसे माता-पिताओं से उत्तर मिले जो अपनी लड़कियों की शादी करना चाहते थे। उन्होंने समझा होगा कि 'एचआईवी पोजीटिव' कोई अंतरराष्ट्रीय डिग्री है। इस प्रकार, आज भी लोगों को इतनी गलत जानकारी और भ्रांतियां हैं।

माननीय मंत्रीजी को अंग-दान की भी जांच करनी चाहिए। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक स्थापना की गई है। अंग स्वीकार करने में एचआईवी एक बड़ी बाधा बनेगा। इसलिए हमें भविष्य की सोचनी चाहिए ताकि हमारे पास ये रोधक उपाय हों-सकारात्मक और रोकथाम संबंधी रोधक उपाय ताकि हमारे पास सफल अंगदान कार्यक्रम हो।

नि:संदेह, राजनेताओं से हृदय दान करने के लिए कोई नहीं कहेगा क्योंकि उन्हें हृदयविहीन माना जाता है ...*(व्यवधान)* किंतु मैं प्रार्थना करती हूं कि माननीय सदस्य आगे आएं और उदाहरण प्रस्तुत करें। एक उदाहरण हम यहां प्रस्तुत कर सकते हैं। संसद में एचआईवी जांच केन्द्र होना चाहिए जहां हम एकांत में जांच कर सकते हैं। सिर्फ एक नंबर दिया जाता है और खून लिया जाता है और रिपोर्ट दी जाती है। हमें इसे प्रोत्साहन देना चाहिए। संसद सिर्फ संसद सदस्यों का नहीं है बल्कि यहां हजारों कर्मचारी भी हैं। यदि हम उदाहरण प्रस्तुत न करें तो कोई नहीं करेगा। हो सकता है किसी की पत्नी आपका धन्यवाद करे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): सभापति महोदय, मैं सामान्यतया सभी संसद सदस्यों की और विशेषत: श्रीमती रेणूका चौधरी और डा. वी. सरोजा, जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, की बात का जवाब दे रहा हूं।

माननीय संसद सदस्य डा. वी. सरोजा द्वारा प्रस्तुत "अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक, 2000" नामक

गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक की भावना की बहुत प्रशंसा हुई है क्योंकि मूलत: इसका आशय देश में एचआईवी/एड्स फैलने से रोकना और उस पर नियंत्रण करना है।

इस विधेयक में अनेक ऐसे उपबंध हैं जिनमें देश में एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों की गणना करने, प्रसपूर्व एचआईवी टेस्ट, रुधिर सुरक्षा, शत प्रतिशत कंडोम प्रयोग और निगरानी केन्द्र स्थापित करने के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनरों से कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि प्रवेश के समय कॉलेज के छात्रों/छात्राओं की तथा लाइसेंस जारी करने समय या नवीकरण करते समय ट्रक ड्राइवरों और भारी वाहनों के ड्राइवरों की एचआईवी जांच अनिवार्य रूप से की जाए। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि सभी राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रत्येक प्रसूति गृह या अस्पताल में प्रत्येक गर्भवती महिला की एचआईवी/एड्स जांच की जानी चाहिए।

एचआईवी एक लम्बे समय से चला आ रहा संक्रमण होता है। एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति में उसकी प्रतिरोधक स्थिति पर निर्भर करते हुए 5-7 वर्ष तक भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ सकते। इस अवधि में हो सकता है कि उसमें कोई लक्षण दिखाई न पड़ें किंतु जिन तरीकों से एचआईवी फैलता है उन तरीकों से वह अन्य लोगों में संक्रमण फैला सकता है। एक 'विंडो पीरियड' भी होता है। जो 12-14 सप्ताह का हो सकता है। इस अवधि में, हो सकता है कि व्यक्ति के शरीर में विषाणु हों किंतु एंटीबोडी टेस्ट में उसका पता न चल सके। अधिकांशतया किसी व्यक्ति के आचरण से एचआईवी संक्रमण का संबंध होता है और इसलिए, जो व्यक्ति शुरू में सीरो निगेटिव हो, हो सकता है इस अवधि में अधिक जोखिमपूर्ण आचरण के कारण, बाद में किए गए परीक्षणों में वह सीरो पोजीटिव निकले। इस प्रकार, गैरसरकारी सदस्य के विधेयक में सुझाए गए एचआईवी संक्रमित लोगों की गणना, गर्भवती महिलाओं, कालेजों के छात्र/छात्राओं, यौन कर्मकारों की अनिवार्य जांच के उपबंधों से वैज्ञानिक दृष्टि से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

देश में एचआईवी महामारी फैलने की गति की निगरानी के लिए भारत सरकार ने 384 सेंटीनल निगरानी स्थलों की स्थापना की है जिनमें अधिक जोखिम वाले दोनों समूह शामिल हैं जो यौन संचारी रोग क्लीनिकों और गर्भवती महिलाओं जैसी कम जोखिम वाली जनसंख्या को देखते हैं। सेंटीनल निगरानी सर्वेक्षण अगस्त से अक्तूबर के दौरान हर वर्ष किया जाता है जिसमें प्रसवपूर्व उपचार क्लीनिकों, ड्रग डिएडिक्शन केन्द्रों, यौन संचारी क्लीनिकों इत्यादि नामित सेंटीनल स्थलों को कवर किया जाता है। राज्यवार आंकड़ों का विश्लेषण करके अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एच.आई.वी. संक्रमण के रुझान का पता लगाया जाता है। भारत सरकार ने समाज के अधिक प्रभावी वर्गों के लिए जैसे पेशेवर यौन कर्मकार, ट्रक वाले, बाहर से आए कर्मकार और सूई से ड्रग लेने वाले इत्यादि, पहले से कार्यक्रम चला रखे हैं। गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से सेवाओं का व्यापक पैकेज दिया जाता है जिसमें पीयर शिक्षा परामर्श, यौन संचारी रोगों की जांच और उपचार तथा कॉन्डोम के प्रयोग को बढ़ावा देना शामिल है। हमारा उद्देश्य देश में पेशेवर सैक्स वर्करों और अधिक जोखिम वाले वर्गों के बीच 90 प्रतिशत से अधिक कॉन्डोम के प्रयोग का लक्ष्य प्राप्त करना है। वर्तमान में, देश में गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से 700 से अधिक टार्गेटिड इंटरवेंशन परियोजनाएं चल रही हैं।

जहां तक रुधिर सुरक्षा का संबंध है, भारत सरकार ने देश के सभी रक्त बैंकों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और नर्सिंग होमों में व्यावसायिक रक्तदान पर रोक लगा रखी है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने मौजूदा ड्रग्स एंड कोस्मेटिक्स एक्ट के अधीन रक्त की प्रत्येक यूनिट पर पांच रक्त संचारी संक्रमणों अर्थात एच.आई.वी., हेपेटाइटिस-बी, हेपेटाइटिस-सी, सिफलिस और मलेरिया की जांच आवश्यक कर दी है। अंगदान के बारे में भी ऐसे ही उपबंध किये गए हैं।

जिन लोगों के एच.आई.वी. से संक्रमित होने का संदेह हो उनकी जांच आवश्यक रूप से कराने के मुद्दे पर देश में सक्रिय चर्चा हुई है। इस मुद्दे पर बहुत विचार हुआ है। सरकार का मानना है कि एच.आई.वी./एड्स के लिए व्यक्तियों की जांच अनिवार्य रूप से कराना तार्किक नहीं है। ऐसा दृष्टिकोण दुष्प्रभावी हो सकता है क्योंकि इससे अनेक लोगों को पता लग जाने और इलाज कराने का डर हो सकता है। परीक्षण से पूर्व और परीक्षण के बाद समुचित परामर्श देते हुए स्वैच्छिक आधार पर किया गया एच.आई.वी. परीक्षण अच्छी रणनीति समझा गया है। एच.आई.वी. परीक्षण के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शी सिद्धांत भी ऐसे ही हैं।

स्वैच्छिक परामर्श, जांच और जांच एच.आई.वी., संक्रमण के निदान के लिए सरकार ने देश में मेडीकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में 300 से अधिक केन्द्रों की स्थापना की है। हमारा उद्देश्य दो-तीन वर्ष में चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जिला अस्पताल में ऐसे केन्द्र की स्थापना करने का है।

एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित लोगों की देखभाल और सहायता के लिए भारत सरकार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को भी अवसरों पर हुए संक्रमणों के नि:शुल्क प्रबंधन के लिए सरकारी अस्पतालों में धन उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, ऐसे मरीजों की देखभाल और सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम

[श्री शत्रुघ्न सिन्हा]

से 26 समुदाय देखभाल केन्द्रों की स्थापना की गई है। एच.आई.वी./एड्स रोगियों के इलाज से जुड़े हुए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वभौमिक सुरक्षा संबंधी व्यापक मार्गनिर्देश दे दिए गए हैं। एच.आई.वी./एड्स रोगियों का इलाज करने के दौरान दुर्घटनावश सुई, सिरिंज से या कट जाने पर स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए 'पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस' के लिए सरकारी अस्पतालों को एंटीरिट्रोवियल ड्रग्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भारत सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को भी ऐसी औषधियां बनाने में अनुसंधान करने को भी प्रोत्साहन देती है जो इस पद्धति में उपलब्ध औषधियों की 'इम्यूनो मोड्यूलेटरी' भूमिका का आकलन करे।

भारत सरकार एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न मीडिया तंत्रों का उपयोग कर रही है। सरकार ने परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी शुरू किया है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य-केन्द्रों और प्राथमिक रेफेरल स्वास्थ्य इकाइयों के नेटवर्क के जरिए प्रजननगत संक्रमण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना लक्षित है। युवावर्ग को एच.आई.वी./एड्स और अन्य यौन-संचारी संक्रमणों के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार ने 'स्कूल एड्स शिक्षा' कार्यक्रम शुरू किया है जिसका लक्ष्य है-शिक्षा विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से तीन से चार वर्ष में सभी माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उक्त जानकारी देना।

एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिहाज से सरकार ने समाज के प्रभावशाली वर्ग के व्यक्तियों, जैसे संसद सदस्य, राज्य विधान सभा के सदस्य, नगर निगमों के सदस्य, पंचायत-सदस्य, धार्मिक नेता आदि को भी सम्मिलित किया है। सरकार ने रेल, रक्षा, खेल एवं युवा कार्य, श्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल विकास आदि मंत्रालयों/विभागों को भी उनके क्षेत्रों में एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम व नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सम्मिलित किया है।

सरकार ने देश में चरणबद्ध ढंग से एड्स-नियंत्रण कार्यक्रम 'माता से शिशु को रोग-संक्रमण की रोकथाम' (पी.एम.टी.सी.टी.) को विस्तृत करने का निर्णय किया है और इसके लिए एड्स रोग के अधिक फैलाव वाले छह राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और नागालैण्ड को प्राथमिकता दी गई है।

सरकार ने हमारे देश में सामान्यतया फैल रहे एचआई.वी.-1 के 'सी' उप प्रकार से संबद्ध टीके का विकास करने के लिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और 'इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशियेटिव, यू.एस.ए.' के सहयोग से, एड्स-टीका अनुसंधान एवं विकास कार्य भी शुरू किया है।

'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम' के निरीक्षण और समीक्षा के लिए सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय एड्स समिति' का गठन किया है। इस समिति में विभिन्न सरकारी विभागों, गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य तथा संसद्-सदस्य और विधान सभा सदस्य हैं ...*(व्यवधान)*

भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय एड्स-निवारण एवं नियंत्रण नीति' और 'राष्ट्रीय रक्त नीति' की घोषणा की है जिसमें एच.आई.वी.-परीक्षण, एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों को रोजगार और शिक्षा तथा एच.आई.वी./एड्स-पीड़ित जनों को बिना किसी लांछन या भेदभाव के सेवाचर्या और सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में मानवाधिकारगत दृष्टिकोण अपनाया गया है।

महोदय, हम इस बात को जानते हैं कि दुनिया भर में एच.आई.वी./एड्स रोग के फैलाव को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने के लिए न कोई इलाज है, न ही कोई टीका। इसे तो सिर्फ समाज के नजरिये में, विशेषत: युवावर्ग के नजरिए में, फर्क लाकर ही कम किया जा सकता है। इसके लिए जनता, निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संगठनों से भी बहु-पक्षीय सहयोग अपेक्षित होगा। एड्स-संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के प्रति समाज को चेतन करने के लिए राजनैतिक स्तर पर प्रेरणा भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। लोगों को सही दिशा में उन्मुख करने के लिए धार्मिक नेताओं की भूमिका भी काफी जरूरी है ताकि लोग इस त्रासदी से स्वयं को बचा पाने में सक्षम हो सकें ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: आपको मीडिया को भी इसमें जोड़ना चाहिए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: श्रीमती रेणूका चौधरी ने जो कहा, उसे भी जोड़ लिया जाएगा। मीडिया भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत सरकार ने सही दिशा में कदम उठाए हैं और अब एच.आई.वी. की रोकथाम तथा एच.आई.वी./एड्स पीड़ितों की सेवाचर्या और सहायता के कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की दृष्टि से नीतिगत संरचना में कार्ययोजना को निर्धारित किया जाएगा।

उपर्युक्त के आलोक में, मैं माननीय संसद सदस्या, डॉ. वी. सरोजा से अनुरोध करता हूं कि वे उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक को वापस लेने पर विचार करें।

डॉ. वी. सरोजा (रासीपुरम): सभापति महोदय, 1 दिसम्बर को 'विश्व एड्स दिवस' है और मैं चाहती हूं कि सभा मेरे साथ अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस कौंसिल द्वारा इस चेतावनीपूर्ण सूचना के साथ दिए गए उस वक्तव्य की भर्त्सना करे जिसमें कहा गया है कि सन् 2010 तक भारत में एड्स-पीड़ितों की संख्या 25 मिलियन से अधिक हो जाएगी। महोदय, 'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन' के अनुसार, भारत में लगभग 3.9 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एच.आई.वी. संक्रमण और दु:साध्य एड्स रोग से ग्रस्त हैं। तथापि, केवल 40,708 मामलों में ही एच.आई.वी. संक्रमण से ग्रस्त होना पाया गया है।

महोदय, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों से प्राप्त हो रही सूचना के अनुसार वहां एच.आई.वी. और एड्स-संक्रमण से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ रही है। मैं अधिकारपूर्वक और असंदिग्ध शब्दावली में कह सकती हूं कि भारत सरकार इस रोग की रोकथाम के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के भीतर, भारत सरकार इस रोग का पूरी तरह निवारण करने में सफल रहेगी और एक ऐसा दिन आएगा जब भारत एड्स-रोग से मुक्त होगा।

मैं इस अति-महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने वाले सभी वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूं। माननीय सदस्यों में से कुछ तो मेडिकल डॉक्टर हैं लेकिन ज्यादातर लोग इस क्षेत्र में नहीं हैं। उन्होंने विस्तारपूर्वक इस विषय पर व्याख्यान दिया और इससे उत्पन्न होने वाली सामाजिक विसंगतियों तथा दुष्प्रभावों की भी गहराई से व्याख्या की। जिस तरह से उन्होंने इस विषय पर विचार किया और इसका विश्लेषण किया, उससे प्रकट होता है कि वे इस राष्ट्रीय बुराई का खात्मा करने के लिए प्रतिबद्धता रखते हैं।

यहां मैं कहना चाहूंगा कि इस चर्चा के प्रथम वक्ता, माननीय सदस्य श्री किरीट सोमैया ने अनेक बातें उठाईं। मैं उनका साधुवाद करती हूं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से माना कि वे चिकित्सा जगत के व्यक्ति तो नहीं हैं अपितु वित्त-जगत से जुड़े व्यक्ति हैं, तथापि, वे इस विषय की गहराई में गए। माननीय सदस्य श्री किरीट सोमैया ने बताया कि एच.आई.वी. एड्स-संक्रमण के 88 प्रतिशत मामले अवैध, विषमलिंगी तथा असुरक्षित-'असुरक्षित' शब्द पर ध्यान दीजिए-यौन-संबंध की वजह से होते हैं, जिससे एच.आई.वी./एड्स संक्रमण हो जाता है। साथ ही, उन्होंने कीटाणुरहित दस्तानों और एक बार ही प्रयोग में ली जाने वाली सूई के बारे में भी ध्यान खींचा। उन्होंने एक अमूल्य सुझाव दिया है। मैं इसकी सराहना करती हूं और इस सुझाव के लिए श्री किरीट सोमैया को साधुवाद देती हूं। इन्हें पूरी गंभीरता से विचारित किए जाने की आवश्यकता है। एक चिकित्सा जगत के एक सदस्य के रूप में, एक पेशेवर डॉक्टर, एक स्त्री-रोग विशेषज्ञ के रूप में, मैं विगत 20 वर्षों से इस अनुसंधान कार्य में प्रवृत्त रही हूं। मैं माननीय सदस्य श्री किरीट सोमैया द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का पूरा समर्थन करती हूं।

साथ ही, अपने भाषण में माननीय सदस्य श्री किरीट सोमैया ने उल्लेख किया कि आंध्र प्रदेश में 16 लाख बच्चे एड्स से ग्रस्त हैं। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि छात्र-छात्राओं, विशेषकर 15 से 19 वर्ष आयु-वर्ग के किशोर-किशोरियों का लक्ष्य रखकर कार्यक्रम बनाना चाहिए। यही वह आयु-वर्ग है छात्र छात्राएं-जिन पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सुरक्षा और अधिक प्रयास करना पड़ेंगे कि इस रोग का फैलाव अब और न हो; और इसके लिए हरसम्भव कार्य करना पड़ेगा। हालांकि यह वर्ग अलग से नहीं है, सभी के साथ ही है; पर इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस रोग को फैलने से रोका जा सके।

इस समय 16 लाख बच्चे एड्स विषाणुग्रस्त हैं। हम उनका पुनर्वास और दिशा निर्धारण किस प्रकार करेंगे ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े और उनके साथ पक्षपात का व्यवहार न हो? हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा।

माननीय सदस्य श्री किरीट सोमैया ने यह राष्ट्रीय बीमा-कम्पनियों की भी बात की। भारत सरकार को इनकी सहायता लेनी चाहिए। आपको इन बीमा-कम्पनियों से और अधिक सहायता लेनी होगी। बीमा-कम्पनियां कई तरह से लाभ प्रदान कर सकती हैं। उन्हें इस रोग की रोकथाम के लिए और अधिक योगदान करना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि राज्य सरकारों को बिक्री कर की दर भी 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर देनी चाहिए तथा चुंगी को भी 8 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत कर देना चाहिए। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री किरीट सोमैया ने अपने भाषण में यह भी कहा कि भारत सरकार ने इसे उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की है और वर्ष 2007 तक, दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, भारत सरकार इस रोग की रोकथाम कर लेगी।

महोदय, स्वयं एक चिकित्सक होने के नाते, मैं चाहूंगी कि देश को एड्स-मुक्त बनाने के लिए यह समय-सीमा वर्ष 2007 की जगह वर्ष 2005 रखी जाए।

सभापति महोदय: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि विधेयक पर चर्चा का निर्धारित समय अब पूरा हो चुका है। अत:, मैं इस विधेयक पर चर्चा की अवधि को दस मिनट और बढ़ाने के लिए सभा की अनुमति लेना चाहूंगा।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

सभापति महोदय: इस विधेयक पर चर्चा का समय दस मिनट और बढ़ाया जाता है।

डा. वी. सरोजा: सभापति महोदय, पूर्ववर्ती वक्ता श्रीमती रेणूका चौधरी, जो पूर्व में स्वयं भी स्वास्थ्य मंत्री रही हैं, ने कुछ सुझाव दिए थे। उन्होंने अंग-प्रत्यारोपण की प्रक्रिया के दौरान एच.आई.वी. कारक के बारे में बात उठाई। वाकई इस तरफ आंख मूंद कर नहीं रहा जा सकता कि अंग-प्रत्यारोपण की शल्य क्रिया के दौरान भी कोई एच.आई.वी. संक्रमण से ग्रसित हो सकता है। उनके द्वारा उठाई गई बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनका परिणाम भी निश्चय ही निकलेगा। उन्होंने स्व-सहायता समूहों का उल्लेख किया। उन्होंने सौ-फीसदी कंडोम के इस्तेमाल की बात की, खासकर महिलाओं के उपयोग वाले कंडोम के इस्तेमाल की, जो इस रोग की रोकथाम में काफी उपयोगी रहेगा। मैं इस विधेयक पर अमूल्य सुझावों के लिए श्रीमती रेणूका चौधरी को साधुवाद देती हूं।

महोदय, एक अन्य वक्ता श्री अधीर चौधरी ने एच.आई.वी. मामलों में बरते जाने वाले भेदभाव का प्रश्न उठाया। 'दिल्ली घोषणा-पत्र' में हमने विश्व को 'एड्स-मुक्त विश्व' बनाने का संकल्प किया था। लेकिन यह केवल किताबी बात नहीं होनी चाहिए। निचले स्तर तक लोगों में यह संदेश जाना चाहिए कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें प्रयास करना है। श्रीमती चौधरी ने कहा कि एड्स-पीड़ितों की संख्या बढ़ते रहने से हमारे देश की तरक्की रुकेगी। क्या यह बात सही नहीं है कि 15 से 49 वर्ष आयु-वर्ग के व्यक्तियों के जीवन का यह काल सर्वाधिक स्वास्थ्यमय काल होता है? लेकिन ऐसी सर्जनात्मक वय में ये लोग, राष्ट्र निर्माण के कार्य में भागीदार होने की बजाय, न सिर्फ स्वयं को और अपने परिवारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि देश की क्षति भी कर रहे हैं।

यदि भारत को एक एड्स मुक्त देश घोषित किया जा सके तो इस संबंध में हम संयुक्त राज्य अमेरिका से ऊपर रहेंगे।

महोदय, उन्होंने बजट आबंटन के बारे में कहा है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए अलग से बजट होना चाहिए। यदि हमें इस बीमारी को फैलने से रोकना है तो इसके लिए बजट को स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य बजट शीर्ष के साथ शामिल नहीं किया जा सकता। इस बीमारी का उपचार बहुत महंगा है। हमें इसकी रोकथाम के लिए रणनीति बनानी ही होगी। हमें एड्स के नए मामलों को रोकना होगा। हमें इस बीमारी को दो भागों में वर्गीकृत करना पड़ेगा—एक पूर्ण विकसित एड्स के मामले और अन्य एचआईवी पॉजिटिव मामले। हम इन्हें आपस में नहीं मिला सकते। एक एड्स रोगी को देखभाल और समर्थन की जरूरत होती है और एक एच.आई.वी. पाजिटिव रोगी को उपचार की आवश्यकता होती है। आपको इन्हें वर्गीकृत करना होगा।

यहां पर मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं कि एच.आई.वी. निगरानी दल के अनुमान के मुताबिक 15 से 45 वर्ष की आयु समूह के बीच अनुमानित एच.आई.वी. मामले (प्रौढ़ों) में क्रमश: 3.8 मिलियन (पुरुष), 1.5 मिलियन (महिलाएं) और 1.7 मिलियन (बच्चे) हैं। कुल लगभग 4.9 मिलियन रोगी हैं। पुरुष-महिला अनुपात के मामले में यह 30,642 (पुरुषों पर 10,650 (महिला) है और कुल लगभग 41,000 हैं। अब हमें इन 41,000 गंभीर मामलों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए ताकि जो भी बजट आवंटन किया गया है, उतने में इसका प्रबंध किया जा सके और उपलब्ध बजट के भीतर इस बीमारी की रोकथाम की जा सके।

पूर्णरूप से विकसित एड्स के मामले के साथ-साथ एच.आई.वी. के राज्यवार, सामने आए मामलों के आंकड़े इन पत्रों में दिए गए हैं। मैं सभी संसद सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे इसका अध्ययन करें। अध्यक्षपीठ की अनुमति से मैं यथासमय इसकी एक प्रति सूचनार्थ आपको दूंगी। हम सभी को एक शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने-अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जायेंगे, एन.ए.पी.ओ. के राज्य एककों के साथ सम्पर्क करें उनके साथ मामलों की संख्या और उसके विवरण के बारे में चर्चा करें और रोगियों तक पहुंचें। पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहायता से और जन सहभागिता के साथ, जो हमने इस सभा में बोला है, उस संदेश को उन तक पहुंचाएं और यह सुनिश्चित करें कि सबसे निचले स्तर तक कार्रवाई हो और इसका लाभ प्रभावित लोगों तक पहुंचे। समय के अभाव को देखते हुए मैं इस पर और चर्चा नहीं करना चाहती। मैं माननीय मंत्री के साथ बाद में इस पर चर्चा करूंगी और अपने सुझाव उन्हें दूंगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि मैंने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्या किया है। तमिलनाडु को एक गतिशील नेता डा. पुरात्ची थैलैवी का नेतृत्व किया है। हमने पिछले महीने तमिलनाडु राज्य विधान सभा और पंचायत राज के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा आम जनता के लिए भी एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया था। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के कारण, मैंने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगभग दस परामर्शदात्री केन्द्र स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों में हमने 6,665 माताओं को प्रसव पूर्व परामर्श दिया है। प्रत्येक माता का प्रसव पूर्व उसके अपने केस-शीट के साथ पंजीकरण किया गया है। सभी बच्चों का

एक केश-शीट है जिसमें निष्कर्षों और सामान्य स्थितियों का विवरण शामिल है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम न केवल एड्स का बल्कि उससे जुड़े अन्य संक्रमणों का भी उपचार कर रहे हैं। सभी 6,665 प्रसव पूर्व मामलों में, जहां परामर्श दिया गया था, एच.आई.वी. जांच की गयी। इन 6,665 मामलों में से 172 एच.आई.वी. पॉजिटिव पाए गए। मैंने 7 अगस्त, 2002 के अपने पत्र द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री से इन 172 एचआईवी पॉजिटिव रोगियों के लिए एक करोड़ रुपए मंजूर करने का अनुरोध किया है ताकि माता से शिशु को पहुंचने वाली इस बीमारी के संक्रमण से रोका जा सके।

डा. एम.जी.आर. चिकित्सा विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में अग्रणी शोध कार्य कर रहा है। यह पहला विश्वविद्यालय था जिसने 1992 में क्षय रोग के साथ-साथ एच आई वी पॉजिटिव मामलों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। प्रयोगमूलक चिकित्सा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन) और नेशनल रेफरल और रिसर्च सेन्टर अपने कार्यों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। उन्होंने इम्यूनोलॉजी, इम्यूनो-हेमैटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुरोध किया है। इससे इस बीमारी की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया इसके लिए भी धनराशि आबंटित करें।

इस मुद्दे पर और अधिक चर्चा की जा सकती है। तथापि समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए, मैं अपनी बात कुछ सुझाव दिए जाने तक ही सीमित रखूंगी। शत-प्रतिशत कंडोम का उपयोग, विशेषकर महिला द्वारा कंडोम का उपयोग किया जाना सबसे किफायती तरीका है जिससे हम एक वर्ष के भीतर इस बीमारी पर, कम से कम 75 प्रतिशत तक नियंत्रण पा सकते हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी: कृपया क्या मैं हस्तक्षेप कर सकती हूं? वस्तुत: कंडोम उपलब्ध नहीं होते हैं। एचआईवी नियंत्रण कार्यक्रम की वास्तविक सफलता कंडोम के कम दर पर, आसानी से उपलब्ध होने से जुड़ी है। कृपया बताएं कि हमारे देश में एक नागरिक को कंडोम कहां उपलब्ध है। पहले हम पान की छोटी दुकानों और सिगरेट की दुकानों से इन्हें प्राप्त करते थे, जिनके पास ये उपलब्ध हुआ करते थे।

सभापति महोदय: आप चर्चा में पहले ही हिस्सा ले चुकी हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी: नहीं मैं केवल एक सुझाव देना चाहती हूं। चूंकि इतनी लम्बी बहस चल रही है। मैं माननीय मंत्री को बस सुझाव देना चाहती हूं। उनकी पृष्ठभूमि फिल्मी दुनिया की है। इसलिए वे टी.वी. सीरियल बनाने वाले व्यक्तियों से बात कर उनसे एच.आई.वी. पर एक एपिसोड शामिल करने के लिए कह सकते हैं जिसमें उन्हें बताया जाए कि एक परिवार किस प्रकार सफल होता है, वे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, आदि।

हमने आंध्र प्रदेश में एक स्टंट किया था जहां मुख्यमंत्री ने कंडोम का व्यापक प्रदर्शन किया था। यह बिल गेट्स के देखने के लिए बहुत अच्छा है। परंतु वास्तविकता यह है कि कोई भी कंडोम नहीं खरीद सकता जिस समय वह खरीदना चाहता है। आप बताएं कि संसद के आसपास हमें कहां कंडोम मिल सकता है। हमें 'कंडोम' और 'सेक्स' शब्द कहना सीखना चाहिए। जब तक आप इस विषय के बारे में बात नहीं करेंगे, आप इस बीमारी पर नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हो पायेंगे।

मैं भयभीत हो जाती थी जब मैं स्वास्थ्य मंत्री थी और

[हिन्दी]

लोग मुझसे आकर कहते थे कि आपका कामसूत्र का पोर्टफोलियो है।

[अनुवाद]

इस प्रवृत्ति को बदलना है। यह 'कामसूत्र' के बारे में नहीं है। सेक्स मानव जीवन का अभिन्न अंग है। जैसे आप खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, वैसे ही आप प्रजनन भी करते हैं। प्रश्न केवल यह है कि किस प्रकार इस कार्य को करते हैं और इसे किस प्रकार से सुरक्षा स्तरों के भीतर रखते हैं। कुछ बीमारियों और दुर्घटनाओं के मामले में आपके पास प्राथमिक उपचार की सुविधा होती है परन्तु एच.आई.वी. के मामले में, आपके पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है।

हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। माता-पिता अपने बच्चों से कह नहीं सकते; शिक्षकों को पता नहीं है कि विद्यार्थियों से कैसे बात करनी है। हमें उन्हें सशक्त करना है, वह भाषा सिखानी है जिससे उन्हें जानकारी मिले कि सुरक्षित यौन व्यवहारों के बारे में कैसे बातचीत करनी है।

डा. वी. सरोजा: अंत में, मैं चिकित्सकों से अपील करूंगी। यदि डॉक्टर इन मरीजों का उपचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मरीजों का निरादर रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। चिकित्सा पेशे वाले व्यक्तियों द्वारा निजी तथा सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार के मामले की देखभाल करने के बारे में भी एक कानून होना चाहिए। अस्पताल में मरीजों को प्रवेश दिये जाने के लिए अलग से और महत्वपूर्ण उपबंध होना चाहिए।

[डा. वी. सरोजा]

अंत में, मैं मातृत्व पूर्व एच आईवी जांच के बारे में एक बात कहना चाहती हूं। जब तक सर्वसम्मति नहीं बनती हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है परंतु हमें कहीं न कहीं ये शुरुआत तो करनी है। यह उनके अपने बच्चों के लाभ के लिए है, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। इसलिए मैं मातृत्व पूर्व एच.आई.वी. जांच किए जाने का समर्थन करती हूं।

यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। यह समय की मांग है और इस देश की आवश्यकता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अपील करूंगी कि इसे एक सरकारी विधेयक के रूप में माना जाए और इसे पारित किया जाए। मैं उन सभी माननीय संसद सदस्यों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस अति महत्वपूर्ण विधेयक में योगदान किया है और उनसे अनुरोध करती हूं कि वे इसका समर्थन करें।

सभापति महोदय: क्या आप अपने विधेयक को वापस ले रही हैं, जैसाकि माननीय मंत्री ने अनुरोध किया था?

डा. वी. सरोजा: मैं सुश्री रीनेट इटमर के कथन को उद्धृत करती हूं:

> "आज की यह सभा बहुत महत्वपूर्ण और महान है क्योंकि यह नीति निर्माताओं और विधायकों की अत्यधिक महत्वपूर्ण विशिष्ट मंडली है और उतना ही महान इसका उद्देश्य—मादक पदार्थों के दुरुपयोग विशेषकर एचआईवी/एड्स के अन्त:संबंध के मामलों को उठाने के बारे में एकरूपता और एकजुटता को महत्व देना है।
>
> इस प्रकार के ख्याति प्राप्त कलाकार सृजनात्मक ब्रश और अपने अन्त:करण की आवाज से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इकट्ठा हुए और जो परिणाम निकला वह अपने आप में एक अनोखी पहल है। मैं इस पहल को 'अंतरात्मा की प्रतिध्वनि' कहूंगी। हमने इस यात्रा का आरंभ एक विचार, एक उद्देश्य और एक सपने के साथ शुरू किया।"

इसलिए, महोदय मैं यह विधेयक इस आशा के साथ वापस लेती हूं कि मंत्री जी मेरे सभी सुझावों को कार्यान्वित करेंगे।

महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मानव प्रतिरक्षण न्यूनता विषाणु (एच.आई.वी.) संक्रमण के फैलाव को निवारित तथा नियंत्रित करने और अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) से पीड़ित व्यक्तियों को विशेषज्ञीय चिकित्सा उपचार और सामाजिक अवलम्ब और पुनर्वास तथा उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि मानव प्रतिरक्षण न्यूनता विषाणु (एच.आई.वी.) संक्रमण के फैलाव को निवारित तथा नियंत्रित करने और अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) से पीड़ित व्यक्तियों को विशेषज्ञीय चिकित्सा उपचार और सामाजिक अवलम्ब और पुनर्वास तथा उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वी. सरोजा: महोदय, मैं विधेयक को वापस लेती हूं।

अपराह्न 4.35 बजे

(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक—*विचाराधीन*

(अनुच्छेद 44, आदि का लोप)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, सभा मद सं. 30 पर चर्चा करेगी। श्री जी.एम. बनातवाला आज अपनी बात जारी रखेंगे, क्योंकि वे उस दिन अपनी बात कह रहे थे।

श्री जी. एम. बनातवाला—उपस्थित नहीं

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): सभापति महोदय, यह विधेयक राज्य की नीति के निदेशक तत्व का एक भाग है। एक नये शब्द 'संरक्षण' को छोड़कर बाकी सारी बातें भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का भाग है। निसन्देह, राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधान सभा द्वारा किया गया एक सत्यनिष्ठ वायदा है और हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखने का स्वप्न देखा था। उनकी यह भावना थी कि एक ऐसा राष्ट्र होगा जहां धर्म के आधार पर लोगों में कोई बंटवारा नहीं होगा। उन्होंने स्वप्न देखा था कि एक दिन ऐसा होगा, जब प्रत्येक चीज कानून के द्वारा नियंत्रित होगी और विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति का एक ही धर्म होगा अर्थात् किसी का कोई धर्म नहीं होगा और यही धर्मनिरपेक्षता है। किन्तु जब कोई सदस्य गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक पेश करता है तो हम किसी सदस्य का उद्देश्य नहीं बता सकते हैं, किन्तु साथ ही हम यह महसूस करते हैं कि भारत के संविधान में इस प्रकार का संशोधन लाने के लिए यह उचित समय नहीं है। निसन्देह, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में लगभग चार संशोधन किए गए थे।

ये सभी चार संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में नई ताकत भरने और सरकार को राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के नाम पर कोई भी कानून बनाने हेतु समर्थ बनाने के लिए किये गये थे। यह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम था। इसके फलस्वरूप हम दिन-प्रतिदिन के जीवन में लोगों की बेहतर भागीदारिता सुनिश्चित करने हेतु बहुत से नये विधान बनाने में समर्थ हुए हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 38-राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा-में संशोधन किया गया था। इसी प्रकार अनुच्छेद 39क में समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु प्रावधान है, जिसके फलस्वरूप भारत में खुद विधिक तंत्र में एक नया चरण जुड़ा है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 43क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का प्रावधान है। अनुच्छेद 48क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वनों तथा वन्यजीवों की रक्षा हेतु प्रावधान है। ये 1976 के दौरान और तदन्तर भी की गई कुछ नई पहलें हैं। किन्तु संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के द्वारा एक महान स्वप्न देखा था कि एक ऐसा राष्ट्र होगा जिसमें धर्म अथवा जाति अथवा किसी ऐसी चीज के आधार पर कोई बंटवारा नहीं होगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमने कानून के साथ-साथ सामाजिक ढांचे के अनुसार समानता लाने के लिए एक नई प्रणाली ईजाद की है। परन्तु क्या हम अब एक समान नागरिक संहिता लाने की स्थिति में हैं? पण्डित जवाहर लाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में हिन्दु विवाह अधिनियम और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लाये थे। बहुत से अन्य क्रान्तिकारी कदम उठाये गये थे। किन्तु उसी समय कई लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया था। लोगों ने उनसे पूछा कि आप हिन्दु धर्म में ऐसी नवीन और विकासोन्मुखी विचारधारा क्यों ला रहे हैं। उन्होंने हिन्दु समाज को आधुनिक तरीके से सोचने वाला बनाया था और संयुक्त परिवार बनाये गये थे। वह भारत की शक्ति है। विश्व में कहीं भी संयुक्त परिवार प्रणाली नहीं है। यह हमारे राष्ट्र की शक्ति है। हमने यह शक्ति प्राचीन और वैदिक अवधि से जुटाई है।

हमने इन पचास वर्षों में कई समस्याओं का सामना किया है। आर्थिक समस्याएं रही हैं, सीमा पर समस्याएं रही हैं, युद्ध, सूखा, बाढ़, इत्यादि आते रहे हैं। इसके साथ ही, इन समस्याओं के कारण हमारे समाज में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वहां भाषा-वैज्ञानिक समस्याएं और सामाजिक संरचना में आन्तरिक झगड़े रहे हैं। यहां धार्मिक झगड़े भी रहे हैं। तब भी हमारा ढांचा वैसे का वैसे बना रहा। भारत हर दिन और हर मिनट एक राष्ट्र के रूप में संगठित होता रहा है।

हमारी सामाजिक संरचना ग्राम स्तर से ही मुख्य रूप से मध्यम वर्ग से संबंधित है। इस वर्ग में लोगों की बहुत बड़ी संख्या है और वे अब पिछड़ेपन से बाहर आ रहे हैं। जैसा कि लेनिन ने एक बार कहा था कि मध्यम वर्ग को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां केवल दो वर्ग हो सकते हैं; एक श्रमिक वर्ग है और दूसरा अभिजात। अब हम अभिजात वर्ग में जाने का भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमें यह भी भय है कि कहीं हम पिछड़ेपन की ओर गिर जायें। हम एक असुरक्षित समाज में रह रहे हैं। भारतीय समाज एक अत्यन्त अजीब सी स्थिति से गुजर रहा है, जहां मध्यम वर्ग में लोगों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।

यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हमारे केन्द्रीय कक्ष में भारतीय संसद को सम्बोधित करते हुए कहा था कि भारतीय समाज में मध्यम वर्ग पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि ये लोग नये ढांचागत परिवर्तनों से अत्यधिक डरे हुए हैं। वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। परन्तु वे उस खाई से भी डरे हुये हैं, जिससे वे निकलकर आये हैं। अतएव, यह ढांचा अपने आप बदल रहा है। इसी ढांचे में आप आज अन्तर जातीय विवाह, दूसरे धर्म में विवाह, राज्य से बाहर विवाह और राष्ट्र से बाहर विवाह भी देख रहे हैं। जब यह सार्वभौमिक बन जाता है, उस समय ही आप एकसमान नागरिक संहिता ला सकते हैं। ऐसा होने के लिये, वहां कोई धर्म नहीं होना चाहिए, वहां कोई जाति, राज्य का कोई बंटवारा, भाषा का बंटवारा किसी उत्तम राज्य का बंटवारा नहीं होना चाहिए। जब समाज उस स्तर पर पहुंचता है, वही समय होता है, जब हमें एकसमान नागरिक संहिता की आवश्यकता होती है। तब तक हम कुछ परिवर्तनों से बंधे हैं।

अब हमारी धार्मिक भावनायें हैं। कई लोग भड़के हुए हैं और विभिन्न प्रजातांत्रिक ढांचों से खिन्न हैं। हमें उनसे डर है। बहुसंख्या में, करोड़ों में लोग मन्दिरों, मस्जिदों और चर्चों में जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि प्रजातांत्रिक स्थापना के रूप में जो ढांचा भारत में तैयार किया गया है, वह उसकी सहायता नहीं कर रहा है और उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा है। यह उन्हें सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, उचित शिक्षा और बेहतर जीवन नहीं दे रहा है। इस स्थिति को केवल आज की सरकार ही पलट सकती है।

इन कारणों से सामाजिक ढांचा स्वयं बदल रहा है। लोग विभिन्न देशों में आकर बस रहे हैं और दूसरे देशों से वापस भी आ रहे हैं। आज से विभिन्न प्रकार के लोगों ने इस ढांचे की पहचान की है, जिनका कोई धर्म, कोई साम्प्रदायिक भावना और कोई भाषा नहीं है। वे कुछ नये लोग हैं, जो नये भारत के रूप में उभर रहे हैं।

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

एक दिन ऐसा आना चाहिए, सब भारत के सभी लोग स्वयं एकसमान नागरिक संहिता के लिए पूछेंगे। इस समय ऐसे लोगों की ज्यादा बड़ी संख्या होगी। धर्म के नाम पर कोई विभाजन नहीं होगा और धर्मान्धता नहीं होगी। वहां कोई विशेष सीमित स्थान नहीं होगा, जहां पर कि आप पूजा-अर्चना कर सकेंगे। आप कहीं भी पूजा-अर्चना कर सकते हैं। जैसा कि वैदिक शास्त्र के अनुसार आप आत्मा हैं। भगवान एक है। ब्रह्मांड एक है। ब्रह्मांड मानव का एक हिस्सा है और मानव ब्रह्मांड का एक भाग है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत् गीता में भी यही कहा है।

जब वह दिन आता है, एकसमान नागरिक संहिता लायी जा सकती है। तब तक हम लोगों को यह कहकर क्यों बांटें कि उनके लिए एक एकसमान नागरिक संहिता बनाई जा रही है? इसका तात्पर्य यह है कि आप यह सोचकर कि लोग इस देश में सुरक्षित नहीं हैं, आप उन लोगों के, जो मुस्लिम, ईसाई अथवा बौद्ध हो सकते हैं, कुछ समूह बना रहे हैं। कुछ ऐसा कि वे खोने से डरते हैं। अब कोई एकसमान ढांचा नहीं है। जब कोई एकसमान ढांचा नहीं है, जब कार्यान्वित किये जाने के लिए कोई एकसमान कानून नहीं है, तो यह कानून बनाने का क्या प्रयोजन है।

एक कानून का अनुपालन किया जाना है, एक कानून बनाया जाना है और एक कानून अधिनियमित किया जाना है। केवल तभी, इसकी शक्ति होगी। अन्यथा यह निष्क्रिय पुस्तकों के कानून का एक भाग होगा और इसका कोई जीवन अथवा गति नहीं होगी। अत: मैं इस अवस्था में श्री आदित्य नाथ से अनुरोध करता हूं कि यह संविधान संशोधन लाने का सही तरीका और सही समय नहीं है। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता किन्तु साथ ही जो व्यक्ति यह संशोधन ला रहा है, उसकी यह भावना होनी चाहिए थी कि हमें राष्ट्र का पुन: बंटवारा नहीं करना चाहिए। पहले ही, हमारे राष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में कुछ चोटें और घाव दिये गये हैं। लोगों का यह विचार है कि एक ही धर्म होना चाहिए। लोग पूछ रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का जन्म कहां हुआ था, हमारा जन्म स्थान क्या है और क्या हमारा खून भारतीय खून है अथवा नहीं। हम इसे कैसे ढूंढ़ सकते हैं?

भारत कई राज्यों का संघ है। यह एक अकेला राज्य नहीं है। यह एक ऐसा राष्ट्र है, जहां बहुत-सी संस्कृतियां, बहुत से धर्म और भाषायें उभरी हैं। यह एकमात्र राष्ट्र नहीं है। यह राज्यों का संघ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इतिहास रचा था, जब इसने विभिन्न लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों, विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोगों को एक राष्ट्र अर्थात् भारत के रूप में संगठित किया था। हमने यह किया है। इस तरह का संशोधन लाकर कृपया लोगों की भावना को चोट न पहुंचायें और उन्हें स्वतंत्रता-पूर्व की स्थिति में न ले जायें।

हमारी स्वतंत्रता से पहले राष्ट्र के कई भाग थे, भारत में अनेक राजा थे और वे आपस में लड़ रहे थे। अब वे सभी चीजें भूल गये हैं। अब हम सोचते हैं कि भारतीयों का अपना ही धर्म है, अपना ही पूजा-अर्चना की तरीका है, अपनी सम्पत्ति, चाहे वह पैतृक सम्पत्ति हो अथवा स्व-अर्जित सम्पत्ति हो, के उत्तराधिकार का आपका ही तरीका है। हम अपने कानून और हमारे अपनी न्याय प्रणाली से सुरक्षित है।

अत: मैं अनुरोध करता हूं कि जब यह संविधान संशोधन इस समय लाया गया है, तो स्थिति की उचित ढंग से समीक्षा की जानी चाहिए। हमने दूसरे लोगों को देखने के लिए रंगीन शीशे नहीं लगा रखे हैं। परन्तु क्या जब भारत के संविधान में इस तरह का संशोधन किया जाता है तो कुछ कदम उठाने की स्थिति में हैं? इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत कानून ला सकते हैं। किन्तु क्या एकसमान नागरिक संहिता का वह कानून भी लाना आवश्यक है। हम वैश्वीकरण की ओर जा रहे हैं। अभी भी सम्प्रभुता सम्पन्न राज्य का कोई सीमांकन नहीं है। व्यापार तथा वाणिज्य में और नागरिकता के मामले में हमारी सम्प्रभुता समाप्त हो गई है। कोई भी व्यक्ति विश्व कहीं भी जा सकता है। वे वहां व्यापार और वाणिज्य चला सकते हैं, नई वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, उनकी बिक्री कर सकते हैं सेवा दे सकते हैं, कहीं पर भी पैसा ले जा सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं और वहां बस सकते हैं, वहां विवाह कर सकते हैं और परिवार बसा सकते हैं, वहां जीवन बिता सकते हैं और मर सकते हैं। आज ऐसे ही समाज में हम जी रहे हैं। तमिल भाषा में एक कहावत है, "यादुम डरै, यावरुम केजीर"। इसका अर्थ है कि प्रत्येक गांव हमारा अपना गांव है और हर आदमी हमारा भाई है। इसी तरह, हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं आता कि हम हिंदू हैं या ईसाई, हमारे ऊपर समान नागरिक संहिता लागू होती है या मुस्लिम विधि या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या कोई अन्य अधिनियम।

साथ ही, यह क्रेडिट कार्डों का जमाना है। समाज में खर्चे बढ़ रहे हैं। हम स्थिर नहीं हैं। परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं हो रहा है। उन्हें भोगा जा रहा है। समाज पश्चिमी देशों के स्तर को लौट रहा है। भारत में हिंदू जीवन पद्धति में बचत का पक्ष है। हम बुढ़ापे के लिए सम्पत्ति बचाकर रखते थे। किंतु अब समाज कह रहा है आप धन जमा कर सकते हैं और बुढ़ापे में जीवन का आनंद ले सकते हैं। साथ ही, आपको किसी और को यह धन देने की जरूरत नहीं है। आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं।

इसलिए, माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि यह संविधान संशोधन न लाएं क्योंकि यह संविधान का भाग है तथा विधायी

व्यवस्था और नये कानून बनाकर संविधान के अनुच्छेद 44 का अनुसरण किया जा सकता है।

जब अधिकांश जनता धर्म के बारे में भूल जाए, आपस के वर्ग भेद को भूल जाए और जब उनको ऐसा लगे कि हम एक ही भारत में हैं, तब हम समान नागरिक संहिता बना सकते हैं। तब तक इसकी कोई जरूरत नहीं। इससे तो वे घाव और हरे हो जाएंगे जो मर चुके हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वे इस विधेयक को वापस ले लें क्योंकि हमें भावी पीढ़ियों का नुकसान नहीं करना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, मैं योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं श्री सुदर्शन नाच्चीयपन की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने माना कि इस विधेयक के माध्यम से जो प्रस्ताव किया गया है वह संविधान के उपबंधों में मौजूद है। किंतु उन्होंने कहा था कि इसे स्वीकार करने का सही समय यह नहीं है। भारत में संविधान को किसने शुरू किया था? क्या कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था? एक समय था जब यह राजनैतिक आंदोलन था। यह ब्रिटिश बंधन से भारत को मुक्त कराने का आंदोलन था। आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी, कि जिसने भारत की जनता के लिए संविधान लागू किया था, प्रस्ताव का विरोध उसी पार्टी के लोग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा था कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। इससे इंकार कौन करता है? उन्होंने कहा था कि यहां विधि का शासन है। मैं इससे सहमत हूं। सब इससे सहमत हैं। किंतु मैं उनसे पूछता हूं कि हमारे यहां विधि का शासन है या विधियों का? हमारे यहां विधि का शासन होना चाहिए या विधियों का? मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए दूसरा और किसी अन्य धर्म या समुदाय के लिए दूसरा कानून। यदि आप कहते हैं कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है तो सभी के लिए एक कानून क्यों नहीं? पश्चिम के देशों में देखिए। बताइए पश्चिम के कौन से देश में इतने कानून हैं? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में मुसलमान नहीं हैं। क्या ग्रेट ब्रिटेन में मुसलमान नहीं हैं? जर्मनी में तीन मिलियन तुर्क अर्थात् मुसलमान हैं। फ्रांस में पांच मिलियन अल्जीरियाई अर्थात् मुसलमान हैं।

सभी देशों में अल्पसंख्यक हैं। यूरोप और अमेरिका में मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है। क्या उनके देशों में कई तरह के कानून हैं? उन देशों के मुसलमानों ने वहां अपने लिए अलग कानून की मांग क्यों नहीं की है? इसलिए, यदि उन देशों में कोई ऐसे कानून की मांग नहीं कर रहा तो भारत में इतने कानून क्यों हों? आप यह क्यों कहते हैं कि यह समय उचित नहीं है? पता नहीं क्यों? श्री नाच्चीयपन यह कहते समय शायद भावना में बह गए थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। उन्होंने कहा था कि भारत कई राष्ट्रों का समुच्चय है। उनके उपनेता श्री शिवराज पाटील यहां उपस्थित हैं। क्या वे श्री नाचियप्पन की बात में विश्वास रखते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि कई राष्ट्रों का समुच्चय है? क्या वे ऐसा विश्वास करते हैं। यदि ऐसा है तो क्या द्विराष्ट्र सिद्धांत में उनका विश्वास है?

क्या उनका विश्वास है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या वे ऐसा विश्वास करते हैं कि मुसलमानों का एक तथा हिंदुओं का दूसरा राष्ट्र है? क्या महात्मा गांधी को इस सिद्धांत में विश्वास था? भारत विभाजन के दिन उन्होंने अनशन क्यों किया था? महात्मा गांधी ने देश के विभाजन का समर्थन क्यों नहीं किया था? श्री नाचियप्पन, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है?

यदि हम कहें कि राष्ट्रीयता का संबंध धर्म से है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो अलग राष्ट्र क्यों हैं? ये दोनों ही इस्लामिक देश हैं। इन्हें मिलकर एक देश हो जाना चाहिए। अफगानिस्तान अलग देश क्यों है? ईरान और इराक में आठ साल तक युद्ध क्यों हुआ? इराक ने कुवैत पर आक्रमण क्यों किया? कुवैत अलग देश क्यों है? सऊदी अरब अलग देश क्यों है? यूरोप में अनेक देश हैं जो ईसाई हैं। इंग्लैण्ड ने फ्रांस के साथ 100 वर्ष तक युद्ध क्यों किया? फ्रांस के नेपोलियन या जर्मनी के हिटलर ने रूस पर आक्रमण क्यों किया जब वे सब ईसाई देश हैं? यदि आप कहें कि सभी धर्मों के सभी व्यक्तियों से मिलकर अलग देश बनता है तो क्या हिंदू राष्ट्र नेपाल भारत में मिलाया जाएगा? क्या वे इससे सहमत होंगे?

महोदय, राष्ट्रीयता का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। यह तो पहचान है। यह भौगोलिक पहचान है। संस्कृति पूर्णतया अलग चीज है। पश्चिम बंगाल में अनेक मुस्लिम महिलाएं अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं। मैंने देखा है कि अनेक ईसाई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। शादी को "सात जन्म का बंधन" मानने की बात हिंदुओं की मान्यता है जिसे मुसलमान, ईसाई आदि सभी ने स्वीकार किया है।

अब मैं यह पूछता हूं। क्या किसी धर्म में विवाहित महिला और अविवाहित महिला में अंतर करने के लिए कोई विशेष चिन्ह होता है? यह केवल चिह्न सिर्फ हिंदुओं में होता है। विवाहित महिला और अविवाहित महिला में अंतर कैसे किया जाए? अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। किंतु भारत में गैर-हिंदुओं ने भी यह रीति अपनाई है क्योंकि हमारी संस्कृति एक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह समझना कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, ठीक नहीं

[श्री खारबेल स्वाइं]

है। मैं इस सिद्धांत का पुरजोर विरोध करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास नहीं किया है। किंतु आज मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है जब कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: कृपया नई धारणा मत पैदा कीजिए कि कांग्रेस पार्टी का द्विराष्ट्र सिद्धांत है। यह आपका सिद्धांत है। यह भा.ज.पा. का सिद्धांत है। मैंने कभी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैं चाहता हूं कि यहां सभ्यता से बात की जाए। मैंने किसी पार्टी की तरफ संकेत नहीं किया। अब आप मेरी बातों में से नए सिद्धांत बनाना चाहते हैं। मैंने कहा था कि भारत प्रांतों का संघ है, इन प्रांतों में बहुत से राज्य थे और इन राज्यों में अनेक संस्कृतियां, धर्म और भाषायी विविधताएं थीं। मैंने यह भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने ही इन सबकी एकता कराई थी और नया राष्ट्र, प्रांतों का संघ बनाया था जो है भारत अर्थात् इंडिया। मैंने कभी नहीं कहा कि जनता में अंतर है। कृपया ऐसे शब्द मुझसे मत कहलवाइए। मैं आपको यह जवाब देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं।

सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप श्री नाच्चीयपन के भाषण को पढ़ें। आप देखेंगे कि मैंने जो कहा है ठीक है या नहीं। अब वे इसे ठीक कर सकते हैं क्योंकि उनकी समझ में आ गया है कि उन्होंने गलती कर दी है। आप बस इसे पढ़ सकते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं। मेरा मतलब है कि आप ईसाइयों के उदाहरण लें। कुछ महीने पहले इसी सभा में एक विधेयक पारित हुआ था। वह विधेयक जो ईसाई विवाह के बारे में था, क्यों पारित हो गया?

अपराह्न 5.00 बजे

ऐसा इसलिए हुआ कि ईसाई समुदाय में कुछ भेदभाव था। इसलिए, ईसाइयों ने ही मांग उठाई थी कि अन्य की भांति ही हमारे लिए भी समान कानून होना चाहिए। इसलिए पुराने ईसाई कानून का उत्सादन करना पड़ा और इस सभा में एक नया समान कानून पारित किया गया।

पारसियों का उदाहरण लीजिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब सभी पारसियों से पूछा गया था कि क्या उन्हें अपने लिए अलग कानून चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अलग कानून नहीं चाहिए। ईसाइयों ने भी अलग कानून की इच्छा व्यक्त नहीं की। उन सभी को ऐसा लगा कि समान कानून होने में कुछ लाभ है। किंतु एक समुदाय ही क्यों अपने लिए अलग कानून चाहता है? इससे भी बड़ी बात यह है कि यह पूरे समुदाय का सवाल नहीं है। इस समुदाय के कुछ ही लोग अलग कानून चाहते हैं ताकि वे पूरे समुदाय पर नियंत्रण रख सकें। यदि आप मुस्लिम समुदाय की स्त्रियों से पूछें कि क्या वे इस प्रथा को बनाये रखना चाहती हैं कि पति 'तलाक, तलाक, तलाक' कहे और पत्नी को घर से बाहर चले जाने को कह दे, वे कहेंगी कि वे इस प्रथा को नहीं चाहती हैं। उस समुदाय की कौन स्त्री ऐसी प्रथा से सहमत होगी? इसलिए, मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी अपने कानून में ऐसी प्रथा नहीं चाहती हैं।

महोदय, हर समाज में, हर समुदाय में अपने-अपने समाज सुधारक मसीहा होते हैं जिन्होंने अपने समाज को सुधारा है। श्री सुदर्शन नाच्चीयपन ने कहा है कि केवल हिंदू अंतर्जातीय, अंतधर्मीय और अंतर्राष्ट्रीय शादियां करते हैं। मैं उनसे सहमत हूं। कोई समय था कि हमारे यहां बाल विवाह होते थे, सती प्रथा भी थी किंतु मैं गर्व के साथ कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद, नारायण गुरु, महात्मा फुले, राम मोहनराम और दयानंद सरस्वती जैसे हिंदुओं ने ही समाज सुधार किया और हिंदू समाज को सुधारा। हिंदुओं ने ही अपने समुदाय की बुराइयों को दूर किया और हमारे यहां परिवर्तन की प्रक्रिया अब भी चल रही है। हिंदू समुदाय में कोई भी किसी 'स्टिग्मा' या कट्टरपंथ से नहीं जुड़ा। मनु स्मृति में जो लिखा है, हम उससे सहमत नहीं हैं। हो सकता हजार-दो हजार वर्ष पूर्व जाति प्रथा अच्छी चीज रही हो, किंतु आज के संदर्भ में हम इससे पूरी तरह असहमत हैं।

कोई भी विवेकशील हिन्दू नहीं कहेगा कि जाति प्रथा अच्छी है। इसलिए मुस्लिम समुदाय की कट्टरपंथी प्रथाओं में परिवर्तन के लिए कोई आगे क्यों नहीं आता है। इस काम के लिए मुसलमानों को अपने आप आगे आने दीजिए। मुस्लिम समुदाय के बुद्धिमान व्यक्तियों को उनके अपने समाज में अपेक्षित बदलाव शुरू करने दीजिए। इस उद्देश्य के लिए कोई हिन्दू क्यों विधेयक पेश करेगा?

महोदय, तुर्की जैसे देशों में किसी व्यक्ति को चार बार विवाह करने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान जैसे अति धार्मिक देश में भी कोई व्यक्ति सरकार की अनुमति लिए बिना चार बार विवाह नहीं कर सकता। इसलिए, भारत को छोड़कर, विश्व के किसी भी मुस्लिम देश में यह प्रथा प्रचलन में नहीं है। पाकिस्तान विश्व का एकमात्र देश है जिसका निर्माण धर्म के आधार पर किया गया। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है परंतु पाकिस्तान में भी एक व्यक्ति चार बार शादी नहीं कर सकता जब तक कि वह सरकार से अनुमति नहीं ले ले। कृपया बताएं यदि मैं गलत हूं।

इसलिए, मुझे खुशी है कि इस प्रकार का विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी समुदाय के विरुद्ध हो। इस विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में कोई कह सके कि हम धर्म के आधार पर देश को बांट रहे हैं।

भारत में, युगों से सामाजिक परिवर्तन चल रहा है। यह विधेयक विशेष रूप से उस उद्देश्य के लिए लाया गया है। कोई भी इसे देश को विभाजित करने का एक साधन नहीं समझे। इसलिए, मैं सभी से और साथ ही सभी दलों के सदस्यों से अपील करूंगा कि वे राजनीतिक अपेक्षाओं के ऊपर उठें। मैं मुस्लिम समुदाय के माननीय सदस्यों से भी अपील करूंगा कि वे अपने आप आगे आएं और अपने समुदाय की महिलाओं को इस भेदभाव से मुक्त करें जिसमें कि एक पुरुष को चार बार शादी करने और उस महिला जिससे वह शादी करता है और बच्चे पाता है, की देखभाल नहीं करने की इजाजत दी जाती है।

इन शब्दों के साथ, मैं इसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, मैं इस वाद-विवाद में हिस्सा ले रहा हूं क्योंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि यह संकल्प एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कि सभा में उपस्थिति काफी कम है और यह कि इसके बारे में मीडिया में भी खबर आने की संभावना नहीं है। फिर भी चूंकि यह विषय महत्वपूर्ण है; क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 44 के बारे में कई गलतफहमियां हैं और क्योंकि इस अनुच्छेद का कई अवसरों पर राजनीतिक उपयोग किया गया है, मैं सोचता हूं कि मुझे इस विषय पर अपना विचार प्रकट करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। इसलिए महोदय मैं आज बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अनुच्छेद 44 नीति निदेशक तत्व का एक हिस्सा है। इसका अर्थ यह है कि, यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसके आधार पर न्यायालय से यह अनुरोध नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 44 में प्रकट आशय को अधिनियमित करने और उसे लागू किए जाने की निगरानी करे। अनुच्छेद 44, निदेशक तत्व का एक हिस्सा है। इसके अनुसार:

"राज्य..... प्राप्त करने का प्रयास करेगा।"

इसके शब्द हैं-"प्राप्त करने का प्रयास करेगा" यह बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया अनुच्छेद है। सरकार और समाज को प्राप्त करने का प्रयास करना है। उन्हें कोशिश करनी होगी। उन्हें यह प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। वे बल प्रयोग नहीं करेंगे न तो सरकार और न संसद और न ही बाहरी जनता समाज के किसी हिस्से या किसी वर्ग पर इस दृष्टिकोण को बलपूर्वक लागू नहीं करेगा। इस अनुच्छेद के शब्द बहुत सावधानी से चुने गए हैं। जैसाकि मैंने पहले ही कहा। यह इस प्रकार है:

"राज्य..... नागरिकों के लिए एकसमान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।"

लोगों ने "एक समान सिविल संहिता" का गलत अर्थ लगाया है। इन्होंने इसका अर्थ एक समान पर्सनल लॉ लगाया।

'सिविल कोड' और 'पर्सनल लॉ' के बीच अंतर है। पर्सनल लॉ सिविल कोड का एक हिस्सा हो सकता है परंतु सिविल कोड का अर्थ केवल पर्सनल लॉ नहीं है। क्या आज भारत में समाज के सभी वर्गों पर लागू कानून में एकरूपता नहीं है? हमारे यहां संविदा कानून है। क्या यह समाज के अलग-अलग वर्गों पर भिन्न तरीके से लागू होता है? क्या यह हिन्दुओं पर किसी एक तरीके से लागू है और ईसाईयों पर किसी भिन्न तरीके से तथा मुसलमानों पर किसी और तरीके से लागू है। इसी प्रकार पूरे देश के लिए एक सिविल प्रक्रिया संहिता है। सभी सिविल मामलों पर न्यायालय के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार विचार किया जाता है और सिविल प्रक्रिया संहिता समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू है।

भारतीय दंड संहिता एक कानून है जो भारत में किए गए अपराधों के लिए नागरिकों को दंड देता है और भारत के सभी नागरिकों को उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए बिना किसी भेदभाव के इसके अंतर्गत सजा दी जाती है। साक्ष्य की विधि किसी एक व्यक्ति और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच, समाज के किसी एक वर्ग और समाज के दूसरे वर्ग के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। इसे स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए।

संविधान के निर्माता बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि एक एकसमान पर्सनल लॉ या विवाह संबंधी कानून या उत्तराधिकार संबंधी कानून या दत्तक ग्रहण कानून होना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, एकसमान सिविल संहिता और आज देश में एक समान सिविल कोड है। हमें इस तथ्य को समझना चाहिए। हमें पर्सनल लॉ और सिविल कोड के बीच अंतर समझना चाहिए। पर्सनल लॉ सिविल कोड का एक हिस्सा हो सकता है और फिर भी यह सिविल कोड नहीं है। सिविल कोड पर्सनल लॉ से अधिक व्यापक है। इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

जहां तक विवाह का संबंध है, समाज के विभिन्न वर्गों पर विभिन्न कानून लागू हैं। कुछ मामलों में उत्तराधिकार संबंधी कानून

[श्री शिवराज वि. पाटील]

भिन्न-भिन्न हैं। कुछ मामलों में दत्तक ग्रहण संबंधी कानून समाज के कुछ वर्गों पर लागू है जबकि समाज के कुछ अन्य वर्गों पर यह लागू नहीं है। हिंदू विधि में भी भिन्नताएं भी। देश में मिताक्षरा, दायभाग और अन्य प्रकार के रुढ़िजन्य कानून थे और हमने शारदा विधेयक को पारित करवाने का प्रयास किया ताकि देश में रहने वाले सभी हिन्दुओं पर एक प्रकार का कानून लागू हो।

यह कठिन था। यह इतना कठिन था कि बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया था, ने विरक्त होकर सरकार छोड़ दिया। वे दल से भी बाहर हो गए। किसने उस पर आपत्ति की थी? वे हिन्दू ही थे जिन्होंने इस पर आपत्ति की। ये हिन्दू ही थे जिन्होंने प्रस्तावित उत्तराधिकार कानून पर आपत्ति की, सभी हिन्दुओं ने नहीं कुछ प्रभावशाली हिन्दुओं ने। उन्होंने प्रस्तावित हिन्दू विवाह अधिनियम पर आपत्ति की, उन्होंने प्रस्तावित उत्तराधिकार संबंधी विधि पर आपत्ति की। उन्होंने दत्तक ग्रहण विधि पर उतनी आपत्ति नहीं की।

क्या आपत्तिजनक था? हिन्दू विधि में तलाक की संकल्पना पर सर्वाधिक आपत्ति थी। उन्होंने कहा-"एक बार विवाह हो जाने पर उन्हें संयुक्त जीवन जीना चाहिए और पति तथा पत्नी के बीच कोई तलाक नहीं होना चाहिए। यह वह संकल्पना है जिसे भारत में स्वीकार किया गया है। यह वह संकल्पना है जिसे ईसाई समुदाय में भी स्वीकार किया गया है और यही संकल्पना मुस्लिम समुदाय में भी स्वीकार की गयी है। परंतु ईसाई समुदाय में यह मान्यता है कि कई बार पति और पत्नी का एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और उन्हें तलाक लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें अलग रहने और तलाक लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुस्लिम समुदाय में तलाक की संकल्पना तो है पर वे भी यह मानते हैं कि एक बार विवाह हो जाने पर उन्हें एक साथ रहना चाहिए। परंतु जब यह आवश्यक हो जाता है कि वे अलग हो जाएं तो उन्हें अलग हो जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। ईसाई विधि में हिन्दू विधि से अधिक आसान तरीके से तलाक की अनुमति है और मुस्लिम विधि में ईसाई विधि से थोड़े अधिक आसान तरीके से तलाक लिये जाने की अनुमति है। यह अंतर है।

हम इस संकल्पना का क्या करने जा रहे हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: इस विधेयक पर जो समय निर्धारित था, उसके अनुसार विधेयक का समय पूरा हो रहा है। मैं सदन से अनुमति चाहूंगा कि एक घंटा और बढ़ा दिया जाए। अगर सदन की अनुमति होतो इस पर एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए, सदन इससे सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: इसलिए, तलाक के बारे में मुस्लिम विधि ऐसी है कि तलाक लेना आसान है। अब विवाह के बारे में मुस्लिम विधि की कुछ लोगों द्वारा गलत व्याख्या की गयी है और इस पर बार-बार हमला किया जा रहा है। तलाक संबंधी मुस्लिम विधि विवाह संबंधी विधि की ही प्रगति है, जिसका ईसाईयों द्वारा उपयोग किया जा रहा है और भारत में विवाह संबंधी ईसाई विधि विवाह संबंधी हिन्दू विधि का ही एक सुधरा रूप है। इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

अब मुस्लिम विधि के अधीन, पति और पत्नी के एक बार अलग हो जाने पर पत्नी को भरण-पोषण दिए जाने की व्यवस्था है, जब कि किसी हिन्दू पत्नी को पति से अलग होने पर यह उपलब्ध नहीं होता और इस भरण-पोषण को प्राप्त करने के लिए उसे न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है। क्या हम एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जिसमें पत्नी के लिए अपने पति से अलग होने पर भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाना आवश्यक हो जाए?

महोदय, मुस्लिम विधि के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातों में से एक-जैसा कि कहा जा रहा है-कि एक मुस्लिम चार बार शादी कर सकता है। इस बात की गलत व्याख्या की जा रही है। विवाह के लिए लड़कियों की इतनी बड़ी संख्या कहां है? उतनी लड़कियां कहां हैं जिनसे विवाह किया जाना है। भारत में पुरुषों और महिलाओं की संख्या लगभग समान है। यदि एक पुरुष चार शादियां करता है, तीन व्यक्ति ऐसे होंगे जो अविवाहित रहेंगे। हमारे देश में इस मुद्दे का राजनीतिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। वे कह रहे हैं कि चूंकि मुस्लिम चार बार शादी करते हैं, अत: भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है। यह एक भ्रांति है। यह सही नहीं है। यह गलत है। लड़कियों की इतनी संख्या नहीं है जिससे कि पुरुष एक से अधिक, चार शादियां कर सके। यह संभव नहीं है, यहां तक कि मुस्लिम विधि भी इसकी अनुमति नहीं देता।

मुस्लिम विधि बहुत प्रगतिशील है। विवाह संबंधी मुस्लिम विधि बहुत प्रगतिशील है। मुथा विवाह नामक एक विवाह है। यदि एक पुरुष और एक महिला मिलते हैं और तीन महीने तक साथ-साथ रहते हैं, उन्हें पति-पत्नी माना जाता है। और यदि उनके साथ रहने के कारण किसी बच्चे का जन्म होता है, वह बच्चा उस

पुरुष का माना जाएगा जो उस महिला के साथ रह रहा था। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या इस प्रकार का प्रावधान हिंदुओं द्वारा स्वीकार किया जाएगा? परंतु यह सर्वाधिक वैज्ञानिक है और मुस्लिम विधि का सर्वाधिक न्यायसंगत प्रावधान है। यदि एक महिला और पुरुष साथ रहते हैं और एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को वह सभी संरक्षण मिलना चाहिए जिसकी उसे जरूरत है और यह संरक्षण मुस्लिम विधि द्वारा दिया गया है परंतु हिन्दू विधि में नहीं दिया गया है और ईसाई विधि में भी नहीं दिया गया है।

यदि आप चाहते हैं कि कोई संहिता होनी चाहिए जो समाज के सभी वर्गों पर समानरूप से लागू हो तो क्या हिंदू समुदाय समान नागरिक संहिता में इस प्रकार का उपबंध स्वीकार कर सकेगा? यदि कोई स्वीय विधि की एकसमान संहिता बनाने का प्रयास कर रहा है तो उसे यह प्रयास करने दो, वह एक आदर्श संहिता तैयार करे, उसे जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए, वह उस आदर्श संहिता के प्रारूप को जनता से स्वीकार कराए, फिर हम देखेंगे। हिंदू विधि प्रगतिशील नहीं है। यह बहुत ही प्राचीन विधि है। कुछ परिवर्तन किए गए हैं और फिर भी यह प्राचीन ही है। ईसाई विधि अधिक आधुनिक है। यह अधिकाधिक आधुनिक है। मुस्लिम विधि अभी भी अधिक आधुनिक है। प्राचीन हिंदू विधि हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई थी। ईसाई विधि मात्र 2000 वर्ष पूर्व तथा मुस्लिम विधि 1400 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। हम इस पहलू पर भी ध्यान क्यों नहीं देते?

उदाहरण के लिए उत्तराधिकार विधि को लें। देश में हिंदुओं पर किस तरह की उत्तराधिकार विधि लागू है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में निश्चित ही महिलाओं को सम्पत्ति रखने का अधिकार दिया है। अंग्रेजों के आने से पूर्व महिलाएं अपने पास सम्पत्ति भी नहीं रख सकती थीं, उन्हें सम्पत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था किंतु अंग्रेजों ने महिलाओं को सम्पत्ति रखने का अधिकार दिया।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सम्पत्ति रखने का अधिकार शुरू किया गया है। कई बार कहा जाता है कि महिलाओं और पुरुषों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। यह सही बात नहीं है। पुत्र और पुत्री के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। यदि किसी परिवार के पास 100 एकड़ जमीन हो और उसमें एक माता, एक पुत्र और एक पुत्री हो तो सम्पत्ति का बंटवारा पुत्र और पिता के बीच होगा। पुत्र को 50 एकड़ जमीन मिलेगी। शेष 50 एकड़ जमीन माता, पुत्र और पुत्री में पुन: बांटी जाएगी। पुत्री को मुश्किल से 15-16 एकड़ जमीन मिलती है। पुत्र को करीब 66 एकड़ जमीन मिलती है। यह समानता नहीं है। यदि यह बात अचल सम्पत्ति आदि पर लागू होती हो तो समझ में भी आती है। किंतु बैंक बैलेंस पर यह बात क्यों लागू होनी चाहिए? यह चल सम्पत्ति पर क्यों लागू होनी चाहिए? यह समानता नहीं है। नि:संदेश यह असमानता है। आज भारत मे ऐसी स्थिति है कि कोई पुत्री सम्पत्ति में से हिस्सा लेने का दावा आसानी से नहीं करती। किंतु पुत्रियां सम्पत्ति में से अपना हिस्सा लेने का दावा करने के लिए न्यायालय में नहीं जाती। वे कहती हैं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यदि उन्हें नहीं चाहिए तो वे न्यायालय में न जाएं। हम उनसे नहीं कहते कि वे न्यायालय जाएं। किंतु हमारी उत्तराधिकार विधि ऐसी है।

मुस्लिम उत्तराधिकार विधि कैसी है? यह अत्यधिक वैज्ञानिक है। इसमें महिलाओं को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से सम्पत्ति का स्वामित्व रखने और उसे अपने पास रखने का अधिकार दिया गया है। पूरे देश में स्वीय विधि लागू करने की वकालत करते समय इस पक्ष पर विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? देश के लिए एक ही स्वीय विधि लागू करना क्यों आवश्यक है? हिंदू विवाह अधिनियम में भी यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कर्मकांड किए जाते हैं कि विवाह विधिवत रूप से सम्पन्न हो। किंतु इसमें यह भी उपबंध है कि विवाह की प्रथागत रीति स्वीकार की जाए। वहां भी, उन्होंने प्रथागत रीति से विवाह करने वालों को भी अवसर दिया है। सभी विवाहों में सप्तपथी आवश्यक नहीं है। किंतु यदि उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के अनुसार विवाह हो रहा है तो भी अपेक्षा की जाती है कि विवाह विधिवत रूप से सम्पन्न हुआ है।

इस प्रकार की भिन्नता क्यों है? ऐसी भिन्नता इसलिए है कि ये चीजें युग युगांतर में बनी हैं और उनकी अपनी पवित्रता है और लोग इनसे बंधे हुए हैं। इसीलिए, हिंदू विवाह अधिनियम में भी इस तथ्य को मान्यता दी गई है। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम में इसे मान्यता दी गई है। फिर आप दूसरों द्वारा अन्य रीतियों से सम्पन्न किए गए विवाहों या जहां अन्य प्रकार की विधियां लागू हैं उन विवाहों को मान्यता क्यों नहीं देते।

यदि मुसलमान अमेरिका या इंग्लैंड में रह रहे हैं तो उन पर ईसाई विवाह विधि लागू नहीं होती। इसे गलत ढंग से मत समझिए। वे अपने ही विवाह विधियों से शासित होते हैं। ब्रिटिश सरकार उन्हें ईसाई रीति से विवाह सम्पन्न करने के लिए जोर नहीं देती। हमें इस पर गलती नहीं करनी चाहिए। वह कह सकती है कि अपने विवाह को रजिस्टर कराइए। यह अलग बात है। किंतु वह यह नहीं कह रही कि आप विवाह सम्पन्न कराइए और विवाह विधि का विशेष ढंग से पालन कीजिए। वह अमेरिका या इंग्लैंड में रहने वाले मुसलमानों को उस समाज में रहने वाले अन्य वर्गों द्वारा अपनाए जाने वाले उत्तराधिकार के सिद्धांतों का पालन करने के लिए भी विवश नहीं कर रही। वह परिवारों को उनके

[श्री शिवराज वि. पाटील]

अपने ढंग से सम्पत्ति उत्तराधिकार में देने की अनुमति देते हैं। इसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

इस अनुच्छेद का प्रारूप बड़ी सावधानी से तैयार किया गया है। मैंने पहले ही यह कह दिया है। इसमें कहा गया है, 'निश्चिन्त रहने का प्रयास करो।' इसमें यह नहीं कहा गया है कि 'स्वीकार करने के लिए उन पर दबाव डालो'। सरकार को दबाव नहीं डालना चाहिए और ठीक ही है कि सरकार दबाव नहीं डाल रही है। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी दबाव नहीं डाला था। किंतु हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए कि समाज का एक वर्ग ऐसा समझने लगे कि समाज में ऐसे लोग हैं जो अपनी विधियां उन पर थोपने का प्रयास कर रहा है।

यदि पारसी अपनी विवाह विधियां बदलवाना चाहते हैं, यदि वे आगे आकर इसके लिए कहें तो हम बदल दें। यदि ईसाई अपनी विवाह विधियां बदलवाना चाहते हैं तो हम बदल दें। यदि मुसलमान बदलाव चाहें तो हम मुस्लिम विवाह विधि को बदल दें। किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि आपको अपना विवाह इस तरह से सम्पन्न कराना चाहिए। आप अपनी सम्पत्ति का विभाजन अपने बच्चों में इस तरह या इस अनुपात में करें।' ऐसा अधिकार किसी को नहीं है।

आज यदि हमें अपने देश को एक रखना है तो जैसा कि श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन ने कहा था, हमें कुछ अनेकता की गुंजाइश भी रखनी होगी। एकता के लिए अनेकता जरूरी है। यदि आप एकरूपता के माध्यम से एकता लाना चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकेगा क्योंकि मानव-मानव समान नहीं हैं, उनकी आकांक्षाएं समान नहीं हैं और जिस संस्कृति में वह पल रहे वह संस्कृति समान नहीं है। प्रकृति ने भी सबको ऊपर से एक जैसा नहीं बनाया है। यहां बैठे सभी व्यक्ति अलग-अलग तरह के हैं। आंतरिक रूप से हो सकता है वे समान हों और उनमें एकता हो किंतु बाहर से अनेकता है। हमें अनेकता और बहुलता के महत्व को समझना चाहिए। यदि आप बहुलता का महत्व नहीं समझते और चाहते हैं कि हर आदमी एक ही लीक पर चले, एक ही तरीका, एक ही सिद्धांत, एक ही स्कीम और एक जैसा कानून अपनाए तो ऐसी बलात् कार्रवाई या जबरदस्ती के खिलाफ, जिसे समझाने या सलाह देने का काम नहीं कहा जा सकता, उन्हें विद्रोह करने से नियंत्रित करना बहुत कठिन होगा।

इसीलिए, इस बात की स्पष्ट समझ होने की आवश्यकता है कि निदेशक तत्वों संबंधी अध्याय में अनुच्छेद 44 क्यों शामिल किया गया है। बहुत ही सावधानी से चुने गए और यहां शामिल किए गए इन शब्दों के अर्थ की बहुत ही स्पष्ट समझ होने की आवश्यकता है कि-

'एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।' मैं समझता हूं कि हमारे जैसे देश के लिए यह आवश्यक है जहां समाज का एक बड़ा वर्ग भिन्न प्रकार की विवाह और उत्तराधिकार विधियों का पालन कर रहा है तथा जहां भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक पहलू हैं जिन्हें न सिर्फ स्वीकार करना होगा बल्कि उनका आदर भी करना होगा। यदि आप उनका आदर नहीं करते और सिर्फ स्वीकार कर लेते हैं और कुछ मामलों में स्वीकार भी नहीं करते बल्कि दूसरों पर अपना दृष्टिकोण थोपने का प्रयास करते हैं, भले ही आपका दृष्टिकोण ठीक न हो, तो इससे समाज के उस वर्ग का भला नहीं होने वाला और न ही देश की एकता का और न हम सबका। मैं यही कहना चाहता था।

आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूं।

श्री खारबेल स्वाईः महोदय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई मुस्लिम महिला न्यायालय में जाती है और कहती है कि उसे किसी सपत्ति से वंचित कर दिया गया है तो न्यायालय उसके मामले में किस कानून के अधीन निर्णय करेगा?

श्री शिवराज वि. पाटीलः मैंने भी आपसे यही कहा था। यदि आप सिविल प्रक्रिया संहिता और ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं तो अलग बात है किंतु यदि कोई महिला न्यायालय में जाकर कहे कि 'मेरे पिता की संपत्ति में मेरा हिस्सा है, या मेरे पति की संपत्ति में मेरा हिस्सा है', तो मुस्लिम विधि लागू होगी।

श्री खारबेल स्वाईः मैं ऐसा नहीं मानता। वहां सभी नागरिकों के लिए एक ही नियम है और उस पर वही लागू होगा।

श्री शिवराज वि. पाटीलः आपको अलग ढंग से सोचने का हक है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल): महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करता हूं कि वे अपना संकल्प वापस लें। मुझे कहना पड़ रहा है कि इस स्थिति में संकल्प लाना हमारे देश के हित में नहीं है।

हम एकता वाला भारत चाहते हैं और हर तरह से एकता चाहते हैं। जैसाकि मेरे मित्र श्री शिवराज वि. पाटील ने प्रभावपूर्ण ढंग से बताया था, हम अनेकता में एकता की तलाश कर रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र का सार बहुलता में है। हर चीज में समानता लाकर संसदीय लोकतंत्र नहीं चल सकता। संसदीय लोकतंत्र में कुछ भी समान नहीं है।

संसदीय लोकतंत्र का आधार सहिष्णुता है। संसदीय लोकतंत्र का सार सहिष्णुता है। इस पृष्ठभूमि में हमारे संविधान निर्माताओं ने निश्चित प्रयोजन से संविधान बनाया था।

अब, जबकि उन्हें व्यक्ति के अधिकारों के बारे में निर्णय लेना था तब उन्होंने ध्यान में रखा कि व्यक्ति के अधिकार जो निर्धारित करने हैं और जिनका न्यायिक रूप से कार्यान्वयन करना है, उन्हें संविधान के मूल अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए। जो अधिकार न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्त नहीं किए जा सकते थे उन्हें राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के भाग-IV में शामिल किया गया था। कुछ मूल अधिकार हैं जिनका कार्यान्वयन किया जाना है किन्तु वे मूल अधिकार उस समय कार्यान्वित नहीं किये जा सके जब संविधान बना था। न्यायिक मूल अधिकारों और गैर-न्यायिक मूल अधिकारों में अंतर है।

अब, भारत एक औपनिवेशक देश था और हमें स्वतंत्रता मिली। मैं कहूंगा कि हर नागरिक को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। यह मूल अधिकार है। स्वतंत्र भारत में किसी भी पंथ, जाति या लिंग के नागरिक को रोजगार का हक है। क्या संविधान निर्माताओं के लिए इस अधिकार को मूल अधिकार के रूप में देना संभव होता? यह संभव नहीं था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत एक औपनिवेशिक देश था जिसमें कोई विकास नहीं था, हर चीज का शोषण होता था और उस समय हमारा देश सबसे गरीब देश था। इतिहासकारों ने यह दर्ज किया है कि भारत 16वीं या 17वीं सदी में सबसे घनी देश था। जब हमें आजादी मिली, तब हमारा देश गरीब था, देश के समक्ष भुखमरी की समस्या थी और लाखों लोग निरक्षर थे। अत: संविधान निर्माताओं ने पाया है कि यद्यपि यह एक मूल अधिकार है, तो भी इसे न्यायिक मूल अधिकार नहीं माना जा सकता है। इसलिए, उन्होंने इसे राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में शामिल किया। काम का अधिकार राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में से एक है जिसे राज्य सभी लोगों को देने का प्रयास करेगा। इसे राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में शामिल किया गया। ऐसा क्यों किया गया? व्यावहारिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में शामिल किया गया। यदि आप निदेशक तत्वों में निर्धारित सिद्धांतों को प्राथमिकता दें, तो मैं कहूंगा कि काम के अधिकार को संविधान में पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसे मूल अधिकार बनाया जाना चाहिए। व्यक्तिगत अधिकार उसके बाद आने चाहिए। यदि मेरे मित्र इस आशय से कोई संकल्प अथवा संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करें कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत में काम पाने का हक है, तो मैं संकल्प का समर्थन करूंगा। क्या वह ऐसा संकल्प लाएंगे? यदि ऐसा कोई संकल्प या कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाता है तो मैं उसका मतलब समझ सकता हूं। सर्वोच्च प्राथमिकता की बात यही है।

हमारे देश में लाखों युवा बेरोजगार हैं। हम नौ पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद भी उन्हें कोई रोजगार प्रदान नहीं कर सके। करोड़ों शिक्षित और अशिक्षित लोग बेरोजगार हैं। उन्हें इस देश का नागरिक होने का अधिकार है। नागरिक का अधिकार काम सबंधी अधिकार है। वह मूल अधिकार नहीं है। उसे मूल अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। हमें वाक्-स्वातंत्र्य प्राप्त हैं; हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है और हमें इस बात की स्वतंत्रता है कि हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष अवश्य पेश किया जाना चाहिए। ये बाते हैं जो लागू की जा सकती हैं किंतु काम पाने के अधिकार से संबंधित मामला किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता। अत:, काम के अधिकार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है।

अब, वह किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से एक संशोधन लाए हैं जिसके संबंध में अपनी बात प्रस्तुत करने की अनुमति मुझे दी जाए।

यह एक आदर्श दृष्टिकोण नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि यदि इसे किसी आदर्श विचार के साथ लाया जाता तो मैं इसका समर्थन करता। परंतु बात ऐसी नहीं है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में भी मेरे मित्र ने कहा: "हमारा देश धर्मतांत्रिक देश नहीं है।" वे कहते हैं कि हमारा देश धर्मतांत्रिक देश नहीं है। ऐसा कौन कहता है? माननीय सदस्य योगी आदित्यनाथ ऐसा कहते हैं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह मेरा कथन नहीं है। 18 नवंबर को, जब गुजरात की स्थिति की चर्चा की गई थी, तब माननीय उप प्रधानमंत्री श्री एल. के. आडवाणी ने कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इससे आपके अंदर हलचल उत्पन्न हो गई है। इससे पूरे देश में असंतोष व्याप्त हो गया है और शिव सेना के श्री बाल ठाकरे जैसे नेता ने भी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने उस वक्तव्य को लेकर श्री एल.के. आडवाणी के प्रति असंतोष प्रकट किया। अंतत:, हमारे उप प्रधानमंत्री कानूनी स्थिति अपना रहे हैं। हमारे संविधान में यह निर्धारित किया गया है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने केवल यही बात बताई है। परंतु जब उन्होंने ऐसा कह दिया है तो हर तरफ कोलाहल मच गया। बजरंग दल ने विद्रोह कर दिया; आर एस एस मोर्चा ने विद्रोह कर दिया। शिव सेना के सर्वोच्च नेता ने अपने समाचार-पत्र में लिखा था कि श्री आडवाणी छद्म-धर्मनिरपेक्षवादी हैं। श्री आडवाणी ने यही कहा कि हमारा भारत बहुत्ववादी समाज सहित एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्होंने यही कहा है। जब तक कि वे उप प्रधानमंत्री हैं, वे अन्यथा बात नहीं कह सकते। क्या वह ऐसा कह सकते थे कि भारत एक

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

हिन्दू देश है? वे, ऐसा नहीं कह सकते। संविधान में उपबंधों के अनुसार सही बात करने से ही लोगों के बीच बड़ी हलचल उत्पन्न हो गई है।

केवल ऐसा ही नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं को उस समय आम सिविल कोड लागू करना कठिन लगा। क्या आप ऐसा मानते हैं कि स्थिति बदल गई है? क्या स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है? हम जानते हैं कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दी गई है और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच दुर्भावना उत्पन्न की गई। हम सभी को इसकी जानकारी है। यहां तक कि हमारे उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण एल.के. आडवाणी ने मस्जिद ध्वस्त करने संबंधी घटना पर खेद प्रकट किया। उन्होंने स्वयं खेद प्रकट किया। देश में यही स्थिति विद्यमान है।

केवल यही बात नहीं है। अब हम गोधरा की घटना के बारे में भी सोच रहे हैं। यहां तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से उस घटना पर खेद प्रकट किया है और कहा है कि इसे गुजरात में चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। गोधरा की घटना चुनाव का मुद्दा नहीं होनी चाहिए। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री का वक्तव्य था। कृपया इसे चुनाव का मुद्दा मत बनाइए। देश में यही स्थिति है। क्या यह हमारे लिए सही है कि हम संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 44 को समाप्त कर दें? क्या यही सही समय है? देश में कैसी स्थिति है?

हमें एकीकृत भारत की आवश्यकता है। हम भारत का आगे और विभाजन नहीं चाहते हैं। हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां हर व्यक्ति मिलकर रहे। मुस्लिम, हिन्दू और सिक्ख-सभी कानून के समक्ष समान हैं। हर व्यक्ति के पास अपना निजी कानून हो सकता है। क्या कठिनाई है? मेरा अपना अनुभव है। मैं पिछले पचास वर्षों—आधी शताब्दी से वकील हूं। मैंने अनेक निजी कानूनी मामले संभाले हैं। कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। मुस्लिम विवाह-विच्छेद विधि सिविल प्रक्रिया संहिता के माध्यम से लागू की गई। हिन्दू विवाह-विच्छेद विधि को सिविल प्रक्रिया संहिता के माध्यम से लागू किया गया। दोनों मामलों में बुनियादी विधि समान है। सिविल प्रक्रिया संहिता हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पर लागू है तथा यह मुस्लिम विधि के लिए भी समान रूप से लागू है। विरासत की विधि हिन्दूओं, मुस्लिमों और सिक्खों के लिए समान रूप से लागू है। इस संबंध में कोई अंतर नहीं है।

मूल बात जो महसूस की गई है, वह यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता विद्यमान है और हमारे पास भा.दं.स. है। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के माध्यम से अपना भरण-पोषण प्राप्त होता है। वे मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर करती हैं और मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन पत्नी के लिए भरण-पोषण संबंधी आदेश जारी करता है।

यह एकसमान विधि है। परंतु हमारे कतिपय विश्वास हैं। किसी समय हिन्दुओं का यह विश्वास था कि पति की मृत्यु होने पर पत्नी को पति के साथ जला दिया जाना चाहिए। परंतु अब यह प्रथा नहीं है। परंतु यह पुरानी हिन्दू विधि का हिस्सा था। क्या अब इसे लागू किया जा सकता है? नहीं, यह संभव नहीं है। अनेक ऐसी विधियां हैं जो पुरानी हो गई हैं और उन्हें किसी सभ्य समाज में बनाए नहीं रखा जा सकता है।

मैं यहां आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा। मेरे राज्य में किसी विशेष गांव में कुछ मुस्लिम परिवार हिन्दू विरासत विधि को मानते हैं, अर्थात्, 'मरुमाकाटायम', जिसके द्वारा बहन के पुत्र को पारिवारिक संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। यह हिन्दू विधि का भाग है। अत:, विरासत विधि, उत्तराधिकार विधि और विवाह विधि केवल स्वीय विधियां हैं। हम उन विधियों को यहां क्यों लागू करें? क्या हिन्दू विधियों के कतिपय पहलुओं, मुस्लिम विधियों, के कतिपय पहलुओं और ईसाई विधियों के कतिपय पहलुओं को एक साथ लाना संभव है? हमने इतनी चीजें नष्ट कर लोगों के बीच काफी आशंकाएं और तनाव उत्पन्न किया है जिन्हें मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

हम सब भारतीय हैं। हम एकीकृत भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। कृपया समाज में और कोई विभाजन कर सनसनी उत्पन्न न करे। इस विधेयक को लाने का उद्देश्य और इरादा स्वीय विधि के नाम पर अल्पसंख्यकों पर हिन्दू समाज के विश्वासों को लागू कराना है। परंतु यह संभव नहीं है। मेरे विद्वान मित्र श्री शिवराज पाटील द्वारा यह ध्यान दिलाया गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में ईसाईयों को विवाह के मामले में अपनी विधि का पालन करने की अनुमति है। हिन्दुओं को अपने प्रथागत विश्वासों को अपनाने की अनुमति है, मुस्लिमों को विवाह और विरासत के मामलों में अपनी विधियों के अनुसार चलने की अनुमति है। तत्पश्चात्, भारत के मुस्लिमों को उनकी विरासत विधि को बनाए रखने की अनुमति देने में क्या कठिनाई है? वे समाज का अनिवार्य अंग हैं। वे इस देश में शताब्दियों से एक साथ रह रहे हैं।

भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृति है जिसमें हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख और ईसाई शामिल हैं। विरासत, उत्तराधिकार और विवाह के मामलों में हिन्दुओं, मुस्लिमों, सिक्खों और ईसाईयों को अपनी स्वीय विधियों के अनुसार चलने की अनुमति देने में क्या कठिनाई है? इसमें कोई कठिनाई नहीं है। उनकी अपनी विधियां हैं, हमारी अपनी विधियां हैं तथा हम अपनी संबंधित विधियों का पालन करते हैं। परंतु विधि को एक समान प्रक्रिया अर्थात् साक्ष्य

की विधि में सिविल प्रक्रिया और दंड प्रक्रिया द्वारा लागू किया जाता है। परंतु यह एकसमान है। लेकिन स्वीय मामलों में भिन्नता है। इसलिए, विधि संवाद और भारतीय विधि लागू करने के मामले में, एकरूपता है। मूल प्रक्रिया के मामले में एकसमान सिविल संहिता है तथा स्वीय विधि लागू करने के मामले में अनेकरूपता है। परंतु उससे समस्त समाज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें हर व्यक्ति की बात माननी होगी। हम संसदीय लोकतंत्र में रह रहे हैं। सहिष्णुता संसदीय लोकतंत्र का सार है और हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते।

अत:, मैं अपने विद्वान मित्र योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्रहित में, विशेष रूप से इस चरण में और कोई विवाद और तनाव से बचें तथा इस विधेयक के लिए दबाव न डालें। इससे कोई भलाई नहीं होगी। यदि इससे कुछ अच्छा होता तो मैं इस बात को समझ सकता। परंतु इससे अल्पसंख्यक समुदाय के बीच आशंका की स्थिति उत्पन्न होने के अलावा और कुछ अच्छा नहीं होगा। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है।

अत:, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे भारतीय समाज और उसकी एकता के हित में अपना संशोधन विधेयक वापस ले लें। उन्हें अपनी स्वीय विधि के अनुसार चलने दीजिए। उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार विवाह करने दीजिए। मैं संशोधन विधेयक में दिए गए अनुसार स्थिति को स्वीकार नहीं करता हूं। विशेषकर गुजरात चुनावों की पृष्ठभूमि में उत्पन्न तनावों को ध्यान में रखते हुए, हम माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि वे अपने संशोधन के लिए जोर न डालें और सभा की अनुमति से उसे वापस ले लें।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, मेरे साथी, सहयोगी श्री आदित्यनाथ ने जो संविधान संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहले भी और आज भी अनेक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और सामान्यत: विरोधी पक्ष के सदस्यों ने यह दर्शाया कि इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता नहीं है और संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी मान्यता है कि यह संशोधन उपयुक्त है और इस प्रकार का संशोधन देश हित में आवश्यक है क्योंकि आपने और हमने भारत का संविधान पढ़ा है। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में स्पष्ट उल्लेख किया था कि भारत में समान नागरिक कानून संहिता की आवश्यकता है। योग-संयोग, छद्म राजनीतिक कारणों से, वोट की राजनीति के कारणों से अनुच्छेद 44 पर अमल नहीं किया गया।

मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 48 में गोवंश की रक्षा का दायित्व भी सरकारों के ऊपर छोड़ा गया था और यह अपेक्षा की गई कि गोवंश की हत्या पर रोक लगाने का काम सरकार करे। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था, उसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब थे। सामान्यत: सामने बैठे हुए राजनीतिक दल के प्रमुख लोग भी उसमें थे। उन्होंने देश की आवश्यकता को महसूस करके, इस देश में अमन-चैन का वातावरण बना रहे, बन जाए, किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं हो और देश तेज गति से विकास करे, इन भावनाओं के साथ अनुच्छेद 44 और 48 का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया, किन्तु आज तक उन पर अमल करने की कार्यवाही नहीं की गई और जो इस पर अमल करने की बात करते हैं, उनको साम्प्रदायिक करार देकर उसका विरोध किया और उसका परिणाम यह निकला कि आज सारे देश में कटुता का वातावरण है।

मैंने मुस्लिम लॉ पढ़ा है, हिन्दू मैरिज एक्ट पढ़ा है, आई.पी.सी. को भी पढ़ा है। मुस्लिम लॉ में भी स्पष्ट लिखा है कि एक ही शादी की जाएगी, एक ही शादी करनी चाहिए। हजार वर्ष पहले कोई एक घटनाक्रम हुआ था। एक युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम योद्धा मारे गए और उनकी पत्नियां विधवा हो गई। तब कुछ बुद्धिजीवियों ने विचार किया कि आखिर जो विधवाएं हो गई हैं, उनका लालन-पालन या भरण-पोषण कैसे होगा। उस पर विचार-विमर्श हुआ और उसके बाद यह तय किया गया कि हालांकि शरीयत और इस्लाम में यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति को एक ही शादी करनी चाहिए परन्तु फिर भी जो शादी-शुदा व्यक्ति है, वह अपनी पत्नी से सहमति लेकर, जो विधवाएं हो गई हैं, उन विधवाओं को अपने घर ले जाकर उनके भरण-पोषण या लालन-पालन की व्यवस्था कर सकेगा, काम कर सकेगा। परन्तु ऐसा करते समय उसकी पहले जो शादी हुई है और जो पत्नी उसके साथ है, उसका वही मान-सम्मान होगा जो पत्नी के रूप में होना चाहिए। परन्तु देखा यह जा रहा है कि वर्तमान समय में और देश की आजादी के बाद स्वार्थवश इस नियम की व्याख्या गलत तरीके से की गई।

अभी मैं माननीय शिवराज पाटिल साहब का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सामाजिक कानून हमारे यहां समान बने हुए हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि मैं हिन्दू हूं, मैंने एक शादी कर रखी है और दूसरी शादी अगर मैं कर लूं तो मेरे ऊपर भरण-पोषण का प्रकरण चल सकता है और भरण-पोषण के प्रकरण के साथ धारा 494 का प्रकरण भी चल सकता है। उस धारा 494 के प्रकरण में मुझे सात साल की सजा हो जायेगी। लेकिन यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति एक के बजाय दो, तीन या चार शादियां कर ले तो उसके ऊपर धारा 494 लागू नहीं होगी। यह अन्तर है कि नहीं

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

है? हिन्दुस्तान में रहने वाला एक व्यक्ति दूसरी शादी करे तो धारा 494 लग जायेगी और उसमें सजा का प्रावधान सात साल का है और अगर मुस्लिम होगा तो उस पर धारा 125 भी लागू नहीं होगी।

मुझे मालूम है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और मध्य प्रदेश में इन्दौर एक बहुत बड़ा शहर है, वहां की शाहबानो नाम की एक शादीशुदा महिला थी। उसके पति ने उसकी इच्छा के विपरीत दूसरी शादी कर ली तो उस महिला को अर्थात शाहबानो ने कानूनी प्रावधान होने के कारण आई.पी.सी. की धारा 125 के अंतर्गत कोर्ट से न्याय प्राप्त करने के लिए दावा लगाया। एक कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दे दिया तो सामने वाला पक्ष अपील में आया। हाई कोर्ट ने भी उसके पक्ष में फैसला दे दिया तो फिर सामने वाला पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी शाहबानो के पक्ष में फैसला दे दिया। उसने अपने फैसले में यह कहा कि आई.पी.सी. की धारा 125 यह कहती है कि इसकी इच्छा के विपरीत अगर कोई दूसरी शादी करता है तो जिसने दूसरी शादी की है, उसका दायित्व बनता है कि वह इसके भरण-पोषण के लिए आर्थिक मदद करे और धनराशि दे। कोर्ट ने जो पैसा देना चाहिए, उतना देने का आदेश भी दिया था, शायद 500 रुपये प्रतिमाह या जो भी धनराशि देने का प्रावधान किया था, कोर्ट ने आदेश देकर वह किया। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, जहां तक मुझे याद है, राजीव गांधी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। इस विषय से उनमें हड़बड़ाहट मच गई, घबराहट मच गई कि सारे देश का मुस्लिम, जो वोट बैंक के रूप में उपयोग आता रहा है, कहीं वह नाराज न हो जाये। इसलिए आई.पी.सी. की उस धारा 125 में पिछली तारीख से संशोधन कर दिया। पिछली तारीख से संशोधन सामान्यतया नहीं होते हैं। दो बार ही ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। एक तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव के अयोग्य करार दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर उनको चुनाव के अयोग्य करार करके उनको पद से हटाने का निर्णय दिया था तो अपना पद बचाये रखने के लिए उन्होंने पिछली तारीख से संशोधन कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और शायद लोक सभा के अध्यक्ष के खिलाफ किसी कोर्ट में किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज नहीं किया जायेगा। एक तो पिछली तारीख से यह संशोधन हुआ था और एक शाहबानों के प्रकरण में संशोधन हुआ। उसे भरण-पोषण के जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, उससे वंचित करने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था।

अगर कोई हिन्दू दूसरी शादी कर ले तो आज भी उसे भरण-पोषण स्वयं की जेब से देना पड़ता है लेकिन उसके बाद मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को अगर भरण-पोषण देने की स्थिति आ जाये तो एक प्रावधान कर दिया कि यह देखा जायेगा कि उसके पति, जिसने दूसरी, तीसरी या चौथी शादी कर ली, वह पैसा देने में सक्षम है कि नहीं है और यदि वह सिद्ध हो जाता है, वह सिद्ध कर देता है कि मैं तो भरण-पोषण के लिए पैसा देने में सक्षम नहीं हूं तो फिर उसके परिवार में कोई सक्षम है कि नहीं है, यह देखा जायेगा और यदि उसके परिवार से संबंधित लोग भी यह सिद्ध कर दें कि वे भरण-पोषण की धनराशि देने की स्थिति में नहीं हैं तो वक्फ बोर्ड से उसे भरण-पोषण की व्यवस्था करने का प्रावधान कर दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड में जो पैसा देता है, वह आप और हम सब टैक्स के रूप में जो पैसा देते हैं, उस टैक्स का पैसा उसमें जाता है।

एक कहावत है कि करे कोई-भरे कोई।*

यह कहावत भी हमारे यहां है। अपराध वह कर रहा है और पैसा हमारा जो सरकारी खजाने में, वक्फ बोर्ड में है, उसको दिया जा रहा है। ऐसा कानून बनाने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है।

सभापति महोदय: थावरचंद जी, आपने अभी जिस शब्द का प्रयोग किया, मैं समझता हूं उसको रिकार्ड में न लिया जाए तो अच्छा है। इसको जिस तरह से प्रयोग में लाया जाता है, यह शब्द ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैंने उनके अनेक शब्दों पर आपत्ति नहीं की। परंतु यदि सभा का विचार है कि उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जा सकता है, तो उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया जाए। अन्यथा, विषय पर विचार करने का यह तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: सभापति महोदय, मैंने कहा कि यह एक कहावत है, हमारे पूर्वज कहा करते थे इसलिए कह दिया। अगर आप इसे उचित नहीं समझते तो निकाल दें, मैं सहमत हूं। आप कहें तो मैं उन शब्दों को वापस ले लेता हूं। मैंने संकोच में आकर कहा था कि करे कोई-भरे कोई और कहा कि एक कहावत और है, अगर यह असंसदीय है तो मैं स्वयं इसे वापस लेने के लिए तैयार हूं।

इस प्रकार की स्थिति किसने बनाई, इस प्रकार की स्थिति को जब देशवासी देखते हैं तो उनमें एक-दूसरे के प्रति समरसता का जो वातावरण बनना चाहिए, वह नहीं बनता। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो छद्म राजनीति का दौर चला था, उसका ही परिणाम है कि यह कानून में भेदभाव है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, मैं भी कहना चाहता हूं कि विश्व में अनेक देशों में सब प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं। परंतु वहां आपराधिक दृष्टि से एक ही कानून है। हम जब मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों से, मौलाना साहब से, मौलवी साहब से या अमीन साहब से बात करते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम जब शाहबानो के प्रकरण में एक से ज्यादा शादी करने की बात पर रोक लगाने की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि यह शरीयत का उल्लंघन है और इस्लाम के खिलाफ है। हम फिर कहते हैं कि आप एक बात बताओ कि आपकी शरीयत और इस्लाम कहता है कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाएं। इनके कानून में इसका प्रावधान है। अगर चोरी सिद्ध हो जाती है तो चोरी करने वाले अपराधी के हाथ काटने का प्रावधान शरीयत में है। इसी तरह से अगर कोई बलात्कार करता है तो उसे चौराहे पर कोड़े मारे जाते हैं या पत्थरों से मारा जाता है। अगर इस्लाम का अनुयायी किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है और यह सिद्ध हो जाता है तो उसको चौराहे पर खड़ा किया जाता है। सरकारी अधिकारी और पुलिस का अमला भी वहां बैठते हैं। पब्लिक को भी आमंत्रित किया जाता है और उससे कहा जाता है कि इसको पत्थरों से तब तक मारो जब तक यह मर न जाए, इसकी सांस बंद न हो जाए। हम कहते हैं कि आपके यहां चोरी करने वाले को जो सजा हमें मिलती है, वही आपको यहां मिलती है, फिर क्या यह आपके इस्लाम के खिलाफ नहीं है। इस पर वे सीधे-सीधे जवाब देते हैं कि हिन्दुस्तान को हम अपना देश मानते हैं और हम यहां रहना चाहते हैं। हिन्दुस्तान का एक ही कानून होना चाहिए। हम तो सब करने के लिए तैयार हैं, परंतु राजनैतिक लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। हमारे हाथों में सत्ता नहीं है, लेकिन जिनके हाथों में है, वे इस प्रकार का कानून बनाकर हमें मोहरा बनाकर हमारा उपयोग करते आ रहे हैं। हम तो आपकी बात से सहमत हैं और यह सब कहते हैं। कोई मुस्लिम धार्मिक जैसे मौलवी साहब हैं या मौलाना जी हैं, यह कहें कि शरीयत का और इस्लाम का कानून है कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाएं, बलात्कार करने वाले को कोड़े मारे जाएं और हत्या करने वाले को पत्थरों से मार-मार कर मारा जाये, क्या आप उससे सहमत होंगे? मैं शिवराज पाटिल जी से पूछना चाहूंगा कि वे सर्व धर्म समभाव की बात कर रहे थे, क्या वे इस प्रकार का कानून लाने की बात करते हैं, जबकि हमारे देश के मुसलमान यह नहीं चाहते।

अभी वरकला राधाकृष्णन जी बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों में इस बात का कोई बहुत ज्यादा विरोध नहीं है। वे राम मंदिर बनाने के भी बहुत ज्यादा विरोधी नहीं हैं। विरोध अगर कहीं है और कोई कर रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, राजनीतिक दलों के लोग ही कर रहे हैं। वे इस प्रकार का वातावरण बनाकर देश के शांति के वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। इस प्रकार का भेदभावपूर्ण वातावरण बनाकर, अनेक प्रकार के कानून रहते हुए क्या इस देश की एकता-अखंडता सुरक्षित रह सकती है। यह तो गनीमत है कि हम और आप सब बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं तो यह हो रहा है। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो क्या कल्पना की गई थी। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के सामने गए। अंग्रेजी हुकूमत ने गोलियां चलाई, और उन्होंने गोलियां खा लीं।

सायं 6.00 बजे

वे लोग देश की आन, बान और शान के लिए बलिदान हो गये। वन्दे मातरम का जो नारा लगाते थे, भारत माता की जय का जो नारा लगाते थे, जो पहले वाली सरकार थी और देश की आजादी के बाद लगातार 40-50 साल तक जिन्होंने राज किया, उनके राज में ऐसी स्थिति क्यों बन गई कि वन्दे मातरम शब्द साम्प्रदायिक हो गया? भारत माता की जय का नारा लगाना साम्प्रदायिक हो गया? वह किसी पार्टी विशेष के खाते में क्यों डाल दिया गया? क्या महात्मा गांधी जी ने वन्दे मारम का नारा नहीं लगाया था? क्या नेहरू जी ने वन्दे मारतम का नारा नहीं लगाया था? मुझे याद है जब इस संबंध में सदन में वन्दे मातरम का गाना गाने के बारे में चर्चा उठी तो उसका विरोध किया गया। कहा गया कि नहीं, संसद में वन्दे मातरम का गान नहीं होने देना चाहते। राष्ट्रीय गीत होगा परंतु वन्दे मातरम नहीं होगा। क्यों?

भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अल्पसंख्यक मोर्चे का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आए और जब कार्यक्रम चैक आउट किया तो उसमें यह था कि वन्दे मातरम के साथ इस कार्यक्रम का शुभारम्भ होगा। मुस्लिम लोगों ने कहा कि वन्दे मातरम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करने से मामला ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिम समाज में यह कहा जाएगा कि तुम गीता का पाठ कर रहे हो। हमने उन्हें समझाया। माननीय ठाकरे जी प्रदेश के उस समय वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष थे। उस समय आरिफ बेग भी थे। उन्होंने उन लोगों को समझाया कि वन्दे मातरम का अर्थ क्या है, यह आप लोग जानते हैं? उन्होंने बताया कि वन्दे का अर्थ वंदना करना है, नमस्ते करना, सलाम करना है और मातरम का अर्थ मातृभूमि। अर्थात् हे मातृभूमि, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। जब हमने उनको समझाया कि हम आपसे कोई गीता का पाठ नहीं करवा रहे हैं, कोई रामायण नहीं पढ़वा रहे हैं। जब हमने बताया कि वन्दे मारतम का अर्थ यह है कि मातृभूमि, मैं तुम्हें सलाम करता हूं तो वे सहर्ष तैयार हो गये और कार्यक्रम में किसी तरह का व्यवधान नहीं हुआ। क्या इस तरह का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी तत्कालीन सरकार की नहीं थी? तत्कालीन सरकार ने जानबूझकर

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

विद्वेष फैलाने का काम किया और विद्वेष फैलाने के बाद जो वातावरण बनाया, उसका परिणाम यह है कि आज इस प्रकार के संशोधन के लिए जब बिल लाये जाते हैं या विधेयक लाये जाते हैं तो विरोधी स्वर उठकर सामने आते हैं। ...*(व्यवधान)* देश के संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार करने के मामले में तत्कालीन सरकारें खरी नहीं उतरी।

आज गो-वंश की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात संविधान के अनुच्छेद 48 में लिखी हुई है और उसके पीछे वैज्ञानिक आधार है कि अगर गो-वंश जीवित रहेगा और गो-वंश फलेगा-फूलेगा तो देश का विकास होगा परंतु इस लाइन पर चलने की बजाए जो दूसरे तौर-तरीके अपनाये गए और बूचड़खाने खोलकर गो-वंश की हत्या की जा रही है। आज हमारा यह कृषि प्रधान देश विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे है। विश्व में अनेक मुस्लिम राष्ट्र हैं। इंडोनेशिया भी उसमें से एक है और मेरी जानकारी के अनुसार जितने भी मुस्लिम राष्ट्र 39 या 40 हैं, उन सबमें अगर सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज की जनसंख्या कहीं है तो वह इंडोनेशिया में है परन्तु वहां की संस्कृति कैसी है—वहां की एयरलाइन्स का नाम क्या है-गरुड़ एयरलाइन्स। वहां के टाकीजों के नाम क्या हैं-रामकृष्णा टॉकीज। हमारे यहां इस प्रकार का कुछ हो जाए तो साम्प्रदायिक दिखाई देने लगती है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत: अभी तो समय है। मैं यह कह रहा था कि वहां इस प्रकार का वातावरण है। हमारे यहां भी इस प्रकार का वातावरण बनाया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी मंत्री जी को जवाब देना है तथा एक और सदस्य बोलेंगे। घंटा वैसे ही हो जाएगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत: जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और जनसंख्या पर रोक लाने के लिए अगर कोई कानून बनाने की बात आती है कि इस देश में एक परिवार में दो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। हमारे पड़ोसी देश चीन ने जनसंख्या वृद्धि दर को काफी सीमित कर दिया। हमारे यहां उसकी तुलना में जो कमी आनी चाहिए, वह नहीं आ रही है। उन्होंने कानून बना दिया कि एक परिवार में एक ही बच्चा होगा और एक से ज्यादा हो गया तो उसकी सम्पत्ति कुर्क कर ली जाएगी। ऐसे लोगों को जेलों में ठूंस दिया जाएगा।

इस प्रकार की स्थिति वहां निर्मित कर दी और यह स्थिति हमारे यहां नहीं है। हम पांच-पांच शादियां करके, हम पांच और हमारे पच्चीस। इस प्रकार की भावना को कौन रोकेगा? इस प्रकार की भावना को हम नहीं रोकेंगे, यह सदन रोकने का प्रयास नहीं करेगा, तो कौन करेगा। हर समाज में, हर धर्म में धर्मान्ध लोग होते हैं, अतिवादी लोग होते हैं और हम सब लोग यहां जनप्रतिनिधि के रूप में यहां आए हैं और जनप्रतिनिधि का यह दायित्व होता है कि देश में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करें। मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे पूर्वजों ने हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति में समय-समय पर खामियों को दूर करने के लिए काम किया है। आज के समय में हम और आप मिलकर इसको ठीक करने का काम करें। मैं भी श्री खारबेला स्वाईं जी की तरह अनेक समाज सुधारकों के नाम ले सकता हूं, जैसे बालगंगाधर तिलक, राजा राममोहन राय आदि। समाज से सति प्रथा को भी रोकने का काम किया गया। इसलिए इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को पास तो होना ही चाहिए और इस देश में सर्वधर्म सम्भाव का वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक समान कानून बनाने की भावना का मैं समर्थन करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, देश में समान नागरिक-कानून बनाने के संबंध में माननीय सदस्य योगी आदित्यनाथ द्वारा जो गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक लाया गया है, मेरे विचार से, यह असमय है और ठीक-ठीक धारणा से नहीं बनाया गया है। जैसा हमारे कई माननीय वरिष्ठ सदस्यों ने कहा, इस प्रकार का कानून बनाने के लिए ऐसा विधेयक लाने की अभी कौन सी आवश्यकता या तात्कालिकता हो गई थी, जबकि हम सभी जानते हैं कि इस समय देश में कैसी स्थिति चल रही है? इससे देश के अल्पसंख्यकों को क्या संदेश देना चाहते हैं?

हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र की मूलता, संघवाद की मूलता, विविधता और नागरिक को किसी भी धर्म या पंथ को चुनने की स्वतंत्रता देने में है। उस ओर बैठे मेरे मित्र बताते रहते हैं कि दूसरे अन्य देशों में इस-इस तरह की परंपराएं हैं। मैं उन्हें यह स्मरण करा दूं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे जैसे लोकतंत्र में, जहां 100 करोड़ लोग विभिन्न मतों, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न परंपराओं का आचरण करते हैं—एक ऐसी समान नागरिक संहिता थोप देना जिससे हमारे सारे वैयक्तिक कानूनों का कोई अस्तित्व शेष न रहे, ठीक और तर्कसंगत नहीं होगा। यदि अन्य समुदायों के वैयक्तिक कानूनों में कोई कमियां हैं, तो उन पर उन्हीं समुदायों द्वारा ध्यान दिया तथा परिशोधित किया जाना चाहिए, न कि यह, कि सरकार एक समान नागरिक कानून लाकर उसे देश के विभिन्न वर्गों पर थोप दे।

महोदय, हमारे विधि-निर्माताओं ने यह नहीं सोचा था। अवश्य, एक विनिश्चित समयावधि के भीतर समान नागरिक संहिता को अनिवार्य रूप से अंगीकार कर लिया जाना चाहिए। संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि हम एक समान नागरिक संहिता रखने की तरफ प्रयास करेंगे। संविधान में इस तरह के अनेक दूसरे उपबंध भी हैं। संविधान-निर्माताओं में हमारे संविधान में यह बात भी जोड़ी है कि एक विनिश्चित समयावधि के भीतर हमें एक समान राष्ट्रभाषा रखनी होगी या हम रखेंगे।

हमारी स्वतंत्रता के पचपन वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमने इस उपबंध को लागू नहीं किया है। ऐसा इसलिए, क्योंकि हम इस देश के विभिन्न भागों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों की भावनाओं का आदर करते हैं। हमें अभी भी अपनी राष्ट्रभाषा अंगीकार करनी है। अवश्य, हमारी राष्ट्रभाषा तो है, लेकिन हमने उसे देश के सभी राज्यों में थोपा नहीं है। हम अभी तक त्रिभाषा फार्मूला चला रहे हैं। यदि हम ऐसे मुद्दे पर उदार दृष्टिकोण रख सकते हैं तो इस देश की नागरिक-संहिता के बारे में ऐसा ही दृष्टिकोण क्यों नहीं रख सकते? माननीय सदस्य का कहना है कि इस प्रकार के संशोधन से एकता, समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का इरादा है। श्री शिवराज पाटील ने बिल्कुल ठीक कहा, यदि मात्र एकरूपता से ही एकता का विचार है तो संभवत: ऐसा नहीं हो सकता। यदि हम देश की एकता लाने चाहते हैं तो हमें देश के सभी वर्गों के लोगों की भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करना होगा। यहां ऐसे कई मुद्दे उठे हैं।

हाल ही में माननीय गृह मंत्रीजी ने इस सम्मानित सभा में घोषणा की थी कि भारत कभी भी 'हिंदू राष्ट्र' नहीं बनेगा। यह बिल्कुल ठीक और औचित्यपूर्ण दृष्टिकोण है। लेकिन इस पर उनकी आलोचना की गई। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कहा था, मैं उस समय यहां उपस्थित नहीं था। यदि माननीय गृहमंत्री जी का यह दृष्टिकोण था कि हमारा देश एक पंथविशेष पर आधारित राष्ट्र नहीं बनेगा, तो यह तो सही दृष्टिकोण था। लेकिन इस पर भी उनकी आलोचना की गई।

इस विधेयक में माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारा देश एक पंथ विशेष पर आधारित राष्ट्र नहीं है। यह सही बात है। हममें से कोई नहीं चाहता कि यह ऐसा राष्ट्र बने। हम चाहते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बना रहे, जहां वैयक्तिक अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान हो, जहां लोगों की अपने मजहब का पालन करने तथा उसका आचरण करने की आजादी का और अपने-अपने वैयक्तिक कानूनों से चलने की आजादी का सम्मान हो। शायद यह सभा इस मुद्दे पर पहले भी कई बार चर्चा कर चुकी है। यह मुद्दे पर देश में भी कई बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन, हर बार यही निर्णय हुआ कि विभिन्न वैयक्तिक-कानूनों को यथावत रखा जाए और देश के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार रखा जाए। हमेशा यही निर्णय हुआ है कि जन-भावनाओं का और उनके वैयक्तिक कानूनों का सम्मान किया जाए। यदि निवारक उपाय किये ही जाने हैं, तो. विभिन्न समुदायों को ही ऐसा करने दीजिए, बजाय इसके कि सरकार चाहे जो भी सरकार हो—ऐसा करने के लिए समान कानून बनाने लगे। विश्व भर के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा ही होता है। चूंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हम इस बात पर गर्व करते हैं, अत: हमें अन्य लोगों की भावनाओं, हमारे देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोगों की भावनाओं, का आदर करने के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए।

अत:, यदि यह संशोधन स्वीकृत होता है तो यह हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे की जड़ों को ही काट देगा। यह उस पंथनिरपेक्ष आचार और पंथनिरपेक्ष भावना के खिलाफ होगा, जिनमें इस देश के सभी वर्गों के लोग बहुत आस्था रखते हैं। अत: मैं माननीय सदस्य और अच्छे मित्र से बड़े आग्रहपूर्वक अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को वापस ले लें। मैं उनसे लोकतंत्र के पक्ष में, पंथनिरपेक्षता के पक्ष में, वैयक्तिक अधिकारों के पक्ष में और वैयक्तिक स्वतंत्रता के पक्ष में खड़े होने का गुजारिश करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: इस बिल के लिए छ: बजकर 14 मिनट तक का समय तय हुआ था। मैं सदन से अनुमति चाहूंगा कि इस पर आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए, बाद में समय बचेगा तो देखा जाएगा।

कई माननीय सदस्य: ठीक है।

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णमूर्ति): महोदय, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? यदि मेरी बात से अध्यक्षपीठ तथा यहां उपस्थित माननीय सदस्यों को असुविधा न हो, तो मेरा सुझाव है कि मुझे अपने उत्तर को अगले पांच मिनट में समाप्त करने की अनुमति दे दी जाए। मुझे विमान पकड़ने के लिए 6.20 बजे तक निकल जाना पड़ेगा। यदि आप अनुमति देंगे, तो मैं अगली बार इसे पुन: आगे कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप अभी शुरू कर दें और फिर बाद में इसे जारी रख लें। मैं स्पष्ट कर दूं कि आधे घण्टे का समय विधेयक पर चर्चा के लिए बढ़ाया गया है, न कि सभा की बैठक के लिए। सभा सायं 6.20 बजे तक ही बैठेगी।

श्री के. जना कृष्णमूर्ति: सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के प्रस्तावक सदस्य द्वारा दिए गए तर्कों के साथ-साथ इसके विपक्ष में बोलने वाले माननीय सदस्यों के तर्कों को ध्यान से सुन रहा था। मुझे वाकई आश्चर्य हुआ कि आखिर इस विधेयक के प्रस्तावक के तर्कानुसार संविधान में संशोधन करने के प्रश्न से अन्य लोग इतने उद्वेलित क्यों हो गए। यह तो नागरिक कानून में साधारण संशोधन करने का एक प्रस्ताव है। माननीय सदस्य से हम पूरी तरह सहमत हैं या नहीं, यह एक बिल्कुल अलग बात है। मैं सभा को आश्वस्त कर दूं कि यहां दिए गए तर्कों के संबंध में सभा के समक्ष जो मैं कहना चाहता हूं, उसके पश्चात् मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को वापस ले लें।

लेकिन, मुझे यह समझ नहीं आता कि इस बहस में हिंदू, मुसलमान या ईसाई होने का प्रश्न कहां से आ गया। उन्होंने तो सिर्फ यह कहा कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभा में अचानक ही यह बात उठ गई हो। जैसा कि प्रतिपक्ष के आदरणीय उप-नेता ने कहा, पचास वर्ष पूर्व भी यह प्रश्न उपस्थित था। पुराने लोग विवेकशील लोग थे। फिर उन विवेकशील लोगों ने नीति-निर्देशक सिद्धांतों वाले खंड में यह शामिल करने का विचार क्यों किया कि तत्कालीन सरकार एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करे। जिन लोगों ने इस विधेयक के प्रस्तावक के खिलाफ ये तर्क दिए, क्या उन्हें यह बात ध्यान नहीं थी? यह तथ्य, कि उन विवेकशील लोगों, यानि, हमारे संविधान की विरचना करने वाले तथा इसके निर्माताओं ने यह कहते हुए नीति-निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 44 को शामिल करने की मंशा रखी कि राज्य एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करे, स्वयं यह दर्शाता है कि संविधान-निर्माता स्वयं यह चाहते थे कि आज हो या कल, देश में इस संहिता को बनाना तथा इसे लागू करना होगा।

अत:, इस स्थिति को देखकर, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि इस विधेयक के प्रस्तावक ने स्वयं को उसी भावना और इच्छा से प्रेरित करने का प्रयास किया है, जो संविधान-निर्माताओं के मन में थी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप अपना भाषण इस विषय पर निर्धारित अगली तारीख को जारी रख सकेंगे।

[अनुवाद]

अब सभा सोमवार, 25 नवम्बर, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.19 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा सोमवार, 25 नवम्बर, 2002/4 अग्रहायण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।